January to March 2020
E-Journal
Volume I, Issue XIX

ISSN 2394 - 3807
E-ISSN 2394 - 3513
Impact Factor - 5.190 (2017)

Divya Shodh Samiksha

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

दिव्य शोध समीक्षा

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email :** dssresearchjournal@gmail.com, **Website :** www.dssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 07/08

03. Referee Board 09

04. Spokesperson's 11

05. लोकतान्त्रिक वयवस्था में कामकाजी महिला के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार (डॉ. कपिल खरे) 13

06. जनजाति के सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन का स्वरूप (सुरसिंह जामोद, डॉ. परमेश्वर दत्त शर्मा) 16

07. आदिवासी महिलाओं में नेतृत्व क्षमता (रतलाम जिले की भील महिलाओं के विशेष संदर्भ में)........ 18
(विजयसिंह मण्डलोई, डॉ. हरिकृष्ण बड़ोदिया)

08. Guidance in College (Dr. Abhimanyu Vashistha) 20

09. Psychological Strangulation in K.A. Porter's "VIRGIN VIOLETA" (Dr. Anita Tripathi) 22

10. Indian Culture- What was and What is? (Kartikeswar Patro) 23

11. Character Delineation in the works of Charles Lamb (Shobha Sharma) 26

12. Sustainable Tourism In South Karnataka: Opportunities And Challenges (Dr. Usharani B) 27

13. Understanding Green Chemistry (David Swami) 31

14. Medicinal use of different parts of Harsingar (Nyctanthes arbortristis) 33
(Supriya Chouhan, Dr. Anil kumar Gharia, Dr. Dhananjay Dwivedi)

15. Malwa Tea Distributors : A case study (Dr. Manish Khargonkar) 35

16. महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन (डॉ. पी. के. चतुर्वेदी) 37

17. श्री राम चरित मानस में जीवन मूल्य (डॉ. बालकृष्ण प्रजापति) 39

18. अभिप्रेरणा जीवन का आधार है (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध) 42

19. Performance Appraisal : A Strategy For Professional Development (Dr. Mamta Barman) 44

20. बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड के सर्वेक्षित ग्रामों में लाभान्वित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों के विशेष 46
सन्दर्भ में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के योगदान का एक अध्ययन (डॉ. के.के.शर्मा)

21. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) : भारत की कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक कदम (डॉ. रेणु जटाना, कन्हैया लाल) 56

22. फास्ट फूड का उपभोग कर रहे बालक-बालिकाओं का नैदानिक परीक्षण एक अध्ययन (सागर शहर के संदर्भ में) 60
(डॉ. आराधना श्रीवास)

23. साहित्य का समाजशास्त्र : एक अवलोकन (श्रीमती जोनटि दुवरा) 64

24. Role of frontline workers in prevention and management of corona virus 67
(Dr. K.R. Kanude, Prof. Moulshree Kanude)

25. प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम के प्रभाव का अध्ययन (अमिता बैनिवाल) 70

26. Role of pseudomonas aeruginosa in Nosocomial Infection at tertiary care hospital Bhopal (Pooja Choubey, Mr. Durga Prasad Tentwar) 72

27. सिनेमा और साहित्य का अन्त: संबंध (डॉ. ज्योति मिश्रा) 74

28. किन्नर- इतिहास, उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा (डॉ. ज्योति मिश्रा) 78

29. Study On Degree Of Approximation Of Functions By Matrix - Euler Means Of Its Fourier Series (Dr. Dalendra Kumar Bhatt) 82

30. Feminine Psyche in Some of the Novels of Anita Desai (Dr. Vishal Sen) 85

31. भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चिंतन एवं लोक स्वास्थ्य (डॉ. ज्योति सिंह) 87

32. सन्त - आशय एवं प्रकृति (डॉ. मधुसूदन चौबे) 89

33. गरीबी और किशोरियों का स्वास्थ्य मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में (डॉ. दिनेश कुमार चौधरी) 91

34. ग्रामोद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ग्राम उत्थान संभव (डॉ. वसुधा अग्रवाल) 94

35. Development of Intellectual Property Right –A study (Lok Narayan Mishra) 96

36. कमजोर एवं वंचित वर्गों के विकास में उद्यमिता विकास की भूमिका (डॉ. आर.एस. मण्डलोई) 99

37. महात्मा गॉधी के आर्थिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. प्रतिमा बनर्जी) 101

38. Harmful effects of waste products and concept of Dry & Wet Waste Management (Anchal Ramtake) 104

39. वर्तमान परिदृष्य मे शिक्षा का अधिकार (डॉ. मोहन निमोले) 106

40. खरगोन जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का भौगोलिक स्वरूप (डॉ. प्रमिला बघेल) 108

41. हिन्दी गीत रामायण में संगीत तत्व (डॉ. स्मिता सहस्त्रबुद्धे, अनूप मोघे) 110

42. तनाव प्रबन्धन में गौतम बुद्ध के सिद्धांतो की सार्थकता (विनीता मुजाल्दे, डॉ. मंजू शर्मा) 114

43. Nehru Report : A Hope Towards Constitutional Reforms or a Mere Historical Document (Sunil Sharma) 116

44. Social Life of the People During Gupta's Period (Sunil Sharma) 118

45. बी. एड. विद्यार्थिओं का शिक्षण के प्रति रूचि का अध्ययन (डॉ. बी. के. गुप्ता) 120

46. A Study of Impact of Goods and Services Tax on Various Sectors of Indian Economy (Dr. Vaibhav Sharma, Dr. Archana Dwivedi) 123

47. स्वयं सेवी संस्थाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान (आशीष शर्मा, डॉ. ए.के. पाण्डेय) 125

48. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास मे शासकीय योजनाओ की भूमिका (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ मे) (वंदना कलमे) 127

49. भारतीय रागों में कल्पना शक्ति (डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा) 130

50. शहडोल जिले में शिक्षा एवं साक्षरता का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. भास्कर प्रसाद तिवारी) 132

51. हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण समस्या (डॉ. आर. एस.वाटे) 135

52. Business Competitiveness: Strategies for Automobile Industry 137
(Dr. Mohammad Sajid, Jyoti Pachori)

53. Digital Marketing in Indian Context (Dr. Prasann Jain, Dr. Mohammad Sajid) 140

54. Labour Legislation in India – A Historical Study (Dr. Shishir Shukla, Sanjay Payasi) 144

55. राजस्थान का विलुप्त दुर्ग खण्डार (श्रीमती उर्मिला मीना) 147

56. धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म की राजनीति (डॉ. गोपाल सिंह) 150

57. आधुनिक बोध और महाकवि निराला (डॉ. सूर्य प्रकाश नापित) 154

58. Enhancement of Quality System of Higher Education in India (Dr. Swati Mathur) 157

59. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यों के विकास में परिवार व समाज की भूमिका (डॉ. कुलदीप सिंह तोमर) 160

60. महिलाओं के आर्थिक विकास में स्व-सहायता समूह की भूमिका (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में) 163
(रुची गौतम, निगार फातिमा)

61. Non Life Insurance Sector in India (Dr. Rajesh Shroff) 165

62. Spectrum for Charged Particle in a Class of Non-Uniform Magnetic Field (Dr. Amar Kumar) 167

63. सवाई माधोपुर का लोक जीवन लोक कला, लोक गीत एवं संगीत (मीणा समाज के विशेष संदर्भ में) 175
(डॉ. सुनिता मीना)

64. भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका (डॉ. हनुमान प्रसाद मीना) 178

65. Central Scretariat Service and Cadre System: A Critical Analysis (Dr. Archana Singh) 182

66. भारतीय संस्कृति का केन्द्र कुम्भ (डॉ. मुकेश कुमार मारू) 184

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

Referee Board

Maths -	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics -	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science -	(1)	Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry -	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany -	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
	(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science -	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics -	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science -	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology -	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology -	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science -	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci. -	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece -	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
	(4)	Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)

***** Management *****

Management -	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources -	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration -	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law -	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)

***** Arts *****

Economics -	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
	(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science -	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy -	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology -	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	**(1)**	**Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)**
		(3)	**Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
		(4)	**Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)**
		(5)	**Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)**
English	-	**(1)**	**Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)**
Sanskrit	-	**(1)**	**Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)**
History	-	**(1)**	**Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)**
Geography	-	**(1)**	**Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)**
		(2)	**Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)**
Psychology	-	**(1)**	**Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
Drawing	-	**(1)**	**Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
		(3)	**Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)**
Music/Dance	-	**(1)**	**Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)**

******* Home Science *******

Diet/Nutrition Science	-	**(1)**	**Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
		(2)	**Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)**
		(3)	**Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)**
Human Development	-	**(1)**	**Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)**
		(2)	**Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)**
Family Resource Management	-	**(1)**	**Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)**

******* Education *******

Education	-	**(1)**	**Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)**
		(2)	**Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)**
		(3)	**Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)**
		(4)	**Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)**
		(5)	**Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)**

******* Architecture *******

Architecture	-	**(1)**	**Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)**

******* Physical Education *******

Physical Education	-	**(1)**	**Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)**
		(2)	**Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)**
		(3)	**Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)**

******* Library Science *******

Library Science	-	**(1)**	**Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)**

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

लोकतान्त्रिक वयवस्था में कामकाजी महिला के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार

डॉ. कपिल खरे*

शोध सारांश – भूतपूर्व समय में कामकाजी महिलाओ की स्तिथि बहुत ही दयनीय रही है परन्तु समय के साथ साथ इस स्तिथि में हमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है। भारतीय संविधान के द्धारा महिला एवं पुरुष को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी मामलों में समान अधिकार प्रदान किये गए है। यह अधिकार उनके मूलभूत अधिकार के रूप में प्रदान किये गए है। सन 1980 के पश्चात मेहनतकश महिलाएं संगठित होने लगी अब महिलाओं का संघर्ष नौकरी के दौरान उनके साथ किये गए आर्थिक शोषण पर केन्द्रित होने लगा। वर्तमान समय में यह कानून बन गया है कि कामकाजी महिलाए रात्रि को खाने की मिलो में कार्य नहीं करेगी। जिन विभागों में महिलाएं कार्यरत है वह विभाग उन विवाहित महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए किसी प्रकार की कोई वयवस्था नहीं करते है। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कामकाजी महिलाओ को संरक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से वयवस्था की गयी है।

शब्द कुंजी– कामकाजीब महिलाब संवैधानिक अधिकारब कानूनी अधिकार।

प्रस्तावना – सम्पूर्ण विश्व में भारत एक आर्थिक और राजनैतिक शक्तिपुंज के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। भारतीय संविधान द्धारा प्रदत्त अधिकार एवं अवसर को प्रमुखता प्राप्त हो रही है। भारतीय समाज में वर्तमान समय में महिलाएं घर की दहलीज से बाहर निकल कर अपने करियर को सवारने का प्रयास कर रही है परन्तु उनके इस प्रयास में मानसिक,शारीरिक,लिंग असमानता आदि परेशानियाँ अधिकांश महिलाओ के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गयी है। ऐसी विकट परिस्तिथि में महिलाओं को भारतीय कानून द्धारा प्रदत्ता सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकारों के प्रति आवश्यक रूप से जागरूक होना चाहिए।

कामकाजी महिलाओ को संरक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से वयवस्था की गयी है ।

1 अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत। लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया है।

2 अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत– अवसरों की समानता प्रदान की गयी है।

3 अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

4 अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

5 अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत। बलात,बेगार एवं दुर्वयवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

6 अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत। 14 वर्ष से काम उम्र के बालक बालिकाओं के कार्यनियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

7 अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत। समान रूप से आजीविका,वेतन एवं गरिमामय वातावरण का विकास करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

8 अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत। कार्य के न्यायसंगत मानवोचित दशाओं का निर्माण करनाब प्रसूतिकाल में सहायता उपलब्ध करवाना।

9 अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत। स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार लाना।

10 अनुच्छेद 51क(ड) के अन्तर्गत। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जारी प्रथाओं को त्यागनेब समरसता एवं मातृत्व की भावना का विकास करना।

11 अनुच्छेद 243(घ)(2) के अन्तर्गत। पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।

12 अनुच्छेद 325 के अन्तर्गत। बिना किसी भेदभाव के निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है।

13 अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत। व्यस्क मताधिकार का समावेश किया गया है।

महिला श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रावधान है ।

फैक्ट्री एक्ट, 1948 का सेक्सन (खंड) 22 (2)के अनुसार किसी भी महिला को प्राइम मूवर मूल गति उत्पादक या किसी भी ट्रांसमिशन मशीनरी के किसी भी भाग की सफाई ल्युब्रिकेंट या समायोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।यदि सफाई ल्युब्रिकेशन अथवा समायोजन के कारण महिला को उस मशीन के द्धारा अथवा आसपास के मशीन से घायल होने का खतरा हो तो फैक्ट्री एक्ट, 1984 सेक्शन 27 द्धारा कॉटन प्रेसिंग के लिए जिसमे कॉटन ओपनर काम कर रहा होता है कारखाने के किसी भी भाग में महिला श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। फैक्ट्री एक्ट, 1948 सेक्सन (खंड) 66(1)(बी) बिड़ी और सिगार वर्कर रोजगार की शर्ते एक्ट 1966, सेक्शन (धारा) 25 माइंस एक्ट खान अधिनियम 1952, सेक्शन 46(1)जमीन के नीचे के खान के किसी भी भाग में महिला श्रम को प्रतिबंधित करता है। सेक्शन 46 (1)(बी) के अनुसार किसी भी महिला को किसी भी कारखाने में प्रात: 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के मध्य के अतिरिक्त कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

सन 1976 में महिला कर्मियों को समान पारिश्रमिक वेतन का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत महिलाओं को समान योग्यता के आधार पर समान नौकरी तथा समान वेतन प्रदान किये जाने की वयवस्था की गयी है।

महिला श्रमिको के लिए अलग शौचालय की वयवस्था का प्रावधान भी

* भूतपूर्व अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ (म.प्र.) भारत

निम्नानुसार किया गया है।

1. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, 1970 का नियम 5 का प्रावधान।
2. फैक्ट्री एक्ट, 1948 की धारा 191 का प्रावधान।
3. इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन, (केन्द्रीय नियम) (आर. इ. सी. एस.) (इंटर स्टेट प्रवासी कर्मकार) 1980 का नियम 421 का प्रावधान।

केच का प्रावधान–

1. फैक्ट्री एक्ट, 1948 का सेक्सन 48 का प्रावधान।
2. माइंस एक्ट, 1952 का सेक्शन 48 का प्रावधान ।
3. इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन अधिनियम, सेक्शन 44 का प्रावधान ।
4. प्लांटटेशन लेबर एक्ट, 1956 का सेक्शन 9 का प्रावधान ।
5. बीड़ी और सिगरेट वर्कर अधिनियम, 1966 का सेक्शन 25 का प्रावधान।
6. बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन रोजगार और सेवा की शर्तो का नियमन, 1996 का सेक्शन 35 का प्रावधान।

कानून के द्वारा इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि विक्टिम अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित या शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्वयवहार के दायरे में कहलाएगी और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक दफ्तर में एक शिकायत समिति बनाई जाएगी जिसकी प्रमुख महिला होगी। समिति में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्यवाही के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। वर्तमान समय में कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत कार्यवाही की जाती है।

गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद। 42 के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं को बहुत से अधिकार प्रदान किए गए है। संसद ने सन 1961 में यह कानून बनाया था इसके अंतर्गत कोई भी महिला अगर सरकरी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में कार्यरत है जिसकी स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत हुयी हो में कार्यरत है तो उसे मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत महिला को बारह हफ्ते का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है है। जिसे वह अपनी जरुरत के अनुरूप प्राप्त कर सकती है। इस दौरान महिला को वही वेतन और भत्ता दिया जायेगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का गर्भपात हो जाता है तो भी उसे इस एक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर महिला गर्भावस्था के कारण या फिर समय से पहले बच्चे का जन्म होता है या फिर गर्भपात हो जाता है और इन कारणों से अगर महिला बीमार हो जाती है तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे एक महीने का अतिरिक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। इस दौरान भी उसे तमाम वेतन और भत्तो मिलते रहेगें। इतना ही नहीं सरकारी महिला कर्मचारी जो माँ है या बनने वाली है तो उन्हें मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अलावा वह अपनी नौकरी के दौरान दो साल की छुट्टी बच्चे के 18 साल के होने तक वह कभी भी ले सकती है यानि की बच्चे की बीमारी या पढाई आदि में जैसी भी उसे जरुरत हो। सन 1961 में पारित कानून के अनुसार कामकाजी महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलने का प्रावधान लागू है तथा कार्यस्थल पर अस्सी दिवस पूर्ण होने की दशा पर महिला कर्मियों को प्रसव सम्बन्धी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का कानून भी लागू है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 बच्चे के जन्म से पहले और पश्चात निश्चित प्रावधानों में निश्चित अवधि के लिए महिला श्रम को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ प्रदान करता है। सन 1971 में गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम बनाया गया इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भवती महिला की कोख में लिंग की जाँच तथा भ्रूण हत्या किया जाना कानूनी अपराध माना गया है। भवन एवं अन्य निर्माण रोजगार अधिनियम और सेवा की शर्तो का विनियमन, 1996 महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ के लिए कल्याण निधि प्रदान करता है। सन 1990 में स्थापित महिला आयोग द्वारा यह सिफारिश की गयी है की गर्भवती महिला को कपास प्रेस करने के लिए कारखाने में ऐसे हिस्से में तैनात नहीं किया जा सकेगा जिसमे कॉटन ओपनर संचालित किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त अपने कपडे रखने तथा सुखाने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए एक पृथक स्थान का प्रावधान किया जायेगा। महिला आयोग के द्वारा यह भी कहा गया है कि जलपान गृह प्रबन्ध समिति में कम से कम एक महिला कर्मचारी अवश्य होना चाहिए।

सेक्सुअल हैरेसमेंट छेड़छाड़ या फिर बलात्कार जैसी वारदातों के लिए सख्त कानून बनाये गए है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 16 दिसम्बर की सामूहिक बलात्कार की घटना के पश्चात् सरकार ने वर्मा कमीशन की सिफारिश पर बलात्कार विरोधी कानून बनाया। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान किये गए है उसमें बलात्कार की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आई पी सी की धारा –375 के तहत बलात्कार के दायरे में प्राइवेट पार्ट या ओरल सेक्स दोनों को ही बलात्कार माना गया है।

बलात्कार के ऐसे मामले जिसमे पीड़िता की मौत हो जाये या वह कोमा में चली जाये तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार में कम से कम सात साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के कारण लड़की कोमा में चली जाये या फिर कोई व्यक्ति दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो ऐसे मामलों में फांसी तक का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलो को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आई पी सी की धारा –354 को कई सब सेक्शन में रखा गया है। 354 (ए)के तहत प्रावधान में अधिकतम तीन साल तक कैद की सजा का प्रावधान है।

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर यौन टिपण्णी करता है तो एक साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। 354 (बी) के तहत अगर कोई व्यक्ति बलात्कार की कोशिश करता है तो तीन साल से लेकर सात साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354 (डी) के तहत यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का जबरदस्ती पीछा करता है या सम्पर्क करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। जो भी मामले संगीन अपराध यानि जिन मामलों में तीन साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है उन मामलों में शिकायत करने वाले के बयान के आधार पर या फिर पुलिस खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज कर सकती है।

कार्य स्थल पर भी महिलाओ को बहुत से अधिकार प्राप्त है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए उच्चतम न्यायलय ने सन 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत दिशा निर्देश तय किये थे। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षित किया गया है।

सन 2001 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण विधेयक तैयार किया गया जो किसी महिला कर्मचारी के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बंधित है।

संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधर लाने की दृस्टि से महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध निषेध कानून, 2013 का भी प्रावधान किया गया है।

उच्चतम न्यायलय के यह दिशा निर्देश तमाम शासकीय एवं निजी विभागों में लागू है। इसके तहत नियोक्ता की जिम्मेदारी है की वह गुनेहगार के खिलाफ कार्यवाही करे।

उच्चतम न्यायलय ने बारह दिशा निर्देश तैयार किये है। नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोके। सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में छेड़छाड़ गलत नियत से छूना सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना आदि अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यव्हार करना या इशारा करना आता है।

महिलाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण की जाना चाहिए महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। महिलाओं को अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार पर विरोध करना चाहिए।

निष्कर्ष कामकाजी महिलाएं जिन विभागों में कार्यरत है उन विभागों के द्वारा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इस लापरवाही की वजह से कार्यालय के समय के पश्चात भी अतिरिक्त समय में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने हेतु महिलाओं को रुकना पड़ता है तथा उन्हें रात्रि में घर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी विभाग के द्वारा नहीं उठाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप कई बार कामकाजी महिलाओं के साथ किसी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। कामकाजी महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक रूप से जाँच हेतु भी किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा का प्रबन्ध नहीं किया जाता है। इसी कारण वह अस्वस्थ होकर अपने कार्य से छुट्टी लेकर जाती है जिससे विभाग का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। मातृत्व अवकाश के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकला जा सकता है। अगर महिला का नियोक्ता इस लाभ से उसे वांछित रखने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। ऐसे में महिला न्यायलय की शरण ले सकती है और दोषी को एक वर्ष की सजा हो सकती है। आधुनिक दौर में जहां मानव खुद को आधिकारिक आधुनिकीकरण में लगाकर नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाने में संकोच नहीं करता है। वही अपने चरित्र वयक्तित्व एवं नैतिकता को गिराता जा रहा है। फिर भी नारी ने अपनी कुशलता विशेषज्ञता एवं अप्रतिम शौर्य से सबको अचंभित कर दिया है। स्त्री समाज का उपयोगी एवं कर्मठ सदस्य है मानसिक शक्तियों के बिखराव को रोककर उन्हें एक सुनिश्चित दिशा में नियोजित करने से क्षमता उत्पन्न होती है। अत: समाज और उसके संचालनकर्ताओं का यह कर्त्तव्य है कि स्त्रियों के प्रगति पथ में लगे प्रतिबंधों को दूर का दे और जनसमुदाय को ऐसी शिक्षा दे जिससे महिलाओं के गौरव को भंग न होने दे। कार्लटन के अनुसार – ***'कौन सी ऐसी ऊंचाई है जहां स्त्री चढ़ नहीं सकती। कौन सा ऐसा स्थान है जहां वह पहुंच नहीं सकती। हजारो अप्राधितो को वह क्षमा कर देती है। जब किसी बात पर जुट जाये तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती।'***

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, जे. सी., 'भारत में नारी शिक्षा', विद्या विहार प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003
2. चन्द्रशेखर, डॉ. ममता, 'मानवाधिकार और महिलाएं', मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. धावन, डॉ. हरिओम, 'महिला सशक्तिकरण विविध आयाम', पृ 26

4 महिला बाल विकास मंत्रालय,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली

5 'युग निर्माण',मासिक पत्रिका, फरवरी, 2018

****

जनजाति के सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन का स्वरूप

सुरसिंह जामोद* डॉ. परमेश्वर दत्त शर्मा **

प्रस्तावना – जनजातियों में छूत-अछूत का कठोरता से पालन किया जाता हैं। यदि कोई भील स्त्री किसी अछूत के साथ नाजायज संबंध रखती है तो उसे भील जाति से बहिष्कृत किया जाता है। इसी प्रकार लड़की के माता-पिता का भी हुक्का पानी बंद किया जाता है।

पूर्व में जनजाति के नियम काफी कठोर थे। यदि कोई भिलाला व्यक्ति अपनी नीची जनजाति से विवाह करता था तो उसे बहिष्कृत किया जाता है। लेकिन अब यह कठोर नियम शिथिल किये जाते है, क्योंकि लड़का और लड़की पढ़े लिखे है अत: इस प्रकार के विवाह को स्वीकार किया जाता है।

कभी-कभी यदि व्यक्ति पढ़ लिख कर यदि ऊँचे पद पर नौकरी करता है तो नीची जाति की विवाहित स्त्री को भी स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार के विवाहित व्यक्ति को जाति समाज में स्वीकार करने पर पटेल को रिश्वत के रूप में कुछ पैसा देना पड़ता है।

जब कभी अन्तर्जातीय विवाह याने भिलाला लड़का और भील लड़की अथवा इसके विपरीत वैवाहिक संबंध करते है तो विधिवत् घिरसरी की पूजा की जाती है और शराब की धार जमीन पर डाली जाती है, बुजुर्गो को शराब दी जाती है। तब इस विवाह को स्वीकृति दी जाती है।

जीवन पर्यन्त भील, मानकर, पटलिया लड़की अपने माता-पिता से जब भी मिलने जाती है तो वह मायके जाने पर उसके हाथ का खाना नहीं खायेगी। उसे अलग से अपना खाना बनाना पड़ता है।

प्रारंभ में भील जनजाति में यौन संबंधों के बारे में कोई निश्चित मर्यादा का बंधन नहीं होता था। यौन संबंधों में जनजाति में काफी ढीला रवैया रखा जाता था। वर्तमान में भी भील जनजाति में हिन्दुओं की वैवाहिक संस्था की तरह विवाह के विकसित नियम बंधन नहीं है।

आदिकाल में जब किसी प्रकार की मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब वस्तुओं के आदान-प्रदान से ही वस्तु विनिमय किया जाता था। लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तब मजदूर को नगदी रूप में भुगतान किया जाता था। उससे मजदूर स्त्रियों का महत्व बढ़ने लगा था।

आगे चलकर वधू-मूल्य का प्रचलन शुरू हुआ और लड़की के अभिभावक वधू-मूल्य के रूप में लड़के के अभिभावक से वधू-मूल्य निर्धारित करने लगे थे। स्त्री का महत्व जैसे-जैसे बढ़ता गया वधू-मूल्य में भी बढ़ोत्री होने लगी।

यदि कोई स्त्री पूर्व-पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है तो इस व्यक्ति को उस स्त्री के पूर्व पति को पूरी धन राशि लौटानी पड़ती है।

चूँकि वर्तमान में वधू-मूल्य की बढ़ोत्री के कारण कोई भी पुरुष बहु विवाह नहीं कर पाता, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण केवल एक पत्नीव्रत ही का पालन किया जाने लगा।

भील परिवार में पति-पत्नी के मध्य वैवाहिक संबंध मधुर ही रहते हैं। पति पर ही पत्नी का पूरा नियंत्रण रहता है। पत्नी को मजदूरी के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी पुरुष का ही नियंत्रण रहता है। पति हमेशा पत्नी की यौन-शुचिता पर बराबर निगरानी रखता है। यदि पत्नी के यौन संबंधों में कोई संदेह होता है तो उसके भयानक परिणाम निकलते है। अक्सर ऐसे संदेहास्पद यौन संबंधों की अंतिम परिणति पत्नी की हत्या पर समाप्त होती है। सामान्यत: यदि पति की आज्ञा का पालन करती है परन्तु वह स्वयं के विशेषाधिकार के प्रति भी जागरूक रहती है। पति-पत्नी और बच्चों के बीच घनिष्ठ संबंध पाये जाते हैं। बच्चों का व्यवहार माता-पिता के प्रति आज्ञाकारक ही होता है। भील जनजाति में पुत्री का जन्म अभिशाप नहीं माना जाता है। उसे स्नेह और आत्मीयता से पाला पोसा जाता है। उसकी दैनिक जरूरतों पर पूजी जाती है। लड़के और लड़की के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। विवाह के पश्चात् भी पत्नी को हाट बाजार जाने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। विवाह के पूर्व भी स्त्री को जीवन साथी चुनने में स्वतंत्रता रहती है। अवैध संबंधों में यदि महिला गर्भवती हो जाती है तो स्त्री पंचायत का या मुखिया का दरवाजा खटखटा सकती है और उसे न्याय मिल सकता है। लेकिन आमतौर पर संस्कारित लड़के और लड़कियां विवाह के संबंध में अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते, किन्तु विवाह के पश्चात् घर के बुजुर्ग सास-ससूर पर पत्नी पर व्यवहार के संबंध में अनेक प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होता है। यद्यपि इनका कोई लिखित अनुबंध नहीं होता यह स्थिति परिवार की इच्छा पर भी निर्भर है।

जनजाति में बाल विवाह नहीं होते। आमतौर पर लड़का और लड़की 16 से 18 के बीच विवाह करने का प्रचलन है।

वधू-मूल्य की प्रथा के प्रारंभ में जनजातियों की आर्थिक दशा ही जिम्मेदार मानी जाती है। भील समाज में महिलाएँ आर्थिक इकाई के रूप में मानी जाती है। अत: लड़की के माता-पिता को हो रहा है उसकी भरपाई वधू के माध्यम से की जाती है। अत: वधू-मूल्य उसकी सामाजिक स्थिति का परिचायक नहीं बल्कि उनके महत्व को प्रकट करता है। वधू-मूल्य के ही माध्यम से पारिवारिक संरचना दृढ़ बनी रहती है और पति उनको आसानी से तलाक नहीं दे पाता है। वधू-मूल्य से ही व्यक्ति की आर्थिक क्षमताओं का पता चलता है। वधू-मूल्य से ही व्यक्ति की आर्थिक क्षमताओं का पता चलता है कि वह अपनी पत्नी का पालन पोषण करने में सक्षम है या नहीं।

भील जनजाति में विधवा पुनर्विवाह में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। पति या पत्नी दोनों तलाक लेने में स्वतंत्रता प्राप्त है। अधिकांशत: महिलाएँ

* शोधार्थी, मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

अपने पतियों को तलाक देते है। इसके लिए तलाक लेने वाली स्त्री को भरण–पोषण में परेशानियाँ, पति द्वारा दारू पीकर पत्नी साथ के साथ मार–पीट करना, किसी अन्य स्त्री के साथ अवैध संबंध, या पति का अकर्मण्य होना, पुरुष स्त्री की यौन–इच्छा की तृप्ति नहीं कर पाना आदि स्त्री के उत्पीड़न के कारण स्त्री तलाक लेने के लिए बाध्य होती है।

कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति जानने पर पता चलता है कि स्त्रियाँ पूर्णतः पुरुष पर निर्भर नहीं है।

जनजाति में वधू–मूल्य न देने की स्थिति पर लड़का घर जँवाई रह कर वधू–मूल्य की प्रतिपूर्ति करता है। ऐसे में घर जँवाई रह कर वह अपने ससूर के खेतों पर काम करता है। कुछ समय के पश्चात् वह स्वतंत्र हो जाता है।

सम्पत्ति में पुत्र को ही उत्तराधिकार के रूप में मान्यता है। पुत्री को सम्पत्ति का अधिकार नहीं है। यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़ देती है तो पिता को उसकी पुत्री को उत्तराधिकार के रूप में आंशिक सम्पत्ति का बँटवारा दिया जा सकता है।

पति की मृत्यु के बाद विधवा औरत को पति के उत्तराधिकार प्राप्त होता है, किन्तु वह यदि पुनर्विवाह करती है तो उसके पूर्व मतृक पति का उत्तराधिकार वह स्त्री खो देती है।

यदि पैतृक जमीन पर न केवल पुरुष वरन् महिलाएँ भी रहती हैं तब उन्हें उस जमीन में उत्तराधिकार पाने का अधिकार है। अप्रत्यक्ष रूप से उनके बच्चे भी पैतृक सम्पत्ति में उनकी माँ के हिस्से के दावेदार हो सकते हैं।

कई बार विवाहित स्त्री दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए भाग जाती है। ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को उसके पूर्व पति को पूरा वधू–मूल्य चुकाना पड़ता है।

वर्तमान में भी भील समाज में लड़कियों का विवाह माता–पिता की इच्छानुसार ही पूरे किये जाते हैं। विवाहित स्त्री के पूर्व पति से दुश्मनी मोल लेना भी उचित नहीं माना जाता।

जो लड़कियाँ अविवाहित अवस्था में माँ बन जाती है, उनके विवाह करने पर वधू–मूल्य की रकम काफी घट जाती है। और इसे लड़कियों के विवाह तभी आसानी से सम्पन्न किये जाते हैं।

पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों के वैवाहिक संबंधों में वधू–मूल्य की रकम काफी न्यून जैसी हो जाती है। कुछ सम्पन्न भिलालों में लड़के और लड़कियों के वैवाहिक सम्बन्ध में वधू–मूल्य का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

वर्तमान में बहुपत्नी प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई है।

सहपालन सहमति विवाह – प्रणय सम्बन्धों से आबद्ध युवक युवतियाँ यदि यह अनुभव करते हैं कि अभिभावक उनके विवाह में बाधक बन सकते हैं तब वे किसी दिन उपयुक्त अवसर पाकर पलायन करते हैं। लड़की का पिता अपने संबंधियों के साथ लड़की को ले जाने लिए आता हैं तो वधू–मूल्य का मामला बीच में आता है। दोनों पक्षों की सहमति से वधू–मूल्य तय किया जाता है तब उन दोनों का विवाह सम्पन्न किया जाता है।

परम्परागत तरीकों से हटकर यह भी कुँवारी लड़कियों से विवाह का एक तरीका है जिसमें अधिकांशतः बल प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में यह आवश्यक नहीं है कि लड़की ने अपनी सहमति इस तरह के विवाह के लिए पहले से ही दी है।

गोत्र का मसला – भील जनजाति में करीबन 110 गोत्रों का वर्णन किया गया है। लेकिन नातेदारी में प्रायः जनजाति के लोग संबंधों में प्रगाढ़ सम्बन्धों का प्रचलन रहा है। निम्न आर्थिक स्थिति जीवन निर्वाह की कठिनाइयों तथा रोजगार के सीमित अवसरों के कारण भील समाज में संयुक्त परिवारों के साथ एकाकी परिवारों का प्रचलन अधिक बन रहा है।

इस प्रकार जनजाति समाज में समय परिवर्तन के साथ सामाजिक स्थिति में भी काफी बदलाव दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

आदिवासी महिलाओं में नेतृत्व क्षमता (रतलाम जिले की भील महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

विजयसिंह मण्डलोई* डॉ. हरिकृष्ण बड़ोदिया **

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए स्वतंत्र भारत में अनेक कल्याणकारी कार्य हुए है। राज्य की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो प्रयास किये गए उनसे बेहतर परिणाम सामने आए है। साक्षरता का प्रतिशत बढा है और पहले की तुलना में आदिवासियों की जागरूकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पंचायती राज व्यवस्था के बाद मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रतलाम जिले के बाजना, सैलाना की अनुसूचित जनजाति भील समुदाय के राजनीतिक जागृति आई है और महिला नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है। इस समुदाय में नेतृत्व क्षमता को जानने के लिए अनुसंधान को आधार बनाना चाहिए। इस समुदाय में नेतृत्व क्षमताओं का विकास किस माध्यम से हुआ है और कौन-कौन सी रूकावटें हैं, इस व्यवस्था का अध्ययन किया जाना जरूरी है।

73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायत राज व्यवस्था की अब तक की यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप राज्य का पंचायत विधान बनाया तथा उसका परिपालन किया। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार ग्राम, जनपद एवं जिला स्तर पर उनकी आबादी के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है।

यद्यपि 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, जो कि 73 वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाया गया, आदिवासी समुदाय को पंचायत व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान प्रदान करता था, परन्तु फिर भी यह विधान आदिवासी समुदाय को अपने गृह क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक मामलों का नियंता नहीं बना पाया था। यह आवश्यकता सदैव महसूस की जाती रही है कि अनुसूचित क्षेत्रों का संस्थागत ढांचा आदिवासियों की आवश्यकताओं, उनकी प्रकृति एवं आदिवासी संस्थाओं जिनसे कि यह लोग सदियों से जुडे हैं, के अनुरूप होना चाहिए।

इनमें से कई क्षेत्रों का दीर्घकाल तक आदिवासियों ने खुद के बलबूते स्वतंत्रतापूर्वक प्रबंधन किया है, उदाहरणार्थ जल, जंगल एवं जमीन आदि का प्रबंधन। वर्तमान में इन सभी का प्रबंधन अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इन परम्परागत अधिकारों को प्राप्त करने हेतु असंतोष के स्वरों ने अनुसचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को विकेन्द्रीयकरण एवं स्थानीय स्व-शासन की इकाईयों के रूप में स्थापित करने के साथ ही, आदिवासियों की परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं सास्कृतिक पहचान बनाए रखने पर बल दिया है।

आदिवासी समुदाय की इस आवश्यकता एवं मांग के परिणामत: भारत सरकार ने जून 1994 में श्री दिलीपसिंह भूरिया की अध्यक्षता में 22 सदस्यों की समिति गठित की। इस उच्च स्तरीय समिति का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों की मुख्य विशेषताओं पर सुझाव प्रस्तुत करना था। तत्कालीन केन्द्र सरकार ने भूरिया समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 पारित किया, जिसकों राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् राज्यों को अग्रेषित किया गया। तदनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 पारित हुआ। यह अधिनियम 5 दिसंबर 1997 से राज्य में प्रभावी हुआ।

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के अधिकारों की पुर्नव्याख्या हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज विधान में मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के माध्यम से, एक अध्याय 14 को जोड़ा गया है, जिसमें ग्राम सभा की रचान, ग्राम पंचायत, अनुसूचित जनजाति स्थानों के आरक्षण की विधियों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

भील महिलाओं से भी उनके राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में उनकी स्थिति जानने की कोशिश की गई है। मतदान करने के अधिकार के प्रश्न के जवाब में जब उत्तरदाताओं से उनका जवाब जानने की कोशिश की गई तो 300 महिला उत्तरदाताओं में से 270 महिला उत्तरदाताओं ने मतदान करने जाने की बात स्वीकार की। जो कि एक अच्छा संकेत है। यह लगभग 90 प्रतिशत है।

सन् 1993 में भारतीय संविधान ने 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था का लाभ कमजोर और पिछड़े वर्गो को मिला। इन वर्गो की सामुदायिक विकास में जहॉ एक ओर भागीदारी सुनिश्चित हुई वहीं महिलाओं को भी पर्याप्त महत्व मिला। सैलाना और बाजना चूंकि अधिकतम प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है अत: सभी पंचायतें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। आरक्षण व्यवस्था से महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में नेतृत्व का पर्याप्त मौका दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात जो शोध से प्राप्त निष्कर्षो में देखने में आई कि महिलायें पंच या सरपंच का पद तो प्राप्त कर लेती हैं किन्तु उन पदों के कार्यो के प्रति उनमें जागरूकता का अभाव है। अधिकांश महिला प्रतिनिधियों के पति ही उनको सौंपे गये कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। महिलायें प्राय: केवल हस्ताक्षर भर करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दीक्षित, डॉ.डी.के. एवं त्रिपाठी, डॉ.आर.एस. : समाजशास्त्रीय शोध

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** रिटा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत

की अध्ययन पद्यतियॉं, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल 2007

2. भावे विनोबा : ग्राम पंचायत, अखिल भारतीय स्वर्ण सेवा संघ, वाराणसी, 1962
3. डेलिगे राबर्ट : द भील्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1985
4. भट्ट, डॉ.जय श्री राम : समाज कल्याण, नारी दीक्षा संस्कृति, आदित्य पब्लिशर्स, बीना 1998
5. डोसी, एस.एल. : भील्स बीटवीन सोसायटी सेल्फ अवेअरनेस एण्ड कल्चरल सिन्थेसिस, स्टर्लिंग प्रकाशन, दिल्ली 1971
6. त्रिवेदी, राधेश्याम : मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, नवम संस्करण, सुविधा लॉ हाउस, रोशनपुरा, भोपाल 2000
7. जैन, श्रीचंद्र : वनवासी भील और उनकी संस्कृति, रोशनलाल जैन एंड संस जयपुर 1980
8. भदौरिया, बी.पी.एस. एवं दुबे, बी.के. : पंचायत राज एण्ड रूरल डेवलपमेंट, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स , नई दिल्ली 1989

****

Guidance in College

Dr. Abhimanyu Vashistha*

Abstract - The provision for educational and vocational guidance in schools and colleges is a comparatively recent phenomenon. It is indicative of a genuine concern for purposive education for life. As White has said, "there is only one subject matter for education, and that is life in all its manifestations." (1) **Meaning of Guidance** There is a lot of confusion with regard to the meaning of guidance, for the guidance movement started with a vocational bias. Briefly the meaning of guidance is a personal service which is designed to help an individual to solve problems that arise in life. (2) **The Criteria of Guidance** The meaning and purpose of guidance are further cleared when we consider the criteria of guidance. According to John M. Brewer the criteria of guidance should be define in seven points. (3) **Educational Guidance** Educational guidance aims at making a student learn in terms of his abilities so that his achievements are according to his native and acquired endowments. It has happened sometimes that students are compelled to choose certain subjects on account of economic prospects after education even though they may not have an aptitude for learning those courses. (4) **Guidance in College** The purpose of guidance at the college level is also to help students in their adjustment, for after leaving a secondary school they enter a new type of institution which, though it is similar to their old school in some respects, is also new and different in other respects. Like education, guidance is life long process. It should enable an individual to develop the ability to guide his own affairs and solve his own problems. One of the purposes of guidance is to help the individual to help himself. In other words, guidance aims at the development of self-reliance, initiative, leadership and making an individual useful for his society.
Keyword - Guidance, College level, Education.

Introduction - The provision for educational and vocational guidance in schools and colleges is a comparatively recent phenomenon. It is indicative of a genuine concern for purposive education for life. As **White** has said, *"there is only one subject matter for education, and that is life in all its manifestations."* So we find now-a-days the purpose of education being determined in terms of an individual's needs, purposes and goals in his life and society. Education endeavours to provide such knowledge, skills and understandings as enable a person to be a useful member of his society by doing his best.

Meaning of Guidance - There is a lot of confusion with regard to the meaning of guidance, for the guidance movement started with a vocational bias. So some people think guidance to be simply and effort to provide an individual with a job. But guidance has a very wide meaning and application. It embraces all aspects of life. At the same time it tries to enable an individual to a vocation or profession according to his unique genius.

Briefly the meaning of guidance is a personal service which is designed to help an individual to solve problems that arise in life.

Arthur J. Jones observes, *"Guidance involve personal help given by some one: It is designed to assist a person to decide where he wants to go, what he wants to do or how he can best accomplish his purpose; it assists him to solve problems that arise in his life. It does not solve problems for the individual but helps him to solve them."*

He further states that, *"the focus of the guidance is the individual, not the problem; its purpose is to promote the growth of the individual in self direction. This guidance may be given to groups or to individuals but it always is designed to help individuals even though they are in a group."*

The Criteria of Guidance - The meaning and purpose of guidance are further cleared when we consider the criteria of guidance. According to **John M. Brewer** the criteria of guidance should be as given below:

i) The person being guided is solving a problem, performing a task, or moving toward some objective.
ii) The person being guided usually takes the initiative and asks, for guidance.
iii) The guide has sympathy, friendliness and understanding.
iv) The guide is a guide because superior experience, knowledge and wisdom.
v) The method of guidance is by way of offering opportunities for new experiences and enlightenment.
vi) The person guided progressively consents to receive

*Principal, Siddheshwar Vinayak T.T. College, Dhariyawad, Distt. Pratapgarh (Raj.),
Affiliated to Govind Guru Tribal University, Banswara (Raj.) INDIA

guidance, reserves the right to refuse the guidance offered, and makes his own decisions.

vii) The guidance offered makes him better able to guide himself.

Thus it is clear that the criteria of guidance depend upon the individual himself and his abilities to solve his own problems. In other words, it is not the purpose of guidance to make an individual a parasite but to enable him to be a self-reliant person capable of solving his problems.

Educational Guidance - There are various types of guidance such as educational, vocational, recreational etc. Educational guidance is primarily concerned with advising students in their choices of subjects and helping them to solve such difficulties as are related to their school adjustment and studies.

Educational guidance aims at making a student learn in terms of his abilities so that his achievements are according to his native and acquired endowments.

It has happened sometimes that students are compelled to choose certain subjects on account of economic prospects after education even though they may not have an aptitude for learning those courses. This is really an unfortunate situation. It creates a tremendous burden on the mind of a student, for he is forced to learn something in which he is not interested. In such a situation the need for educational guidance is felt.

The teacher ought to guide his pupils in the choice of their school subjects so that they may not be placed in a predicament. In order to offer guidance to his pupils in their educational problems, the teacher has to develop good inter-personal relationships with his students. He has also to be a skilled counsellor and should possess good knowledge of various scholastic tests.

In educational guidance there are various factors involved. The home environment of the pupil, his family profession, the aspirations of his parents, his own aspirations, the nature of the school where he goes for education, and the qualities of teachers teaching him.

Thus the problem of educational guidance is a complex one and cannot be solved without full cooperation from the parents, the community, the school and the teachers. All these persons and agencies should keep the well-being of the pupil as a goal. It is not what they desire to make a student which is important; what the student wants to be himself is important.

It is true that the students concerned may not have a correct idea of his capacities and abilities as well as his limitations. The purpose of educational guidance is to enable a student to adjust his aspirations in terms of his potentialities and limitations so that he is not likely to feel frustrated. Thus one of the main purposes of educational guidance is to enable a student to set a realistic goal for himself.

Guidance in College - The purpose of guidance at the college level is also to help students in their adjustment, for after leaving a secondary school they enter a new type of institution which, though it is similar to their old school in some respects, is also new and different in other respects. They are in a college where students from different schools come for study and do not know each other. So the problem of social relationships is one of the main purposes of guidance at the college level.

Then a college student may have personal problems pertaining to his family and finances. It is the responsibility of guidance workers in a college to assist a student in solving his problems. It has also been found that some to the college students do not have a definite goal or goals before themselves. They seem to drift from school to college without any purpose.

It is therefore, desirable to make every student decide the goal of his life and the kind of work he desires to do after leaving the college. This requires a proper assessment of one's abilities and limitations. In other words, guidance at college level should enable the student to develop an insight in order to understand himself correctly.

Like a secondary school a college should also provide vocational guidance. There should be a placement service and opportunities should be provided to students to get detailed information about those occupations in which they are interested. It would be desirable to arrange meetings with possible employers. Eminent persons from different occupations should be invited by the college to address the students about their occupations and opportunities for self growth and development. In other words, guidance at college level can be meaningful for the students as well as the society.

Like education, guidance is life long process. It should enable an individual to develop the ability to guide his own affairs and solve his own problems. One of the purposes of guidance is to help the individual to help himself. In other words, guidance aims at the development of self-reliance, initiative, leadership and making an individual useful for his society.

The guidance movement is strong in America and some other western countries. But in India it is still in its infancy and with the rapid industrialization of our country there will be a greater need for educational and vocational guidance. For this purpose it is desirable to make studies of interests and aptitudes of high school students. Their education should be in terms of their interest and aptitudes, which is not so at present. The country can no more afford to permit students to make wrong choices of subjects for their studies, and thus waste their time, energy and money.

References :-

1. Jayaswal, S. (2008). *Advanced Educational Psychology.* Agra: Vinod Pustak Mandir.
2. Jones, A. J. (1945). *Principles of Guidance.* New York: McGraw Hill Book Co.,p.61.
3. John, M. B. (1938). *Education as Guidance.* New York: The Macmillian Co.,p.22.

Psychological Strangulation in K.A. Porter's 'VIRGIN VIOLETA'

Dr. Anita Tripathi*

Introduction - ***Virgin Violeta*** probes Violeta's inner conflict between her idealized love and her own awakening sensuality, The implicit vision of the story is the "psychological strangulation" of Violeta that would illustrate its effect on emerging womanhood. It is Porter's depiction of feminine Puberty: the Period of emotional confusion, trauma, longing and awakening of sexuality. Violeta has placed her young faith in a romantic view of love that leaves no room for sexuality, lust, prurience. Porter wrote in a letter to her nephew, Paul: "Sex with love; that is, to disprove the old theological doctrine that sex took place entirely below the belt, and love entirely about it" (CE, 109-10).1 Porter describes romantic love as "changeless, faithful, passionate." Violeta's idea of romantic love has come from the church's distinction between sacred and profane love.

Virgin Violeta is about a young girl's confrontation with unaborned sexual lust, as unfriendly as the little boy's stare at Miranda in *The Circus.* Violeta is a prototype of the character of Miranda. While Violeta is very unlike Miranda in belonging to a wealthy Mexican family which shelters its females, she is much like Miranda in terms of sensibility and psychological experience. Both are romantic idealists and 'trapped' and 'immured' in their convent schools. Her ideas about male and female rights and about love have been formed by the church and the church dominated aristocratic society, which is her background. Fifteen-year-old Violeta is a typical adolescent, who is passionate, moons about, and has romantic day-dreams. "She would appear on the belcony above, wearing a blue dress and everyone would ask who that enchanting girl could be..."2 (CS, 25). Violeta is horrified at her own blossoming sexuality as well as that of Carlos, who writes poems about the agonies of forbidden or unrequited love, through which she nurtures her desire for her 'Utopian' prince. Her favorite poems are about the ghosts of nuns who dance in the moonlight "with the shades of lovers forbidden to them in life, treading with bare feet on broken glass as a penance for their loves" (CS, 24).

Violeta's motion of love is an idealization of the sacred love of the Virgin. But this idealized self is inconsistent with the sensuality that is struggling within her for recognitin. She cannot understand "why the things that happen outside of people...[are] so different from what she...[feels] inside of her" (CS, 23). "Something inside her" feels as if it is "enclosed in a cage too small for it...like those poor parrots in the markets, stuffed into tiny wicker cages so that they bulged through the withes, gasping and panting, waiting someone to come and rescure them" (CS, 26). Silently confessing her love for Carlos, she feels enormous guilt and prays for forgiveness. But when Carlos kisses the frightened Violeta, she feels 'sharphy hurt'; her idealistic illusion is shattered, and she wants to cry because Carlos's kiss communicates pure lust without the mitigating presence of spirital love. She feels disillusioned and betrayed for "this was not love as had dreamt it" (CS, 31). She cannot reconcile lust with her idealized version of love. After this experience she hates Carlos and his poetry, and complains to her mother that there is "nothing to be learned" at the convent that teaches "modesty, chastity, silence and obedience". A "painful unhappiness" possesses Violeta, because she cannot "settle the questions brooding in her mind" (CS, 32). She rejects both the ideal and the real, and spends her days in bitter resignation.

References :-

1. Collected Essays and occasional writings of Katherine Anne Porter, 109-10.
2. Collected Stories of Katherine Anne Porter.
3. J.E. Hardy : **Katherine Anne Porter,** New York, Frederick Ungar, 1973, 63
4. M.G. Krishnamurthi : **Katherine Anne Porter : A Study,** Mysore, Rao and Raghvan, 1971, 135.
5. Darlene Harbour Unrue : **Truth and Vision in Katherine Anne Porter's Fiction,** Athens, Univ. of Georgia Press, 1989, 121.
6. **Marjorie Ryan :** "Dubliners and the Stories of Katherine Anne Porter", *American Literature,* XXXI, Jan.,1960, 464-73.
7. Joan Givner : **Katherine Anne Porter : A Life,** New York : Simon & Schuster, 1982, 173.
8. H.J. Mooney : **The Fiction and Criticism of Katherine Anne Porter,** University of Pittsburgh Press, 1957, 48.
9. **K.A. Porter :** "Where Presidents Have No Friends", *The Century Magazine,* CIV, July, 1922, 373-84.

***Professor (English) Govt. Girls P.G. College, Satna (M.P.) INDIA**

Indian Culture- What was and What is?

Kartikeswar Patro*

Abstract - The main aim of writing of this paper is to create awareness among the Indian youth regarding the importance of their culture and preserve Indian culture from western culture. India is a nation with unique identity in the world. Indian culture is one of the ancient and richest cultures in the world. Western culture or European culture is considered as one of the most advanced culture in the present world. Both the culture is comparatively different to each other but it is just a mind set of people to compare this culture. Now a day's Indian youth adopt both the culture same time by giving more importance to western culture. It is just a fear in the mind of elders that our culture might be submerged with western culture and need its preservation. Especially western thought is a biggest problem which led fear among the people that it might be replaces Indian culture in future day. Sometimes we can say that British rule is responsible for the degradation of our culture they brought new knowledge, technology and transformed Indian culture and society and Indians became progressive in attitudes. Western culture is replacing Indian culture in various ways such as-food, dress, festivals and different goods in our uses of daily life. Day by day Indian culture is replacing by western culture. The main purpose of this paper is to analysis Indian culture and revival of its history and keeps preservation of its culture from the impact of being westernisation.
Keywords - Importance of Indian culture, Comparison of western culture.

Introduction - "Civilization is what we have, culture is what we are"— Dr.Sarvapalli Radhakrishnan.
Indian culture is one of the ancient cultures as well as most respected cultures in the world. India has taken its credit that every person in the world wants to be a part of Indian culture and adopted this culture. Many foreigners visit this country every year spend their times with the people of India. Its culture is diverse due to its diverse population. Indian culture is including the daily habits and foods, beliefs, traditions, language, religion, customs, morals and its values, knowledge and the everyday living style of the people. This country is the birth place of various religions such as: -Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, but all this diverse religion people lives together and respect to each other's religion. Almost every state of India is formed on the basis of its own culture, tradition and geographical importance. This is a country of unity and diversity and fills with tolerance. Westernizations spread in metros now it is going to grasp to village life. Present days Indians would like to adopt western style because it is a symbol of modernity, feelings of superior and dominant history.

But our diverse culture is going to best to worse day by day which was the treasure of India. Let us discuss how it is decaying.

1. A village school looks like a desert without child and no proper management while as child goes to cities to receive higher education at the age of tender education learns lies instead of culture such as "Johny Johny Yes papa eating sugar no Papa."
2. Earlier our grandparents dropping the child in the school for study while dropping they guide simple behaviour, ethics and manners, but now autorickshaw collects the child from home child learns many wrong things from the society.
3. Modern society mothers does not show the Chanda mama to their babies in the evening sky due to business in their life, so child listening these songs from the mobile.
4. Our mothers depend on unadulterated masala from market for purchasing various dieses instead of grinding masala at home with the help of stone chhaki (Grinding instrument).
5. Modern pizza, burger, chaumin, replace our traditional healthy food such as breakfast and snacks.
6. Joint family sources of our rich culture replaced by nuclear family complete missing of our culture.
7. Due to rapid growth of Indian population agricultural lands converted to urbanisation and industrialisation.
8. Tulsi Pujan is an icon of a Hindu family in the morning and evening is missing present days due to our modern mothers busy with other work.
9. Village tradition of epics and religious scriptures at "Bhagavat Tungi" replaced by chicken and cold beer in the evening.
10. Western culture replaced our traditional village festival by arranging D.J record dance, nautanki, as well as vulgar naked dance for modern youth.
11. Like India there is no country in the world because

***Research Scholar (History) Berhampur University, (Bhanja Bihar) INDIA**

voters come from Bangladesh inspired to our leaders creates violence due to any government policy and gives slogan such as "Pakistan Zindabad".

12. A person having two children must pay income tax to government while as a person having 10 children gets subsidy from the government.
13. Cows are prayed as a "Gomata" in the village while as dogs are wandering, but vice versa in cities such as dogs are domesticated and cows are wondering in cities.
14. Uneducated youth spending time for grazing animals in villages while as educated youth spending time for domesticated dogs in cities.
15. Earlier days Orphanages are for poor child while as same Orphanage changed to old age home for rich well settled family parents at cities.
16. Hair style of women or modern girls changed from long to short cut to maintain modern fashion style.
17. Earlier society believe in the purdah system to maintain dignity and purity of their women hood but present modern girl does not believe or sometimes says that these are blind believes and prejudices.
18. Grandmother or mother massages baby after birth but present day's baby gets birth in the hospitals, it is very difficult to recognise the child without proper information of Nurse or staff members of hospitals.
19. People visits to hospitals to get cure from the various diseases and believes that doctors are the living God for human being but some where is the same doctor is responsible for removing the kidney from the body.
20. Our constitution says that Equality before laws, but in real sense there is not practice and maintains differences of rich and poor as well as political and non-political interference. More preference to rich and political influence people compares to poor and non-political interference people.
21. In my country a criminal cannot cast vote but a criminal can contest in election and if becomes winner all criminal records will be minimised.
22. The working attitudes of people only limited as an employee instead of employer.
23. Touching the feet of elders and Namaste is a common spoken greeting or salutation changed into hallow and high.
24. The day of traditional cloth has gone new vulgarity cloth such as visibility part of the body which is the symbol of western style dresses are more popular among the young mind of the Indians.
25. Respect to women is the symbol of Indian culture changed into one of the shameful coverages that is crime against women which was not a part of Indian culture at all.
26. After 70 years of independence still Indians are fighting each other in the name of religion and caste, which is not a part of Indian culture.
27. The culture of joint family exchanged with nuclear family, where the child from the tender age learn from the mobile instead of learning from the grandparents because mother and father either busy with their work while as grandparents are in the old age home.
28. If a person wearing traditional dresses, we call them as a bhaiyyaji or behanji in this modern society.
29. Our city life style accept domesticated dog as the symbols of modernity instead of keeping cow as a domestic animal is a symbol of illiteracy or ancient civilization.
30. Modern youth likes to live-in relationships instead of marriage as an enjoyment in the life because marriage is a social based relationship with rules and regulations.
31. India is a country of diverse in food culture as well as different types of sweets prepared in different states but we the people use to celebrate as a chocolate day during valentine day. Valentine day is called the symbols of love and affection among the youth. Staying with the parents or family members, exchange our feelings and thought is the real love and affection is called as a happy life in Indian society.
32. The importance of Indian culture is changes due to change of fashion in everyday life style.
33. Earlier Indians are celebrating their own festivals like as Diwali, Holi with great pomp and joy but due to the impact of western culture large number of youngsters not celebrating their festival but they are celebrating the festivals of Western like as New year's, Christmas, valentine day, etc.
34. Indian food is called Satwik Bhojan which is good for health and free from the various disease but children would like western foods pizza, burgers, etc. western food is the source of various dieses.
35. Importance of mother tongue is decreasing day by day and attraction of foreign language such as French, Dutch, Spanish, German and other European language increasing a lot.
36. Day by day modern society or western society has changed a lot in the life styles of many people. Such as respect to elders and love to younger ones, importance of family life love and affection to each other has gone in present day.
37. Neglecting the traditional dances such as Odissi, Kathakali, Manipuri, Kuchipudi, Bharatanatyam etc. of India and adopting western dance which has no culture at all.
38. Indian music such as Hindustani and Carnatic music and instrument includes veena, table, mridangam and shehnai has special importance but the view of students regarding this music and playing instrument is very difficult so they move towards western music.
39. Every parent is expecting that their child to be excellent in academic and to be highest income earner instead of a good citizen as well as good social thinker.
40. Many people consider that poet Kalidas as a Shakespeare of India but really greatest poet Kalidas

is famous for his Sanskrit work which is one of the ancient languages in the world. Shakespeare became popular in his field after hundreds years of Kalidas. So it is correct to say that Shakespeare as a Kalidas of Europe.

41. Indians usually celebrates every festival with great enthusiasm and lot of enjoyment with their kin and family member with togetherness. Now a day's Indians lost the value of festivals and togetherness they thinks financial status and wealth is more important than the society. So, our culture which is based on "Atithi Devo Bhava" going to lost its importance.
42. In Indian culture marriage is considered as social bond or bond of two souls which never separated even after the death of a person which is considered as a bond of seven lives after death but present day marriage is just like as a professional for enjoyment without any compromising and tolerance between each other. This leads to divorce.
43. Different states of India have special quality of medicinal plants to cure the people from various diseases but westernisation junk food is the cause of various viral diseases.
44. India is a country of different climate. Dress style of Indians are different as per climate but western style dress such as three piece suits is not suitable for everyone in India which is more popular among the Indians. Example- Wearing tie is compulsory among the school student in hot and humid climate of India is not appropriate to looks modern.
45. It is good to adopt western culture but it is not good to forget our values and ethics by adopting western culture.
46. Western culture affects the caste system, joint family life style, marriage as well as other social life styles such as religion, language, culture tradition etc. Modern values got a special importance at present in Indian society.
47. Maa, Pitaji, Babuji, replaced by Daddy, Mummy and Papa as well as cutting the cake on birthday instead of visiting temple for the blessings of God and takes the blessings of elders became more popular in present days.
48. Smart phones replaced the taste of village life like sitting with elders listening the story or pride of our culture and tradition, togetherness co-operation and being a part of sorrow and happiness of others in the village.
49. Western culture makes Indian youth to live alone and does not like the interference of others in the life style. Life should be independence with freedom and all social values. They do not care to others. This leads to stressed and isolated life style among the youth. It is not a part of Indian culture.
50. Most of the cases both wife and husband are working in various sector so there is no one at home to take care of the children and children are free from Sanskara due to absence of elders.
51. Western countries people eagerly accepting Indian spirituality, Yoga, and Meditation to solve their social and personal problem and find peace in their life by the teachings of Indian spiritual Guru how to get relax in everyday life but our youngsters attract to western culture.
52. Open sex and watching porn video is the main source of entertainment among the Indian youth at present days which is not a culture of India at all.

Conclusion - We always use to blame that western culture is responsible for the decaying of Indian culture but some time it may not responsible for that modernity does not mean the wearing jeans, but it is the thoughts and acceptance of new technology. So, our culture is not going to worse but the mentality of our citizen deteriorating day by day. Western culture motivates us to face challenge and raise the voice against exploitation. It helps us to change our culture from the evil practices such as blind belief and prejudices but not degrading our culture. So, there must be need of proper balance of our culture by preserving our ancient as well as accepting the modernity. We must focus the increasing of emotional as well as intellectual society.

No doubt western society also has some positive impact on our society such as equality among the people, it helps us to eradicate society from prejudices and blind beliefs etc. it provides us basic rights as well as Fundamental Rights to citizen. It helps to increase the economic condition of India due to adoption of western culture by the Indian youth, such as food, cloth, health, sanitation, demand of goods and services. A large number of Indian artisans, handicrafts, engineers, weavers get employment and now a day's these skilled persons is more demand in the international market which is known as "Brain drain Theory". The culture of India also exchanged with foreign country. India is known for the country of peace and harmony and Indian yoga changed the emotional and spiritual life of the people is more adopted by the foreign countries.

After all we can say that it is not mistakes of young generation, their parents also same and equal responsible for that. Lack of awareness and enlightenment is also one of the most important factors for the adopting western culture instead of Indian culture. It is our most important duty that teaches western culture to their child with pride of Indian culture, traditions, and language. We must take care our new generation must be well versed with Indian culture and its value.

References :-

1. My own experiences

****

Character Delineation in the works of Charles Lamb

Shobha Sharma*

Abstract - Lamb's essays are characterized by self revelation and personal note. Lamb uses the essay as a vehicle of self revelation. He takes the reader into confidence and speaks about himself without reserve. These essays, acquaint us with Lamb's likes and dislikes, his preference and aversions, his tastes and temperaments, his nature and disposition his mediations and reflections, his observations and comments, his reactions to persons, event, and things and so on without openly taking himself as a subject.
Key Words - Self revelation, Acquaint, Aversions, Temperaments, Disposition, Meditations.

Introduction - Lamb's essays are most autobiographical in English literature . Lamb projects his Personality into his essay in a concealed way . His nobility of nature, gentleness of heart, goodness of disposition and readiness for sacrifice are revealed in his essays. Through his essays Lamb acquaints us with the persons and places which have had any relations to or impression on his life. In some of the essays he reveals the nature and behavior of his friends any relations. Others abound in references to his personal likes and dislikes, beliefs and faith, and affection and sympathies. But not a single of his essays contains any references to his mother and his own madness. It seems that he has not referred to his mother only because of the fact that her reference could have heart the feelings of his sister.

Lamb has given the details about his friends and relation in many of his essays. In *The Christ Hospital Five and Thirty years Ago* we come across fine character – sketches of Coleridge and other friends. He has introduced to the various members of his family in numerous essays like *My Relations , Old Benchers of the Inner Temple* and *Poor Relations*. He refers to his brother John Lamb as James Elia in *My Relations* .In *Dream Children* he presents pathetically his love and affection for John, who was so handsome and spirited a youth and a king to the rest of the children. In the *old Benchers of the Inner Temple*, we are introduced to Lamb's father and his patron. Samuel Salt.

Many of the essays of Lamb provide the readers with facts and details about his own life and personality.*The south sea house* is full of references to his service period at the office of the East India company. He reveals some personal facts in *Dream Children*. Although he tries to justify the readers by presenting the fictitious names of his sister and wife, yet the reality is hard to conceal. Lamb's regard and affection for his brother his un successful love affair with Alice Winterton , whose actual name was Ann. Simmons, and his duties and affection as a father that he could never become. Besides these essays *Old China* and *New year's Eve* are also replete with personal details In *Old China* Lamb has showed his past struggles and his poverty.

Mere collection of facts cannot give birth to great literature. Literature requires fancy to be blended with facts. There is a unique blending of facts and fiction in the essays of Lamb. The ease with which he blended fact with fancy is unique in English literature. The two elements are woven together so closely that even where the matter in hand seems to be drawn entirely from his own experience there is always a suspicion that imagination has lent her aid to supply some picturesque touch and heighten the effect of the story. His delight in pure fun inclined him naturally to these harmless deceptions. Prosaic readers who Justified by such contradictions as the apparent claim of Elia to three separate birth places, gave him opportunity for this type of banner in which he excelled. His gentle expostulations only deepen the mystery. Apart form personal gratification however, his method of employing autobiography is strictly in keeping with canons of art. This mingling of imagination with reality makes the task of writing a biography of Lamb on the basis of his essays very difficult.

Of the personal element in the *Essays of Elia* a large part of his life history is related in these essays and with the additions of a few names and dates a full biography may be constructed from them. Despite the veils of mystifications which Lamb throws on the facts. We come to know of his experiences, likes, dislikes, sympathies and inclinations.

References :-

1. Dyson,H.D.V.and John Butt.*Augustans and Romantics.*The Cresset Press,1961.
2. Lamb,Charles.*Essays of Elia*.Ed.N.L.Hallward and S.C.Hill.London:Macmilian.
3. Walker,Hugh.*The English Essays and Essayists.* Delhi:S.Chand and Co.1959.
4. Lucas, E.V.*Life of Charles Lamb*. G.P.Putman. S.Sons.London.1905.

*Asst. Professor, Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) INDIA

Sustainable Tourism In South Karnataka: Opportunities And Challenges

Dr. Usharani B*

Abstract - Karnataka, the sixth largest state in India, has been ranked as the third most popular state in the country for tourism in 2014. It is home to 507 of the 3600 centrally protected monuments in India, the largest number after Uttar Pradesh. The State Directorate of Archaeology and Museums protects an additional 752 monuments and another 25,000 monuments are yet to receive protection. Tourism centers on the ancient sculptured temples, modern cities, the hill ranges, forests and beaches. Broadly, *tourism in Karnataka* can be divided into four geographical regions: North Karnataka, the Hill Stations, Coastal Karnataka and South Karnataka. The main positive socio-economic impact of tourism is that it generates income for the host economy as well as foreign exchange earnings. Along with these positive effects depleting resources, increase in waste output, and impact on environment and excessive commercialization are serious concerns in most tourist spots across the country. The tourism industry of India is economically important and grows rapidly. The World Travel & Tourism Council calculated that tourism generated INR 6.4 trillion or 6.6% of the nation's GDP in 2012. It supported 39.5 million jobs, 7.7% of its total employment. The sector is predicted to grow at an average annual rate of 7.9% from 2013 to 2023. This gives India the third rank among countries with the fastest growing tourism industries over the next decade. Tourism is recognized as an effective tool for economic development of nations; by way of employment earning revenues and foreign exchange. It is one of the world's fastest growing industries and is a major source of income for many countries. This led to the development of Sustainable Tourism. In the present paper the author has analyzed the Role and significance of sustainable tourism with special reference to South Karnataka.
Keywords - Sustainable Tourism, Commercialization, Foreign exchange, impact on environment.

Introduction - Tourism is a most desirable human activity; which is capable of changing the socio-cultural, economic and environmental face of the World. Tourism is one of the largest and fastest growing industries in the world; it has the potential to influence the living pattern of communities. It is one of the most important channels of cultural exchange, which breaks down the barriers between people of different parts of the world. India is a diverse Country, with over 1.3 billion people following various cultures, traditions, languages, festivals, religions. Equally diverse are the category of tourism activity that India offers to her people as well as to the people across the world. Tourism has emerged as a key sector of the world economy and has become a major workforce in global trade. It has been making a revolutionary and significant impact on the world economic scenario. Tourism has been identified as the major export industry in the world. The multifaceted nature of this industry makes it a catalyst to economic development and helps balanced regional development. It is a low capital, labour intensive industry with economic and regional development, multiplier effect and offer opportunities to earn foreign exchange at low social cost. It stimulates employment and investment, alters structure of the economy, makes a significant contribution towards foreign exchange earnings and maintains favorable balance of payment. The multiplier effect of tourism receipts is completely recognized as spreading to secondary and tertiary sectors of an economy. Marketing and promotion are of vital importance in tourism sector due to the competitiveness of tourism industry both within and between tourism generating nations.

South Karnataka Region - South Karnataka is a unique combination of spectacular vesara style Hoysala architecture, colossal Jain monuments, colonial buildings and palaces of the Kingdom of Mysore, impregnable fort at Chitradurga and densely forested wildlife sanctuaries that offer some of the best eco-tourism available in the country. Belur, Halebidu in Hassan District, Somnathpura in Mysore District, Belavadi, Kalasa and Amrithapura in Chikmagalur District, Balligavi in Shimoga District offer some of the best of Hoysala architecture dating from the 11th to 13th centuries, while Shravanabelagola in Hassan districtand Kambadahalli in Mandya District have well known 10th-century Jain monuments. Scenic forests

*Guest Faculty, Department of PG Studies & Research in Social Work, Mangalore University, Mangalagangothri, Dakshina Kannnda (Karnataka) INDIA

and the high density of wild animals of this region are a popular attraction for those interested in the wilder side of life. Bandipur National Park, Nagarahole, Biligirirangan Hills, Bhadra Wildlife Sanctuary and Bannerghatta national parks are a few popular places for jungle safaris.The river Kaveri flows east from Kodagu District and along its way one finds important tourist destinations like Shivanasamudra and nearby Sivasamudram Falls,

In developing countries like India tourism has become one of the major sectors of the economy, contributing to a large proportion of the National income and generating huge employment opportunities. It has become the fastest growing service industry in the country with great potentials for its further expansion and diversification. Tourism is considered as a people-oriented industry, as it provides many jobs which have helped revitalize local economies. Furthermore, tourism stimulates investment in the economy and infrastructure, which leads to the generation of employment and to an increase in income for the local population and improvements in water and sewage systems, roads, electricity, telephone and public transport networks, thus improving the quality of life for residents. Tourism development is ecologically sustainable, economically viable as well as ethically and socially equitable.

Objectives :

1. To study the history of South Karnataka region.
2. To observe the plans and strategies of government for Sustainable tourism development in South Karnataka.
3. To suggest ways for encouragement of Sustainable tourism.

Methodology - The present study is based on both primary and secondary data published by various agencies and organizations. The present study makes use of data and information provided by, Ministry of Tourism, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Newspapers, Magazines, Books, journals and Internet etc.

Tourism In Karnataka - The South Indian State of Karnataka is flanked by Andhra Pradesh and Telegana in the east, the Arabian Sea in the west, Maharashtra and Goa in the north and northwest, and the states of Kerala and Tamil Nadu in the south. Karnataka is a land of sheer diversity; be it Heritage, Culture, Nature, Beaches or Wildlife. Karnataka is primarily known for its Heritage destinations and its Wildlife/ National Parks. Apart from that, it is also famous for its magical hill stations, spectacular waterfalls, pilgrimage centres and a 320km long coastline dotted with un-spoilt beaches. Thus, making it an ideal place for a traveller with diverse interests.A land known for its silks, spices and sandalwood, Karnataka adds up as an experience to remember for a lifetime. Tourism in Karnataka stands out with its diverse offerings that include wildlife & national parks, monuments & heritage sites, beaches and pilgrimage sites. Yet another notable point is that tourist attractions in Karnataka are located at geographically extreme ends which interestingly make the capital Bengaluru (Silicon Valley of India), the focal point of tour itineraries.

Tourism Development And Growth - The Karnataka Tourism Policy 2015-20 aims to position Karnataka as a visible global brand in tourism for visitors as well as investors by encouraging development of relevant infrastructure through partnerships between private sector, Government and the community. Strategic intervention areas have been identified with a view to support local entrepreneurship and assist in creating livelihood options for all sections of the society in a nondiscriminatory manner. The Policy provides detailed guidelines for development of tourism infrastructure, products and services, to ensure quality and minimum standards of development. Thrust is on growth of the sector in an inclusive manner, by encouraging women, backward sections of the society and local level institutions to actively participate in the development process. The Policy lays emphasis on streamlining the application and clearance procedures and recommends that all the clearances/ approvals be availed online through the e-portal facility, to ensure transparency and faster clearances. Tourism creates a multiplier impact on India's socio-economic growth through infrastructure development, job creation and skill development. At the national level, the Ministry of Tourism, Government of India formulates national policies and programmes for the development and promotion of tourism in India. Tourism has been major social phenomenon of the society. The motivations for tourism also include social, religious and business interests. The increase of education has fostered a desire to know more about different parts of globe. Progress in air transport and development of tourist facilities has encouraged peoplen to venture out to the foreign lands. Tourism is an important instrument for economic development and employment generation, particularly when a remote and backward area, has been well-recognized world over. Tourism can play an important and effective role in achieving the growth with equity objectives, which India has set for itself.

Sustainable Tourism - With the global emphasis on sustainability and combating climate change, this creates a major opportunity for Indian tourism. Sustainable tourism is defined as "tourism that respects both local people and the traveler, cultural heritage and the environment. It seeks to provide people with an exciting and educational holiday that also benefit the people of the host country. Thus, Sustainable tourism can provide solutions to the issues of inclusive growth. Sustainability implies that tourism resources and attractions should be utilized in such a way that their subsequent use by future generations is not compromised. **-World Tourism Organization**

Sustainable tourism can be practiced for unlimited time without worsening the conditions. It helps to maintain the diversity of plants and animals, respecting cultural heritage of the society and also promotes economic success and fair distribution of social benefits. The importance of sus-

tainable tourism lies in its motives to conserve the resources and increase the value of local culture and tradition. Sustainable tourism is a responsible tourism intending to generate employment and income along with alleviating any deeper impact on environment and local culture. Sustainable Tourism seeks deeper involvement of locals, which provide local people an opportunity to make their living.

Environmental Sustainability: Environmental sustainability means making efforts to preserve the resources of an area for use by future generations. The environment is obviously important to tourism, both the natural environment (Forests, Beaches, Landscape and waterways) and the built environment (Historic buildings and ruins) must be preserved for sustainable tourism and making ways that impact an area as positive as possible.

Socio-cultural Sustainability: Socio-cultural sustainability means promoting cultural exchange and preserving local traditions. This can usually be achieved by getting the locals involved in the tourism industry. When an area starts being visited by tourists, there are some social and cultural impacts of those tourists on the host community such as congestion and overcrowding.

Significance of Sustainable Tourism - The importance of Sustainable Tourism worldwide has increased significantly due to the impact of increased human activity on climate. Sustainable tourism implies minimizing the negative and maximizing the positive effects of all forms. Supporting the protection of the natural and cultural environment sustainable tourism allows the use of natural and cultural resources for gaining economic profit while at the same time guaranteeing that these resources are not deteriorated or destroyed. Sustainable tourism development supports and ensures the economic growth where tourism takes place. Product quality and tourist satisfaction offered by a region is the key factor for the economic success of tourism and purchasing local products helps in ensuring that the financial benefits stay with the local people. It shows respect for the communities who live there, as well as their traditional cultures and customs. Sustainable tourism is sharing of cultures (without imposing them), and ending sterotypes about diffetent cultures and religions. Sustainable tourism helps to preserve sites for furure generations. Purchasing goods from small, locally owned stores will favour local business and help in employment generation of various kinds this encourges economic sustainability from sustainable tourism. Sustainable touirism emphasize to promote tolerance and break down barriers. Visiting different places learning local languages and understanding cultures will bring better understanding and bond the various civilizations towards peace and security. Heritages and living cultures encourages respect between tourists and hosts, and builds local pride and confidence. It helps in development of as a community and local people in undertaking leadership roles in the planning and development of their regional assets with the assistance of government, financial, business and other stakeholders.

Tourism Potential Of Karnataka State - Tourism falls under the State list of the Indian constitution; hence issues of land, transport, hotels, industry, law and order and the development of tourism infrastructure are handled by the State Governments. Karnataka has the second highest number of nationally protected monuments in India, second only to Uttar Pradesh. The waterfalls of Karnataka and Kudremukh National Park are listed as must-see places and among the “1001 Natural Wonders of the World”. Through consistent conservation efforts, Karnataka has firmly established itself as the premier destination for wildlife tourism in India. A large part of the state encloses the Nilgiri Biosphere Reserve, containing 5 National Parks and 25 Wildlife Sanctuaries (of which 7 are bird sanctuaries), and this large swath of natural area provides a plethora of opportunities for nature based tourism activities. One of the earliest examples of Public Private Partnership (PPP) in tourism, Jungle Lodges and Resorts (JLR) was established as Joint Venture by the Government of Karnataka way back in 1980. The state showed a remarkable degree of consistency in positive consumer feedback and adherence to policies of local employment and procurement that fits into the model of sustainability.

Recent steps taken by the State Government - All tourism activities of various motivations – holidays, business travel, conferences, adventure travel and ecotourism – need to be sustainable. For this the state government has taken various initiatives.

Year of the Wild: Karnataka Declared “2017 as the Year of the Wild”, the state government hopes to promote conservation. The Year of the Wild campaign isn’t restricted to eco-trails. With good connectivity and accessibility, state lives up to its tourism tagline ‘One State, Many Worlds’ having diverse landscape and topography.

Developing Local tourist destinations: In February 2017, the State Government of Karnataka signed 2 Memorandum of Understanding (MoUs) of amount Rs. 2,595 Crores, with the Ministry of Tourism, GoI for developing tourist destinations in the state of Karnataka. Altogether 5 states (Gujarat, Karnataka, Rajasthan, Uttarakhand and Chattisgarh) signed 86 MoUs worth Rs. 1, 2198 Crore for developing local tourist destinations.

Tourism Policy 2015-2020: Prioritized green banking in tourism by inducing the stakeholders to adopt internet and soft-related technology such as mobile apps, social networking, internet banking and e-guide facility etc in tourism. The tourism policy 2015-2020 is much concerned about the innovative sustainable and nature oriented tourism. The policy aims at achieving cumulative investment of Rs 54000 crores by the end of 2019-2020.

Tourist guides and Tourist Mitras: Introduction and Posting of 600 trained tourist guides and tourist mitras (home guards posted at tourist destinations) were provided with basic communication skills, knowledge about the history, art and culture of a tourist destination. Tourist Mitras are trained by the police department and will be the first

responders when a tourist is in trouble. Their role is crucial in ensuring that tourists feel safe and confident.

Tourist Taxi Scheme: In the past 3 years, 3804 tourist taxies have been distributed with a subsidy of Rs.2 lakhs each to the unemployed candidates belonging to SC/ST, Backward classes and Minorities to get self-employed.

Belli Shrunga: Historical places of Lakkundi, Hampi, Badami, Pattadakallu, Aihole, Banavasi and others of North Karnataka are being revived and made attractive by establishing a 'Belli Shrunga' from Karwar to Vijayapur, from Belagavi to Ballari and from Bidar to Koppal.

Jungle Lodges and Resorts Limited has developed Jungle Camps for middle income tourists at an affordable cost in Bhagavathi of Chickmagaluru district, Sakrebailu of Shivamogga district, Anejari and Seetha Nadi of Udupi district.

Table No. 1 - Grants Provided to Tourism Department

Sl.No.	Year	Funds (In Crores)
1	2017-2018	572
2	2016-2017	507
3	2015-2016	406
4	2014-2015	339
5	2013-2014	347

Source: Department of Tourism, nammasarkara.in

Department of Tourism (DoT), Government of Karnataka (GoK) is undertaking various initiatives to promote tourism sector and facilitate private investment in the sector. One of the major initiatives is launching the Karnataka Tourism Policy 2015-20 (Policy), a very forward looking policy to assist and encourage tourism development in the state. The Policy focuses on developing tourism projects and tourism related services by facilitating the private sector and local entrepreneurs through availing various attractive incentives and concessions. This requires a set of comprehensive procedure for the implementation of the policy.

Conclusion - Karnataka Tourism is responsible for the sustainable development of tourism in Karnataka along with marketing of the destination worldwide. Karnataka's destination branding and marketing is done by India's leading tourism marketing organization, Stark Communications. Stark is part of The Stark Group under whose umbrella are companies such as Stark Communications, Stark Expo, Stark world Publishing, Stark Expo, stark web works, Stark Tourism Forum. Karnataka Tourism develops hospitality infrastructure through two government-owned companies, Jungle Lodges & Resorts and Karnataka State Tourism Development Corporation. The challenge of sustainable tourism development is to make use of tourism's positive impacts, enhancing and channeling the benefits into the right directions, and to avoid or mitigate the negative impacts as far as possible.

References :-

1. Sustainable tourism in India: a study from a global perspective with focus on tourism prospects of kerala. https://www.researchgate.net/publication/237471821.
2. Gunarekha and Dr. Binoy (2017): Community Based Sustainable Tourism Development In Karnataka: A Study On Mysuru District, *Asia Pacific Journal of Research*, Vol: I. Issue L, April 2017.
3. Renu Choudhary(2014): Sustainable Tourism in India: Collective Efforts of Tourism Stakeholders, *International Journal of Business Management*, Vol. 1(1), 2014
4. Monika Singh(2018): Sustainable development of tourism in Uttarakhand, (India) *International Journal of Academic Research and Development*,Volume 3; Issue 2; Page No. 828-831
5. Himani Kaul, Shivangi Gupta, (2009) "Sustainable tourism in India", Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 1 Issue: 1, pp.12-18
6. Ali Mamhoori, Saboohi Nasim, Aligarh Muslim University (AMU) Sustainable Tourism Development in India: Analyzing the Role of Stakeholders https://www.ssrn.comSeptember 29, 2015

****

Understanding Green Chemistry

David Swami*

Abstract - Our Environment needs to be protected from ever increasing chemical pollution. The challenge for institution and industries is to come together and pursue development in the field of greener chemistry by reducing the use and generation of hazardous substances. Green chemistry is effective in reducing the impact of chemical on human health and the environment. Many environment and regulations target hazardous chemicals and following all these requirements can be complicated. Green chemistry is a fundamental science based approach. Addressing the problem of hazard at the molecular level, it can be applied to all kind of environment issues. It also called sustainable chemistry encouraging the design of products and processes that reduced or eliminate the use and generation of hazardous substances. The focus is on minimizing the hazard and maximizing the efficiency of any chemicals choice. The future of green chemistry is in the hands of young researcher and students as the practice of green chemistry are a moral responsibility for them. Government agencies should enforce the laws strictly to practice green chemistry. Industries should also understand their moral responsibility toward the fragile environment. Green chemistry represents the pillars that hold up our sustainable future. It is imperative to teach the value of green chemistry to tomorrow generation. It is clear that many industries and the research of many academics recognize the significance of green chemistry very little discussion of green chemistry has found its way into the chemistry curriculum. It is necessary to have some attempts to bring green chemistry into the classroom.

Keywords – Environment, Hazardous Substances, Green Chemistry, Curriculum.

Introduction - Green Chemistry has evolved from its roots in academic research to become a mainstream practice supported by academic government and industry. India is largest producer of pesticide, pharmaceutical and petrochemicals. Our environment needs to be protected from increasing chemical pollution. The challenge for the institution and industries is to come together and pursue development in the field of greener chemistry by reducing the use and generation of hazardous substances. There is a need of green chemistry research in India to refine the technologies and find more environmentally hygiene alternatives. The practicing of green chemistry in India is a necessity as this is now a high time in protect our environment from further damage. Green chemistry is effective in reducing the impact of chemicals on human health and the environment. Many companies have found that it can be cheaper and even profitable to meet environmental goals. Green chemistry is also called sustainable chemistry because it encouraging the design of products and processes that reduce or eliminate the use and generation of hazardous substances. In developing green synthetic strategies. Indian scientists are mainly concentrating on avoiding environmentally non compatible reagents, solid phase synthesis modification of synthetic routes to decreases the number of step and increase overall yield usage of newer catalyst and simplification of chemicals procedures of reaction, catalyst and reagent. Chemistry is one of the most important aspects of eco friendly chemistry. The practicing of green chemistry is a necessity rather than an option as this is now a high time to protect our caring environment from further damage. Green chemistry topic can be taught at B.Sc. III year and M.Sc. levels where we found students enjoy learning 12th principles of green chemistry. Its helped in creating awareness and it is immediate need of the hour informative and interactive. It is imperative to teach the value of green chemistry to tomorrow futures.

Present article focuses on the shortcoming in the need of green chemistry at postgraduate level. We planned to first introduce with basic principle and tools of green chemistry.

The Twelve Principles of Green Chemistry -

1. **Prevention -** It is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it has been created.
2. **Atom Economy -** Synthetic methods should be designed to maximize the incorporation of all materials used in the process into the final product.
3. **Less Hazardous Chemical Syntheses -** Wherever practicable, synthetic methods should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the environment.
4. **Designing Safer Chemicals -** Chemical products should be designed to effect their function while minimizing their toxicity.

*Department of Chemistry, S.B.N.Govt. P.G.College, Barwani (M.P.) INDIA

5. Safer Solvents and Auxiliaries - The use of auxiliary substances (e.g., solvents, separation agents, etc.) should be made unnecessary wherever possible and innocuous when used.

6. Design for Energy Efficiency - Energy requirements of chemical processes should be recognized for their environment and economic impacts and should be minimized. If possible, synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure.

7. Use of Renewable Feed stocks - A raw material or feedstock should be renewable rather than depleting whenever technically and economically practicable.

8. Reduce Derivatives - Unnecessary derivatization (use of blocking groups, protection/ deprotection, and temporary modification of physical/chemical processes) should be minimized or avoided if possible, because such steps require additional reagents and can generate waste.

9. Catalysis - Catalysis regents (as selective as possible) are superior to stoichiometric reagents.

10. Design for Degradation - Chemical products should be designed so that at the end of their function they break down into innocuous degradation products and do not persist in the environment.

11. Real-time analysis for Pollution Prevention - Analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time, in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substances.

12. Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention - Substances and the form of a substance used in a chemical process should be chosen to minimize the potential for chemical accidents, including releases, explosions, and fires.

Conclusion - The aim of this article is to creating awareness of human health and environment. Introduce the principles of green chemistry. Students responses obtained were very effective. Helped in creating awareness and it is immediate need of the hour, informative and interactive.

Acknowledgement - Author acknowledgment the support and facilities provides by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani M.P. (India)

References :-

1. Mckenzie L.C. Huffman and Hutchison J.E. (2005) Journal of Chemistry education, 82, 2, 306.
2. Lennon D, Freer A.A., Winfield J.M., Landon P. and Reid N. (2002) Green Chemistry, 4, 181.
3. M. Kidwai, Pure. Appl. Chem. (2001) Vol. 73 No. 8 1261-1263.
4. Anastas Paul T. and Warner, John C. Green chemistry theory and practice oxford univesity press, New york, 1998.
5. Teaching Green Chemistry, Albert Matlack, Green Chemistry (1999) (001), G19-G20.
6. “The 12 Principles of Green Chemistry” united states environmental protection agency (2006).

****

Medicinal use of different parts of Harsingar (Nyctanthes arbortristis)

Supriya Chouhan* Dr. Anil kumar Gharia Dr. Dhananjay Dwivedi*****

Abstract - *Nyctanthes arbortistis* is one of the most useful traditional medicinal plants in India. *Nyctanthes arbortistis* is widely distributed shrub. Each part of the plant has some important medicinal value is thus commercially exploitable. Some forest species are used as raw materials for manufacture of drugs and perfumery products due to medicinal properties. The leaves of *Nyctanthes arbortistis* are antibacterial, anti-inflammatory and anthelmintic. The flower are bitter astringent, stomachic ,ophthalmic and carminative. It is used as bilious and obstinate remittent fever, sciatica and rheumatism. It is used as treatment of dry cough, fungal skin infection, bronchitis.

Keywords - *Nyctanthes arbortistis*, antibacterial, Harsigar, anti-inflammatory.

Introduction - *Nyctanthes arbortistis* is a valuable medicinal plant which belong to the family Oleaceae. *Nyctanthes arbortistis* commonly known as Night jasmine, Harsingar & Parijat. The generic name 'Nyctanthes' has been coined form two Greek words 'Nykhta' (Night) and 'anthos' (flower) [1-2]. It is also known as Coral Jasmine ,queen of the night and night flowering jasmine.[3]. *Nyctanthes arbortistis*is one of the well known medicinal plant. It is common wild hardy large shrub or small tree. Different parts of this plant are used in Indian system of medicine for various pharmacological action like as anti- viral, anti-fungal, anti-pyretic ,anti- leishmaniasis, anti-histaminic, anti-malarial, anti-oxidant[4],anti-inflammatory [5] and many more activities .Important large shrub of tropical and subtropical regions of the world that has been traditionally used to provoke menstruation ,for treatment of scabies and other skin infections as hair toinc [6].

Classification of plant

Kingdom	:	Plantea
Order	:	Lamiales
Family	:	Oleaceae
Genus	:	Nyctanthes
Species	:	*Nyctanthes arbortristis*

Medicinal use of *Nyctanthes arbortristis* (Harsingar):

Leaves - Leaves are simple , petiolate and exstipulate [7]. In Ayurvedic medicine leaves of *Nyctanthes arbortristis* are used for the treatment of different diseases such as eumatism, internal worm infection, chronic fever. The leaf juice is used for the treatment of chronic fever, rheumatism , liver disorders. The leaf juice with common salt is used for the treatment of intestinal worm. The aqueous paste of leaves is used externally for the treatment of skin related troubles, especially for the treatment of ringworm. Paste of Leaves with honey for the treatment of high blood pressure and diabetes [8], enlargement of spleen [9,10].

Seed - Seed are exalbuminous, testa thick, the outer layer of large transparent celland heavily vascularised [11]. The seed are used to cure scurfy affection of scalp ,piles and skin diseases. The seeds are crushed and aqueous paste is prepared. The patients are suffering from piles are advised to apply fresh paste externally on piles, along with the internal use of the powdered seeds . This treatment is simple and very effective.

Flower - The flowers are arranged at the tips of branches terminally or in the axils of leaves and are small, Flowers are used as antibilious, expectorant , carminative, stomachic , hair tonic and for the treatment of piles and skin diseases . The decoction of flowers is used for the treatment of gout. The bright orange corolla tubes of the flowers contain a coloring substance were formerly used for dyeing silk.

Stem & Bark - It is large shrub growing up to 10 m tall, with quadrangular branches. Bark of Nyctanthes arbortristis plant is dark gray or brown in colour and rough abd firm. The powder of stem bark is used for treatment of rheumatic joint pain, malaria and bronchitis.The bark is used for the treatment of snakebite and bronchitis [12,13].

Chemical Constituents - A variety of constituents belonging to different chemical classes such as terpenes, steroids, glycosides, flavonoids [14] alkaloids and aliphatic compounds have been isolated and characterized from different part of Nyctanthes arbortristis. The secondary metabolites such as glycosides and alkaloids are the largest groups of chemicals produced by this plant [15].

* Department of Chemistry, SBN Govt. PG College, Barwani (M.P.) INDIA
** Department of Chemistry, P.M.B.Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA
*** Department of Chemistry, P.M.B.Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA

Conclusion - *Nyctanthes arbortistis* is widely distributed shrub useful for the treatment of dry cough, fungal skin infection, bronchitis, and rheumatism .Leaves are antibacterial, anti-inflammatory and anthelmintic. The flowers are bitter astringent, stomachic and carminative. It is the importance of herbal and ayurvedic pathway for effective treatment of various diseases.

References :-

1. Vats M, Sharma N, Sardana S. Antimicrobial activity of stem bark extract of *Nyctanthes arbortistis* Linn.(Oleaceae) Inter Nyctanthes arbortristisional. Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research. 2009;1:12-14.
2. Meshram MM, Rangari SB, Kshirsagar SB, Gajbiya S, Trivedi MR, Sahane RS . *Nyctanthes arbortistis* - A herbal panacea. Inter Nyctanthes arbortristisional. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research . 2012; 3 (8): 2432-40.
3. Kiew R, Baas P, Nyctanthes is a member of Oleaceae. Proc Indian Acad Sci. 1994; 3:349-58.
4. of carotenoid from *Nyctanthes arbortistis* . Int J Pharmacol Biol Sci.2007;2: 57-59.
5. Omkar A , Jeeja T, Chhaya G. Evaluation of anti-inflammatory activity of Nyctanthes arbortristis and Onosma echiodes, Phrmacog. mag., 2006; 8:258-60.
6. Pushpendra Kumar Jain, Debajyoti Das, Puneet Jain. Evaluating Hair Growth Activity of Herbal Hair Oil. Int J Pharm Tech Res. 2016;9(3):321-27.
7. AV Bhosale, MM Abhyankar, SJ Pawer, Khan Shoeb, Naresh patil *Nyctanthes arbortistis.* A Pharmacognosy an Phytochemistry .2009; 1 (2): 91-97.
8. Nawaz A ., et al .(2009). *American-Eurasian J of Sustainable Agriculture* 3 pp.238-243.
9. Volts M., et al. (2009).*International J . of Pharmacognosy and Phychemical Research* 1 pp. 12-14.
10. Suresh V., et al. (2010). *Research J .of Pharmaceutical Biological and Chemical Science* 1 , pp. 311-317.
11. Kirtikar KR, Basu BD. Indian Medicinal plant , LM Basu Publishers, Allahabad, India, 2110-13, VII.
12. Khatune N.A., et al. (2003) *Research J. of Pharmaceutical Biological and Chemical Science* 3, pp.169-173.
13. Kritkar K.R., B.D. Basu (1993).Indian Medicinal Plant. LM Basu Allahabad , India 2,pp.1526-1528.
14. Kapoor LD et al. Survey of Indian plants for saponins, alkaloids and flavonoids, II, Lloydia. 1971; 34:94.
15. Dhingra VK,Seshadri TR, Mukerjee SK. Carotenoid glycosides of *Nyctanthes arbortistis* Linn. Ind J Chem. 1976; 14B:231.

****

Malwa Tea Distributors : A case study

Dr. Manish Khargonkar*

Abstract - The case Malwa Tea distributors – a case study is a case of a Tea distrobutor , Praveen Kumar who has a team of salespersons with him . he is trying to utilize his experience in judging the customers preference about the different Products of tea sold in the market as well as in his dealership. He is not getting clear that despite of the sales scheme provided on certain products the customers are not preferring those product. Similarly he is also surprised that the customer preferences are not same every year.

Introduction - It is very difficult to judge the customer's preference regarding the Tea, said Praveen Kumar the proprietor of the Malwa Tea Distributors. In the last year the total sale in the winter season was very low . Yes it is true that the customers are unexpected always ,replied Ganesh the counter salesman. Sir we have received a notification from the company that the new product " Flavoured Dust" is being supplied by the company to every retailer and the company wishes to make this new flavour popular so they have given the option of selling 250 Gram of any other product free with every 1KG of "Flavoured Dust". OK Praveen kumar replied , Ganesh do you know that the in the last winter we sold the Lemon tea and achieved the highest selling target in the state. The company gave us a special reward for this. But in this winter till today the customers are not asking for the Lemon Tea, I am surprised with this. It would have been great if we could study the customer's mind and then take the decision, because the success or failure of our firm deopends totally on the customers response. I think sir this will help us, said Ganesh, I have the opinions of 200 customers about their preferences to the different tea products of our company. Praveen Kumar also claims that 65% customers prefer Leaf tea,20 % prefer Dust tea, 10 %Green tea and 5 % Lemon tea. If we see these 200 responses the customers prefers as follows-

Leaf Tea-120
Dust Tea-40
Green Tea- 18 and
Lemon Tea-22

This is our claim that the customers preference is as above.

The Malwa Tea Distributors is a Tea distrobutor which was established 12 years ago in 2008. The owner Praveen Kumar is a very ambitious person. He is consistently planning how to increase the sales. He has employed ten sales persons who are travelling in to all over the M.P. to book the orders from retailers. The profit from the business is increased year by year. But this year Praveen Kumar and his team was confused as the they wanted to confirm the customers preference about the different Products of Tea. Their observations and expectations were having difference. At this stage Praveen Kumar thought that his experience of last twelve years in the field of Tea business proved meaningless. He was thinking to take help of a professional business analyst as well as researcher.

OBJECTIVES-

The objectives of this case are as follows-

1. To develop the understanding about the customers preferences.
2. To teach the Chi-Sqaure Test to the students
3. To Understand the difference between observations and expectations

TARGET AUDIENCE - The target audience for this case is the management students and faculties studying the Research Methodology and use of Chi-Square test. This case can be taken for teaching while the difference between observation and expectation is taught.

TEACHING APPROACH AND STRATEGY - The case should be analyzed firstly at an individual level then in a group of 4-6 participants. The statistical tool "Chi-sqaure test" is used to draw the conclusion about the observation and expectation of the owner of the Tea company. This is a non parametric test , which can be applied to so many situations in the business. These type of non parametric test has no rigid requirement that the sample is drawn from a population following a normal distribution. Non parametric tests can often be applied to the nominal and ordinal data that lack exact or comparable numerical values. In the above case the Tea has different varieties of Leaf tea, Dust tea, Green tea and Lemon tea is a nominal data.

Teaching Plan - Students should come to class thoroughly prepared by reading the case as well as the material on Chi-Square test.

***Asst. Professor, RPL Maheshwari College, Indore (M.P.) INDIA**

Topic/Activity	Time in minutes
Review of Financial Chi Square Test.	15
Discussion on Q1	10
Discussion on Q2	20
Case summary, including importance of Chi Square Test.	15

ANALYSIS OF THE CASE (AS PER THE QUESTIONS)-

Q1. Do a SWOT analysis of the Malwa Tea Distributors- a case study

Strenghts

Malwa Tea Distributors- is the largest Tea seller in the state. Mr Praveen Kumar is a very hardworking and concerned owner of the organization, he has also a very good team of sales persons.

Weakness

The whole team of **Malwa Tea Distributors-** is confused that they are not able to decide which Product of tea the customer will prefer. They are not able to relate the observations and expectations.

Opportunities

The opportunities in the case are that the **Malwa Tea Distributors-** may be able to achieve the target of highest selling Tea in this season also.

Threats

The main threat in this case is that if Mr. Praveen Kumar might loose the business due to non recognition of the customer preference .

Q2 Evaluate and comment on the above case as an expert.

The customers preference –

H0= pl=0.65,pd=0.20,pg=0.10and pl=0.05

H1= Preferences are not that specified as per H0.

Leaf Tea-200*0.65=130

Dust Tea- 200*0.20=40

Green Tea-200*0.10=20

Lemon Tea-200*0.05=10

Flavour	O	E	O-E	$(O-E)^2$	$\frac{(O-E)^2}{E}$
Leaf Tea	120	130	-10	100	0.769
Dust Tea	40	40	0	0	0.0
Green Tea	18	20	-2	4	0.2
Lemon Tea	22	10	12	144	14.4
				Total	15.369

The computed value of Chi Square is 15.369 , and the table value is 9.488 at 5% significance level. The computed value is more than the table value the H0 is rejected. The customers preferences are not as per given in null hpotheses.

Reference :-

1. Personal Research.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन

डॉ. पी. के. चतुर्वेदी*

प्रस्तावना – महात्मा गांधी ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में अपनी विशिष्ट नेतृत्व क्षमता के द्धारा विलक्षण भूमिका निभाई। उन्होने क्रमबृद्य या व्यवस्थित रूप में अपने सिद्धांतों का निर्माण नही किया किन्तु फिर भी अपने समय में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर उनके द्धारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं , उनमें उन्होने अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विवेचन किया है। उनके आर्थिक विचार नैतिकता और न्याय की भावना पर आधारित है, समाज में दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति का भी हित साधन करना उनका मुख्य उद्देश्य है। आधुनिक समय में भी लोक कल्याण के विचार को व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। अत: गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन इस दिशा में आगे बढने के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है।

गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचार – गांधीजी के आर्थिक विचार नैतिकता पर आधारित है। उन्होने सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक आदि सभी प्रकार के विचारों में नैतिकता को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनकी मान्यता थी कि हमारी सभी प्रकार की समस्याऐं अपने मूल रूप में नैतिक प्रकृति की समस्याऐं है। इनका निराकरण तभी हो सकता है, जब हम इनके समाधान के लिए नैतिकता की भावना से प्रयास करें। उनके प्रमुख आर्थिक विचार इस प्रकार है-

1. **साधनों की श्रेष्ठता में विश्वास –** गांधीजी का विचार था कि साध्य एवं साधन दोनों में अभिन्न सम्बन्ध है। एक की अपवित्रता दूसरें को भी अपवित्र कर देती है। साधन ही साध्य के स्वरूप का निर्धारण करते है। जिस प्रकार अच्छे बीज से ही अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है उसी प्रकार अच्छे साधनों से ही अच्छे साध्य प्राप्त किये जा सकते है।

2. **वर्ग सहयोग में विश्वास –** गांधीजी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनका विचार था कि विभिन्न वर्गो में सहयोग से ही सबका कल्याण हो सकता है। इसी से सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार श्रमिक वर्ग और पूँजीपति वर्ग के हित परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही है। यदि श्रमिक को उद्योगों के प्रबंध तथा व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है तो पूंजीपति वर्ग की शक्तियॉ स्वत: ही समिति हो जाऐगी। ऐसी स्थिति मे दोनों के बीच का वर्ग विरोध भी स्वत: ही समाप्त हो जाएगा।

3. **अपरिग्रह का सिद्धांत –** गांधीजी यह मानते थे कि आर्थिक अन्याय और असमानता की मूलभूत आर्थिक समस्याओं को तभी हल किया जा सकता है, जब अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाय। उनका मत था कि प्रकृति उतना उत्पादन करती है, जितनें से सभी जीवों की आवश्यकताऐं पूरी हो जाऐं। यदि सभी लोग केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त करें और अनावश्यक संग्रह न करें तो सभी प्रकार लोगों की आवश्यकताऐं पूरी हो सकती है। यही अपरिग्रह का आदर्श है।

4. **कुटीर उद्योगों का समर्थन –** गांधीजी औद्योगीकरण के विरोधी थे तथा कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। वे प्रत्येक गॉव को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे। इसी के लिए उन्होने कुटीर उद्योगों का समर्थन किया था। इसी के लिए उन्होने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया था। वे प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्था को वहॉ की जलवायू, भूमि तथा वहॉ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखतें हुए निश्चित किये जाने के पक्षधर थे। इसीलियें उन्होने भारत के लिए कुटीर उद्योगों को बढावा दिये जाने का समर्थन किया था।

5. **केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध –** गांधीजी औद्योगिक क्रांति तथा उसके परिणाम स्वरूप विकसित केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के विरोधी थें। औद्यागिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बडे उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल तथा बहुत बडी मात्रा में निर्मित पदार्थो के विक्रय के लिए बडे बाजारों की आवश्यकता होती है। यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है। इसी कारण गांधीजी बडी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थें। उनकी मान्यता थी कि मशीनों के प्रयोग के परिणामस्वरूप जो समाज व्यवस्था विकसित होती है उसमें घृणा,द्धेष और स्वार्थ की प्रवृत्तियों को बढावा मिलता है। इस वातावरण में मनुष्य का शारीरिक एवं नैतिक पतन होता है। औद्योगीकरण से ही आगे चलकर शोषण को प्रोत्साहन मिलता है तथा बैरोजगारी एवं गरीबी जैसी समस्याऐं बढती ही जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही गांधीजी ने बडी मशीनों का विरोध किया था। किन्तु वे उन मशीनों के विरोधी नही थें जो सर्वसाधारण के हित साधन में प्रयोग में आती है तथा शोषण को प्रोत्साहित नही करती हैं।

6. **संरक्षता का सिद्धांत –** गांधीजी समाज में आर्थिक विशमताओं का अंत करना चाहतें थे किन्तु वे इनके लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाये जाने का समर्थन नहीं करते थे। अपने अपरिग्रह के विचार को आगे बढता हुए उन्होने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार धनी लोगों को स्वेच्छापूर्वक यह समझना चाहियें कि उनके पास जो धन है वह समाज की धरोहर है। उसमें से उन्हें केवल अपने निर्वाह के लिए ही आवष्यक धनराशि स्वयं के लिए प्राप्त करनी चाहियें। शेष सारी राशि का उन्हें स्वामी नहीं बल्कि संरक्षक समझना चाहियें। यह सम्पति समाज की धरोहर है। समाज के हित को ध्यान में रखते हुए इस सम्पति का निरंतर उपयोग किया जाना चाहियें।

निष्कर्ष – महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना करतें हुए उन्हें अव्यावहारिक और युग के विपरीत बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इन विचारों में मिथ्या आशावाद है। अन्ततोगत्वा इनमें पूंजीवाद का ही

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, हाटपीपल्या, जिला - देवास (म.प्र.) भारत

समर्थन है। अनेक आलोचनाओं के बाद भी यह कहना उचित होगा कि आधुनिक युग में भी गांधीजी के आर्थिक विचारों की अत्यधिक आवश्यकता है। आज के समय में पर्यावरण संकट ,बैरोजगारी, आंतकवाद गरीबी, आर्थिक विशमता आदि समस्याओ के कारगर हल ढूंढना आवश्यक हो गया है। इनके हल तभी हो सकते है जब वर्तमान विनाशकारी प्रवृतियों के स्थान पर अहिंसक उपायों को अपनाया जाय। महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों में आधुनिक युग की सभी समस्याओं का समाधान है। मानव जाति के भविष्य को ध्यान में रखतें हुए , इन्हें अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्द स्वराज्य – गांधी जी , अनुवादक अमृतलाल नाणावटी
2. सर्वोदय – गांधीजी, संपादक भारतन कुमारप्पा
3. मेरे सपनों का भारत – गांधी जी.संग्राहक आर के प्रभु
4. गांधी और गांधीवाद – डॉ. पद्याभिसीतारमैयया
5. गांधी ओर साम्यवाद – किशोरीलाल मशरूवाला
6. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन – डॉ.वी.वी.वर्मा

****

श्री राम चरितमानस में जीवन मूल्य

डॉ. बालकृष्ण प्रजापति *

प्रस्तावना – राम चरित मानस राम भक्ति की श्रद्धा की सरयू एवं भक्ति की भागीरथी गंगा है। राम चरित मानस शाश्वत जीवन मूल्यों का आकाश द्वीप है। प्रत्येक संस्कृति के ऐसे शाश्वत नियम एवं परम्परा होती है जो इनकी मुख्य भूमिका होती है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं के जीवन, समाज,राष्ट्र, को निर्मल, उन्नति एवं आदर्श शाली बनाने के लिए जो नियम विवेकपूर्ण, जीवन रीति एवं नीति के मार्गदर्शक होते हैं इन्हीं मापदण्डों को निर्धारित करने में धर्म ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथों तथा जीवन मूल्य निष्ठ राम चरित मानस व रामायण जैसी रचनाएं हुआ करती हैं, ये मूल्य एवं राष्ट्र की अकांक्षाएं होती है। निश्चित ही रामायण पुरूषार्थ चतुष्ट्य का अमृतमय रूप है। हमारे भारतीय संस्कृति में चार पुरूषार्थ चतुष्ट्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जीवन के मूल्यों के रूप में मोक्ष को नि:श्रेयस की प्राप्ति का लक्ष्य माना है। गीता में धर्म के 30 लक्षण माना है। परन्तु मनुस्मृति के धर्म के 10 लक्षण है–

धृतिक्षमादमोऽस्तेयं शौचमन्द्रिय निग्रहं।
धीर्विद्यासत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम्।।

उपर्युक्त श्लोक में प्रतिपादित धर्म के लक्षण मानव जीवन मूल्य परक है। जो समाज एवं देश के लिए स्वीकार है। कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम चरित मानस कवि की प्रतिभा का पुरस्कार स्वरूप मनुष्य के सांसारिक दोनों लोकों को ठीक करने की अदभुत क्षमता रखता है। महादेवी वर्मा ने संस्कृति और जीवन मूल्य की चर्चा करते हुए कहा था कि 'वास्तव में थोडे से सिद्धान्त जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं हम उन्हीं को जीवन मूल्य कहते है। सचमुच में ऐसे जीवन मूल्य ही मानवीय संवेदनाओं की तुष्टि के साथ लोक मंगल एवं आत्म उपलब्धि की सिद्धि में सहायक है। जीवन मूल्य अंग्रजी के अंसन शब्द का पर्याय है जो लैटिनभाषा के बोलेडे से बना है। जिसका अर्थ है सुन्दर या अच्छा अत: जो कुछ भी इच्छित है वही मूल्य है।[1] मूल्य का अर्थ सभी क्षेत्रों में अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, एवं मनोविज्ञान आदि में स्पष्ट किया है। दर्शन में मानव जीवन से संबंधित मूल्यों की प्रकृति का अन्वेषण या उद्घाटन है।[2] मानवीय मूल्यों में प्रेम, करूणा एवं सहयोग को महत्व प्रदान करते है। तुलसीदास के काव्य चेतना में जीवन मूल्यों एवं मानव मूल्यों का समन्वय है।

परिवार मानव समाज की प्राथमिक एवं मौलिक इकाई है।मनुष्य का जनम विकास और समाजीकरण मानव से ही प्रारम्भ होता है। डॉ. मजूमदार ने कहा है कि परिवार येसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं। रक्त संबंधी हो और स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक कर्त्ताव्य के आधार पर समान होने की चेतना रखते हैं।[3] भारतीय संस्कृति में महराज मनु ने परिवार की व्याख्या करते हुए कहा है कि सर्व 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात् सम्पूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इसलिए राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त ने पारिवारिक जीवन मूल्यों के संबंध 'पंचवटी काव्य' में सीता माता की दिनचर्या का विवेचन करते हुए उनके प्राणि मात्र के प्रति प्रेम को बड़े ही सुन्दर तरीके से चित्रण किया है–

आ आ कर विचित्र पशुपक्षी, यहां विताते दो प्रहरी।
भाभी भोजन देती उनको, पंचवटी छाया गहरी।।
चरू चपल बालक ज्यों मिलकर मॉ को घोर रिझाते है।
खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहॉ रिझाते है।।
यहां आर्य के विपिन रज्य में सुखपूर्वक सब जीते है।
सिंह और मृग एक धार में आकर पानी पीते हैं।।

उपर्युक्त पंक्तियों में पारिवारिक जीवन मूल्य स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं। भारतीय संस्कृत साहित्य में मूल्य एवं नीति संबंधी साहित्य विद्यमान है। वर्तमान जीवन में पुन: इस साहित्य की उपादेयता को महसूस किया जा रहा है। श्रीभर्तृहरि प्रणीत 'नीतिशतकम्' में मनुष्य जीवन के सदाचार एवं श्रेष्ठतम मानवीय व्यवहार संबंधी बातों का समावेश किया गया है। इसके श्लोकों में नीति, विद्या, भाग्य, कर्म, सद्गुणों इत्यादि को विषयवस्तु बनाया गया है। भर्तृहरि ने वाणी को स्थायी आभूषण माना है।

'केयूराणि न विभूषयन्ति पुरूषं हारा न चन्द्रोज्जवला:
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंड्कृता मूर्द्धजा:।
वाण्येका समलंड्करोति पुरूषं या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्।।'[4]

अर्थात बाजूबन्द, हार, फूल, लेप अस्थाई आभूषण हैं किन्तु मधुर एवं प्रभावी वाणी सदैव बनी रहती है।

यहां विश्वबंधुत्व एवं मानवीय मूल्य संबधों के साथ हर पशुपक्षी का जीवन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में श्रीराम एक ऐसे युग पुरूष हैं जो ऐतिहासिक, पौराणिक सांस्कृतिक, व राजनैतिक, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टि से सभी महान है। कवि राम को ही अपने जीवन का श्रेय एवं प्रेय माना है इसलिए प्रारम्भ मे ही कहा है–

सिया राम मैं सब जग जानी।करहुं प्रणाम जोर जुग पानी।।

अर्थात् राम ही सर्वोपरि है, सब प्रका र से समर्थ एवं उदारचरित उनका ही है।

एहि महं रघुपति नाम उदारा। अतिपावन पुरान श्रुति सारा।।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुं सो दशरथ अजिर बिहारी।।[5]

इस प्रकार राम के चरित्र में जिन मूलभूत गुणों का प्रस्तुत किया है।महाराज दशरथ की राज्यसभा के सभासद राम के गुणों का वर्णन करते हुये कहते हैं कि राम सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरूष हैं, उन्होने अर्थ के साथ धर्म

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय एस.जी.एस.पी.जी महाविद्यालय, गंजबासौदा (म.प्र.) भारत

को भी प्रतिष्ठित किया है[6]। राम प्रजा को सुख देने में चन्द्रमा और क्षमारूपी गुण में पृथ्वी के समान है। बुद्धि में वे देवगुरू बृहस्पति और पराक्रम में इन्द्र के तुल्य हैं।[7] महाराज दशरथ के अनुसार राम में श्रेष्ठ मानवीय गुणों के साथ–साथ समस्त जीवों के प्रति दयाभाव आपूरित है–

क्षमा यस्मिंस्तपस्त्याग: सत्यं धर्म: कृतज्ञता।
अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम।।[8]

कामन्दक ने अपने नीतिसार में लिखा है कि जिसमें त्याग, सत्य और शौर्य ये तीन महान् गुण रहते हैं वह राजा अन्य सभी सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है।[9] राम में उक्त तीनों ही गुण विद्यमान हैं, उन्होनें सभी सद्गुणों को अपने में संग्रहीत कर लिया है। महर्षि बाल्मीकि राम के गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वे धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान् अदोशदर्शी, शांत, दीन दु:खियों को सान्त्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिरबुद्धि, सदा कल्याणकारी असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं।[10] माता–पिता और गुरूजनों के प्रति राम का आदरभाव गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में प्रस्फुरित होता है –

प्रातकाल उठि कै रघुनाथा मातु पिता गुरू नावहिं माथा ।।
आयसु मांगि करहिं पुरकाजा। देखि चरित हरषई मन राजा।।[11]

विद्वानों की सहमति के अधार पर जीवनमूल्य पर प्रकाश डालने की दृष्टि से आवश्यक है। मानव के सभी पात्र चाहे वे मानव या पशु पक्षी सभी राम की सेवा में संबंध है। हनुमान जी कथन है कि– राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहां विश्राम।[12] राम का परिवार बहुत बडा था, वे स्वर्गलोक के दिव्य गुणों से सम्पन्न देवताओं से लेकर दीन हीन दलित व उपेक्षित वनवासियों में घुले मिले थे। माता पिता बन्धु मित्र स्त्री पुरूष, सेवा प्रजा, आदि प्रजा के साथ उनका जैसा उनका आसाधारण व्यवहार था, उसे स्मरण करते ही मन अहलादित हो उठता है। सम्पूर्ण संसार के इतिहास में भगवान राम जैसी लोकप्रियता अन्यत्र नहीं आती है। अयोध्या वह केन्द्रस्थली है जहां राजपरिवार में अपनों के मध्य संघर्ष होता है कैकेयी इसका उदाहरण है। पारिवारिक जीवन में जितने संघर्ष उठाना पडता है वे सब राम के चरित्र में दृष्टव्य हैं। राम ने अयोध्या के राज्य का त्याग संघर्ष किया था, तुलसीदास ने कहा है–

कीर के कगार ज्यों नृप चीर, विभूषण उद्यम अंगनि पाई।
औध तजी मगवास के रूख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई।।
तेरह वर्ष व्यातीत हो चुके, पर है मानो कल की वास।
वन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात।।[13]

इस प्रकार गुरू के प्रति प्रेम, लक्षमण, भरत, शत्रुघन, वशिष्ठ, विश्वामित्र, रावण, बालि, जामवन्त, हनुमान, अंगद, सुगीव, राम आदि की मताएं, शबरी, ताडका, आदि रामचरितमानस के सभी पात्र एक आदर्श एवं जीवन को मर्यादा की स्थापना में राम के साथ जुडे हुए है। किव तुलसी की दृष्टि समाज उन्मुखी है। तुलसीदास के राम लोक मर्यादा के रक्षक हैं, तो भारतीय संस्कृति के महान रक्षक भी हैं। महाकवि तुलसीदास ने अपने काव्य में नारी के प्रति उदार दृष्टि, पारिवारिक जीवनादर्श, सामाजिक जीवनादर्श, अयोध्या एवं मिथला का राजपरिवार, वन में कोलभील वनवासियों का प्रभार, पशु पक्षियों का परिवार, राक्षसी परिवार आदि के मध्य सौहार्द्र का निरूपण की जो युगों युगों तक अनुकरणीय होगा।

समाजिक जीवन मूल्य– मानव सामाजिक प्राणी है। समाज के द्वारा निश्चित किए गये मूल्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हित एवं कल्याण के लिए होते है। सामाजिक मूल्य सामाजिक जीवन की रक्षा का कवच बन जाता है। रामचरित मानस भक्ति युग की वह जाज्वल मान नक्षत्र है, जिसकी अलौकिक प्रतिभा आज भी प्रत्येक परिवार और समाज के जीवन मूल्य प्रकाशित हो रहे है। वैसे विश्व मानवता और अखण्ड भारतीयता की सुरसरि है– सिया राम मै सब जग जानी।

तुलसी ने राम की लोकपावन कथा द्वारा मानव जीवन की उलझनों को सुलझाया साथ ही समस्त आदर्शों का सर्वागींण प्रतिपादन किया और माता, पिता, भाई, राजा, सेवक, पत्नी, पुत्र आदि एक दूसरे के प्रति मानवता, कर्त्तव्यों की अक्षुण धारा रामचरितमानस में पाकर सामान्य जनमन हर्ष विभोर हो गया।

देव समाज – तुलसीदास कृत रामचरितमानस में जिस सामाजिक परिवेश में देवताओं का चित्रण किया है।'राम' का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तुलसी ने ब्रह्म, इन्द्र, शिव, पृथ्वी आदि देवताओं का वर्णन किया है।

देव, दनुज, नर, नाग खग, प्रेत, पितर, गन्धर्व।
बदनु किन्नर रज निघर, कृपा करहुं अब सर्व।।[14]

दैत्यों के अत्याचार से पीडित पृथवी ने गाय का शरीर धारण कर अपनी पीडा ब्रह्म जी को सुनाई और सर्वव्यापी ईश्वर की प्रार्थना की जिससे प्रसन्न होकर आकाश वाणी हुई कि मै ही मानव का शरीर धारण कर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित होउंगा।तुलसीदास ने रावण के बुराइयों को प्रतीक माना है तथा राम की रावण पर विजय बुराई की अच्छाई का विजय है। लंका मोह नगर है, सभी देहाभिमानी है। हिंसा जिनका धर्म है, यह सब तत्कालीन समाज के स्वरूप का परिचय है।

जनजाति एवं वन्य समाज – चित्रकूट की सुरम्य स्थली में भगवान श्रीराम लक्ष्मण और सीता पर्णकुटी में रहकर वनवासी जहां पर दोनों किरात और नाना प्रकार की आदिम जनजातियां राम की सेवा में लगी हैं। मार्ग के जंगली पशु पक्षी राम को एकटक देखते हुए अपनी सुधबुध खो बैठते है। शबरी राम की उपासिका होते हुए अपने प्रेमाश्रुओं से राम के चरणों को प्रक्षालन करती हैं और विरही राम को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह देकर अपने जीवन को धन्य करती है। राम द्वारा दिया गया शबरी को उपदेश–

नवधा भकित कहहुं ताहि पाहीं। सावधान सुनुं धय मन माही।।

भगवान राम का व्यवहार सभी के प्रति बडा ही मृदु रहा है वे किसी से भी कठोर शब्द नही बोलते और नारियों के प्रति भी उनकी भाषा मधुर रही है।जो पद वे अपने पिता कों नहीं दिया, वह एक पक्षी को सहज भाव से दिया। उदाहरण–

गीध अधम खग अमिश भोगी, गति दीनहीं जोहि जांचत जोगी।
तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्हीं राम,।
निरखि राम छवि धाम मुख गीध गरूण हरि धाम।।

कवि भरतेन्दु जी ने प्रीतीकों के माध्यम से भारत की तात्कालीन स्थिति का चित्रण करते हुए भारत वासियों से भारत की दुर्दषा पर रोने और दुर्दशा का अन्त करने का प्रकाश डालते हुए कहा कि

'होअहू सब मिलिकै आवहु भारत भाई।
भारत दुर्दर्ष न देखी जाई '।।

तुलसीदास जी ने तो तत्कालीन समाजिक जीवन की दुर्दशा, भुखमरी और बेरोजगारी का पर्दाफास कारते हुए लिखते हैं–

खेती न किसान की भिखारी को न भीखभलि। बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी।

जीविका विहीन लोग, सीयमान सोच बस।। वेंदहिं पुरान कही लोकहुं विलोकयत।
सोकरें सवै दै राम रावरे कृपा करी।। दरिद्र दशनन दवाई दूनी दीन बप्धु।
दुरित दहन देखि तुलसी हाहाकारीर।।

उपर्युक्त देश की वर्तमान समाजिक जीवन की दुर्दशा, भुखमरी का ज्वलन्त उदाहरण है।

अत: हम कह सकते है कि रामचरित्र मानवीय आदर्शो की सकारात्मक अभिव्यक्ति है। क्रान्तदर्शी कवियों, साहित्यकारों तथा लेखकों ने रामचरित्र के माध्यम से समाज में उच्च आदर्शों और महान् सांस्कृतिक परम्पराओं को देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसदास ने रामचरितमानस में बदलते हुए जीवनमूल्यों को प्रकट किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मानव हिन्दी अंग्रेजी पृ.सं. 1489
2. डॉ. देवराज सिंह संस्कृति का दार्शनिक विवेचन पृ.सं. 10
3. डॉ. महेश भटनागर पृ. 160
4. नीतिशतकम श्लोक 20 पृष्ठ 26
5. गोस्वामी तुलसी दास राम चरित मानस 5/1 – 9/7
6. राम: सत्पुरूषोलोकेसत्य:सत्यपरायण:।
   साक्षाद्रामादविनिर्वृत्तो धर्मश्चापिश्रियासह।।वा.रा.अयोध्या .2.29
7. प्रजासुखत्वेचन्द्रस्य वसुधाया: क्षमागुणै:।
   बुद्धयावृहस्पतेस्तुल्योवीर्येसाक्षाच्छचीपते:।।वा.रा.अयाध्या.2.30
8. बाल्मीकिरामायणअयोध्याकाण्ड 12.33
9. त्याग: सत्यं च शौर्यं च त्रय एतेमहागुणा:।
   प्राप्नोतिहिगुणान् सर्वानितैर्युक्तोमहीपति:।।
   कामन्दकीय नीतिसार 4.23
10. धर्मज्ञ: सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयक:।
    क्षान्त: सान्त्वयिताश्लक्ष्ण: कृतज्ञोंविजितेन्द्रिय:।
    मृदुश्चस्थिरचित्तश्चसदाभव्योऽनसूयक:।
    प्रियवादी च भूतानांसत्यनादी च राघव:।। वा.ए.2.2032
11. श्रीराम चरित मानस, बालकाण्ड 204.7–8
12. राम चरित मानस सुन्दर काण्ड दोहा 1
13. मैथली शरण गुप्त पंचवटी छंद 9
14. राम चरित मानस बाल काण्ड दोहा 76

****

अभिप्रेरणा जीवन का आधार है

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध*

प्रस्तावना - वह शक्ति या ईच्छा शक्ति जो व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं के साथ-साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसके व्यवहार को परिवर्तित करने की ओर निर्देशित करती है अभिप्रेरणा कहलाती है, ये सत्य है, कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है लेकिन कार्य करने की क्षमता उसके कार्य करने की ईच्छा पर निर्भर होती है। एक व्यक्ति कितना भी योग्य,अनुभवी और कार्य करने की क्षमता रखता हो लेकिन यदि उसकी कार्य करने की ईच्छा नहीं है तो इन सभी का कोई महत्व नहीं रहता। अत: आवश्यकता इस बात की है कि उस व्यक्ति के अन्दर उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने की ईच्छा जाग्रत की जाए। इस प्रकार किसी व्यक्ति की कार्य करने की ईच्छा को जाग्रत करने हेतु हमें उसे अभिप्रेरित करना होता है अभिप्रेरणा के अन्तर्गत उन समस्त धनात्मक व ऋणात्मक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जो मनुष्य को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते है। संक्षेप में हम कह सकते है कि अभिप्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को कार्यशील बनाती है।

अध्ययन के उद्देश्य-

1. अभिप्रेरणा एक ऐसा औजार है जो व्यक्ति की कार्यक्षमता को बदल देता है, यदि वह कार्य करने का ईच्छुक नहीं है उसमें कार्य करने की ईच्छा शक्ति जाग्रत करता है और जब वह किसी कार्य या उद्देश्य में सफल हो जाता है तो उसे उच्च श्रेणी की सन्तुष्टि प्राप्त होती है और वह दिन-प्रतिदिन अपने कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
2. अभिप्रेरणा के द्वारा हमें कर्मचारी से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने में सहायता मिलती है और अभिप्रेरित व्यक्ति निर्विकार भाव से कार्य करता है और अधिकारियों एवं साथियों के साथ भी सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है तथा वह उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जी-जान लगाकर कार्य करता है और निश्चित समय में आबंटित कार्य निष्पादन करने का प्रयास करता है।
3. उत्पादन के विभिन्न साधनों में 'मानव' साधन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है इस साधन के सदुपयोग पर ही संस्था की प्रगति निर्भर करती है इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाए प्रदान की जानी चाहिए अभिप्रेरित कर्मचारी अपनी पूर्ण योग्यता एवं क्षमता से कार्य करता है और उसका पूरा ध्येय संस्था के विकास की प्रगति पर रहता है।
4. कर्मचारियों को सामाजिक,मानसिक,शारीरिक,आर्थिक सभी प्रकार की आवश्यकतों की सन्तुष्टि प्रदान करने हेतु वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएँ दी जानी आवश्यक है एवं कर्मचारियों की कार्य सन्तुश्टि की उपलब्धि कराने हेतु भी अभिप्रेरणाओं का विशेष महत्व है।

उपकल्पना :

1. अभिप्रेरणाओं से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।
2. मनुष्य आशावादी होता है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्यत: द्वितीयक समंको पर आधारित है। इसमें द्वितीयक समंको के आधार पर साहित्य का संकलन किया गया है जिसमें अप्रत्यक्ष व्यक्गित अनुसंधान,पत्र-पत्रिकाए,पुस्तके एवं इन्टरनेट वेबसाइट शामिल है।

अभिप्रेरणा के सिद्धान्त :

1. अभिप्रेरणा का मानवीय आवश्यकताओं सम्बन्धी सिद्धान्त- मनुष्य की कुछ भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताए होती है, जिन्हें उच्च श्रेणी आवश्यकता भी कहा जाता है तथा इनकी पुर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। ये मानवीय,सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताए शारीरिक, बचाव, स्थिरता एवं सुरक्षा, लगाव एवं प्रेम,आत्म-वास्तवीकरण, आत्मदर्शन, आत्म-परिपूर्ति इत्यादि है। मास्लों के अनुसार सर्वप्रथम मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताए आती है। इन आवश्यकताओं में भोजन, प्यास, नींद, स्वास्थ, विश्राम और सेक्स को सम्मिलित किया जाता है। ये आवश्यकताए मनुष्य को सर्वाधिक अभिप्रेरित करती है। इन आवश्यकताओं की पुर्ति होने पर ही अन्य आवश्यकताए जन्म लेती है परन्तु इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि ज्यों ही मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताए पूर्ण हो जाती है त्यों ही वे मनुष्य को अभिप्रेरित नहीं करती है। मास्लों का अभिमत है कि अभिप्रेरणा की प्रकिया और कुछ नहीं केवल इन आवश्यकताओं को जागृत करने,स्पष्ट करने और उनका अनुभव कराने की प्रकिया है ताकि प्रबन्धक कर्मचारियों को यह बता सके कि आप अधिक से अधिक कार्य में सहयोग देकर किस प्रकार इन आवश्यकताओं की पुर्ति कर सकते हो। क्योंकि किसी एक भी आवश्यकता की सन्तुष्टि के अभाव में मनुष्य मानसिक रूगणता एवं असामान्य व्यवहार की ओर चेतन अथवा अचेतन मन से अभिप्रेरित हो सकता है। इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि में भिन्नताएं और असंतोश के आधार पर ही फैक्ट्री श्रमिकों की कार्यो के प्रति अरूचि,प्रबंधकों के प्रति विरोधी भावनाओं के अतिरिक्त सामाजिक अलगाव आदि को समझा जा सकता है।

2. अभिप्रेरणा के सम्बन्ध में 'एक्स' तथा 'वाई' का सिद्धान्त- कर्मचारी अभिप्रेरणा के सम्बन्ध में मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा प्रमुख है: सेविवर्ग प्रबन्ध का पूरा दर्शन मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है परम्परागत और आधुनिक दर्शन। परम्परागत दर्शन के मुख्य तत्वों को एक्स विचारधारा की संज्ञा दी जाती है जो मानवीय प्रकृति के संबंध में निराशात्मक दृष्टिकोण को अभियुक्त करती है।

- **X सिद्धान्त-**यह सिद्धान्त परम्परागत दृष्टिकोण पर आधारित है

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शायकीय महाविद्यालय, चीनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) भारत

इसके अन्तर्गत यह धारणाए मानी जाती है कि श्रमिक सुस्त,कमजोर एवं अनुत्तरदायी होते है। इस सिद्धान्त के अनुसार सत्ताहीन व्यक्ति ही पूर्णरूप से नियंत्रण करने में सफल हो सकता है। प्रबन्धक इस मत को मानते है कि श्रमिक डर,कड़े अनुशासन,दंड तथा प्रताड़ना द्वारा ही ठीक तरह से कार्य कर सकते है। इसके अन्तर्गत जब चाहे तब उसे कार्य से पृथक कर सकते है। यह सिद्धान्त पूर्णतया रूढ़िवादी विचारधारा पर आधारित है निष्कर्षता कहा जा सकता है कि आधुनिक उद्योगो में श्रमिकों की योगदान क्षमता के कारण उनकी मॉग बढ़ती जा रही है और उद्योगो में मानवीय मूल्यों को विकसित करने के लिए अभिप्रेरणाओं की नवीनतम योजनाए लागू की जा रही है, अत: X सिद्धान्त महत्वहीन एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल है।

● **Y सिद्धान्त–** यह विचारधारा मानवीय व्यवहार का वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। यह सिद्धान्त यह बतलाता है कि श्रमिको से कार्य कराने के लिए भय और डण्डे के स्थान पर सहयोग और विश्वास के तत्वों की आवश्यकता होती हैं। इस सिद्धान्त में सृजनात्मक पद्धति पर अधिक महत्व दिया गया है इसलिए Y सिद्धान्त को आधुनिक एवं प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त भी कहा जाता है क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रबंन्धक कर्मचारियों को समान स्तर पर विचार विमर्श करने के योग्य समझता है इससे श्रमिक सन्तुष्ट होते है और उन्हें उन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होते है। इस विचारधारा के अनुसार यदि कर्मचारियों को ठीक ढंग से अभिप्रेरित किया जाए तो वे महान सृजनशील कार्य कर सकते है। यह विचारधारा एक ऐसे नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन करती है जो कि प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के पारस्परिक उत्तदायित्व एवं सम्मिलित उद्देश्यों के सिद्धान्त पर बल देता है। तथा यह विचारधारा 'भागीदारी विचारधारा' के महत्व को स्पष्ट करती है और इस बात पर बल देती है कि कर्मचारियों का प्रबंध के सभी स्तरों पर हिस्सा दिया जाना चाहिए।

3. **हर्जबर्ग का अभिप्रेरक एवं अनुरक्षक सिद्धान्त–**इस सिद्धान्त में किसी कार्य के सम्बन्ध में अभिप्रेरक एवं अनुरक्षक तत्वों में अंतर किया गया है। इस सिद्धान्त की विचारधारा को स्वास्थ्य या अयोग्य विचारधारा के नाम से जाना जाता है इन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य की आवश्यकतों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है जो परस्पर एक–दूसरे से भिन्न है और मानवीय व्यवहार को अलग–अलग ढंग से प्रभावित करती है इन्होंने अभिप्रेरणा के विभिन्न अनुरक्षक एवं अभिप्रेरक तत्व बताए है जैसे कम्पनी एवं नीति प्रशासन,तकनीकी पर्यविक्षण,अधीनस्थों,पर्यविक्षक,समान व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध,वेतन,व्यक्तिगत जीवन, कार्यदशाए, कार्यसुरक्षा, पद एवं प्राप्ति, मान्यता,उन्नति,कार्य का स्वभाव,विकास की संभावना, उत्तरदायित्व इत्यादि इनके अभाव में व्यक्ति बहुत अंसतुष्ट तो नहीं होता किन्तु इनकी उपस्थिति व्यक्ति को अभिप्रेरणा देती है।

4. **परस्पर क्रिया सिद्धान्त–**इस सिद्धान्त में संगठन को एक सामाजिक पद्धति की तरह माना जाता है जिसमें श्रमिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अभिप्रेरित होकर अपनी इच्छा से कार्य करेंगे। इस सिद्धान्त में तीन मुख्य बातें है: क्रियाए,परस्पर–क्रियाए व भावनाए। इनमें क्रियाओं और परस्पर क्रियाओं को तो मापा जा सकता है और उनसे प्राप्त निष्कर्षो का वर्णन किया जा सकता है परंन्तु भावनाओं को मापना लगभग असंभव है। अभिप्रेरणा का उपयोग भावनाओं के संबंध में ही किया जाता है,यद्यपि क्रियाए,परस्पर–क्रियाए व भावनाए एक–दूसरे से सम्बन्धित है। चूंकि भावनाए व्यक्तिगत होते हुए भी वर्ग समूह से संबन्धित होती है। इसलिए इस सिद्धान्त में व्यक्ति की अपेक्षा वर्ग समूह को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

5. **उपलब्धि–संभाव्य सिद्धान्त–**श्री एफ.एम.स्टोगिल ने इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धान्त में तीन तत्वों को महत्व दिया गया है उपलब्धि व आशाए व्यक्तिगत व्यवहार के प्रमुख घटक है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहता और कुछ संभावनाओं एवं आशाओं के अनुरूप ही कार्य करते है। ये आशाए ही व्यक्ति को परिश्रम करने और समस्त बाधाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है अत: यह सिद्धान्त आशाओं से क्रियान्वित है।

निष्कर्ष – उपरोक्त सिद्धान्तों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा मानव जीवन का एक ऐसा उपकरण है जिसका सही उपयोग कर मानव जीवन विभिन्न ऊचाईयों तक जा सकता है जैसा कि मास्लों ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताए उसकी षारीरिक आवश्यकताए होती है ये आवश्यकताए मनुष्य को सर्वाधिक अभिप्रेरित करती है इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त अन्य आवश्यकताए जन्म लेती है और जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है वह आवश्यकताए मनुष्य को अभिप्रेरित नहीं करती है और वह उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर अभिप्रेरित होने लगता है यह मानव का स्वभाव है कि वह निरन्तर प्रगति के बारे में सोचता है और अभिप्रेरित होता रहता है और अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता है अभिप्रेरणा के सकारात्मक पहलू मनुष्य को ज्यादा प्रभावित करते है जैसा कि ध सिद्धान्त में उल्लेख किया गया है। जिससे मनुष्य की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है अत: अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वंय सिद्ध होती है। अभिप्रेरणा के पॉचवे सिद्धान्त से स्पष्ट होता है कि आशाए व्यक्ति को परिश्रम करने एवं सभी बाधाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य आशावादी होता है अत: अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना सिद्ध होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. मानव संसाधन प्रबंध– प्रो.जी.डी.शर्मा, डॉ.के.के.शर्मा, प्रो.जी.सी. सुराना (2002) रमेश बुक डिपो,जयपुर।
2. औधोगिक समाज विज्ञान– पी.सी.खरे, वी.सी.सिन्हा (1998) मयूर पेपरबैक्स नोयडा।
3. सेविवर्गीय प्रबंध के सिद्धान्त– डॉ.दशोरा एवं मामोरिया (2011) एस.वी.पी.डी. पब्लिशिंग हाऊस आगरा।
4. शोध प्रविधि–शर्मा विनय मोहन (2005) नेशनल पब्लिशिंग हाऊस,नई दिल्ली।
5. अनुसंधान परिचय–पारसनाथ राय (2005) लक्ष्मीनारायण अग्रवाल,आगरा।

****

Performance Appraisal : A Strategy For Professional Development

Dr. Mamta Barman*

Abstract - The performance and quality of the functions of any institution is determined by a variety of factors, some of which are external to the system while some are internal. Teachers being one of the key factors who determine the performance of the education sector should change their attitude towards performance appraisal and accept it as a means of professional development. The area of influence of the teaching profession on rest of the system is relatively greater than that of any other subsystem. It is, therefore, imperative that the profession be accountable to all the three segments, viz., the students, the profession itself and the society. Teachers are enabled to set an example for others to emulate.

Introduction - Appraisal can be defined as "a valuation: an estimation of quality". Performance appraisal carried out scientifically encourage goal setting among the individuals in any organization. The absence of goal setting in any line of action, may relegate it to an idle man's pre-occupation. In any organization, every individual is assigned responsibilities to be performed or discharged.

The performance and quality of the functions of any institution is determined by a variety of factors, some of which are external to the system while some are internal. For example- Lack of adequate financial inputs, the unwieldy size of the system as a whole, lack of tradition in mass education, social ethos that lack work culture, obligations for social justice and many more would fall under the category of external factor that affect the effectiveness of the system. The intrinsic factors would include, the student profile, the teacher's caliber and motivation, infrastructural facilities, proper organization and management of the available resources through appropriate leadership, etc.

Once an individual is assigned responsibilities and is also given the authority to perform certain tasks, he or she becomes answerable for proper performance of the assigned responsibility. Assessment is done in order to ascertain whether an individual has performed his duties fully understanding his role prescription. On similar lines, in an educational institution, teachers' performance appraisal may entail an assessment of teachers' work and a critical examination of their style of discharging their duties. Teachers' competency and their effectiveness are the fundamental issues under evaluation. The widening gap between the expected roles and the actual roles cannot be ignored any longer. Something should be done to bridge the gap. Teacher appraisal may be seen not only as an issue of central importance to the future of our system of higher education but also as something absolutely necessary as the foundation of professional development. The positive aspects of teacher appraisal as a means for, as follows:

1. developing professional skills and knowledge;
2. wider participation in and better targeting of in-service training;
3. dealing constructively with shortcomings;
4. gaining greater confidence;
5. improving morale;
6. better professional relations and communication within the institution;
7. better planning and delivey of the curriculum;
8. better career planning;
9. better informed references;

Appraisal becomes not a reward and punishment mechanism but a process which should result in development in both the skills and career prospects of the individual teacher and also lead to improvements at individual or institutional level. Performance appraisal from the point of view of the professional development model, we can say that appraisal means a structured approach to staff development with the individual as its starting point. In this model, the process of appraisal assumes that the teacher is competent. The aim of appraisal process is to recognize and record that competence and to identify and provide support to help to develop teacher's skills further.

The concept of performance appraisal can become effectively, operational when: (1) adequate incentives and disincentives are linked with good and poor performance respectively, without creating any threatening atmosphere; (2) it is introduced at all levels of educational organization: and (3) an appropriate system of evaluation is worked out

*Asso. Prof. (Psychology) Govt. M.K.B. College, Jabalpur (M.P.) INDIA

in which the criteria for evaluation are observable and are laid down keeping in view the resources available and the evaluating body is so constituted that undesirable influences and pressures cannot influence its assessment. If it become operational in its true sense, the standard of education is bound to go up.

References :-

1. Kyu lee, Jeong, Globalization & Higher Education
2. वर्मा, एल. एन., भारतीय सामाज में शिक्षा

****

बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड के सर्वेक्षित ग्रामों में लाभान्वित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों के विशेष सन्दर्भ में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के योगदान का एक अध्ययन

डॉ. के.के.शर्मा *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध पत्र में बिलासपुर जिले के कोटा विकास खण्ड के अन्तर्गत कुल 81 ग्राम पंचायतों में से 25 ग्राम पंचायतों का चयन दैव निर्दशन पद्धति से किया गया तथा चयनित ग्राम पंचायतों के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना द्धारा लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त हितग्राहियों (स्वरोजगारियों) को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कुल 175 परिवार एवं अनुसूचित जाति के 45 परिवार लाभान्वित हुए योजना का इस वर्ग के उत्थान में वास्तविक योगदान ज्ञात करने के लिए योजना से लाभान्वित न होने वाले (गैर हितग्राही) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमश: 175 एवं 45 गैर हितग्राही परिवारों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजागर योजना का अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक उत्थान में योगदान ठीक-ठीक ज्ञात किया जा सके। इस प्रकार अनुसूचित जाति के 45 एवं अनुसूचित जनजाति के 175 परिवारों का अध्ययन किया गया है। जिनसे प्रश्नावली, अनुसूची साक्षात्कार एवं अवलोकन द्धारा जानकारियाँ प्राप्त कर उनका बिन्दुवार विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुँजी - अजजा- अनुसूचित जनजाति, अजा- अनुसूचित जाति, S.G.S.Y- स्वर्ण जयन्ती ग्राम श्रोज़गार योजना, आई.आर.डी.पी.- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम- ग्रामीण युवा रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रम, डवाकरा- ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, एम.डब्लू.एस.- दस लाख कुओं की योजना, जे.के.एल.- गंगा कल्याण योजना, एस.एच.जी.- स्व-सहायता समूह, डी.आर.डी.ए - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, J.R.Y.। जवाहर रोजगार योजना।

प्रस्तावना - देश की दसवीं पंचवर्षीय योजना के रोजगार अवसरों की वृद्धि के लिए, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की पूर्व में चल रही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राईसेम, ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम एवं दस लाख कुंओं की योजना को 31 मार्च 1999 को समाप्त घोषित करके 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को सहायता प्रदान की जाती है। गरीबों में सबसे गरीब को पहली प्राथमिकता देकर योजना द्धारा हितग्राहियों को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा के ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के कोटा विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली, अनुसूची स्वयं के अनुभव द्धारा जो तथ्य सामने आये उन तथ्यों का बिन्दुवार विश्लेषण किया गया है:-

1. वर्षानुसार
2. कार्यकमानुसार
3. आय स्तर अनुसार
4. व्यवसायानुसार
5. लिंगानुसार
6. प्रशिक्षण अनुसार
7. ग्रेंडिग अनुसार
8. भूमिधारिता अनुसार
9. आयु अनुसार
10. शिक्षा स्तर अनुसार
11. ऋण प्रदत्त की वापसी की स्थिति
12. ऋण ग्रस्तता
13. व्यवसाय की विद्यमानता

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षित ग्राम पंचायतों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों का अध्ययन किया गया है। सारणी कमांक-1.1 से स्पष्ट है कि संपूर्ण अध्ययन अवधि में वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक 62 हितग्राही लाभान्वित हुए जो कुल हितग्राहियों का 35.43 प्रतिशत होता है, तथा वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम 14 हितग्राही लाभान्वित हुए जो कुल हितग्राहियों का 8 प्रतिशत होता है। इसी तरह अनुसूचित जाति के सर्वाधिक हितग्राही 2011-12 में 45 में से 12 (26.67 प्रतिशत) में से एवं न्यूनतम 2007-08 में 05 (11.11 प्रतिशत) लाभान्वित हुए । स्पष्ट है अध्ययन के अंतिम दो वर्षों में लाभान्वितों की संख्या सर्वाधिक रही है।

सारणी क्रमांक-1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

निर्णय:- यहाँ प्राप्त 0.307 t का मान सार्थक नहीं है, क्योंकि यह उपर्युक्त .05 विश्वास के स्तर पर 2.23 एवं .01 विश्वास के स्तर पर 3.17 आवश्यक दोनों मानों से कम है, अत: यहाँ निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है और यहाँ यही मानना पडेग़ा कि दोनों समूहों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है। अत: सर्वेक्षित हितग्राहियों का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का योगदान सार्थक है।

आरेख क्र. - 1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

प्रस्तुत सारणी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों ने योजना से अधिक लाभ उठाया। अनुसूचित जनजाति

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डी. पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

के कुछ हितग्राही दूसरी बार योजना से सहायता लिये और कुछ हितग्राही दुबारा सहायता प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, कुछ परिवारों के एक से अधिक सदस्यों ने योजना का लाभ लिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कृषि, लघु, सिंचाई पशुपालन, ग्रामीण उद्योग सेवा व्यापार, ग्रामीण शिल्प क्षेत्र में सहायता प्रदान की गई है। सारणी कमांक 1.2 से स्पष्ट है कि चयनित ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के कुल 175 हितग्राही लाभान्वित हुए जिसमें कृषि कार्य से 43 हितग्राही (24.57 प्रतिशत), लघु सिंचाई क्षेत्र 45 हितग्राही (25.71 प्रतिशत), पशुपालन क्षेत्र 33 हितग्राही (18.86 प्रतिशत) ग्रामीण उद्योग सेवा व्यापार क्षेत्र 38 (21.71 प्रतिशत) एवं ग्रामीण शिल्प क्षेत्र से 16 हितग्राही (9.14 प्रतिशत) लाभान्वित हुए, औसत रूप से सभी कार्यकमों में सहभागिता पायी गयी है। अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में कृषि कार्य से 12 हितग्राही (26.67 प्रतिशत), लघु सिंचाई क्षेत्र 08 हितग्राही (17.78 प्रतिशत), पशुपालन क्षेत्र 10 हितग्राही (22.22 प्रतिशत) ग्रामीण उद्योग सेवा व्यापार क्षेत्र 09 (20 प्रतिशत) एवं ग्रामीण शिल्प क्षेत्र से 06 हितग्राही (13.33 प्रतिशत) लाभान्वित हुए, औसत रूप से सभी कार्यकमों में सहभागिता पायी गयी है।

सारणी क्रमांक – 1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. – 1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना से अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक 45 हितग्राहियों ने लघु सिंचाई क्षेत्र से लाभ लिया तथा सबसे कम 16 हितग्राही ने ग्रामीण शिल्प क्षेत्र को चुना है। वहीं अनुसूचित जाति के सर्वाधिक 12 कृषि क्षेत्र एवं सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र को 06 हितग्राहियों ने चुना है। सिंचाई, कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अधिक प्रगति का मुख्य कारण अविकसित औद्योगिक क्षेत्र पाया गया है साथ ही कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहां के लोगों का रूझान भी कृषि कार्य से संबंधित क्षेत्र की ओर ही है। क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति का कृषि कार्य से संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी है।

सर्वेक्षित ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों का लिंग अनुसार विवरण – सारणी कमांक 1.3 से स्पष्ट है कि चयनित ग्राम पंचायतों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से पुरूष हितग्राहियों की संख्या 102 (58.29 प्रतिशत) तथा महिला हितग्राहियों की संख्या 73 (41.71 प्रतिशत) भागीदारी रही है। वहीं अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में से पुरूष हितग्राहियों की संख्या 32 (71.11 प्रतिशत) तथा महिला हितग्राहियों की संख्या 13 (29.69 प्रतिशत) भागीदारी रही है।

सारणी क्रमांक–1.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. – 1.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित हितग्राहियों के प्रशिक्षण की स्थिति – सारणी कमांक 1.3 से स्पष्ट है कि चयनित क्षेत्र में स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं जाति के सभी गैर हितग्राही गैर प्रशिक्षित (पैतृक) व्यवसाय से लाभान्वित हुए है। अनसूचित जाति एवं जनजाति के कमश: 23 (51.11 प्रतिशत) एवं 142 (82.56 प्रतिशत) पैतृक कार्य में संलग्न है, निजी संस्था या स्वयं अनुभव से अनुसूचित जाति के 16 (35.56 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जनजाति के 24 (13.71 प्रतिशत) व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के मात्र 13.33 एवं अनुसूचित जनजाति के 05.23 प्रतिशत हितग्राहियों को योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा सका है। कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी हितग्राही आज भी परम्परागत तकनीक से कृषि कार्य कर रहे है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण के अभाव से हितग्राहियों की आय में आशानुकूल वृद्धि नहीं हो पायी है। योजना द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर हितग्राहियों के कौशल में वृद्धि करके आय में वृद्धि की जा सकती हैं।

सारणी क्रमांक – 1.4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. – 1.4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों का ग्रेडिंग अनुसार विश्लेषण – सारणी क्रमांक 1.4 से स्पष्ट है कि क्षेत्र में स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के175 हितग्राहियों में से 65 हितग्राही (37.14 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में से 13 (28.89 प्रतिशत) का नाम मात्र ग्रेडिंग किया गया है शेष सभी हितग्राहियों ने व्यक्तिगत रूप से सहायता प्राप्त की है।

सारणी क्रमांक – 1.5 सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों का ग्रेडिंग अनुसार विवरण

जाति वर्ग	ग्रेडिंग प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	65	37.14
अनुसूचति जाति	13	28.89

स्रोत : सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्वसहायित समूह की ग्रेडिंग महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिसका लाभ हितग्राहियों को नहीं मिलने के कारण क्षेत्र में सामाजिक सशक्तिकरण का उद्देश्य औपचारिक मात्र रह गया है।

सारणी क्रमांक–1.6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. – 1.6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सारणी कमांक 1.6 से स्पष्ट है कि क्षेत्र में स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से 47 हितग्राही (22.86 प्रतिशत) भूमिहीन, 116 हितग्राही (66.86 प्रतिशत) सीमांत कृषक एवं 12 हितग्राही (10.28 प्रतिशत) लघु कृषकों की भागीदारी रही है। वहीं अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में से 11 हितग्राही (24.44 प्रतिशत) भूमिहीन, 28 हितग्राही (62.23 प्रतिशत) सीमांत कृषक एवं 6 हितग्राही (13.33 प्रतिशत) लघु कृषकों की भागीदारी रही है। स्पष्ट है कि योजना से लाभान्वित होने वालों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सीमांत कृषकों की संख्या अधिक पायी गई है और सबसे कम लघु कृषक हितग्राहियों की संख्या रही है। इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र का होना है जिन हितग्राहियों के पास कम भूमि है उत्पादन बढ़ाने व सिंचाई साधन के विकास से संबंधित क्षेत्र से लाभान्वित हुए हैं और भूमिहीन हितग्राही कृषि कार्यकम के अलावा ग्रामीण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र से लाभान्वित हुए हैं।

सर्वेक्षित क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित हितग्राहियों का आयु स्तर के अनुसार विश्लेषण:–

सारणी कमांक 1.7 से स्पष्ट है कि स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से 42 (24 प्रतिशत) हितग्राही 21–30 वर्ष आयु स्तर, 72 (41.14 प्रतिशत) हितग्राही 31–

40 वर्ष आयु स्तर, 31 (17.71 प्रतिशत) हितग्राही 41-50 वर्ष आयु स्तर, 18 (10.29 प्रतिशत) हितग्राही 51-60 वर्ष आयु स्तर एवं 12 (6.86 प्रतिशत) हितग्राही 60 वर्ष से ऊपर आयु स्तर के लाभान्वित हुए है। अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में से 08 (17.78प्रतिशत) हितग्राही 21-30 वर्ष आयु स्तर, 18 (40 प्रतिशत) हितग्राही 31-40 वर्ष आयु स्तर, 12 (26.67 प्रतिशत) हितग्राही 41-50 वर्ष आयु स्तर, 04 (08.88 प्रतिशत) हितग्राही 51-60 वर्ष आयु स्तर एवं 03 (6.67 प्रतिशत) हितग्राही 60 वर्ष से ऊपर आयु स्तर के लाभान्वित हुए है।

सारणी क्रमांक-1.7 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 1.7 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक 31-40 वर्ष आयु स्तर के 41.11 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के 40 प्रतिशत हितग्राही लाभान्वित हुए और सबसे कम 60 वर्ष के ऊपर आयु स्तर के कमश: 06.86 प्रतिशत एवं 06.67 प्रतिशत हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का शैक्षिक स्तर के अनुसार विश्लेषण - सारणी कमांक 1.8 से स्पष्ट है कि स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से 110 (62.86 प्रतिशत) हितग्राही निरक्षर, 30 (17.14 प्रतिशत) हितग्राही प्राथमिक, 12 (06.86 प्रतिशत) हितग्राही पूर्व माध्यमिक, 11 (06.29 प्रतिशत) हितग्राही हाई स्कूल, 07 (04 प्रतिशत) हितग्राही हायर सेकेण्डरी, 04 (02.29 प्रतिशत) स्नातक एवं 01 हितग्राही स्नातकोत्तर स्तर के लाभान्वित हुए है। अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में से 26 (57.78 प्रतिशत) हितग्राही निरक्षर, 08 (17.78 प्रतिशत) हितग्राही प्राथमिक, 01-01 (02.22 प्रतिशत) हितग्राही पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के लाभान्वित हुए हैं।

सारणी क्रमांक-1.8 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 1.8 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक 62.86 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के 57.78 प्रतिशत निरक्षर, और सबसे कम उच्च योग्यता स्तर के हितग्राही लाभान्वित हुए है। निरक्षर हितग्राहियों ने ऋण का दुरूपयोग किया है ऐसी बात नहीं है कि अशिक्षा ही मुख्य कारक है वरन् यह भी है कि अधिकांश हितग्राही इतने अधिक गरीब हैं कि उन्हें जो ऋण प्रदान किया गया उसी से अपना जीविकोपार्जन किया। अत: स्पष्ट है कि इस योजना के संबंध में ऋण का दुरूपयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है।

सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्रदत्त ऋण वापसी की स्थिति - सारणी कमांक 1.9 से स्पष्ट है कि स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा प्रदत्त ऋण वापसी में अनुसूचित जनजाति के 175 में से 103 हितग्राही (58.86 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जाति के 45 में से 17 हितग्राही (37.78 प्रतिशत) ऋण भुगतान कर रहे है तथा अनुसूचित जनजाति के 47 हितग्राही (26.86 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जाति के 20 हितग्राही (44.44 प्रतिशत) योजना द्वारा प्रदत्त ऋण का भुगतान पूर्ण कर चुके हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के 25 हितग्राहियों (14.29 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जाति के 08 हितग्राहियों (17.78 प्रतिशत) ने ऋण भुगतान बंद कर दिया है।

सारणी क्रमांक-1.9 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 1.9

सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित हितग्राहियों के प्रदत्त ऋण वापसी की स्थिति

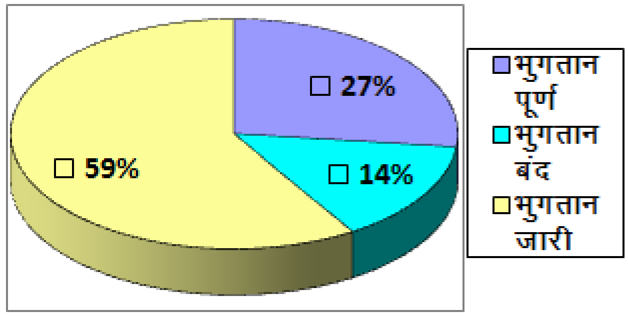

सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों का प्रदत्त ऋण वापसी की स्थिति

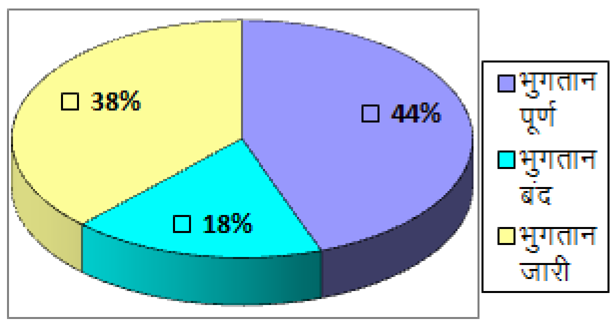

विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन हितग्राहियों ने भुगतान पूर्ण कर लिया है योजना के सफल स्वरोजगारी बन गये और जिन हितग्राहियों ने ऋण का भुगतान करना बंद कर दिया कुछ असफल हो गये। इसका मुख्य कारण बीमारी, पशुओं की मृत्यु, विद्युत कटौती एवं नलकूप खनन उपरांत असफल हो जाना पाया गया। कुछ सरकार की ऋण माफी घोषणा का इंतजार भी कर रहे हैं।

अध्ययन अवधि में अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित हितग्राहियों की ऋण ग्रस्तता की स्थिति में परिवर्तन - सारणी क्रमांक 1.10 से स्पष्ट है कि स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अध्ययन के प्रारंभिक वर्ष 2006-07 अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से 09 (05.14 प्रतिशत) हितग्राही शासकीय, 143 (81.71 प्रतिशत) हितग्राही अशासकीय, 05 (02.86 प्रतिशत) हितग्राही शासकीय और अशासकीय ऋण से ग्रसित एवं 18 (10.29 प्रतिशत) हितग्राही ऋण मुक्त पाये गये। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के पश्चात वर्ष 2011-12 में 145 हितग्राहियों का शासकीय ऋण, 01 हितग्राही का अशासकीय ऋण, 02 हितग्राहियों का शासकीय और अशासकीय ऋण, एवं 27 हितग्राही ऋण से मुक्त पाये गये।

सारणी क्रमांक-1.10 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

अनुसूचित जनजाति के 45 हितग्राहियों में से 05 (11.11 प्रतिशत) हितग्राही शासकीय, 35 (77.78 प्रतिशत) हितग्राही अशासकीय, 03 (06.67 प्रतिशत) हितग्राही शासकीय और अशासकीय ऋण से ग्रसित एवं 02 (04.44 प्रतिशत) हितग्राही ऋण मुक्त पाये गये। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के पश्चात वर्ष 2011-12 में 13 हितग्राहियो का शासकीय ऋण, 00 हितग्राही का अशासकीय ऋण, 02 हितग्राहियों का शासकीय और अशासकीय ऋण, एवं 30 हितग्राही ऋण से

मुक्त पाये गये।

आरेख क्र. - 1.10 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक 143 हितग्राही (81.71 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जाति के 35 हितग्राही (77.78 प्रतिशत) अशासकीय ऋण से ग्रस्त थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से सहायित होने के पश्चात अनुसूचित जनजाति के केवल 01 हितग्राही का अशासकीय ऋण पाया गया वहीं अनुसूचित जाति के एक भी हितग्राही अशासकीय ऋण से ग्रसित नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से सहायित होने के पश्चात शासकीय ऋण में वृद्धि हुई और अशासकीय ऋण में बहुत कमी पायी गयी योजना से हितग्राहियों को साहूकार, महाजन के शोषण से मुक्ति मिली है।

सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों के व्यवसाय की स्थिति - सारणी क्रमांक 1.1. से स्पष्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से 156 हितग्राहियों (89.14 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में से 32 हितग्राहियों (71.11प्रतिशत) का व्यवसाय विद्यमान और कमश: 15 हितग्राहियों (8.57 प्रतिशत) एवं 07 (15.56 प्रतिशत) का व्यवसाय बंद पाया गया। वहीं कमश: 04 (02.29 प्रतिशत) एवं 06 (13.33 प्रतिशत) हितग्राहियों ने अपना व्यवसाय परिवर्तित किया है।

सारणी क्रमांक-1.11 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 1.11

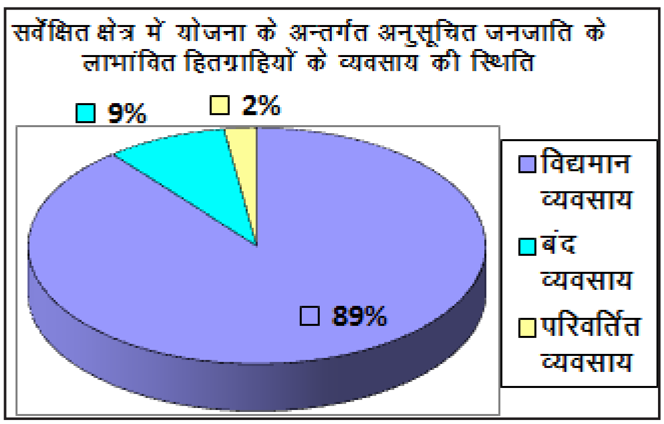

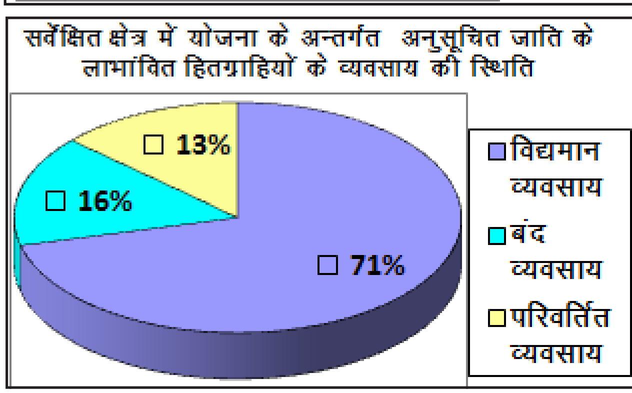

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. पुस्तक:-

1. पन्त, जे.सी. (1984), अर्थशास्त्र के सिद्धांत, द्वितीय पूर्णत: संशोधित संस्करण, साहित्य भवन, आगरा
2. पन्त, जे.सी.(1989-90), जनांकिकी, 5वाँ संशोधित संस्करण, गोयल पब्लिशिंग हाऊस सुभाष, मेरठ - 2।
3. रूद्रदत्त एवं सुन्दरम, के.पी.एम. (1990), भारतीय अर्थव्यवस्था, 20वाँ संस्करण।, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
4. सुन्दरम, के.पी. एम. (1995), भारतीय अर्थव्यवस्था, 25वाँ संस्करण, श्रीचंद कंपनी लि. नई दिल्ली।
5. सिन्हा, वी.सी. एवं सिन्हा, पुष्पा (1989), श्रम अर्थशास्त्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दरियागंज, नई दिल्ली।
6. श्रीवास्तव, एस.बी.(1985), जनांकिकीय सिद्धांत, तकनीकी एवं अध्ययन, चतुर्थ संस्करण, शिक्षा साहित्य प्रकाशन, मेरठ।
7. Mishra, S.N. (2003). Rural Employment & Traysem : A Case study From Rajasthan, B.R. Pub., New Delhi.
8. Mishra, S.N. & Madan, G.R (1984) Rural Employment & Trysem India's Developing Village, & Print House, Laucknow.
9. Murthy, K.L.N. (2003), Planning for Integrated Area Development : A Case Strudy from Andhra Pradesh, Atlantic Pub., New-Delhi.
10. Narayan, S. (2003), Dimensions of Development in Trabal: Bihar, B.R.Pub., Nwe Delhi.
11. Rajagopal, (2003), Indian Agriculture: An Analysis of Backword & Fore word linkages, B.R. Pub., New Delhi.

2. पत्रिका:-

1. Devi, R.Uma, A Study on Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana Scheme in Generating Self – Employment pportunities, IJSST Vol.1 No.9
2. Karamvir. Appraisal of SGSY. Indian Streems Research Journal, July 2013, ISSN 2230-7850, Vol.-3.Issue-6.

3. शासकीय प्रकाशन एवं प्रतिवेदन:-

1. Evaluation of SGSY in Selected Blocks of M.P., 2007, Planning Commission, New Delhi.
2. Report of the Committee on Credit Related Issued Under SGSY, February 2009, DoRD MoRD GOI.
3. वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, योजना आयोग, भारत सरकार।
4. वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. वार्षिक रिपोर्ट 2011-12, योजना आयोग, भारत सरकार।
6. वार्षिक रिपोर्ट 2011-12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. विशेष रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार।

4. वेबसाइट:-

1. www.rural.nic.in
2. www.planningcommission.gov.in
3. www.woridbank.org
4. www.cag.gov.in
5. www.indiastat.com

सारणी क्रमांक-1.1 - अध्ययन अवधि में न्यादर्श ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण

क्र.	सर्वेक्षित वर्ष	हितग्राहियों की संख्या			
		अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत
1	2006-07	25	14.29	6	13.33
2	2007-08	24	13.71	5	11.11
3	2008-09	14	8.00	7	15.56
4	2009-10	18	10.29	7	15.56
5	2010-11	32	18.29	8	17.78
6	2011-12	62	35.43	12	26.67
	योग	**175**	**100.00**	**45**	**100.00**

स्रोत : सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

क्र.	हितग्राही	न्यादर्श संख्या	संख्या (N)	मध्यमान (M)	t का मान	स्वतंत्रता के अंश (d.f.)	विश्वास स्तर	परिकल्पना
1	अजजा	175	6	29.17	0.307	10	.05= 2.23	स्वीकृत हुई
2	अजा	45	6	7.5			.01= 3.17	

आरेख क्र. - 1.1

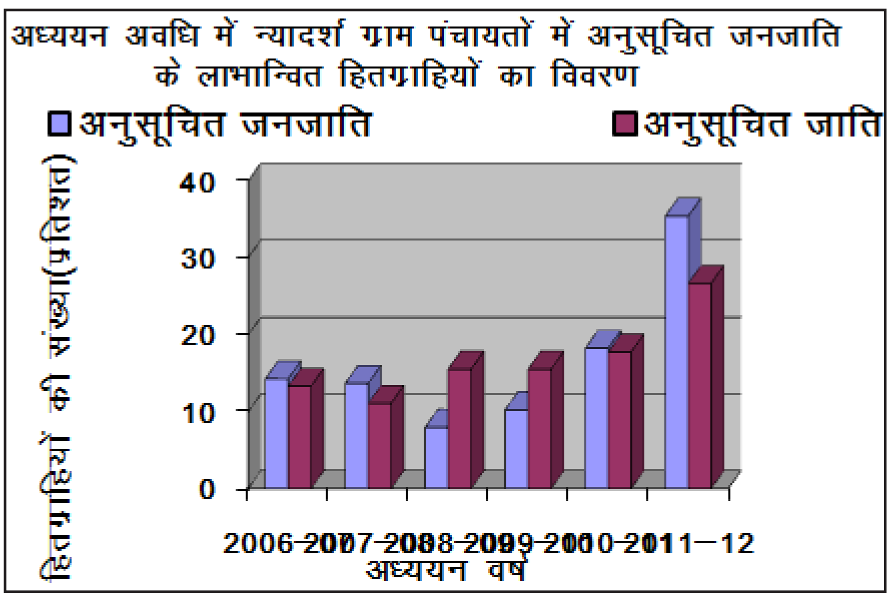

सारणी क्र.1.2 - सर्वेक्षित ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों के कार्यक्रमानुसार विवरण

क्र.	क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
		हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि क्षेत्र	43	24.57	12	26.67
2	लघु सिंचाई	45	25.71	8	17.78
3	पशुपालन	33	18.86	10	22.22
4	ग्रामीण उद्योग सेवा व्यापार	38	21.71	9	20.00
5	ग्रामीण शिल्प	16	9.14	6	13.33
	योग	175	100.00	45	100.00

स्रोत:- सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

आरेख क्र. – 1.2

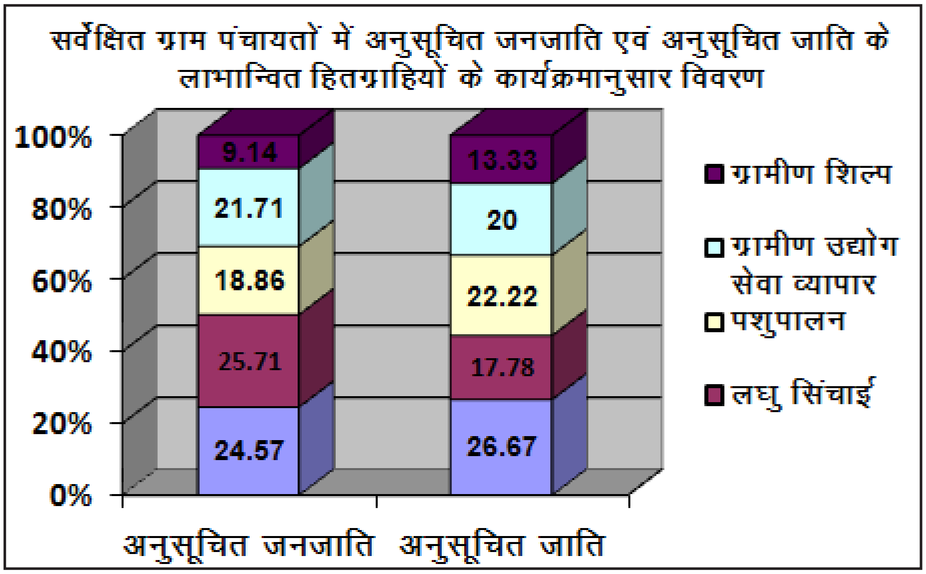

सारणी क्रमांक–1.3 सर्वेक्षित ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों का लिंग अनुसार विवरण

लिंग	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	हितग्राही संख्या	प्रतिशत	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
पुरूष	102	58.29	32	71.11
महिला	73	41.71	13	29.89

स्रोत:–सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

आरेख क्र. – 1.3 सर्वेक्षित ग्राम पंचायतों में अजा एवं अजजा हितग्राहियों का लिंग अनुसार विवरण

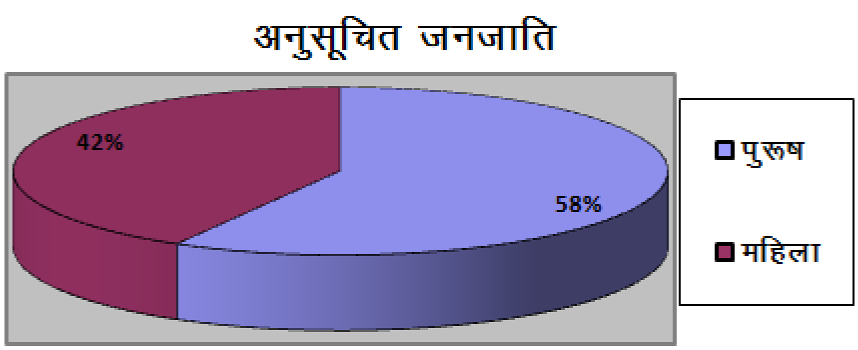

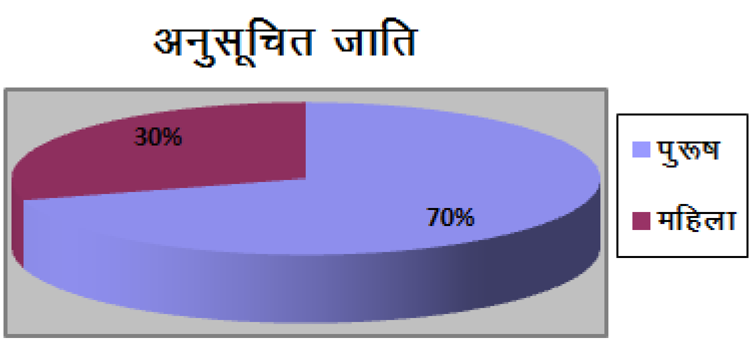

सारणी क्रमांक – 1.4 सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों का प्रशिक्षण अनुसार विवरण

जाति वर्ग	गैर प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	प्रशिक्षितों का विवरण		
		पैतृक/ प्रतिशत	निजी संस्था या स्वयं अनुभव/ प्रतिशत	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
अनुसूचित जनजाति	175	142 82.56	24 13.71	09 05.23
अनुसूचति जाति	45	23 51.11	16 35.56	6 13.33

स्रोत:– सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

आरेख क्र. – 1.4 – सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों का प्रशिक्षण अनुसार विवरण

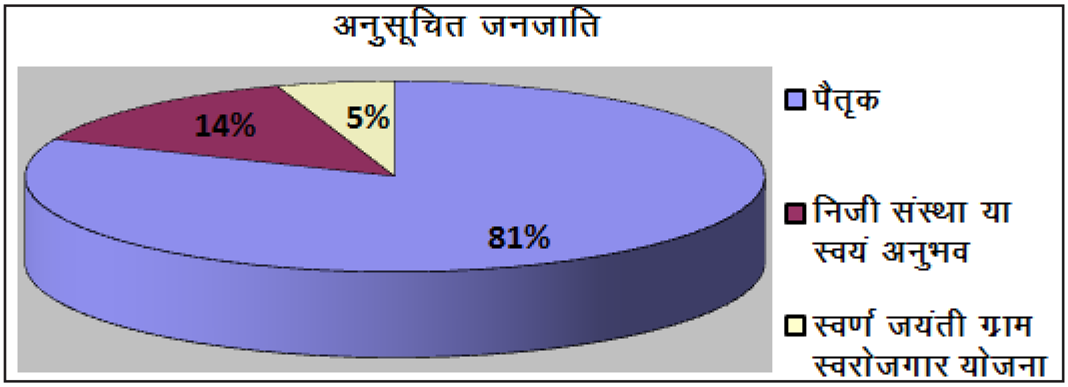

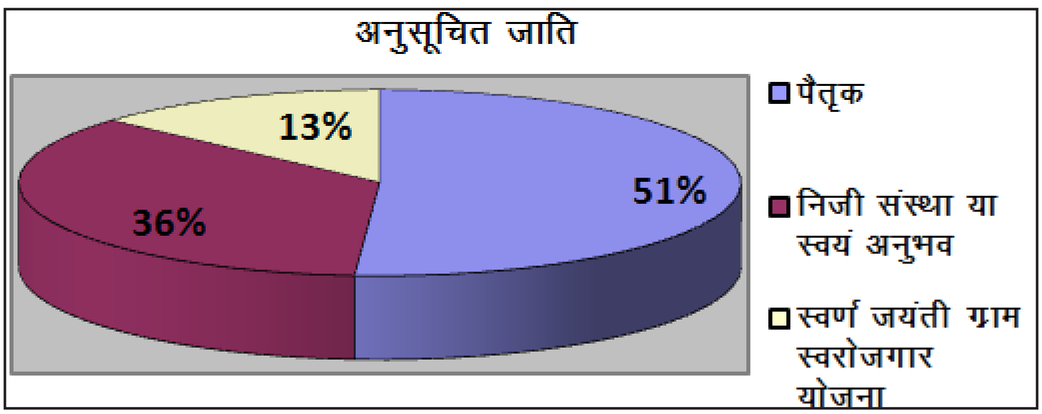

सारणी क्रमांक–1.6सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों के भूमिधारिता अनुसार विवरण

क्र.	विवरण	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
		हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	भूमिहीन	47	22.86	11	24.44
2	सीमान्त कृषक	116	66.86	28	62.23
3	लघु कृषक	12	10.28	6	13.33
	योग	175	100	45	100

स्रोत: सर्वेक्षित द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807,
E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Jan. to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XIX

आरेख क्र. – 1.6

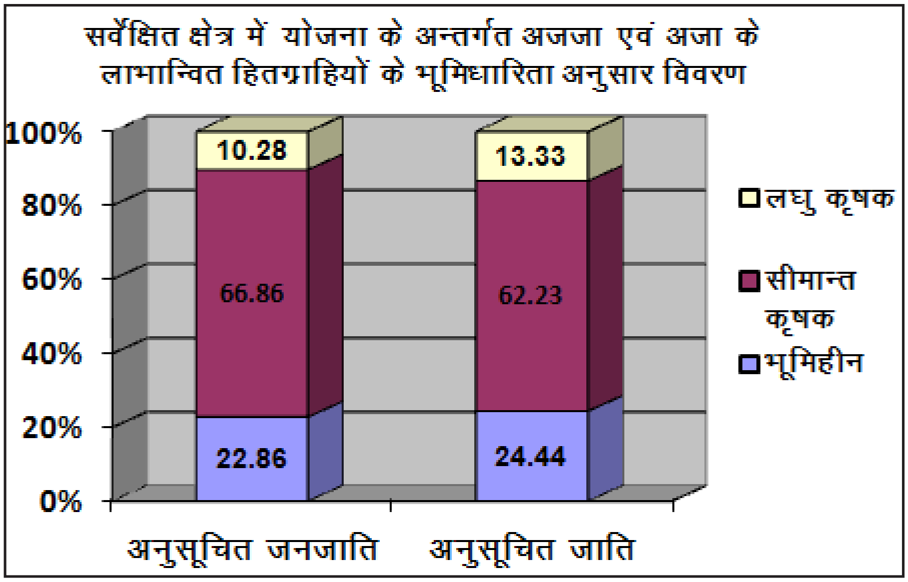

सारणी क्रमांक–1.7 सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों का आयु स्तर अनुसार विवरण

क्र.	आयु स्तर (वर्षों में)	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
		हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	21-30	42	24	8	17.78
2	31-40	72	41.14	18	40
3	41-50	31	17.71	12	26.67
4	51-60	18	10.29	4	8.88
5	61 से ऊपर	12	6.86	3	6.67
	योग	175	100	45	100

स्रोत–सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

आरेख क्र. – 1.7

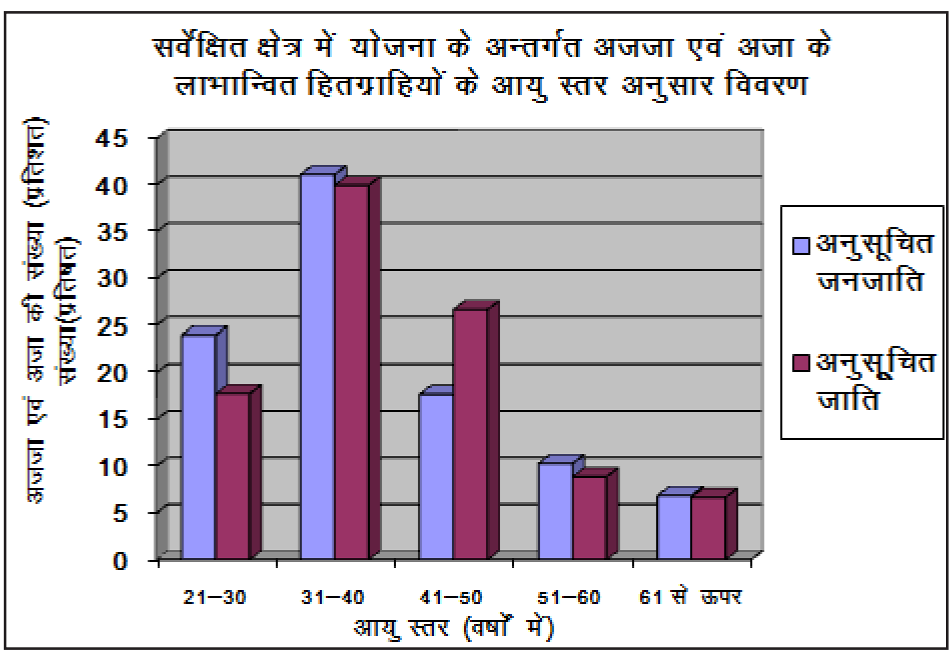

सारणी क्रमांक- 1.8सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अजजा एवं अजा के लाभान्वित हितग्राहियों का शैक्षणिक स्तर अनुसार विवरण

क्र.	शिक्षा का स्तर	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
		हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	निरक्षर	110	62.86	26	57.78
2	प्राथमिक	30	17.14	8	17.78
3	पूर्व माध्यमिक	12	6.86	6	13.33
4	हाईस्कूल	11	6.29	2	4.44
5	हायर सेकेण्डरी	7	4.00	1	2.22
6	स्नातक	4	2.29	1	2.22
7	स्नातकोत्तर	1	0.57	1	2.22
8	अन्य	0	0.00	0	0.00
	योग	175	100.00	45	100.00

स्रोत-सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडे.

आरेख क्र. - 1.8

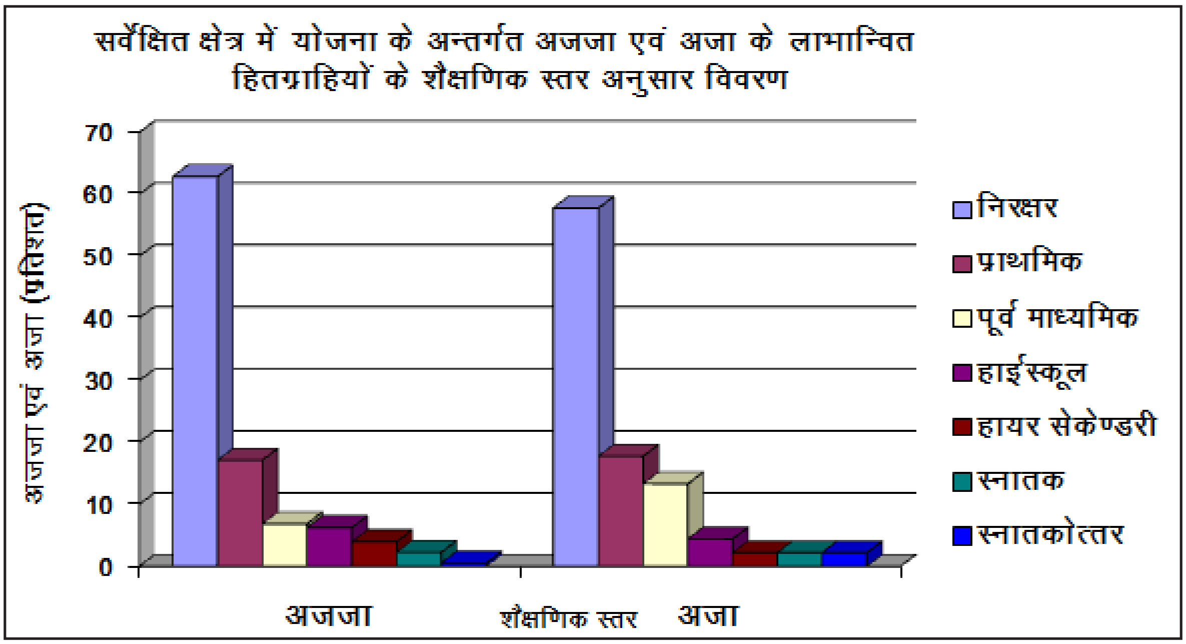

सारणी क्रमांक- 1.9 सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों के प्रदत्त ऋण वापसी की स्थिति

क्र.	शिक्षा का स्तर	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
		हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	भुगतान पूर्ण	47	26.86	20	44.44
2	भुगतान बंद	25	14.29	8	17.78
3	भुगतान जारी	103	58.86	17	37.78
	योग	175	100.00	45	100.00

स्रोत:सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

सारणी क्रमांक-1.10 सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों के ऋणग्रस्तता की स्थिति में परिवर्तन

क्र.	ऋण	अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति			
		2006-07 में हितग्राही संख्या	प्रतिशत	2011-12 में हितग्राही संख्या	प्रतिशत	2006-07 में हितग्राही संख्या	प्रतिशत	2011-12 में हितग्राही	प्रतिशत संख्या
1	शासकीय	9	5.14	145	82.86	5	11.11	13	28.89
2	अशासकीय	143	81.71	1	0.57	35	77.78	0	0.00
3	शासकीय+ अशासकीय	5	2.86	2	1.14	3	6.67	2	4.44
4	ऋण मुक्त	18	10.29	27	15.43	2	4.44	30	66.67
	योग	175	100	175	100	45	100	45	100

स्रोत:- सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

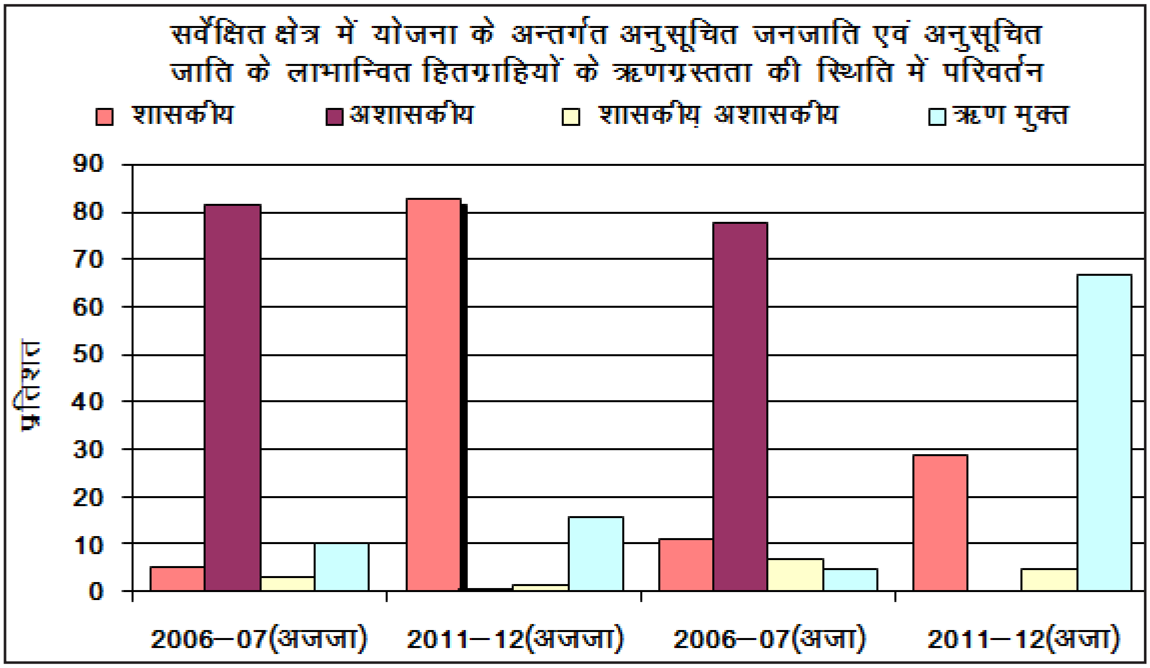

सारणी क्रमांक-1.11सर्वेक्षित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभान्वित हितग्राहियों के व्यवसाय की स्थिति

व्यवसाय की स्थिति	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	हितग्राही संख्या	प्रतिशत	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
विद्यमान व्यवसाय	156	89.14	32	71.11
बंद व्यवसाय	15	8.57	7	15.56
परिवर्तित व्यवसाय	4	2.29	6	13.33
योग	175	100.00	45	100.00

स्रोत:- सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

****

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) : भारत की कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक कदम

डॉ. रेणु जटाना* कन्हैया लाल**

प्रस्तावना – इस पत्र में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि जीएसटी किस प्रकार भारत की कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस हेतु सर्वप्रथम भारत की वर्तमान कर प्रणाली का अध्ययन करेगें ताकि हमें इस बात का ज्ञान हो सके कि 21 वी सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था को जीएसटी की जरूरत क्यों है। इसके बाद जीएसटी की विकास यात्रा का अध्ययन किया गया है, जिससे हमें ज्ञान होगा कि जीएसटी अपनी यात्रा प्रारंभ करनें के बाद किन किन पडावों को पार करके कैसे अंतिम पडाव तक पहुंचे है। फिर जीएसटी सें संबंधित विभिन्न पहलुओ का अध्ययन किया गया है जैसे कि जीएसटी क्या है ? इसके उद्देश्य क्या है ? इसके अहम प्रावधान क्या है ? कर संरचना कैसी रहेगी ? यह किन-किन करो का समावेश करेगी ? इत्यादी। इसके पष्चात् जीएसटी के संभावित लाभो एवं कमियों को समझने का प्रयास करेगे। इसके साथ ही जीएसटी सें संबधित राज्यों की आषंका को रेखाकित किया गया है तथा यथा संभव उनका निराकरण करने का भी प्रयास किया गया है । इसमे जीएसटी मार्डल के विभिन्न पहलु को समझने तथा इनके सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष को जानने का भी प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – कर प्रणाली, जीएसटी, मार्डल, अर्थव्यवस्था ।

भारतीय कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष करों संबंधी वर्तमान परिदृष्य – साधारण भाषा में अप्रत्यक्ष कर/परोक्ष कर, वह कर होता है जिसका कराघात व करापात अलग-अलग बिन्दु पर होता है। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाये तो, अप्रत्यक्ष कर वस्तु/सेवा के उत्पादन, स्थानान्तरण, भंडारण, क्रय-विक्रय, उपभोग इत्यादी पर आरोपित कर है।

भारतीय कर प्रणाली का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि भारत में प्रत्यक्ष करों की दरें इतनी अधिक है कि अब इन्हे बढ़ाने के अवसर अतिसीमित है। जबकि दुसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाना आसान है क्योंकि:-

1. अप्रत्यक्ष कर सामान्यता: मूल्य आधारित होते है।
2. इनकी चोरी करना कठिन कार्य है।
3. आर्थिक विकास के साथ इनका दायरा स्वत: बढ़ जाता है।

नतीजतन भारत में समय-समय पर कई नये प्रकार के अप्रत्यक्ष कर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा लागू किये गयें। भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख अप्रत्यक्ष कर निम्न प्रकार है:-

केन्द्र – सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर इत्यादी।

राज्य – वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, यात्री कर, विद्युत कर, मनोरंजन कर इत्यादी।

भारत में सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अत: भारतीय कर संरचना में अप्रत्यक्ष करों की प्रधानता रही है। अप्रत्यक्ष कर, राजस्व प्राप्ति का आसान एवं प्रभावी साधन हो सकता है लेकिन अप्रत्यक्ष करों की अपनी कुछ सीमाए भी है। जिन्हें नजर अंदाज नही किया जा सकता, ये कमिया है:-

1. अप्रत्यक्ष करो के प्रभाव अवरोही होते है। अर्थात् इन करो का भार गरीबो पर ज्यादा पड़ता है। जिससें समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती है। तथा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसें किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। अर्थात् यह अन्यायपूर्ण है।
2. अप्रत्यक्ष कर सामान्यत: मुल्य आधारित होते है। जिससे ये कीमतों में वृद्धि करतें है नतीजतन देश में मंहगाई बढ़ती है।
3. कुछ मामलों में (जैसे चुंगी) अप्रत्यक्ष करो से जितनी राजस्व वसुली होती है। उससे ज्यादा वसुली खर्च आता है अर्थात् संसाधनों का अपव्यय होता है।
4. अप्रत्यक्ष करों में एकरूपता का अभाव होता है। अर्थात् अलग-अलग राज्य द्वारा अलग-अलग कर की वसुली की जाती है। नतीजतन व्यापारी वर्ग अपने आप को ठगा महसुस करता है। जिससे आर्थिक जगत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
5. भारतीय कर संरचना मे अप्रत्यक्ष करो की बढ़ती संख्या अर्थव्यवस्था में जटिलता उत्पन्न कर रही है। भारत में जैसे-जैसे करों की संख्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे नीति-नियमों की संख्या भी बढ़ी है। नतीजा, अर्थव्यवस्था में अत्यधिक नियमों के कारण जटिलता का माहौल बन गया है जिससे अफसरशाही हावी हो जाती है। इस प्रकार नियमों की जटिलता भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।

भारत में जीएसटी की आवश्यकता क्यों है – सामान्यत: सरकार को अपनी कर संरचना इस प्रकार नियोजित करनी चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जायें तथा अप्रत्यक्ष करों में कमी की जायें। भारत में अप्रत्यक्ष करों को तदर्थ के रूप में प्रारंभ किये थे अत: इनसें संबंधित कोई दीर्घकालीन नीति का निमार्ण नही किया गया। समय के साथ जैसे-जैसे आर्थिक प्रगति बढ़ती गई वैसे-वैसे कई तरह के अप्रत्यक्ष करों की बाढ़ आ गई। भारतीय कर राजस्व के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते है जो निम्न प्रकार है:-

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर का अनुपात (केन्द्र सरकार)
1950	56.5 %
1987	82.5 %

* अधिष्ठाता (बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग) यू सी सी एम एस, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (आर्थिक प्रशासन व वित्तिय प्रंबध विभाग) राजकीय महाविद्यालय, सिरोही (राज.) भारत

1990	78.4 %
2000	62.9 %
2006	51.9 %

स्त्रौत: भारत सरकार के बजट

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते है कि भारत में 90 के दशक से पूर्व अप्रत्यक्ष करों की प्रधानता रही है। तथा नई आर्थिक नीति 1991 के बाद इसके घटने की प्रवृति रही है। लेकिन वर्तमान में फिर से सेवाकर के बढते दायरें के कारण अप्रत्यक्ष करों का अनुपात बढ़ने की संभावना है। जो कि अच्छा संकेत नहीं है। आज के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के युग में भारतीय कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष करों का जो ढाचां है, उसकी पुन: समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। भारत की वर्तमान कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष करों की स्थिति तथा आकार को देखते हुए, उसमें सुधार करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है। अप्रत्यक्ष करों की अपनी कुछ कमियां है, जिन्हें संपूर्ण रूप से दूर तो नहीं किया जा सकता लेकिन कर संरचना में प्रणाली बदलाव करके उनके दुष्प्रभाव को कम जरूर कर सकते है। भारत को यदि 21वी सदीं मे वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरना है तो भारत को 21वी सदी के प्रारंभ में ही कुछ ठोस तथा प्रभावी कदम उठाने पडेगे। जीएसटी इन्ही प्रभावी कदम/ निर्णय में से एक है। आज हमें अप्रत्यक्ष करों की जटील व अव्यवस्थित ढांचे के स्थान पर एक उन्नत कर प्रणाली जीएसटी की जरूरत है, जो पुरे राष्ट्र को एकरूपता के धागे में पिरो सके। जीएसटी एक राष्ट्र, एक बाजार तथा एक कर की धारणा पर आधारित है। कर सरचंना मे सरलीकरण, तीव्र आर्थिक विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मध्यनजर जीएसटी भारत की अनिवार्य आवष्यकता बन गई है।

जीएसटी की समसामयिकि – भारत में जीएसटी का इतिहास देखने पर पता चलता है कि इसकी शुरूआत वर्ष 2003 से हो गई थी। लेकिन जीएसटी को अपने अंतिम पड़ाव तक आते-आते काफी समय लग गया। जीएसटी के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव निम्नलिखित है:-

1. वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कर सुधार हेतु केलकर समिति का गठन किया गया।
2. 28 फरवरी 2006 को तत्कालीन वित मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से लागु करने की घोषणा की तथा जीएसटी हेतु एक नई एम्पार्वड कमेटी का गठन किया गया।
3. 10 नवम्बर 2009 को कमेटी ने जीएसटी से संबंध में अपना पहला परिचर्चा पत्र जारी किया, ताकि सभी पक्षों की आम राय ली जा सके
4. मार्च 2011 में यूपीए सरकार ने जीएसटी को संविधान (115 वां) संशोधन बिल के रूप में लोकसभा में रखा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उस बिल को वहां से वित की स्टैण्डिंग कमेटी के पास परीक्षण हेतु भेजा गया।
5. 15 वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही 115 वां संविधान संशोधन बिल 2011 भी समाप्त हो गया।
6. मई, 2014 में मोदी सरकार का गठन हुआ।
7. 19 दिसम्बर 2014 को वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने लोकसभा में संविधान (122 वां) संशोधन बिल 2014 रखा।
8. सितम्बर,2016 आधे से अधिक राज्यों से सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी सहमति प्रदान की जिससे 122 वां संविधान संशोधन बिल अब संविधान (101 वां) संशोधन अधिनियम बना।
9. 15 सितम्बर 2016 को महामहिम राष्ट्रपति ने जीएसटी परिषद् का गठन किया।
10. 8 नवम्बर 2016 को जीएसटी पोर्टल प्रारंभ हुआ।
11. 29 मार्च 2017 लोकसभा ने जीएसटी से संबंधित चारो बिल यथा: सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी तथा जीएसटी मुआवजा बिल पारित हुए।
12. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत मे लागू।

जीएसटी से संबंधित विभिन्न आयाम/पहलु – इस शीर्षक में हम जीएसटी से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे, ताकि जीएसटी के बारें में एक सामान्य समझ विकसित की जा सकें। जीएसटी के संबंधित विभिन्न पहलु निम्न प्रकार है:-

(i) जीएसटी क्या है – जीएसटी से पूर्व भारतीय कर प्रणाली के अनुसार, देश में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग तरह के कई कर वसुले जातें है। ये कर कई स्तरों पर लिये जाते है। जिससे न केवल महगांई बढ़ती है बल्कि कर संबंधी उलझन भी बढ़ती है। नतीजतन कारोबारी परेशानी महसुस करता है। जीएसटी को इसके समाधान के रूप में देखा जा रहा है। जीएसटी लागु होने के बाद न केवल ऐसी तमाम तकलीके खत्म हो जाएगी बल्कि कर प्रणाली में एकरूपता भी आएगी। इस प्रकार जीएसटी एक राष्ट्र, एक बाजार तथा एक कर की कल्पना साकार करेगी। जीएसटी संपूर्ण भारत में इकलौता अप्रत्यक्ष कर होगा, जो केन्द्र व राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। जीएसटी में आपूर्तिकर्ता, उत्पादक एवं सेवा-प्रदान के द्वारा कर का भुगतान प्रारंभिक बिन्दु पर ही किया जा सकेगा। अब केन्द्र व राज्य सरकारों एक साथ समस्त उत्पाद श्रृंखला पर जीएसटी लगायेगी। केन्द्रीय जीएसटी को केन्द्र द्वारा वसुला जायेगा तथा राज्यों के द्वारा राज्य स्तर पर होने वाले कारोबार पर जीएसटी लागु किया जायेगा।

(ii) कर की विधि – जीएसटी एकमात्र कर है जो वस्तु व सेवाओं की पूर्ति पर सीधा उत्पादक से उपभोक्ता तक जाता है। जीएसटी आपूर्ति मुल्य पर गणना किया जाता है अत: जीएसटी द्वारा पंजीकृत व्यापारी को उनकी सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय पर चुकाये गये जीएसटी के मुल्य पर कर जमा अधिशेष कर वापसी का प्रावधान देती है। कर योग्य वस्तुओं व सेवाओं में अन्तर नहीं किया जायेगा तथा पूर्ति श्रृंखला वितरण में उपभोक्ता तक वस्तु व सेवा पहुचने तक एक समान दर से कर वसुला जाता है। चुंकि प्रत्येक स्तर पर चुकाए गए करों की कर जमा वृद्धि के अगले चरण पर उपलब्ध होगी तथा जीएसटी को एक आवश्यक कर बनाते हुए प्रत्येक स्तर की मात्रा मुल्य वृद्धि पर लागू होगा।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर आरोपित करने का प्रशासनिक दायित्व सामान्य रूप से एक नियामक संस्थान के पास होगा। निर्यात को कर की शून्य दर पर पूर्ति के रूप में माना गया है। जबकि आयात पर कर घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं की तरह भारतीय कर सिद्धान्तों का अनुसरण करके वसुला जायेगा। ध्यान रहे कि कस्टम ड्युटी, जीएसटी में शामिल नहीं है।

(iii) जीएसटी का उद्देश्य/प्रयोजन – भारतीय कर प्रणाली का प्रचलित ढ़ाचां जटिल प्रकृति का है। जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु व सेवा पर भिन्न-भिन्न प्रकार के कर आरोपित किये जाते है। जिससे न केवल वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। बल्कि कर वंचन को भी बढ़ावा मिलता है। कर ढ़ांचे की इस जटिलता को समाप्त करना एवं कर वंचन को प्रभावी ढंग से रोकना ही जीएसटी की प्राथमिकता है। तथा जीएसटी का मुलभूत उद्देश्य भारतीय कर प्रणाली में एक राष्ट्र, एक बाजार तथा एक कीमत की परिकल्पना को साकार करना है।

(iv) जीएसटी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान – यह निम्नलिखित है:–

1. जीएसटी से संबंधी चार बिल है : सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी तथा मुआवजा कानुन का बिल। इसमें से सेंट्रल जीएसटी का संबंध केन्द्रीय स्तर की गतिविधियों से है। इंटीग्रटेड जीएसटी एक राज्य से दूसरे को आपूर्ति पर लगेगा। यूटी जीएसटी का संबंध केन्द्र शासित प्रदेश तथा चंड़ीगढ़, लक्ष्यद्वीप, अंडमान–निकोबार, दादर–नागर हवेली तथा दमण–दीव है। एवं मुआवजा बिल, मुआवजे से संबंधित है।
2. जीएसटी बिल में निम्न दरे है: 0%, 5%, 12%, 18 % एवं 28 %। हालांकि बिल में अधिकतम 40% दर का भी प्रावधान है यह प्रावधान भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार ने डिमेरीट गुडस जैसे:– तंबाकु, पान मसाला, लकजरी कार, कार्बोनेटेड डिक्स इत्यादी पर 28 कर के अलावा सेस का भी प्रावधान किया है। जबकि दैनिक की वस्तु पर 0% या 5% की दर से कर लगेगा।
3. इस बिल में जीएसटी परिषद् के गठन का प्रावधान भी है जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष तथा सभी राज्यों दिल्ली व पाण्डुचेरी सहित के वित्त मंत्री सदस्य होगे। जीएसटी तथा परिषद् के सभी निर्णय सर्व सहमति से लिय जायेगें।
4. इस बिल में जीएसटी विवाद निवारण, प्राधिकरण का भी प्रावधान है। यह प्राधिकरण 3 सदस्य वाला होगा जिसमें 1 अध्यक्ष पूर्व न्यायधीश (एस सी) या पूर्व मुख्य न्यायधीष (एच सी) तथा 2 सदस्य आर्थिक विषेषज्ञ तथा कानुन विशेषज्ञ होगे। यह प्राधिकरण केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विवाद तथा राज्य–राज्य के मध्य के विवादो का निपटारा करेगा।
5. जीएसटी पर कानुन बनाने का अधिकार केन्द्र व राज्य दोनो के पास है। लेकिन प्राथमिकता केन्द्र को दी गई है।
6. ई–कामर्स पर भी जीएसटी लगेगा।
7. छोटे व्यापारियों को राहत दी गई है।
8. मुनाफाखोरी पर लगाम रखने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया गया है।
9. चुंकी जीएसटी की पहली प्राथमिकता कर वंचन को रोकना है। अत: बिल में इस दिशा में कड़े प्रावधान किये गये है। अत: व्यवहार छिपाने या कर चोरी करने पर, दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
10. बिल में जीएसटी का दोहरा माडॅल प्रस्तावित है। अर्थात सेंट्रल जीएसटी का आरोहण तथा संग्रहण केन्द्र द्धारा किया जायेगा। स्टेट जीएसटी का आरोहण तथा संग्रहण संबंधित राज्य द्धारा किया जायेगा। विवाद की स्थिति में जीएसटी विवाद निवारण प्राधिकरण अपनी भूमीका निभायेगा।
11. जीएसटी नेटवर्क: यह एक गैर लाभकारी संगठन द्धारा बनाया गया जीएसटी से संबंधित सिंगल पोर्टल है। जो स्कन्धधारी, सरकार, करदाता को एक साझा मंच प्रदान करेगा। सभी व्यवहारों की निगरानी सरकार इसी के माध्यम से करेगी तथा करदाता अपनी कर अदायगी व कर वापसी भी इसी के माध्यम से करेंगे। इस नेटवर्क को निजी फर्म ने विकसित किया है सरकारी अनुबंध के अन्तर्गत है।

जीएसटी में समावेश किये गये कर:–

जीएसटी लागु होने के बाद अग्रलिखित करो का स्थान, जीएसटी लेगी:–

केन्द्र:–

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
सेवा कर
अतिरिक्त सीमा शुल्क
टेलीकॉम लाइसेन्स फीस
सेस/सरचार्ज

राज्य:–

राज्य बिक्री कर
स्टाम्प डयुटी
मनोरंजन कर
विलासिता कर
प्रवेश शुल्क
लाटॅरी व जुएॅ पर कर
वाहन पंजीकरण शुल्क
भूमि पंजीकरण शुल्क
सेस/सरचार्ज

जीएसटी के संभावित लाभ:–

1. सरकार:

1. आनलॉइन प्रक्रिया होने से कर वंचन कर चोरी में कमी आयेगी।
2. करदाता की संख्या बढ़ने से कर आधार भी बढ़ेगा जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।
3. जीएसटी से राष्ट्रीय आय में 1.5 से 2 अतिरिक्त वृद्धि की संभावना है। अर्न्तराष्टीय मौद्रिक कोष ने भी इसका समर्थन किया है।
4. जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था एक कार्मन मार्केट में बदल जायेगी जिससे भारतीय कंपनिया ज्यादा प्रतिस्पर्धी साबित होगी तथा जिससे भारतीय निर्यात में लगभग 4–6 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे अन्तत: भुगतान संतुलन भी अनुकूल होगा।
5. आर्थिक गतिविधयां बढ़ने पर रोजगार का सृजन भी होगा।
6. राज्यों को सेवा से संबंधित जीएसटी में भी हिस्सा मिलेगा, जिससे राज्यों की आय में वृद्धि होगी ।
7. जीएसटी, एक उन्नत कर प्रणाली है। जिससे भारत का आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धि दोनो बढ़ेगी।
8. जीएसटी का ढ़ाचां तकनीक युक्त है अत: इससे प्रशासन में सुविधा तथा प्रभावी नियत्रंण संभव होगा।
9. उत्पादन लागत में कमी होने से महगांई भी कम होगी।

2. व्यापारी वर्ग को लाभ:–

1. उद्योगो की उत्पादन लागत में कमी आयेगी, जिससे उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
2. कर–प्रणाली में एकरूपता स्थापित होने से, व्यापार संबंधी जटिलता समाप्त होगी, जिससे व्यापार करना आसान व सरल होगा।
3. पंजीकरण, कर अदायगी, कर वापसी सभी चीजें आनलाइन होने से पारदर्षिता बढ़ेगी तथा इंसपेक्टर राज मे कमी आयेगी।
4. समान कर व्यवस्था से भारत के किसी भी कोने में व्यापार करना आसान रहेगा।

5. दोहरा करारोपण व छिपे हुए कर समाप्त होने से लागत में कमी होगी जिससे व्यापार की प्रतिस्पर्धा शक्ति में वृद्धि होगी।
6. कागजी कारवाई में कमी होने से भ्रष्टाचार पर भी नकेल लगेगी।

(ल) उपभोक्ता को लाभ – कर की दरों में कमी व व्यापार की सरलता से उपभोक्ता को अप्रत्यक्ष रूप से वे सभी लाभ प्राप्त होगे जो सरकार व व्यापारी को प्राप्त हुए है। साथ ही कर भार में 20–30 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है जिसका परिणाम उपभोक्ता को सस्ती दर पर वस्तु व सेवा उपलब्ध होगी।

जीएसटी के संभावित खतरे/हानियां:–

(i) अधिकारो के दुरूपयोग की संभावना सदैव बनी रहेगी विशेषकर गिरफतारी के मामले मे।
(ii) मुनाफाखोरी पर बेहद सख्त प्रावधान है तथा व्यापारी वर्ग मे असंतोष है अत: इसके प्रतिकूल परिणाम आ सकते है।
(iii) जीएसटी में एक राष्ट्र एक कर की कल्पना है लेकिन प्रस्तावित ढ़ाचें में कर की चार दरे है जो तर्कसंगत नही है।
(iv) दुनिया के अन्य देशो में जीएसटी की दरे काफी कम है जैसे: जापान से 10 प्रतिशत, सिंगापुर में 7 प्रतिशत, जर्मनी में 19 प्रतिशत अत: तुलनात्मक रूप से भारत में जीएसटी की दरें अधिक है। अत: अत: महगांई बढ़ सकती है।

जीएसटी से संबंधित राज्यों की आशंकाए – प्रारंभ मे ही कई राज्यो द्वारा जीएसटी का विरोध किया गया है। राज्यो का यह विरोध बेबुनियाद नही है उनकी बिल से संबंधित कुछ आशंकाए है। जो निम्नलिखित है:–

1. चुंकि नये प्रावधान के अनुसार जीएसटी की दरे अब जीएसटी काउन्सिल निर्धारित करेगी अत: राज्यो को आशंका है कि कर संबंधी उनकी स्वायत्ता कम हो जायेगी।
2. राज्य सरकार उपकर/अधिभार लगाने से वंचित हो जायेगी। जिससे उनके कर राजस्व कम हो जायेगे।
3. राजस्वों की कमी होने पर राज्य संचालन में असुविधा होगी।
4. छोटे राज्यो पर जीएसटी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

खंण्डन – उपरोक्त आशंकाओ का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि राज्यो की आशंकाए अर्थात धरातल पर सही साबित नही होगी क्योकि:–

1. राज्यो की कर स्वायता की आशंका निमूर्ल है क्योकि जीएसटी दरो का निर्धारण जीएसटी काउन्सिल मे सर्व–सम्मति से होगा तथा जीएसटी काउन्सिल में राज्यो का प्रतिनिधित्व है।
2. राज्यो के राजस्व में कमी की आशंका थी लेकिन केन्द्र ने उसकी भरपाई हेतु मुआवजा बिल पारित कर लिया है।

निष्कर्ष – वर्तमान परिदृष्य मे जीएसटी एक उन्नत कर प्रणाली है। जिसके संभावित लाभ उसके संभावित हानियो से कई गुणा ज्यादा है। भारतीय कर प्रणाली की जटिलता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी युग में जीएसटी भारत के लिए सुविधा कि जगह अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। जीएसटी की सहायता से भारत वैश्वीकरण के दौर में विकसित देशो के साथ कदमताल मिला सकेगा। सरकार के अथक तथा सतत् प्रयासों का नतीजा है कि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी पुरे देश में प्रभावी रूप से लागु हो गया है। जीएसटी को आजादी के बाद कर सुधारो में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अत: उम्मीद की जाती है कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 Aggarwal, K. (2017). GST: The Concept and Features of GST. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal 4(1) ISSN 2319-4979, Volume 03, Issue 01, Page No:51-53.
2 Asthana, G. R. (2013). Goods and Service Tax (GST) - impact, challenges and opportunities, International journal of business management and scientific Research. Vol: 25, 51-64.
3 Asthana, G. R. (2013). Goods and Service Tax (GST) - impact, challenges and opportunities, International journal of business management and scientific Research. Vol: 25, 51-64.
4 Bohra, T. (2014). The Goods and Services Tax and Its likely impact on Indian Economy, International Journal of Economic Issues, Vols. 7, No. 2, 279-286.
5 Chaurasia P., Singh S. and Sen K.P.(2016). Govt Of India- Goods and Service Tax (GST) In India–A Landmark Tax Reform, International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), Volume-III, Issue-II, 265-274.
6 Chouhan V. (2017). Review Article Goods and Services tax in India: an Opportunities and Challenges, International Journal of Current Research, Vol7, Issue, 11, 23347-23349.
7 Jaisheela. (2014). Goods and Service Tax (GST) in India: Need & Hurdles, International Serial Directories International Journal in Management and Social Science, Vol.04 Issue-07, 611-620.
8 Nath B. (2017). Goods and services tax: A milestone in Indian economy, International Journal of Applied Research, Vol.3 (3), pp.699-702
9 Srinivas, K.R. (2014). Goods and service tax in India: problems and prospects, Asian Journal of Management Research, Volume 6 Issue 3, 504-510.

****

फास्ट फूड का उपभोग कर रहे बालक-बालिकाओं का नैदानिक परीक्षण एक अध्ययन (सागर शहर के संदर्भ में)

डॉ. आराधना श्रीवास *

शोध सारांश - विकासशील देशों में जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग कुपोषण से प्रभावित रहता है। कुपोषण का स्तर क्या है, किस उम्र वर्ग में कुपोषण अधिक होता है, किस आय वर्ग में अल्पपोषण या अतिपोषण दिखाई देता है, किस लिंग में कुपोषण अधिक होता है, यदि ये सारे आंकड़े एकत्र करना है तो व्यक्तियों के समूह के पोषण का स्तर जानना पड़ता है पोषण स्तर को जानने के लिए प्रथम विधि नैदानिक परिक्षण है जिसमें व्यक्ति के समूह के पोषण का स्तर जानने के लिए प्रथम विधि नैदानिक परिक्षण किया जाता है। दूसरी विधि मानवमिति परीक्षण है जिसमें व्यक्ति को वजन, ऊँचाई, सिर की गोलाई, छाती का माप, स्किनफोल्ड थिकनेस, आर्म सरकमफरेन्स का माप लेकर लिया जाता है। तीसरी विधि बायोकैमिकल एसैसमेन्ट परीक्षण है जिसमें पोषण के स्तर को जानने के लिये कुछ बायोकैमिकल विधियों का उपयोग किया जाता है। चौथी विधि डाईट सर्वे है जिसमें पोषण स्तर को जानने के लिये डाइट सर्वे किया जाता है। पाँचवी विधि सोशियोइकोनॉमिक सर्वे विधि है जिसमें पोषण का स्तर जानने के लिये व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्थिति को जाना जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में नैदानिक परीक्षण का उपयोग कर बालक बालिकाओं की कुपोषण की स्थिति को ज्ञात किया गया।

प्रस्तावना - पोषण के अध्ययन में विषय वस्तु के रूप में मनुष्य के आहार अर्थात् भोजन, भोज्य पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों जैसे - प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवणों का अध्ययन व आहार से शरीर को प्राप्त ऊर्जा (कैलोरी) का अध्ययन किया जाता है। पोषण विषयवस्तु के रूप में न केवल पोषण के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समुचित पोषण अथवा कुपोषण, अल्पपोषण एवं अत्यधिक पोषण के कारण शरीर पर उसके अच्छे या बुरे प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है अत: स्पष्ट है कि पोषण के विषयवस्तु के रूप में प्रमुख्य रूप से आहार, आहार आचरण, विभिन्न विधियों से पोषण का निर्धारण, कुपोषण के फलस्वरूप व्यक्ति के शारीरिक विकास की स्थिति तथा रूग्णता का अध्ययन किया जाता है।

नैदानिक परीक्षण में व्यक्ति का बाहरी तौर पर परीक्षण कर हीनता के लक्षण देखे जा सकते हैं। इस तरह के एसैसमेंट के लिये किसी भी तरह के यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति के शरीर का उसकी त्वचा, बाल, चेहरा, आँखे, होंठ, जीभ, दाँत, मसूड़े, नाखून, ग्रंथियाँ आदि का बाह्य तौर पर परीक्षण कर उसके पोषण का स्तर जाना जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में मैंने नैदानिक परीक्षण से बालक-बालिकाओं का अध्ययन किया गया है।

मुखर्जी व अन्य (2008) ने पूने के एक आर्मी स्कूल में बच्चों के पोषण स्तर को ज्ञात करने के लिये एक अध्ययन किया और यह पाया गया कि 13.8 प्रतिशत बच्चे दुबलेपन (Stunting)एवं 6.7 प्रतिशत (Wasting)मोटेपन तथा 9.87 प्रतिशत बच्चे अल्पपोषण के शिकार थे अध्ययन में यह सामने आया कि माता का शैक्षणिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर तथा परिवार का आकार पोषण स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित थे।

FAO के महानिर्देशक **डॉ. एडवर्ड सामा** के अनुसार विश्व में प्रति मिनिट 150 बच्चे जन्म लेते हैं स्पष्टत: विश्व की आबादी में प्रतिदिन 2 लाख, 16 हजार की दर से वृद्धि हो रही है देश में एक वर्ष में पैदा होने वाले 20 लाख बच्चों में से 6 लाख बच्चे कम वजन होने के कारण एक वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक मर जाते हैं। विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है जबकि हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है। इतनी बड़ी जनसख्या के लिये बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना आसान नहीं है। जीवन को बनाये रखने के लिये स्वास्थ्य आवश्यक पहलू है। म.प्र. में स्वास्थ्य सेवाओं पर 2000 में 293.92 करोड़ रू. एवं 2001 में 241.53 करोड़ रूपये व्यय हुआ।

कुपोषण के मामले में म.प्र. की स्थिति ठीक नहीं है प्रदेश में 75 प्रतिशत आदिवासी बच्चे एवं 38.2 प्रतिशत महिलायें कुपोषण की शिकार है। इनमें से 42 प्रतिशत आबादी भरपेट भोजन न मिलने के कारण और संक्रामक रोगों के कारण कुपोषित है। म.प्र. देश के सर्वाधिक बाल मृत्युदर वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेटकाम प्रशिक्षण द्वारा कुपोषित बच्चों, अति कुपोषित गर्भवती माताओं एवं अल्प पोषित बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण करने एवं उनकी नियमित देखरेख हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन एवं आवास व्यक्ति को स्वस्थ्य जीवन जीने में अहम् भूमिका निभाते हैं।

यह पाया कि स्कूली छात्राओं को विटामिन 'ए' एवं आयरन की खुराक दिये जाने पर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है।

डॉ. कोठारी नंदिनी व सिंह प्रगति (इन्दौर) 2004 के अनुसार बालक-बालिकाएँ अपनी अवधारणा के आधार पर भोजन ग्रहण करते हैं व पोषण प्राप्त करते हैं परन्तु इन अवधारणा को कई कारक प्रभावित करते हैं जिसके कारणवर्ष वे कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं एक निम्न स्तरीय पोषण स्तर के कारण बालक-बालिकाएँ कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जैसे-एनीमिया, मोटापा आदि। मुजफ्फर नगर में किये गये अध्ययन से ये निष्कर्ष पाया गया कि बाल्यावस्था में बालक-बालिकाएँ अपने भोजन में प्रचलित आधुनिक खाद्य पदार्थो फास्ट-फूड का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं जिसके

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरु महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

कारणवश इनका पोषण स्तर प्रभावित होता है जिससे उनमें कुपोषण के साथ अन्य रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य–प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालक–बालिकाओं द्वारा लिये जा रहे फास्ट फूड से होने वाले प्रभावों को ज्ञात करना।

अध्ययन की उपकल्पना– फास्ट फूड का बालक–बालिकाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन की विधि–प्रस्तुत अध्ययन 150 बालकों व 150 बालिकाओं पर किया गया। इसमें प्रत्येक बालक–बालिकाओं का नैदानिक परीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसमें मैनें प्रत्येक बालक–बालिकाओं की त्वचा, बाल, दाँत, पाचन, आयरन की कमी, विटामिन 'ए' की कमी तथा विटामिन 'सी' की कमी की जाँच की। बालक–बालिकाओं'का चयन दैव निर्दशन विधि द्वारा किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण–तालिका क्र. 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

नैदानिक परीक्षण –तालिका क्र. 1 नैदानिक परीक्षण से सम्बन्धित है इसमें बालक व बालिकाओं का कुपोषण स्तर, त्वचा, बाल, दाँत, पाचन, आयरन की कमी, विटामिन A, B, व C की कमी को दर्शाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य बनावट के अन्तर्गत कुपोषण के प्रथम स्तर में बालकों की संख्या 54(36 प्रतिशत), बालिकाओं की संख्या 55(36.66 प्रतिशत) तथा सम्मिलित रूप से बालक व बालिकाओं की संख्या 109(36.33 प्रतिशत) पायी गयी। कुपोषण द्वितीय स्तर के अन्तर्गत बालकों की संख्या 36(24 प्रतिशत), बालिकाओं की संख्या 37(24.66 प्रतिशत) तथा सम्मिलित रूप से 73(24.33 प्रतिशत) पायी गयी। कुपोषण के तृतीय स्तर में बालकों की संख्या 15(10 प्रतिशत) व बालिकाओं की संख्या 21(14 प्रतिशत) तथा सम्मिलित रूप से 36(12 प्रतिशत) पायी गई। 2(1.33 प्रतिशत) बालक व बालिकाएँ मोटापे से ग्रस्त पायी गई तथा सम्मिलित रूप से इनकी संख्या 4(1.33 प्रतिशत) पायी गयीं। 43(28.66 प्रतिशत) बालक व 35(23.33 प्रतिशत) बालिकाएँ व सम्मिलित रूप से 78(26 प्रतिशत) बालक–बालिकाएँ सामान्य पाए गये।

150 बालकों में से 131(87.33 प्रतिशत) बालकों की त्वचा सामान्य, 11(7.33 प्रतिशत) बालकों की त्वचा चमकहीन व 8 (5.33 प्रतिशत) बालकों की त्वचा खुरदुरी पायी गई। इसी प्रकार 150 बालिकाओं में से 127(84.66 प्रतिशत) बालिकाओं की त्वचा सामान्य, 13(8.66 प्रतिशत) बालिकाओं की त्वचा चमकहीन, 10(6.66 प्रतिशत) बालिकाओं की त्वचा खुरदुरी पायी गई। सम्मिलित रूप से 300 बालक–बालिकाओं में से 258(86 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं की त्वचा सामान्य, 24(8 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं की त्वचा चमकहीन व 18(6 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं की त्वचा खुरदुरी पायी गयी।

तालिका में 106 (70.66 प्रतिशत) बालकों के बाल सामान्य, 28 (18.66 प्रतिशत) बालकों के बाल चमकहीन, 16(10.66 प्रतिशत) बालकों के बाल खुरदुरे पाये गये। इसी प्रकार 89(59.33 प्रतिशत) बालिकाओं के बाल सामान्य, 29(19.33 प्रतिशत) बालिकाओं के बाल चमकहीन व 32(21.33 प्रतिशत) बालिकाओं के बाल खुरदुरे पाये गये। सम्मिलित रूप से 195(65 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं के बाल सामान्य, 57(19 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं के बाल चमकहीन, 48(16 प्रतिशत) बालक– बालिकाओं के बाल खुरदुरे पाये गये।

प्रस्तुत तालिका में 150 बालकों में से 139(92.66 प्रतिशत) बालकों के दाँत सामान्य, 6(4 प्रतिशत) बालकों के दाँत खुरदुरे व 5(3.33 प्रतिशत) बालकों के दाँत टूटे पाये गये। इसी प्रकार 103(68.66 प्रतिशत) बालिकाओं के दाँत सामान्य, 39(26 प्रतिशत) बालिकाओं के दाँत खुरदुरे व 8(5.33 प्रतिशत) बालिकाओं के दाँत टूटे पाये गये। सम्मिलित रूप से 242(80.66 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं के दाँत सामान्य, 45(15 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं के दाँत खुरदुरे व 13(4.33 प्रतिशत) बालक–बलिकाओं के दाँत टूटे पाये गए।

प्रस्तुत तालिका के अनुसार 67(22.66 प्रतिशत) बालकों का पाचन सामान्य, 34(32.66 प्रतिशत) बालकों को डायरिया व 49(44.66 प्रतिशत)बालकों को कब्ज पायी गयी। इसी प्रकार 64(19.33 प्रतिशत) बालिकाओं का पाचन सामान्य, 32(21.33 प्रतिशत) बालिकाओं को डायरिया व 54(59.33 प्रतिशत) बालिकाओं को कब्ज पाया गया। सम्मिलित रूप से 63(21 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं का पाचन सामान्य, 81(27 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को डायरिया व 156(52 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को कब्ज पाया गया।

128(85.33 प्रतिशत) बालकों में आयरन सामान्य, 8(5.33 प्रतिशत) बालकों में नाखूनों का पीलापन 2(1.33 प्रतिशत) बालकों में एनीमिया व 12(8 प्रतिशत) बालकों में बालों का रूखापन पाया गया। इसी प्रकार 117(78 प्रतिशत) बालिकाओं में आयरन सामान्य रूप में पाया गया, 6(4 प्रतिशत) बालिकाओं में नाखूनों का पीलापन, 4(2.66 प्रतिशत) बालिकाओं में एनीमिया व 23(15.33 प्रतिशत) बालिकाओं में बालों का रूखापन पाया गया। सम्मिलित रूप से 245(81.66 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में आयरन सामान्य रूप से पाया गया। 14(4.66 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में नाखूनों का पीलापन, 6(2 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में एनीमिया, व 35(11.66 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में बालों का रूखापन पाया गया।

प्रस्तुत अध्ययन में 137 (91.33 प्रतिशत) बालकों में विटामिन । सामान्य रूप से पाया गया। 1(0.66 प्रतिशत) बालकों में बाईटाट स्पॉट, 1(0.66 प्रतिशत) बालकों में रतौंधी, 3(2 प्रतिशत) बालकों में कब्जंक्टिबाइटिस व 8(5.33 प्रतिशत) बालकों में विटामिन । की अन्य बीमारियाँ पायी गयी। इसी प्रकार 135(90 प्रतिशत) बालिकाओं में विटामिन । सामान्य रूप में, 1(0.66 प्रतिशत) बालिकाओं में बाईटाट स्पॉट, 1(0.66 प्रतिशत) बालिकाओं में रतौंधी, 3(2 प्रतिशत) बालिकाओं में कब्जंक्टिबाइटिस व 10(6.66 प्रतिशत)बालिकाओं में विटामिन । की अन्य बीमारियाँ पायी गयी। सम्मिलित रूप में 272(90.66 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में विटामिन । सामान्य रूप में 2(0.66 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में बाईटाट स्पॉट, 2(0.66 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में रतौंधी, 6(2 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में कन्जंक्बिाइटिस व 18(6 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं में विटामिन अ की अन्य बीमारियों से ग्रस्त पायी गई।

प्रस्तुत तालिका के अनुसार 124(82.66 प्रतिशत) बालकों में व 130(86.66 प्रतिशत) बालिकाओं में विटामिन इ सामान्य रूप से पाया गया। 3(2 प्रतिशत) बालक व 2(1.33 प्रतिशत) बालिकाएँ भूख की कमी से ग्रस्त पायी गई। 12(8 प्रतिशत) बालक व 10(6.66 प्रतिशत) बालिकाओं की जीभ पर छाले पाये गए। 6(4 प्रतिशत) बालकों व 4(2.66 प्रतिशत) बालिकाओं के होंठ में सूजन पायी गई। 4(2.66 प्रतिशत) व 2(1.33 प्रतिशत) बालिकाओं के होंठ के किनारे कटे पाये गए तथा 1(0.66 प्रतिशत) बालक व 2 (1.33 प्रतिशत) बालिकाएँ विटामिन इ की अन्य

कमी से ग्रस्त पायी गई। सम्मिलित रूप से 254(84.66 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं में विटामिन इ सामान्य रूप में, 5(1.66 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं में भूख की कमी, 22 (7.33 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं की जीभ पर छाले, 10(3.33 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं के होंठ पर सूजन, 6(2 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं के होठों के कटें किनारे व 3(1 प्रतिशत) बालक-बालिकाएँ विटामिन इ की अन्य बीमारियों से ग्रस्त पाये गये।

प्रस्तुत अध्ययन में 150 बालकों में से 142(94.66 प्रतिशत) बालक व 139(92.66 प्रतिशत) बालिकाओं में विटामिन उसामान्य रूप में पाया गया। 6(4 प्रतिशत) बालक व 5(3.33 प्रतिशत) बालिकाएँ मसूड़ों में सूजन से ग्रस्त पायी गयी। 2(1.33 प्रतिशत) बालक व 6(4 प्रतिशत) बालिकाएँ मसूड़ों में रक्तस्त्राव से ग्रस्त पायी गयी। सम्मिलित रूप से 281(93.66 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं में विटामिन उसामान्य रूप में, 11(3.66 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं में मसूड़ों में सूजन व 8(2.66 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं के मसूड़ों में रक्तस्त्राव की समस्या से ग्रस्त पायी गयीं तथा बालक-बालिकाओं में कोई भी अन्य लक्षण प्राप्त नहीं हुये।

निष्कर्ष-प्रस्तुत अध्ययन में फास्ट फूड खाने वाले बालक-बालिकाओं में प्रथम स्तर का कुपोषण पाया गया।

सुझाव :

1. बालक बालिकाओं को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए।
2. बालक बालिकाओं के माता-पिता द्वारा बच्चों को साथ में बैठाकर भोजन कराना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा पाया जाता है।
3. अभिभावकों को बच्चों में भोजन संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बूथ के. एम. , पिंकस्टोन एम. एम. , पोस्टोन डब्लू. एस. 2005, 'ओबेसेटी एण्ड द बिल्ट एनवायरमेन्ट' , जे. एम डाइट एक्सोस 105 (5-1):एस.110-7।
2. ब्रुक यू. , टेपर आई.(1997): 'हाई स्कूल स्टूडेन्ट एटीट्यूट्स एण्ड नोलेज ऑफ फूड कंज्युप्शन एण्ड बॉडी इमेज, इम्प्लीकेशन फॉर स्कूल बेस्ड एजूकेशन', मार्च 30 (3):283-8।
3. डोचेट एल. , एमाउगेल पी. , हेयरबर्ग एस. (2006): 'फ्रूट एन्ड वेजीटेवल कन्स्युप्शन एन्ड रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज: अ मेटा एनालिसिस ऑफ कोर्लट स्टडी', जे न्यूट्रिशनल 136:2588।
4. डिसाइन्ड ऑफ डिसीज (2008): द लिंक बिटवीन लोकल फूड एन्वायरमेन्ट एन्ड ओबेसिटी एन्ड डायबिटीज, केलिर्फोनिया सेन्टर फॉर पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी, पॉलिसी लिंक एन्ड द यू. सी. एल. ए. सेन्टर फॉर हेल्थ पॉलिसी रिसर्च।
5. 'इफेक्ट ऑफ फास्ट फूड कंस्युप्शन ऑन एनर्जी इनटेक एन्ड डाइट क्वालिटी एमंग चिल्ड्रन इन अ नेशनल हाउसहोल्ड सर्वे', पेडियाट्रिक 2004:112-118, ई-जर्नल, 27 अक्टूबर 2009।
6. फ्रेन्क जी. सी. 1991: 'फूड रिकॉर्ड एन्ड फूड रिकॉलस् ऑफ चिल्ड्रन', जर्नल आॅफ स्कूल हेल्थ, 61(5):198-200।
7. शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश (2010), रिसर्च मैथडोलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, छठा संस्करण, पृ. 125।
8. डॉ. जोशी शुभांगी (2004),'न्यूट्रिशन एन्ड डायटेटिक्स', टाटा एम. ग्रू हिल, दिल्ली, पृ. 422-424।
9. राय पारसनाथ (2008), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, प्रकाशन आगरा, द्वादश संस्करण, पृ. 96।
10. डॉ. पल्टा अरूणा (2003),'आहार एवं पोषण', शिवा प्रकाशन, इन्दौर, पृ. 1-18।

तालिका क्र. 1 - नैदानिक परीक्षण

क्र.	लक्षण	बालक		बालिकाएँ		सम्मिलित	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	**सामान्य बनावट :**						
	कुपोषण प्रथम स्तर	54	36	55	36.66	109	36.33
	कुपोषण द्वितीय स्तर	36	24	37	24.66	73	24.33
	कुपोषण तृतीय स्तर	15	10	21	14	36	12
	मोटापा	2	1.33	2	1.33	4	1.33
	सामान्य	43	28.66	35	23.33	78	26
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
2	**त्वचा :**						
	सामान्य	131	87.33	127	84.66	258	86
	चमकहीन	11	7.33	13	8.66	24	8
	खुरदुरी	8	5.33	10	6.66	18	6
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
3	**बाल :**						
	सामान्य	106	70.66	89	59.33	195	65
	चमकहीन	28	18.66	29	19.33	57	19
	खुरदुरे	16	10.66	32	21.33	48	16
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**

4	**दाँत :**						
	सामान्य	139	92.66	103	68.66	242	80.66
	खुरदुरे	6	4	39	26	45	15
	टूटे	5	3.33	8	5.33	13	4.33
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
5	**पाचन :**						
	सामान्य	67	22.66	64	19.33	63	21
	डायरिया	34	32.66	32	21.33	81	27
	कब्ज	49	44.66	54	59.33	156	52
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
6	**आयरन की कमी :**						
	सामान्य	128	85.33	117	78	245	81.66
	नाखूनों का पीलापन	8	5.33	6	4	14	4.66
	एनीमिया	2	1.33	4	2.66	6	2
	बालों का रूखापन	12	8	23	15.33	35	11.66
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
7	**विटामिन अकी कमी :**						
	सामान्य	137	91.33	135	90	272	90.66
	बाईटाट स्पॉट	1	0.66	1	0.66	2	0.66
	रतौंधी	1	0.66	1	0.66	2	0.66
	क्न्जंक्टिबाइटिस	3	2	3	2	6	2
	अन्य	8	5.33	10	6.66	18	6
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
8	**विटामिन इ की कमी :**						
	सामान्य	124	82.66	130	86.66	254	84.66
	भूख की कमी	3	2	2	1.33	5	1.66
	जीभ पर छाले	12	8	10	6.66	22	7.33
	होंठ पर सूजन	6	4	4	2.66	10	3.33
	होठों के कटे किनारे	4	2.66	2	1.33	6	2
	अन्य	1	0.66	2	1.33	3	1
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
9	**विटामिन उकी कमी :**						
	सामान्य	142	94.66	139	92.66	281	93.66
	मसूड़ों में सूजन	6	4	5	3.33	11	3.66
	मसूड़ों में रक्त स्त्राव	2	1.33	6	4	8	2.66
	योग	**150**	**100**	**150**	**100**	**300**	**100**
10	**अन्य लक्षण**	-	-	-	-	-	-

****

साहित्य का समाजशास्त्र : एक अवलोकन

श्रीमती जोनटि दुवरा *

प्रस्तावना – साहित्य और समाज के संबंधों को लेकर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक मंतव्य प्रस्तुत किये है। इस संबंध में प्रचलित दो ऐसी धारणाएँ हैं, जिनके अपने-अपने तर्क हैं, अपने-अपने विचार व वैचारिक प्रतिबद्धताएँ है। एक धारण यह कहती है कि साहित्य एक स्वायत्ता अवधारणा है, जिसका आधार समाज होते हुए भी वह समाज के प्रति समाज का प्रणयन करता है। ऐसे विचार व्यक्त करने वाले विचारक, रूपवादी या कलावादी कहे जाते हैं।

पुनर्जागरण काल के बाद फ्रांस कला-आंदोलनों का प्रमुख केन्द्र रहा। जब साहित्य और समाज में नैतिक मूल्य विश्रृंखलित होने के कारण आत्मस्थ हो गए, तो वहाँ एक ऐसी विचारधारा का उद्भव हुआ जिसका कलावाद से सीधा संबंध था। इसका सबसे बडा समर्थक फ्रांस का विक्टर कुंजें हैं जिसने 1818 ई. में एक व्याज्यान माला में 'ल आर्त पोर्तल आर्त' अर्थात् 'कला-कला के लिए' का उद्घोष किया। हिटलर का कला के संबंध में मत था-'Art is selfishly occupied with her owen perfe ction only having no desire to teach-seeping and finding the be autiful in all conditions and at all times.'

यही से यह कला-वादी सिद्धांत इंग्लैण्ड पहुँचा जिसके प्रबलतम व्याज्याकार के रूप में अस्किर वाइल्ड का नाम लिया जाता है। इंग्लैण्ड समेत यूराप के अनेक देशों में साहित्य की सामाजिक सरोकारों से विच्छिन्न यह अवधारणा काफी समय तक फलती-फूलती रही। इसके संवाहकों के विचार थे कि कालाकार में किसी भी प्रकार के सामाजिक व नैतिक नियमों का आरोपण नहीं होना चाहिए। नीति, धर्म, दर्शन, अर्थ, इतिहास आदि समाज के अंग हो सकते हैं, क्योंकि इन सबका आधार समाज होता है। लेकिन कला अथवा साहित्य का मूल आधार अनुभूति एवं भावावेग होते है और वे किसी नैतिकता के मोहताज नहीं होते।

'कला जीवन के लिए' है सिद्धांत के विरोध में अनेक विचारकों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कला का जीवन या समाज से कोई संबंध नहीं है। अस्किर वाइल्ड ने आलोचक का यह गुण माना कि उसमें कला और सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र को पृथक मानने की परख हो। जे.ई. स्पिन्यार्न ने इसी मत की स्थापना अपनी विशिष्ट शैली में प्रस्तुत की-'शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार ढूंढना ऐसा ही है जैसे रेखा गणित के समत्रिकोण त्रिभुज को सदाचार पूर्ण कहना और समुद्धिबाहु त्रिभुज को दुराचारपूर्ण। डॉ. ए.सी. बैउले का मत है कि कला को केवल सौन्दर्य को ही मापदण्ड से नापना चाहिए और उस पर नीति का अपना एक स्वतंत्र, पूर्ण और निरपे जगत होता है। साहित्य (कला) के संबंध में इसी प्रकार के विचार क्रोचे, एउगर एलेल पो आदि ने व्यक्त किये है।

कलावादी दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि साहित्य का समाज से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह बात यहाँ आकर रूक जाती है कि यदि साहित्य का समाज से कोई संबंध नहीं है तो क्या यह आसमान से अपने आप टकता है। इसके होने का कोई कार्य कारण संबंध तो अवश्य होना चाहिए। यही आकर साहित्य और समाज के संबंध में मार्क्सवादी विचारधारा आकर लेती है। डॉ. रामविलास शर्मा ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक, 'मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य' में इस प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है-'साहित्य और समाज के परस्पर संबंध को विभिन्न रूपों में पूर्व और पश्चिम के विद्वान आज से नहीं, सैकडों वर्षो से मानते आए हैं। यह संबंध किस प्रकार का है, इसकी वैज्ञानिक व्याज्या मार्क्स ने की थी। यह व्याज्या मार्क्स की पुस्तक 'किं टिक ऑफ पोलिटिकल इकोनामी' की भूमिका में स्पष्ट रूप से दी हुई है। सामाजिक उत्पादन के सिलसिले में मनुष्य ऐसे संबंध स्थापित करते हैं कि जो उनकी इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर नहीं होते। वे उत्पादन संबंध किस तरह के हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ, किस हद तक विकसित हुई है। इन उत्पादन संबंधों का जमाव समाज का आर्थिक ढाँचा कहलाता है। यही वह वास्तविक आधार है, जिसके ऊपर कानून और राजनीति का महल खडा किया जाता है। इसी आधार का अनुकूल सामाजिक चेतना के विभिन्न रूप होते है।

सामाजिक चेतना के इन विभिन्न रूपों में साहित्य भी शामिल है। साहित्यिक-चेतना साहित्यकार सापेक्ष अथवा समाज निरपेक्ष नहीं हो सकती। विश्व के किसी भी साहित्य के किसी भी कालखण्ड का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक चेतना साहित्यिक चेतना का रूप कैसे धारण करती है। सामान्य मनुष्य की तरह रचनाकार भी एक सामाजिक प्राणी ही होता है और समाज निर्माण प्रक्रिया के मूल में होता है और समाज निर्माण की प्रक्रिया के मूल में बहुत सारे घटक उत्तरदायी होते है। समाज के निर्माण की प्रक्रिया दो आधारों पर संभव होती है, व पहला संरचनात्मक आधार और दूसरा वैचारिक आधार। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि धर्म, दर्शन, राजनीति, संस्कृति, सभ्यता-ये सभी इन्हीं दोनों आधारों के अन्तर्गत सक्रिय होते है। समाज के बिना संस्कृति और सज्यता कीकल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी प्रकार साहित्य भी समाज के संरचनागत व वैचारिक धरातलों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुडा है।

यह धारणा बद्धमूल हो चुकी हैकि 'साहित्य और समाजशास्त्र' पश्चिम की देन है। भारतीय साहित्य और साहित्यशास्त्र में मानों इसका जिक्र ही न हुआ हो। लेकिन बहुत हद तक यह कहना वाजिब है कि साहित्य और समाज के अन्र्तसंबंधों। उनकी अनिवार्यताओं एवं दोनों के प्रकार्य के विषय में जितना

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) गोलाघाट वाणिज्य महाविद्यालय, ज्योति नगर, गोलाघाट (असम) भारत

तात्विक चिंतन भारतीय काव्यशास्त्र में हुआ है, शायद ही कही हुआ हो। समस्या तब उत्पन्न होती है जब पश्चिम के विचारों को, जो वहाँ के समाजों को लक्ष्य करके निर्मित हुए हैं, उन्हें ज्यों का त्यों भारतीय समाज और साहित्य पर लागू करने लगते हैं तो मन में कहीं न कहीं यह भाव अवश्य रहता है कि यहाँ तो ऐसा या ही नहीं। गोया साहित्य का समाजशास्त्र कोई ऐसा अनुपलब्ध चिंतन है, जिसका भारतीयों को पता ही नहीं था।

संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्य भरत को 'नाट्यशास्त्र'का प्रणेता और प्रथम काव्य-विवेचन माना जाता है। उन्होंने नाट्य काव्य (जिसके अन्तर्गत नाटक और नृत्य दोनों शामिल थे) पर चर्चा करते हुए कहा था कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों को पारस्परिक साहचर्य से रस की उत्पत्ति होती है। काव्य के पक्ष में उन्होंने इन तीनों का संबंध को प्रस्तुत किया। कालांतर में भरत रस सूत्र के चार व्याज्याकारो-भट्टलोल्सट आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त के श्रोता, दर्शक, पाठक या सामाजिक की अवधारणाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि विभाव (आलज्वन, उद्दीयन) अनुभाव (कायिक, वाचिरक और मानसिक) तथा तैतीस व्याभिचारी भावों की काव्य में उपस्थिति आकाश के मार्फत नहीं होती बल्कि इन सबका आधार सामाजिक की मन: स्थिति, परिवेश और बोध का स्तर होता है। नाटक देखने वाले, काव्य पढने वाले अथवा साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले मनुष्य को रस अथवा आनंद का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि यह समगत: सामाजिक प्राणी होता है, जंगल में निवास करने वाला कबीलाई प्राणी न हीं। साहित्य में समाज की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए ही भारतीय आचार्यो ने सदृश्य, सामाजिक आदि पदबंधों का बार-बार प्रयोग किया है।

हिन्दी साहित्य के आदिकालीन काव्यकृतियों का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का उन पर प्रभाव था। आदिकाल की सामाजिक स्थिति अत्यंत सोचनीय थी। समाज दो वर्गो-उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बँटा हुआ था। उच्च वर्ग शिक्षित, समृद्ध और विलासी था और निम्नवर्ग निर्धन और शोषित। जन्म के अनुसार जातिगत श्रेष्ठता का बंधन कठोर हो चला था। निम्नवर्ग को लोग हेय की दृष्टि से देखे जाते थे। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में सिद्धों और नाथों ने जिस प्रकार सृजन किया उसमें समाज की तत्कालीन दशाओं का ही प्रतिबिम्ब है। नारी के प्रति पुरुष की प्रवृत्तियों में आज की अपेक्षा काफी अंतर था। स्त्री-पुरुष समानता की तो बता ही अलग, वह माह एक भाग्या थी, एक वस्तु थी जिसका विनिमय किया जा सकता था। आदिकाल के रासों काव्य परंपरा में यह वर्णन बार-बार आता है कि सिर्फ किसी राजकुमारी को पाने के लिए दो राज्यों में परस्पर वैमनस्य और संघर्ष हुआ करते थे।

भक्तिकाल की शुरूआत ही ब्राह्मण जाति और ब्राह्मणों द्धारा स्थापित धर्म और समाज-व्यवस्था के प्रति निम्न जातियों के आक्रोश के फलस्वरूप हुई। सोहलवी शती में तांत्रिक, शैव, बौद्ध एवं शाक्त साधनाओं में जाति-पाति का भेदभाव बहुत पहले समाप्त हो चुका था। तंत्र-मंत्र साधना का वाह्य विधान भी कुछ ऐसा था जो सत्य तथा शिक्षित द्विजातियों की प्रकृति के अनुकूल नहीं था। उसकी 'पंचमकार' गुह्य साधनों में सूद्रो का ही अबाध प्रवेश संभव था। फलत: चौरासी सिद्धों में और उनकी परवर्ती शिष्य परंपरा में हमें उच्च जाति के लोगों का अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। नाथ, सम्प्रदाय, वीर-शैवमत और बारकरी संप्रदाय में भी वर्ग-भेद को स्थान नहीं दिया गया था। महाराष्ट में तो ब्राह्मण संत एकनाथ और तुकराम ने भी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध उठी आवाज को बल प्रदान किया था।

प्रेमात्यान काव्य साहित्य का मूल आधार लोक मानस रहा है, जिसका निर्माण धार्मिक, पौराणिक ऐतिहासिक प्रभावों तथा तत्कालीन सामाजिक संस्कारबद्धता से उत्सन विधि-निषेधों के समन्वय से होता है। अत: वैयक्तिक इच्छाओं और रूचियों के स्तर पर प्रेम कितना भी आकर्षक, मोहक और गाह्य क्यों न हो, सामाजिक मूल्यों की परिधि में आना उसके लिए आवश्यक था। यही कारण है कि सूफी कवियों ने लोक और समाज में प्रचलित उन्हीं कथाओं को काव्य का आधार बनाया जो यातो जनमानस में घर पर कर गई थी अथवा सामाजिस फलक पर जिन्हें मान्तताएँ प्राप्त थी। इस काव्यधारा में 'प्रेम' का स्वरूप आध्यात्मिक होते हुए भी सामाजिक सरोकारों से पूर्णतयाअलग नहीं था। प्रेममागी धारा के प्राय: सभी कवि गाह्य-संस्कृति के हिमायती थे। उनमें नगरीय बोध का अभाव होते हुए भी सामाजिकता की परख थी। राजदरबार सेलेकर एक सामान्य किसान की मनोवृत्तियों का आर्यन परक चित्रण तभी संभव हो सकता है, जब वास्तव में कवि के जीवनमें सामाजिक चेतना कूट-कूटकर भरी हो।

हिन्दी साहित्य में रीतिकालीन काव्य धारा के बारे में प्राय: यह धारणा व्यक्त की जाती है कि वह देश दुनिया और समाज से कटकर सिर्फ राजदरबारों की वाहवाही और पुरस्कार के लोभ तक ही सीमित था। बावजूद इसके हम यह नहीं कह सकते कि रीतिकाल पूर्णत: कलावादी अथवा रूपवादी था। उसमें समाज नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पूर्व में एकाधिर बार यह बात दुहराई जा चुकी है कि किसी भी कलाकृति का मूल्य आधार समाज ही हो सकता है। समाज के अभाव में हम कला कीक ल्पना भी नहीं कर सकते। फिर रीतिकाल के संबंध में यह कहाँ तक उचित है कि वह समाज से पूरी तरह कटा हुआ था। रीतिकाल को समझने के लिए तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों एवं उस समय के कवियों की विवशताओं को समझना भी आवश्यक है। कवि तो परम स्वतंत्र एवं स्वायत्ता होता है। लेकिन इस परम स्वतंत्रता और स्वाायवत्तता की बातें तब बेमानी हो जाती है, जब हम साहित्य और समाज को परस्पर विरोधी दो छोरों पर अवस्थित कर देते हैं। रीतिकालीन कवियों में इस दृष्टि से सामाजिक चेतना सर्वाधिक परिलक्षित होती है अपेक्षाकृत आदिकाल और भक्तिकाल के, जहाँ यथार्थ पर अनेक वासवी तत्वों का आरोपण था। रीतिकालीन समाज को उस समय के कवियों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है।

आधुनिक काल का साहित्य समग्रत: बदली हुई सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों कीदेन है। औपनिवेशिक भारत में विदेशी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश, साथ ही वहाँ कीआयातित विचारधाराओं को ग्रहण करने की तन्मयता ने राष्ट-वाद, समाजवाद, आधुनिकता, सामयिकता व समकालीनता आदि विचार प्रवृत्तियों के सापेक्ष तार्किकता, जीवन में सीधे साक्षात्कार द्धारा साहित्य में गद्य की तमाम विधाओं का सूत्रपात हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से थोडा पहले यानि सन् 1857 के बाद जिस पुनर्जागरण ने आकार लेना प्रारंभ किया था। उसका मूल आधार समाज ही था, दर्शन, राजनीति अर्थ और विज्ञान तो महज उसके उपजीव्य थे। हिन्दी गद्य साहित्य के समाजशास्त्र से बडा घनिष्ठ संबंध है। परिचय में उपन्यास साहित्य के बरतक ही साहित्य के समाजशास्त्र का उदय हुआ था। दरअसल उपन्यास के संदर्भ में ही यह कथन सार्थक प्रतीक होता है कि साहित्य समाज का दर्पण है।

भारतेन्दु काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, हरिशचन्द्र

उपाध्याय, विनायक शास्त्री, वेताल, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुकांत पांड्या, भीमसेन शर्मा आदि ने अपने निबंधों में समाज की सजीव तस्वीर प्रस्तुत की है। भारतेन्दु युग में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नाटकों में मुख्यत: सामाजिक नाटकों की ही प्रधानता रही। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लाला श्री निवासदास के परीक्षागुरु (1882) को हिन्दी का पहला उपन्यास माना है। वास्तव में इस उपन्यास में कुसंग के कारण बिगडे हुए व्यापारी नवयुवक की कहानी है जो अच्छे संग के कारण सुधर जाता है। पर बीच-बीच में सुख-दु:ख, सज्जनता आदि किताबी विचार-विमर्श ऊबाऊ हो जाते है। अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिन्दी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर हैं।

साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य के समाजशास्त्र एक ही जैसा नहीं हैं। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना में इसकी पृथक-पृथक सत्ताएँ है। नाटक में पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक चेतना से सम्बद्ध होकर यह समाजशास्त्र प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, चतुरसेन शास्त्री, गोविन्दवल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी जैसे नाटककारों में प्रतिबिंबित हुआ है।

कथा साहित्य के अन्तर्गत प्रेमचंद एवं प्रेमचन्दोत्तर युग में समाज को केन्द्र में रखकर ही सृजन की अनन्त लकीरे दिखाई पडती है। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सामाजिक सुधार की लहर जो पूरे देश में प्रवाहित हो रही थी उसका समूचा प्रभाव प्रेमचंद के प्रारंभिक कथा-लेखन पर पड रहा था। इतना ही नहीं, उस समय के जितने भी कथाकार थे (यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद भी) सामाजिक सच्चाई से सभी रुबरु थे। सन् 1950 केबाद से ही हिन्दी कथा-साहित्य में अधिकांश उपन्यास लिखे गये। इन्हें श्रेणीबद्ध एवं प्रवृत्तिपरक बनाने का प्रयास आलोचकों ने किया है। प्रगति-प्रयोगवादी, व्यक्तिवादी, मनोवैज्ञानिक, ग्राह्य संस्कृति प्रधान, आंचलिक, आधुनिक व उत्तर आधुनिकता से संबंधित सम्पूर्ण उपन्यासों में भारतीय समाज की बनती-बिगडती स्थितियों को उकेरने का प्रयास हुआ है।

सन् 1960 से 1970-71 के बीच आधुनिक जीवन-बोध पर आधारित उपन्यास लिखे गए-जिनमें 'अंधेरे बंद कमरे' (1961) मोहन राकेश, 'वे दिन' (1964) निर्मल वर्मा, 'मछली मरी हुई' (1966) महेन्द्र भल्ला, 'रुकोगी नहीं राधिका' (1967) उषाप्रियंवदा, अलग-अलग वैतरिणी (1967) शिवप्रसादसिंह, जलता हुआ लावा (1968) रमेश बक्षी, 'दूसरी वार' (1968), श्रीकांत वर्मा, 'यात्राएँ' (1971) गिरिराज किशोर, 'सफेद मेमने' (1971) मणिमधुकर, 'बेघर' (1971) ममता कालिया, 'आपका बंटी' (1971) मन्नू भण्डारी 'अपने से अलग' (1969) गंगा प्रसाद विमल, 'सूरजमुंखी अंधेरे के' (1972) कृष्णा सोबती, 'जिन्दगी नामा' (1979), 'चित्त कोबरा' (1980) मृदुलागर्ग आदि को शामिल किया गया जाता है।

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की सामान्य समस्याओं को लेकर इस दौर में लिखे गए प्रमुख उपन्यास है- 'राग दरबारी', श्री लालाशुक्ल (1968), 'एक चूहे की मौत, बेदी अल्जामा (1971) 'धरती धन अपना, जगदीशचन्द्र माथुर (1972), 'अपना मोची', काशीनाथ सिंह (1972), 'जुगलबंदी' गिरिराज किशोर (1973) 'मुर्दाघर' (1974) जगदंबा प्रसाद दीक्षित, 'महाभोज', मन्नु भण्डारी (1980), 'आधागाँव' राही मासूम रजा (1980) 'अग्निबीज', मार्कण्डेय (1980), झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल विस्मिल्लाह (1986)।

इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण के बदलाव के साथ-साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों में बदलाव काहोते जाना अपरिहार्य है। विगत कालों में जो सत्य शिव सुन्दर की अवधारणा साहित्य के संदर्भ में अहम भूमिका रखती थी, आधुनिक काल में आकर वह सम्पूर्णता में जनहित की भावना से संबद्ध हो गई। सामाजिक संवेदना के समानान्तर ही मानवीय संवेदना में उतार-चढाव दिखाई पडते है। साहित्यकार इन स्थितियों से पूर्णत: विमुख होकर न तो अपने प्रति ही न्यायकर सकता है और न तो समाज के प्रति हो।

अस्तु यह कहने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि साहित्य के समाजशास्त्र की अनिवार्य भूमिका साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, डॉ. रामविलास शर्मा।
2. हिन्दी सात्यि का दूसरा इतिहास, बच्चनसिंह।
3. पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत, डॉ. शांति स्वरूप गुप्त।
4. मार्क्सवाद, संरचनावाद एवं उत्तर संरचनावाद, गोपीचंद नारंग।

****

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807,
E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Jan. to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XIX

Role of frontline workers in prevention and management of corona virus

Dr. K.R. Kanude* Prof. Moulshree Kanude**

Abstract - As you know a new respiratory disease called COVID-19 is spreading across the world. India has also reported cases from states and the government is trying to contain the spread of the disease. As an important frontline worker, you play a major role in preventing its spread.your Role as a Frontline Worker as role a two-fold: 1. Spread key messages in the community about measures to prevent the infection. 2. Take actions for early detection and referral of suspected COVID-19 cases.

Introduction - What is COVID-19?

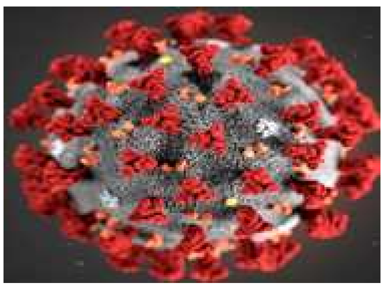

Image of covid-19

COVID-19 is a disease caused by the "novel corona virus".

Common symptoms are:

Fever ,Dry cough, Breathing difficulty Some patients also have aches and pains, nasal congestion, runny nose, sore throat or diarrhea About 80% of confirmed cases recover from the disease without any serious complications. However, one out of every six people who gets COVID-19 can become seriously ill and develop difficulty in breathing. In more severe cases, infection can cause severe pneumonia and other complications which can be treated only at higher level facilities (**District Hospitals and above**). In a few cases it may even cause death.

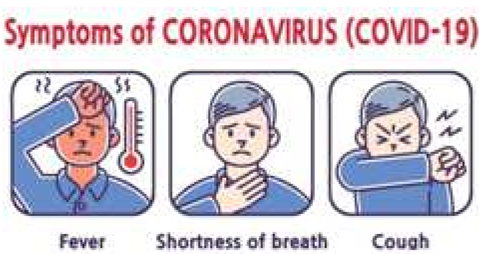

SYMPTOMS OF CORONA VIRUS.

How does COVID-19 spread?

COVID-19 spreads mainly by droplets produced as a result of coughing or sneezing of a COVID-19 infected person. This can happen in two ways:

1. Direct close contact.
2. Indirect contact.

1. **Direct close contact**: one can get the infection by being in close contact with COVID-19 patients (within one Metre of the infected person), especially if they do not cover their face when coughing or sneezing.

2. **Indirect contact**: the droplets survive on surfaces and clothes for many days. Therefore, touching any such infected surface or cloth and then touching one's mouth, nose or eyes can transmit the disease.

The incubation period of COVID 19 (time between getting the infection and showing symptoms) is 1 to 14 days. Some people with the infection, but without any serious symptoms can also spread the disease.

Which Group of people are at higher risk of getting infected?

1. People who have travelled to other countries in last 14 days and their family members.
2. People coming from other states if they have been working with people who travelled to other countries in last 14 days.
3. Family members and contacts of patients confirmed to have COVID-19.
4. People older than 60 years of age and people with medical problems like high blood pressure, heart problems, respiratory disease/asthma, cancer, or diabetes are at higher risk for developing serious complications.

Key messages to spread for prevention of COVID-19

1. How to avoid getting COVID-19 or spreading it?

a) **Practice Social Distancing**: Avoid gatherings such as melas, haats, gatherings in religious places, social functions etc.

1. **Maintain a safe distance** of at least one Metre

*Assistant Professor (Chemistry) Govt. P. G. College, Jhabua (M.P.) INDIA
**Assistant Professor (Sociology) Govt. College, Meghnagar, Distt. Jhabua (M.P.) INDIA

between you and other people when in public places, especially if they are having symptoms such as cough, fever etc. to avoid direct droplet contact.

2. **Stay at home** as much as possible.
3. **Avoid physical contact** like handshakes, hand holding or hugs.
4. **Avoid touching surfaces** such as table tops, chairs, door handles etc.

b) **Practice good hygiene.**

1. Wash your hands frequently using soap and water: After coming home from outside or meeting other people especially if they are ill.
2. After having touched your face, coughing or sneezing. before preparing food, eating or feeding children. before and after using Toilet, cleaning etc.

Corona Virus prevention

1. While coughing or sneezing cover your nose and mouth with handkerchief. Wash the handkerchief at least daily.
2. It is preferable to **cough/sneeze into your bent elbow rather than** your palms in public places to avoid the spread of droplets.
3. **Do not spit or shout** in public places to avoid the spread of droplets.
4. **Do not touch your eyes**, nose and mouth with unclean hands.

Ensure that the surfaces and objects are regularly cleaned.

2. What to do if you are having symptoms or have travelled to other countries or states in past two weeks?

1. Symptoms of COVID-19 and seasonal respiratory illness (common cold/flu) are similar. All people with these symptoms may not have COVID-19.
2. Following persons should be quarantined for 14 days at home as a precaution.
3. People who have travelled to COVID-19 affected Countries / areas in past 14 days.
4. Those who have come in close contact with a Suspected /confirmed COVID-19 patient those who develop symptoms.
5. These persons should inform you. If symptoms become severe then the person should visit a health facility after speaking with you.

Your role in early detection and referral

1. As a community worker you may be asked to prepare a line list of all people who have travelled to other countries or other states inside India in last 14 days:
2. Share their names with your Medical Officer at PHC but not with others.
3. Teach them Home Quarantine for next 14 days tell them to monitor themselves for symptoms of COVID-19.
4. Tell them to inform you if symptoms develop and call the COVID-19 Helpline.

Instructions for the person being Home Quarantined:

1. Stay in a separate room at home, if possible with an attached/separate toilet. Try to maintain a distance of at least 1 meter from others.
2. Wear a mask at all times. If masks are not available, take a clean cotton Cloth, fold it into a double layer and tie it on your face to cover your nose and mouth.
3. Use separate dishes, towels, bedding etc. which should be cleaned separately.
4. The surfaces such as floor, table tops, chairs, door handles etc. should be cleaned at least once a day Make sure that only one assigned family member is the caretaker.

Instructions for the caretaker of the Home Quarantined person:

1. Keep a distance of one metre when entering the room.
2. Wear a mask or cover your face with double layered cotton cloth. wash your hands after coming out of the room.

How to use masks (or cloth covering the nose and mouth) - Wash your hands before putting on the mask. Make sure that it covers both mouth and nose and is not loose. do not touch the mask from the front, touch only from the sides. Make sure to wash your hands after changing the mask. Š Change the mask every 6-8 hours or when it becomes moist. If using disposable masks, have a dustbin with cover and a plastic bag lining to throw the masks in.

If using cloth masks, wash them at least daily.

How to take care of yourself and carry on with your duties as a frontline worker?

Take all preventive measures that you are talking about in the community such as keeping safe distance, washing hands frequently including before and after home visits. Carry your own soap if necessary.

If you are visiting or **accompanying a suspected case** to any health facility, make sure to cover both your mouth and nose with folded cloth or mask.

If you are conducting community meetings or supporting outreach sessions the **groups should not be larger than 10-12 people**.

Maintaining safe distances for those living in crowded

areas or the homeless is going to be difficult. even then you should inform them about preventive measures and Support them as required.

Self-monitor for signs of illness and report to the Medical Officer, immediately if any symptoms develop.

Ensure that you continue to undertake tasks related to care of pregnant women, newborns and sick children, Post Natal Care, Breastfeeding and Nutritional Counselling, TB and NCD patient follow up while taking preventive measures. Remember older people are at higher risk, so take **special care to visit homes of elderly people. Continue to pay special attention to the marginalized,** as is your routine practice.

Also as the people's trusted health worker, try to **reassure them** that while those with symptoms and high risk need close attention, for others, prevention measures will decrease the risk of getting the disease.

Myths vs. reality for COVID-19.

As COVID-19 is a new condition, there are many common myths.

S.	Myths	Facts
1.	The corona virus can be transmitted through mosquitoes.	The corona virus CANNOT be transmitted through mosquito bites.
2.	Everyone should wear a mask	People who should wear a mask are: Those having symptom of fever, cough etc. Healthcare workers in facilities caring for ill people. The assigned care taker of a home quarantined person. Even those wearing masks should wash their hands frequently.
3.	Only people with symptoms of COVID-19 can spread the disease	Even people with the COVID-19 infection but no symptoms can spread the disease.
4.	Eating garlic and drinking alcohol can prevent COVID 19Eating garlic and drink-ing alcohol DOES	Eating garlic and drinking alcohol DOES NOT prevent COVID 19

Conclusion - finally the conclusion of providing the precaution of the frontline worker. Take all preventive measures that you are talking about in the community such as keeping safe distance, washing hands frequently including before and after home visits. Carry your own soap if necessary.If you are visiting or accompanying a suspected case to any health facility, make sure to cover both your mouth and nose with folded cloth or mask. Maintaining safe distances for those living in crowded areas or the homeless is going to be difficult. even then you should inform them about preventive measures and Support them as required.

References :-

1.www.national health mission.com.
2.News paper.com.
3.India today magazine.com.
4.www.amarujala.com.

****

प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम के प्रभाव का अध्ययन

अमिता बैनिवाल *

शोध सारांश – सार–सीखना या अधिगम इनका सीधा सम्बन्ध मनोविज्ञान से होता हैं। जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की क्रियाओं में भी परिवर्तन आता हैं।सहयोगी अधिगम, शिक्षण अधिगम की तकनीकों में से एक हैं। जिसमे छात्र सामाजिक वातावरण में एक दुसरे की सहायता से लक्ष्यों को प्राप्त करते है।सहयोगी अधिगम छोटे समूहों में एक प्रकार की निर्देशात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं और प्रत्येक अन्य साथी के सीखने में वृद्धि के लिये सहयोगात्मक तरिके से काम करता है। सहयोगी अधिगम अब एक स्वीकृत और अत्यधिक अनुशासित अनुदेशात्मक प्रक्रिया है। यह सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र समूह एक साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न तलाश कर उस पर एक सार्थक परियोजना बनाकर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।सहयोगी अधिगम एक शैक्षिक स्थिति हैं जिसके अंतर्गत समूह में अधिगम हेतु पांच या छः छात्र सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं।एक साथ मिलकर कार्य करना ही समायोजन को बढ़ाता हैं।

इस पत्र में जांचकर्ता द्वारा प्राथमिक विद्यालय के छात्रों पर पर्यावरण विषय का अध्ययन करसमायोजन पर सहयोगी अधिगम के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान अध्ययन एकल समूह पर पूर्व व पश्च परीक्षण पर आधारित एक प्रयोगात्मक अध्ययन है। यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के 30 छात्रों के प्रारूपपर आयोजित किया गया। इसमें स्व–विकसित निर्देशात्मक उपकरण इकाई पाठ योजना के रूप में उपयोग किये गए हैं, साथ ही शिक्षण सहायक उपकरण और स्वयंनिर्मित उपकरण के द्वारा परीक्षण करउपयोग किए गए विधि के प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं। प्रायोगिक समूह को सहयोगी अधिगम पद्धति के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान किये गये। अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि सहयोगी अधिगम के दौरान छात्रों का समायोजन अन्य छात्रों की औसत समायोजन से काफी ऊचाँ रहा हैं।

प्रस्तावना – वर्तमान में कक्षा अधिगम एक ऐसी विचारधारा पर आधारित है, जिसमें छात्र का समायोजन, उपलब्धि, महत्वाकांक्षा का स्तर, प्रेरणा और सफलता की इच्छा, दूसरों के साथ सफल स्पर्धा पर आधारित होती है। इसके अलावा सीखने का यही प्रयास रहता है कि सफल प्रतियोगितायें छोटे बालकों को मजबूत बना कर उन्हें इस संसार के लिए तैयार करे जिनसे बच्चे इन प्रतियोगिताओं का आनंद उठाये और सीखे।किसी भी संगठन की सफलता, उसकी उत्पादकता अथवा शाखा की निष्पति वहाँ के मानवीय संबंध, सदस्यों के कार्य करने की लगन, सक्रिय भागीदारी, आपसी सामंजस्य, परिवेशीय समायोजन शिक्षण की प्रभावशीलता पर ही आधारित होते है।इसी प्रकार शाला वातावरण में छात्र का अच्छा व सम्पूर्ण व्यक्तित्व, वहां के शिक्षकों की नैतिकता, आकांक्षाओं, एवं प्रेरणा पर निर्भर रहता है। जिस कारण शिक्षकों की शैक्षणिक प्रभावशीलता एवं समायोजन उस शाला की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है।अध्यापक व छात्र के बीच हमेशा मधुर संबंध होने चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर के बालक में अधिगम को सही ढंग से प्रवाहित किया जा सके, इससे एक बालक की दूसरे बालक के साथ समायोजन की भावना और विकसित हो सकेगी।परिवार प्रथम समाजिक इकाई है जहां बच्चे के व्यक्तित्व की वास्तविक बुनियाद पड़ती है और संपूर्ण जीवन इसकी आधारशिला प्रस्थापित होती है। परिवार में उपस्थित व्यक्तियों में विशेष रुप से बालक के माता–पिता महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। पारिवारिक तत्व बालक के व्यवहार को जितने व्यापक रुप के साथ प्रभावित करता है उतना कोई अन्य तत्व प्रभावित नहीं कर पाता है। परिवार बालक के व्यवहार पर प्रत्यक्ष तथा प्रोक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभाव डालता है जो वस्तुओं, व्यक्तियों, अन्य जीवों और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल देता है। इसके अतिरिक्त बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से जिनसे वे अधिक प्रेम करते हैं उनसे तादात्मिकरण स्थापित करते हुए उनके व्यवहार तथा क्रियाओं का अनुकरण कर उनसे जीवन में समायोजन स्थापित करना सीखते हैं। शिक्षा को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण आभूषण माना जाता है जिसकी नक्काशी एवं वृद्धि बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। शिक्षा के बहुत से स्रोत होते हैं जैसे– परिवार, समाज, शिक्षक, शिक्षण संस्थाएं, आदि ये सभी बच्चे को समायोजन के लिए प्रेरित करती है। इसी समायोजन को बढ़ाने में सहयोगी अधिगम एक महत्वपूर्ण विद्या साबित हुई हैं।सहयोगी अधिगम शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक समायोजन के रूप में मानी गई है। क्योंकि समाज की आवश्यकताओं के साथ में शिक्षा का एक मात्र साधन ही समायोजन है जो बिना सहयोग के संभव नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह विद्यार्थियों के आरम्भिक शैक्षणिक काल से ही समायोजन के गुणों का विकास करने में सहायक है ? इसलिए शोधार्थी ने डॉ. डी. एन. दानी के निर्देशन में 'प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम का प्रभाव– एक प्रायोगिक अध्ययन' विषय पर शोधपत्र लिखना निश्चित किया है।

समस्या कथन – 'प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम का प्रभाव– एक प्रायोगिक अध्ययन'

उद्देश्य :

1. कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए सहयोगी अधिगम कार्य नीति तैयार

* शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

करना।

2. कक्षा 5 के विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. कक्षा 5 के निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में अंतर का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. कक्षा 5 के विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति का प्रभाव नहीं पड़ता।
2. कक्षा 5 के निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं है।

समय-सीमा – शोध अध्ययन हेतु 60 दिनों के लिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील के राजकीय विद्यालय के कक्षा पांच के छात्रों का चयन किया गया हैं।

कार्यप्रणाली – शोध कार्य के लिए अध्ययन का प्रारुप, उपकरण, डेटा संग्रह की प्रक्रिया और डेटा विश्लेषण की तकनीकों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का प्रारुप – इस अध्ययन को कक्षा-5 में पर्यावरण विषय की कक्षा तक ही सीमित किया गया है। यह एकल प्रायोगिक समूह जिसमे विद्यार्थियों की संख्या 30 हैं कक्षा को प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु शून्य कांलाश के लिए लिया गया तथा समूह निर्माण के लिए यादच्छिक विधि का प्रयोग कर 5-5 के छ: समूह बनाये गये है।

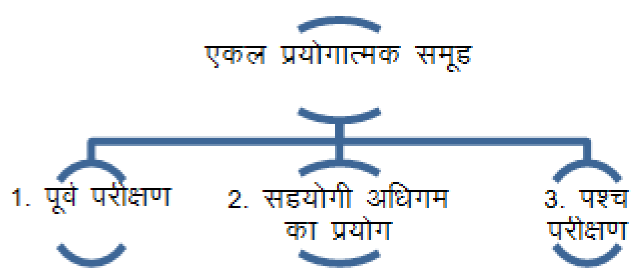

उपकरण – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु एक स्वनिर्मित परीक्षण प्रयुक्त किया गया। शोधार्थी द्वारा इस प्रपत्र के निर्माण में सीमा रानी, डॉ. बसंत बहादुर सिंह, की शैक्षिक समायोजन सूची तथा मोसिन-शमशेद की बेल समायोजन मापनी तथा ए. के. पी. सिन्हा, आर. पी. सिंह, एस. वेंकटेंस की व्यवहार संबंधी समस्याएं मापनियों का पठन करते हुए इस का निर्माण किया गया हैं।

दत्त विश्लेषण – परिकल्पना 1- कक्षा 5 के विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति का प्रभाव नहीं पड़ता।

विद्यालय क्रमांक 01 N=30

समायोजन	**मध्यमान**	**मानक विचलन**	**विद्यार्थी संख्या**	**टी-परीक्षण**
पूर्व- परीक्षण	50.467	3.875	30	31.109*
पश्च- परीक्षण	82.633	5.756	30	

तालिका: 01 विद्यार्थियों की समायोजन पर पूर्व और पश्च के परीक्षण अंकन में सार्थक अंतर –

परिकल्पना 2- कक्षा 5 के निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं है।

विद्यालय-01 N=30

समायोजन	**मध्यमान**	**मानक विचलन**	**विद्यार्थी संख्या**	**टी-परीक्षण**
उच्च बुद्धिलब्धि	31.75	5.627	16	0.42
निम्न बुद्धिलब्धि	32.64	5.878	14	

परिकल्पना 2- कक्षा 5 के निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के समायोजन पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं है।

परिणाम- वर्तमान अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

1. सहयोगी अधिगम प्रणाली के अंतर्गत अधिगम वातावरण सरल, सहज व आनंददायी होता है।
2. सहयोगी अधिागम प्रणाली में सीखना आसान है जिससे विद्यार्थी समायोजन प्राप्ति के लिए अधिाक प्रेरित होते हैं।
3. सहयोगी अधिागम प्रणाली में सहपाठियों के साथ सीखना संस्कृति व सामाजिक कौशल के साथ-साथ समायोजन को भी बढ़ाता हैं।
4. सहयोगी अधिागम के दौरान विद्यार्थी समूह में प्रत्येक विधार्थी की सहभागिता को परखा जाता हैं।
5. सहयोगी अधिगम प्रणाली के दौरान विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी समूह में कार्य करना सीखते हैं जिससे समायोजन की भावना को बढ़ावा मिलता हैं।
6. सहयोगी अधिगम के दौरान अधिकतर जिज्ञासाओं का समाधान समूह में ही हो जाता हैं जिससेविद्यार्थीयों में सांवेगिक समायोजन अधिक पाया गया।
7. सहयोगी समूह में सीखने से विद्यार्थी की समझ अधिक तार्किक होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **Abrami, R.,Chanbers, b., Poulser,C(1995).** Classroom connections. Understanding and using cooperative learning. Canada: Harcour Brace
2. **Ameerjan, M.S., Et. al.,** "Academic Achievement and Its Relation to General Mental Ability, Academic Adjustment and Neuroticism"; Journal of Edu.and Psy., Vol. 36 : 3, 107-112, October 1978.
3. **Grigoroiu, S.M.,** "Intellectual and Emotional Development and School Adjustment in Pre-term Children at 6 and 7 years of Age : Continuation of A Followup Study"; International Journal of Behavioural Development, Vol. 7, No. 3 : 307-320, 1984.
4. **Jackowska, E.,** "Educational Function of the Family of Socially Adjusted Child"; Psychologia Wychowaweza, Vol. 20, No. 4 : 394-402, 1977.
5. **Lorion, R.P., E.L. Cowen; R.M. Kraus and L.S. Milling,** "Family Background Characteristics and School Adjustment Problems"; Journal of Community Psychology, Vol. 5:2, P. 142-148, 1977.
6. **Majumdar, C.,** "A Study of The Problem of Adjustment in Adolescence"; Second Survey of Research in Education, Society for Educational Research and Development, Baroda, 1979.
7. **Sharma, K.G.,** "A Comparative Study of Adjustment of Over and Under Achievers"; Ph.D. Thesis, Edu., Aligarh Muslim Univ., 1972.

Role of pseudomonas aeruginosa in Nosocomial Infection at tertiary care hospital Bhopal

Pooja Choubey* Mr. Durga Prasad Tentwar**

Abstract - Objective – Role of pseudomonas aeruginosa in Nosocomial Infection at tertiary care hospital Bhopal.
Methods – A total number of 100 Nosocomial Samples were taken from ICU (Red Cross hospital) for study Between June 2017 and January 2018 and were tested through standard Laboratory testing procedure.
Result – In the 100 isolates of pseudomonas 99% were p. aeruginosa and 1% P. Alcaligens out of 100 isolates 87% were found resistant to Imipenem and 47 were found to be MBL procedure. In this study included male and female and age group >10 years to 80 years.
Interpretation – All samples proceed to standard culture procedure (Kirby Bauer method) and all samples inoculated MacConkey agar plate. Then observed the colony proceed to identification and biochemical testing and also tested Antibiotics Susceptibility pattern according to CLST guideline.

- Observation of bacterial growth put up gram staining for morphology
- In staining found short thin gram negative bacilli seen.
- Make 0.5% McFarland solutions and incubate 3-4 hour. After incubation done lawn culture on Muller Hinton agar plate. And applied to antibiotics.
- According to CLST guide line piperacillintazobactam, gentamicin, amikacin, ceftazidime drug are sensitive and all other are Resistance.

Conclusion - MBL mediated Imipenem in pseudomonas is a cause for concern in the therapy of critically ill patients. In the screening methods, zone diameter enhancements with EDTA impregnated ImpregnatedImipenem is effective for their detection.

MIC by agar dilution method showed 87% of the isolates in the resistance range. Detection of antibiotics resistance by the newer enzyme will help in institution of appropriate antibiotic therapy, there by reducing the associated hospital stay and cost to the patient.

Introduction - Pseudomonas aeruginosa is self arresive pathogens which is caused very common nosocomial infections and is leading to mostly who are admitted in ICU (intensive care unit)or hospital wards etc. this is also known as hospital acquired infection ,and microorganism is gram negative motile bacillus they cause toxicity and aften multi drug which is resistance ,leading to multiple complication during the treatment ,to reduce the disease must be awearness and inplantation is essential .

pseudomonas is large complex or genus of gram negative bacteria it compare with both clinical and environmental inference .pseudomonas spp.are aerobic, non spore forming and rod shape which are vary from 0.5-1.0mm in size

- C.P.Bavejastenotropnonousburknalduria in textbook of microbiology ,Arya publication 2009.

Urinary tract infections (UTI) transmission usually occurs via healthcare workers, patients and hospital equipment etc. the risk factors for nosocomial infections is included ,diabetes mellitus ,poor health etc

- In 2013(Annars of medical and health science research) -UIA-kille A, Ahmed ss,AiPE,Dognary M. challenge of intensive care unit acquired infection -2013

Material and method -

Study design and study populations

A total number of no. of 100 nosocomial infection samples were a hospital based rondomly study design was conducted from 1 April to30 sept.2019

Red cross hospital at bhopalmp.allpopulatios admitted to ICU wards,Operation heater sites included patients talbe ,trolly ,sink ,wall ,floor and suction tubing etc.

swabs were also collected from differnt instruments like endoscopes, brochoscopes,stethooscopes and ventilators.

Cleaning solutions ,disinfects detergents .mops etc were asloscreated for P.aeruginosa ,hand swabs ,throat

*Department of Microbiology, L.N. Medical College, Bhopal (M.P.) INDIA
** Mahareshi Markandeswar University (MMDU), Amabala (Haryana) INDIA

and nasal swab from attending staffwere collected and processed .strains of P.aeruginosa isolated from differnt clinical specimens ,were collected from the hospital[4]

Data collection - Biological Specimen were collected from those participants suspected to have hospital acquired infections the specimens were infected by microbiological methods following world health organization (WHO) manual to isolated the bacteria -2003.[1]

Methods - All samples processed to standard culture procedure (kirby baller method)and all samples incubated mackonkey agar plate then observed the coloney proceed to identification and biochemical testing like oxidase motility test, TSI triple sugar iron,Agar test ,urease test ,catalse test, nitrate reduction test and esullin hydrolysis test etc.

Statical analysis:-

Results - The 100 clinical isolates were identified as psuedomonas spp. Using standard methods .they were obtained from patients between the age 1 year to 90 year majority were isolated from patients in the age range of >6(33%). Followed by 41to60years (25%). 15-30yr (33%) ,30-40yr(15%) and <15 yr (5%)

Table no.01 - Specimen wise distribution of the 100 patients from whom pseudomonas was isolated

Specimen	Number of isolated
Pus	44
Sputum	32
Urine	18
Blood	02
Central line tip	02
HVS swab	02
Total	**100**

Table no.02 - Age wised distribution of the 100 patients from whom pseudomonas was isolated .

Age groups (years)	Number of patients (n=100)
<15	5(5%)
15-30	22(22%)
31-40	15(15%)
41-60	25(25%)
>60	33(33%)

Table no.03 - Gender wise distribution of the 100 patients from whom pseudomonas was isolated.

Gender	Number (n=100)
Male	67(67%)
Female	33(33%)

Discussion - pseudomonsspp.are oblique's in nature and may act as opportunistic pathogens among the pseudomonas aeruginosa is an important human pathogens and is a common cause of nosocomial infection such as burn wound infection ,respiratory tract infection (RTI),urinary tract infection (UTI)and also as an opportunistic pathogens in immune-compromised patients .**-2009**[4]

MIC for imipenum was determined by agar dilution method in the range of 0.5 to 64 microgram/ml.

Among the different specimens pseudomonas isolated from sputum showed high resistance (MIC range 32to >64µg /ml to imipenum .MIC of 50% of pseudomonas isolates from sputum was >64 µg /ml.

In this study, the highest incidence of pseudomonas aeruginosa (28.35%) was found in ICU which was followed by MICU(26.86%),NICU(16.41%),IPCU(14.92%),and ICCU (13.43%).

References :-

1. Ushaverma ,smitakulshrestha and P.k.Khatri MOR Pseudomonas aeruginosa in nosocomial infections burden ICU and burn units of tertiary care hospital
2. Department of microbiology ,Dr.S.N. Medical collage of jodhpur ,Rajisthan,India-2018
3. M.Dwivedi ,A.Mishra ,R.K.Singh ,A.Azim ,A.K.Baronia, K.N.PrasadDeprtment of microbology ,critical care medicin, SGPGIMS,Lucknowindia -2009
4. Ali soloman ,BirhaneMelkamu ,GudinaesayasKebeda Antimicrobial resistance and infection controll -2018
5. VandepitteJ,Verhaegen J, EngbaekK, RohherP,PiotP, HeuckCc.Basic laboratory procedures in clinical bacteriology .second ed.,Geneva,Switzerland world health organization(WHO)-2003
6. Pas RamprasadBalikaranetal ,J.Bio science tech.-2010
7. Prasad SV,BaualM,ShivanandaPG.Slimproductions a virulence marker in pseudomonas aeruginosa stain isolated from clinical and inviromental specimens . A compective study of Two methods Indian J Pathalmicrobilogy 2009

****

सिनेमा और साहित्य का अन्त: संबंध

डॉ. ज्योति मिश्रा *

प्रस्तावना – साहित्य समाज का दर्पण है और सिनेमा साहित्य का विस्तारक। साहित्य और सिनेमा कहीं न कहीं हमेशा ही एक दूसरे के विस्तार में सहयोग करते हैं। इस रुप में देखा जाय तो साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के पूरक है।साहित्य वह मुकुर है जहाँ सामाजिक व्यवस्था सम्पूर्णत: प्रतिबिबिंत होती है। साहित्य व्यक्ति के विविध पक्षों को विविध रूपों में रेखांकित करता है। हिंदी साहित्य भारतीय समाज के व्यापक स्वरुप को यथानुसार वर्णित करता रहा है। चाहे किसी भी काल में किसी भी देश में कोई भी घटना क्यों न घटी हो युगीन साहित्य उसे अवश्य रुपायित करता है। यही कारण है कि विभिन्न युगों में समाज का स्वरुप कैसा था उसकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसका संपूर्ण विवरण उस युग में लिखा गया साहित्य में ही मिलता है।

साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना मानव । मानव के जन्म के साथ ही भावनाएँ जन्मी तथा शब्द और अर्थ के योग से इन्हीं भावनाओं का प्रकाशन साहित्य में हुआ। साहित्य का अर्थ स–हित 'साहित्य' अर्थात् जिसमें मानव समाज का व्यापक हित सन्निहित हो उसे साहित्य कहते है। साहित्य मनुष्य को अज्ञान रुपी अंधेरे से निकालकर ज्ञान रुपी प्रकाश की ओर ले जाती है। मनुष्य को मानवता का पाठ सिखाती है, हृदय को कोमल, सुंदर और स्वार्थहीन बनाती है। साहित्य वह है जो 'हमें सुख–दुख की व्यक्तिगत संकीर्णता बुनियादी झगड़ों से ऊपर ले जाती है ।और संपूर्ण मनुष्य जाति के और भी आगे बढ़कर प्राणीमात्र के दु:ख शोक राग–विराग, आहद आमोद को समझने की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि देती है।'[1] इस प्रकार साहित्य का वास्तविक संबंध जीवन से होता है। वह मानव जीवन के यथार्थ को प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करती है। साहित्य का प्रधान लक्ष्य मानव जीवन के रहस्य का उद्घाटन करते हुए उसे सत्य से अवगत कराना होता है।

प्रतिदिन विज्ञान के नए–नए प्रयोगों एवं अविष्कारों के कारण समग्र विश्व में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अपने आस–पास के सामाजिक जीवन, दृश्य, घटनाएँ आदि को देखने का नजरिया भी बड़ी तेजी से बदल रहा है। मनोरंजन के तरीके भी बदल गए। नाटक संगीत और खेल का स्थान सिनेमा ने ले लिया।

सिनेमा इक्कीसवीं सदी का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बनता जा रहा है। इसके माध्यम से मानव जीवन का भावों और विचारों का सामूहिक आदान–प्रदान होता है। यह दुनिया के सामने चलती हुई तस्वीरों के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करता है। हमारे खान–पान, रीति–रिवाज एवं रहन–सहन पर सिनेमा का ही प्रभाव है। सिनेमा के द्धारा हम विश्व की सभ्यता और संस्कृति से परिचित होते हैं। सिनेमा का लाभ अमीर–गरीब, शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गो को समान रुप से मिलता है। सिनेमा मनुष्य की चिंताओं और संघर्षों की अभिव्यक्ति है। ज्ञान का जो भंडार पहले शिक्षित लोगों की मुट्ठी में कैद थी आज वह सिनेमा के माध्यम से जन–जन तक पहुंच रही है। जिस प्रकार साहित्य का उद्देश्य एक अच्छे व्यक्ति और समाज का निर्माण करना ही है। ठीक उसी प्रकार सिनेमा का उद्देश से भी एक अच्छा मनुष्य और एक अच्छे समाज का निर्माण करना ही है। सिनेमा जनकल्याण एवं लोक मंगल की भावनाओं को स्पष्ट करता है। डॉ. विनोद दास के अनुसार– 'सिनेमा एक कला है ,और अन्य कलाओं की तरह यह भी हमारे समय और समाज की बुनियादी तथा तत्कालिक चिंताओं–जिज्ञासाओं को अपनी सृजनशीलता का एक अनिवार्य अंश बनाता रहा है।'[2]

डॉ. विजय शर्मा के अनुसार– 'फिल्म साहित्य से अलग एक भिन्न विधा है यहां कथानक होते है मगर वही सब कुछ नहीं होता है। फिल्म भिन्न मुहावरों में बात करती है।'[3]

आलोक पांडेय– 'दरअसल सिनेमा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है ,वह एक अन्वेषणकारी माध्यम भी है। वह बहुत कुछ ऐसा भी कहता और करता है ,जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता।'[4] दरअसल सिनेमा मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम होने के साथ–साथ हमें हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराते हुए हमें एक नए युग की ओर ले जाती है।

साहित्य विश्व की सर्वाधिक प्राचीनकला है और सिनेमा आधुनिक कला है फिर भी सिनेमा का प्रभाव दर्शकों पर साहित्य की अपेक्षा अधिक पड़ती है। सिनेमा को अधिक प्रभावशाली बनाने में विभिन्न कलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और साहित्य भी हस धारा से अलग नहीं है। सिनेमा में एक व्यवस्थित कथा होती है जिसके चारों ओर सिने कला के अन्यतत्व चक्कर लगाते हैं, तो यह बात स्वत: सिद्ध हो जाती है कि सिनेमा का साहित्य से केवल सीधा ही नहीं बल्कि अटूट, गहरा और निकटका रिश्ता है। 'प्राचीन नट–मंडली एंव लीला–मंडली से विकसित हो नाटक की रंगमंच के मार्ग से गुजरते हुए चलचित्र के वर्तमान रुप तक पहुंचा है, जिस रुप में साहित्य की विधा के समागम की उद्भुत क्षमता है।'[5] निश्चित रुप से यह कहा जा सकता है कि सिनेमा के पास अभिव्यक्ति के जितने उपकरण है उतना अन्य किसी कलात्मक विधा के पास नहीं है। साहित्य नृत्य, संगीत, मंच सज्जा, स्थापत्य काला, कलर इन सभी उपकरणों में साहित्य किसी न किसी रूप में कम या अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है और अंतत: सिनेमा में आकर सभी विधाएँ एकत्रित हो जाती है। साहित्य और सिनेमा दोनों में संवेदनशील पाठक,श्रोता और दर्शक के मन–मस्तिष्क को स्पर्श करने की अपनी और आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इन कलाओं का पारस्परिक समन्वय जितना अधिक होगा पाठक, दर्शक या श्रोता के साधारणीकरण की क्षमता का विस्तार

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, संबलपुर (ओडिशा) भारत

उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है कि सिनेमा कला माध्यम का दर्शक वर्ग इतना व्यापक है। डॉ. विजय अग्रवाल के शब्दों में – 'हम कह सकते हैं कि कला के विभिन्न रुपों का पारस्परिक संतुलित समन्वय करना एक प्रकार से कला को अभिजात्य वर्ग की सीमाओं से बाहर निकाल कर उसे जन सामान्य तक पहुँचाने की ही प्रक्रिया है, चुकिं सिनेमा में इस समन्वय की सर्वाधिक भावनाएँ हैं, इसलिए यह संभवत: 'सबसे अधिक सबकी विधा' बन गई।'[6]

सिनेमा और साहित्य के बीच वार्तालाप मूक फिल्मों के युग से ही शुरु हो गया था। सन् 1915 में जबकि यह सिनेमा का शैशवकाल था डी. डब्ल्यू ग्रिफिथ ने फिचर फिल्म के रुप में टॉमस डिक्सन के उपन्यास 'द कलैंसमैन' पर आधारित 'द बर्थ ऑफ नेशन' फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में एक ऐसे परिवार के त्रासद अनुभवों को व्यक्त किया गया था जिसे गृहयुद्ध के दौरान उन्हें सहना पड़ा था। उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास न होने के बावजूद भी ग्रिफिथ ने अपनी फिल्म कला के जादू से इसे एक अद्वितीय फिल्म में रुपांतरित कर दिया। जिसके फलस्वरुप यह फिल सिनेमा के इतिहास में अभी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। तब से आज तक फिल्म और साहित्य का संबंध किसी न किसी रूप में बना हुआ है और साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन एक सच यह भी है कि दोनों माध्यमों में विधागत विशेषताओं के अंतर के कारण साहित्यकार और सिने निर्माताओं के बीच मनमुटव बना रहता है।

भारत में फिल्मों ने अपनी सौ वर्ष की यात्रा पूरी कर ली। वास्तव में यह अपने दौर का सबसे बड़ा चमत्कार था जब हिलती डूलती तस्वीरें पहली बार पर्दे पर नजर आई 14 मार्च 1931 को भारतीय फिल्मों ने जब बोलना प्रारंभ किया तब सिनेमा जगत में नई क्रांति हुई और समाज से जुड़ने लगी। इसी परिप्रेक्ष्य में जुड़ने लगा फिल्मों में कथा साहित्य का अतुलनीय योगदान। भारत एक बहूभाषी देश है और हर भाषा का अपना जो साहित्य है उसमें फिल्म भी बननी शुरु हुई और वहाँ के कथा साहित्य में जो कथाएँ है, उनका उपयोग फिल्म की पटकथा लेखन के लिए होने लगा। हिंदी उपन्यास साहित्य या कथा साहित्य को लेकर उसमें सृजनात्मक कल्पना आदि का समावेश कर नई कथा सृष्टि करते हुए कई फिल्में बनाई गई। भारतीय फिल्मों के इतिहास में 'आलम आरा' नि:संदेह एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके प्रदर्शन ने मूक फिल्मों की लोकप्रियता छीन ली और धीरे–धीरे उनका बनना बंद हो गया। यह फिल्म जोसेफ डेविड की लिखी एक नाटक पर आधारित थी। 'आलम आरा के बाद बोलती फिल्मों ने जब अपनी पहचान बनानी शुरूर की तो बंगला, मराठी आदि भाषाओं ने भी हिंदी सिनेमा की श्री वृद्धि की। इस तरह प्रारंभ से ही हिंदी सिनेमा हिंदी भाषा संस्कृति के क्षेत्र का सिनेमा नहीं था उसे हिंदुस्तानी सिनेमा भी कहा जा सकता है। इस तरह हिंदी भारतीय फिल्मों का मुख्य भाषा रही और विश्व में हिंदी सिनेमा ही भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है।'

भारत में बनने वाली पहली फिचर फिल्म दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक 'हरिश्चंद्र' पर आधारित थी। बोलती फिल्मों का शुरुआती दौर फारसी थियेटर की विशेषताओं पर आधारित था लेकिन धीरे–धीरे विषयों में विविधता आने लगी। फिल्म निर्माता एवं निर्देशकों ने प्रश्चिद्ध लेखकों की कृतियों को फिल्म में स्थान देना शुरु किया।

प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भवानी के निर्देशन में 'मिल मजदूर' फिल्म बनी। निर्देशक ने मूल कहानी में कुछ बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आया। इस बदलाव को उन्होंने प्रेमचंद की हत्या मानी। इस फिल्म पर बम्बई में प्रतिबंध भी लगाया गया। कुछ समय पश्चात् पंजाब मैं यह 'गरीब मजदूर' के नाम से प्रदर्शित हुई। सन् 1934 में प्रेमचंद की कृतियों पर 1934 में 'नव जीवन' और 1935 में 'सेवासदन' बनी लेकिन ये फिल्में पर्दे पर ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1946 में प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमि' पर इस नाम से फिल्म बनी लेकिन इसका भी हश्र चौन पहले दोंनों फिल्मों की तरह ही हुआ। प्रेमचंद कृत 'गोदान'(1963 में) और 'गबन' (1966 में) पर्दे पर आई। सामाजिक दृष्टि से 'गोदान' फिल्म सफल रही। 'गोदान' उपन्यास में जीवन की सारी विविधिताएँ एक साथ मौजूद है।। 'गोदान' के सामाजिक जीवन में ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन दोनों का सफल चित्रण हुआ है। वास्तव में 'गोदान' जैसे महान रचनाएँ कम ही लिखी जाती है। 'गोदान' उपन्यास का महत्त्व फिल्म की कथा के लिए है। जो यथार्थ के अधिक निकट है। 'कफन' कहानी पर बांग्ला भाषा में 'ओका ऊरी कथा' नामक फिल्म 1977 में बनी। 1981 में प्रेमचंद की कहानी 'सद्गति' को पर्दे पर फिल्माया गया। 'दो बैलों की कथा' पर भी फिल्म निर्माण हुआ।

केदारनाथ शर्मा ने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास 'चित्रलेखा' पर 1941 में फिल्म बनाई और फिल्म सफल भी रही। लेकिन 'चित्रलेखा' की सफलता भी फिल्म निर्माताओं को साहित्यिक कृतियों पर फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित नहीं कर सकी कुछ फिल्में बनी लेकिन वे असफल रही। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात उनकी कहानी 'शतरंज के खिलाड़ी' पर इसी नाम से फिल्म बनी और दर्शकों द्वारा काफी सराही भी गई। इसी प्रकार सन् 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 'उसने कहा था' तथा आचार्य शास्त्री के उपन्यास पर 'धर्मपुत्र' नाम से बी. आर चौपड़ा फिल्म बनाई। फणीश्वर नाथ रेणु की 'मारे गए गुलफाम' पर 'तीसरी कसम' फिल्म बनी। यह फिल शैलेंद्र द्वारा निर्देशित थी। 1966 में बनी यह फिल्म अपनी एक अलग पहचान रखती है। 'तीसरी कसम' की चित्रात्मक अभिव्यक्ति या फिल्मांकन ने रेणु की कहानी को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। 1969 में मृणाल सेन के कुशल निर्देशन में बनी हिन्दी फिल्म 'भुवनसोम' आई, जिसे राष्ट्रपति ने स्वर्णपदक से विभूषित किया। बनफूल कि बंगला लघु उपन्यास पर आधारित इस फिल्म को समांनान्तर सिनेमा के नाम से पहचान मिली। समांतर फिल्मों की परंपरा की दूसरी फिल्म राजेंद्र यादव के उपन्यास 'सारा आकाश' पर इसी नाम से बनी फिल्म निर्देशक बासु भट्टाचार्य के सपनों का साकार करने वाली फिल्म है। कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी की कृति 'एक चादर मैली सी' फिल्म बनी और पर्दे पर बुरी तरह पिट गई। केशव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित 'कोहबर की शर्त' आंचलिक उपन्यास पर राजश्री बैनर के तले बनी 'नदिया के पार' फिल्म लोकप्रिय फिल्म थी। यह फिल्म अपने समय में शोहरत और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से चरम उत्कृष्ट पर रही। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह लोकजीवन की परंपराओं को आत्मसात् किए हुए हैं। इस फिल्म का लोककथा लोक के सुख–दुख को साथ लेकर चलती है। इस फिल्म की कथावस्तु उत्तार प्रदेश के बनारस के पास के एक गांव के लोकजीवन से संबंधित है। उपन्यास की कथावस्तु में बिना किसी छेड़–छाड़ के या बिना किसी बदलाव के फिल्म बनाई गई है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने यह फिल्म न देखी हो। चौबे छपरा और बलिहार दोनों गांव के सामाजिक जीवन की सफल अभिव्यक्ति इस फिल्म में हुई है। मन्नू भंडारी के 'यही सच है' उपन्यास पर बासु चटर्जी में 'रजनीगंधा' फिल्म का निर्माण किया। गोविन्द निहलानी के निर्देशन में भीष्म साहनी के उपन्यास 'तमस' का इसी नाम से फिल्म बनी। पाँचवें दशक में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित 'सूरज का साँतवाँ घोड़ा'

उपन्यास पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम से फिल्म बनाई। यह फिल्म 1992 में बनी और अत्यंत सफल भी रही। वैसे तो इस उपन्यास की कथावस्तु कुछ विशेष नहीं है। फिर भी श्याम बेनेगल ने इस उपन्यासश् पर फिल्म बनाने का खतरा शायद इसलिए उठाया कि इसमें छः अलग-अलग छोटी-छोटी प्रेम कहानियाँ इस रुप में कही गई है कि वे अंत में जाकर एक-दूसरे से जुड़ जाती है। मन्नू भंडारी की 'आपका बंटी' और 'महाभोज' पर भी फिल्म बनी। शैवाल कहानी पर बनी फिल्म 'दामुल' और भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पर बनी 'चित्रलेखा' फिल्म का सिने जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रियदर्शन की कथन है की-'हिन्दी की पहली आधुनिक कहानी कहलाने की होड़ जिन रचनाओं में दिखती है, इनमें से एक चन्द्रधर शर्मा गुलेर की उसने कहा था' है जिस पर फिल्म बनी। फायदे से हिंदी साहित्य और सिनेमा के बीच एक पूल यह कहानी भी बनाती है।'[7]

मोहन राकेश के नाटक 'आषाढ़ का एक दिन', मुक्तिबोध की कहानी 'सतह से उठता आदमी' पर फिल्म बनाई गई। कमलेश्वर और राही मासूम रजा की जड़े भी हिंदी सिनेमा काफी गहरी है। उन्होंने सिनेमा को साहित्य से न जोड़ कर उसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रस्तुत किया। गुलजार द्वारा कमलेश्वर की कृति 'काली आँधी' और 'आगामी अतीत' पर 'आँधी' और 'मौसम' फिल्म बनाई गई ये फिल्में सफलता के चरम शिखर पर पहुँची। इस संम्बंध में यह कहा जा सकता है कि-'एक श्रेष्ठ साहित्य पर श्रेष्ठ फिल्म भी बनाई जा सकती है, या हर अच्छे साहित्य पर फिल्म बननी चाहिए।'[8]

हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्य के साथ-साथ बंगला, मराठी, उर्दू, उड़िया, गुजराती तथा अंग्रेजी साहित्य का भी योगदान रहा है। इनमें से अनेक फिल्में सफलता के शीर्ष पर पहुंची। वी. शांताराम ने मराठी लेखक हरिनारायण आप्ते के उपन्यास 'भाग्यश्री' पर फिल्म बनाई। 'अछूत कन्या' फिल्म उर्दू के साहित्यकार मण्टो की कहानी पर निर्मित है। भारत के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार शरत चंद्र की क्लासिक कृति 'देवदास' पर देश की विभिन्न भाषाओं में अब तक दस बार फिल्में बन चुकी है। पहली बार सन् 1928 में नरेश मित्र ने इस पर फिल्म बनाई किंतु जिस फिल्म ने देवदास के चरित्र को उपासना योग्य बना दिया वह थी पी. सी. बरुआ की 'देवदास' जो 1935 में हिंदी और बंगाल दोनों भाषाओं में बनी थी। इस फिल्म के नायक के. एल. सहगल और नायिका बरुआ की पत्नी यमुना ने पारो का भूमिका अदा की। 1935 में बनी 'देवदास' ने पूरे फिल्म जगत को एक तूफान की अपनी गिरफ्त में ले लिया अर्थात् यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई और खुब चली और आज इक्सवीं सदी में भी वह बरकरार है। देवदास एक त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी है और त्रिकोणत्मक प्रेम कहानी हिंदी फिल्म जगत की सबसे लोकप्रिय फॉर्मूला रही है। 1955 में बनी विमल राय की 'देवदास' को भी एक क्लासिक फिल्म का दर्जा प्राप्त हुआ इस फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास की भूमिका निभाई थी। एक ओर देवदास 2003 में प्रदर्शित हुई जिसमें मुख्य अभिनेता के रूप में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दिक्षित ने सर्वोत्कृष्ट अभिनय किया। 'देवदास' का नया संस्करण 'देव डी' के नाम से 2009 में प्रदर्शित किया गया। 1965 में आर. के. नारायण कुमार के उपन्यास 'द गाइड' पर 'गाइड' फिल्म बनी। जिसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार और वहीदारहमान ने अभिनय किया। 1968 में 'दो दूनी चार' फिल्म आई जो शेक्सपियर के उपन्यास 'Comedy Of Errors' पर आधारित थी। बाद में गुलजार के निर्देशन में यह फिल्म बनी। गुजराती उपन्यास 'सरस्वतीचंद्र' पर 1968 में इसी नाम से फिल्म बनी। जिसके लेखक गोवर्धनराम माधवराम त्रिपाठी है। 2013 में इसी नाम से एक धारावाहिक भी बनी। 1971 में रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी 'संपत्ति' पर आधारित 'उपहार' फिल्म बनाई गई। 1971 में ऐंजेकुरियन की पुस्तक 'The citadel' पर 'तेरे मेरे सपने' फिल्म बनी साथ ही बंगाली और उर्दू भाषा में भी यह फिल्म बनाई गई। 1976 में शरत बाबू के उपन्यास 'परिणीता' पर 'संकोच' फिल्म बनी और 2005 में 'परिणीता' नाम पर फिल्म बनी। जिसमें मुख्य भूमिका सैफअली खान और विद्या बालन में निभाई। 1976 में ही फिल्म 'बालिका वधू' बनाई गई जो बंगाली पर आधारित थी। 1979 में 'जुनून' फिल्म आई जो रॉस्कीन बॉण्ड की 'A Elight Of Pigeons' उपन्यास पर आधारित थी। 1981 में बनी 'कलयुग' वेदव्यास कृत संस्कृत महाकाव्य 'महाभारत' की कथा पर आधारित थी। 1981 में 'उमराव जान' फिल्म आई जिसमें रेखा का अदायगी ने फिल्म को जीवंत बना दिया। यह फिल्म उर्दू उपन्यास 'उमराव जान अदा' पर आधारित थी। 2006 में 'उमराव जान' पुनः पर्दे पर आई। जिसमें उमराव के चरित्र को ऐश्वर्या राय ने अभिनीत किया। 1982 में 'अंगुर' पिक्चर आई जो शेक्सपियर के 'कामेडी ऑफ एररर्स' पर आधारित थी। 1983 में 'मासूम' पिक्चर बनी जो इरिच सेगल की 'Man,Woman And Child' कहानी पर आधारित थी। 1980 में शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय की बंगाली उपन्यास पर 'अपने पराए' फिल्म बनी। इसी प्रकार 1988 में 'कयामत से कयामत' तक शेक्सपियर की कहानी 'रोमियो और जूलियट' पर तथा 'अर्थ' फिल्म बापसी सिधवड के उपन्यास 'Cracking India' उपन्यास पर आधारित थी। 2003 में अमृत प्रीतम के उपन्यास 'पिंजर' पर इसी नाम से फिल बनाई गई। 2005 में मेरियो पूजो के उपन्यास 'The God Father' पर 'सरकार' फिल्म बनी। 2010 में 'राजनीति' फिल्म बनाई गई। जिसमें वेदव्यास कृत 'महाभारत' और मेरियो यूजो की 'The God Father' दो कथाओं का मिश्रण किया गया। 2009 में बनी 'थ्री इडियट्स' चेतन भगत के उपन्यास 'Five Point Someone' पर आधारित थी। 2014 में 'टू स्टेटस' 'The Story Of My Marriage' तथा विशाल भरद्वाज की 'हैदर' शेक्सपियर के नाटक 'हेलमेट' पर आधारित थी। 2015 में बनी 'बाजीराव मस्तानी' नागनाथ एस. इमानदार के उपन्यास 'रासू' पर आधारित थी। 2018 में मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य 'पद्मावत' पर 'पद्मावती' पिक्चर बनाई गई। 'आनंद मठ' फिल्म का निर्माण बंकिम चंद्र की कृति पर बनी। विमल मित्र के उपन्यास 'साहब बीबी और गुलाम' पर इसी नाम से फिल्म बनी उड़ीया लेखक फकीर मोहन सेनापति की रचना पर 'दो विधा जमीन' बनी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक साहित्यिक कृतियों का सिनेमाई सृजन किया गया है। यह बात अलग है कि साहित्य पर बनी फिल्मों को दर्शक स्वीकार करेगा या नहीं। फिल्म के इतिहास की ओर हम नजर डालें तो ऐसी अधिकांश फिल्में हैं जिनको दर्शक ने स्वीकार नहीं किया। फिर चाहे वह फिल्म प्रेमचंद जैसे रचनाकार का साहित्य को चाहे फणीश्वरनाथ रेणु का चाहे मुक्तिबोध की कहानी हो या फिर उदय प्रकाश और योगेश गुप्ता का साहित्य हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो फिल्मे नहीं चली उसका कारण उनका साहित्यिक होना ही है क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जो असाहित्यिक होते हुए भी नहीं चलती और जो चली या सफल हुई उसका कारण भी केवल यह नहीं रहा कि वे साहित्यिक थी बल्कि इसका मूल कारण फिल्म की संपूर्ण प्रस्तुति में है। यह बात निर्विवाद है कि यदि फिल्में जिन कहानियों या उपन्यासों को लेकर बनी है या निर्मित हुई है यदि उनकी मौलिकता के साथ छेड़छाड़ की गयी या उसके कथानक को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ सिनेमाई अंदाज में प्रस्तुत किया गया तो वे उतनी सफल नहीं हुई।

इस प्रकार जिन उपन्यासों को लेकर फिल्म की पटकथा ज्यों की त्यों रखी गई तथा उसके कथानक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेखक की चिंताधारा उसकी सोच तथा चिंतन पर निर्माताओं ने अपना मंतव्य नहीं जोड़ा, ऐसी फिल्में आज भी प्रामाणिक हैं और वर्तमान समय के दर्शक भी उन्हें देखना पसंद करते हैं। साहित्य और सिनेमा के अंत: संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बकुल टेलर कहते हैं– 'साहित्यिक कृति पर बनी फिल्म अपने आप अच्छी हो, ऐसा नहीं होता। वास्तविकता यह है कि साहित्यिक कृति का सौंदर्यशास्त्र और सिनेमा का सौंदर्यशास्त्र अलग–अलग है और सिनेमा सर्जक भी साहित्यिकृति के पाठक रूप में साहित्यिक तत्वों पर मुग्ध होकर उनका सिनेममेटिक रूपांतरण किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं।'[9]

उमेश राठोर के शब्दों में– 'फिल्म और साहित्य' के परस्पर लगाव का प्रश्न सदैव से ही जीवंत रहा है। इस संबंध को विकसित करने में गीत ,कविता, नाटक और उपन्यास की चर्चा भी अक्सर होती रहे है, लेकिन फिल्में केवल उपन्यासों पर ही नहीं बनी–कथाओं पर भी निर्मित की गई ।'[10]

वास्तव में देखा जाय तो साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बन पाने के कई कारण है। साहित्य सृजन पूर्ण रुप से व्यक्तिगत कर्म है जबकि सिनेमा लोक विधा है, सामूहिक कर्म है। एक फिल्म के निर्माण में निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, कैमरामैन, इलेक्ट्रीशियन, सब का हाथ होता है। साहित्य शिक्षितों की विधा है जबकि फिल्म का उद्देश दर्शकों का मात्र मनोरंजन करना होता है फिर वे दर्शक चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित। इन दोनों माध्यमों में विधागत अंतर होने के कारण अक्सर इनके बीच मनमुटा रहता है और यह मनमुटाव उन दर्शकों के कारण अधिक होता था जो फिल्म देखने से पहले उपन्यास या कहानी पढ़ चुके होते थे। प्राय: ऐसे दर्शकों की हमेशा यह राय होती थी कि यह फिल्म उपन्यास या कहानी से भिन्न है क्योंकि वे फिल्म में मूल कृति को ढूंढनेने लगते हैं। ऐसे दर्शक यह भूल जाते हैं कि सिनेमा एक स्वतंत्र विधा है और एक विधा दूसरी विधा का स्थानापन्न नहीं हो सकती। इस संबंध में प्रसिद्ध चिंतक वाल्टर बेन्यामिन का कथन है कि –'किसी कलाकृति की सबसे अच्छी अनुकृति में कम से कम एक कमी तो रह जाती हैं मूल कृति किसी काल तथा स्थान में होती हैं। जहाँ भी यह स्थिति होती हैं वहाँ वह अनूठी है, उसका अनूठा अस्तित्व है जिसकी अनुकृति संभव नहीं।'[11]

परिस्थिति चाहे जैसे भी क्यों न हो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि फिल्में अपनी सही सामाजिक दायित्व का निर्वाह तभी कर सकेंगी जब वे साहित्य का आधार तथा संस्कार को साथ लेकर चले। त्रिकोणात्मक प्रेम अथवा हिंसा को लेकर निर्माता आखिर कितने भिन्न–भिन्न तरिकों से फिल्म निर्माण कर सकते हैं। कथानक की विविधता उसे साहित्य से ही प्राप्त हो पायेगी। साहित्य और फिल्म के बीच संवाद एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आशा ही नहीं विश्वास भी है कि पटकथा लेखन में कथा लिखक को साथ लेने की परंपरा को फिल्मकार उत्साह से अपनाकर फिल्म और साहित्य के बीच एक अटूट और गहरा रिश्ता कायम कर सकेंगे।सुधीर, सुमन के शब्दों में– 'सिनेमा मनुष्य के कला के साथ अंतसंबंध का दृश्यरूप है। मनुष्य के जीवन में जो सुंदर है उसके चुनाव के विवेक का नाम सिनेमा है।'[12]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉ. जय किसान प्रसाद, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा,2013–14,पृ0 10
2. www-sodhganga-inflibent-ac-in (साहित्य एवं सिनेमा रू स्वरूप एवं महत्व)
3. वही
4. वही
5. http://haryana aur haryanavi-blogspot-com
6. सिनेमा की संवेदना ,विजय अग्रवाल, प्रतिभा प्रतिष्ठान ,नई दिल्ली,प्रथम संस्करण,1995 पृ036
7. नये दौर का नया सिनेमा ,प्रियदर्शन, वाणी प्रकाशन 2015 पृ074
8. सिनेमा की संवेदना ,विजय अग्रवाल, प्रतिभा प्रतिष्ठान ,नई दिल्ली,प्रथम संस्करण,1995 पृ036
9. http://drpuneetbisaria-blogspot-com
10. happy://haryana aur haryanavi-blogspot-com
11. अनभै, अप्रैल–सितंबर 2006 अलंग प्रकाशन,दिल्ली साहित्य और फिल्म के अंतरूसंबंध,डॉ. विनोद दास
12. http://haryana aur haryanavi-blogspot-com

****

किन्नर- इतिहास, उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा

डॉ. ज्योति मिश्रा *

प्रस्तावना – विश्व स्तर पर भारत के समाज सबसे अधिक विविधता युक्त समाज। 'विविधता में एकता' इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। समय-समय पर यहां विभिन्न जातियां और संस्कृतियां आई और भारत देश के इस महा मानव समुद्र में विलीन होती गई फलस्वरुप भारत समाज में खान-पान, रहन-सहन और पहनावा तथा भाषा किस स्तर पर विभिन्न भेद दिखाई देने लगे इसी कारण यह बहुलवादी भी रहा है। यह समाज अपने कई आयामों पर संगठित होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। लेकिन अनेकता में एकता का प्रचार करने वाला भारतीय समाज भी असमानता के भेद में फंसा हुआ है जैसे उंच-नीच, छुआ-छूत का भेदभाव आदि स्थितियाँ भारतीय समाज में व्याप्त है। इन्हीं स्थितियों की सीमा में दबे अनेक समुदाय दलित, आदिवासी, वृद्ध आदि हैं। लेकिन सबसे निचले पयदान पर समझा जाने वाला एक किन्नर समुदाय भी है जो दृष्टि के प्रारंभ से समाज का एक अभिन्न हिस्सा होते हुए भी अपने अस्तित्व की तलाश में संघर्षरत् है। यह किन्नर समुदाय समाज की मुख्यधारा से अलग सदैव अपमान, घृणा या तिरस्कार की अग्नि में जल रहा है। आज हमें अपनी विचारधारा और सोच में बदलाव लानी होगी और इस समुदाय को समाज में समानता का दर्जा देना होगा।

सृष्टि का सृजन ईश्वर ने किया। इस संसार में वनस्पति जगत या जीव जगत के रूप में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब उस ईश्वर की देन है। मनुष्य में नर नारी और उभय लिंग उन्हीं की रचना है। लेकिन सांसारिक जीवन के विकास में केवल दो लिंग स्त्री और पुरुष को ही मान्यता मिली है। समाज की संरचना मुख्यता द्विलिंगी होती है। स्त्री और पुरुष, यह दोनों समाज के मुख्य स्तंभ है। इन दोनो संभोग में से अलग एक और स्तम्भ है जिसे समाज तीसरा लिंग का नाम से जानता है जो न तो नर है और न ही मादा अर्थात् उभयलिंगी होता है।'इन दोनों से इतर समाज में जिनका अस्तित्व है वे तीसरे जन हैं। जिन्हें हम पारंपारिक यौंन पहचानों के तहत समेट नहीं पाते हैं। इन तीसरे जनों का पारंपरिक यौंन-पहचान में फिट नहीं हो पाना ही उन्हें अजनबी बना देता है। सिर्फ अजनबी नहीं, बल्कि अवांछित भी।'[1]

इस सृष्टि में मानव जाति का नर और नारी का इतिहास जितना प्राचीन है उभयलिंगी या थर्ड जेंडर का अस्तित्व भी उतना ही प्राचीन है। संस्कृत व्याकरण में तीसरा लिंग नपुंसक लिंग है। अंग्रेजी में इसे 'न्यूटर जेंडर' कहा गया है। भाषा के विकास के दौरान जब व्याकरण से उभय लिंग को हटा दिया गया तब से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। कहा जाता है कि परमात्मा ने सिर्फ ढाई जाता बनाई है- औरत, मर्द और किन्नर।

किन्नर हिमाचल के क्षेत्रों बसने वाली एक मानव जाति का नाम है। ये मुख्य रूप में हिमालय के हिमवत् और हेमकूट में निवास करते हैं। पुराणों, रामायण और महाभारत की कथा और आख्यानों में इनका वर्णन मिलता है। कादंबरी जैसी प्रमुख ग्रंथों में इनके निवास स्थान, जीवन शैली और क्रियाकलाप का वर्णन मिलता है। किन्नर अर्थात् कि 'नर' से स्पष्ट है कि उनके योनि और आकृति पूर्णत: एक साधारण मानव जैसी नहीं होती। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में दो कथाएं प्रचलित है एक तो यह कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए और दूसरे यह की अरिष्टा और कश्यप उनके आदि जनक थे। किन्नरो का प्रधान निवास स्थान हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश है, जहां वे शंकर की पूजा किया करते थे। यक्षों और गंधर्वो की तरह ये नृत्य गीत में प्रवीण होते थे। इन्हें देवताओं का यक्त माना जाता है और देवताओं की पूजा करते हुए यह गायकी का कार्य भी करते हैं। विराट पुरुष, इंद्र और हरि इनके पुज्य थे और पुराणों के अनुसार वे कृष्ण का दर्शन करने द्धारिका तक गाए थे। मनुष्य और पशु अथवा पक्षी का संयुक्त रुप भारतीय कला और संस्कृति की अपनी एक विशेष विशेषता है। भगवान का नृसिंह अवतार भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है।'शतपथ ब्राह्मण में अश्वमुखी मानव शरीर वाले किन्नर का उल्लेख है (7.5.2.32) बौद्ध साहित्य में किन्नरों की कल्पना मानवमुखी पक्षी के रूप में की गई है। मानसार में किन्नर के गरुड़मुखी मानवशरीर और पशुपदी रूप के वर्णन है। इस अभिप्राय का चित्रण भरहुत के अनेक उच्चित्रणों में हुआ है।'[2] किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसने बाली अति प्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण आदिम जाति है जिनका वर्णन ग्रंथों, वेदों, पुराणों तथा विभिन्न भाषाओं के साहित्य में इनका वर्णन मिलता है। ये आदिम जाति है इनके वंशज वर्तमान जनजातिय जिला कन्नोर में निवास करते हैं। संस्कृत ग्रंथों में किन्नरी वीणा का उल्लेख भी मिलता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने वर्तमान किन्नोर क्षेत्र की अनेक बार यात्राएँ की है और अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'किन्नर देश और हिमालय' में इस बात को प्रमाणित किया है कि वर्तमान किन्नौर ही प्राचीन किन्नर देश है उनके अनुसार- 'यह किन्नर देश है किन्नर के लिए किंपुरुष शब्द भी संस्कृत में प्रयुक्त होता है, अत: इसी का नाम किंपुरुष या किंपुरुष वर्ष भी है। किन्नर या किंपुरुष देवताओं की एक योनि मानी जाती थी। किन्नर देशियों को आजकल किन्नौर में किन्नौरा कहते हैं। पहले किन्नौर या किन्नर क्षेत्र बहुत विस्तृत था। कश्मीर से पूर्व नेपाल तक प्राय: सारा ही पश्चिमी हिमालय तो फस निश्चित ही किन्नर जाति का निवास था। चन्डभागा (चनाव) नदी के तट पर आज भी किन्नौरी भाषा बोली जाती है। सुत्तपटिक के 'विमानवत्थु' (ईसापूर्व द्वितीय, तृतीय सदी)में लिखा है- 'चंद्रभागा नदी तीरे अहोसिं किन्नर तदा।' जिसे स्पष्ट है कि पर्वतीय भाग के चनाव के तट पर उस समय भी किन्नर रहा करते थे।'[3] डॉ बंशीराम शर्मा ने अपनी पुस्तक 'किन्नर लोक साहित्य' में अनेक प्रमाण के साथ इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि वर्तमान किन्नौर में रहने वाले निवासी किन्नर जाति से संबंधित है। भारत के प्राय सभी

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, संबलपुर (ओडिशा) भारत

भाषाओं के ग्रंथों में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। उन कथाओं में से सर्वाधिक प्रचलित कथा प्रभु राम के वनगमन से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि पिता दशरथ के आदेश का पालन करते हुए प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गमन की यात्रा शुरू करते हुए चित्रकूट आ गए तो उन्हें मनाकर वापस अयोध्या ले जाने के लिए भरत सहित पूरे अयोध्या निवासी चित्रकूट तक आ गए लेकिन प्रभु श्रीराम ने अयोध्यावासियों के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए सभी नर नारी–नारियों को वापस लौटने का आदेश दिया परंतु किन्नरों के लिए प्रभु श्री राम ने कुछ भी आदेश नहीं किया जबकि प्रभु श्री राम को मनाने के लिए किन्नर भी वहाँ उपस्थित थे। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम का कुछ भी आदेश नहीं मिलने के कारण चौदह वर्ष तक उस पर्वत पर रुक कर किन्नरों ने प्रभु राम के वापस आने तक वहीं प्रतीक्षा करनी का निर्णय लिया। जब वनवास पूर्ण होने पर प्रभु श्रीराम वापस अयोध्या लौट रहे थे तो मार्ग में उन्होंने चित्रकूट पर किन्नरों को प्रतीक्षा करते हुए पाया। जब प्रभु श्रीराम ने किन्नरों को वहाँ रुकने का कारण पूछा तो किन्नरों ने पवित्र मन से कहा कि जब हम भारत के साथ आपको मनाने हेतु आए थे तो आपने कहा था–

'जथो जोगु करि विनय प्रनामा,
बिदा किए सब सानुज रामा।
नारि षुरुष लघु मध्य बडेरे,
सब सनमानि कृपानिधि फेरे।।'[13]

(रामचरितमानस अयोध्या कांड398/4)

कहा जाता है कि प्रभु राम किन्नरों की इस निर्मल और निःस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान प्रदान किए थे कि कलियुग में तुम लोग राज करोगे।तथा तुम जिन्हें अपना आशीर्वाद दोगे उनका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए अनेक शुभ अवसरों पर इनका स्वागत करते हुए और इन्हें मुंहमांगी रकम देकर विदा करते हैं।पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं में हिजड़ो का अस्तित्व प्रमाणित होता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में अर्जुन का किन्नरों के देश में जाने का वर्णन मिलता है। पराक्रमी वीर अर्जुन धवल गिरी को लांग कर द्रुम पुत्र के द्वारा सुरक्षित किम्पुरूष देश में गए जहां किन्नरों का वास था। उन्होंने युद्ध करके उन्हें हराकर उस देश को जीता था। महाभारत में शिखंडी का उल्लेख भी लगता है, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है। अर्जुन अपने अज्ञातवास के दौरान वृहन्नला नामक हिजड़े का रूप धारण करता है। गुजरात में अर्जुन की इसी वृहन्नला रूप की पूजा की जाती है। जहां के बहुचर देवी के मंदिर में किन्नर बनने के लिए आते हैं और यह बहुचर देवी किन्नरों की इष्ट है। ये लोग शिव की अर्धनारीश्वर रुप की भी उपासना करते हैं।

महाभारत के एक कथा के अनुसार अर्जुन और द्रौपदी के विवाह शर्त की उल्लंघन के कारण अर्जुन को एक वर्ष के लिए तीर्थयात्रा पर भेजा जाता है। तीर्थाटन करते समय वहां उनकी भेंट नागकन्या उलुपी से होती है। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं और तदोपरांत विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात उलुपी एक पुत्र को जन्म देती है। जिसका नाम अरावन रखा जाता है। अर्जुन उन दोनों को छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल जाता है। अरावन वाल्यकाल अपनी मां के साथ नाग लोक में ही बिताता है। युवा होने पर अरावन नाग लोग छोड़ कर अपने पिता के पास वापस आता है। महाभारत युद्ध के समय पांडवों को अपनी जीत के लिए काली मां को प्रसन्न करने के लिए नरबली की आवश्यकता होती है। अपनी बलि देने के लिए कोई भी योद्धा प्रस्तुत नहीं होता ऐसी स्थिति में अरावन स्वयं को नरबलि के लिए प्रस्तुत करता है। अरावन ने बली से पहले यह शर्त रखी कि वह स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत करने पूर्व वह विवाह करेगा। इस शर्त के कारण स्थिति बड़ी संकटापन्न हो जाती है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी इसी कारण कोई भी राजा अपने बेटी अरावन से ब्याहने को तैयार नहीं होता। इस समस्या के समाधान के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं मिलने के कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में आकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने ही हाथों से अपना शीश काली मां के चरणों में समर्पित करता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण मोहिनी रुप में अरावन की मृत्यु का विलाप करते हैं', चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए भी मोहिनी रूप धारण कर अरावन से विवाह कर उनकी पत्नी बने थे इसीलिए किन्नर जो स्त्री रुप में पुरुष माने जाते हैं, वे भी अरावन से एक रात के लिए विवाह करते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं इस परंपरा का निर्वाह प्रतिवर्ष किन्नर समाज करता है परंतु इन कथाओं का उल्लेख किसी पौराणिक अथवा धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलता। 'चंद्र चक्रवर्ती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिटरेरी हिस्टरी ऑफ एन्शियंट इंडिया' में लिखा है कि किन्नर कुल्लू घाटी, लाहूल और रामपुर में सतलुज के पश्चिमी किनारे पर तिब्बत की सीमा के साथ रहते हैं। अजंता के भित्तिचित्रों में गुह्य की किरातों तथा किन्नरों की चित्र भी है। इन चित्रों का ऐतिहासिक महत्व है जो ईसा तृतीय से अष्टम शताब्दी के मध्य की धार्मिक तथा सामाजिक झांकी प्रस्तुत करते हैं। किन्नरों के वर्णन बौद्ध ग्रंथ में भी आते हैं। चंद किन्नर जातक में बोधिसत्व के हिमालय प्रदेश में किन्नर योनि के में जन्म लेने की बात कही गई है। इस संदर्भ में इस ग्रंथ में किन्नर और किन्नरियों की कई कथाएँ वर्णित है।'[5] महाकवि कालिदास ने अपनी अमर ग्रंथ कुमार संभव के प्रथम सर्ग श्लोक 11,18 में किन्नरों का मनोहारी वर्णन किया है जिसका हिंदी अनुवाद है– 'जहाँ अपने नितम्बो और स्तनों के दुर्वह मार से पीड़ित किन्नरियों अपनी स्वाभाविक मंद गति को नहीं त्यागती यद्यपि मार्ग, जिस पर शीलाकार हिम जम गया है, उनकी उंगलियों व एड़ियों को कष्ट दे रहा है।'[6] पुराणों में किन्नरों को दैवीगायक कहा गया है। वे कश्यप की संतान है और हिमालय में निवास करते हैं। वायु पुराण के अनुसार किन्नर असम खून के पुत्र थे उनके अनेक ठाण थे और वे गायन और नृत्य में पारंगत थे। हिमालय में स्थित अनेक स्थान पर किन्नरों के लगभग सौ शहर थे। वहां किस प्रजा बड़ी प्रसन्न तथा समृद्धशाली थी। इन राज्यों के अधिपति राजा द्रुम, सुग्रीव, सैन्य,भगदत्त आदि थे जो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। किन्नरो का हिमालय के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार था किन्नौर के गेजेटियर में भी किन्नर का विस्तार से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उल्लेख किया गया है।'[7]

जब हमारी नजर इतिहास की ओर जाती है तो हम पाते हैं कि मध्यकाल में इनकी स्थिति आज से बेहतर थी। सन् 1871 तक किन्नरों को समाज में उचित स्थान प्राप्त था। हिंदू और मुसलमानों के शासनकाल में किन्नरो का इस्तमाल खासतौर पर अन्तःपुर और रहम में रानियों के पहरदारी के लिए किया जाता था इसके पीछे उनकी सोच यह थी कि रानियाँ पहदारों से अवैध संपर्क स्थापित नहीं कर पायें, इसके साथ–साथ किन्नर समाज के व्यक्ति राजाओं के लिए गुप्तचरी का कार्य भी करते थे। स्त्री और पुरुष कुछ भी बन सकने की उनकी क्षमता उन्हें राजकीय जासूसी पद दिलवा सकी। अपनी इसी विशेषता के कारण दिल्ली सल्तनत में किन्नर महत्वपूर्ण पदों के अधिकारी बन पाए। अल्लाउद्दीन के शासनकाल में किन्नर वरिष्ठ सैनिक अधिकारी रहे हैं। खिलजी का एक मुख्य पदाधिकारी मालिक गफूर किन्नर था। उसी के परामर्श से खिलजी ने दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य जमाया था। गुजरात

में मुजफ्फर के शासनकाल में एक किन्नर मूवी मुमित–उल–मुल्क को तवाल था। जांगिड़ के शासनकाल में ख्वाजासरा हिलाल नामक किन्नर प्रमुख प्रशासनिक पद पर कार्यरत था।

हिजड़ो का तिरस्कार तो अंग्रेजों के जमाने से शुरु हुआ। ब्रिटिश शासन इन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तत्कालीन अंग्रेज सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जरायम पेश अपराधिक वर्ग में इन्हें सम्मिलित किया गया। आजादी के बाद भी इस वर्ग की स्थिति में सुधार लाने के लिए न तो सरकार की ओर से कोई प्रयास किया गया न ही समाज सुधारकों ने इस पर विशेष ध्यान दिया। समकालीन उपन्यासों में थर्ड जेंडर की सामाजिक उपस्थिति पर अपना मत व्यक्त करते हुए डॉ शारदा सिंह मत व्यक्त करते हुए कहती हैं– 'थर्ड जेंडर को सामाजिक समानता का अधिकार दिलाने में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।'[8] किन्नर या उभय लिंग के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि समाज में उचित मान–सम्मान और आदर मिलना तो दूर का बात इनके के स्वयं के परिवार वाले भी इनको त्याग देते हैं। अपने अधूरी पन के कारण ये अपना पूरा जीवन समाज से बहिष्कृत होकर व्यतीत करते हैं। शुभ अवसर पर अपनी दुआओं से यह समाज की झोली भर देते हैं। लेकिन बदले में इन्हें तिरस्कार, अपमान और घृणा ही मिलता है। ऐसा लगता है कि यह वर्ग सामान्य वर्ग से कहीं ज्यादा संवेदनशील है।'आधुनिक समय में किन्नर समाज आर्थिक, सामाजिक स्थिति के कारण भीख मांगने व वैश्यावृत्ति करने के लिए अभिसप्त है। किन्नरों को सामाजिक, आर्थिकस शारीरिक, मानसिक भेद व शोषण के दौर से गुजरना पड़ता है। जिस्मफरोशी के दलदल में गिर जाने से एड्स पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है।'[9] किन्नर लोक का सच में डॉ अनु कहती है– 'किसी को स्वास्थगत समस्या होने पर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें छूता नहीं है। हमारे देश में बालरोग, स्त्री रोग, नाक, कान, गाल रोग आदि के विशेषज्ञ है लेकिन हमारा देश हिजड़ों के रोगों को देखने के लिए विशेषज्ञ तैयार नहीं कर पाया, दरअसल यह तबका समाज, सरकार और नीति नेयंताओं की सोच परिधि में नहीं आता।'[10]

स्वरुप, अर्थ एवं परिभाषा – इस संसार में नर–नारी के अलावा एक तीसरा लिंग भी है जो न तो पूरी तरह नर होता है और न ही नारी। एक समाज की रचना मुख्यत: द्विलिंगी होती है। नर और नारी। यही दोनों समाज के विकास को गति प्रदान करते हैं अर्थात नर और नारी समाज के मुख्य स्तंभ हैं इन दोनों स्तंभों से अलग एक और स्तंभ है जिसे समाज तीसरा लिंग के नाम से जानता है। जो न तो नर हैं और न ही मादा अर्थात उभय लिंगी होता है।'इन दोनों से इतर समाज में जिनका अस्तित्व है वे तिसरे जन है जिन्हे हम पारंपरिक यौन पहचानों के तहत समेट नहीं पाते। इन तीसरे जनों का पारंपरिक यौंन पहचान में फिट नहीं हो पाना ही उन्हें अजनबी बना देता है। सिर्फ अजनबी नहीं, बल्कि अवांछित भी।'[11]

भारत की विभिन्न भाषाओं में समाज में स्थिति इस तीसरे लिंग को अलग–अलग नामों से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें 'म्नदनबी', या 'यूनक', कहा जाता है। 'यूनक' का अर्थ लिंग परिवर्तन के बाद पुरुष से स्त्री हुई हिजड़ा को कहा जाता है। डिक्शनरी में 'यूनक' का अर्थ Castrated Male है यानि ऐसा पुरुष जिसका लिंग छेद हुआ हो। हिंदी में इन्हें 'किन्नर', पंजाबी में 'खुसरा' या 'जनखा', तेलुगु में 'नपुंसकुडू', 'कोज्जा' 'मादा' उर्दू में 'हिंजड़ा', गुजराती में 'पवैया', कन्नड़ में 'जोगप्पा', तमिल में इन्हें 'शिररान', 'अली', 'अरवन्नी', 'अरावनी', 'अरुवनी' आदि नाम प्रचलित हैं। किसी भी भाषा में चाहे किसी भी शब्द से बुलाया जाए लेकिन थोड़े बहुत फर्क के साथ ही 'हिंजड़ा' शब्द की संकल्पना ही समान है। उभय लेंगी को परिष्कृत शब्दावली में किन्नर भी कहते हैं। किन्नर शब्द हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाले निवासियों है हेतू प्रयुक्त होता था किंतु समय के अंतराल से यह हिंजड़ों के संदर्भ में व्यवहृत किया जाने लगा। सत्य तो यह है कि मनुष्य एक जैविक पहचान के साथ पैदा होता है। इससे उसे स्त्री या पुरुष कहा जाता है। गर्भ के दौरान सेक्सुअल ऑर्गन विकसित न हो पाने का परिणाम स्त्री–पुरुष भिन्न स्त्री–पुरुष मिश्रित संरचना है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्युपरांत एक जैसा ही रहता है। अर्थात इनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती। इनके त्यौहार, रहन–सहन, काम–धंधा, नर और नारी इन दोनों से भिन्न होता है। सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चली आ रही है लेकिन आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि आखिरकार किन्नरों का जन्म क्यों होता है या इश्वर ने इनका सृजन किस उद्देश्य से किया है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की बात करें तो इनके जन्म को लेकर कई अलग–अलग कारण बताए गए हैं। 'ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उसकी कुंडली के अनुसार अगर आठवें घर में शुक्र और शनी विराजमान हो तो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं दिखता है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनी के आठवें घर में विराजमान होने से सेक्स में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है।'[12] ज्योतिष शास्त्र के एक अन्य मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य (Sperm) की अधिकता से बेटा होता है और रज यानि रक्त की अधिकता से बेटी पैदा होती है लेकिन अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहें तो किन्नर पैदा होता है। एक अन्य मत के अनुसार शास्त्रों के अगर माने तो किन्नरों का जन्म अपने पूर्व जन्म के गुनाहों या पापों के कारण होता है। एक अन्य मत के अनुसार ब्रह्मा जी की छाया से अथवा उनके पैर के अंगूठे से किन्नरों की उत्पत्ति हुई, दूसरी मान्यता यह भी है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक दृष्टि से किन्नर की जन्म प्रक्रिया पर ध्यान दे तो इस संदर्भ में वैदेही कोठारी लिखती हैं –'महिला में X क्रोमोजोम होता है और पुरुष में X व Y दोनों क्रोमोजोम होता है। पीरियड्स के कुछ दिनों पहले जो डिम्बी जननांगों की रास्ते बाहर आता है, वह यदि पुरुष शुक्राणु के X क्रोमोजोम के संपर्क में जाता है तो गर्व में बालिका, अगर Yसंपर्क में आता है तो बालक की रचना होती है, दोनों क्रोमोजोम की बराबर मात्रा में डिम्बी के मिलने की स्थिति में प्राकृतिक विकार आने की आशंका होती है।'[13]

इनकी इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया है–

1. उर्मिला पोडवाल के अनुसार– 'ऐसे मानव किन्नर कहलाते हैं जो लैंगिक रूप से न नर होते हैं न मादा। आमतौर पर न तो पुरुष और न ही महिला। ये तीसरे लिंग के रूप में पहचाने जाते हैं।'[14]
2. पुनीत बिसारिया के अनुसार– 'किन्नर या हिजड़ों से अभिप्राय उन लोगों से है, जिनके जननांग पूरी तरह विकसित न हो पाए हों अथवा पुरुष होकर भी स्त्रैण स्वभाव के लोग, जिन्हें पुरुषों की जगह स्त्रियों के बीच रहने में सहजता महसूस होती है।'[15]
3. सुधीर चौधरी ने लिखा है कि– 'असामान्य लिंगी होने के साथ ही समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए, इनकी सबसे बड़ी समस्या आजीविका है जो इन्हें अंतत: इनके समुदाय में ले जाता है।. अकेले बहिष्कृत ये किन्नर आर्थिक रुप से भी हाशिये पर डाल जाते हैं।' नपुंसकलिंगी कहाँ कैसे जाएंगे? समाज का सहज स्वीकृत हिस्सा

कब बनेंगे।[16]

4. मोटमान्स ने किन्नर समाज को बहुत ही व्यापक रुप में वर्णित किया है। मोटमान्स के अनुसार,' 1–वे व्यक्ति जो किन्नर समुदाय का हिस्सा है, 2–वे व्यक्ति जिसकी शारीरिक पहचाना, या लैंगिक भूमिका समाज द्वारा अपेक्षित भूमिका या पहचान से भिन्न है, 3– वे व्यक्ति जो अपने निर्धारित लिंग या भूमिका से विपरीत रहना या भूमिका निभाना पसंद करते हैं, 4–वे व्यक्ति जो वितरित लैंगिक वेशभूषा और विपरीत लिंग परिवर्तन के इच्छुक होते हैं, सभी किन्नर कहलाते हैं।'[17]
5. डॉ रमाकांत राय ने भी वाङ्मय पत्रिका के एक लेख में इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि 'हिजड़ा होना प्राकृतिक है। शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह गुणसूत्रों के असंतुलन से आई एक विशिष्टता है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से गुणसूत्रीय विशिष्टता को कभी सम्मान की नजर से नहीं देखा गया। इसे हीन दृष्टिकोण से देखे जाने के तमाम सामाजिक ऐतिहासिक उदाहरण भरे पड़े हैं।'[18]

कुछ मान्यताएँ इनकी अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। जब इनकी मौत होती है तो कोई आम आदमी इनको देख नहीं सकता, इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में फिर से किन्नर पैदा होता है शायद इसी मान्यता के कारण इनकी शव यात्राएँ रात में निकाली जाती हैं। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। ये समुदाय सुख को मंगलमुखी मानते हैं इसका कारण यह है कि ये लोग शादी–व्याह और जन्म जैसे मांगलिक कार्यों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी यह लोग मातम नहीं मनाते। बल्कि यह खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छुट गया। किसी की मौत होने के बाद पूरा हिजड़ा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। गुरु शिष्य की परंपरा इस समुदाय में अभी भी चली आ रही है। इनकी आधे–अधूरेपन की वजह से भले ही समाज इन्हें अपना अंग मानने से इनकार करता है। इससे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इनके स्वयं के परिवार भी इनको त्याग देते हैं। हमारे देश का कानून भी इनको कुछ मानता ही नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है और खुशी की भी बात है कि 2014 से इनको समाज में ढहळीव ऋशविशी की श्रेणी में गिना जाने लगा इससे पहले न तो इनकी कोई पहचान थी और न ही इनके कोई अधिकार थे। अभी भी इनके बलात्कार को हमारा कानून बलात्कार नहीं मानता इसलिए खइझउ सेक्शन 377 में इनका को इज्जत नहीं है अब समय आ गया है कि सरकार को चाहिए इस तृतीय लिंग को समाज से जोड़ें ताकि लोग इस समुदाय से घृणा करने के बजाय इनके अस्तित्व को स्वीकारे और इन्हें मानव का समानता दर्जा दे तो यह लोग देश के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. http://www-pakhi-in/may_11/mimansa_Jeevantali-php
2. मुक्त ज्ञान कोष विकिपीडिया से
3. मुक्त ज्ञान कोष विकिपीडिया से
4. रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड(398६4)
5. मुक्त ज्ञान कोष विकिपीडिया से
6. वही
7. वही
8. समसामयिक हिंदी साहित्य saagarika-blogspot-com/2019/01/blog&post-html\m
9. www.SarhadEPatrika.com
10. www.SarhadEPatrika.com
11. http://www-pakhi-in/may_11/mimansa_Jeevantali-php
12. मुकुंद सिंह, Published: Wednesday, june15,2016 13:29(IST)
13. किन्नर समाज रू तीसरी ताली,पार्वती कुमारी, वाणी प्रकाशन, 4695, 21–ए, दरियागंज, नयी दिल्ली 110 002,प्रथम संस्करण 2019, पृष्ठ संख्या–35
14. http://www-pakhi-in/may_11/mimansa_Jeevantali-php
15. किन्नर समाज रू तीसरी ताली,पार्वती कुमारी, वाणी प्रकाशन, 4695, 21–ए, दरियागंज, नयी दिल्ली 110 002,प्रथम संस्करण 2019, पृष्ठ संख्या–35
16. वही, पृ–36
17. भारत में किन्नरों का सामाजिक बहिष्कारऱू एक समकालीन अध्ययन (विशेष आगरा के संदर्भ में), सुधा मिश्रा (शोधार्थी नीरू समाजशास्त्र) सामाजिक विज्ञान संकाय, दयालबाग शिक्षण (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा–282005 पृष्ठ संख्या– 4
18. वही, पृष्ठ संख्या– 4

****

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Jan. to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XIX

Study On Degree Of Approximation Of Functions By Matrix - Euler Means Of Its Fourier Series

Dr. Dalendra Kumar Bhatt*

Abstract - In this paper, we established a new theorem on the degree of approximation of function belonging to lipa α class by metrix-Euler of its Fourier series.
Mathematics subject classification : 40C05, 40G05, 42B05, 42A10.
Key Words - Degree

Introduction - The degree of approximation of function has been discussed by number of authors like Bernstin [1912], Alexits [1928], Chandra [1975], Holland and Sahney [1976], Qureshi [1982] and Lal [2000] etc. But till now no work seems to have been done in the present work. In an attempt to make an advanced study on the degree of approximation of function f $\in$ Lipa α considering case 0< α <1. In present paper, we established a new theorem on the degree of approximation of function f $\in$ Lip α class by Metrix - Euler summability means.

DEFINITIONS AND NOTATIONS - Let f be 2 π - periodic and integrable in the sense of Lebesgue. The Fourier series associated with f at a point t is given by

$$f(t) \sim \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

with partial sum {Sn}.
A function f $\in$Lip α , if

$$|f(x+t) - f(x)| = O(|t|^{\alpha}), \text{ for } O<\alpha\leq 1.$$

The degree of approximation of a function f: R $\rightarrow$R by a trigonometric polynomial T_n of degree n is defined by Zygmund [9].

$$\|T_n - f\|_{\infty} = \sup\{|T_n(x) - f(x)| : x \in R\}.$$

Let T = $(a_{n,k})$ be an infinite lower triangular metrix satisfying the TÖeplitz [8] conditions of regularity i.e.

$$\sum_{k=0}^{n} a_{n,k} \to 1 \text{ as } n \to \infty, \; a_{n,k} = 0 \text{ for } k > n$$

and $$\sum_{k=o}^{n} |a_{n,k}| \leq M, \text{ where } M > O.$$

And let $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ be an infinite series whose n^{th} f partial sum is denoted by Sn.

Denote (E, 1) - mean of $\{S_n\}$ by

$$E_2^1 = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} S_k \to S \text{ an } n \to \infty$$

$$\text{If } \; T(E_1) \sum_{k=0}^{n} a_{n,n-k} \; E_{n-k}^1 \to S \text{ as } n \to \infty$$

then the series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ is said to be summable by by matrix-Euler means T (E_1) to the sum S. We shall use following notations.

$$\phi(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)$$

$$k_n(t) = \left| \sum_{k=9}^{n} \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \frac{\sin(k+1/2)t}{\sin t/2} \right|$$

THEOREM

If f : R$\rightarrow$ R is 2π periodic, Lebesque integrable belongs to Lipa class. The the degree of approximation of function f by Matrix-Euler means of its fourier series is given by for n = 0, 1 ......

$$\|(TE_n^1) - f\|_{\infty} = O\left[\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right], \; O < \alpha < 1$$

where $(a_{n,k})$ is non-negative and monotonic increasing belonging to an infinite lower triangular matrix such that

$$\sum_{k=0}^{n} a_{n,n-k} = 1$$

LEEMAS

For the proof of our main theorem, the following leemas are required.

*Govt. College, Anjad, Distt. Barwani (M.P.) INDIA

Leema (4.1) :

For and since sin n q θ n sin θ for

$$O < \theta < \frac{1}{n}.$$

$$K_n\ (t) = \left| \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \binom{k}{r} \frac{\sin(n-k) + 1/2\ t}{\sin t/2} \right|$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \left| \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} (n-k+1) \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \right|$$

$$\leq \frac{O\ (n+1)}{2\pi} \left| \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \right|$$

$$= O\ (n+1) \left[\sin ce \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{r} = (2)^k \right]$$

$$\Rightarrow k_n\ (t) = O\ (n+1)$$

Leema (4.2) : For

$$\frac{1}{n+1} \leq t \leq \pi\ ;\ \text{we have}\ k_n\ (t) = O\left(\frac{1}{t}\right)$$

Proof : For $\frac{1}{n+1} \leq t \leq \pi\,;$

$$K_n\ (t) = \left| \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \frac{\sin((n-k)+1/2)\ t}{\sin 1/2} \right|$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \left| \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \frac{1}{t/\pi} \right|$$ [ByJordon's Lemma]

$$= \frac{1}{2t} \left| \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \right|$$

$$= O\left(\frac{1}{t}\right) \left[\sin ce \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = (2)^k \right]$$

$$\Rightarrow k_n\ (t) = O\left(\frac{1}{t}\right)$$

PROOF OF THE MAIN THEOREM

The n^{th} partial sum $S_n(x)$ of the fouries series at a point t is written as

$$S_n(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \phi(t) \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t}{\sin\ t/2}\ dt$$

The (E, 1) transform of Sn is given by

$$\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (S_n(x) - f(x)) = \frac{1}{2^n\, 2\pi} \int_0^{\pi} \phi(t) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{\sin(k+1/2)t}{\sin t/2}\ dt$$

Or

$$E_n^1\ (x) - f(x) = \frac{1}{2^n\ 2\pi} \int_0^{\pi} \phi(t) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{\sin(k+1/2)t}{\sin\ t/2}\ dt$$

The Matrix means of E_n^1 is given by

$$(TE_n^1)(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \phi(t) \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \frac{\sin((n-k)+1/2)t}{\sin t/2}\ dt$$

or

$$O \leq t \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\left|(TE_n^1)(x) - f(x)\right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} |\phi(t)| . \left| \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} \frac{\sin((n-k)+1/2)t}{\sin t/2}\ dt \right|$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_0^{\frac{1}{n+1}} + \int_{\frac{1}{n+1}}^{\pi} \right\} |\phi(t)|\ K_n\ (t)\ dt$$

$$= I_1 + I_2, \qquad \text{(say)} \qquad (6)$$

Let us consider I_1 first

$$I_1 = \int_0^{\frac{1}{n+1}} |\phi(t)|\ k_n\ (t)\ dt$$

$$= 0(n+1) \int_0^{\frac{1}{n+1}} |\phi(t)|\ dt$$ [By Leema (4.1)]

$$= O\ (n+1) \int_0^{\frac{1}{n+1}} t^{\alpha}\ dt$$

$$[\phi\ (t) \in\ Lip\ \alpha]$$

$$= O(n+1)\left[\frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1}\right]_0^{\frac{1}{n+1}}$$

$$= O\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)$$

Similarly for I_2, we have

$$I_2 = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\pi} |\phi(t)| K_n(t)\, dt$$

$$= \int_{\frac{1}{n+1}}^{\pi} |t^{\alpha}| O\left(\frac{1}{t}\right) dt$$

[By Leema (4.2) and f (t) Î Lip a]

$$= O\left[\left(\frac{t^{\alpha}}{\alpha}\right)_{\frac{1}{n+1}}^{\pi}\right]$$

$$= O\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right) \quad \text{for } O < \alpha < 1 \qquad (8)$$

Now combining (6),(7) and (8), we have

$$\left|\left(TE_n^1\right)(x) - f(x)\right| = O\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right) \text{ for } O < \alpha < 1$$

Thus

$$\left\|\left(TE_n^1\right)(x) - f(x)\right\|_{\infty} = \sup_{-\pi \le x \le \pi} \left|\left(TE_n^1\right)(x) - f(x)\right|$$

$$= O\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right) \text{ for } O < \alpha < 1$$

This completes the proof of the main theorem.

References :-

1. Alexits G (1928). Uber die Annäherung einer stetigen Funktion durch die Cesaroschen Mittel ihrer fourierreihe, (Math. Ann.) 264-277.
2. Bernstein SN (1912). Sur | ordre de | a meilleure approximation des functions continues per les polynomer de degre donne, Vol 4, (Mem. Cl. Sci. Acad. Roy. Belg.) 1-103.
3. Chandra P (1975). On the degree of approximation of functions belonging to the Lipschitz class,Vol 8, (Nanta Math. Pub.) 88-91.
4. Hardy GH (1949). Divergent series, (Oxford University Press, London) 1-70.
5. Holland ASB and Sahney BN (1976). On the degree of approximation by (E, 9) means, Vol 11,(Studia Sci. Math. Hung.) 431-435.
6. Lal S (2000). On the degree of approximation of Lipschitz function by (N, p_n)(C, 1) means of its fourier seris,Vol 31,(Ranchi Univ. Math. Jour. Ranchi) 79-85.
7. Qureshi K (1982) . On degree of approximation of a functions belonging to the class Lip a, Vol 13,(Indian Jour. of pure and Appl. Math. India) 898-903.
8. Töeplitz O (1913). Uber allgemeine linease Mittelbildunges, Vol 22,(Prace Mat., fiz) 113-119.
9. Zygmund, A., On the degree of approximation of function by Fejér means, Bull. Amer. Math. Soc., vol-5, (1945), 274-278.

****

Feminine Psyche in Some of the Novels of Anita Desai

Dr. Vishal Sen*

Abstract - The present paper is prepared to study and find out the subject of feminine psyche in some of the novels of Anita Desai. It presents a thorough and wide – ranging study of some of the novels of Anita Desai, based on the theme of feminine psyche. Some novels of Anita Desai are written around female characters and their psyche. These suppressed souls bear mental tortures and find expression through their inner world. The major causes of these women are ill-matched married couples, pathetic relations, problems of existence etc. Due to such fatal situations, these broken ladies reveal inner realities through their psyche. Deadly human relationships is the hub reason of the fractured psyche of these women. One more reason is the haunted surroundings of metropolitan atmosphere, in which these portrayals feel mentally shattered and fragmented. This paper also provides some significant findings,that are associated with the inexpressible and unutterable expressions of female psyche.

Keywords – Feminine psyche, suppressed souls, pathetic relations, metropolitan atmosphere.

Introduction - Anita Desai is a very well known novelist of psychological realities of the characters of her novels, especially female characters. Desai has also projected the theme of marriage as a discord, existential problems, terrible city life atmosphere, alienation, isolation, identity crisis etc. The subject of feminine psyche is completely connected with all these themes. Actually the novelist has highlighted the theme of feminine psyche by using all these subjects as bordering issues. Anita Desai is a distinguished author of psychological novels. The theme of female psyche is of pivotal attention in some of her novels. Through the subject of feminine psyche, Anita Desai has created history and provided new dimension to Indian novel in English. Desai is more interested in presenting inner realities and less interested in projecting outer realities of the characters in her novels.She is a sensitive novelist as the characters, especially females in her novels are too sensitive, emotional and sentimental for the projection of their inner world. Her fictional world is full of sensibility. Her novels are more associated with psychical aspects and less with physical, social or political aspects. Desai presents feminine psyche of common, subnormal, abnormal and neurotic female characters. In these novels, inner sensibility of these characters is the chief focus of Anita Desai.

Presentation of feminine psyche – Anita Desai is basically a feminine novelist. She has written some feminine novels in which female psyche has been presented. Desai's projection of feminine psyche is associated with the interior monologues of the characters in her novels. Desai has interestingly explored the sorrowful situations and states of perplexity in psychic frame. The novels of Anita Desai are a pronouncement of degraded mental conditions of Indian sensitive women. The most significant intention of Anita Desai in writing novels is to deal with the inner regions of sensitivity and sentimentality. Her major object is to expose the interior mental set-up of the female portrayals. The tender-hearted and emotional heroines in her novels interpret the puzzling situations through their psyche.

Cry, the Peacock is one of the finest examples of the expression of feminine psyche. In this novel the female psyche of its delicate minded heroine Maya has been projected by Anita Desai. This novel is particularly psychological in which the damaged inner self of Maya is described. The central motive of the novelist is to elaborate the psyche of Maya. The inner consciousness of Maya has been explored. The feminine psyche of Maya is associated her life before as well as after her hazardous wedding with Gautama. In this fiction the heart-rendering tale of its sentimental heroine has been portrayed. Maya is brought up as a pampered child by her father. After her marriage, she expects same love, care and attachment from her husband Gautama. Gautama is completely opposite in temperament from Maya. Maya suffers from lonesomeness, childlessness, rootlessness and she is not even sexually satisfied. Maya's marriage is proved to be a disastrous and fatal. Marital dissonance is basic cause of Maya's injured mental setting. Maya does not get any emotional touch from her husband Gautama and becomes a mentally shattered character. Maya creates her own private world, apart from her unsympathetic and rigid husband. The psychic gap between Maya and Gautama is never filled.

Through the character sketch of Monisha, the novelist has pictured feminine psyche in her novel Voices in the City. Monisha feels herself caged in a conventional Hindu family. Desai has very skillfully presented the violated psyche of Monisha in this fiction. There are some

* Assistant Professor (English) S.B.N. Govt. P.G.College, Barwani (M.P.) INDIA

mentionable causes that shatter Monisha's sensibility. Marital disharmony is also a responsible factor for Monisha's existential problems. Monisha is married to Jiban, a Government Department employee. Jiban has a large joint family. Monisha experiences herself suffocated in this typical Hindu family. Being a weak and sensitive woman, Monisha, an introvert character begins her association with her inner self. Her life is completely destroyed while performing the duties as a traditional daughter-in-law. Her husband, Jiban also does not treat her worthily. This ill-treatment also prepares Monisha to create a private world of herself for the expression of her psyche. She becomes a character of broken consciousness, full of isolation, identity crisis, tention, frustration, depression, despair and pessimism. Monisha's loveless life with her husband is resulted in claustrophobia, hollowness of life, childlessness, alienation and rootlessness.

Bye Bye Blackbird is Anita Desai's another novel in which Sarah is portrayed as a sensitive character. She is a British woman, who marries an Indian, Adit. This incident introduces a tempest in her life. This inter-racial marriage also relates the theme of east-west encounter to the subject of feminine psyche in this novel. Sarah is an introvert and sentimental character, who is ridiculed, commented, mocked and insulted by English people due to her marriage with an Indian. This wedlock also proves to be a discord between her and her husband Adit, who misbehaves with her and tries to treat her as a typical Indian wife. Sarah, because of such bitter realities, starts becoming a psycho-emotional character. This solitary situation creates identity crisis in Sarah's life, associated with loneliness and exile as she herself selects aloneness by her choice by mingling with a foreigner. The novelist has correctly expressed the psyche of Sarah.

Sita is a character in Anita Desai's next novel Where Shall We Go This Summer? , whose sensibility has been well expressed. Sita's inner world is described through her psyche. Sita is angry, arrogant and unadjusting in nature. She is married to Raman and for Sita, Raman starts living with Sita separately from his family. Sita does not feel attached with her husband or children. Sita becomes a psychological case due to her hypersensitive nature.

Conclusion – At the end, we find that Anita Desai has rightly provided a fine and lucid exposure to the subject of feminine psyche in her novels. She has created a new history by providing new direction to Indian novel in English through the projection of feminine psyche. This novelist has provided us chances to visit the dark, unvisited, interior mental regions of female sensibility. It is also being proved that, Anita Desai is an author of psychological novels. Through such description, the readers feel themselves able to understand female psychology. The major concern of the novelist is the individual. The settings, subjects, diction in her novels associate psychic states of the female characters. The outer reality of these women has been co-related with their inner reality. Desai has successfully presented different colours of female psyche in her novels. She has sketched these female characters,unable to live in male - dominated society. They aspire for autonomy but do not get and they begin a never ending Journey of self-realization.

Suggestions and findings- Through the foregoing description, some suggestions and findings are proposed. First of all is that the novelist Anita Desai has indicated an urgent requirement to understand female sensibility. We find Anita Desai as a social reformer, who indicates upliftment of women in society. She has really globalized the individual psychic expressions of women. The novelist has linked feminine psyche with human psychology. Anita Desai has indeed justified her as a great novelist of world by her unique projection of feminine psyche.

References :-

1. Bande,Usha.The Novels of Anita Desai: A Study in Character and Conflict.(New Delhi:Prestige Books, 2008).
2. Belliappa, Meena . The Fiction of Anita Desai. (Calcutta:Writer's Workshop,1971).
3. Dubey, Vinay:A Study of Love, Sex and Marriage In Anita Desai's Novels.(Bareilly: Prakash Book Dipot,2008).
4. Gopal, N.R. A Critical Study of the Novels of Anita Desai.(New Delhi: Atlantic Publishers,1999).
5. Sharma,R.S. :Anita Desai .(New Delhi:Arnold Heinemann,1981).

****

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चिंतन एवं लोक स्वास्थ्य

डॉ. ज्योति सिंह *

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही प्राकृतिक संतुलन की बात कही गई है। प्रकृति संरक्षण की बात भारतीय संस्कृति में ही विशेष रूप से देखने को मिलती है। हिन्दू धर्म में प्रकृति पूजन को प्रकृति संरक्षण के तौर पर मान्यता है। भारत में पेड़-पौधों, नदी-पर्वत, ग्रह-नक्षत्र, अग्नि-वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गये हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई तो नदी को माँ स्वरूप माना गया है। ग्रह-नक्षत्र, पहाड़ और वायु देवरूप माने गए हैं।

भारतीय संस्कृति पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमि रखती है। मानव तथा प्रकृति के मध्य अटूट रिश्ता है जो वैज्ञानिक एवं संतुलित है। शास्त्रों में पेड़, पौधों, पुष्पों, पहाड़, झरने, पशु-पक्षियों, जंगली जानवरों, नदियाँ, सरोवन, वन, मिट्टी घाटियाँ यहां तक कि पत्थर भी पूज्य है और उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान की बात कही गई है यही कारण है कि हम जितना स्नेह प्रकृति पर्यावरण से करेंगे वे हमें उतनी खूबसूरत जिन्दगी देंगे क्योंकि स्वस्थ्य पर्यावरण ही स्वस्थ समाज देता है हमारे ऋषियों को इस बात का अहसास था कि मानव अपनी आवश्यकतापूर्ति में प्रकृति को नष्ट करने की भूल करेगा इसी कारण प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है।

प्राचीन काल में न ही सरकार की नीतियाँ थी और न ही पर्यावरण संरक्षण करने की कोई संस्था थी। हमारी दैनिक गतिविधियाँ ही पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी भूमिका अदा करती थी। इसी वजह से वेदों से लेकर कालिदास, दाण्डी, पंत, प्रसाद आदि तक के सभी के काव्य में इसका वर्णन मिलता है।

भारतीय संस्कृति मूलत: अरण्यक संस्कृति रही है अरण्यक अर्थात वन जन्म से ही अनुदय का नाता प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के सनिध्य में अपना जीवन व्यतीत करने वाले ऋषियों ने संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को देव स्वरूप माना है। वेदों में जल को आपो देवता नाम से संबोधित किया गया है जल निरन्तर प्रवाहमान है। यह शरीर को जीवन देता है जल से ही बल और तेज की उत्पत्ति होती है।

तैतिरीय उपनिषद में वर्णन है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते है अन्न से ही जीवित रहते है अन्न से ही बला और तेज दोनों है।

हमारे ऋषियों ने सूर्य को अक्षत ऊर्जा का स्त्रोत माना था आज वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से इस प्रभावित किया है।

वेद हमें पर्यावरण का संदेश देते है। वेदों में वर्णित आक्षम्मा का विभाजन प्रकृति पर आधारित है। चारों आश्रमों में हमारे तीन आश्रम ब्रम्हचर्य, वनप्रस्थ और सन्यास आश्रम को प्रकृति के सनिध्य में ही जीवन व्यतीत होता था गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वृक्षों व वनस्पतियों के पूजा का विधान है। जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है।

हिन्दू संस्कृति में पीपल के वृक्ष की महत्ता भी बहुत है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पीपल का पेड़ हूँ। भगवान बुद्ध ने भी बोधिसत्व की प्राप्ति भी पीपल के वृक्ष के नीचे मिली।

तुलसी का पौधा हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण है इसमें रोग निवारक क्षमता है। तुलसी की पूजा की जाती है तथा यह ऑक्सीजन प्रदान करती है। वैदिक काल से आज तक शमी वृक्ष भारत में आने विभिन्न गुणों के कारण पूज्य रहा है।

पौधे और वन मानव के लिये अत्यंत उपयोगी है। हमारे ऋषियों को यह ज्ञान था कि वन और पौधे महत्वपूर्ण है इसीलिये उन्होंने इसे धर्म में शामिल कर इसके संरक्षण की बात कही थी।

सभी जीवित प्राणी के लिये वायु प्राणवायु है। अगर यह शुद्ध ताजा मिले तो औषधि के समान है और प्रदूषित मिले तो नरक के समान है। शुद्ध वायु हृदय को स्वस्थ रखता है तथा आयु को बढ़ाता है।

वृक्षों से औषधियाँ, खाद्य पदार्थ फल सब्जियाँ प्राप्त होती है और ये सब हमें हमारी पृथ्वी जिसे हम धरती माता कहते है, से प्राप्त होती है। भोजन और स्वास्थ्य देने वाली सभी वनस्पतियाँ इस धरती पर ही उत्पन्न होती है पृथ्वी सभी वनस्पतियों की माता और मेध पिता है। वेदों में इसी तरह पर्यावरण का स्वरूप तथा स्थिति बताई गई है।

देश की पवित्र नदियाँ हमारे लिये पूजनीय रही है। हमारी पवित्र नदियों पर ही देश की संस्कृति व आर्थिक ढांचा टिका हुआ है।

प्रकृति हमेशा से ही हमारे लिये पूजनीय रही है। पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद इस तथ्य के प्रवलंत प्रमाण है कि हमने सदैव प्रकृति देवी की पूजा की है। पीपल, तुलसी, नीम, बड़, खेजड़ी की पूजा आज भी अनेक जनसमुदायों में की जाती है। जिसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक ही नहीं अपितु वेदांतिक महत्व भी है आयुर्वेद के अधिष्ठाता धनवंतरि ने तो प्रकृति से प्राप्त जड़ी-बूटियों को समस्त असाध्य रोगों के निदान के लिये रामबाण औषधि समझा था।

हमारे वेद पुराण हमें संयमित, नियमित और अनुशासित बनाने के साथ-साथ हमारे देव तुल्य प्रकृति संसाधनों, को संरक्षित करने की प्रेरणा प्रदान करते थे। जिससे पर्यावरण संरक्षित रहे तथा मानव का जीवन आनंदमयी पर्यावरण में फले फूले किन्तु स्वार्थी मानव ने भविष्य की चिंता सिर्फ अपने आर्थिक विकास के लिये किया अपनी आयु के विकास के लिये नहीं। भौतिकता की अंधी दौड़ में लिप्त व्यक्ति सिर्फ चल रहा है अपनी आवश्यकता से अधिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिये और यह भूल गया

* सहायक प्राध्याक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर, मंडला (म.प्र.) भारत

प्राकृतिक विरासत को सहेजना भी है। इसकी इस भूल ने आज पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। हम तब तक प्रदूषण मुक्त नहीं होंगे जब तक हम आत्म संयमित एवं स्वार्थपरता से ऊपर उठकर नहीं सोंचेगे हमें वापस सोचना होगा कि पेड़ों में जान है वो हमारे पूजनीय है, धरती की गोद सारी वस्तुएँ जो हमें उपहार में मिली है वे देवतुल्य है उसे सजो के रखना है तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ समाज दे पायेंगे।

‘जल है तो कल है
वन है तो है जिन्दगी का उपवन है
वायु है तो आयु है’
औषधियों का कर रसपान
कितनों को मिला जीवनदान
वक्त ने किया आगाज
सब होश में आ जाओ आज
प्रकृति को बनाओगे रेगिस्तान
तो ये बनायेगी कब्रिस्तान
हमारी संस्कृति का करो चिंतन मनन
तो पर्यावरण रूपी बगिया बनेगी गुलशन गुलशन

References :-

1. hindi.indiawaterportal.nodl.
2. hidi.webdunia.com>astrology
3. https://ww.pravakta.comprotancy
4. https://m.dailyhunt.in.hindi
5. https://www.ichowkin>srory
6. www.sulabhintenational.org
7. https://him.wikipedia.org
8. https://hinditimesnownews.com
9. hindi.speakingtree.in
10. https://hindi webdunia.com
11. www.sulabhinternational.org

****

सन्त - आशय एवं प्रकृति

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – मध्यकाल के भक्ति आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में सन्त शब्द अधिक प्रचलन में आया। लेकिन सन्त स्वरूप व्यक्तित्वों से यह धरा बहुत पहले से सुशोभित होती रही। वस्तुत: सम्पूर्ण विश्व में समय-समय पर मानव जाति के प्रत्येक वर्ग में ऐसे महापुरुष निरन्तर जन्म लेते रहे हैं, जिन्होंने अधिक औपचारिक शिक्षा भले ही न प्राप्त की हो, किन्तु अपनी उदात्त जीवन पद्धति से समाज का नेतृत्व करते हुए लोक मंगल का परम पावन पथ प्रशस्त किया है। 'ऐसे महापुरुषों ने केवल मौखिक उपदेशों के द्धारा ही नहीं, वरन अपने नैतिक और उत्कृष्ट चरित्र तथा अपनी लोक मंगलकारिणी वृत्ति का पोषण करने के लिये कभी-कभी अपने प्राण तक दे डाले, किन्तु वे अनेक तर्जनों, प्रलोभनों तथा भय से कभी अपने सत्पथ से विचलित नहीं हुए। ऐसे ही महापुरुषों को विश्व भर ने सन्त की उपाधि से विभूषित किया है।'[1] भारत में अनगिनत सन्त हुये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में सन्त का आशय स्पष्ट करते हुए सन्त की प्रकृति को निरुपित किया गया है।

सन्त का आशय – 'सन्त' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत की 'अस्' धातु से है। इसका अर्थ है- 'होना', 'रहना' या 'अस्तित्व होना'। सन्त में सत्ता या अस्तित्व का भाव समाविष्ट है। विश्व में यथार्थ सत्ता ब्र2 की है, अत: वैदिक साहित्य में इसे ब्र2 के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अन्य मत के अनुसार 'सन्त शब्द की उत्पत्ति 'शान्त' शब्द से हुई। इसका अर्थ निर्वत्ति मार्गी या बैरागी होता है।'[2] कालान्तर में सन्त शब्द के अर्थ का विकास हुआ और यह 'अच्छा', 'सदाचारी', 'शान्त', 'पवित्रात्मा', 'परोपकारी' आदि का द्योतक हो गया। इन अर्थों में सन्त शब्द का प्रयोग धम्मपद, महाभारत, कालिदास और भर्तृहरि की रचनाओं में मिलता है। साधु या महात्मा के अर्थ में सन्त शब्द का प्राचीनतम प्रयोग विठ्ठल बारकरी सम्प्रदाय के ज्ञानदेव एवं अन्य सन्तों के लिये हुआ है। तुलसीदासजी रचित श्रीरामचरितमानस में सन्त शब्द अनेक बार आया है।

हिन्दी के मूर्धन्य कोशकार रामचंद्र वर्मा ने 'सन्त' शब्द का मूल संस्कृत के 'सत्' (एक अर्थ साधु, महात्मा) को माना है। सत् से अनेक शब्द बने हैं, जैसे सदाचार, सद्भाव, सद्गुण, सच्चरित्र, सज्जन आदि। इन सभी सदाचारी शब्दों का मूल सत् है।[3]

'ऋषि-मुनि और सन्त में एक विषेष अन्तर है। ऋषि-मुनि कहलाने के लिये ज्ञान का भण्डार, तत्वदृष्टा होना जरुरी था। जैन धर्मावलम्बियों ने मुनि शब्द के बहुल प्रयोग में लचीलापन अपना लिया था, फिर भी ऋषि शब्द के प्रयोग में परम्परा भंग नहीं हुई। सन्त के लिये विचारक या तत्वज्ञानी होना अनिवार्य नहीं। उसके लिये केवल पूर्ण पवित्रात्मा होना अपेक्षित है। वैसे सन्त ज्ञानेश्वर जैसे सन्त इसके अपवाद हैं। वे अपने नाम के अनुरूप महाज्ञानी थे।'ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पण्डित होय' ईश्वरीय और मानवीय प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले सन्त कबीर इस परम्परा के थे। पेशे से चर्मकार सन्त रविदास (रैदास) और मीराबाई भी इसी सन्त परम्परा की थीं, किन्तु बुद्धिवादी दयानंद सरस्वती सन्त नहीं ऋषि, महर्षि कहलाये।'[4]

सन्त की प्रकृति – श्ररस्कृत के एक सूक्तिकार ने विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए कहा है-

एके सत्पुरुषा: परार्थघटका: स्वार्थं परित्यज्य ये।
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृत: स्वार्थविरोधेन ये।।
तेऽमी मानुषराक्षसा: परहितं स्वार्थाय निध्नन्ति ये।
ये तु घ्नंन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे।।[5]

अर्थात् एक तो ऐसे सत्पुरुष होते हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़कर निरन्तर दूसरों का हित करते रहते हैं। दूसरे सामान्य लोग ऐसे होते हैं, जो अपने स्वार्थ की रक्षा करते हुए दूसरों का हित करते रहते हैं। तीसरे ऐसे मनुष्य-राक्षस होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिये दूसरों का अहित करने में नहीं चूकते। किन्तु जो बिना कारण ही दूसरों का अकल्याण करते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाय, यह हम नहीं जानते।

उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्यों के चार विभिन्न प्रकार में सर्वाग्रणी पुरुष वे ही माने गये हैं, जो अपना कल्याण, अपना हित और अपना स्वार्थ छोड़कर निरन्तर दूसरों के कल्याण में निरत् रहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ऐसे सभी पुरुषों को सांसारिक लोग विशेषत: वर्तमान युग के भौतिकवादी लोग मूर्ख तथा अव्यावहारिक कहते आए हैं। उनका उद्देश्य यह है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाओ। पहले आत्म फिर परमात्मा भी ऐसे लोगों का उपदेश है।

किन्तु, सन्त महापुरुषों की प्रकृतिम ही यह है कि वे न तो कभी अपने स्वार्थ का विचार करते हैं न चिन्ता। इतना ही नहीं अपना अहित करके भी यदि अपने से किसी का हित हो जाता हो, तो वे अपने मन में अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। परोपकार से उन्हें ऐसा आनन्द होता है मानो दूसरों का कल्याण करना ही उनका परम इष्ट हो। ऐसे सन्तों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि-

मनसि बचसि काये पुण्यपीयूसपूर्णा, स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभि:
प्रीणयन्त:।
परगुणपरमाणुन्पर्वतीकृत्य नित्यं, निज हृदि विकसन्त: सन्ति सन्त:
कियन्त:।।[6]

जिन महापुरुषों के मन, वचन और कर्म सदा पुण्य के अमृत से भरे होते हैं और जो निरन्तर उपकार की परम्पराओं से दूसरों का कल्याण करते हुए तीनों लोकों को तृप्त किये रहते हैं, जो सदा दूसरों के अत्यन्त सूक्ष्म गुण को भी बहुत बड़े पर्वत के समान विशाल बनाते हुए उस गुण से इतने प्रभावित

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

होते हैं कि निरन्तर अपने हृदय में उसे स्मरण कर-करके मुग्ध और मगन रहते हैं, ऐसे सन्त संसार में हैं कितने?

तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों का कल्याण करना मात्र सन्त होने के लिये पर्याप्त नहीं है, वरन् सन्त के लिये यह भी आवश्यक है कि व दूसरों का कल्याण करने के साथ-साथ उस कल्याण की भावना से स्वयं तृप्त, तुष्ट और आल्हादित भी होता रहे भले ही उससे स्वयं उसका अपना अहित हो गया हो।

'सन्त लोग समचित्त होते हैं। वे न किसी को अपना मित्र समझते हैं न शत्रु। उनकी दृष्टि में जो उनका अकल्याण करे वह भी उन्हें वैसा ही प्रिय है, जैसा उनकी सेवा करने वाला। जिस प्रकार अंजलि में फूल लेने पर उसकी सुगन्धि समान रूप से दोनों हाथों में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार सन्त लोग शत्रु और मित्र सबका समान रूप से कल्याण करते रहते हैं।'[7]

सन्तों के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने अपने मित्र उद्धव से कहा है-

कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्। सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः।।
कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिंचनः। अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः।।
अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांजितषड्गुणः। अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारूणिकः कविः।।[8]

अर्थात् हे उद्धव! मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से बैर नहीं करता। वह सब प्रकार के सुख-दुःख अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, सत्य को जीवन का सार समझता है, उसके मन में कभी किसी प्रकार की पाप-वासना नहीं उठती, वह सर्वत्र समदर्शी और सबका अकारण उपकार करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुशित नहीं होती है। वह इन्द्रियविजयी, कोमल स्वभाववाला और पवित्र होता है, उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है। किसी भी वस्तु के लिये वह कोई चेष्टा नहीं करता है। वह परिमित भोजन करता है और सदा शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह केवल मुझ पर आश्रित रहता है और निरन्तर मननशील रहता है। वह कभी प्रमाद नहीं करता। वह गम्भीर स्वभाव वाला और धैर्यवान होता है। भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु, ये छहो उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं कभी किसी प्रकार का मान नहीं चाहता। वरन् उलटे वह दूसरों का सम्मान करता रहता है। वह भगवत्सम्बंधी बातें समझने में बड़ा निपुण होता है। उसके हृदय में करुणा भरी रहती है और भगवत तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है।

भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से भी सन्तों की व्याख्या करते हुए लगभग इसी प्रकार की बातें कहीं थी-

तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। अजातषत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणम्ः।।
मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्। मत्कृते त्यक्तकर्माणत्यक्तस्वजनबान्ध्वाः।।
मदाश्रयाः कथामृष्टाः श्रणवन्ति कथयन्ति च। तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः।।
त एते साधवः साध्वि सर्वसंगविर्जिताः। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्य संगदोपहरा हि ते।।[9]

अर्थात् जो सुख-दुःख में सहनशील, करुणापूर्ण हृदय वाले, सबका अकारण हित करने वाले, किसी के प्रति कभी भी शत्रुभाव न रखनेवाले, शान्त स्वभाव वाले, साधु भाव वाले, साधुओं का सम्मान करने वाले हैं, मुझमें अनन्य भाव से सुदृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिये समस्त कर्म तथा स्वजन बन्धुओं का भी त्याग कर चुके हैं, मेरी पवित्र कथाओं को सुनते, मुझमें मन और चित्त सदा लगाये रहते हैं, उन भक्तों को संसार के विविध प्रकार के तप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। साध्वि! ऐसे सर्वसंग-परित्यागी महापुरुष ही सन्त होते हैं। आपको उन्हीं के सत्संग की इच्छा करना चाहिये, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न होने वाले सभी दोष हरने वाले होते हैं।

उपसंहार - इस प्रकार स्पष्ट है कि सन्त अपने आचरण और विचारों से समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। सन्तत्व का निर्धारण वैयक्तिक गुणों और कार्यो से होता है। वैदिक ऋषि-मुनियों से लेकर आज तक भारत में सन्त प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने नैतिकता, मानवीयता, आध्यात्मिकता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **मध्यकालीन हिन्दी सन्त,** विचार और साधना, लेखक-, प्रकाशक- हिन्दुस्तान एकेडमी , इलाहाबाद, संस्करण- 1965, पृष्ठ-05.
2. **हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय,** लेखक- डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, संस्करण- सम्वत्-2017, पृष्ठ-14.
3. **प्रामाणिक हिन्दी कोश**, सम्पादक- श्री रामचन्द्र वर्मा, प्रकाशक- साहित्यरत्न माला, वाराणसी, सम्वत्- 2008, पृष्ठ क्र.-437.
4. **हिन्दी मासिक पत्रिका नवनीत** में प्रकाशित आनंद गहलोत का आलेख, अंक- अक्टूबर, 2007, प्रकाशक- भारतीय विद्या भवन, मुम्बई, पृष्ठ क्र.-10.
5. **सूक्ति कोश**, लेखक- जैन एवं शर्मा, प्रकाशक- उपकार प्रकाशन, आगरा, संस्करण- 2010, पृष्ठ-190.
6. **भारत के उदासीन सन्त**, लेखक- आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी, प्रकाशक- अखिल भारतीय विक्रम परिषद, काशी, संस्करण- विक्रम संवत 2024, पृष्ठ-08.
7. **कल्याण, हिन्दी मासिक**, प्रकाशक- गीता प्रेस, गोरखपुर, अंक- जुलाई 2005, पृष्ठ-11.
8. **श्रीमद्भागवत,** रचयिता- वेदव्यास, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, प्रकाशक- गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण- सं. 2054, पृष्ठ-873.
9. **श्रीमद्भागवत,** रचयिता- वेदव्यास, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, प्रकाशक- गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण- सं. 2054, पृष्ठ-164.

****

गरीबी और किशोरियों का स्वास्थ्य मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी *

प्रस्तावना – बालिकाओं में किशोरावस्था जीवन का विशेष दौर माना जाता है जिस दौरान उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवष्यकता होती है। गरीबी और किशोरियों के स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध होता है। इस दुष्चक्र में फंसने वाली अधिकतर गरीब बालिकाएं 21वीं शताब्दी की ऐसी युवा माताएं होंगी जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकार हासिल नहीं होंगे। किशोरियों की स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों को तो आमतौर पर भुला ही दिया जाता है। इस बात की पुष्टि के पर्याप्त प्रमाण हैं कि बालिकाओं के स्वास्थ्य की देखभाल पर सीमित मात्रा में संसाधन खर्च किए जाते हैं। बहुत कम बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त सुविधाएं मिल पाती हैं। मिलती भी हैं तो स्थानीय और कम जानकार डाक्टरों के जरिए ही मिल पाती हैं।

मुंबई, कोलकत्ता और चैन्नई जैसे महानगरों में कराए गए अध्ययन से पता चलता है कि लड़कों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में लड़कियां श्रेणी–2 और 3 के कुपोषण का शिकार होती हैं। गरीबी, अपर्याप्त पोषण और उपेक्षा का मिला–जुला असर किशोरियों के शरीर के अपर्याप्त विकास और कूल्हों के संकरेपन के रूप में परिलक्षित होता है जिससे उनके लिए गर्भधारण करना बड़ा जोखिम वाला काम साबित होता है। 13–18 वर्ष की लड़कियों में लौह तत्व की कमी पाई जाती है। ऐसी बालिकाओं को मासिक धर्म शुरू होने पर रक्ताल्पता या एनीमिया की बहुत अधिक आशंका रहती है। गरीब परिवारों की अधिकतर लड़कियां किशोरावस्था तक पहुंचते–पहुंचते खाते–पीते घरों की अपने साथ की बालिकाओं की तुलना में कद में 12–15 सेंटीमीटर छोटी रह जाती है।

स्वास्थ्य संबंधी इन खराब परिस्थितियों में गरीब घरों की ज्यादातर बालिकाएं कम उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं। भारत में हर साल ब्याही जाने वाली कम उम्र की 45 लाख बालिकाओं में से अधिकतर मासिक धर्म शुरू होने के साथ–साथ गर्भधारण कर लेती है। तीस लाख विवाहों में लड़कियों की उम्र 15–19 के बीच होती है। 14–18 वर्ष की उम्र में प्रथम गर्भधारण करने वाली लड़कियों में प्रसव के समय के जोखिमों के साथ–साथ जन्म के समय शिशु का वजन कम होना और प्रसवोत्तर जटिलताओं की आशंका आमतौर पर बनी रहती है। 15 से 19 वर्ष की महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि उनकी मृत्यु दर काफी ऊंची है।

किशोरियों के स्वास्थ्य के अंतर्गत मृत्यु, रोग, पौष्टिक आहार का स्तर और प्रजनन, स्वास्थ्य जैसी बातें शामिल है। इनका संबंध पर्यावरण में गिरावट, हिंसा और व्यवसायिक जोखिमों से है जिनमें से सभी का किशोरियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यौवन की दहलीज पर खड़ी बालिका के स्वास्थ्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर, उनकी उम्र और पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से उनकी स्थिति से है। पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता के कारण हमारे समाज में लड़कियों को विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं और स्वास्थ्य आदि के मामले में लड़कों तथा पुरूष सदस्यों की तुलना में कम हिस्सा मिलता है। आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि खाद्य पदार्थो की भारी किल्लत उत्पन्न होने पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के आहार की पौष्टिकता के स्तर पर कहीं ज्यादा असर पड़ता है। 13 से 16 वर्ष की लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम भोजन प्राप्त कर पाती हैं जबकि परिवार के भीतर काम के बंटवारे के समय किशोरियों को ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है। आर्थिक गतिविधियों, बच्चों के लालन–पालन और अन्य पारिवारिक उत्तरदायित्वों का ज्यादा भार लड़कियों पर पड़ता है। बालिकाओं के समय और शक्ति के अधिक से अधिक उपयोग तथा उनके समाजीकरण की वजह से लड़कियां अक्सर अपने ही स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगती हैं। खाद्य पदार्थो की अपर्याप्त उपलब्धता और उपेक्षा के परिणामस्वरूप उनके भोजन में पौष्टिकता का स्तर बहुत न्यून हो जाता है। यही वजह है कि अधिकतर किशोरियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता।

किशोरियों के स्वास्थ्य की देश की भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उनके बच्चे भी स्वस्थ्य नहीं होंगे। इस तरह लड़कियों के खराब स्वास्थ्य का समग्र परिणाम माताओं की ऊंची मृत्यु दर, कम वजन के शिशुओं के जन्म, प्रसव पूर्व महिला की मृत्यु और स्वत: गर्भपात के रूप में सामने आता है। इन सब कारणों से प्रजनन दर बढ़ जाती है।

भारत में मृत्यु दर ऊंची है और 1990 में कुल मौतों में से 11 प्रतिशत इस तरह की मौते थी। इसके अलावा 15 प्रतिशत मौते प्रजनन की उम्र वाले आयु वर्ग 15–44 वर्ष में होती है। माताओं की मृत्यु के विशेष कारणों में से रक्तस्त्राव और रक्ताल्पता मौत के दो प्रमुख कारण थे। इसके बाद गर्भपात और टॉक्सेमिया या विशाक्तता के कारण सबसे अधिक मृत्यु हुई। खून की बेहद कमी, गर्भपात, समय से पूर्व प्रसव और जन्म के समय शिशु के वनज में कमी प्रमुख कारण हैं। इन समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण कारण माता की अज्ञानता, सुरक्षित मातृत्व के लिए किशोरियों का ठीक से तैयार न होना और भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न अवांछित प्रथाएं है। इतना हीं नहीं, दुनिया में 20 प्रतिशत महिलाएं 20 साल की उम्र से पहले ही गर्भवती हो जाती है। भारत जैसे देश में तो आंकड़ें और भी ऊंचे है। किशोरावस्था में गर्भधारण की दर भारत में बहुत ऊंची है और यही शिशु और माता की ऊंची मृत्यु दर का प्रमुख कारण है।

भारत की लगभग 13.8 करोड़ आबादी 15–25 वर्ष के बीच की उम्र वाली है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और राजस्थान में जहां देश की 40

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रतिशत आबादी रहती है, करीब 50 प्रतिशत किशोरियों की शादी 20 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। यह बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण किन्तु सत्य है कि भारत में अधिकतर लड़कियां तो किशोरावस्था में पहुंचती ही नहीं। वे बचपन से सीधे प्रौढ़ावस्था में पहुंचती हैं और गर्भवती हो जाती हैं।

ये संभावित माताएं और भावी गृहणियां पौष्टिक आहार संबंधी कमियों का सामना करती रहती है। इन कमियों के कारण ही माताओं में रूग्णता और मृत्यु की ऊंची दर की समस्या उत्पन्न होती है। जिन राज्यों में कम उम्र में बालिकाओं का विवाह आम बात है वहां महिलाओं में बीमारी और ऊंची मृत्यु दर भी अधिक है। वर्ष 1992-93 में भारत सरकार द्वारा कराए गए एन.एफ.एस. सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में जन्म लेने वाले प्रति एक लाख जीवित बच्चों के पीछे मातृ मृत्यु दर 420 हैं।

देश में बच्चों में कुपोषण की समस्या व्यापक रूप से फैली हुई है। ऐसे में बालिकाओं में मामूली से गंभीर कुपोषण किशोरावस्था और गर्भावस्था में भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इससे कोख में पल रहे बच्चे के विकास पर असर पड़ता है और जन्म के समय उनका वजन बहुत कम होता है। देश में जन्म लेने वाले शिशुओं में से 30 प्रतिशत बच्चों में रूग्णता और बाल व शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। राष्ट्रीय पोषाहार निगरानी ब्यूरों के अनुसार 14 साल में बहुत सी लड़कियों का कद 145 से.मी. और वजन 38 कि.ग्रा. से कम होता है। ऐसी लड़कियों में प्रसव के समय खतरे की आषंका बनी रहती है।

हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकत्ता और चैन्नई में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं में रक्ताल्पता की समस्या क्रमश: 63.8 प्रतिशत, 65.7 प्रतिशत और 98.7 प्रतिशत पाई गई है। ग्रामीण इलाकों में कराए गए एक अध्ययन से पता चला कि 65 प्रतिशत माता-पिता ने यौवनारम्भ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, जैसे मासिक धर्म के शुरू होने के बारे में कभी अपनी बेटियों से कोई बातचीत नहीं की।

दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र में लड़कियों के लिए काम करने का माहौल शोषण और उत्पीड़न से भरा है। उनकी दिहाड़ी कम होती है, उन्हें ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है और छुट्टी व मातृत्वकालीन अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं होती। इन परिस्थितियों में कुपोषण, रक्ताल्पता, बीमारियां और व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में यौन शोषण की आशंका भी अधिक रहती है। शहरी इलाकों में गांवों से पलायन करके आए गरीब लोग बीमारियों की प्रबल आशंका वाले इलाकों, जैसे झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में और निर्माण वाले स्थलों के आस-पास अस्थायी झोपड़-पट्टियों में रहते हैं। इनमें पानी की आपूर्ति, जल-मल निकासी, कूड़ा-कचरा साफ करने या बिजली आदि सुविधाओं की कमी होती चिकित्सा, शिक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी या तो अपर्याप्त होती है या फिर इसका पूरी तरह अभाव होता है। इन सबकी वजह से लड़कियों की हालत बड़ी नाजुक हो जाती है। उन्हें बिगड़ते शहरी माहौल तेज शहरीकरण, रोजगार के अवसरों की कमी, रोजगार टूटने, और शराब व फिल्मों के जरिए बढ़ रहे अपराधों, यौन व्यवहार में विसंगतियों, अश्लील साहित्य के बड़े पैमाने पर प्रसार, और हिंसा व अत्याचार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य और खास तौर पर हिंसा के प्रभाव को लेकर अभी बहुत कम अध्ययन और अनुसंधान हुए हैं।

सामाजिक आर्थिक विषमताओं जैसे विभिन्न कारणों से हाल के वर्षो में शहरी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है और रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग बड़ी तादाद में शहरों में आकर बस रहे हैं। शहरी मलिक बस्तियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जिनसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान शहरी स्वास्थ्य सेवाएं भारी दबाव में हैं और झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में ये बहुत ही अपर्याप्त हैं जिससे स्थिति बड़ी नाजुक बन गई है। शहरों में यूं तो कई एजेंसियां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, मगर उनमें आपसी तालमेल न होने से काम में दोहरावट होती है और अक्षमता उत्पन्न होती है। सफाई का इंतजाम न होने से शहरी मलिन बस्तियों में नहीं पूरे शहर में बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है।

वर्तमान स्थिति सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था और अन्य समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई है और इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। देश में स्वच्छता की समस्या और इसका परिवार खास तौर पर शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाली लड़कियों पर असर बड़ा चिंताजनक है। नौ राज्यों में शहरी मलिन बस्तियों में कराए गए सर्वेक्षण मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे-एमआईसीएस 1995-1996 से पता चला है कि 29-71 प्रतिशत लोग खुले में मल त्याग करते हैं। कानूनी तौर पर बनी झुग्गी बस्तियों में भी 40 प्रतिशत से कम घरों में शौचालय उपलब्ध हैं।

पहल कार्यक्रम और नीतियां - भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किशोर आयु वर्ग का निर्धारण अलग-अलग तरीके से होता है। विष्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ ने 12-18 वर्ष के आयु वर्ग को 'किशोरावस्था' माना है। मासिक धर्म जल्द शुरू हो जाने के कारण वास्तव में 10-11 वर्ष की उम्र से ही इन बालिकाओं को भी किशोरियों के लिय बनाये जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये। मासिक धर्म को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों और अंधविश्वासों को देखते हुए चिंता होना स्वाभाविक है। मासिक धर्म के समय सफाई, शरीर की बाहरी और आंतरिक संरचना तथा इसके काम करने के तरीके और मासिक धर्म को बड़ा होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानने के सवाल पर बड़ी सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। इस बारे में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए।

किशोरी कल्याण योजना 11-18 वर्ष की लड़कियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है और इसके अंतर्गत उनकी पौष्टिक आहार, शिक्षा और कौशल विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। यह कार्यक्रम देश के चुने हुए 507 आई.सी.डी.एस. समन्वित बाल विकास योजना ब्लाकों में चलाया जा रहा है और 3.91 लाख किशोरियां इसका लाभ उठा रही है। किशोर स्वास्थ्य हमारे नए आर.सी.एच. कार्यक्रम का विशेष महत्व वाला क्षेत्र है। बालिकाओं की स्थिति पर विचार के लिए 1990 में सार्क क्षेत्र के शासनाध्यक्षों का माले में सम्मेलन हुआ था जिसमें 1991-2000 के दशक को 'सार्क बालिका दशक' के रूप में मनाने का फैसला किया गया था।

बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य के संकल्प को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने सार्क बालिका दशक 1991-2000 के सिलसिले में राष्ट्रीय कार्ययोजना को पूरा करने के लिये 'जीवन, संरक्षण और विकास' को मुख्य मुद्दा बनाया गया। बालिकाओं को लड़कों के समान अधिकार, अवसर लाभ और सामाजिक स्तर दिलाने की दिशा में यह एक सराहनीय पहल थी। इससे जन्म से पहले ही भेदभाव का शिकार होने वाली और जीवन पर्यन्त इसे झेलने वाली बालिकाओं की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट हुआ।

बालिकाओं के बारे में राष्ट्रीय कार्ययोजना में बालिका दशक 1991-2000 के लिए तीन बालिका केन्द्रित लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। ये लक्ष्य 1990 में बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के बारे में विश्वव्यापी

घोषणा तथा सार्क की माले घोषणा के समान थे ये है–

1. बालिकाओं की उत्तरजीविता और संरक्षण तथा सुरक्षित मातृत्व
2. बालिकाओं का समग्र विकास और
3. विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न विशिष्ट समूहों के जोखिमों का सामना कर रही बालिकाओं का विशेष रूप से संरक्षण।

राज्य सरकारों ने अपने यहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं के लिए अपनी–अपनी कार्ययोजनाएं बनाई। अब तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा सरकारों ने इस तरह की कार्ययोजनाएं बना ली हैं।

निष्कर्ष – किशोरियों की स्थिति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त अनुसंधान नहीं हुआ है। इस बात का पता लगाने की आवश्यकता है कि कानून और सरकारी नीतियों का उनके प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। दुनिया में 10 से 19 वर्ष के वर्ग में आने वालों की संख्या एक अरब से अधिक है। उनकी यौन आवश्यकताओं और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए यौन क्रियाओं के लिए सक्रिय विभिन्न आयु वर्ग के युवाओं के बारे में बेहतर आंकड़े जुटाना आवश्यक है। इसके अलावा अनुसंधान के जरिए ऐसे संकेतकों का भी निर्धारण किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से किशोरियों के यौन तथा प्रजननात्मक स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके।

इस बात की भी पर्याप्त जानकारी नहीं है कि किशोर यौन सक्रियता किस संदर्भ में सामने आती है। सामाजिक स्थितियों का किशोरों के यौन व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। बहुत से किशोर–किशोरियों को संभोग में जल्दबाजी ने करने के बारे में परामर्ष देने की आवश्यकता होती है। अन्य को यह बताना जरूरी है कि गर्भधारण और संक्रमण से कैसे बचा जाए। बहुत से लोगों को माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा सहित विस्तृत सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। यौन व्यवहार के बारे में किशोर–किशोरियों का क्या दृष्टिकोण है और वह वयस्कों से किस तरह अलग है, इस बारे में बहुत कम अनुसंधान हुआ है। युवाओं को अपनी समस्याओं को खुल कर सामने रखने के लिए प्रेरित करने का क्या तरीका हो सकता है। खुली बातचीत में क्या अड़चने हैं, और कानूनों और सरकारी नीतियों का किशोर–किशोरियों के प्रजनन स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में अनुसंधान किया जाना चाहिए।

विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों और स्वतंत्र पहल को छोड़कर हाल तक किशोरियों के स्वास्थ्य की और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में किशोरियों को 'विशेष लक्षित समूह' माना जाना चाहिए। उन्हें सेवाओं/सुविधाओं के ऐसे 'पैकेज' की आवश्यकता है जिससे जीवन में प्रगति की उनकी क्षमता बढ़े और वे सक्षम नागरिक बन सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. योजना मासिक पत्रिका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अक्टूबर 1968 पेज नंबर–10
2. नवभारत दैनिक समाचार पत्र दिनांक 05 मार्च 2002, पृष्ठ क्रमांक–3 संपादकीय
3. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 02 जनवरी 2001 पृष्ठ क्रमांक–3 संपादकीय
4. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फरवरी 1975, पेज नंबर–2

****

ग्रामोद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ग्राम उत्थान संभव

डॉ. वसुधा अग्रवाल *

प्रस्तावना – विश्व में समय – समय पर मानव सभ्यता के विकास एवं विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिये मानव सभ्यता के विकास में विभिन्न क्रान्तियों ने काफी मदद प्रदान की है। हरित क्रान्ति ने कृषि, सफेद क्रान्ति ने दुग्ध, पीली क्रान्ति ने तेल, नीली क्रान्ति ने मत्स्य तथा सतरंगी क्रान्ति ने सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान कर विकास प्रक्रिया ने आम आदमी के जीवन में क्रान्ति ला दी है। औद्योगिक क्रान्ति के बाद यह सबसे बड़ी क्रान्ति है। औद्योगिक क्रान्ति के मूल तत्वों – लोहा व कोयले की जगह परंपरागत विकास बाधाओं जैसे – गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव, राजनैतिक क्रियाकलापों पर विजय पाने के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। अमेरिका में सैनिक प्रशासन ने कम्प्यूटर का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आरंभ कर दिया था। तथा 1960 का दशक आते – आते सामान्य अमेरिकी प्रशासन में भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जाने लगा जबकि भारत में सैनिक तथा अंतरिक्ष कार्यों में कम्प्यूटर का उपयोग 1960 के दशक से आरंभ होकर प्रशासन में इसका उपयोग 1970 के दशक में चलन में आया।

कम्प्यूटर का आर्थिक विकास में उपयोग – हाल ही में ग्राम विकास का मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें गांवों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवा ग्राम शक्ति समिति गठित होगी। जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के 11 पढे लिखे युवाओं को लिया जाएगा। ग्राम पंचायत की योजना वहां की जनता की इच्छा के अनुसार तैयार की जाएगी। सामाजिक एवं आर्थिक विकास को केन्द्रित करते हुये वर्तमान शासकीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और ग्राम पंचायतों की जरूरतों के अनुसार 2020-2021 को ग्राम विकास योजना तैयार होगी। भले ही योजनाऐं गांव में बना ली जाए उसे पूरा करने के सूत्र शासन प्रशासन ने अपने पास ही रखे हैं। परिणामस्वरूप ग्राम विकास योजना में ग्रामीणों की भागीदारी कमती दिखायी देती है। उनके स्तर पर विभाजित ग्रामीण समाज परावलंबी हो गया है। स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति के कारण स्थानीय संसाधनों का लाभ समाज के सभी तबकों तक नहीं पहुंचा है। ग्राम का विकास ग्रामदान विचार में निहित है।

गांव को मूलभूत इकाई मानकर नवीनतंत्र विकसित करने की जरूरत है ग्रामसभा के पास गांव की जमीन का स्वामित्व होगा। इससे गांव की जमीन गांव में रहेगी। विज्ञान, तकनीकी, एव सूचना तंत्र का उपयोग भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने में बखूबी किया जा सकता है। ग्राम योजना बनाने के लिये गांव की समिति बनानी चाहिये। जब तक गांव में विषमता रहेगी गांव के लोग ग्राम समिति के निर्णय नहीं मानेंगे।

बिना ग्रामोद्योग के ग्राम उत्थान संभव नहीं है। और ग्रामाद्योग बिना सुव्यवस्थित योजना के नहीं चल सकते हैं। ग्राम समिति को गांव में मान्यता तब तक नहीं मिलेगी जब तक गांव में जमीन का समान बटवारा न हो। गांव तब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उनमें स्वराज्य नहीं आएगा। सूचना एवं तकनीकी का ग्रामीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में अनेक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कृषि, सहकारिता, हथकरघा, डेयरी, षिक्षा, जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, मौसम, वन आदि क्षेत्रों में कार्यरत है।

डेयरी उद्योग में सूचना तकनीकी – इस प्रणाली के तहत दुग्ध एकत्रित करने वाली समस्त सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को जो कि सहकारी समिति को दूध प्रदान करते हैं को पहचान पत्र के रूप में स्मार्ट कार्ड प्रदान किये गये हैं। जैसे ही सदस्य दूध के साथ सहकारी समिति के बूथ पर जाता है वह वहां लगे एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स में अपना पहचान पत्र अर्थात् स्मार्ट कार्ड डालता है यह स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड पर उपस्थित सदस्य की पहचान सूचना नाम नम्बर आदि को अपने से जुड़े पर्सनल कम्प्यूटर पर प्रेषित कर देता है। इसी कम्प्यूटर से जुड़ी हुई एक तराजू होती है। जिस पर रखे बर्तन में सदस्य दूध उड़ेल देता है। तराजू दूध का वनज कम्प्यूटर को प्रेषित कर देती है दूध की गुणवत्ता के आधार पर कम्प्यूटर भुगतान पर्ची छाप देता है जिसे काउंटर पर देकर दुग्ध उत्पादक अपना भुगतान प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली के द्वारा तीव्र गति से दुग्ध इकट्ठा हो जाता है और दूधर व पैसों का हिसाब भी ठीक ढंग से हो जाता है।

कृषि में सूचना तकनीकी का प्रयोग – कृषि के क्षेत्र में आधुनिक सूचना एवं संचार साधनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। बीजों की बुआई, सिंचाई, खाद, दवा का छिड़काव शामिल है। कृषक आधुनिकतम कम्प्यूटर पर ट्रेक्टर के साथ जुताई आरंभ करता है। ट्रेक्टर से जुड़े कम्प्यूटर में पूरे खेत के प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी के उपजाऊ तत्वों की जानकारी रहती है। इसी कम्प्यूटर से खाद डालने का कार्य भी किया जाता है। यह सब कार्य ट्रेक्टर के चलने के साथ – साथ ही होता जाता है। खेत की जुताई के बाद बीज ट्रेक्टर के माध्यम से ही डाले जाते हैं कम्प्यूटर खेत में लगे स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी वितरण की जानकारी देता रहता है और समय – समय पर कीटनाशकों का छिड़काव भी करता रहता है।

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिये खेतों के आकार को भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है वहीं उन्नत बीजों की भी आवश्यकता है। नकली बीजों और मिलावटी कीटनाशकों के चलते किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। अत: इन पर शिकंजा कसने के लिये नये अधिनियम की आवश्यकता है। खेती को मजबूत बनाने के लिये खेतों के रकबे को बड़ा करना होगा। छोटी जोत होने के कारण न तो आधुनिक

* विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो पाता है और न ही किसान अपनी उपज के लिये बाजार में मोलभाव कर सकते हैं। कृषि निर्यात के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने की क्षमता घरेलू कृषि क्षेत्र में है। पूरी दुनिया में जैविक कृषि उपज की मांग है जिसके उत्पादन की क्षमता हमारे किसानों के पास है। खाने के लिये ताजा एवं जैविक उत्पादों को मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत है। इसे ई–मार्केटिंग से जोड़ा जाना आवश्यक है। भारत सरकार की फसल बीमा योजना के तहत ड्रोन से किसान की फसलों का आकलन किया जाएगा। बीमे की रकम कितनी हो यह त्वरित गति से इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजे गए तस्वीरों से तय किया जाएगा। हमारी अच्छी योजनाएं राज्य सरकारों की अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, नकारात्मक रवैये की वजह से दम तोड़ रहीं हैं। वह सजीव होकर किसानों के लिये दवा साबित होंगी।

वन प्रबंधन प्रणाली में सूचना तकनीकी – अलग – अलग क्षेत्रों में अलग – अलग प्रकार के वन हैं कहीं घने हैं तो कहीं विरले वन हैं। पृथ्वी के एक बहुत बड़े क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इन वनों की निगरानी एवं प्रबंधन लिये रिमोट सेन्सिंग व कम्प्यूटर की मदद ली है। उपग्रह द्वारा अलग – अलग स्थानों के चित्र खींचकर धरती पर स्थित केन्द्रों को भेजे जाते हैं। कम्प्यूटर इन चित्रों को संग्रहित कर उनका विश्लेषण करता है। कम्प्यूटर एवं रिमोट सेन्सिंग का उपयोग कर पर्यावरण को बचाने, ग्रामीणों को जीविकोपार्जन, व ईंधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है। कम्प्यूटरीकृत वन प्रबंधन प्रणाली द्वारा निम्न प्रकार की वन संबंधी सूचनाओं का प्रबंधन किया जाता है। वन का प्रकार, पेड़ों का प्रकार, पेड़ का घनत्व, जंगल में लगने वाली आग, जंगल की आयु, समय के साथ – साथ वन क्षय, जंगलों की निगरानी, नये जंगलों का विकास, वनों की मात्रा में आने वाली गिरावट, लकड़ी कटाव योजना आदि का भी प्रबंधन किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत जल संसाधन एवं सूखा प्रबंधन प्रणाली – सूखा प्रबंधन प्रणाली के लिए मौसम विभाग से प्राप्त डाटा एवं चित्र, रिमोट सेन्सिंग द्वारा प्राप्त चित्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। उपग्रह से प्राप्त चित्र व डाटा के आधार पर विश्लेषण कर उन क्षेत्रों की पहचान कर ली जाती है जहां कि वर्षा अत्यंत कम या नहीं हुई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान हो जाने के बाद उन स्थानों के नक्शे कम्प्यूटर में डिजिटाइजेशन कर लिये जाते हैं इन नक्शों में उन क्षेत्रों में उपलब्ध अधोसंरचना जैसे – सड़कें, नहर, स्कूल सभी को चिन्हित कर लिया जाता है इसके पश्चात् सूखा ग्रस्त क्षेत्र में ही व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये किस प्रकार के निर्माण करने हैं तथा उनका स्थान क्या होगा यह सब उपलब्ध डाटा और जीआईएस टूल का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से सूखा पीड़ित व्यक्तियों को जीविकोपार्जन का साधन मिलता है तथा क्षेत्र में नई अधोसंरचना का निर्माण होता है।

इस शोध पत्र के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है ग्रामों का विकास करना है तो ग्रामोद्योगो को बढावा देना अति आवश्यक है। वर्तमान तकनीकी युग में विकास को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। तकनीक के इस युग में ग्राम उद्योग में भी सूचना तकनीक के सहयोग आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रतियोगिता दर्पण – उपकार प्रकाशन, आगरा उत्तर प्रदेश
2. योजना – प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
3. कुरुक्षेत्र पत्रिका – प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
4. रोजगार समाचार –प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
5. परीक्षा मंथन
6. विज्ञान प्रगति
7. इंडिया टुडे

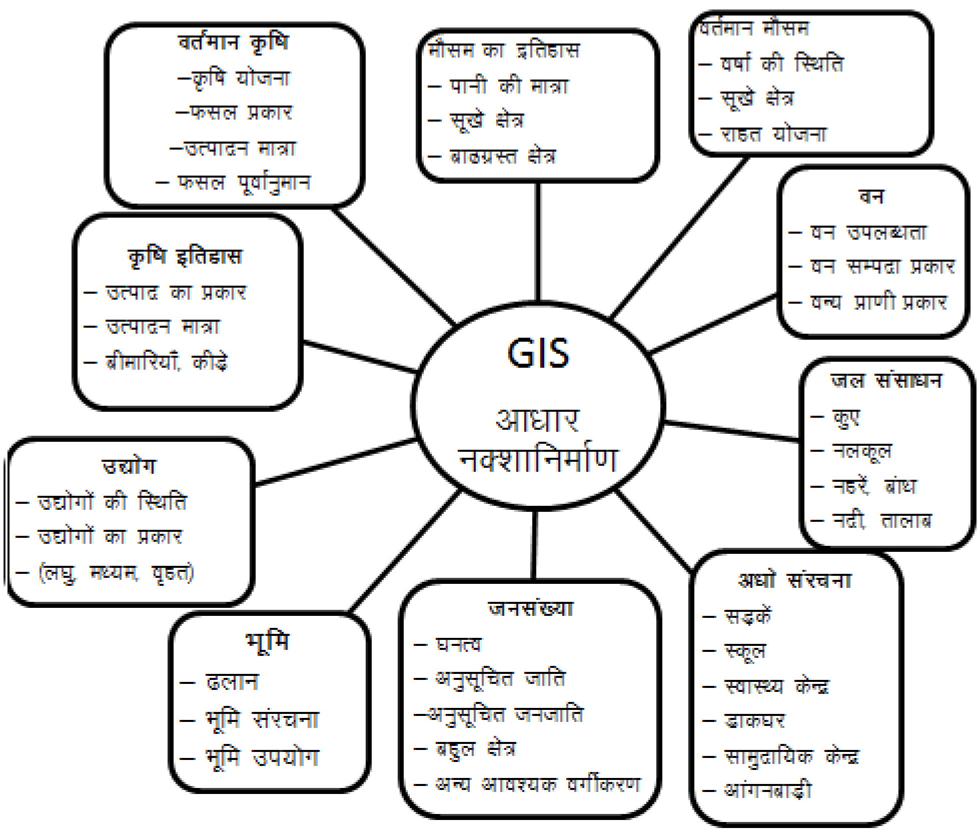

Development of Intellectual Property Right -A study

Lok Narayan Mishra*

Introduction - Early men were nomads. But as village developed and cultivated land acquired importance, it brought settled life in the community. Gradually in community life institution of property evolved. It may be categorized as one of the early social institutions. When men began to think in the terms of "mine and thine" there was no clear distinction between ownership and possession. With the advancement of civilization the distinction became clearer Gradually transition from pastoral to agricultural economy helped the development of distinct categories of properly, mainly tangible, with varying legal implications. The classification of movable and immovable as well as right of ownership and possession came into existence to recognize private properly. It is said that law and property were born and will die hand in hand. In civilized society men are to be assured that to their benefit they may control and use what they have discovered, created and acquired under the existing social, economic and political order.

Objective - The purpose of this research paper is to study the development of the concept of intellectual property, under which we will study the nature of property, type of property and intellectual property and their development.

Meaning and Content of Intellectual Property - Intellectual property refers to creations of the mind : inventions, literary and artistic works, and symbols, names and images used in commerce. Traditionally a number of intellectual property rights were collectively known as industrial property, such rights include patent for invention, design for industrial design and trademarks for marketing products. These forms of property along with copyright in literary, artistic, musical, photographic and audio-visual works are referred to as intellectual property rights.

Nature of IPR - The term 'property' includes everything which is subject to ownership whether corporeal or incorporeal, tangible or intangible, visible or invisible, real or personal, chose in action and everything with exchangeable value or going to make up one's wealth orestate.

According to the Encyclopedia Americana "Anything whether tangible or intangible, which can be reduced to possession or made the subject of ownership comes within the legal definition of property." It is clear from the above chart that intellectual property is intangible personal property. This property does not lie in the creation which is the product of intellect but in the right given to the owner to exploit the creation and to prevent others from so doing. In legal sense intellectual property may be owned and sold and may be licensed for rent. It may be inherited through a will, mortgaged, counted as an asset in bankruptcy proceedings.

There is a fundamental difference between tangible property, whether land or chattels or idea i.e., the intangible intellectual property. Tangible property is composed of atoms, physical things that can occupy only one place at any given time. This means that possession of a physical thing is necessarily exclusive, if I have it you don't. The core of this type of property is that it excludes others. While intellectual property do not have this characteristic of excludability. If I know a particular piece of information, and I tell it to you, you have not deprived me of it. Rather we both possess it. In fact the possession and use of intellectual property is largely non-rivalrous.

One of the important characteristic of intellectual property is that being the product of brain, it is very original and creative. One's imaginative and inventive skills are the basis of intellectual property. Intellectual property is very dynamic. Novel ideas and inventions each day are adding in the mass of this properly. In the rapid changing technological world. concept of intellectual capitalism is gaining importance, capital is no longer in bank hut in the minds. Brain is the source of new enterprise. In the war of technology power of intellect is the need of hour. The return of intellectual capital are immeasurable. In fact only that enterprise will stand which will possess the intellectual property of information and knowledge.

Various intellectual property rights vary in duration. The right in a patent, design or copyright is for a limited period of time, whereas the owner of a trademark, subject to certain conditions gets a perpetual right for its exclusive use. Thus patents give temporary protection to technological invention which is limited to 20 years. Copyright gives longer lasting rights in literary, artistic and musical creations.

Classification of intellectual property rights

1. Industrial Property - Traditionally, a number of intellectual property rights were known collectively as industrial property. Such rights include patents, trademarks

*Asst. Professor, Govt. Law College, Rewa (M.P.) INDIA

and designs. Industrial property being in fact intellectual property related to creation of human mind. Major examples of such creations are inventions and industrial designs. Simply stated inventions are new solutions to technical problems and industrial designs are aesthetic creation determining the appearance of industrial products. In addition industrial property includes trademarks, service marks, commercial names and designations etc. The Paris Convention provides that the protection of industrial property aims at repression of unfair competition. It means any act of competition contrary to honest practices in industrial and commercial matters is suppressed.

II.Copyright - Copyright broadly speaking embraces the provision of the protection of copyright in the strict sense of the word and also the protection of what is usually referred to as neighbouring rights". It is the right to copy or reproduce the work in which copyright subsists. It is exclusive right to do or authorize other to do certain acts in relation to (1) literary, dramatic or musical works (ii) artistic work (iii) cinematographic film (iv) performance of performing artists. (v) phonograms, broadcasts. (vi) software computer programmes and digital database etc.

It does not only mean the right to do something but also the right to exclude others from committing those acts which are protected under the copyright act. Thus, copyright secures various forms of expression. The very object of copyright law is to encourage authors. composers and artists to create original works by rewarding them with the exclusive right for a limited period to reproduce the works for the benefit of the public. On the expiry of the form of copyright the works belong to the public domain and anyone may reproduce them without permission.

Reasons for Growth of IPRS - Growth in any field cannot be attributable to any single factor alone; it is a multi factor phenomenon. The growth of IPRs is also accountable to changes and developments in various fields of human endeavour. The reasons, to enumerate a few, may be political. commercial and scientific and technological etc.

On the political front, several nations of the world whether they have a democratic set up or otherwise—are fast moving on the lines of a welfare state. In this role the State is very active to regulate human activities in almost all walks of life so as to ensure the welfare of all. One way through which this can be ensured is legislation on points of vital importance. Therefore, where it seems that unless a certain activity is regulated there is apprehension of an uneven balance being created in the society favoring a particular section and putting others at the receiving end, the state springs into action and makes law on the point. Such laws were made when property appeared to be reducing to the status of becoming a privilege of the few; depriving others. Such laws are recently being enacted in case of Intellectual Property because of their growing importance in the modern world.

The commercial factor is also not less important. With the world becoming richer and richer population wise, the industrial and commercial development started taking place at a pace seen never before. In such a situation every nation laced the crisis of controlling fraudulent practices leading to an unfair competition in the market. The matters became worse if the companies. doing business or engaging in industrial activities happened to have trans-boundary operations. In order to ascertain that trade secrets are protected as well as their original designs are not limited to their disadvantage the regulation at national as well as international level became almost inevitable. Copyright laws and Patent laws serve as examples of how this consciousness emerged at national level found expression in an agreement of a few nations (eg Paris Convention. Berne Convention etc.) and ultimately took shape of an international legal instruments governing the laws of all the member states (e.g. the World Intellectual Property Organisation. Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights etc.),

Scientific and technological development which have converted the world into what some would say a global village, have also played very significant role in the growth of Intellectual Property Rights. As every nation is trying to break new grounds in the field of science and technology, there is also an accompanying eagerness on their part to makethe application of such advances for the betterment of life of their people, and a resulting anxiety to see that others are not benefited by this developed knowledge and technology just for free. Since the nations making strides in the field of sci-tech have spent billions and billions of dollars in accomplishment of this feat, they are keen to see that the best part of this novel technology remains in their exclusive use, for the benefit of their own people; and the part of knowledge or technology which they think can be harmlessly permitted to be utilized by other nations, is not donated, rather it is sold out under very stringent conditions to the purchaser country who despite having paid a heavy price for such know how is not allowed to pass it on to any other country because it is the mother country, if we can use that word for the nation that has acquired the novel technology, which has the exclusive right to sell out that know-how. All this is protected under IPR laws. For example an invention, if patented in a country, may be utilized by other countries only after paying its price and following the conditions provided under the Patent laws of that country.

Conclusion - After the above study, we have come to the following conclusion related to intellectual property.

1. Legal protection for intellectual work evolved much later in the history of development of human society than did protection for tangible property. The present era is an economic era and intellectual property is one of the vital assets of business. According to WIPO intellectual property includes rights relating to invention in all fields of human Endeavour, scientific discoveries and industrial designs. It also contains trademarks, service marks and commercial name and designation, literary, artistic and scientific works and performances of artistic programs and alike. The

protection against unfair competition and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields have been apply given space in the domain of intellectual property.

2. Intellectual property may be said to be intangible personal property. In legal sense intellectual property may be owned and sold and may be licensed for rent. It may be inherited, mortgaged and counted as an asset in bankruptcy proceedings. The nature of Intellectual property is very different e.g. possession of tangible property is necessarily exclusive while intellectual property lacks excludability. The possession and use of intellectual property is non frivolous. In comparison to tangible property it is highly original and creative. Although a watertight compartmentalization of intellectual property and IPRs is not possible, it can broadly be classified as (A) Industrial property e.g. Patent, Industrial design, Trademarks, Geographical Indications etc. (B) Copyright, copyright includes neighboring rights e.g. performance of performing artists, phonograms, broadcasts etc.

3. Legally protected intellectual property rights are like any other property rights. They allow the creator or owner of a patent, trademark or copyright to benefit from his own work or investment. These rights are temporary and not perpetual for balancing innovator's and public interest. IPRs may be looked upon as proprietary rights over intangible things. This does not mean that these rights cannot cover tangible things. Since an IPR is a right over an idea it goes with the idea and thus covers a thing covered by this idea. If an idea which is the subject matter of an IPR finds application in a tangible thing then that thing is also concerned by that IPR.

4. The growth of IPRs is accountable to changes and developments in various fields of human endeavour. The reason are political, commercial and scientific and technological etc. On the political front now-a-days the states are very active to regulate human activities in almost all walks of life so as to ensure the welfare of all, whether it is the areas of human rights or a business ground. The industrial and commercial development of nations have brought a situation where every nation is bound to control unfair competition through recognition and protection of IPRs. Scientific and technological advancements have made a global village which is promoting growth of IPRs.

References :-

1. Intellectual Property Laws by – Dr.C.P. Singh
2. Intellectual property right an introduction by – Dr. Jai prakash mishra
3. Intellectual property law by – Dr. Bhandari

****

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Jan. to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XIX

कमजोर एवं वंचित वर्गो के विकास में उद्यमिता विकास की भूमिका

डॉ. आर.एस. मण्डलोई *

प्रस्तावना – भारत जैसे विकासशील देशों को विकास के कार्यक्रमों और अभियानों में समावेशी होने की आवश्यकता है ताकि देश में विकासरत सभी तबकों को सशक्त बनाया जा सके। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और यहां की अधिकांश लोग कृषि एवं कृषि से जुडे व्यवसाय पर निर्भर है। चूंकि कृषि मानसून का जुआं है इसलिए भारत में गरीबी का प्रतिशत भी काफी ऊँचा है। भारत ने हर वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु पिछले 6-7 दशकों से काफी प्रयास किया है किन्तु अभी भी कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए और कदम उठाने की काफी गुंजाईश बची है। कमजोर वर्गो के लोगों के पास आर्थिक विकास की ओर बढ़ने के लिए सामाजिक पूंजी की कमी है। भारतीय समाज आज भी जातीय वर्गो में बँटा होने के कारण कई वर्गो को भेदभाव की वजह से आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ नहीं पा रहे है। जिस कारण विषमता बढ़ रही है तथा आर्थिक विकास प्रभावित होकर गीरबी के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है।

अगर वंचितों एवं कमजोर वर्गो का समानता की धारा में नही जोड़ा जाता है तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण एवं प्रगति के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज आर्थिक संसाधनों और अवसरों में समानता नही आ पा रही है। परिणामत: वंचित वर्ग एवं कमजोर वर्ग और कमजोर होते जा रहे है।

कई अध्ययनों के ज्ञात है कि भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवा उद्यमिता के लिए तैयार है। भारतीय युवा हर तरह से चुनौति का सामना करने के लिए तत्पर है बशर्त माहोल का अभाव है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। इन युवाओं में अधिकतर ग्रामीण इलाकों के वंचित समुढाय से आते है। जो संसाधनों के अभाव व गरीबी, बेरोजगारी वाले माहौल में रहते है। इन लोगों में उद्यमिता के लक्षण है उनमें वे सभी गुण मौजूद है। नए उत्पाद का आविष्कार, जटिल समस्याओं का हल, नयी सोंच के साथ व्यापार को बढ़ाना, समाज में बदलाव का प्रतिनिधित्व आदि जैसे गुण उनमें है उन्हें केवल मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि ग्रामीण युवाओं जो उद्यमिता से लैस, उन्हें पर्याप्त सुविधाऐं मुहैय्या कराई जाये तो वे अपनी सोंच को सफल व्यापार में तब्दील कर सकते है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी का महौल ही समाप्त हो जायेगा, युवाओं में जोश पैदा होगा तथा अपना एवं समाज के विकास की सोचने लगेगा।

'द ग्लोबल इन्टरप्रिरोरशीप मॉनीटर (जीईएम) एवं एम्वे उद्यमिता इण्डिया'– रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 43 प्रतिशत युवाओं ने अपना व्यापार शुरू करने की योजना का जिक्र किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उद्यमिता का भविष्य बेहतर है समाज में इसकों लेकर धारण तेजी से बदल रही है। जो देश में उद्यमिता विकास का शुभ संकेत है।

चुनौतियां एवं अवसर – भारत में अधिकांश जनता गरीब एवं अशिक्षित है जिस कारण उनके पास काम को अंजाम देने के लिए आत्मविश्वास की कमी होती है। परिणामत: अपना विकास नहीं कर पा रहे है। इन कमियों को शासन स्तर से प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास से दूर किया जा सकता है। युवाओं के बीच आत्मविश्वास एवं कौशल पैदा करने एवं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं सेमिनार तथा कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। इससे वंचित तबकों को स्वरोजगार से जुड़े अवसरों के लिए तैयार किया जा सकता है।

उद्यमी की समस्या में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चेमाल की आपूर्ति में बाधा, जोखिम का डर, बाजार ढ़ांचे की कमजोरी, शिक्षा एवं कौशल का अभाव, जानकारियों का अभाव जैसी समस्या वचिंत वर्गो में होने के कारण अपना उद्यम खड़ा करने से डरते है। वे अपनी काबिलियत का सही उपयोग नहीं कर पाते है और सब कुछ संभव कर सकने की ताकत होने पर भी स्वयं को स्वरोजगार से वंचित रखते है और दिहाड़ी मजदूर की तरह कार्य करते है। ग्रामीण युवा में हुनर व कला भरपुर है केवल उन्हें तराशने की आवश्यकता है। वंचित एवं कमजोर वर्ग कई समस्याओं से जुझने के कारण स्वयं का रोजगार खड़ा नही कर पाता है।

उक्त तमाम समस्याओं के मद्देनजर ग्रामीण युवाओं उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु आंकलन जरूरी है। संबंधित क्षेत्र की प्रकृति एवं आवश्यकता के मुताबिक उद्यमिता के लिए उचित विकास कार्यक्रम तैयार करना होगा तथा बाजार की स्थिति को भी समझना आवश्यक होगा।

भारत के संदर्भ में कहा जाये तो आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् देश में वंचित एवं कमजोर वर्गो की उद्यमिता में बढ़तोत्तरी हुई है। किन्तु उन्हें निजी उद्यमितयों के मालिकाना हक काफी कम है। इन वर्गो ने अब तक उद्यमिता की बाधाओं को पार नहीं कर पाये है। दलित एवं कमजोर वर्गो के लोगों को अभी भी व्यवसाय के क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जिस कारण वे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते है और कारोबार का विस्तार नहीं कर पाते है। उक्त समस्याओं को देखते हुए डीआईसीसीआई ने वंचित समुढायों के युवाओं के सशक्तीकरण हेत प्रशंसनीय कदम उठाये है। अत: इन समस्याओं के मद्देनजर शासन द्वारा वंचित एवं कमजोर वर्गो हेतु कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

1. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना –** यह योजना मुद्रा वित्तीय संस्थाओं के फंड उपलब्ध कराता है जो देश में छोटी इकाईयों को छोटे स्तर पर कर्ज देते है। इस योजना के तहत 12 करोड लाभार्थियों, 6 लाख करोड़ रूपये दिये गये है। इसमें 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गो से ताल्लुक रखते है। तीन वर्षो मे इस योजना के तहत समाज के निचले पायदान पर

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

स्थित लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है किन्तु अभी और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. स्टार्ट-अप इण्डिया कार्यक्रम – इस कार्यक्रम मे तहत 10,000 करोड रूपये का फंड बनाया गया था जिसे 4 वर्षो कम्पनियों के माध्यम से उद्यमियों तक पहुंचाया जाता है। किन्तु अभी तक फंड का पूरा हिस्सा उपयोग नहीं हो पाया है। उद्यमी अपना स्वरोजगार विस्तार करने इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते जा रहे है।

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम 2014-15 से प्रांरभ किया गया जिसका उद्धेश्य स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष – अध्ययन के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि आज भी कमजोर एवं वंचित वर्ग भेदभाव का शिकार है। जिस कारण से वे अपना स्वरोजगार खड़ा करने में कतराते है। मजबूरन दिहाड़ी मजदूरी करते है। परिणामत: उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। नये कार्यो में उद्यमी बनने की सोच कमजोर होती जा रही है। शिक्षा एवं कौशल के अभाव के कारण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से जुड़ नहीं पाते है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उद्यमिता क्षमताओं को बढ़ावा देकर सामाजिक, आर्थिक मोर्चे पर बहुआयामी प्रगति प्राप्त की जा सकती है। इसे भेदभाव की सामाजिक बिमारी से निपटने के लिए मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्यमियों की परेशानियों को समय-समय पर देखी जानी चाहिए, उन्हें उचित वित्तीय सहायता मुहैय्या कराया जाकर वंचित एवं कमजोर वर्गो का विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्ला, एस. (2018), जीईएम इण्डिया, रिपोर्ट 2016-17, नईदिल्ली।
2. रंगराजन, सी. (2008) वित्तीय समावेश पर समिति रिपोर्ट, भारत सरकार।
3. मिश्र एवं पुरी (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली।
4. आजीविका दर्पण (2013), म.प्र. ग्रामीण विकास आजीविका परियोजना, भोपाल।
5. ग्रामीण विकास एवं युवा स्वरोजगार योजना विवरणिका, म.प्र. शासन।

****

महात्मा गॉधी के आर्थिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रतिमा बनर्जी *

शोध सारांश – मानव इतिहास में सदा से अन्याय का विरोध होता रहा है। अन्याय सहन करने का रास्ता विरोध न करने तथा राज्य के प्रति अंधभक्ति का रास्ता है। दूसरा रास्ता पारंपरिक हिंसा पर आधारित युद्ध और विप्लव में प्रकट होता है। गॉधी जी ने इन दोनों पारंपरिक मार्गो को त्याग कर दक्षिण अफ्रीका और भारत के ऑदोलनों को सत्य, अहिंसा , सत्याग्रह, सहयोग तथा सविनय अवज्ञा की एक नई दिशा प्रदान की। अर्थव्यवस्था के संबंध में गॉधी जी का विचार था कि अर्थशास्त्र नैतिकता के नियमों के प्रतिकूल हो ही नही सकता। अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है, यहॉ तक कि व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है। गॉधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण अपरिग्रह के सिद्धान्त पर आधारित है। उनका मानना था कि धन संग्रह प्रगति के मार्ग में बाधक है। वह कहा करते थे कि भारत का आर्थिक ढ़ॉचा अथवा विश्व का आर्थिक आधार ऐसा निर्मित हो कि केाई व्यक्ति रोटी और वस्त्र से गरीब ना हो, हर व्यक्ति को इतना काम मिले कि वह अपने दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा देश के संसाधनों का सभी के बीच न्यायोचित बटवारा हो तथा देश की दौलत में सभी नागरिकों को समुचित हिस्सेदारी मिले जिससे अमीर व गरीब के बीच की खाई कम से कम होती जाए अर्थात् गॉधी के आर्थिक विचारों का आधार रोटी- रोजी सिद्धान्त है।

शब्द कुंजी – गॉधी, आर्थिक विचार, रोटी-रोजी सिद्धान्त , न्यास का सिद्धान्त।

अध्ययन की आवश्यकता :

1. गॉधी के आर्थिक विचारों का विश्लेषण करना।
2. गॉधी के आर्थिक विचारों का वर्तमान समय में प्रासंगिकता को समझना।

शोध पद्धति – शोध पद्धति के सूक्ष्म अध्ययन और उद्देश्य से स्पष्ट है कि शोध विषय की प्रकृति सैद्धान्तिक, दार्शनिक एवं व्यवहारिक है। प्रस्तुत शोध के अध्ययन की पद्धति वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक है।

प्रस्तावना– गॉधी जी अर्थशास्त्र की आधुनिक पाठ्य पुस्तकों की तुलना में विश्व के धार्मिक कृत्यों को अर्थशास्त्र के नियमों की अधिक सुरक्षा एवं संस्कृति मानते थे। गॉधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रॉति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल और बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित पदार्थो के विग्रह के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है जो कि नैतिकता के विरूद्ध है उनका मत था कि किसी भी रूप से शोषण की अर्थव्यवस्था नही होनी चाहिए। आर्थिक संसाधनों का एकाधिकार ना किसी एक देश के हाथों में हो और न ही राष्ट्र के अथवा व्यक्ति समूह के हाथ में। ऐसे सरल एवं सामान्य सिद्धान्त की अवहेलना का अर्थ विनाशकारी हो सकता है। वैसे गॉधी समान वितरण व्यवस्था के समर्थक थे पर व्यवहारिक दृष्टि से समान वितरण के स्थान पर न्याय संगत वितरण को अधिक महत्व देते थे।

गॉधी जी बडी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था कि समाज में स्वार्थ की जो वृद्धि दिखाई देती है वह सब मशीनों का ही फल हैं। वे सभी प्रकार के मशीनों के प्रयोग के विरूद्ध थे। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सिद्धान्त यह था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में आती है, उनका प्रयोग उचित है। उदाहरण के लिए वह रेल, जहाज सिलाई की मशीन, चरखा आदि के समर्थक थे किन्तु उनका विचार था कि विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वथा त्याज्य समझा जाना चाहिए।

गॉधी जी के द्वारा औद्योगीकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए गॉधी ने चरखे को एक प्रतीक के रूप में लेते हुये कहा कि हर व्यक्ति अपने खाली समय में स्वयं चरखा काटे, कटे हुए सूत से कपड़ा बनायें और वही कपड़ा अपने उपयोग में इस्तेमाल करें। इससे समय एवं साधनों का सदुपयोग होगा, स्वदेशी को प्रेरणा मिलेगी, मशीनों पर अनावश्यक निर्भरता कम होगी और राष्ट्रीय सम्मान भी बढ़ेगा। शहरों की ओर अंधाधुंध दौड़, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निदान होगा। इस दिशा में गॉधी चरखे के समान अन्य लघु कुटीर ग्रामीण उद्योगों के भी समर्थक एवं प्रेरक थे और स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देश की भावी आर्थिक समस्याओं का निदान ढूंढते थे। गॉधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, वहॉ की जलवायु, भूमि तथा निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहॉ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है।

असमानता की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए गॉधी ने अपरिग्रह को असत्य से संबंधित किया है। उनके अनुसार यदि कोई वस्तु किसी के पास अनावश्यक होते हुए भी संग्रहित है तो उसे चोरी ना मानते हुए भी चुराई गई संपत्ति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। संग्रह का उद्देश्य भविष्य के लिए व्यवस्था करना है, सत्य मार्ग तथा प्रेम के नियम के अनुयायी कभी भी आने वाले कल की चिंता नही करते। ईश्वर कल के लिए संग्रहित नही करता, वह तत्काल की आवश्यकता पूर्ति से अधिक निर्माण नही करता । गॉधी जी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए

*प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

आवश्यक है इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करें और अनावश्यक संग्रह ना करें। गॉधी जी ने समानता के आदर्श को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक दृष्टि से सब समान उत्पन्न हुए है अर्थात् सभी को अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है किन्तु सभी में समान क्षमताएॅं नही होती। गॉधीवाद, साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नही करता। गॉधी जी का विचार था कि श्रमिक और पूॅंजीपति परस्पर विरोधी नही होते वरन् एक ही होते है और उनके द्धारा सामूहिक परियोजना के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। गॉधी जी राज्य को न्यूनतम संपत्ति युक्त बनाना चाहते है। राज्य में शक्ति का अत्याधिक केन्द्रीयकरण है, निजी स्वामित्व राज्य के संपत्ति के स्वामित्व मे स्थित है यदि व्यक्ति मानने को तैयार ना हो तो ऐसी स्थिति में राज्य द्धारा कम से कम हिंसा का प्रयोग कर ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को न्यास में परिवर्तित कर लेना उचित रहेगा। व्यक्ति अपनी आदतों के अनुसार चलता है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को न्यूनतम कर सके। यह अत्यंत भयानक है कि राज्य शोषण करने का कार्य करते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाप्त कर देता है।

विदेशी ब्रिटिश शासकों की स्वार्थ पूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण दरिद्रता पैदा हुई। भारत की आर्थिक दरिद्रता से गॉधी भलीभॉति परिचित थे उनका विचार था कि भारत मे गरीबी और बेरोजगारी की जो असाधारण स्थिति है उसके लिए ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। आर्थिक रूप से असाधारण परिस्थितियों का सामना करने तथा भारत के लोगों का आर्थिक सुधार करने के लिए गॉधी ने समय–समय पर महत्वपूर्ण आर्थिक सुझाव दिए और समुचित आर्थिक अवधारणाएं प्रस्तुत की जिनमें से प्रमुख थे– स्वदेशी, आर्थिक संरक्षकता जो कि उनके स्वराज के आर्थिक पहलू को उजागर करती है।

न्यासिता के सिद्धान्त के संबंध में गॉधी जी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था किन्तु वह गॉधी के जीवन काल में प्रकाशित नही हो पाया। हिंद स्वराज में गॉधी के विचार वर्तमान सभ्यता विरोधी, यंत्र विरोधी और पूंजी विरोधी प्रतीत होते है। लेकिन बाद में उनके विचार व्यवहार उपयोगी और यंत्रों से समझौता करने वाले दिखाई देते है। गॉधी 23 फरवरी 1947 के 'हरिजन पत्रिका' में प्रशिक्षित की व्याख्या करते हुए लिखते है कि वर्षो पहले मेरा जो विश्वास था वह आज भी है कि सब कुछ ईश्वर का है इसलिए वह उसकी सारी प्रजा के लिए है, किसी खास व्यक्ति के लिए नही, जब किसी के पास अपने हिस्से से ज्यादा हो तो वह ईश्वर की प्रजा के लिए आधिक्य बन जाता है। इसीलिए मनुष्य का सिद्धान्त होना चाहिए कि वह उतना ही अपने पास रखे जिससे आज का काम चल जाय, कल के लिए चीजे जमा करके नही रखे। महात्मागॉधी आर्थिक विशमताओं का अंत करने के पक्ष में थे लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नही थे। जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका बलपूर्वक उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। गॉधी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नही हो सकती और पूॅंजीपति वर्ग को पूर्णतया नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जायगा। इस संबंध में गॉधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए। इसलिए वह समझते थे कि अच्छा यही होगा कि धनी लोगों से उनकी संपत्ति छीनने के बजाय वह संपत्ति उन्हीं के पास एक न्यास के तौर पर रहने दी जाए और उनसे यह अपेक्षा की जाए कि वह अपनी कुल सम्पत्ति में से अपने व अपने आश्रितों पर खर्च करे जितना उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी हो और बाकी का जनता के ट्रस्ट के रूप में रखेगे और उनका प्रयोग वह अपने विवेक के अनुसार जनहित के कार्यो के लिए करेगे जिन्हें वे जनहित के लिए उपयोगी समझते हो। ऐसा करने से न तो अमीरों के प्रति हिंसा या जोर जबरदस्ती करनी पडेग़ी और ना ही आर्थिक संसाधनों का केन्द्रीयकरण होगा। आर्थिक संसाधन पहले की तरह विकेन्द्रित रहेंगे और समाज उनके केन्द्रीकरण के पनपने से भी बचा रहेगा। इस सबसे हिंसा और जबरदस्ती केन्द्रीय करण के स्थान पर सौहार्द्र तथा भाईचारे का एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जिससे अमीर स्वयं अपनी आत्मा की आवाज व विवेक के अनुसार अपनी अतिरिक्त संपत्ति का लोक कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे। गॉधी का न्यास कार्य सिद्धान्त, राजनीति विज्ञान में एक अनूठी देन है। गॉधी जी के अनुसार धनिक वर्ग अपनी फालतू संपत्ति को ऐसे उद्योंग धंधों में लगाए जिनसे साधारण जनता को रोजगार मिल सके। उन्हें दूसरों को काम देकर तथा उत्पादन बढ़ाकर अपनी पूॅंजी का सद्धुपयोग सार्वजनिक हित के कल्याण की वृद्धि के लिए करना चाहिए। वे इसे तालाब, विद्यालय, चिकित्सालय आदि बनवाने के जनकल्याणकारी कार्यो मे भी लगा सकते है। जमींदार अपनी फालतू जमीन भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को जोतने, बोने के लिए दे सकते है। निजी संपत्ति के विषय पर गॉधी जी ने निर्मल कुमार बोस के साथ हुई बातचीत में बताया कि प्रेम तथा निजी संपत्ति साथ–साथ नही चल सकते। सैद्धान्तिक दृष्टि से पूरा प्रेम तभी संभव है जब पूर्ण अपरिग्रह हो, हमारी देह ही अंतिम संपत्ति है। प्रेम तथा अपरिग्रह तभी संभव है जब माननीय सेवा में अपने शरीर को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव नही है। मानव की अपूर्णता के कारण इस लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है फिर भी इसे एक आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिसके पास पैसा है वह न्यासी के रूप में कार्य करें तो समानता लाई जा सकती है।

राज्य द्धारा हिंसा के प्रयोग से पूॅंजीवाद का दमन करना उचित नही है। एक बार हिंसा का चक्र प्रारंभ हो गया तो फिर अहिंसा की स्थापना नही हो पायेगीं राज्य हिंसा का केंन्द्रीय एवं संगठित प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति में आत्मा है किन्तु राज्य आत्मा रूपी मशीन है। इंसाफ पर आधारित होने के कारण राज्य हिंसा रहित नही हो सकता। यही कारण है कि न्यासिता का सिद्धान्त अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

गॉधी जी के आर्थिक विचारों की कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। गॉधी जी के द्धारा औद्योगीकरण का विरोध और कुटीर उद्योग धंधो का समर्थन किया गया है आलोचक उसे युग के नितांत विपरीत और अव्यावहारिक बताते है। आलोचकों के अनुसार वर्तमान समय में औद्योगिकरण को अस्वीकार करना रचनात्मकता के नियमों को ही अस्वीकार करना है। गॉधी जी द्धारा आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, आलोचक उसे नितान्त विपरीत और अव्यवहारिक बता कर उसकी आलोचना करते है। आलोचक के अनुसार ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त तो जनसामान्य के आर्थिक हितों की रक्षा का साधन बनने के बजाय पूॅंजीपतियों का रक्षा कवच बनकर ही रह जाता है। आलोचकों के अनुसार ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का प्रतिपादन पूॅंजीवाद की रक्षा करने के लिए ही किया गया और गॉधीवाद दर्शन पूॅंजीवाद का अभिन्न अंग बन गया है।

निष्कर्ष – गॉधी का आर्थिक दृष्टिकोण अपरिग्रह के सिद्धान्त पर आधारित

है। उनका मानना था कि धन सग्रह प्रगति के मार्ग में बाधक है। उन्होने शारीरिक श्रम की महत्ता बढ़ाने के लिए यह भी सुझाव दिया था कि मताधिकार निश्चित उम्र के नागरिकों को तभी प्रदान किया जाए जब वे समाज में निश्चित रूप से सहायक श्रम करेंगे। गॉधी कर्मनिष्ठ योद्धा थे। वह कर्म करने पर अत्यधिक बल देते थे। उन्होने गीता की एक युक्ति को सदैव अपना मार्गदर्शक माना था जिसमें भगवान कहते है 'यदि मैं अहर्निष कर्मरत न रहूं तो मैं मानव जाति के समक्ष एक उदाहरण कैसे प्रस्तुत करूँगा।' गॉधी जी का मानना था कि जब भगवान सदा कर्म करने के लिए तैयार रहते थे तब मैं और आप कैसे कर्म करने से पीछे हट सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यंग इण्डिया पत्रिका
2. मॉर्डन रिव्यू पत्रिका
3. हरिजन पत्रिका
4. राम,रतन, गॉधी थॉट्स एंड एक्शन, कलिंगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1991
5. भिखू पारेख, गॉधीजी पॉलीटिकल फिलासफी,मैकमिलन प्रेस, लंदन, 1989
6. वर्मा बी.पी., मार्डन इंडियन पॉलीटिकल थॉट, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1993
7. धवन जी.एन., द पॉलीटिकल फिलासफी ऑफ महात्मा गॉधी, पॉपुलर बुक डिपो, मुंबई 1990
8. सार्प, जी. गॉधी एस ए पॉलिटिकल- ऐसे ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, पोस्टर सर्जेंट बोस्टन, 1983.
9. परेल, ए., इंट्रोडक्शन इन गॉधी फीडम एंड सेल्फ रूल, विस्तार पब्लिकेशन, दिल्ली, 2002

****

Harmful effects of waste products and concept of Dry & Wet Waste Management

Anchal Ramtake*

Abstract - In India 10,9000 metric tons garbage generates every day. If we ignore waste management process than we need a landfill as big as bengaluru to dump all the waste, for solving the problem of increasing garbage government has launched a mega waste management campaign across city. In wich waste segregation has been made mandatory. Dry & wet waster segregation is also one step on that way. In this process 3R (Reduce, Reuse & Recycle) include. So we can protect our environment & save life.
Key words - Waste management, waste segregation.

Introduction - Wastes are those products which is release after the activity of human. In waste management include all the technique its collection Transport, Treatment and disposal. every type of waste just like solid, liquid & gas has different method of disposal & Management.Industrial, Hospital waste product are harmful for human & animals health. They pollute environment and decrease soil fertility. The object of waste management to protractenvironment &reduce its adverse effect. The aim behind that concept is use maximum part of waste and generate minimum amount of waste.

Study Source :-

News paper, book & internet are used for as a secondary data source.

Object :-

To study the effect of waste product on human and environment and concept of dry and wet waste Management.

Harmful effect of waste products :-

1. Sail contamination :-Improper waste disposal cause soil contamination. They excrete hazardous chemical that leak in to the soil. Sail contamination affect plant growth. It is also unhealthy for plant depending animal & human.

So it is important that every household take recycling to heard plastic, metals, paper and e-waste.

2. Air Contamination :- When paper & Plastic are burned in landfills. They emitting gas & chemicals that hurt the ozone layer. Waste that release dioxins are dangerous and cause health risk during breathing. Add to the methane gas that decomposing waste release.

3. Water Contamination :- During decomposition of waste they spread in to the ground and ultimately into ground water. This water is used for many things from watering the local fields to drinking. Toxic liquid chemical from waste can also seep in to water streams and bodies of water.

Untreated sewage are harmful for fresh & marine water because it can destroy and suffocate their flora and faunaex :- coral & fish.

Impact on Human Health - The improper disposal of waste can affect the health of population waste disposal workers and other employees in these landfill facilities are at a greater risk ex :- skin, problem, blood infection, respiratory problem, growth problem reproductive issue etc.

Impact on Animals - Animals are also suffering the effect of pollution on caused by improperly disposed waste contamination. near grassland are also risk of poisoning due to the toxins that see in to the soil. Cigarette butts have been known to cause death in marine animals who consume them table.

Effect of plastic

Shark/Whole	Mortality 100,000 per
Birds	01 Million

Harmful Diseases - Animal like rat, mosquitoes are live in sewage water and garbage areas. They reproduce fast in such areas because favorable condition they have on that place. Mosquito carry diseases such as malaria & dengue. Rat find food and shelter in landfills and sewage. They can carry diseases also.

Loss in production through recycling - By the process of recycling we can produced new product and save energy. But when we avoid the process of proper segregation we loosed it.

Loss the employment opportunities - There are many opportunities of employment in that recycling Centre. So don't miss it.

Loss in tourism & local economy - A city with poor waste management will certainly not attract tourist or invertors.mismanaged facilities of landfills caused loos in local economy. Which can affect livelihood of the local

*Asst. Prof. (Zoology) Raja Bhoj Degree College, Mandideep, Distt. Raisen (M.P.) INDIA

population.

Change in Climate - On the process of decomposition gases are emits in atmosphere and trap heat. Green house gases one of the major culprits behind the extreme weather changes that the world is experiencing.

Concept of Dry & Wet Waste - Segregation of dry & wet waste is good for environment & our health. Mixed dry waste such as glass & paper can be turned in to new product. By this save energy & create new.

So save energy, save environment, save health & create new is the aim of dry & wet waste segregation.

Type of Dry & Wet Waste

S.	Dry Waste	Wet Waste
1	Plastic	Organic food matter
2	Glass	Cooking fats
3	Metals	Oil
4	Timbers	Greece
5	Textiles	Liquid waste product
6	Cardboard's Mixed Paper	Peel of Fruit&Vegetables
7	E-Waste	
8	House Hold Junk	

Some Important waste Management Terms for Everyone :-

1. Waste Segregation :- For this government developed 02 bin policy. Wet Waste need to kept in green bin and dry waste in blue bin.

2. Composting :- It is the natural way of recycling the waste and mostly applicable for kitchen & wet waste.

How to make compost :-

1. Choose a place
2. Add the ingredient
3. Add water as needed
4. Keep things moving
5. Wait a while compost ready :- It is brown in color.

3. Reusing :- Reusing mean using the item again for the different purpose ex:- plastic bottle can be used for plantation of small plant.

4. Upcycling :- It's a creative way to reduce waste or we can say the process in which creative product are make by discarded object or material that are at higher quality or value than the original. It doesn't require any technical support basically it is reusing old product creatively.

5. Recycling :- It is a technical Process for managing waste. The item which cannot be decomposed naturally are recycle. In this category glass, Paper, Plastic, cardboard are include.

In India Waste generate (according 2017-18)

Population	429 Million
Whopping	62 Million Tonus
Plastic	5.6 Million Tonus
Biochemical Waste	0.17 Million Tonus
Hazardous Waste	7.90 Million Tonus
E-Waste	15 Lakh Tonus

Solid Waste Treatment

Per Year Generate	Treated	Remain
11.9 Million	22.28 %	31 Million Left

Conclusion - Solid waste management rule 2016 made waste segregating mandatory for society, offices etc. But implementation at the rule remain very poor.lake of awareness is the second resign in India. On this way composting is a important part of Swachh Bhart Abhiyan Campaign.

References :-

1. Article : Banega Swachh India
2. Http:// swachhindia.ndtv.com
3. Http://conference.international.co.in
4. Http://urmgroup.com.all
5. www.cabonne.new.gov.all
6. www.skipthetip.com

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

वर्तमान परिदृष्य मे शिक्षा का अधिकार

डॉ. मोहन निमोले *

प्रस्तावना – हमारे देश को स्वतंत्र हुए आज 61 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, परन्तु अशिक्षा के कारण हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग मानव अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ है। आज भी हमारे **'वर्तमान परिदृष्य मे शिक्षा का अधिकार'** हमारे देश को स्वतंत्र हुए आज 61 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, परन्तु अशिक्षा के कारण हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग मानव अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ है। आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग गरीब, अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण दमनचक्र के षिकार है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है–भारतीय समाज को मानव अधिकारों की शिक्षा देना और इन अधिकारों के प्रति लोगों को जागकरूक करना है। शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता से कही अधिक व्यापक है। किसी समाज, जो निष्पक्ष और समान हो और सभी नागरीकों के लिए न्यायसंगत हो, जो वैश्विक मानवीय मूल्यों का आदर करता हो के निमार्ण के लिए शिक्षा एक आवश्यक घटक है। शिक्षा से मोटे तौर पर दो उद्देश्य पूरे होते है, पहला यह लोगों को जीवन का आन्नद लेने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ती के लिए, ज्ञान और कौशल प्रदान करता है एवं दूसरा यह लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। भारत में शिक्षा का स्तर प्रत्येक राज्य में अलग–अलग है, शिक्षा में प्रगति आर्थिक संसाधन राजनैतिक वचनबद्धता पर निर्भर करती है। केरल उत्तम उदाहरण है, जहां साक्षरता दर 90 प्रतिशत है लेकिन पंजाब के मुकाबले जहां पर साक्षरता दर 60 प्रतिशत है तथा आय 2000 डालर है, केरल में आय दर 1000 डालर है।

सरकारी प्रयासों के बावजूद स्थिति सन्तोषजनक से काफी खराब रही हैं भारत को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे साक्षरता, सार्वभौमिक नामांकन, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी, गुणवत्ता में सुधार करना और प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाना आदि। शिक्षा के अध्ययन में यह कहा गया है कि कमजोर वर्गो को अक्सर शिक्षा के अवसर से वंचित किया जाता है। भारत में साक्षरता दर शहरी अमीरों में 90 प्रतिशत है, जबकि गरीबों में मात्र 17 प्रतिशत है। भूमिहीन किसानों और मध्यम से व्यापक भूस्वामियों के बीच प्राथमिक नामांकन अन्तर लगभग 20 प्रतिशत है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रथम केन्द्र बिन्दु बच्चा होता है। इसलिए मानव अधिकारों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को मानव अधिकारों की शिक्षा देना और इन अधिकारों के प्रति लोगों को जागकरूक करना है। अधिकांश लोग गरीब, अज्ञानता एवं शिक्षा के कारण दमनचक्र के षिकार है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है–भारतीय समाज को मानव अधिकारों की शिक्षा देना और इन अधिकारों के प्रति लोगों को जाकरूक करना है।

उद्देश्य एवं महत्व – शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्व साक्षरता से कही अधिक व्यापक है। किसी समाज, जो निष्पक्ष और समान हो और सभी नागरीकों के लिए न्यायसंगत हो, जो वैश्विक मानवीय मूल्यों का आदर करता हो के निमार्ण के लिए शिक्षा एक आवश्यक घटक है। शिक्षा के उद्देश्य निम्न है–

1. यह शिक्षा जीवन का आंनद लेने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ती के लिए, ज्ञान और कौशल प्रदान करता हैं।
2. शिक्षा लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करता है।
3. वर्तमान समस्याओं को दूर करना और चिन्हीत मुद्दों के समाधान के लिए तरीके सुझाना।
4. शिक्षा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने और प्रभावी कार्यान्वियन में स्थानीय निकायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।

महत्व :

1. क्या सभी प्रकार की शिक्षा का प्राथमिक महत्व व्यक्ति का विकास करना है या मानवों में या क्या इसका महत्व सामान्य जन को मानव, परिवार के अच्छे नागरिक को सुसंस्कृत करना नही है।
2. क्या सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व केवल निरक्षरता का उन्मूलन करना, और इनकी संख्या के बारे में प्रभावी आकड़े एकत्र करना होना चाहिए।
3. 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के उपाय।
4. सर्वागीण शिक्षा और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को अधिकार का रूप देना।

शिक्षा के अधिकार – मानव अधिकारों की शिक्षा इन अधिकारों के संरक्षण एवं विकास दोनों के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार न केवल समय की मांग है, अपितु आशा के प्रतिक भी है। एक सभ्य समाज के निमार्ण हेतु मानव अधिकारों की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है कि कोई भी बच्चा विद्यालय की पहुँच से दूर ना रहे एवं कोई भी वयस्क अशिक्षित ना रहे। मानव अधिकारों की शिक्षा के अधिकार निम्नलिखित है :

ऐतिहासिक रूप में – स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की लगातार मांग के बावजूद संविधान का प्रारूप तैयार करते समय इस बात पर सर्वसम्मति नही थी कि भारत के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए या मौलिक अधिकार ही दिये जाने चाहिए। संविधान सभा में हुए विचार विमर्श से पता चलता है कि यह सुनिश्चित करना कि यह संविधान में केवल एक गैर–न्यायोचित नीति से निर्देश है, शब्दों को हटा कर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा संबंधित मसौदा अनुच्छेद को बदलने के लिए एक संशोधन का प्रस्तावना रखा गया था। इस कारण से मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को पहले के अनुच्छेद 45 के तहत राज्य नीति के निदेशात्मक के रूप में संविधान में शामिल किया गया, जिसके तहत राज्यों को यह सुनिश्चित

* सहा. प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

करना होता है कि सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।

शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में – राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को सभी स्तरों पर शिक्षा की सुविधाऐं उपलब्ध कराए। इसलिए स्कुली शिक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और इसलिए नीति के किसी परिवर्तन में राज्य सरकार की पूरी भागीदारी और सहभागिता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अनेक न्यायनिर्णयों में बार–बार सार्थक मौलिक अधिकारों के सिद्धान्तों को लागू करके मौलिक अधिकारों की परिधि को बढाया है।

न्यायालय ने प्रेक्षण किया कि जीवन का अधिकार उन सभी अधिकारों के लिए अविस्तीर्ण परिभाषा है, जिन्हें न्यायालयों को अवश्य लागू करना चाहिए क्योंकि वे जीवन के गरिमापूर्ण यापन के लिए मूलभूत है। ये आचरण के रैंज पर पूरी तरह से लागू है, जिसका अनुपालन करने के लिए व्यक्ति विशेष स्वतंत्र है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्ति की गरिमा तब तक सुनिश्चित नही की जा सकती है, जब तक इसके साथ शिक्षा का अधिकार न हो।

सर्व–शिक्षा अभियान – वर्ष 2001 में सरकार के द्वारा एक पायलेट मिशन सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को 2007 तक प्रारम्भिक शिक्षा और 8 वर्ष की आयु पुरी करने वाले सभी बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा देना था। 2005 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल स्तर पर आई.सी.टी. को मंजूरी दी गई, जिसमें अनेक राज्यों में प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने की बात की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, स्थानीय विशिष्ट रणनीतियां बनाने, गैर–सरकारी संगठनों के साथ भागिदारी को प्रोत्साहन करने और पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए समुदाय द्वारा निरीक्षण किए जाने के बारे में लचिलापन है।

शिक्षा का सार्वभौमीकरण – वर्ष 2002 में प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय है। संविधान में अनुच्छेद 21 के, 561 क (2) और अनुच्छेद 45 को संषोधन करके 86 वां संविधान संषोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिणकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया था। एन.सी.एफ 2005 में दबाव डाले बिना और बाल अनुकूल शिक्षा पर जोर दिया गया है। 86 वे संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए वर्ष 2005 में शिक्षा का अधिकार पर एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर संसद में अभी विचार–विमर्श होना है और उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की जानी है।

मानव अधिकारों में शिक्षा के अधिकार से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ :

1. शिक्षा के अधिकार विधेयक 2005 में 86 वे संशोधन अधिनियम के उपलब्धों का मसौदा तैयार करने और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह कई मामलों के बारे में चुप है, जैसे–शिक्षा की गुणवत्ता, बाल मजदूरी एवं अशक्त बच्चे आदि है।
2. एक शिष्ट समाज के लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षा की विषय वस्तु और उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट हो। यह शिक्षा पर नीति व रणनीति निर्धारण करके किया जा सकता है। सभी प्रकार की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना और इनकी संख्या के बारे में प्रभावी आकड़े ऐकत्र करना ।
3. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ही नही अपितु राज्य सरकार के अन्दर विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इत्यादि द्वारा भी अधिकांश स्कूलों का संचालन वित्तपोषण और मॉनीटरिगं किया जाता है।
4. शिक्षा का उद्देश्य अनुकूल विचारधारा उत्पन्न करना है और वह भी छोटे बच्चे की इसके लिए अत्यअधिक कुशल कार्मिकों की आवश्यकता होती है और इसे वर्तमान स्टेटस नही दिया जा सकता है।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली सभी चुनौतियों और बाधाओं को दूर करके मुक्त प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना है। मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रथम केन्द्र बिन्दु बच्चे होते है। बच्चों के अधिकार सुनिश्चित होगें तो हमारा आने वाला कल सुन्हरा होगा एवं भावी पीढी भी सुरक्षित रहेगी। मानव अधिकारों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को मानव अधिकारों की शिक्षा देना और इन अधिकारों के प्रति लोगों को जागकरूक करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ह्यूमेन राइट्स एजुकेशन एट दि यूनिवर्सीटी एंड कॉलेजिस लेवलस
2. एनुअल रिपोर्ट 2005–06
3. मानवाधिकार : नई दिशाऍ
4. भारतीय संस्कृति में मानव अधिकार की अवधारणाऍ

****

खरगोन जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का भौगोलिक स्वरूप

डॉ. प्रमिला बघेल *

प्रस्तावना – जनसंख्या से तात्पर्य किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले निवासियों की संख्या से है। जनसंख्या तथा क्षेत्रीय संसाधनों में संतुलन होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि उसी स्थिति में नियोजन सफल हो सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लिपसन के अनुसार– 'किसी प्रदेश या देश का धन मुख्यत: उसके निवासियों की योग्यता में निहीत है जिस देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है किन्तु निवासी आलसी व पिछड़े हुए हैं, उस देश की तुलना में जहां प्राकृतिक संसाधन कम है, किन्तु निवासी स्फूर्तिवान हैं, दरिद्र होगा।'

भारत के सन्दर्भ में भी– 'हम अमीर देश के निर्धन लोग हैं।' अर्थात् संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं परन्तु मानव संसाधन अकुशल है। परिणामस्वरूप हम प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में अक्षम हैं।

अध्ययन क्षेत्र – खरगोन जिले का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना की भारत में मध्यप्रदेश का है। यह सतपुड़ा एवं विन्ध्याचल पर्वत के भाग के दक्षिण–उत्तरी भाग में स्थित है। मध्यप्रदेश राज्य की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा में 21°22' से 22°35' उत्तरी आक्षांश तथा 74°25' से 76°14' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित खरगोन जिला इन्दौर संभाग के अंतर्गत आता है। जिले का क्षेत्रफल लगभग 6541.870 वर्ग किलोमीटर है। जिले की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई लगभग 186 किलोमीटर तथा उत्तार से दक्षिण की लम्बाई 263 किलोमीटर है। समुद्र सतह से औसत उंचाई 300 मीटर है।

खरगोन जिले की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार 1529562 एवं 2011 के अनुसार जनसंख्या 1873046 में जनजातियों की 730169 जनसंख्या निवास करती है, जो कुल जनसंख्या का 38.98 प्रतिशत है, परन्तु जनजातियों की जनसंख्या का वितरण भी असमान है। जिले के दक्षिण भाग में सतपुड़ा अंचल की चार तहसीलों सेगांव, भगवानपुरा, झिरन्या तथा भीकनगांव में कुल आदिवासी जनसंख्या का 66.15 प्रतिशत भाग पर निवास करती है जबकि उत्तरी क्षेत्र की शेष 5 तहसीलों में केवल 33.85 प्रतिषत आदिवासी जनसंख्या निवास करती है।

अध्ययन क्षेत्र में प्रयुक्त विधितंत्र – खरगोन जिले के अध्ययन हेतु द्वितीय प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया है। जिला एवं तहसील स्तर के विभिन्न समंकों के लिए शासकीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित एवं अप्रकाशित समंकों का संग्रहण किया गया है।

जनसंख्या वृद्धि दर का भौगोलिक स्वरूप – सामान्यत: जनसंख्या में वृद्धि होना एक जैविक प्रक्रिया है लेकिन कहीं यह वृद्धि मंद गति से होती है तो वही पर तीव्र गति से जनसंख्या घनत्व एवं उसके वितरण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है। खरगोन जिले में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को विभिन्न भौगोलिक तथा सामाजिक कारकों ने प्रभावित किया है। जिले में धरातल की असमानता वर्षा की अनिश्चितता तथा मिट्टियों की बनावट में अन्तर समाज व्यवस्था, कृषि प्रारूप आदि कारण है। प्राकृतिक तत्वों की इस असमानता के अनुसार जिले में जनसंख्या का वितरण भी असमान रूप से मिलता है।

जिले का दशकीय वृद्धि दर (वर्ष 1951 से 2011) – तालिका क्रमांक 1 के अनुसार खरगोन जिले में दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर आसमान रही जो कि किसी वर्ष कम तो किसी वर्ष अधिक रही। वर्ष 1961 में 25.97 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 1971 में 24.23 प्रतिशत जनसंख्या कम हो गई। इसके बाद के दशकों में लगातार कम एवं समान रूप से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर सन् 1981 में 20.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं सन् 1991 में 18.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई सन् 2001 में 21.71 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2011 में 22.80 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर रही।

तालिका क्रमांक 1 खरगोन जिला : जनसंख्या वृद्धि दर (1951–2011)

क्र.	वर्ष	जनसंख्या जिला खरगोन	प्रतिशत में वृद्धि दर
1.	1951	432352	–
2.	1961	584073	25.97
3.	1971	768717	24.23
4.	1981	971835	20.90
5.	1991	1197723	18.85
6.	2001	1529954	21.71
7.	2011	1873046	22.8

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन

अत: निष्कर्षत: जिले में जनसंख्या वृद्धि दर किसी वर्ष में अधिक तो किसी वर्ष में कम रही परन्तु इसी क्रम में जनसंख्या वृद्धि होती रही। वर्ष 1961 में 25.97 प्रतिशत तो वही घटकर वर्ष 1971 में 24.90 प्रतिशत हो गई। इसके बाद जिले में वृद्धि दर की गति अपने क्रम में चलती रही। इसी क्रम में सबसे कम वृद्धि दर वर्ष 1981 में 18.71 प्रतिशत एवं सबसे अधिक वृद्धि दर वर्ष 2011 में 22.08 प्रतिशत हुई जो कि जनसंख्या वृद्धि की दर में जिले में दशक दर दशक की अपेक्षा सबसे ज्यादा है।

तालिका क्रमांक 2 खरगोन जिला : जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर

* सहा. प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.) भारत

क्र.	जिला/ तहसील	1991	2001	2011	जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर	
					1991-2001	2001-2011
1.	बड़वाह	247786	298888	357244	20.62	19.52
2.	महेश्वर	158668	198321	233032	24.99	17.50
3.	कसरावद	153578	204873	242709	33.40	18.46
4.	सेगांव	56150	68967	83487	25.05	21.05
5.	भीकन -गांव	123188	152870	191780	24.09	25.45
6.	खरगोन	232609	305240	246530	31.22	12.39
7.	गोगांवा	-	-	123512	-	19.64
8.	भगवान -पुरा	12072	148579	192996	40.07	29.89
9.	झिरन्या	104672	151824	201756	27.93	32.88
	जिले का योग	1197723	1529562	1873046	27.92	22.46

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन

तहसीलों का दशकीय वृद्धि दर (वर्ष 1991 से 2011)

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001-2011 में 22.46 प्रतिशत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। जिले में तहसीलवार वृद्धि दर झिरन्या तहसील में वर्ष 2011-2011 में 32.88 प्रतिशत, बड़वाह तहसील में 19.52 प्रतिशत, महेश्वर तहसील में 17.50 प्रतिशत, कसरावद तहसील 18.46 प्रतिशत, भीकनगांव में तहसील में 25.45 प्रतिशत, खरगोन तहसील में 12.39 प्रतिशत, गोगांव तहसील में 19.64 प्रतिशत, सेगांव तहसील में 21.05 प्रतिशत एवं भगवानपुरा तहसील में 29.89 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष - अत: जिले में औसत जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन अवश्य ही हुआ है। वर्ष 1991-2001 के मध्य 27.93 प्रतिशत एवं वर्ष 2011-2011 के मध्य 22.46 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्या के परिवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भगनवापुरा तहसील में वर्ष 1991-2001 के मध्य 40.07 प्रतिशत थी तो वहीं पर कम वर्ष 2001-2011 के मध्य 32.88 प्रतिशत अर्थात् 7.19 प्रतिशत की कमी हुई। इसी क्रम में वर्ष 1991-2001 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि बड़वाह तहसील में 20.62 प्रतिशत हुई एवं वर्ष 2001-2011 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि खरगोन तहसील में 12.39 प्रतिशत हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2017, खरगोन।
2. बी.पी. पण्डा : 'जनसंख्या भूगोल-जनसंख्या का स्थानांतरण', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. कुमार प्रमिला एवं शर्मा श्रीकमल (2015) : 'मध्यप्रदेश-एक भौगोलिक अध्ययन', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
4. म.प्र. जिला गजेटियर पश्चिम निमाड़ (1973), जिला गजेटियर, विभाग म.प्र. भोपाल।

खरगोन जिला : जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर

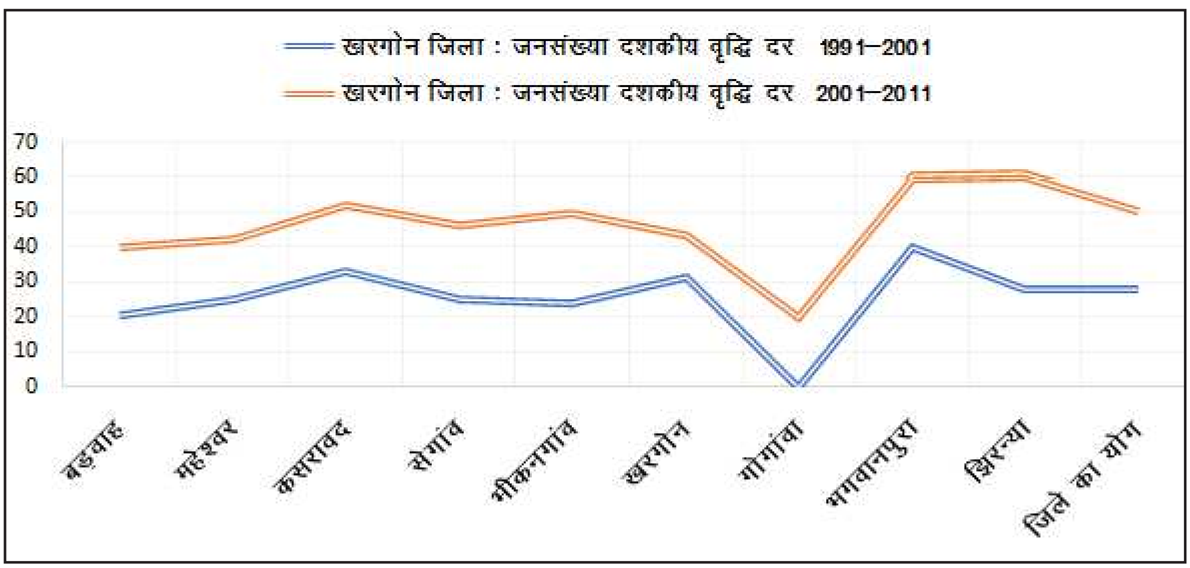

****

हिन्दी गीत रामायण में संगीत तत्व

डॉ. स्मिता सहस्त्रबुद्धे* अनूप मोघे **

प्रस्तावना – भारत! धार्मिक आस्थाओं का ऐसा देश, जिसके संस्कारों में संस्कृति का पल्लवन होता रहा है। धर्म, दर्शन, आध्यात्म यहाँ की संस्कृति के आधार हैं। पौराणिक काल में भारत में महाकाव्यों का सृजन हुआ, जिनके पात्रों ने भारतीय अस्मिता का चरित्र जीवंत किया है। इसी क्रम में 'रामायण' एक ऐसा महाकाव्य रचा गया, जिसे महर्षि वाल्मिकी ने परमपिता ब्रह्माजी के आदेश पर लिखा, ऐसी मान्यता है। इस महाकाव्य के पात्रों ने अपने आदर्शों से भारतीय संस्कृति एवं परम्परा के निर्वहन के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि युगों बाद आज भी इनका चरित्र पूज्यनीय हैं। इसके कुछ चरित्रों ने महाकाव्य की कथा वस्तु के कारण तिरस्कार भी पाया। यह बात प्रसंगानुसार सिद्ध हुई है।

महर्षि वाल्मिकी के रामायण से गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस ने भारत के घर-घर में ऐसा स्थान बनाया कि इसने न केवल भक्ति वरन् साहित्य एवं संगीत का भी मार्ग प्रशस्त किया। रामायण और मानस का गान भारत में प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन माना जाता है।

इसी परम्परा को आगे बढ़ाने का महान कार्य भारत के महाराष्ट्र प्रांत में हुआ। लगभग 65 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के सृजनशील कवि ग. दि. माडगुळकर ने महर्षि वाल्मिकी के रामायण को आधाार मानकर इस महाकाव्य के प्रसंगों पर लगभग 56 गीतों की पद्यबद्ध रचना की। इन पदों में छंदोबद्ध गेयता थी। इस रचना में मराठी भाषा के काव्य के सभी आवश्यक तत्व थे। रामायण के इन प्रसंगों का मराठी भाषा में किया गया, यह एक ऐसा सफल संकलन बना जिसे सम्पूर्ण महाराष्ट्र ने सिर आँखों पर लिया, परंतु इन पदों की छंदोबद्ध संरचना तभी सफल होती, जब इन गेय पदों को स्वरों द्धारा अलंकृत किया जाता और तब इन पदों का स्वर, लय, ताल में प्रस्तुत करने का महती कार्य किया, महाराष्ट्र के श्रेष्ठ गायक सुधीर फड़के जी ने इस काव्य प्रवरणता को सुधीर फड़के जी ने अपने संगीत के द्धारा भाव प्रवरणता के उच्च आयाम दिये जो मराठी सुगम संगीत का आदर्श माने गए।

कहते हैं संगीत, साहित्य, धार्म, संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती। परन्तु फिर भी भाषा, साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से इतनी अनुपम रचना को मात्र महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोगों तक सीमित रहना साहित्य एवं संगीत के पुजारियों को खटकता रहा और इस कमी को दूर करने का अकल्पनीय कार्य किया पं. रुद्रदत्त मिश्र ने। मराठी गीत रामायण के रचनाकार महाकवि श्री ग. दि. माडुळकर को मराठी से ज्यों-की-त्यों अनुवादित पद्यमय रचित रचनाओं को सुनाकर उनसे पं. रुद्र दत्त मिश्र ने भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त की। वस्तुत: पूरे 56 पदों का प्रसंगानुसार, भावानुसार छंदोबद्ध और एक प्रकार से अनुवादित रचना करना एक दुरुह कार्य था। इस दुष्कर कार्य को पं. रुद्रदत्त मिश्र की कल्पना शक्ति एवं काव्य शक्ति ने सफलापूर्वक प्रस्तुत किया। पं. रुद्रदत्त मिश्र इसके पूर्व संस्कृत सुभाषितों को खड़ी बोली में लिखने का उपक्रम आरंभ कर चुके थे। जिसके लिये उनका लक्ष्य सप्तशती का था, परंतु अपरिहार्य कार्य से यह कार्य शतक तक पूर्ण हो सका। संभवत: अनुवाद की यह अदम्य इच्छा मराठी गीत रामायण के हिन्दी गीत रामायण अनुवाद में पूर्ण हुई, ऐसा कहना अत्युक्ति न होगा। इस कार्य में उनके प्रणेता बने श्री नागेश जोशी, जिन्होंने अनुवाद के इस कठिन कार्य का उन्हें मार्ग सुझाया। वस्तुत: हिन्दी में गीत रामायण का हु-ब-हू पद्यात्मक अनुवाद करने से महाराष्ट्र में गाए जाने वाले रामायण की परम्परा भारत के हर प्रांत तक पहुँचाने का अभीष्ट भी सिद्ध हुआ। आज मराठी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में गीत रामायण के पद समान रूप से लोकप्रिय हैं।

जैसा कि आलेख का विषय है वह इन गीतों की संगीतात्मक व्याख्या करना है। यूँ तो इन गीतों की प्रस्तुति हिन्दी एवं मराठी दोनों भाषाओं में संगीत की दृष्टि से समान रूप से होती है। अत: इनमें से कुछ चुने हुए गीतों में शास्त्रीय संगीत का निर्धारिण करने का यह आलेख एक प्रयास करता है।

यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र में साहित्य, संगीत एवं कला का अनुपम भंडारण है। चूंकि मराठी गीत रामायण में सभी गीत हिन्दुस्तानी या भारतीय संगीत का आत्मा 'राग' में बाँधो गये हैं। विभिन्न रागों को पदों में प्रयुक्त किया गया है एवं तद्धुसार ताल प्रयोग में भी प्रकारान्तर विभिन्नता है। मराठी गीत रामायण के गीतों का जैसा पं. रुद्रदत्त मिश्र ने हिन्दू काव्यानुवाद किया, ठीक उसी प्रकार इन गीतों को मराठी गीत रामायण की रागदारी के अनुसार हिन्दी गीत रामायण में गाने की परम्परा है।

हिन्दी गीत रामायण को श्री वसंत आजगांवकर एवं साथियों ने प्रसारित कर इसे लोकप्रिय किया। वर्तमान में हिन्दी गीत रामायण की इंदौर निवासी श्री अभय मानके अपनी प्रस्तुति देते हैं, जो लोकप्रिय है।

हिन्दी गीत रामायण में प्रयुक्त राग एवं ताल – हिन्दी गीत रामायण उत्तार रामायण के प्रसंग से आरंभ होता है।

1. श्री रामचन्द्र के अश्वमेध यज्ञ के समय उमड़े प्रजाजनों के साथ दो ऋषिकुमार उपस्थित होकर प्रभु श्री राम का चरित्र गायन जिस पद में करते हैं, वह हिन्दी एवं मराठी दोनों ही गीत रामायण का पहला गीत है। इस गीत के हिन्दी बोल हैं –

'राम प्रभु सुनते हैं गायन
सुनाते कुश-लव रामायण।'

इस गीत में प्रयुक्त राग है भूपाली। भूपाली कल्याण थाट का अत्यन्त मधुर रात्रिकालीन राग है, जिसमें मधयम और निषाद का प्रयोग नहीं होता। किसी

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संगीत) शासकीय कमलाराजा कन्या स्ना. स्व. महाविद्यालय, ग्वालियर(म.प्र.) भारत
** सह. प्राध्यापक (संगीत) शासकीय कमलाराजा कन्या स्ना. स्व. महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

भी आख्यान का वर्णन करने में संगीत प्रयोग की विशेष सावधानी होती है राग चयन की। राग भूपाली के स्वर इस गीत हेतु इस दृष्टि से उचित जान पड़ते हैं। यह राग अत्यन्त मधुर एवं कर्णप्रिय होने के साथ प्रेम, वात्सल्य के भाव जगाता है। गीत में प्रयुक्त ताल कहरवा या 'भजनी ठेका' है, जो आठ मात्रा के छंद को समाहित करता है।

2. हिन्दी एवं मराठी गीत रामायण का गीत क्र. 5 जिसके बोल हैं –

'लीजिये दशरथ पायसदान'

राजा दशरथ के अश्वमेध का प्रसंग। अश्वमेध का घोड़ा निर्विरोध लौट आया। यह यज्ञ राजा दशरथ के लिए ऋषि शंग ने कराया। यज्ञ समाप्ति पर यज्ञ कुंड से प्रकटित अग्नि देव ने राजा दशरथ को पायस अर्थात् खीर का पात्र दिया और आशीर्वाद दिया कि उसके ग्रहण करने से उनके यहाँ विष्णु अवतार में चार पुत्र उत्पन्न होंगे। यह गीत शास्त्रीय संगीत के राग 'भीमपलासी' में रचित है। 'भीमपलासी' शास्त्र की दृष्टि से मधुर एवं दोपहर के समय में प्रस्तुत होने वाला ऐसा राग है जो स्वरों की अपनी संरचना में यूं तो वीर रस पोषक माना गया है। परन्तु राग भीमपलासी के स्वरों के उच्चार का ढंग कुछ ऐसा है कि उससे शांत एवं करुण रस का भी आभास होता है। वस्तुत: कवि द्वारा जिन शब्द संरचना की योजना इस गीत के प्रसंग एवं भाव के अनुकूल की गई है वह अपने आप रस व्यंजन करते हैं राग के स्वर मिलकर उस रस निष्पत्ति को अधिकाधिक सौन्दर्य देने का प्रयास करते हैं। ताल भी इस गीत में गीत के सटीक शब्दों के आधार पर आठ मात्रा के छंद का है, जो कहरवा ताल संगीत की दृष्टि से जाना गया है।

3. हिन्दी गीत रामायण का उक्त गीत के तुरंत बाद जो गीत है वह गीत क्र. 6 अत्यन्त सुंदर बन पड़ा है। यज्ञ कुंड से उत्पन्न अग्निदेव के प्रसाद से सारी अयोध्या के आनंद का अवसर बना और माता कौशल्या से प्रभु श्री रामचन्द्र का जन्म हुआ। हिन्दी गीत के बोल हैं –

'शुक्ल पक्ष नवमीं तिथि चैत्र मास की।
ऊष्णवात कितनी फिर भी सुवास की।'
मधय-दिवस कारण क्या रवि विराम का?
जन्म राम का है सखी जन्म राम का।

यह गीत शास्त्रीय राग 'तिलक कामोद' पर आधारित है। तिलक कामोद उपशास्त्रीय एवं सुगम संगीत गायन का अत्यन्त लोकप्रिय राग है। इसका राग चलन थोड़ा वक्र रूप में होता है। गीत की भाव व्यंजना में यह राग योग्य जान पड़ता है। आनंद, श्रृंगार के रस को स्पष्ट करने वाले स्वर योजना इस राग में होती है जो गीत की आवश्यकता भी बन पड़ी है। गीत के छंद तीन-तीन मात्रा के हैं जो ताल दादरा के शास्त्रीय दृष्टि से सिद्ध होते हैं।

4. हिन्दी गीत रामायण का गीत क्र. 12 में बड़े ही मनोहारी दृश्य का चित्रण है । श्री राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुँचे। राजा जनक के दरबार में हो रहे स्वयंवर में पहुंचकर अपने गुरू विश्वमित्र की आज्ञा से श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा और स्वयंवर जीता। आल्हादित सीता ने वरमाला श्री राम के गले में डाली। इस सुंदर गीत को राग खमाज और राग मांड में स्वरबद्ध किया गया है। राग खमाज सुगम संगीत के लिये अत्यन्त मधुर राग है। कोमल निषाद के साथ अल्प शुद्ध निषाद राग को मृदु एवं श्रृगांर के भाव देने में समर्थ होता है और इसीलिये इसमें यह गीत सुंदर बन पड़ा है। मांड राग बिलावल थाट का वह राग है जो गीतों की सुंदरता में स्नेह का रंग घोलता है।

गीत के बोल हैं– 'नाता नभ के साथ जुड़ गया' गीत में प्रयुक्त ताल कहरवा है।

5. इसके बाद का गीत क्र. 16 है जो इस आलेख के लिए चयन किया है। गीत के बोल हैं– 'लेता है राज्य कौन राम के बिना।'

राजा दशरथ को अपनी रानी कैकयी के तीन वरों के वरदान में भरत को राज्य और श्रीराम को चौदह वर्ष का वनवास देना स्वीकार करना पड़ा। प्रभु श्री राम ने तो इसे सहज स्वीकारा परंतु भ्राता लक्ष्मण का क्रोध मानो उबलने लगा। इस गीत में वे अपने माता-पिता को अपने क्रोध में कठोर वचन कहते हैं। ऐसे रोषपूर्ण एवं उद्वेलित भावों को राग 'बहार' में बाँधा गया है। राग बहार काफी थाट का वह राग है जिसके स्वर तार सप्तक में चमकते हैं। क्रोध एवं आवेग में कहे गए इस गीत के शब्दों में इस राग के स्वर मानो घी में अग्नि प्रज्ज्वलित करने में सक्षम हैं। गीत के लिये प्रयुक्त ताल दादरा है।

6. अगला गीत है गीत क्र. 18। गीत के बोल है – 'राम जा रहे वह तो सत्पथ, सुमंत रोको, रोको रे रथ।'

वनवास का आदेश श्री राम ने तो स्वीकारा ही परन्तु पतिपरायण माता सीता और अग्रज की चरण वंदना करने वाले श्री लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। इस मार्मिक दृश्य के गीत के लिए करुण रस के लिये उपयुक्त राग तोड़ी का चयन किया गया है। तोड़ी के कोमल रे ग ध एवं म तीव्र का स्वर संयोजन अयोध्यावासी की अतिपुकार में मानो समाहित हो उठे हैं। गीत में प्रयुक्त ताल कहरवा है। आठ मात्रा के इस छंद में गीत के शब्द उचित तालमेल स्थापित करते हैं।

7. अगला गीत क्र. 19 के बोल हैं –'हे नौका तुम लौट न आना।'

अयोध्यावासियों की करुण पुकार से मंत्री सुमंत ने रथ नहीं रोका और शृंगवेरपुर के गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ केवट, निषाद राज ने उनकी चरण धूल ली। श्री राम ने केवट को नौका लाने कहा परन्तु केवट ने श्री राम के चरणों से कृतकृत्य हुई अहिल्या के प्रसंग का सन्दर्भ देकर प्रभु राम को चरण धोने की शर्त के साथ नौका पर बैठने का विनम्र आग्रह किया। केवट ने प्रभु राम का नाम जपते हुए उन्हें नौका से गंगा पार करवाया। इस भक्तिमय गीत के लिए भक्ति रस के लिए उपयुक्त राग भैरवी का चयन किया गया है। इस मधुर गीत के लिये कोमल रे, ग, ध, नि के स्वर अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। गीत में प्रयुक्त ताल कहरवा है।

8. इधर अयोध्या में पुत्र विरह में राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अंधकारमय अयोध्या में राम राज्याभिषेक की चाह लिए मातृ गृह से भरत लौटे और उनका क्रोध चढ़ाता गया अपनी ही जन्मदात्रि माँ के लिए। पं. रुद्रदत्त मिश्र ने इस गीत का ज्यों कि त्यों अनुवाद कर सम्पूर्ण भाव इस गीत मे डाले हैं। उन्होंने लिखा 'माता न तू बैरिनी'। मराठी में भी यह गीत है 'माता न तू वैरिणी'। इस गीत के लिए राग अड़ाणा का चयन किया गया है। अड़ाणा काफी थाट से जन्मा ऐसा राग है जो वीर रस का भाव जगाता है। तार सप्तक में खिलने लगता है। ताल दादरा है। राग अडाणा के लक्षण में पं. भातखंडे लिखते हैं 'रस वीर विनियोग।' अत: यह गीत सुंदर बन पड़ा है।

9. रामायण के सम्पूर्ण विवेचन में भगवान श्रीराम एक सहिष्णु के व्यक्तित्व बनकर उभरे हैं। अंतत: वे विष्णु के अवतार ही थे। परन्तु भ्राता भरत के क्रोध को वे बड़ी सहजता से शांत कर कहते हैं 'नहीं और दोषी कोई, दैव दु:ख दाता, पुत्र मानवी है जग में, पराधीन भ्राता।' पं. रुद्रदत्त ने इस अनुवाद में कहीं भी गीत के मूल भाव को नहीं बदला और इस गीत के लिए अति सुंदर राग यमनकल्याण का प्रयोग हुआ है। राग यमनकल्याण के तीव्र में से जहाँ भरत के भाव स्पष्ट करता है वहीं कोमल मधयम प्रभु राम के शांत भाव प्रदर्शित होते हैं। ताल हेतु आठ मत्रा के छंद कहरवा का प्रयोग हुआ है।

10. आगे के प्रसंगानुसार इस आलेख में जिस गीत का चयन किया गया है वह दंडकवन से है। लंकापति रावण की बहन शूर्पनखा के प्रेम निवेदन पर

क्रुद्ध होकर श्री लक्ष्मण ने प्रभु श्रीराम के कहने पर उसके नाक-कान काट लिये। तिलमिलाती शूर्पनखा अपने भाई रावण से बोली 'विरुप देखो शूर्पनखा, यह रामचन्द्र की कृति, लिजिए बदला लंकापति।' पं. रुद्रदत्त का यह मराठी से हिन्दी अनुवाद जिन छंदों में हुआ है उसमें क्रोध, दुख, विरह, पीड़ा सभी भाव दिखते हैं। इन भावों के लिए ऐसे स्वर चाहिये जो उत्तेजना बढ़ाए। इस हेतु इस गीत के लिए राग सोहनी ताल कहरवा का प्रयोग अत्यन्त सटीक रूप से किया गया है।

11. सभी को विदित है कि उक्त घटना के परिणाम में रावण ने माता सीता का हरण किया। उन्हें इस बंधान से मुक्त करने के लिए सागर को पार करना था। यह पता लगाने कि माता सीता सिन्धु पार कहाँ हैं? श्री हनुमान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। पं. रुद्रदत्त मिश्र ने बड़ी सुंदर शब्द भाव से इस प्रसंग को रचा है- गीत के बोल है-'तैर जो जाये सिन्धु महान, एक ही ऐसे श्री हनुमान' उनको उत्साहित करते हुए अगली पंक्तियों में पं. रुद्रदत्त मिश्र ने कहा- 'करो पवन सुत निश्चय मन में, असामान्य तुम हो कपिजन में, वामन-सा पद उठे गगन में, विजयी भरो उड़ान।' इन पंक्तियों के लिये राग मुल्तानी चुना गया है। ऋषभ, गांधार, धौवत का कोमल होने से एवं निषाद के शुद्ध होने से यह गीत उत्साह भरने में सहायक होते हैं।

12. लंका पहुँचकर श्री हनुमान ने माता सीता का पता तो लगाया ही, अपने अत्यन्त पराक्रमी व बलशाली कृतित्त्व से रावण की लंका में आग लगा दीं। इन भावों का सुंदर अनुवाद पं. रुद्रदत्त जी ने किया और इसे राग मालकौस में गाया गया। राग के स्वर, गीत के भावों जिसमें अग्नि का तांडव रूप दिखता है को प्रकट करने में सक्षम हुए हैं।

13. श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। नियमपूर्वक कार्य करना उनका धार्म रहा। युद्ध की तैयारी होने के पूर्व अपने दूत अंगद को भेजा उन्होंने रावण को अंतिम चेतावनी दी। हिन्दी गीत रामायण के गीत क्र. 45 में पं. मिश्र ने अनुवाद किया और गीत बना 'अंगद जा रावण को शीघ्र दो बता' यह गीत वीर रस के भाव दिखाई देता है। इसके लिये शास्त्र की दृष्टि से राग अड़ाणा का चयन किया गया। जो गीत के भावों को स्पष्ट करने में सहायक होता है।

14. इसी तरह गीत क्र. 47 में रावण के भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाने के उपरांत कुंभकर्ण के वचन अपने भाई के प्रति उत्तेजना पूर्ण होते हैं इनके लिए भी राग अड़ाणा का प्रयोग किया गया है। जिसका स्वर विन्यास वीर रस की भावना को जगाता है।

15. गीत क्र. 48 में प्रभु श्रीराम ने रावण के जीवित रहने पर आश्चर्य करते हुए इन्द्र द्वारा भेजे गए सारथी मातलि से पूछा-

'आज क्यों हैं ये निष्फल बाण?
पुण्य घटे या निज भुजबल का, तृप्त हुआ परित्राण?'

इन सुंदर शब्दावलियों में चिन्ता, प्रश्न, आश्चर्य जैसे भावों का प्रकटीकरण हुआ है। जिसके लिये कोमल ग एवं नि के साथ ध का कोमल समन्वयन बहुत सुंदर जान पड़ा है। जो अति कर्णप्रिय राग जौनपुरी में दिखाई देता है। इस राग का प्रयोग इस गीत में में किया गया है।

16. गीत क्र. 55 हिन्दी गीत रामायण का मार्मिक गीत है। पं. रुद्रदत्त शर्मा जी ने माता सीता की व्यथा, पीड़ा एवं एक अबोध बालक से चित्त के अनुवाद में अपनी काव्य कुशलता उड़ेल दी है। प्रजा की इच्छा का सम्मान करते हुए माता सीता को गर्भवती होते हुए भी प्रभु श्रीराम ने वनवास भेजने का निर्णय लिया। माता सीता यह न जानते हुए व्याकुलता से श्री लक्ष्मण से पूछ बैठी 'बोलो लक्ष्मण मैं जाउं कहाँ, पति-पद-दर्शन फिर पाउं कहाँ?' रघुकुल वंश के वंशाकुर को अपने गर्भ में धारण कर उनको जन्म देने की उनकी सारी उत्कंठा निराशा में परिवर्तित हुई है जो गीत में बड़े सुंदर प्रकार से प्रकट की गई है। ऐसे प्रसंग के लिए कोमल स्वर रे एवं ध का प्रयोग करना अतिउत्तम जान पड़ता है, जो राग जोगिया में दिखाई देता है। इस राग का चयन इस गीत हेतु किया गया है। ताल दादरा है।

17. इस गीत रामायण का गीत क्र. 56 बहुत भावुक भाव का है। श्री लक्ष्मण के द्वारा वन में माता सीता को छोड़ने के बाद वाल्मिकी ऋषि उन्हें अपने आश्रम ले गए और पुत्रीवत् पालन किया। वहां माता सीता ने रघुकुल वंश के दो राजकुमारों लव और कुश को जन्म दिया। श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के समय यह दोनों वहां पहुँचे परंतु यह आज्ञा उन्हें महर्षि वाल्मिकी ने दी और रामचरित्र सुनाने को कहा। पं. मिश्र ने इस गीत का अनुवाद इतना सुंदर किया कि वाचन करते हुए नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसी ही स्थिति उस समय हुई जब ये दोनों बालकों ने अपने गुरु महर्षि वाल्मिकी की आज्ञा को मानकर रामचरित्र सुनाया। गीत के बोल हैं –

'बच्चों! राघव-नगरी जाना, रामायण के गीत सुनाना।'
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × × × ×
सर्गो का क्रम मन में लाना, भाव कथा के स्पष्ट स्पष्ट बताना।
प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गाना, चित्रित पूर्ण कथा कर जाना।

गीत में अनुवाद करते समय छंदों की गेयता का विशेष धयान रखा गया है। यह इस हिन्दी गीत रामायण का अंतिम गीत है। शास्त्र की दृष्टि से संगीत में किसी क्रम का समापन भैरवी राग से होता है। भैरवी भक्ति रस प्रधाान राग है। पं. भातखंडे, जिन्होंने संगीत का शास्त्र लिखित रूप में उपलब्धा कराया, अपनी क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग 2 में भैरवी राग का लक्षण बताते हैं और कहते हैं –

'भैरवी कही मनमानी,
भक्ति रस की खानी।'

अत: इस गीत के लिए भैरवी राग का चयन किया गया। कोमल रे, ग, ध, नि और मध्यम का शुद्ध होना गीत को अत्यन्त सुंदर भाव देता है साथ में कहरवा का प्रयोग गीत को उभारता है।

अस्तु, इस तरह इस आलेख के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गीतों का चयन किया गया। जिनमें प्रयुक्त रागों एवं तालों का विश्लेषण किया गया। शेष गीतों के बारे में इस आलेख हेतु यह निर्धारित किया गया कि इन गीतों में बहुत बार रागों एवं तालों की पुनरावृत्ति दिखाई देती है। वस्तुत: रागों का निर्माण स्वरों से ही होता है। गीतों में प्रकट हो रहे भावों में हर्ष, विषाद, क्षोभ, व्याकुलता, उद्विंगनता, आवेश, क्रोध, प्रेम, वात्सल्य, हास्य आदि संवेगों का प्रकटीकरण हुआ है। रागों में प्रयुक्त स्वरों की दृष्टि से देखा जाये तो साधारणत: हास्य भाव के लिये मध्यम पंचम स्वर, वीरता रौद्र और अद्भुत भाव के लिये षड़ज, ऋषभ स्वर, करुण दशा के लिए गांधार, निषाद और वीभत्स के लिए धौवत स्वरों का प्रयोग भरतमुनि अपने नाट्य शास्त्र में बताते हैं, जो संगीत, नाट्य, साहित्य एवं कला का मानक ग्रंथ है। इन्हीं स्वरों के योग से विभिन्न रागों का निर्माण होता है। अत: हिन्दी गीत रामायण के शेष गीतों में इन्हीं भावों को स्पष्ट करने के लिए उक्त स्वरों के समन्वयन् से बने रागों का प्रयोग किया गया है।

ताल की दृष्टि से देखें तो इस शोध पत्र के अध्ययन अवधि में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि प्रत्येक गीत में छंदों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से इस तरह किया गया है कि प्रसंग के अनुसार गीत के भाव सहजता से स्पष्ट हो सके। इस आधार पर प्रमुखता से 6 एवं 8 मात्रा के छंद सांगीतिक ताल

की दृष्टि से दिखाई देते हैं। जिनके लिए संगीत शास्त्र में दादरा एवं कहरवा ताल निर्धारित है, जिनका प्रयोग गीतों में हुआ है। इन तालों का विवेचन निम्नानुसार है–

ताल दादरा–

मात्रा – 6
भाग – 2
ताली – 1
खाली – 1

प्रत्येक विभाग में 3–3 मात्रा होती है।

1	2	3	4	5	6
धा	धी	ना	धा	ती	ना
×			0		

ताल कहरवा–

मात्रा – 8
भाग – 2
ताली – 1
खाली – 1

प्रत्येक विभाग में 4–4 मात्राएँ होती है।

1	2	3	4	5	6	7	8
धा	गे	न	ति	न	क	धि	न
×				0			

निष्कर्षत: यह शोध पत्र हिन्दी गीत रामायण जो कि पं. रुद्रदत्त मिश्र ने अत्यन्त कुशलता से मराठी से अनुवादित किया है और जिसमें मूल रूप से मराठी गीत रामायण के ही गीतों की स्वरावलियों, रागों एवं तालों का प्रयोग किया गया है की संक्षिप्त विवेचना की गई है। उद्देश्य मात्र यही कि हिन्दी गीत रामायण के संगीत पक्ष का अध्ययन हो और पं. मिश्र के इस महान् कृतित्त्व को जो कि सहज गेय है एक नवीन दृष्टि दी जा सके। यूं भी साहित्य और संगीत कला का घनिष्ट सम्बन्ध है। छंद, मात्रा के उपयोग से सजा पं. रुद्रदत्त का हिन्दी गीत रामायण स्वरों की दृष्टि से कैसा प्रभाव रखता है, इस तथ्य को शोध पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ग.दि. माडगुळकर, ग. दि. : 'गीत रामायण', पब्लिकेशन डिविज़न, दिल्ली, 3 अक्टूबर 1957। पृ. 1–190
2. मिश्र, रुद्रदत्त : 'गीत रामायण', नागेश जोशी, प्रथम संस्करण, मुम्बई, 31 मार्च 1976। पृ. 1–167
3. भातखंडे, पं. वि. ना. : 'क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 एवं 4', संगीत कार्यालय हाथरस, 17वाँ संस्करण 2014। पृ. 23, 117, 250, 297, 409, 561, 668, 700, 741
4. शर्मा, डॉ. मनोरमा : 'संगीतमणि भाग 1 एवं 2', श्री भुवनेश्वरी प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2008। पृ. 138–157 एवं 1–10
5. वसत : 'संगीत विशारद', संगीत कार्यालय हाथरस, 22 वाँ संस्करण, अप्रैल 1998। पृ. 543, 548, 551

****

तनाव प्रबन्धन में गौतम बुद्ध के सिद्धांतो की सार्थकता

विनीता मुजाल्दे* डॉ. मंजू शर्मा **

प्रस्तावना – वर्तमान जीवन शैली की आपाधापी,शिक्षा और रोजगार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं में विभिन्न स्तर पर तनाव देखा जा रहा है। पारिवारिक, सामाजिक, आथिक एवं जीवन प्रबन्ध के क्षेत्र में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दबाव से उचित प्रकार से समय एवं गुणवत्ता का कार्य न होने जैसी कई वजह होती है, जो बालिकाओं में तनाव उत्पन्न करते है। कुछ बालिकाएँ पढ़ाई के साथ-साथ अन्य क्षेत्रो में रोजगार भी करती है जिससे वह अपने व अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और इसी भागढौड़ की जीवन शैली में वह तनाव ग्रस्त हो जाती है और वह परिवार,समाज व साथी समूह से दूर हो जाती है तथा उचित समायोजन नहीं कर पाती है।

तनाव अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। इससे मन अशांत एवं शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। तनाव का सीधा सम्बन्ध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से होता है जिससे हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में व्यवधान उत्पन्न होता है।हमारे अनेक धर्म,ग्रन्थ,ऋषिमुनी व मुनीयों ने जीवन प्रबंधन के सिद्धांत प्रतिपादित कर अनेक नियम बनायें है, उनका पालन करने से तनाव प्रबन्ध कर जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत भी हमारे जीवन को तनाव मुफ्त करने में सहायक है।

तनाव का अर्थ – तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था का नाम हैं। जो उसमें उत्तेजना और संतुलन उत्पन्न कर उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाता हैं।हमारे मन में कई प्रकार की आवश्यकताएं,प्रयोजन,लक्ष्य और अभिप्रेरणाएँ पायी जाती है। जब भी यह समुचित रूप से तृप्त नहीं हो पाती तब मन में एक प्रकार का खिचाव,कुंठा और संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसे तनाव कहतें है।

वैज्ञानिको के अनुसार – 'तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजीत दशा का अन्त करने के लिएकोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।' – (गेट्स)

'कोई भी परिस्थिति जो व्यक्ति पर दबाव डालती है तथा जिसके कारण व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है यही प्रतिबल है।' – (कोलमैन 1981)

तनाव की अवस्थाएँ –

1. **चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था–** व्यक्ति में यह अवस्था प्रतिबल प्रभाव से उत्पन्न होती है। मानव शरीर में सबसे पहले होने वाले शारीरिक परिवर्तनो को चेतावनी प्रतिक्रिया कहते है। जैसे– शरीर का तापक्रम बढ़ना, श्वास गति तेज होना।

2. **प्रतिरोध की अवस्था –**जब पहली अवस्था में प्रतिबल नियंत्रित नहीं होता है तो व्यक्ति दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर से हार्मोन्स निकलते है।

3. **समापन की अवस्था–** जब व्यक्ति दूसरी अवस्था में भी प्रतिबल पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है तो वह समापन की अवस्था में पहुंच जाता है इस अवस्था में भी तनाव जारी रहने पर व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं घटने लगती है। सेली द्धारा इसे 'अनुकूलन रोग' कहा गया।इस अवस्था में व्यक्ति की आंतो में घाव हो सकते है उसका रक्तचाप गंभीर रूप से बढ़ सकता हैं मधुमेह, हृदय रोग ,एलर्जी, दमा होने के साथ-साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।

तनाव के कारण –

बदलती जीवन शैली – जब बालिका शोधार्थीयों के पास कोई निश्चित दिनचर्या नहीं होती या उसका पालन करने में वह सफल नहीं हो पा रही है तो उससे उनको ऐसी समस्याएँ हो रही है जो तनाव का कारण बन जाती है उदा. – यदि बालिकाएॅ देर से जागती है तो नाश्ता नहीं कर पाती है। जिसके भूख के कारण ध्यान केन्द्रीत करने में परेशानी होती है।

मानसिक तनाव – जब बालिकाओं को पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो उनके शरीर को उचित आराम नहीं मिल पाता है और वह थकान महसुस करती है। जिससे वह अपनी दैनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं हो पाती है।

आर्थिक परेशानी – जब बालिकाओं को आर्थिक रूप से धन की परेशानी होती है तो यह भी चिंता का दैनिक कारण बन जाता है।

खराब रिश्ते – अच्छे दोस्तो की कमी होना, शिकायत करने वाले पति/ पत्नी, और माता-पिता द्धारा बार-बार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से बालिकाओं के मनौवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। खराब संबंध तनाव का एक प्रमुख कारण हो सकते है।

अस्वस्थ्य आहार का सेवन – अस्वस्थ्य आहार लेने से भी व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। यदि बालिकाएँ अत्यधिक मीठा भोजन लेती है तो उनका शरीर असंतुलन के माध्यम से उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चाय और कॉफी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से मानसिक अशांति हो सकती है क्योंकि इनमें कैफीन होता है इसलिए जब हम अधिक मात्रा में इसका सेवन करते है तो यह हमें तनाव की ओर ले जाता है।

वातावरण का प्रभाव – आप जिस मकान में रहते है वो आपको पसंद न आया हो या आप लम्बे समय से बिमार चल रही है, अधिक शोर, यह बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते है। जिससे बालिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है।

* शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोती तबेला. इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्रोफेसर, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

तनाव के लक्षण :

1. अकेले रहना और समाज के व्यक्तियों से बात न करना
2. किसी भी काम पर ध्यान एकत्रित न कर पाना।
3. कमजोर स्मरण शक्ति
4. भोजन संबंधि आदतों में परिवर्तन।
5. मन में आत्महत्या के विचार आना।
6. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होना।
7. अत्यधिक तनाव के कारण स्वास्थ्य बिमार जैसे - मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, बाल झड़ना, त्वचा संबंधित समस्याएँ आदि होने लगती है।
8. तनाव बालिकाओं के जीवन में हस्तक्षेप करता है और उनकी की दैनिक गतिविधियों को बाधित करता है।
9. तनाव हमें एक से अधिक तरीको से प्रभावित करता है यह निश्चित रूप से बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

तनाव प्रबंधन :

- **व्यायाम करना -** हमारी शारीरिक व मानसिक स्थिति कैसी भी हो रोज व्यायाम करने से लाभ होगा और शरीर व मन स्वस्थ्य होगा।
- **नशा मुफ्त परिवार एवं समाज -** इन नशीले पदार्थो का सेवन करने से यह तनाव को बढ़ाते है इसलिए इनका सेवन नहीं करे तो यह बालिकाओ के स्वास्थ्य के लिए ठिक होगा।
- **उत्तम पोषण -** अनेक प्रकार की सब्जियां और फल तथा संतुलित आहार लेने से यह तनाव के समय प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाएँ रखने में मदद करता है। और सही पोषण न लेने से तनाव और अधिक बढेगा।
- **स्वयं को पहचानना -** अपने लिए थोड़ा समय निकाले और इस समय का उपयोग आराम करने और अपने मन-पसंद कार्य करने के लिए करें।
- **रुचियों का विकास -** परिवार दोस्तों से बातचीत करे और उन्हें अपनी परेशानीयों के बारे में बताएँ जिससे आपको तनाव दूर करने में सहायता मिलेंगी।
- **समाजिकरण -** कई बार बालिकाएँ अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर अधिक तनाव ले लेती है जिससे वह उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की और ध्यान ही नहीं दे पाती है। अत: उन्हें अपने शरीर पर पड़ने वाले लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।
- **स्वयं की अभिव्यक्ति -**

1. पुस्तक पढ़ना।
2. भ्रमण।
3. संगीत सुनना।
4. दोस्तो के साथ समय व्यतित करना।
5. जिम जाना।

गौतम बुद्ध के शब्दों में तनाव प्रबन्ध के सिद्धांत - जब हमारा मन परेशान होता है तो बस इसे उस समय वैसे ही छोड़ दे,इसे थोड़ा समय दे यह अपने आप शांत हो जायेगा,अगर आप अपने अशांत मन को शांत करने की कोशिश करेंगे तो यह और ज्यादा अशांत हो जायेगा आनको इसे शांत करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं है क्योकि जब हम शांत होते तब हम अच्छे निर्णय ले सकते है। अक्सर जब हमारा मन अशांत होता है तब हम बहुत कुछ सोचने लगते है जिससे हमारा दिमाग और ज्यादा अशांत हो जाता है तथा हमारे मन में अच्छे विचार नही आते,इसलिए जब तुम्हे कोई चिंता या तनाव हो उस समय कोई भी फेसले न ले।

1. सभी गलत कार्य मन से ही उपजते है,अगर मन परिवर्तित हो जाए,तो क्या गलत कार्य हो सकता हैं।
2. क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरो का नुकसान करे या ना करे खुद का नुकसान जरूर करती है।
3. बुराईयों से दूर रहने का एक ही तरीका है,अच्छो विचारो को अपने मन में आने दीजिएँ।
4. जीवन की सबसे बड़ी विफलता है, हमारा असत्यवादी होना।
5. जिस तरह तूफान एक बड़े पत्थर को नहीं हिला पाता उसी तरह शांत व्यक्ति को मान -अपमान नही हिला पाते और जो दूसरो से ईर्ष्या करते उनको कभी शांति नहीं मिल सकती।
6. संयम,सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए पवित्र और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। यहीं भय मुफ्ति एवं शांति का वास्तविक मार्ग हैं।
7. आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल ले,लेकिन जब तक आप उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है।
8. बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा हीं समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है।
9. क्रोध में हजारो शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है।
10. मैं यह कभी नहीं देखता की क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा यह देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है।

गौतम बुद्ध के उपर्युक्त सिद्धांत आज के परिपेक्ष्य में आज भी सार्थक है इनसे प्रेरणा लेकर हम तनाव प्रबंधन कर जीवन को खुशहाल बना सकते है।

गौतम बुद्ध ने तनाव के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट किया है उनके अनुसार - तनाव का प्रभाव देखे तो यह हमें कठिन परिस्थतियों से जूझने,संघर्ष करने एवं उनसे निकलने में साहसपूर्ण कार्यो में विजय दिलाने में सहायक है यह स्वावलम्बन एवं भय -मुफ्त करने में महन्ती भूमिका उत्पन्न करता है।

उपसंहार-यदि बालिकाए गौतम बुद्ध के इन सिद्धांतो को अपनायेगी तो उन्हे तनाव को दूर करने में प्रेरणा मिलेगीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. hhttps://www.baskar.com
2. hhttps://www.lifealth.com
3. hhttps://hi.m.wikipedia
4. hhttps://www.gazabba
5. wwww.hindibrayindia.com
6. Research Methodology – C.R. Kothari & Gaurav Garg, Publication New Age International (P) LTD., Publishers.

****

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Jan. to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XIX

Nehru Report : A Hope Towards Constitutional Reforms or a Mere Historical Document

Sunil Sharma*

Abstract - The recommendations of the Nehru report and its impact on determining the principles of the constitution for India has been discussed in the research paper.
Key words - Simon commission, constitution, recommendations, outvoted, historical.

Introduction - Lord Birkenhead, the conservative secretary of state responsible for the appointment of the Simon Commission, had constantly harped on the inability of Indians to formulate a concrete scheme of constitutional reforms which had all the support of wide sections of Indian political opinion. This challenge was taken up and meetings of All Parties Conference were held in February, May and August 1928 to finalize a scheme which popularly called as Nehru Report after Motilal Nehru, its principal author. The committee included Tej Bahadur Sapru, S.C.Bose, M.S.Aney, Ali Imam, Shuab Qureshi and G.R.Pradhan as its members. The central theme of the committee's recommendations was the assumption that the country new constitution would rest on the solid base of Dominion status. Other important recommendations of the Report were as follows:-

1. It rejected the principle of separate communal electorates on which previous constitutional reforms had been based.
2. Seats would be reserved for Muslims at the centre and in Provinces in which they were in minority but not in those where they had numerical majority.
3. The Report also recommended universal adult suffrage, equal rights for women, freedom to form unions.
4. Disassociation of state from religion in any form.
5. Full protection to cultural and interests of Muslims.
6. Provincial councils to have 5 year tenure, headed by a Governor acting on the advice of the provincial executive council.

Prospects for Indian unity seemed bright towards the end of 1927, as practically all established political groups [except Justice Party in Madras and Punjab Unionists] decided to Boycott the Simon Commission and began preparing for an All-Parties Conference to draw up a constitution. A large number of Muslims had met at Delhi at Muslim League session in De.1927 [Delhi Proposal] and given proposals were made:-

1. Separate electorates-the central plank in Muslim progress ever since 1906 would be given up in return for joint electorates with reserved seats for minorities.
2. A promise of 1\3rd Muslim representation in Central assembly.
3. Representation in proportion to population in Punjab and Bengal.
4. Creation of three new Muslim majority provinces viz. Sindh, Baluchistan and North West Frontier Province[NWFP]

Breakaway League session at Lahore under Muhammad Shaffi refused to give up separate electorates and decided to cooperate with the Commission. Though AICC in May1927 and Madras session in Dec.1927 had accepted Jinnah's offer, Hindu Communalist pressure from Punjab and Maharashtra soon forced a disastrous retreat. All Parties Conference which met at Delhi in Feb.1928, at Bombay and also in May 1928 finalized the so called Nehru Report at Lucknow on 2nd Aug. got involved in tortuous negotiations and squabbles on the issue of communal representation. The Jabalpur session of the Hindu Mahasabha under N.C.Kelkar [April1928] bitterly opposed the creation of new Muslim majority provinces and reservation of seats for majorities in Punjab and Bengal. They also demanded strictly unitary structure; The Nehru Report thus make number of concessions to Mahasabha:-

1. Joint electorate proposed everywhere but reservation for Muslims only where in minority[not in Punjab and Bengal]
2. Sindh to be detached from Bombay only after dominion status was granted and subject to weight age to Hindu minority in Sindh.
3. Political structure would be broadly unitary with centre keeping residual powers.

Jinnah who had broken with the Shafi-Fazl-i-Husain Group of Punjab Muslims on the joint electorates issue made a desperate attempt at unity in the last Dec.1928 session of All Parties Conference in Calcutta. He proposed --immediate separation of Sindh, residual power to provinces, 1/3rd of central assembly seats for Muslims and reserved seats in Punjab and Bengal till adult suffrage was established. The Mahasbabha leader M.R.Jaykar brushed

*Teacher, S/o Chhaju ram R/o Pahariwala P/o Pallanwala, Tehsil - Khour, District - Jammu (J&K) INDIA

aside all such pleas for compromise with the result that Jinnah rejoined the Shafi group and In March 1929 put forward his famous 14 points.

1. Federal constitution with residual powers to province.
2. Provincial autonomy.
3. No constitutional amendment by the centre without the concurrence of the states constituting the Indian federation.
4. All legislatures and elected bodies to have adequate representation of Muslims in every province without reducing a majority of Muslims in a province to a minority or equality.
5. Adequate representation to Muslims in the services and in self-governing bodies.
6. 1/3rd Muslim representations in the central legislature.
7. In any cabinet at Centre or province,1/3rd to be Muslims.
8. Separate electorate.
9. No bill or resolution in any legislature to be passed if 3/4th of minority community considers such a bill or resolution to be against their interests.
10. Any territorial redistribution not to affect the Muslim Majority in Punjab, Bengal and NWFP.
11. Separation of Sindh from Bombay.
12. Constitutional reforms in NWFP and Baluchistan.
13. Full religious freedom to all communities
14. Protection of Muslim rights in religion, culture, education and language.

A constitution making exercise inevitably raised the question of the future status of princely states –an issue which the Indian National Congress had so long evaded. Though the Nehru Report no recommendations for immediate internal changes in states, it did visualize a complete transfer of paramountcy to the fundamentally unitary and democratic centre of the future. The first session of the All India States Peoples Conference [Bombay, Dec.1927] organized by politicians with congress sympathies, demanded extension of responsible Government to princely India. A committee under Harcourt Butler [famous for pro-talukdar policy in U.P.] was set up to address the question of paramountcy.

The Butler committee [March 1927] reasserted that “Paramountcy” must remain paramount’. But explicitly stated that it was not automatically transferable from the crown to any future self governing centre enjoying dominion status.

Conclusion - Nehru Report contained a constitutional scheme that proposed dominion status for India, which was opposed by a radical younger group led by J.L.Nehru and S.C.Bose. Both Nehru and Bose were in favour of complete independence. Even Muslim Opposition to the report was increasing, as groups headed by Jinnah and Agha Khan repudiated it. So Gandhi proposed a compromise resolution which adopted the Nehru Report, but said that if the Govt. did not accept it by 31 Dec.1930, the congress would go in for Non cooperation Movement to achieve full independence. Nehru and Bose were still unhappy, but when Gandhi as a further concession cut down the time limit to 1929, the resolution was passed .Apart from the abortive bid to solve the problem of communal representation, The Nehru Report remains memorable as the first major effort to draft a constitutional framework for the country.

References:-

1. S.A.Dange-Gandhi and Lenin The socialist [Bombay]
2. Muzzaffar Ahmed-Navyug [Bengal]
3. Ghulam Hussain-Inquilab [Punjab]
4. M.Singaravelu-Labour Kissan Gazette [Madras]
5. Indian history by Krishna Reddy
6. NCERT Textbook of Modern India
7. Pratiyogita darpan
8. Indian History by Agnihotri

****

Social Life of the People During Gupta's Period

Sunil Sharma*

Abstract - During the Gupta period the habits and manners of the people as well as their way of day to day life activities has been discussed in the research paper.
Key words - Castes,Inheritance,Fashion,Amusements,Superstition.

Introduction - A good deal of information about the social life of the people during Gupta period has been provided by the Puranas, Dharma Sastras, the Niti Sastra of Narada, Brihaspati,Yajna Valkya, the dramas of Kalidass such as Raghuvamsa and Shakuntala, Mrichchhatika, Mudraraks-hasa and Kamudi Mahotsava.Fa Hien has also written about the social life of people during Guptas.

There were specific changes in outlook, habits and manners of the people living in towns than those who lived in rural areas. The people were attracted towards the urban life. The caste system was still prevalent among Hindus. The four fold divisions of society were Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Each one of them comprised a major caste or Varna .They had specific duties assigned to them. Brahmans were the most influential class, Kshatriyas were the ruling class, Vaishyas had immense wealth and Sudras were the least respected class. Although the society was divided into castes and sub -castes, the caste system was not rigid. There were also no rigid rules in respect of either the inter-marriages or inter dining of the professions. The Smritis and other secular literature of the period reveal that women enjoyed freedom and place of honour during the Gupta period. They enjoyed equal status with men in all walks of lifeviz, religious, social, educational and economic. Even some women rose to the status of outstanding literary figures by virtue of their scholarship. Women of royal and other higher classes had the privilege of selecting their husbands by a certain ceremony called Svayamvara. Father was the owner of the property as long as he lived although the rights of different sons and brothers were duly recognized by the laws. Reference to these certain rights is also found on certain land grants. According to the 'law of inheritance', a son had the right by birth to the share of his father's property.

As per Brihaspati and Yajna Valkya, there was maintenance allowance for a widow if her husband had been a member of joint family before his death. The amount usually to be spent on the marriage of a daughter was to be an equivalent of one-fourth of the share of a son in the property of his father.Purdah system does not seems to exists, although ladies of nobility and upper class used to cover their veil when they were in journey. Ornaments of gold and precious jewels were used by the nobility and upper class, while the ordinary ornaments were wore by the lower class. Ornaments of gold studded with precious jewels, Muktajal and Hemsutra type of garlands, Karnapura, or Kundal for the years, Keyura [gold armlet],various types of anguliyaka [rings] and Mekhala [girdle]worn by women on waist,Nupurs[anklets]etc.are not only mentioned in Kalidas writing but are also depicted in paintings and sculptures. In addition to gold ornaments, Kalidas has made sporadic references to flower ornaments. Various types of hair styles were adopted both by men and women. Contemporary paintings, sculptured pieces and description of Kalidas tell us of various types of hair styles. All sorts of fashions in hair were adopted by upper class women. They knitted hair in long tresses or had 'Sikha' or 'juda'. Women in separation from her husband or lover had 'Ekaveni'. Men also curled their hairs and used 'Nitatni' medicine to make them strong. Women used different kinds of cosmetics to look more beautiful. They used powder prepared from 'Lodhar' trees bark, scented their hairs with 'Agru' and 'Sandal' and decorated them with flowers. Collyrium for the eyes and a sort of lipstick was also in fashion. The mirror was known at that time.

According to Vatsyana's Kamasutra rich people and royalty spent time on pleasures, festivals, cock-fighting, betting games etc.The life of a common man was devoid of these pleasures. In the Gupta period, music seems to have been practiced by common as well as rich people as an accomplishment of Drama. Kalidasa has written Malvikagnimitra for the celebration of Vasantotsava. In the spring festival flowers, wine, Drama with music and dance provided the main entertainment. Kalidas has mentioned various kinds of dances such as Chhaika, Khurka and Abhinya.A dance with fine cloth in hand is also alluded to. The plays, dances and vocal music were performed with accompaniment of musical instruments. The poet has referred to various types of musical instruments. The turya, Vallaka and Atodya are grouped with Veena by Mallinatha.

*Teacher, S/o Chhaju ram R/o Pahariwala P/o Pallanwala, Tehsil - Khour, District - Jammu (J&K) INDIA

Men and women enjoyed water sports and soft instrumental music. Gambling was also a game of interest. 'Kanduka-Krida' was the game for women and children. Dolls were also known to girls. Women enjoyed swings alone as well with their consorts. Hinting was popular with kings and nobles, while the common man was fond of ram- fights and cock-fights .The people during the Gupta period were fond of food and drinks. Milk and rice were very popular, but rice was taken with curd also.All the preparations of barley and wheat were in use, but Yavagu was very popular.Puranas mention some new preparations namely Vitanka Polika, Istaka and Locika. In addition to various varieties of cereals fruit like pears, peaches, apricots, grapes, plum, melons and pomegranate were eaten. The art of cooking had developed much. All the works of Kalidas give reference to drinking and reveal that ladies of royal families enjoyed drinking, while it gave special charm to them. 'Malvikagnimitra' refers to 'Matsyandika', a type of antidote for over intoxication reveals the extent of liquor being used during this period. The people were at that time were superstitious. The popular belief in magical incantations and spells was prevalent during the Gupta period. Varahmihira has utilized these in his famous works Brihaj-Jataka and Brihhat-Samhita. The literature of the period is full of references to this superstitions.However; the intelligentia of the period was not perturbed by the superstitions and beliefs.

References :-

1. Indian history by Krishna Reddy
2. NCERT Textbook of Medieval India
3. Pratiyogita darpan
4. Indian History by Agnihotri

****

बी. एड. विद्यार्थिओं का शिक्षण के प्रति रूचि का अध्ययन

डॉ. बी. के. गुप्ता*

शोध सारांश – समाज में शिक्षक का बहुमूल्य योगदान है वही देश के भविष्य की नींव रखता है। शिक्षण कार्य बिना शिक्षक के संपन्न नही हो सकता, शिक्षा के बदलते स्वरुप के अनुसार शिक्षण का स्वरुप भी बदल गया है। आज शिक्षण प्रक्रिया आमने–सामने मौखिक रूप में पढाने तक ही सीमित नही रह गयी है, ऑनलाइन वेब टीचिंग,स्मार्ट क्लासेज एवं ई–लर्निग का क्षेत्र विस्तार हो जाने से शिक्षकों से कहीं ज्यादा की अपेक्षा की जाती है है। वर्तमान में शिक्षकों में पर्याप्त विषय–ज्ञान, अपूर्व दक्षता, वांछित सृजनात्मकता, और अनुभव होना बहुत जरुरी है,इसकी तैयारी शिक्षक–प्रशिक्षण अवधि और सम्बंधित संस्थानों में ही पूर्ण होती है,लेकिन यह सब प्रशिक्षु में शिक्षण व्यवसाय मके प्रति रूचि व लगन पर निर्भर करता है इसलिए वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य बी. एड. विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रूचि के स्तर की पहचान करना है। इस अध्ययन के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया और न्यायदर्श चयन के लिए याद्दच्छिक नमूना विधि का प्रयोग किया गया और आंकड़ो के संग्रह के लिए एस. बी. कक्कर की शिक्षण रूचि मापनी प्रपत्र का प्रयोग किया गया। आंकड़ो के विश्लेषण के लिए प्रतिशत , माध्यमान, प्रमाप विचलन, टी– टेस्ट आदि सांख्यकीय विधियों का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष से पता चला कि बी. एड. वि।ार्थियों में शिक्षण के प्रति रूचि स्तर में कमी आ रही है।

प्रस्तावना – शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करता है और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान करता है,शिक्षा न केवल मार्गदर्शन करती है बल्कि छात्र को वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी प्रदान करती है और साथ ही वातावरण में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति व ज्ञान प्रदान करती है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास के चरम सीमा तक पहुचने की कोशिश करता है। शिक्षण कार्य एक आदर्श व उच्च सम्मानित कार्य माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को इसका ज्ञान हो कि छात्र को कैसे पढाया जाये और प्रभावशाली शिक्षण के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाये। कौन– कौन साधनों को अपनाया जाए जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान शिक्षार्थियों को दिया जा सके। यह सब प्रशिक्षु में शिक्षण व्यवसाय मके प्रति रूचि व लगन पर निर्भर करता है क्योंकि किसी कार्य में रूचि और उस कार्य के प्रति लगन होने पर ही अपेक्षित सफलता प्राप्त होती है।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन :

खान,महमूद एवं चन्द्र, सुभाष (2016) का शोध विषय 'ए स्टडी ऑफ एटिट्यूड ऑफ बी. एड. टीचर ट्रेनीस थ्रू रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन' था। इस अध्ययन का उद्देश्य संस्थागत और दूरस्थ माध्यम के बी. एड. विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की जांच करना था। यह शोध अध्ययन बताता है, कि संस्थागत और दूरस्थ बी. एड. शिक्षक–प्रशिक्षुओं में शिक्षण के प्रति महत्वपूर्ण अंतर है।

स्चिएफेले, उलरिच, स्ट्रेब्लो, लिलियन, जान, रेटेएल्स्ढोर्फ (2013) का शोध विषय 'डाइमेंशन्स ऑफ टीचर इंटरेस्ट एंड दिअर रिलेशन्स टू ऑक्यूपेशनल वेल–बीइंग एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेज' था। जो जर्मनी में किया गया। परिणाम से पता चला कि उच्च उपलब्धि वाले स्कूल के शिक्षकों ने सबसे मजबूत विषय रूचि दिखाई जबकि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने सबसे मजबूत शैक्षणिक रूचि व्यक्त की। स्कूलों के भी व्यवहारिक रूचि में अंतर नही था।

मिश्रा, कृष्ण एवं यादव, बद्री (2012) जिससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए – पूर्व सेवा शिक्षकों की शिक्षण में रूचि औसत थी।एस. के. आई. टी. के माध्मिक स्तर के पूर्व सेवा महिला प्रशिक्षकों की आत्म–अवधारणा परुष पूर्व सेवा शिक्षकों की तुलना में काफी अधिक पायी गयी।

शोध की आवश्यकता – आज समाज में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना हो रही है इन विद्यालयों में बाल केन्द्रित शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है उनके व्यक्तित्व के उच्चतम विकास पर बल दिया जा रहा है उन्हें देश के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन इन सब अपेक्षाओं और लक्ष्यों की सफलता एक शिक्षक पर निभर करती है। वर्तमान अध्ययन भावी शिक्षकों की रूचि मापने पर केन्द्रित है, साथ ही यह शिक्षक की प्रभावशीलता, शिक्षा में सुधार और पुरे लगन के साथ उनके शिक्षण कार्य में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।

शोध कार्य के उद्देश्य – बी. एड. विद्यार्थिओं का शिक्षण के प्रति रूचि का अध्ययन।

शोध कार्य की परिकल्पना – बी. एड. का विद्यार्थिओं शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर निम्न होगा।

शोध कार्य विधि – प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

प्रतिदर्श – प्रस्तुत शोध में न्यायदर्श के चयन के लिए याद्दच्छिक नमूना विधि का प्रयोग किया गया और बाराबंकी के बी. एड. संस्थानों से 100 छात्रों का चयन किया गया जिसमे 50 छात्र और 50 छात्राएं शामिल है।

उपकरण – प्रस्तुत शोध में आंकड़ो के संकलन के लिए रूचि मापनी प्रपत्र का प्रयोग इया गया है जो एक विश्वसनीय और वैध उपकरण है।

* एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा) जे. एन. एम. पी. जी. कॉलेज, बाराबंकी (उ.प्र.) भारत

विश्लेषण और व्याख्या – इस प्रक्रिया के अंतर्गत आंकड़ो को इस प्रकार व्यवस्थित करते है कि वह समस्या से सम्बंधित वांछित परिणामों को प्रस्तुत कर सकें।

परिकल्पना का परीक्षण

H_1 : बी. एड. विद्यार्थिओं का शिक्षण के प्रति रूचि का अध्ययन करना।

H_{01} : बी. एड. का विद्यार्थिओं शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर निम्न होगा।

बी. एड. विद्यार्थियों का शिक्षण के प्रति रूचि के अध्ययन हेतु प्रतिशत की गणना – बी. एड. विद्यार्थियों का शिक्षण के प्रति रूचि निर्धारण में वर्गीकरण मानदण्ड काफी हद तक मदद कर सकते है, इसके द्वारा जनसँख्या पर लागू किये गये परीक्षण का अंकन करने पर परीक्षण के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। लागू परीक्षण के आधार पर प्राप्त प्रदर्शन का प्रतिशत वर्गीकरण–

तालिका 1 – प्रतिशत वर्गीकरण

समूह (1)	छात्र (50)		समूह (2)	छात्राएं(50)	
क्र.	ग्रेड	प्रतिशत	क्र.	ग्रेड	प्रतिशत
1.	A	0%	1.	A	0%
2.	B	8%	2.	B	6%
3.	C Plus	26%	3.	C Plus	26%
4.	C	30%	4.	C	36%
5.	C Minus	28%	5.	C Minus	26%
6.	D	8%	6.	D	4%
7.	E	0%	7.	E	2%

जहाँ –

1. A ग्रेड दर्शाता है कि जिसने ये ग्रेड प्राप्त किया है उसमे शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर उच्च है और ये भविष्य में उत्तामध्उत्कृष्ट अध्यापक बनेंगे।
2. B,C Plus,C, C Minus,D ग्रेड दर्शाता है कि जिसने ये अग्रलिखित ग्रेड प्राप्त किया है उसमे शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर कम हो रहा है।
3. E ग्रेड दर्शाता है कि जिसने ये ग्रेड प्राप्त किया है उसमे शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर कमधनिम्न है और ये भविष्य में निर्कृष्ट अध्यापक बनेंगें।

उपरोक्त तालिका पर गौर करने पर निष्कर्ष निकलता है कि छात्र वर्ग में सबसे ज्यादा छात्रों ने C Minus ग्रेड प्राप्त किया है और छात्रा वर्ग में सबसे छात्राओं ने C ग्रेड प्राप्त किया है, जिसका अर्थ है छात्र एवं छात्राओं दोनों में में शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर कम हो रहा है।

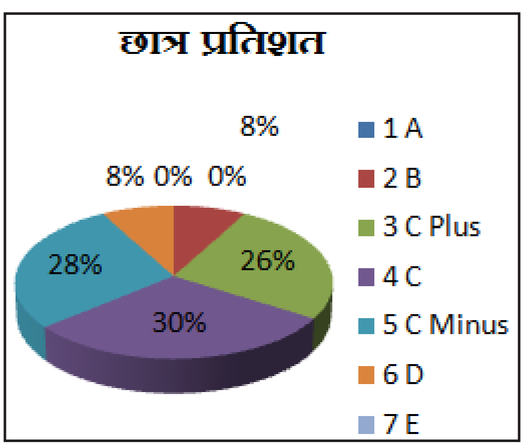

छात्रों का शिक्षण–रूचि प्रतिशत

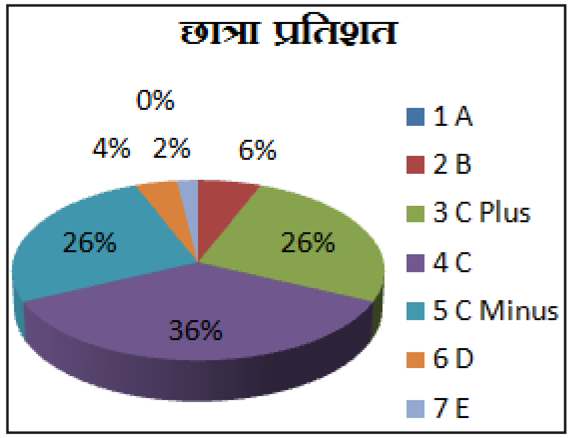

छात्राओं का शिक्षण–रूचि प्रतिशत

बी. एड. विद्यार्थियों का शिक्षण के प्रति रूचि के मध्यमान, प्रमाप विचलन, मध्यमानों का अंतर, और t– मान की गणना –

तालिका 2 – (अगले पृष्ठ पर देखे)

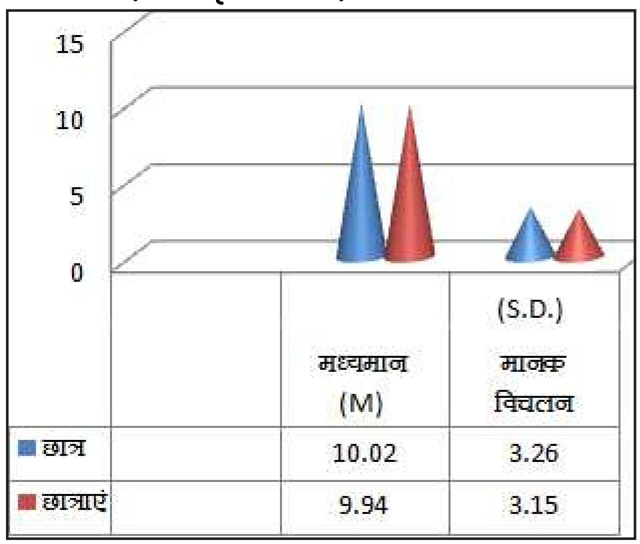

बी. एड. विद्यार्थियों का शिक्षण के प्रति रूचि के मध्यमान (M), प्रमाप विचलन (S.D.) का आरेख चित्र

निष्कर्ष एवं सुझाव – बी. एड. छात्र एवं छात्राओं की शिक्षण के प्रति रूचि का मापन प्रतिशत मान के आधार पर किया गया। तत्पश्चात बी. एड. छात्र औए छात्राओं की शिक्षण के प्रति रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए t- टेस्ट का प्रयोग किया गया और प्राप्त निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :–

1. बी. एड. छात्र एवं छात्राओं दोनों में शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर कम हो रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि बी. एड. छात्र एवं छात्राओं दोनों में शिक्षण के प्रति रूचि का स्तर कम हो रहा है। अत: आवश्यकता है कि सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से ले ,उसका निवारण करें। ताकि बी. एड. प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति रूचि और सम्मान की भावना विकसित हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. ऐरेन,आलते(2012)'प्रोस्पेक्टिव टीचर इंटरेस्ट इन टीचिंग,प्रोफेशनल प्लान्स अबाउट टीचिंग एंड करियर चॉइस सेटिसफैक्शनरू ए रिलेवेंट

फ्रेमवर्क ?' ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एजुकेशन 2012

2. गुप्ता, एस. पी. (2005) 'शिक्षा मनोविज्ञान' शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।
3. रामचंद्रन जी (2012) 'शिक्षण के प्रति छात्राध्यापको की अभिवृत्ति का अध्ययन'।
4. सायइम, आई. (2014) 'ए स्टडी ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग अमंग टीचर ट्रेनीज ऑफ शिलांग' आई ओ एस आर जर्नल ऑफ ह्यूमनेटीस एंड सोशल साइंस वॉल्यूम 19 ,इश्यू 5 ,वर. 5 (मई 2014),
5. शर्मा, आर. ए. (2005) 'शिक्षा तथा मनोविज्ञान में मापन एवं मूल्याकन' लॉयल बुक डिपो मेरठ–250001।

तालिका 2

क्र.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन(S.D.)	मध्यमानों का अंतर (M_1-M_2)	टी– मान
1.	छात्र	50	10.02	3.26	0.08	0.125
2.	छात्राएं	50	9.94	3.15		

****

A Study of Impact of Goods and Services Tax on Various Sectors of Indian Economy

Dr. Vaibhav Sharma* Dr. Archana Dwivedi**

Abstract - Goods and Services tax is a single and anopen based tax levied on goods and services consumed in an economy. The objective of GST was to replace VAT. The implementation of GST was expected to bring uniformity across states and center which would make tax support policies of a particular commodity effective. GST is solving all the complexities presented in the previous indirect tax system. It will be giving relief to various parties like consumers, producers, farmers and Government. GST is expected to significantly ease double taxation and make taxation overall easy for the industries. The Goods and Services tax after its process of implementation have affected the many communities of the economy to a large extent. Besides all the challenges and problems GST will take Indian economy to a greater height. Diversity of taxation rates; a single rate of goods and services tax would help the farmers and also too traders because they can sell their produce in any part of the country.
Key words - GST, VAT, Indian economy, Agricultural Commodities, Unified tax.

Introduction - In the RBI study of states finance published in March,2011 it is noted that the introduction of the Goods and Services Tax (GST) is an upcoming tax reform that has implications for the tax structure at both the central and state level. This tax is expected to enhance the competitiveness of Indian industry and trade. The central GST will subsume central excise duty and additional excise duties, service tax, Additional customs duty and all surcharges and cesses. Similarly, the state GST is likely to subsume value added tax (VAT), Entry tax, luxury tax, taxes on lottery, betting and gambling, entertainment tax, state excise duty and all state cesses and surcharge relating to supply of goods and services.

In order to operationalize the GST, the constitution (115 amendment)bill was introduced into Lok Sabha into March, 2011 to enable parliament and state legislatures to make laws for levying GST on every transaction of supply of goods and services or both. Standing committee of the parliament has presented its recommendations on the GST in the monsoon session of the parliament in 2015 (July-August), the 115th amendment bill enabling the parliament and state legislatures to make laws for levying GST could not presented before the Rajya Sabha. Ultimately GST was launched on July 1st, 2017.

Features of GST :

1. One nation one tax.
2. Collected on VAT method.
3. Imposed at a uniform rate.
4. Apply in an integrated rate.

Objective of the Study :

1. To understand the GST and its impact on Indian Economy.
2. The objective of the study is to understand the concept, benefits and features of GST.

Research Methodology - The data used in the research was collected through external resources like websites, articles on the net, newspapers, books and journals to analyze and used analytical study.

Views on GST - Some researchers have shared their views about GST; they said that GST acts as helper in the collective gains for industry, trade, agriculture and consumer as well as for the central government and State government and thus ultimately helpful in development of Indian economy. GST offers us the best option to broaden a tax base and we should not miss this opportunity to introduce it when the circumstances quite favorable and economy is enjoying steady growth only mild inflation.

Impact of GST on the various sectors of economy:

For Business and Industry - Uncomplicated fulfillment: All tax payer services such as registrations, returns, payments, etc. would be available to the taxpayers online, which would make observance easy and transparent.

Equality of tax rates and structures: GST would make doing business in the country tax neutral, irrespective of the choice of place of doing business.

Improved competitiveness: decrease in transaction costs of doing business would sooner or later lead to a better competitiveness for the trade and industry.

Removal of cascading: GST would ensure that there is minimal cascading of taxes.

*Assistant Professor, College of Commerce, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, College of Commerce, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA

Benefit to manufacturers and exporters: GST would reduce the cost of locally manufactured goods and services. This will increase the competitiveness of Indian goods and services in the international market and give boost to Indian exports.

For Consumers: The key advantage of GST is that it reduces the cost of product and services. So customers will be getting the products and services at lower cost compared to the price they need to pay in existing tax arrangement under Value Added Tax. It increases purchasing power and saving capacity. Under GST, there would be only one tax from the manufacturer to the consumer, leading to clearness of taxes paid to the ultimate consumers.

For Government - GST is easy to understand and implement than all other indirect taxes of the Centre and State levied so far.GST is expected to decrease the cost of collection of tax revenues of the Government, and will therefore, lead to higher revenue efficiency.

Because of lesser tax the income of customer will go up and they will be able to save more which results in increased investments.

For farmers - The carrying out of GST is expected to enhance the agricultural market as taxation under subsume single rate would make the movement of farmingsuppliestrouble free. Agro machinery is affordable to the small and marginal farmers in India which was away from their reach due to high excise duty on the machinery.

For overall economy - The beginning of GST will be a very worth mentioning step in the field of indirect tax reforms in Indian economy. It will redesign the indirect tax structure by including majority of indirect taxes like excise, sales and services levies. GST could boost India's GDP growth positively.India's foreign trade will also affect by the implementation of GST. The impact of this will be on the all multinational companies and facilitates for simplicity of doing business and adds factor to the globalization and companies.

Overall GST is helpful for the development of Indian economy as well it be very much helpful in improving the gross domestic product of the country more than 2 percent. It is expected that GST would lead to efficient allocation of factors of production. The overall price level would go down resulting in increased returns of factors of production.

Problems against Goods and Services tax - The chief problem against GST is about compensating State Governments. After the implementation of GST state governments have depended on central government for their financial needs. Besides this state government are assumed to face financial losses too.

The Goods and Services tax after its process of implementation have affected the businesses to a large degree in the filing of GST returns and other compliances within three months after it subsumes all central and state tax levies. The serious challenge faced by the industry and businesses is the shift from the previous tax system into the Input tax credit of the GST. Many communities in the economy are under pressure to get adapted to the destination-based tax of GST.

Conclusion - It can be said from the above that GST is expected to have both positive and negative impact on the various sectors of economy. GST has made tax system more transparent as single tax system is available to whole country. GST is expected to give Indian economy a strong and smart tax system for economic growth but for gaining those benefits country will require to build strong machinery. The challenges and issues arising day by day by the causation of GST are numerous. People in the economy should take due care for resolving the disagreements and should take some steps to get adapted under the one incorporated tax umbrella in an efficient manner.

References :-

1. S.K. Singh,Public Finance, Sahitya Bhawan Publications.
2. Chaurasia, P.Singh (2016 Role of goods and service tax in the growth of Indian economy, International journal of science & management.)
3. SachinAbda, International Education and research journal.
4. M. Ratchanya, GST- Contemporary challenges and issues.
5. Shilpa Rani, International Journal of Advanced research and development.

****

स्वयं सेवी संस्थाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान

आशीष शर्मा* डॉ. ए.के. पाण्डेय*

स्वयं सेवी संस्था की अवधारणा – स्वयं सेवी संस्था एक ऐसा निजी संगठन है जो लोगो का दु:ख–दर्द दूर करने, निर्धनो के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए कार्य करता है। ये संगठन सरकार से स्वतंत्र कार्य करते हैं ये संगठन अपनी पहल और बाहर से प्रेरित होकर विकास एवं जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ संचालित करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर के अध्याय 10 में अनुच्छेद 71 में कहा है कि स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय सरकार और इसके साथ जुड़ी संस्थाओं का ना तो विरोध करे और ना ही उनका महत्व कम करने की कोशिश करे।

सिटी यूनिवर्सिटी लंदन के प्रो. विल्लेट्स ने कहा है कि 'स्वयं सेवी संस्था वह स्वतंत्र स्वयं सेवी संस्था होती है जिसके सदस्य सरकारी पद प्राप्त करने पौधे बनाने या अवैध क्रियाकिलापों को चलाने से दूर रहकर कतिपय समान उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रयास करते हैं।'

कुंजी शब्द – स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, कौशल विकास, जागरूकता, सामाजिक बुराईयाँ।

विशेषताएँ – स्वयंसेवी संस्थाए विकास में एक प्रभावी भूमिका निभाती है। ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्पूर्ण भूमिका निभाती है। जिसकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(1) संरचना का निर्माण (2) सामाजिक न्याय (3) अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता (4) गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के विकास में भागीदारी (5) भ्रष्टाचार निवारण मे सहायक (6) परम्परागत कौशल और प्रबंधकीय विशेषता विकसित करने मे सहायता आदि ऐसी सभी विशेषता है ये संगठन सतत प्रयास, बुद्धि चातुर्य और नई दिशा प्रदान करते है। और जनसमुदाय को विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने के लिए संगठित प्रोत्साहित, जागरूक एवं समर्थ बनाते हैं।

शोध प्रविधि – स्वयं सेवी संगठन का अध्ययन करते समय हमने, साक्षात्कार अवलोकन अनुसूची, प्रश्नावली, कैमरा, सारणीयन आदि विधियों का उल्लेख किया है। जिससे इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त हुई है।

कार्य – स्वयंसेवी संस्था किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं :–

1. शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम
2. सफाई और स्वास्थ्य
3. पर्यावरण
4. समाज, कल्याण योजनाएँ
5. कृषि, सिचाई, पेयजल
6. उद्योग एवं रोजगार
7. महिलाओं और बच्चों में जागरूकता
8. सामाजिक अपराध और भ्रष्टाचार उन्मूलन आदि क्षेत्रों में अपनी महत्पूर्ण भूमिका निभाती है।

उद्देश्य – आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना की जाती है। ये संगठन अपने–अपने क्षेत्र में कार्य करते है जैसे–

1. केन्द्र और राज्य की समस्त सरकारी योजनाओं को समाज के सभी वर्गो तक पहुचाने मे मदद् करना।
2. तकनीकी और गैरतकनीकी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रचार–प्रसार
3. बाल मजदूरों की समस्याओं को लेकर कार्य करना
4. नशामुक्ति कार्यक्रम का उच्च स्तर पर प्रचार–प्रसार
5. साक्षरता अभियान
6. मानवीय हितो का संरक्षण
7. स्वरोजगार का प्रशिक्षण

आदि कई उद्देश्य है जिसको इन संस्थाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। जिससे एक सुन्दर संगठित समाज का निर्माण हो सके।

स्वयंसेवी संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद मैने पाया कि इन संस्थाओं का लाभ किस प्रकार से लोगों को मिला है। इसके लिए मैने कुछ लोगो का चयन किया और सारणियों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक विकास में योगदान को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

प्रथम सारणी मे लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली गई कि क्या स्वयंसेवी संस्थाओं में संपर्क में आने से आप की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। आपके व्यवसाय का स्वरूप क्या है। और कुछ सामाजिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

कि इन संस्थाओं में संपर्क होने के कारण नशा, स्वास्थ्य आदि पहलुओं पर चर्चा की गई है।

प्रथम सारणी :– 1.1 **में व्यवसाय के स्वरूपों को शामिल किया गया है। व्यवसाय के स्वरूप**

क्र.	स्वरूप	संस्था	प्रतिशत
1	निजी व्यवसाय	100	20

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

2	दैनिक रोजगार	200	40
3	मजदूरी	200	40
	योग	500	100

इस तालिका के आधार पर ये जानकारी ली गई कि समाज के अधिकांश लोग दैनिक रोजगार और मजदूरी पर निर्भर है। जिससे इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। 500 लोगों के अध्ययन में हम पाये कि निजी व्यवसाय में 100 दैनिक रोजगार में 200 और मजदूरी पर 200 लोग निर्भर है। जिसका प्रतिशत क्रमश: 20,40,40 है। अत: समाज का अधिकांश भाग मजदूरी पर निर्भर है। जिससे इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।

सारणी क्रमांक 1.2 में आप पर प्रभाव

दूसरी तालिका में यह दर्शाया गया है, कि क्या स्वयंसेवी संस्थाओं के संपर्क में आने से आप की आय में बदलाव आया है। तो 500 व्यक्तियों के अध्ययन करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि इन संस्थाओं से लोगों की आय में परिवर्तन हो रहा है। जैसे

व्यक्तियों की आय पर प्रभाव

क्र.	विवरण	लाभप्रय लोागों की संख्या	प्रतिशत
1	आय स्तर में वृद्धि हुई है।	350	70
2	आय से वृद्धि नहीं हुई है।	150	30
	योग	500	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जो लोग इन स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। उनमें 500 लोगो के अध्ययन से स्पष्ट है कि 350 व्यक्ति जिसका प्रतिशत 70 जो लाभान्वित हुए है। और जिनकी आय में वृद्धि नही हुई उनकी संख्या 150 अर्थात उनका प्रतिशत 30 है। अत: इन संस्थाओं से अधिकांश लोग लांभावित ही हो रहे है।

सारणी क्रमांक 1.3 में स्वास्थ्य पर चर्चा की गई है कि अगर आप का स्तर निम्न है तो आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का है। निम्न आय होने पर आपके और परिवार का स्वास्थ्य किस प्रकार का है।

सारणी क्रमांक 1.3 स्वास्थ्य का स्तर

क्र.	विवरण	संस्था	प्रतिशत
1.	स्वस्थ्य रहते हैं।	250	50
2.	कम बीमार पड़ते हैं।	150	30
3.	किसी न किसी बिमारी से ग्रस्त रहते हैं।	100	20
	योग	500	100

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है, कि आप का स्तर निम्न होने पर भी जो लोग स्वस्थ्य रहते हैं उनकी संख्या 250 और प्रतिशत 50 है। जो सही दिशा की ओर संकेत करता है। जो लोग कम बीमार होते हैं, उनकी संख्या 150 और प्रतिशत 30 है, और किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। उनकी संख्या 100 है और प्रतिशत 20 है।

नशा एवं जागरूकता कार्यक्रम को एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जो लोग नशा करते हैं, वे खुद अपनी मौत को निमंत्रण देते हैं, वर्तमान में नशा एक फैशन या घुन के रूप में कार्य करता है। जिन लोगों के द्वारा नशा नहीं किया जाता समाज में उन्हें शून्य में रखा जाता है। इसके कई रूप हैं। प्रतिवर्ष भारत में 10 से 11 लाख व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम उनके परिवार के सदस्यों को भी सहना पड़ता है, 500 लोगों का अध्ययन करने पर एक तथ्य सामने आया कि क्या आप नशाखोरी से परिचित हो तो 390 व्यक्ति 78 प्रतिशत इससे परिचित हैं, और 110 अर्थात 22 प्रतिशत इससे नहीं जुड़े हैं।

सारणी क्रमांक 1.4 : सतना जिले में नशाखोरी के परिणाम

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	नशाखोरी से परिचित हैं।	390	78
2.	नशाखोरी से नही जुड़े हैं।	110	22
	योग	500	100

आर्थिक, सामाजिक विकास में योगदान – स्वयंसेवी संस्थाओं ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज जो भी हम अपने और समाज में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। उसमें इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है ये संस्थाए हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर समाज को लाभान्वित कर रही है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध सतना जिले से लिया गया है और इस क्षेत्र में उद्योगों की संभावनाऐं तो है लेकिन इसके आस–पास के क्षेत्र ग्रामीण हैं, जिससे विकास की संभावना कम है और यहाँ की अधिकांश जनता गरीब है, सतना जिले के अंतर्गत सीमेंट उद्योग ही विकसित है और इस रोजगार से लोगो को तरह–तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें इन संस्थाओं ने इनकी समस्याओं को कम करने में भरपूर सहयोग दिया है, जिससे लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली 1991 एवं शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2008
2. योजना (मासिक पत्रिका)
3. कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका)
4. डॉ0 प्रीति, 'भारत में समाज कल्याण', (कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल 2012)पृष्ठ संख्या – 22

****

अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास मे शासकीय योजनाओ की भूमिका (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ मे)

वंदना कलमे *

शोध सारांश – मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों मे समाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टी से काफी असमानता देखने को मिलती है। खरगोन जिले मे सर्वाधिक भील, भिलाला एवं बारेला जनजातिया निवास करती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन शिक्षा के प्रसार एवं सुद्रढ़ आर्थिक स्थिति वाले जनजातीय लोग अन्य व्यवसाय एवं शासकीय नौकरिया भी करने लगे है। आधुनिकरण, शहरी संपर्क एवं एवं जनजातीय विकास योजना के प्रभाव से अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक संरचना, व्यावसायिक संरचना तथा संस्कृति मे परिवर्तन हुए है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जनजाति, शासकीय योजनाए , सामाजिक-आर्थिक विकास

प्रस्तावना – मानव युगो की विकास प्रक्रिया से गुजरता हुआ वर्तमान मे विकास की अवस्था तक पहुँच है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे मानव जंगलो तथा पहाड़ो मे निवास करते थे। निरंतर विकास की प्रक्रिया से होते हुये मनुष्य धीरे धीरे पशुपालन एवं कृषि करने लगा तथा समाजिकता का विकास हुआ। लेकिन सम्पूर्ण विकास मे कुंछ मानव समाज के लोग आगे निकल गए तथा कुछ पिछे रह गए। मानव सभ्यता के निरंतर विकास के साथ ही साथ समाज मे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संगठनो का विकास भी होता चला गया। समाज मे असमानता बड़ने के कारण सभ्य समाज द्धारा असभ्य एवं पिंछड़े हुये लोगो को वन्य दजाति वनवासी, कबीलाई तथा आदिवासी आदि नामो से संबोधित किया जाने लगा। जनजाति एक ऐसा मानव समुदाय है, जो सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनैतिक आधार से स्वतंत्र होता है। यह समाज किसी एक निश्चित भू-भाग मे निवास करता है। जनजाति समाज आज भी पहाड़ियो के दुर्गम क्षेत्रो रहते है। जो विश्व की सभ्यता से दूर अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान को बचाकर रखे हुये है। ऐसा मानव समूह जो हजारो वर्षो से बीहड़ वनो, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रो, पठारो, मरुस्थलो, पिंछड़े एवं अविकसित क्षेत्रो के साथ संकीर्णता के दायरे मे घिरे रहकर किसी विशिष्ट भौगोलिक पर्यावरण मे अपना जीवन निर्वाह करते है, वे जनजातिसमूह कहलाते है। निवास स्थान को लेकर सभी जनजातियों मे अनेक किवंदितिया पायी जाती है। भारत देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। भारत की कुल जनसंख्या मे आदिवासी जनसंख्या का 8.61 प्रतिशत है।आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यो उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड,पश्चिम बंगाल मे यह अल्पसंख्यक है, जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यो मे यह बहुसंख्यक है, जैसे मिजोरम, अरुणाचलप्रदेश, मेघालय, नागालेंड राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशो मे दादर एवं नगर हवेली।लक्ष्यद्धीप केंद्र शासित प्रदेश इसी क्षेत्र मे आते है। भारतीय संविधान मे जनजातियों को 'अनुसूचित जनजाति' के रूप मे मान्यता दी गयी है।

मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ विभिन्न आर्थिक गतिविधियो मे सम्मिलित है। इनमे आज भी प्रथक्करण होने के फलस्वरूप आधुनिक तकनीकों से यह वंचित है, इनकी स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होने से इनमे असमानता पायी जाती है। यह असमानता आर्थिक साधनो, परिवहन सुविधाओ की ओर संकेत करती है। अनुसूचित जनजातियों की आजीविका का मुख्य साधन वन रहे है। वनोपज मे महुआ, चिरोली, तेंदुपत्ता, शहद, गोंद, लाख आदि प्रमुख है। लेकिन वनो की कटाई एवं उन पर बडते प्रतिबंधों के कारण जनजाति समुदाय पशुपालन एवं कृषि करने लगे है। अब झूम खेती के स्थान पर स्थाई रूप से कृषि की जाती है। आधुनिकरण एवं शिक्षा के प्रभाव कारण जनजाति समुदाय गाँवो से शहरो की और अग्रसर हो रहे है तथा गैर जनजाति समाज के संपर्क मे आने से इनके पारम्परिक वेशभूषा, भाषा तथा व्यवसाय मे भी परिवर्तन होने से इनका सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। राज्य एवं जिले मे अनुसूचित जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाए एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे है। जिससे इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मे सुधार हो रहा है।

मध्यप्रदेश का आदिवासी परिद्रश्य अनेक द्रष्टियों से अनूठा है। इसकी समृद्धता व्यापक एवं बहुवर्णीय है। यहाँ की जनजातीय हमेशा से ही जिज्ञासा का केंद्र रही है। जो अपने अपने क्षेत्र मे बहुरंगी होने से अन्य जन समुदाय मे आकर्षण का केंद्र रही है।

मध्यप्रदेश को तीन जनजातिय सांस्कृतिक परिक्षेत्रों मे विभाजित किया गया है। प्रथम जनजातीय क्षेत्र मे झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, रतलाम और इनमे जुड़े जिलो का कुल क्षेत्र सम्मिलित है। भील, भिलाला यहाँ की प्रमुख जनजाति है। द्धितीय जनजाति सांस्कृतिक परिक्षेत्र मे मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शहडोल जिले एवं सीमावर्ती क्षेत्र शामिल है। उरांव, कोरबा, कोल, कमार, पनिका यहाँ की प्रमुख जनजातिया है। तृतीय जनजाति क्षेत्र मे मुरैना, शिवपुरी, गुना और इनके सीमावर्ती जिलो के क्षेत्र इनके हिस्से मे आते है। सहरिया इस परिक्षेत्र की मुख्य जनजाति है।

जनगणना 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 14.69 प्रतिशत है तथा प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.10 प्रतिशत है। राज्य मे भील एवं भिलाला जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या 5.99 लाख है, जो कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 39.1 प्रतिशत है। जनसंख्या

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

2001 जे अनुसार प्रदेश मे गोंड जनजाति की जनसंख्या 5.1 लाख थी जिसका राज्य मे प्रथम स्थान पर था लेकिन 2011 मे भील जनजाति की जनसंख्या मे वृद्धि होने से यह दूसरे स्थान पर है। खरगोन जिले मे सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। बारेला, भिलाला, पटलिया आदि भील जनजाति की उपजातीय है। भील जनजाति 'प्रोटो आस्ट्रेलियड' प्रजाति से संबन्धित है।

सरकार द्वारा राज्य मे बेगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप मे मान्यता प्रदान की गई है। इन जनजातियों के विकास के लिए 3 प्राधिकरण तथा 11 अभिकरण कार्यरत है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओ के अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाए, 05 मध्यम परियोजनाए, 30 माड़ा पाकेट्स एवं 06 लघु अंचल कार्यरत है। प्रदेश मे 89 अनुसूचित जनजातीया विकास खंड है।

मध्यप्रदेश का पश्चिम निमाड खरगोन जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। इनकी कुल जनसंख्या 11.11 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या से 38.98 प्रतिशत है। इस जिले की भगवानपुरा तहसील, झिरन्या तथा सेगाव तहसीलो मे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। जनजाति बाहुल इन तहसीलो मे अब भी साक्षरता मे कमी की स्थिति है। लेकिन जिले के अन्य क्षेत्रो मे शिक्षा मे सुधार हुआ है। जिले की साक्षरता दर 62.70 प्रतिशत है।

खरगोन जिले की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यही अनुसूचित जनजाति के लोग कृषि एवं खेतिहर मजदूरो के कार्य मे संलग्न है। जिले मे जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास मे कृषि कल्याणकारी योजनाओ का अधिक योगदान रहा है। मध्यप्रदेश शासन की कृषि विकास योजनाओ मे उन्नत बीज, खाद, पौधा संरक्षण, आधुनिक कृषि उपकरणो, सिंचाई सुविधाए, कृषि ऋण, बायो-गैस आदि पर अनिसुचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषको को अनुदान राशि कृषि विभाग द्वारा वित्तिय संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाती है।

खरगोन जिले मे वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक विगत 10 वर्षो मे बीज वितरण अन्नपूर्णा योजना द्वारा कुल 61154 कृषको को 327.85 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी।

इसी प्रकार सूरजधारा योजना से 36819 कृषक, नलकूप खनन योजना से 1527 कृषक,कृषियंत्रीकरण से 2633 कृषक तथा हलधर योजना से 997 कृषक लाभान्वित हुये है। जिससे कृषि उत्पादन ,उत्पादकता एवं गुणवत्ता मे वृद्धी हुयी है। जिले मे अनुसूचित जनजातियों का शासकीय योजनाओ के क्रियान्वयन होने से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो रहा है।

उद्देश्य -

1) अनुसूचित जनजाति विकास की प्रमुख योजनाओ का अध्ययन करना।
2) अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास पर योजनाओ के प्रभाव को ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र की (प्रविधि) - प्रस्तुत शोध पत्र मे 'अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास मे शासकीय योजनाओ की भूमिका' (खरगोन जिले के संदर्भ मे) शीर्षक को चुना है। इस शोध पत्र मे द्वितीय समंकों का चयन किया है तथा इन्टरनेट, शोध पत्रिकाए, जर्नल, पुस्तके आदि से जानकारी प्राप्त कर निष्कर्ष निकाला है।

मध्यप्रदेश एवं जिले मे जनजाति विकास हेतु संचालित प्रमुख योजनाए - जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास मे गति लाने हेतु शासन द्वारा विभिन्न विभगो जैसे शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि विभागो के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास मे विभिन्न योजनाए एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है।

1) शिक्षा संबंधित योजनाए -

1) छात्रवृत्ती योजना - राज्य छात्रवृत्ती योजना कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओ एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के बालको को तथा कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राओ को छात्रवृत्ती प्रदान की जाती है।

2) अनुसूचित जनजाति बालिकाओ हेतु साइकिल रख-रखाव योजना- इस योजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी के जिन आदिवासी छात्राओ को साइकिल प्रदान की गयी है, उन्हे कक्षा 11 वी मे प्रवेश लेने पर साइकिल रखहरखाव भत्ता रुपये 1000 प्रति छात्रा को दिया जाता है।

3) शिक्षा संबन्धित अन्य योजनाओ मे- कन्या साक्षारता प्रोत्साहन, उत्कृष्ट छात्रावास योजना, आवसीय। विध्यालय, विदेश मे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ती, एकलव्य आदर्श आवासीय विध्यालय आदि योजनाए क्रियान्वित की जा रही है।

2) कृषि संबन्धित योजनाए

1) अन्नपूर्णा एवं सुरजधारा योजना - सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे अनुसूचित-जाति एवं जनजाति कृषको के कल्याण के लिए यह योजना वर्ष 2000-2001 से लागू की गयी है। अन्नपूर्णा योजना मे खाद्यान फसलों के बीज तथा सुरजधारा योजना मे दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराये जाते है।

2) नलकूप खनन योजना - अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए सफल - असफल नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रुपये 25000 रु. जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। सफल नलकूप पर पंप हेतु अ.ज.जा. वर्ग के कृषकों के लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये जो भी कम हो अनुदान देय है। इस योजना मे नलकूप खनन तथा पंप स्थापना पर कुल अधिकतम अनुदान 25000 रुपेय ही है।

3) जीवनधारा योजना - इस योजना मे अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास मे जीवनधारा योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना को '10 लाख कुओ की योजना' भी कहा जाता है। यह योजना प्रारम्भ मे जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना के अंतर्गत थी लेकिन सन 1996-97 से इसे स्वतंत्र रूप से लागू किया गया है। इस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो के गरीब लघु एवं सीमांत कृषकों को स्वयं की भूमि पर कुऑ के खोदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। किन्तु राशि का आवंटन उनकी प्रगति के अनुसार ही किया जाता है। इसमे कुऑ स्वयं हितग्राही ही खुदवाते है।

विश्लेषण :-

तालिका क्र. 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है, की खरगोन जिले की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या भगवानपुरा तहसील मे 87.13 प्रतिशत है तथा सबसे कम खरगोन तहसील मे 13.93 प्रतिशत है। साक्षरता दर सर्वाधिक जिले की खरगोन तहसील मे 75.8 प्रतिशत है तथा सबसे कम भगवानपुरा तहसील मे 39.4 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 1.2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1.2 के विश्लेषण से स्पष्ट है, की विगत 10 वर्षो मे कृषि

कल्याणकारी योजनाओ मे सबसे कम हलधर योजना से लाभान्वित कृषक की कुल संख्या 997 है। तथा उन्हे कुल 9.95 लाख अनुदान राशि दी गई है, जो अन्य योजनाओ से कम है। तथा अन्नपूर्णा योजना से द्वारा लाभान्वित कृषकों की कुल संख्या 61154 हे तथा कुल 327.85 लाख अनुदान राशि प्रदान की गई है, जो अन्य योजनाओ से अधिक है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 मे सर्वाधिक अन्नपूर्णा योजना द्वारा लाभान्वित कृषक संख्या 17977 है एवं कुल अनुदान राशि 267.19 लाख है तथा सबसे कम नलकूप योजना से लाभान्वित कृषक संख्या 215 है, तथा उन्हे 79.85 लाख अनुदान राशि प्रदान की गई है।

निष्कर्ष – अध्ययन क्षेत्र खरगोन जिले के ग्रामीण अनुसूचित जनजती क्षेत्रो मे अब भी अल्प शिक्षा एवं जागरूकता की कमी होने से जनजातीय निम्न स्तर का जीवन व्यापन कर रही है। इन क्षेत्रो मे जनजाति विकास योजना मे और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। जिले मे जनजतियों के लिए विभागीय एवं शासन द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन आदि भिन्न-भिन्न विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिससे जनजातीय लोग लाभान्वित हुये है लेकिन फिर भी जिले के पिछड़े हुये क्षेत्रो मे शासन की योजना को भी सरलता एवं इनके प्रति जनजातियों को उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। खरगोन जिले के नगरीय क्षेत्रो मे शिक्षा का उचित स्तर है। वहा के कृषकों द्वारा कृषि के नवीन तकनीकि यंत्र, खाद एवं उन्नत बीज तथा सिंचाई मे नवीन तकनीकी साधन का प्रयोग किया जा रहा है। जिले की खरगोन, बडवाह एवं महेश्वर तहसीलो मे उध्योगों मे मशीनीकरण का विस्तार हो रहा है। कुछ जनजातिया नवीन व्यवसाय भी करने लगी है। जिनको योजनाओ के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अत: हम कह सकते है की शासकीय योजनाओ के प्रभावी होने से अनुसूचित जनजातीयो का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तिवारी शिवकुमार (1999) 'मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
2. दीक्षित ब्रह्मदेव (1984) 'भारत के आदिवासी', जनता प्रेस आगरा
3. शर्मा,ब्रह्मदेव(1999) 'आदिवासी विकास : एक सैद्धांतिक विवेचन', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
4. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण (2017-18)
5. 'किसानो के लिए मार्गदर्शिका', किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश
6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन (म.प्र.) 2016-17
7. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला खरगोन (म.प्र.)

तालिका क्र. 1 : खरगोन जिले मे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं साक्षारता प्रतिशत (2011)

क्र	जिला तहसील	कुल जनसंख्या	प्रतिशत	अ.ज.जा. कुल जनसंख्या	प्रतिशत	अ.ज.जा. कुल साक्षारता	प्रतिशत
1	बड़वाह	357244	19.07	64731	18.12	214960	69.90
2	महेश्वर	233032	12.44	60511	25.97	135434	67.50
3	कसरवाद	242709	12.95	55809	22.99	139129	67.70
4	सेगांव	83487	4.45	63652	76.24	41526	59.90
5	भीकनगांव	191780	10.23	88816	46.31	101769	63.40
6	खरगोन	246530	13.16	34352	13.93	162731	75.80
7	गोगंवा	123512	6.59	32284	26.14	68817	65.50
8	भगवानपुरा	192996	10.35	168151	87.13	59565	39.40
9	झिरन्या	201756	10.77	161863	80.23	62903	39.50
10	जिला योग	1873046	11.11	730169	38.98	986234	62.70

स्त्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन (मध्यप्रदेश) वर्ष 2016

तालिका क्र. 1.2 : खरगोन जिले मे कृषि कल्याणकारी योजनाओ की प्रगति

क्र	योजना का नाम	विगत 10 वर्षो की जानकारी वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक		वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति	
		हितग्राही कृषकसंख्या	अनुदान राशि (लाख मे)	हितग्राही संख्या	अनुदान राशि
1	अन्नपूर्णा	61154	327.85	17977	267.19
2	सुरजधारा	36819	282.54	17780	265.01
3	नलकूप खनन	1527	533.40	215	79.85
4	क्रषी यंत्रीकरण	2633	888.74	9519	140.56
5	हलधर योजना	997	19.192	508	9.95

स्त्रोत - उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जिला खरगोन

****

भारतीय रागों में कल्पना शक्ति

डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा *

प्रस्तावना – हमारा भारत अध्यात्म-प्रधान देश है। इसी आध्यात्मिकता के कारण इस यथार्थवादी युग में भी भारत का आज गौरवपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति और सामाजिकता की एक अभिन्न अंग हैं-कलाएं। कलाओं का विकास भारतीय संस्कृति के साथ-साथ हुआ। इन सभी कलाओं में संगीत का विशिष्ट स्थान है। संसार के सभी देशों के लोगों ने संगीत को अपने जीवन का अटूट अंग माना है। संगीत का प्रयोग एवं प्रचार समय-समय पर प्रत्येक वर्ग के लोगों द्वारा हुआ। अन्य कलाओं में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान मिलने का प्रमुख कारण यही है कि बहुत कम बाह् उपकरणों के प्रयोग से संगीत द्वारा भावप्रदर्शन हो सकता है। संगीत द्वारा कलाकार जिस अनुभूति का अनुभव श्रोताओं को कराना चाहता है, उसे सरलता से करा सकता है। संगीत को इसीलिये ईश्वरीय शक्ति के अधिक निकट माना जाता है। इसे 'नाद्-ब्रह्म' की संज्ञा दी गयी है।

नाद् के इसी स्वरूप को भारतीय संगीत में रागों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक राग के दो पक्ष होते है : प्रथम-कला के विशिष्ट शास्त्र सम्बन्ध और द्वितीय-मन:कल्पित। पहले पक्ष को संगीत में नादात्मक स्वरूप और दूसरे पक्ष को राग का देवतामय स्वरूप कहते है।

देवमय स्वरूप में रागों को किसी देवता आदि के स्वरूप के साथ सम्बन्धित किया जाता है। इसी स्वरूप को कलाकार अपने मन में रखकर जब राग को प्रस्तुत करता है, तो उसे आंतरिक रूप से एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। रागों की इन प्रतिमाओं की उत्पत्ति का श्रेय मूर्तिपूजा को दिया जा सकता है। भारतीय संगीत में जो 'ध्यान' हैं, उनका जन्म हम मूर्तिविधान में मान सकते है। भगवान् ब्रम्हा, विष्णु, कृष्ण, राम आदि का जो स्वरूप आज हम देखते है, वह मौलिक रूप से नही है। वह केवल मानव मन की भावनाओं को प्रतीक है अथवा यह कहना अधिक उचित होगा कि वह कलाकार की कल्पना का स्वरूप है। यह सब मूर्तियां उनके जीवन की गाथाओं को लेकर ही बनाई गई हैं। इन गाथाओं को भावनाओं के साथ मिलाकार कलाकारों ने भिन्न-भिन्न रूप दे दिये है। इसी प्रकार राग-रागिनियों को भी संगीतकारों ने जो नाम दिये हैं, उनका आधार कल्पना और भावना ही है। ये भावनाएं मनोवैज्ञानिक तौर से मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों पर आधारति है। ये जन्मजात प्रवृत्तियां जैसे- ईर्ष्या, घृणा, लालसा, जुगुप्सा, सजन आदि प्रत्येक मनुष्य में पैतृक होती हैं। इन जन्म-जात प्रवृत्तियों के आधार पर ही प्रेम, भय, क्रोध आदि भाव बनते हैं। राग-रागिनियां इन भावों के आधार पर ही प्रचलित होती हैं। रागों के स्थायी भाव पुरूषत्व को लिए होते हैं और रागिनियों के भाव स्त्रीत्व को। अर्थात् रागों की प्रकृति गम्भीर और रागिनियों की प्रकृति कोमल होती है।

भारतवासियों में आध्यात्मिक प्रवृत्तियां प्रधान हैं। इस कारण इसके नागरिकों ने समाज के प्रत्येक पहलू को किसी न किसी रूप से आध्यात्कि पक्ष से जोड़ा है। इसीलिये भारतीय संगीत के प्रयोक्ताओं ने रागों एवं रागिनियों को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन का अधिक प्रभाव था, उस समय की परिस्थितियों में समाज एवं संस्कृति का कोई भी पक्ष उसके प्रभाव से वंचित न रह सका। इसलिये रागों को भी देवता, महापुरूष एवं सामान्य जन के सन्दर्भ में देखा जाने लगा। अत: राम-रागिनियों की व्याख्या शब्द-चित्रों द्वारा होने लगी। यह रागों का काव्य रूप था, जिसको 'ध्यान' की संज्ञा दी गयी नादमय स्वरूप द्वारा उत्पन्न भावों को कल्पनाओं से सजाकार कलाकारों ने विभिन्न शब्द-चित्रों (ध्यानों) की रचना की।

नाद्मय स्वरूप राग का शरीर हैं तो भाव उसकी आत्मा। आत्मा के बिना शरीर जीवित नही रह सकता। इसीलिये केवल स्वर-समुदायों से राग नहीं बनता। उसमें जीवन लाने के लिए उसके स्परूप की साधना करनी पड़ती है। जब उस साधना में कलाकार तन्मय हो जाता है तो राग केवल शारीरिक स्वरूप न होकर, भावों की एक नदी का रूप धारण कर लेता है। यह नदी अपने भावात्मक जल से उपस्थित सभी जन (कलाकार और श्रोता) को ऐसे अलौलिक जगत् में ले जाती है जहां सहृदय व्यक्ति सुखद अनुभूति का अनुभव का अनुभव करते है। यहीं संगीत की आनन्दानुभूति होती है। इसीलिए कलाकार को अपनी साधना और प्रदर्शन दोनों समय रागों से उत्पन्न भावों का ज्ञान होना चाहिये और साथ ही उन भावों को सही रूप से व्यक्त करने वाले स्वर-समुदायों का भी ज्ञान होना जरूरी है। तभी किसी कलाकार की कला का प्रदर्शन प्रभावशाली बन पाता है।

संगीत एक ऐसी कला है, जिसमें कलाकार को अपनी काल्पनिक क्षमता दिखाने का अधिक अवसर प्राप्त होता है विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जहां कलाकार कोई भी स्वर -समुदाय अपनी इच्छा एवं कल्पना से प्रयुक्त कर सकता है। कहने का भाव यह है कि राग के निर्धारित नियमों में कलाकार को अपनी क्षमता एवं सूझबूझ से कोई भी क्रिया करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यद्यपि राग की बढ़त निर्धारित नियमों के अनुसार ही होती है, किन्तु एक स्वर समुदाय के पश्चयात दूसरे स्वर समुदाय का प्रयोग कदापि निर्धारित नियमों पर आधारित नहीं होता। इसीलिए कलाकार की कला, उसकी शिक्षा, कल्पना-शक्ति, रियाज आदि पर होती है। प्रत्येक कलाकार की कल्पना शक्ति उसकी प्रतिभा पर निर्भर होती है। सूक्ष्मबुद्धि वाले कलाकार ऐसे अनेक भावों को प्रस्तुत कर सकने की क्षमता रखते हैं, जो सामान्य बुद्धि वाला कलाकार नहीं कर पाता। रागों के ध्यान-चित्र भी कलाकार की कल्पना शक्ति पर आधारित होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ध्यान-चित्रों का संबंध कलाकार की कल्पना से है, ये ध्यान-चित्र किसी

*अतिथि विद्वान (संगीत) शासकीय टी. आर. एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शास्त्रीय नियम में नहीं बंधे होते। कलाकार को प्रत्येक राग के स्थायी भाव का ज्ञान रहता है। जैसे-रागिनी तोड़ी करूण भाव को व्यक्त करती है, इसीलिए कलाकार उसी भाव को अपनी कला में, प्रदर्शित करता है और प्राय: यह निश्चित है कि किसी भी राग-रागिनी का ध्यान उसी प्रकृति के अनुसार ही होता है। किन्तु, विभिन्न कलाकार अपनी कल्पना द्वारा एक ही राग की विभिन्न स्वरूपों में शब्दचित्र द्वारा व्यक्त करते हैं। यही एक मुख्य कारण है कि कभी तो किसी राग के ध्यान-चित्र एक समान हैं और कभी-कभी किसी राग के ध्यान-चित्रों में अन्तर आ जाता है। प्रत्येक कलाकार अपनी कल्पना द्वारा शब्द-चित्रों की रचना करता है, अत: व्यक्तित्व से कलाकार राग में जिस स्वरूप को देखता है, उसे ही व्यक्त करता है।

यद्यपि राग की सुव्यवस्थित परिभाषा सर्वप्रथम हमें मतंगकृत बृहद्देशी में प्राप्त होती है, तथापि इसमें राग के ध्यान-चित्रों की कोई चर्चा नहीं की गई। राग-ध्यानों की सर्वप्रथम उपलब्धि राग-सागर नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है, जिसकी रचना का समय सातवीं से नवीं शताब्दी माना गया है। उसके पश्चात् राग-ध्यानों का वर्णन हमें मध्यकालीन ग्रंथों, जैसे-सुधाकलश के संगीतोपनिषत्सारोद्धार, महाराणा कुम्भा के संगीतराज, पुण्डरीक विट्ठल के राग-माला, सोमनाथ के रागविबोध, दामोदर पण्डित के संगीत-दर्पण, भावभट्ट के अनूपसंगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर, शुभंकर के संगीत दामोदर आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। विभिन्न ग्रंथों में कोहल के यत्र-तत्र उदाहरण देकर उन्हें रागों के शब्द-चित्रों का विवरण देने में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किन्तु कोहल के पश्चात् के ग्रंथ जसे-बृहद्देशी, संगीत-रत्नाकर आदि में रागों के शब्द-चित्रों (ध्यानों) का कोई विवरण न मिलने के कारण इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अत: सुधाकलश का संगीतोपनिषत्सारोद्धार ही ऐसा उपलब्ध ग्रंथ है, जिसमें सर्वप्रथत रागों के ध्यानों की चर्चा देवी-देवताओं के संदर्भ में की गयी है। उसके पश्चात् महाराणा कुम्भा के संगीत-राज में हमें कुछ ऐसे श्लोक प्राप्त होते हैं, जिनमे देवी-देवताओं का विवरण दिया गया है। इन दोनों ग्रंथों के अन्तर्गत वर्णित राग-ध्यानों को हम तांत्रिक ध्यान कह सकते हैं।

रागों का काल्पनिक स्वरूप केवल शब्द-चित्रों तक ही सीमित नहीं रहा। किन्तु रागों के स्वरूप रंग चित्रों के द्वारा भी प्रकट किए गए। इन चित्रों के मूल तत्व तथा सामग्री ध्यान चित्र में मात्र प्राप्त होते हैं। ये ध्यान-चित्र संगीत तक ही सीमित न रहे, किन्तु मध्यकालीन साहित्य में भी इनको स्थान मिला। संगीत और साहित्य का अटूट संबंध होने के कारण मध्यकालीन साहित्यकार भी इनसे प्रभावित रहे। काव्य को स्वरों का परिवेश देकर अधिक प्रभावशाली बना दिया। इसीलिए रागों की व्याख्या साहित्यिक रूप में की जाने लगी। इसके मुख्य विषय ध्यान-मंत्र और नायक-नायिका भेद रहे। नायक-नायिका भेद में भी विप्रमभ्रंस और श्रृंगार को अधिक स्थान प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि नायक-नायिका के वियोग और संयोग के बारे में विस्तृत रूप से लिखा जाने लगा। इन सभी विषयों के प्रभाव से चित्रकला वंचित न रह सकी। सभी ललित कलाएं पारस्परिक एक दूसरे के इतनी निकट होती है कि एक का प्रभाव दूसरी पर पड़ता ही है। चित्रकला में रागों के शब्द-चित्रों को मूर्त रूप दिया जाने लगा, जिन्हें हम रागमाला चित्रों के नाम से जानते हैं। रागमाला चित्रों की यह श्रृंखला कब और कहां से शुरू हुई, इसका कोई भी ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। किन्तु यह सर्वसम्मत है कि रागमाला चित्र बहुत अधिक प्रचलित हुए और भारत में चित्र शैली की सभी परम्पराओं ने अपनी कला में इनको स्थान दिया। इन सभी शैलियों में मध्यकाल से लेकर आज तक कलाकारों ने राग के शब्दचित्रों को विषय बनाकर चित्रित किया और रागों को मूर्त रूप प्रदान किया। भारत की विभिन्न रियासतों मं पनम कर विभिन्न शैलियां विकसित हुईं, अत: विभिन्न रियासतों के नाम से ही ये शैलियां जानी जाने लगी। जैसे - राजस्थान, दक्षिण, मालबा, जौनपुर आदि।

मुगलकालीन समय में भी चित्रकला को अनेक सम्राटों द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। विशेषकर अकबर काल में रागमालाओं के बहुत चित्र बनाए गए। अत: इस शैली को मुगल शैली की संज्ञा प्राप्त हुई।

सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में राजपूत शैली का विकास हुआ और उन्होंने अपनी कला में केवल राजस्थान शैली को ही विकसित नहीं किया, अपितु बुन्देलखण्ड, पहाड़ी शैलियों में वर्णित रागमाला चित्रों को भी अपना विषय बनाया। इन सभी शैलियों में सबसे प्राचीनतम शैली अकबर काल से भी करीब सौ वर्ष पहले अपने विकसित रूप में आ चुकी थी। इस शैली और अन्य शैलियों में दिए गए रागमाला चित्रों को भारत, इंग्लैंड, अमरीका आदि देशों के संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है।

जिस प्रकार विभिन्न ग्रंथकारों ने रागों के शब्द-चित्रों का वर्णन कहीं-कहीं समान और कहीं-कहीं विभिन्न दिया है, उसी प्रकार रागमाला चित्रों की श्रृंखला में भी किसी राग को समान रूप में और किसी राग को विविध रूप से चित्रित किया गया है। जैसे राग हिंडोल को अधिकतर शैलियों में निम्न प्रकार से चित्रित किया गया है-

दक्षिण शैली में रागिनी गुर्जरी में कृष्ण और गोपियों की अवस्था का चित्रण किया गया है, जिसमें पानी लेकर जा रही गोपियों को कृष्ण बांसुरी सुना रहे हैं,- ऐसा दर्शाया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रागमाला चित्रों द्वारा रागों का काल्पनिक स्वरूप दृश्य रूप प्राप्त करता है। रागों में स्त्री और पुरूष की कल्पना करते हुए उनको समाज और संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रसंगों में चित्रित किया गया है। ये रूप रागों का सौन्दर्यबोध कराते हैं। रागों के चित्रों को कलाकारों ने बहुत प्रभावशाली बनाया है। मध्यकालीन राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों को देखकर रागों के स्वरूप एक पल में मन:चक्षु के सामने आ जाते है तथा इनके द्वारा सौन्दर्यबोध ही हमें आनन्दानुभूति कराता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रस सिद्धांत
2. नाट्य शास्त्र
3. संगीत विसारद
4. संगीत बोध

****

शहडोल जिले में शिक्षा एवं साक्षरता का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. भास्कर प्रसाद तिवारी *

प्रस्तावना – भारत के मध्यप्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर भाग में जिला शहडोल स्थित हैं। जिले का विभाजन दिनांक 15.08.2003 को हुआ, जिसके कारण जिलें का क्षेत्रफल 5,533 वर्ग किलोमीटर रह गया। शहडोल जिले से पृथक कर अनूपपुर जिले का गठन किया गया है। शहडोल जिला दक्षिण पूर्व में अनूपपुर, उत्तर पश्चिम में उमरिया जिलों से घिरा हुआ हैं। जिला 170 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर तथा 110 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक फैला हैं। यह जिला 24^{0}20' N अक्षांश से और 30^{0}28' E देशांतर के बीच स्थित हैं। शहडोल जिले की जनगणना 2011 की जनसंख्या 10,64,989 है। जिले की जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या का घनत्व 161 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले से राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 78 गुजरता है। शहडोल जिला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से 592 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्षेत्र में मुख्यत: गोंड़, पनिका, कोल, बैगा व अगरिया जातियां हैं। आदिवासी समुदाय में बोलचाल की भाषा में बघेलखण्डी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का मिश्रण है। आदिवासियों का जीवन स्तर बहुत सरल हैं। उनके घर बांस की चिपकी, धान के कोवल, मिट्टी तथा स्थानीय टाइल से बने होते हैं। आदिवासी पुरूष धोती, बंडी, पतोही और सिर में पगड़ी पहनते हैं तथा आदिवासी महिलाये साड़ी (जिसकों स्थानीय भाषा में 'कन्स' साड़ी कहते हैं) पहनती हैं। साड़ी सामान्यत: शरीर के रंग की होती है। आदिवासी समुदायो की महिलाएं अपने शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर और गले को विभिन्न रंगो से गुदवाती हैं। वे बांस, बीज तथा धातुओं से बने विभिन्न प्रकार के गहने पहनना पसंद करती हैं। क्षेत्र में मुख्य आर्थिक गतिविधियां कृषि एवं मजदूरी है। जिले में ग्रामीण एवं घरेलू धन्धे बहुत सीमित हैं।

भौगोलिक स्थिति – भौगोलिक दृष्टि से शहडोल जिला पर्वत श्रेणियों एवं नदियों से आच्छादित है, जिसे तीन भूगोलीय भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. पर्वत श्रेणियों का भाग,
2. मध्यवर्तीय पठारी भाग एवं
3. नदियों का निचला भाग।

जिला शहडोल मुख्यत: पहाड़ी जिला है। यह जिला साल और मिश्रित वनों से सुरम्य है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5,533 वर्ग किलोमीटर हैं। जिला शहडोल के आसपास डिंडौरी, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर और रीवा जिले हैं। शहडोल जिला ढ़क्कन के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला सतपुड़ा पर्वत के मैकाल पर्वतमाला, विंध्य पर्वत के कैमोर पर्वतमाला के निचले और झारखंड में छोटानागपुर पठार के समानांतर पहाड़ियों के विराहा पर स्थित है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में सोन नदी और उसकी सहायक नदियों की संकीर्ण घाटी है। कैमोर पर्वतमाला उत्तरी सीमा पार सोन नदी के साथ फैली है। विकासखंड जयसिंहनगर का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक 1,509 वर्ग कि.मी. एवं सोहागपुर विकासखंड का 778 वर्ग कि.मी. है।

जिला/विकासखंडवार भौगोलिक स्थिति – शहडोल जिले की समुद्री तल से ऊंचाई 489 मीटर है। ब्यौहारी विकासखंड की समुद्र तल से ऊंचाई 609 मीटर एवं सोहागपुर विकासखंड की ऊंचाई 489 मीटर है।

जिला/विकासखंडवार भौगोलिक स्थिति

जिला/ विकासखंड	उत्तरी अक्षांश विस्तार	पूर्वी देशांतर विस्तार	समुद्र तल से ऊॅचाई (मीटर)
जिला-शहडोल	22.52 उत्तर से 25.41 उत्तर तक	80.10 पूर्व से 82.12 पूर्व तक	489
ब्यौहारी	23.38 उत्तर से 24.20 उत्तर तक	81.00 पूर्व से 81.43 पूर्व तक	609
जयसिंह नगर	24.35 उत्तर से 23.35 उत्तर तक	81.10 पूर्व से 80.40 पूर्व तक	593
सोहागपुर	22.52 उत्तर से 25.41 उत्तर तक	81.10 पूर्व से 82.12 पूर्व तक	489
जैतपुर	22.52 उत्तर से 25.41 उत्तर तक	81.10 पूर्व से 82.12 पूर्व तक	....

(स्त्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2009)

शिक्षा एवं साक्षरता – वर्ष 2001 मे जिले की साक्षरता दर 57.59 प्रतिशत थी, जिसमें पुरूष 70.34 प्रतिशत एवं महिलाये 44.17 प्रतिशत साक्षर है। जिले मे प्रौढ़ शिक्षा एवं पढ़ना-बढ़ना आदि शासन की योजनाओं के द्वारा भी शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है।

विकासखंडवार ग्रामीण साक्षरता (जनगणना 2001, संख्या)

मद	बुढ़ार	गोहपारू	सोहागपुर	जयसिंहनगर	ब्यौहारी
कुल ग्रामीण साक्षर	62691	42756	64594	59528	64352
अ. पुरूष	41321	26853	41471	39054	40997
ब. महिला	21370	15903	23123	20474	23355

(स्त्रोत्र - जनपद पंचायत के प्रमुख आकड़े 2009)

शहडोल जिले में जनगणना 2001 अनुसार कुल 4,31,879 व्यक्ति साक्षर थे, जिसमे से 2,70,430 पुरूष एवं 1,61,449 स्त्रियां थीं। ग्रामीण क्षेत्र मे 2,93,921 तथा 1,37,958 नगरीय क्षेत्र मे साक्षर थे। जिले की साक्षरता मे पुरूषों की तुलना मे स्त्रियों में दशक 1991 से 2001 के मध्य

* अतिथि विद्वान (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, सेमरिया, रीवा (म.प्र.) भारत

बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। सोहागपुर जनपद पंचायत मे सर्वाधिक साक्षर है। इसकी तुलना में गोहपारू जनपद पंचायत मे सबसे कम 42,756 साक्षर है।

देश, प्रदेश एवं जिला साक्षरता संबंधित तुलनात्मक ऑकडें (प्रतिशत में)

विवरण	2001			2011			
	भारत	म.प्र.	शहडोल संभाग	शहडोल जिला	म.प्र.	शहडोल संभाग	शहडोल जिला
साक्षरता	64.84	63.7	57.8	57.6	70.6	67.7	68.4
साक्षरता (पुरूष)	75.26	76.1	71.6	70.3	80.5	78.5	78.3
साक्षरता (महिला)	53.67	50.3	43.4	44.2	60.0	56.6	58.2

(Provisional Population Total- Madhya Pradesh 2011)

जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में साक्षरता की दर शहडोल जिले में 57.6 प्रतिशत से बढ़कर 68.4 प्रतिशत जो कि शहडोल संभाग के 57.8 प्रतिशत तथा 67.7 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। मध्यप्रदेश राज्य से तुलना करने पर भी शहडोल जिला बहुत ही कम प्रतिशत से साक्षरता के क्षेत्र में पिछड़ा है। शहडोल जिले में पुरूष तथा महिला साक्षरता में भी जनगणना 2011 में वृद्धि दर्ज की गई है। जिले स्तर पर पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता बढ़कर क्रमश: 78.3 एवं 58.2 प्रतिशत हो गई हैं।

जिले में शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की सख्ंया – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक किलोमीटर की परिधि में हर बच्चे के लिए प्राथमिक स्कूलों की, 03 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक स्कूल, 05 किलोमीटर की परिधि में हाई स्कूल एवं 08 किलोमीटर की परिधि में उच्चतर माध्यमिक स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है। जिला शहडोल में 1602 प्राथमिक पाठशालाये, 439 माध्यमिक शालायें, 82 हाईस्कूल एवं 81 उच्चतर माध्यमिक शालायें संचालित है।जिले में शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	प्राथमिक शालाएँ		माध्यमिक शालाएँ		हाई स्कूल	
	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
2004–2005	69197	56646	26941	19444	12572	7248
2005–2006	62733	65832	20796	19020	13236	7642
2006–2007	69898	58005	23077	20553	13475	7988
2007–2008	62707	65376	21915	21715	12670	7719

स्त्रोत : जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी, शहडोल. 2009

यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। शासकीय प्राथमिक शाला में कुल 1,25,096 बालक/बालिकायें अध्ययनरत थे, माध्यमिक शालाओं में 53,543 बालक/बालिकायें थीं। हाई स्कूल में 21,136 छात्र/छात्राएं एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 11,545 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

विकासखंङवार शालायें एवं विद्यार्थियों की संख्या

मद	शहडोल जिला	बुढ़ार	गोहपारू	सोहागपुर	जयसिंह नगर	ब्यौहारी
प्राथमिक शालायें	1602	348	210	334	378	332
विद्यार्थी	125094	24872	14575	27439	27336	30872
माध्यमिक शालायें	439	98	71	85	87	98
विद्यार्थी	53543	11290	6154	10473	11056	14570
हाई स्कूल	82	17	7	39	7	12
विद्यार्थी	21136	5275	1915	8070	1870	4006
उच्चतर मा. विद्यालय	81	18	3	31	10	19
विद्यार्थी	11545	2285	1085	4605	1610	1960

(स्त्रोत – जनपद पंचायत के प्रमुख्य आकड़े, 2009)

शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकासखंड मे सर्वाधिक प्राथमिक शालायें जिसमें 27336 विद्यार्थी अध्ययनरत् है। गोहपारु विकासखंड मे सबसे कम विद्यालय है। सर्वाधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल सोहागपुर विकासखंड मे है। शहडोल जिले मे एक भी आश्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं है। ब्यौहारी विकासखंड मे 14570 विद्यार्थी माध्यमिक शालाओ मे अध्ययनरत् है। इसी प्रकार सोहागपुर विकासखंड मे 8070 विद्यार्थी हाई स्कूल मे अध्ययनरत् है।

विकासखण्डवार शालाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की सख्ंया –जिला शहडोल में वर्ष 2008–09 में प्राथमिक शालाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 12336 तथा जनजाति वर्ग के 72525 विद्यार्थी, माध्यमिक शालाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 4945 तथा जनजाति वर्ग के 24209 विद्यार्थी तथा हाई स्कूल में अनूसूचित जाति वर्ग के 2370 तथा जनजाति वर्ग के 5895 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

विकासखण्डवार शालाओ में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियो की संख्या

विकास खण्ड	प्राथमिक		माध्यमिक		हाई स्कूल	
	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
जिला शहडोल	12336	72525	4945	24209	2370	5895
ब्यौहारी	3045	15954	1063	3864	425	930
जयसिंह नगर	2815	14934	1004	5778	390	915
गोहपारु	1166	9722	500	4051	330	1040
सोहागपुर	1945	17505	832	5453	710	1380
बुढ़ार	3365	14410	1546	5063	515	1630

स्त्रोत : जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी, शहडोल 2009

उच्च शिक्षा – शहडोल जिले मे कई महाविद्यालय है, जिसमे प्रत्येक विकास खण्ड में महाविद्यालय संचालित है प्रत्येक विकासखंड मे व्यवसायिक शिक्षण

संस्थाऐं स्थापित है। निजी क्षेत्र मे कई उद्योग स्थापित है एवं निकट भविष्य मे स्थापित होने की संभावना को देखते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओ की आवश्यकता प्रतीत होती है। व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र मे भी सस्ंथानों को आगे आने की आवश्यकता है, ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण समस्या

डॉ. आर. एस.वाटे *

प्रस्तावना – वर्तमान में गाँव नाना प्रकार की समस्याओं से अक्रान्त हैं। उनके सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश की अनेक समस्यायें मुँह-बाँयें खड़ी है जिसे कथाकारों ने अपने कथा साहित्य में विभिन्न कोणों से रेखांकित कर समसामयिक परिप्रेक्ष्य में उनके यथार्थ को अपनी पैनी नजर से दृष्टिगत रखकर सहेजने का स्तुत्य प्रयास किया है। सन् 1958-59 में नई कहानी को विभिन्न प्रसिद्ध आलोचकों ने मूल्यांकित, व्याख्यायित किया। इस वर्ष कहानी के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ छपीं, जिनमें ग्रामीण अंचल को लेकर बड़ी अच्छी कहानियां लिखी गई। शहर के संकट-बोध के साथ-साथ इस दौर में गाँव पर व्याप्त विभीषिका को भी कहानी लेखकों ने प्रस्तुत किया। डॉ. नामवर सिंह के अनुसार-'शहरों के मध्यवर्गीय जीवन में जीवन और सौंदर्य को न पाकर ही महत्वाकांक्षी कहानीकारों ने गाँव की राह ली। गाँव के जीवन को लेकर लिखी हुई कुछ कम वास्तविक कहानी में भी बड़े सशक्त ऐतिहासिक शक्ति के प्रतीक, चरित्रों को उपस्थित किया गया।' जिनमें रांगेय राघव की 'गदल', मार्कण्डेय की 'गुलरा के बाबा', 'हंसा जाई अकेला', शिवप्रसाद सिंह की 'कर्मनाश की हार', 'नन्हों', मार्कण्डेय की 'सात बच्चों की मां' तथा रेणु की 'तीसरी कसम' इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। उस समय का कहानीकार शहरों और गाँव दोनों के जीवन क्षेत्र को लेकर चला, क्योंकि बढ़ते हुए औद्योगीकरण का प्रभाव गाँवों पर भी पड़ रहा था तथा शहर और गाँव का परस्पर एक दूसरे से संक्रमण हुआ था।

ग्रामीण अंचल को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि गाँवों के पारंपरिक रूप में परिवर्तन तथा बदलाव होगा, अतएव आंचलिक कथा लेखकों ने ग्राम जीवन के उत्साह, प्रेरणा तथा आशा को अपनी कहानियों में व्यक्त किया और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मानवीय संबंधों की भी विवेचना हुई। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामांचलों में जीवित रहने के लिए मृत्यु से निरंतर संघर्ष करने वाले ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहानियों लिखी गई। इनमें थोड़ी नवीनता थी। इन कहानियों में गहरी संवेदना विद्यमान थी। ये कहानियां यथार्थ के विभिन्न रूप, परिवेश की जीवंतता, अनुभव की ताजगी और जीवन संघर्ष के जूझने वाले पात्रों की सही मन:स्थिति को अभिव्यक्ति करती हैं।

समकालीन कहानी का परिवेश, गाँव और शहर की ओर समान रूप से बढ़ रहा था। इन आंचलिक कथाओं की नवीनता पाठकों को ताजगी दे रही थी। ग्राम कथाओं ने कहानी को धरती से इतना समन्वित कर दिया कि उनमें प्रत्येक क्षण उन्मुक्त प्रकृति और सहज जीवन का स्पंदन सुना जा सकता है। अल्प समय में थोड़े से कहानी लेखकों ने पर्वत प्रदेश से लेकर मिथिला के गाँवों तक का जो रूप प्रस्तुत किया है, वह गौरव का विषय है। ग्रामीण पारिवारिक स्निग्धता और स्वस्थता, इन कहानियों से अभिव्यक्त होती है। शिवप्रसाद सिंह की कहानियों 'आर-पार की माला', 'पापजीवी', 'बिंदा महाराज', रेणु की 'रसप्रिया' इत्यादि कहानियों में यायावरीय जीवन व्यतीत करने वाले अधिक हैं जैसे कंजड़, रमंतू नर्तक, भील, कलावे, नट-नट्टिन आदि। मार्कण्डेय की प्रसिद्ध ग्रामीण कथाओं में 'इलेक्शन' के दिनों की राजनीतिक नारेबाजी, गांव की राजनीति इत्यादि को उभारा गया है।

ग्रामीण तथा शहरी कथानकों को लेकर चलने वाली समकालीन कहानी का स्वरूप व्यापक होता गया। उसके नितांत नएपन की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि, नई कहानी अपनी चेतना में परिवेश से जूड़े व्यक्ति मन की चेतना है। इसलिए वह न तो बाहरी यथार्थ की अनुभूमि, फार्मूलाबद्ध कहानी कहती है और न बाहरी परिवेश से विच्छिन होकर या बाहरी परिवेश को केवल अवचेतन की दुनिया से संदर्भित कर मात्र व्यक्ति मन का चित्रण करती है। वह जीवन परिवेश के दबाव में बनते-बिगड़ते मानवीय रिश्तों, मूल्यों संवेदनों की अभिव्यक्ति है।

अत: यहॉं पर कुछ समकालीन कथा साहित्य में हाशिये पर जीने को मजबूर अभावग्रस्त जीवनों की व्यथा-कथा का मार्मिक उल्लेख हुआ है। अरुण प्रकाश के 'विषमराग' में संकलित 'मॅझधार किनारे' और 'तुम्हारा सपना नहीं' और संजीव कुमार संजय की 'गन्दगी' इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय कहानियॉं हैं। झुग्गी-झोपड़ियों में जिन्दगी काटने वालों को अपने अभावों से ही नहीं गुण्डों-मदमाशों से भी संघर्ष करना पड़ता है। 'मॅझधार किनारे' का रंजो और असलम गंगा के किनारे आठ सौ ईंट, जूट के बोरे, लोहे की पुरानी चादरें, कोल्तार ड्रम की चादरें और पुरानी लकड़ियों से झुग्गी तैयार करता है। यहॉं भी शोषण के कई आयाम हैं। झुग्गी में रहना है तो कैम्प फीस देना है। कैम्प फीस वसूल लेने वाले गुण्डों को खुश किये बिना वहॉं टिक पाना मुश्किल है। असलम फीस देने को तैयार नहीं होता तो रंजो डर जाती है। फीस देकर झगड़े-झंझट से निपटने की वह विनती करती है। असलम रंजो को समझाता है – 'गरीबों को शरीफों की तरह डरना ठीक नहीं है। हम इसी में मारे जायेंगे। हमें बस अल्लाह से डरना चाहिए।'

असलम स्वाभिमानी है वह खूब मेहनत करके आजीविका जुटाता है। फिर भी गुण्डे लोग उनका जीना हराम कर देते हैं। उनकी बीवी को भी वे छोड़ते नहीं। कैम्प फीस न देने का कारण बताकर गुण्डा बलवन के लोगों ने उसे कैसी प्रताड़ना दी है – कहानी का थोड़ा अंश द्रष्टव्य है – 'रंजो की रुलाई फूट पड़ी, हम उनका पैसा दे दें....' या झुग्गी छोड़कर चले जायँ। वे आये थे। तीन आदमी थे। दो ने मुझे दबोच लिया। एक ने मुझे यहाँ वहाँ छुआ।

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, जैतहरी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) भारत

मैं हिल भी नहीं सकती थी। फिर बारी बारी से मुझे छुआ। उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ चाय की तरह चखा है। अगली बार पूरा। तुम्हें भी मजा आयेगा, अधेड़ शौहर के साथ सोने से ज्यादा।

कहानी में एक और समस्या का भी उल्लेख हुआ है। चुनाव के अवसर पर नेता लोग इन लोगों को भेड़-बकरियों की तरह प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहर तो गाँव के लिए आकांक्षा के द्वीप रहे हैं। उपेक्षित और विस्थापित लोग इस रोम की तरफ भागते हैं। बेकारी से बड़ा विस्थापन क्या है? यह विपदा दुश्चक्र की तरह घूमती रहती है। सत्ता के खेल में ये ही गुलाम भाड़े पर जुलूसों में घसीटे जाते हैं। हमारे रोम पर लांछन लगाने की सहूलियत देती हैं ये झुग्गियॉ। बदबू-महामारी-अपराध के मारे, मनुष्यता की सहूलियत के मानदण्डों से नीचे धकेलते ये लोग जनतंत्र को सफल दिखाने के लिए जरूरी भीड़ है। तुम्हारा सपना नहीं भी झुग्गी झोपड़ी वालों की कहानी है लेकिन इसकी समस्या 'मॅझधार किनारे' से भिन्न है। यह बंगाल निवासी चुन्नीदास की जिजीविषा की कहानी बताती है। वह रूखा-सूखा खाकर बम्बई के बॉन्द्रा में पांच हजार रुपये में खोली तैयार कर अपने को मुम्बईवासी बना देता है।

झुग्गी-झोपड़ी वालों के प्रति तथाकथित सभ्य समाज तथा सरकारी अधिकारियों की अमानवीयता की आलोचना करती है संजीवकुमार संजय की 'गन्दगी'। वे हिकारत की दृष्टि से इन्हें देखते हैं। इनकी दृष्टि में ये हमारे सभ्य सामाजिक जीवन में गन्दगी फैलाने वाले हैं, अभिशप्त हैं। कहानी के पात्रों के आपसी वार्तालाप के माध्यम से सरकारी अदूरदर्शिता की आलोचना हुई है। 'कोई अपना गाँव ख़ुशी से छोड़कर नहीं आता। क्योंकि सरकार ने गॉवों में रोजी रोटी कमाने का इन्तजाम न किया। क्यों सारी सहूलियतें शहर के लोगों को ही दी?'

उदय प्रकाश की 'मोहनदास', ज्ञान प्रकाश विवेक की 'अर्थ' और 'बर्फ', सन्तोष दीक्षित की 'कचरे में लपिस्टिक' जैसी कहानियों में ग्रामीण एवं महानगरीय जीवन में व्याप्त भारी एवं भयानक अन्तर को सूचित किया है। महानगरीय झोपड़-पट्टियों में कीड़े-मकोड़ों की तरह सर्वथा अभावग्रस्त जिन्दगी काटने को मजबूर सैकड़ों काले-कलूटे जन हैं तो दूसरी तरफ श्वेतों की बस्ती है, वहॉ सुख? समृद्धि और ललक है लेकिन इस पार गरीबी और हताशा। उस पार फेयर और स्लिम बनने की प्रतिस्पर्धा है, इस पार तन को पोसने और ढँकने की विवाषता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजेन्द्र यादव - हंश, कहानी विशेषांक
2. आधुनिक बोध, रामधारी सिंह दिनकर
3. अरुण प्रकाश - विषम राग
4. संजीव कुमार संजय - गंदगी कहानी से
5. सी.एम. योहन्नान - समकालीन हिन्दी कहानी : अन्तरंग परिचय

****

Business Competitiveness: Strategies for Automobile Industry

Dr. Mohammad Sajid* Jyoti Pachori**

Abstract - Peter Drucker has called the vehicle business "the business of enterprises". During the most recent couple of years, creation and the board frameworks have been upset worldwide in the vehicle business. One of the significant changes in the business has been the opening up and development of a few developing business sectors. The car business is currently confronting new and squeezing difficulties. Globalization, individualizations, digitalization, and expanding rivalry are changing the essence of the business. Likewise, expanding wellbeing necessities and deliberate natural responsibilities have additionally added to the progressions ahead. The size of the association is at this point not an assurance of progress. Just those organizations that discover better approaches to make worth may thrive later on. The reason for this paper is to introduce a short outline of the auto business today and feature difficulties confronting the business. In view of this viewpoint, some essential technique that empowering them to change into serious ventures has been examined. The data and feelings introduced in this paper depend on a progression of meetings that were held with car industry specialists, who gave us the advantage of their broad information.
Keywords- Globalization, competitiveness, success, environment.

Introduction - The auto business is confronting new and squeezing difficulties. Globalization, individualizations, digitalization, and expanding contest are squeezing the substance of the business. Likewise, expanding security prerequisites and deliberate natural responsibilities by the car business have additionally added to the progressions ahead. Size is at this point not an assurance of accomplishment. Just those organizations that discover better approaches to make worth will flourish later on. The reason for this paper is to introduce a short outline of the car business today and feature difficulties confronting the business. In view of this viewpoint, some essential system empowers them to change themselves for the opposition.

The developing car scene - The worldwide auto industry is exposed to a scope of variables that are expanding intricacy and impacting the financial choices accessible to carmakers. Most of these variables connect with each other and have solid interdependencies. Be that as it may, a portion of these components are market-actuated and, therefore, can't be affected straight via car makers. These elements include:

- **Globalization, regionalization, and market union –** Due with the impacts of advancement, public business sectors are progressively globalized. This allows organizations an opportunity to grow to new business sectors yet additionally expands the danger of new participants or expanded contests in conventional business sectors.
- **Increasingly broadened shopper total examples of conduct –** Consumers are done tolerating normalized items, however need items that fulfill their individual prerequisites. Target bunches along these lines must be cut back by organizations so clients will be drawn in by the items advertised. In any case, as a result of the expanded worldwide rivalry with a more grounded center around cost and not on brand dependability, purchasers for the most part don't compensate organizations for their more individualized items. Because of these elements, vehicle producers include new requesting necessities inside their field of action.
- **Accelerated alteration and enhancement of the item portfolio –** The organizations need to abbreviate item lifecycles to respond to the assumptions for individualizing and quick changing purchaser requests with inventive items. Before, a normal item lifecycle in the car business was eight years; today, lifecycles are a lot more limited, or possibly the item's plan is regularly adjusted after only a few years available. With improvement costs for another model leftover on a similar level or in any event, expanding, this simultaneously implies a shortening of amortization time for the OEM and, possibly, lower benefits.
- **Pervasion of vehicles with computerized innovation –** In 2002, advanced innovation in vehicles previously arrived at the midpoint of 22% of the absolute worth of a vehicle, with an estimated increment to 35 percent of the complete worth in 2010. The reconciliation of

*Associate Professor, Technocrats Institute of Technology-MBA, Bhopal (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, Technocrats Institute of Technology - MBA, Bhopal (M.P.) INDIA

equipment and programming into autos addresses the transcendent gas pedal of expanded usefulness combined with expanding intricacy. This intricacy brings about overstrained vehicle advancement offices, item disappointments, an expense blast for assurance and guarantee costs, and an effect on consumer loyalty.

• **Increased pressure for advancement and adaptability being developed and fabricating -** Development divisions are not simply overburdened by the intricacy of computerized innovation, yet additionally by the shortening of item lifecycles. Another perspective is the expanding number of equal improvement projects since organizations foster increasingly more specialty models for uncommon objective gatherings. This positively requires the utilization of new improvement methods like computer-generated experience. For instance, this strategy empowered BMW to abbreviate the advancement season of its Z4 model to only 30 months.

The Challenge of Competitive Environment - The main inquiry is the manner by which an organization can stay serious even with the violent changes occurring in the auto business. The way to progress lies in being engaged, responsive, variable, and tough, which can be refined by changing over to an on-request organization. Adaptivity to an always-changing climate has become the central business interest, requiring critical thinking instruments and techniques to be distinguished, chosen, and carried out rapidly. Engaged, responsive, variable, and tough are various practices needed to turn out to be more versatile practices whose highlights relate to the exigencies of the business objective. In case you are eager at noon, you will responsively enjoy a reprieve so you can a while later again center around your work. The nutrients in the serving of mixed greens you had for lunch make you strong against flu. Consequently, you can fluidly acclimate to various climate conditions coming back home without getting a chill. Changing this similarity to business, a vehicle maker has seven significant key switches to empower such versatile conduct Brand the executives – Brand the board systems assist with making organizations more engaged and ready to separate their items from the opposition.

• **Customer relationship with the executives –** Customer relationship the board (CRM) helps an organization become zeroed in on client necessities and wishes and receptive to changes in total examples of client conduct.

• **Core ability the executives –** Core skill the board permits an organization to zero in on its interior qualities and become more factor and versatile by going into key associations with providers with capabilities in new innovations or specialty activities.

• **Software the board –** Software the executive is a vital aspect for making an organization zeroed in on programming normalization and vital associations, which, thus, assist the organization with becoming variable and versatile.

• **Quality the board –** Quality administration (QM) will, by turning into a get practical and get organization idea over the entire worth to add a chain, assist with guaranteeing that organizations develop their development in strength.

• Product improvement the board – Managing item advancement along with an attention on widening, abilities in new innovations will assist with empowering associations to turn out to be more factor by the enhancement of shared designing. Expanded flexibility can be accomplished by normalized measures and the all-inclusive utilization of virtual testing. Decentralized and regionalized advancement exercises will assist with expanding responsiveness to clients' cravings.

• Expansion of the executives – Management of venture into new geologies and societies requires that are centered around the necessities in these new business sectors and receptive to changing economic situations and prerequisites.

Strategic steps toward the competitive business - Based on experience with the seven areas of strategic action, several conclusions can be drawn and recommendations are given for further action. The automotive industry has developed into a complex network of interrelations across the entire value system, where decisions at any level often impact various other levels. Integration with customers, for example, affects not only sales but also product development or expansion into new markets. Therefore, increased business and cost efficiency can result from focusing on one's own core competencies and strengths. Vehicle manufacturers must define and focus on those features and characteristics that differentiate them from competitors and outsource those non-core design, manufacturing, supply, marketing and administration tasks that can be better handled by suppliers. The integration of strategic partners with more responsibility into the value chain should be intensified. By doing so, the supplier interaction, organization, process and IT are addressed. SRM has to be supported by collaborative engineering, pay-on-supply, risk-sharing models and alignment of the suppliers' QM. On demand CRM requires a seamless, single view of the customer with consistent cross-channel interaction models. Therefore, we recommend that companies bundle all internal CRM strategies into one comprehensive multi-channel strategy. On this basis, customer data can be systematically gathered and evaluated for later use at multi-channel customer touch-points from dealership to profitable value-add activities, such as financial services. The selective use of comprehensive customer data will drive more personalized communication and thus help increase both customer loyalty and customer sales.

To increase loyalty even further, companies should create customer awareness and build or defend a strong brand image that rightly balances the brand's cognitive and emotional aspects. If they integrate CRM with SCM, then product design and production planning can be aligned with

the customer information available. Dealers will remain the most important customer touch-point. To enhance dealers' efficiency and service, OEMs can streamline channel orders' processes and warranty claims through coherent dealer management systems and simplify dealer access to content, applications, people and processes. Therefore, opportunities must be identified on demand with improved data analysis and insights. And, once in the market, supplier and dealer networks have to be developed with reliable local partners. For their integration, vehicle manufacturers have to install virtualized learning solutions and increase communication solutions. This requires technologically consolidated, virtual and local applications and infrastructure management consistent with the internal standards.

Where development cycles and the final product do not conform to increasingly complex market requirements, product development parameters for cost, quality, time-to-market and processes have to be optimized. A set of coordinated actions will help improve efficiency, quality and cost. Companies design departments should be very responsive by using collaborative tools that define and control standardized processes and distribute knowledge. These tools should also feed lessons learned from manufacturing and service into reliability, design failure and diagnostic models. Web-based design, simulation, tooling, virtualized testing and product lifecycle management capabilities all need to be built on a common infrastructure. Where design centers are globally distributed and collaborative engineering works across company borders, those will need a real time system for tracking, managing and communicating engineering changes and defects. Since automotive electronics and software are influencing product development, quality, core competency and brand management alike, the respective actions recommended above also pertain to automotive E/E and software. Successful software management is the entry gate to innovation, one of the main market differentiators. Open standards contribute to more reliable functions, allowing company and suppliers to develop their applications based on a standard architecture and platform. Thus companies should acquire and set up architecture and integration competencies in embedded systems lifecycle management. This help enables definition, organization and implementation of a standardized software development and tracking process. This enlargement of internal capacities will allow the specification of requirements, effective outsourcing and surveillance of partners' design processes, and exertion of integration competency. In addition, manufacturers should separate software from hardware to develop a software release policy that helps them control both product quality and innovation flow. With all these activities, organization can use the extensive opportunities of automotive digitalization for innovation and quality enhancement. Vehicle manufacturers have realized that the interconnectedness of business design and technology capabilities is making businesses more focused, responsive, variable and resilient. It is anticipated that managing the seven areas of strategic action depicted here, they will successfully move forward to strategic excellence. By focusing on these seven strategic levers, automobile manufacturers will increase their potential to successfully cope with the challenges of globalization, individualization, digitalization and increasing competition.

Conclusion - Today's tough challenges in the automotive industry require to find new ways to create value if they are to prosper. To successfully adapt these levers companies will be able to respond to changes with focus, responsiveness, variability and resilience.

References :-

1 Mercer Management Consulting/Marco Ehmer, 2002: Automobil technologie 2010. http://www.vector-informatik.com/ongress/VeCo_Vortrag04_Ehmer.pdf. Recall: May 10, 2004.
2 "Strikt nach 30-Monats-Plan." Automobil-Produktion. 2003 (4).
3 "Benchmark personalization and CRM integration 2003." IBM Business Consulting Services. 2003.
4 "Tiefer unter Wasser". Wirtschaftswoche 2003 (17)
5 Universität Bamberg / FAW Forschungsstelle Automobilwirtschaft 2003: Supplier Satisfaction Index 2003.
6 "Unstrukturiertes Software design ist Schuld an Pannenflut." Computer-Zeitung. October 14, 2003.
7 "Future Automotive Industry Structure 2015." Mercer Management onsulting, Fraunhofer-Institut IPA, and Fraunhofer-Institut IML. 2003.
8 "Global production summary by country." CSM World-wide. 2004. http://www.csmauto.com/forecast.

****

Digital Marketing in Indian Context

Dr. Prasann Jain* **Dr. Mohammad Sajid****

Abstract - Digital marketing is rising in India with fast pace. Many Indian companies are using digital marketing for competitive advantage. Success of marketing campaign cannot be solely achieved by digital marketing only. Rather for success of any marketing campaign it should fully harness the capabilities of various marketing techniques available within both the traditional and modern marketing. Startups that use digital marketing many times got failed. This study shows precautions to be taken for effective implementation of digital marketing to reap tremendous potential to increase in sales.

Keywords- Digital marketing, social network, ecommerce, online retail, start up and commandments.

Introduction - Digital Marketing is any form of marketing products or services, which involves electronic devices. It can be both online and offline. According to institute of direct marketing "the use of internet and related digital information and communication technologies to achieve marketing objectives." According to CAM Foundation – "Digital Marketing is a broad discipline, bringing together all forms of marketing that operates through electronic devices – online, on mobile, on-screen. Over the years, digital marketing has developed enormously, and it continues to do so." Search Engine Optimization, Search Engine Marketing or Pay per Click Advertising, Social Media Marketing, Content Marketing, Mobile Marketing, Web Analytics, Marketing Automation, and Content Writing & Rate Optimization are the popular and most-demanded areas in digital marketing. It is the creative use of management information system (MIS) and technology which supports customer's interaction with e-marketers. Marketers need to use technology and information and intuition to set brands and grab opportunities. E-Commerce has unleashed the revolution which is changing the way of doing business. In 1997 U.S. govt. allowed use of internet by commercial organization. This gave impetus to new way of conducting trade and commerce. In 2015 e-commerce activities get boost up with rapid expansion, multiplicity of campaign, deals based user acquisition and more. This shift in e-commerce becomes more noticeable with higher focus on consumer knowledge and retention, improvement in experience, and depth of assortment across an ever wider range of categories. Ecommerce players are focusing on retention on existing customers and acquisition of new users. To enhance loyalty of customers towards e-commerce as a category they are differentiating in leveraging data and assortment trends to finally move towards one to one marketing principle. Customers are rewarded for their loyalty with better experience across delivery, pricing, exclusive offer and return policies Early e-commerce trialists and adopters have clearly understood and experienced the immense benefit of ecommerce. Therefore companies are scaling down mass media advertising description of e-commerce targeted early trialists and adopters. Main digital platform such as Google, Facebook, Twitter, You Tube etc. are rolling out more advertiser friendly products that are allowing smaller as well large players to market with high efficiency to early adopters. This is resulting in increase in digital marketing spending. Due to innovation of digital media coupled e-commerce players system is moving from application download and visit metrics to user metrics instead. Investment made so far to generate early adopters of ecommerce are rotating into targeting late adopters through regional and vernacular offline media. Advertisers have finally accepted that there will be end of long form of advertisement and branded content will rise. Digital videoadvertising even started issuing advisories asking consumers to keep edit length short. Brand is experimenting, to large extent, with expressing themselves through digital and youth content. This has driven wider choices of content, sharper entertainment propositions, and increase in the smart phone viewership dividend. Sustained advertiser investment depends on how fast the emerging digital content industry adopts scientific measurement tool. Innovations in the core products are generating big impact on user acquisition and retention due to digital store and service experience. The players who are delivering gaining more consumer friendly products and service improvement are gaining more.

Facts about Indian Digital Marketing Industry

i. As per a report by IAMAI and Boston consulting group, India has one of the largest and fastest growing populations of Internet users in the world—190 million

***Associate Professor, SIRT- E, Sagar Group of Institutions, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** Associate Professor, Technocrats Institute of Technology- MBA, Bhopal (M.P.) INDIA**

as of June 2014 and growing rapidly.

ii. According to a report, India will cross 500 million Internet Users Mark in 2020

iii. According to Direct Marketing Association, Digital Marketing Industry is worth $62 billion

iv. According to eMarketer, advertising via mobile phones and tablets rose 180 percent, to $4 billion in 2014

v. According to a report published in The Hindustan Times, New Delhi digital advertising space in India is worth Rs. 6000 crore and video is Rs. 1600 crore of that. In 2016 the digital ad space will grow to Rs. 8100 crore and video will grow faster than search and classified.

According to a research firm eMarketer ecommerce sales in India are expected to grow from $14 billion in 2015 to $55 billion in 2018. India has seen the fastest growth in retail ecommerce among Asia-Pacific countries, surging 133.8% in 2014 and 129.5% in 2015. The combined gross merchandise value, or total value of sales of country's top three ecommerce places i.e. (Flipkart, Amazon and Snapdeal) in 2015 was $13.8 billion exceeded that of the top 10 offline retailers, which stood at $12.6 billion for the same period. 3. Reasons for rise in digital Marketing in India Increase in internet penetration in the country have led to a substantial growth of other digital industries such as ecommerce, digital advertising and so on. Latest trends in digital marketing in India in web usage, mobile and search, social networking, shopping and online video are shaping the Indian digital marketplace and what it holds for the years to come.

Indian companies using digital marketing for competitive advantage - Nestle's Every Day was facing threat from liquid milk in North-East. It has taken help of Facebook. Its teams created a three-second cinema graph- an image with some moving shots. It targeted women age 21 and above. The result was five percentage point increase in purchase intent and 14 point increase in ad recall. Coca-Cola did a live video for its orange flavoured Fanta. Maybelline did a three dimensional video. Royal Enfield shot a 360 degree video for its new bike Himalayan. Lakme used a slide show format (it's five times lighter than a video), and Cornetto made a three second Cinemagraph. Pepsi Co. Beverages used Facebook during cricket World Cup in 2015 for brand building and generating the sale. Pepsi's Facebook campaign was the most recognized brands during the event. Pepsi Co. is using social media in a big way for building its brand equity. A research conducted by Adobe and CMO Council has revealed that growing number of marketers in India are leveraging digital marketing to increase their competitive advantage. According to the study, India leads in the confidence in digital marketing as a driver of competitive advantage. Ninety-six per cent of the Indian marketers have high confidence in the ability of digital marketing to drive competitive advantage. It is among the highest in AsiaPacific APAC with only Australia leading with 97 per cent, the research said. However, while Indian marketers believe that the key driver to adopting digital is a growing internet population (70 per cent in India against 59 per cent in APAC), their belief that customer preference and digital dependence drive the adoption of digital, and that digital can engage the audience, is lower than the APAC averages, it added. According to 2014 Adobe APAC, India is an emerging leader in Digital Marketing; it has dipped in its own performance in 2015 as compared to the previous year. It is important to note that India scored much higher than the APAC average in 2014. Customer preference and digital dependence would increase along with the increase in penetration of internet in the Indian market. The study revealed that compared to their APAC counterparts; Indian marketers are receiving lesser support from channel and sales teams for increasing digital spends. However they are doing better as compared to 2014 suggesting that departments that have a customer interface are realizing the importance of digital marketing in augmenting their efforts.

Impact of technology growth on traditional marketing - Due to technologies advancement at an exponential rate, the marketing paradigm has shifted to newer more customer and content centric approaches being delivered on the digital platform. Traditional marketing like advertising, public relations, branding and corporate communications, lead generation etc. broadly relies on television, radio, telephone, and print media and telephone as a delivery medium. Contrary to that modern marketing techniques leverage the power of Internet and social media to reach to a more targeted set of audience. Modern marketing techniques provide cost effective marketing platform with ability to reach millions of customers in a very short span of time. Businesses which invest heavily on only on digital marketing as their marketing delivery tool, can substantially hurt their overall marketing success. For success of any marketing campaign it should fully harness the capabilities of various marketing techniques available within both the traditional and modern marketing. Activities like push marketing, lead generation, launch events and trade shows, television and print media can be used to integrate with social computing, customized content and control budget etc. to effectively reach the identified market segments and convert them into paying consumers. With the rise of social media, changing business landscapes, and introduction of more educated customers, the businesses need to rethink about their marketing strategies and lay out a multi-channel marketing plan that carefully lays out an optimal mix of both the modern and traditional techniques best suited for the business.

Reasons for failure of digital marketing in startups - Probable reasons for failure of digital marketing in startups are as follows: Measuring the Cost per Acquisition: A large percent of business owners fail to define key metrics and don't put relevant structure including using relevant tools to measure the progress of their digital marketing campaigns. Entire focus of measurability is on increasing

reach in terms of views and visitors. While reach is necessary but it's not sufficient. Imagine if your website receives more than double the traffic of your competitors but if your website conversions are less than half of your competitors - you would still be having lower returns than your competitors. In addition to pay attention to increasing your website reach, pay attention to the entire customer funnel so as to meet your ultimate objectives is the key to success in leveraging digital media. Believe that Digital Marketing belongs to Technology Department: A large number of startup founders don't believe that digital marketing is a marketing function. But they treat it as a technology piece. Although digital marketing leverages technology for reasons such as measurability or scaling up, it's still a marketing function. Expecting from technical team to create success of digital marketing is an obvious recipe for failure. This problem is not limited to startups even large corporations are also the victims of such treatment of digital marketing. Think that outsourcing is the solution: Assuming that outsourcing will take care of end-to-end execution is one of the reasons for high failure rate of agency-client relationships. This problem is bigger with the large corporation which is using outsourcing. By educating clients about the appropriate approach to leverage digital helps them restructure their thinking and processes related to digital marketing. Hired a Digital Marketing professional on your ignorance: Hiring one or more digital marketing professionals without having clarity on overall digital marketing strategy is almost similar to outsourcing digital marketing responsibility to an external agency. Whether startups or marketing professionals they have to realize that they have an important role to play in creating digital marketing strategy, whether they want to work with an external agency or build an in-house team. Doing Social Media because everyone else is doing: Like in other business functions, our decisions in digital marketing are largely influenced by what others are doing or what's popular at present. Just because Social Media is the talk of the town is not a sufficient reason for a startup to invest in it. The choice of a digital media platform should be based on business objective and target audience rather on the popularity of a medium. Social Media may be useful for brand promotion for a large organization while Search Engine Marketing may be more appropriate for a startup if lead generation is the primary objective. Expect overnight Success: Influenced by mind-blowing statistics associated with digital media platforms and by ever growing number of online businesses, every organization who embarks upon the journey of digital marketing believes that it's a magical wand, which will solve their sales & marketing objectives overnight. Although digital media is a powerful weapon to accelerate business growth, a sustainable success in digital marketing normally takes few months if not more and this journey to success would have involved few failures. Digital Marketing avenues such as Search Engine Optimization (SEO) require couple of months before a business can see good results. Expecting quick results normally leads to giving up on the not-so-visible but real progress campaigns, which would have produced desired goals if given the time it requires. Underestimate the importance of Content: Digital marketing campaigns rely mainly on regular flow of high quality, relevant content, the requirement for which is highly underestimated by a large percentage of small businesses. When faced with scarcity of content, either these businesses end up compromising on the quality of the content or end up giving up their digital marketing campaigns.

Commandments of Digital Marketing - Consider Digital strategy as a part of Brand Strategy: Generally for brands, digital strategies are created in a complete vacuum from the overall brand strategy, or worse, no digital strategy is crafted at all. Since digital is the glue that ties the entirety of a marketing plan and tactics together, anything that happens online needs to ladder up to the higher objectives of the brand. An effective digital strategy is typically composed of a group of sub strategies to effectively plan and account for owned, earned, shared, and paid assets. Innovating the Brands: Majority of brands have some form of goal around innovation. And that's important because innovations drive the business forward But innovation mean better not new. Your strategy should help you select your tactics, not the other way around. If you are seeking to use a tool or platform because you think it is innovative, and can't identify how or why it works for your audience, you're worshipping the shiny object and are destined to fail. Put Interest of the Consumer First than their Own: Too often marketers approach digital from the mindset of their own (or their brand) objectives. Users crave value, utility, and having their needs met. This is especially true online where fractions of a second can make or break a potential engagement. Instead of focusing on your needs, try and determine what your users want and how you can insert your brand or your content into their lives in a way that makes sense. Don't imitate your competitors: Just because your competitor is doing something doesn't mean you should too. Acknowledge the Importance of Smart Phone and Tablet: Usage of mobile phone and tablet has increased extensively. About 85% of HCP's are using a tablet in their practice and 1 in 3 people in the US now own a tablet as well. Increasing use of smart phones means your brand had better be ready to provide mobile optimized content, tools, and resources for your users. Understand the Difference between Metrics and Analysis: There is difference between metrics and analysis. Metrics are just data. Metrics are just numbers. Analysis tells you what to do next. A common misunderstanding is that they are one and the same. Google analytics may be free, but can't give you any insight into what the numbers mean or where to go from here. Too often marketers collect (or simply ignore) data and give no thought (or budget) into understanding it. The digital medium allows you to be nimble and react to your users with far greater speed and efficiency. Maintain

healthy relationship with stakeholders: Treat your employees, suppliers & distributors etc. accordingly so that they feel as a partner. Healthy company – client relationships are a true partnership where everyone feels comfortable bringing ideas and co-authoring success. Treat your organization people fairly and with respect and they'll bring results for you. With their help if you succeed, tell them. When they screw up, do the same. Share your content with those who need it: Use wants to use contents as per their convenience when and where they want. You should take it positively if they decide to copy, share, link, or tweet it elsewhere. Your contents should be sharable and videos should be post able. Because your customers are true amplifier for your brand than anyone else.

Conclusion - Digital marketing has increased in last a few years in India. People have different views about it. But the fact is this digital marketing has tremendous potential to increase in sales provided businesses should have knowledge to implement it in right way. Benefits like increased brand recognition and better brand loyalty can be gained by effective digital media plan. Digital marketing campaign help in reduction in costs, boost in inbound traffic and better ranking in search engines.

References :-

1. TS, Anoop (Dec. 01, 2014). Digital marketing communication "mix". www.linkedin.com/20141201185 400-100431809-digitalmark.
2. Murthy, Srinivas (Jan. 06, 2016). Always keep your customers close and your loyalist closer. articles. economictimes.indiatimes.com > collections > digital marketing.
3. Chathurvedula, Sadhana (Dec. 16, 2015). Indian ecommerce sales to reach $55 billion by 2018. www.livemint.com > customer > research.
4. Bailay, Rasul & Anand Shambhavi (April 11, 2016). Japan's Rakuten opens office in Bangaluru; poaches mid-level managers from Flipkart, Amazon. Economic times bureau.
5. Why digital marketing is on rise in India? Let's talk numbers. dsim.in/blog/ why-digital- marketing-is-on-risein-India-lets-talk-numbers. Feb. 18 2014.
6. Daniel, Anand (June 10, 2015). Rise of Indian market places, and what the future hold. yourstory.com/2015/ 06/ rise-Indian-marketplaces.
7. Why digital marketing is the need of hour-CSDM Raipur. csdm.in/digital-marketing-need-hour/Feb.20, 2014.
8. India overtakes Japan to become world's third largest internet population. www.dnaindia.com/ August 22, 2013.
9. Articles about digital marketing-Times of India EconomicTimes. articles.economictimes.indiatimes. com > collection
10. Indian companies using digital marketing for competitive advantages. gadgets.ndtv.com > Internet > Internet news. Nov. 2014

****

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807,
E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Jan. to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XIX

Labour Legislation in India - A Historical Study

Dr. Shishir Shukla* Sanjay Payasi**

Abstract - Indian Work Enactments owe its reality to the English Raj. The greater part of the work enactments was ordered before India's autonomy. The post-autonomy order of significant enactments in the space of worker security and government assistance gets their starting point mostly from the vision of autonomous India's chiefs and somewhat from the arrangements in the Indian Constitution and worldwide shows like the Global Work Association (ILO). The work enactments were additionally ordered remembering the worldwide guidelines on Common freedoms and Joined Countries Conventions.

Introduction - Starting times of dominion depended on misuse of the laborer class. With the rise of ILO at a worldwide level and with the insensitive treatment allotted to workers being supplanted with a viewpoint of respect of work, the entire situation of work enactments started in pre autonomy India. After autonomy enactments identified with laborer government assistance like Fortunate Asset Act, Worker State Protection Act, Installment of Reward Act and Installment of Tip Act were authorized determined to give security and retirement advantages to workers.

Throughout some undefined time frame a few changes have been made to the current work enactments according to the requirements of the business. The valid example is the furthest down the line change to the Industrial facility Act whereby lady's specialist is permitted to work somewhere in the range of 7pm and 6am. Such alterations have been done get-togethers affiliations like NASSCOM and ASSOCHAM suggestions to the work service. Presently BPO and IT area which utilizes a huge lady's labor force during its nightshifts benefits enormously from this correction to the Processing plant Act.

History of Labour laws: Work law emerged because of the requests of laborers for better conditions, the option to coordinate, and the synchronous requests of bosses to confine the forces of laborers in numerous associations and to keep work costs low. Managers' expenses can increment because of laborers sorting out to win higher wages, or by laws forcing exorbitant necessities, for example, wellbeing and security or equivalent freedoms conditions. Laborers' associations, for example, worker's organizations, can likewise rise above absolutely mechanical questions, and gain political force - which a few businesses might go against. The condition of work law at any one time is consequently both the result of, and a segment of, battles between various interests in the public eye. Global Work Association (ILO) was one of the main associations to manage work issues. The ILO was set up as an organization of the Alliance of Countries following the Arrangement of Versailles, which finished The Second Great War. Post-war reproduction and the assurance of worker's organizations involved the consideration of numerous countries during and following The Second Great War. in Extraordinary England, the Whitley.

Commission, a subcommittee of the Reproduction Commission, suggested in its July 1918 Last Report that "modern boards" be set up all through the world. The English Work Gathering had given its own reproduction program in the report named Work and the New Friendly Request. In February 1918, the third Between Associated Work and Communist Meeting (addressing delegates from Extraordinary England, France, Belgium and Italy) gave its report, pushing a worldwide work rights body, a finish to secret tact, and different objectives. Also, in December 1918, the American League of Work (AFL) gave its own unmistakably objective report, which required the accomplishment of various gradual enhancements by means of the aggregate haggling measure. As the conflict attracted to a nearby, two contending dreams for the post-war world arose. The initially was offered by the Worldwide Alliance of Worker's guilds (IFTU), which required a gathering in Berne in July 1919. The Berne meeting would consider both the eventual fate of the IFTU and the different recommendations which had been made in the past couple of years. The IFTU likewise proposed including delegates from the Focal Forces as equivalents. Samuel Gompers, leader of the AFL, boycotted the gathering, needing the Focal Forces delegates in a compliant job as an affirmation of blame for their nations' job in the achieving war. All things being equal, Gompers supported a gathering in Paris which would just think about President Woodrow Wilson's Fourteen Focuses as a stage. Notwithstanding the American blacklist, the Berne meeting went on as booked.

*Associate Professor, Vidhik Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA
** Associate Professor, Anand Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

In its last report, the Berne Gathering requested a finish to wage work and the foundation of communism. Assuming these closures couldn't be quickly accomplished, a worldwide body joined to the Association of Countries ought to institute and uphold enactment to secure specialists and worker's organizations. The English proposed setting up a global parliament to institute work laws which every individual from the Group would be needed to execute. Every country would have two agents to the parliament, one each from work and the executives. A global work office would gather measurements on work issues and authorize the new worldwide laws. Logically went against to the idea of a between public parliament and persuaded that global guideline would bring down the couple of insurances accomplished in the US, Gompers suggested that the worldwide work body be approved uniquely to make proposals, and that authorization be surrendered to the Class of Countries. Notwithstanding vivacious resistance from the English, the American proposition was received. The Americans made 10 propositions. Three were embraced without change: That work ought not to be treated as an item; that all laborers reserved the privilege to compensation adequate to live on; and those ladies ought to get equivalent compensation for equivalent work.

A proposed prohibition on the global shipment of products made by kids younger than 16 was changed to boycott merchandise made by youngsters younger than 14. A proposition to require an eight-hour work day was altered to require the eight-hour work day or the 40-hour work week (an exemption was made for nations where efficiency was low). Four other American propositions were dismissed. In the interim, global representatives proposed three extra provisos, which were received: at least one day for week-by-week rest; equity of laws for unfamiliar specialists; and customary and regular review of processing plant conditions. The Commission gave its last report on 4 Walk 1919, and the Harmony Gathering embraced it without alteration on 11 April. The report turned out to be Part XIII of the Settlement of Versailles. (The Settlement of Versailles was one of the ceasefires toward the finish of The Second Great War. It finished the condition of battle among Germany and the Associated Forces. It was endorsed on 28 June 1919.) The main yearly meeting (alluded to as the Worldwide Work Gathering, or ILC) started on 29th October 1919 in Washington DC and received the initial six Global Work Shows, which managed long stretches of work in industry, joblessness, maternity security, night work for ladies, least age and night work for youthful per-children in industry. The unmistakable French communist Albert Thomas turned into its first Chief General. The ILO turned into an individual from the Assembled Countries framework after the downfall of the Group in 1946.

Purpose of Labour legislation: Work enactment that is adjusted to the financial and social difficulties of the cutting edge universe of work satisfies three urgent jobs it builds up a general set of laws that works with useful individual and aggregate business connections, and subsequently a useful economy; by giving a system inside which managers, laborers and their delegates can cooperate concerning business related issues, it fills in as a significant vehicle for accomplishing agreeable mechanical relations dependent on work-place popular government; it gives a reasonable and consistent update and assurance of major standards and rights at work which have gotten expansive social acknowledgment and sets up the cycles through which these standards and rights can be executed and upheld. However, experience shows that work enactment can possibly satisfies these capacities adequately in case it is receptive to the conditions on the work market and the requirements of the gatherings in question. The most effective method of guaranteeing that these conditions and needs are considered completely is if those concerned are firmly associated with the plan of the enactment through cycles of social exchanges. The association of partners in this manner is critical in fostering a wide premise of help for work enactment and in working with its application inside and past the formal organized areas of the economy.

Evolution of Labour legislation in India: Labour legislation in India has a background marked by more than 125 years. Starting with the Student Act, passed in 1850, to empower kids rose in halfway houses to discover business when they grow up, a few work laws covering all parts of mechanical work have been passed. The work laws control not just the states of work of modern foundations, yet additionally mechanical relations, installment of wages, enlistment of worker's organizations, accreditation of standing requests, and so on Furthermore, they give government managed retirement measures to laborers. They characterize legitimate rights and commitments of workers and managers and furthermore give rules to their relationship.

In India, all laws radiate from the Constitution of India. Under the Constitution, work is a simultaneous subject, i.e., both the Focal and State governments can institute work enactment, with the condition that the State assembly can't sanction a law which is disgusting to the Focal law. A good guess puts the absolute number of authorizations in India to be around 160.

The Student Demonstration of 1850 was trailed by the Plants Demonstration of 1881 and the main State act was the Bombay Exchange Debates (and Pacification) Act, 1934, trailed by the Bombay Modern Questions Act, 1938, which was changed during the conflict years. This was supplanted by the BIR Act, 1946. The Focal Government as of now presented the Modern Business (Standing Requests) Act, 1946. In 1947, the public authority supplanted the Exchange Questions Act with the Modern Debates Act, which was subsequently altered.

This law is the primary instrument for government mediation in modern debates. After Autonomy, numerous laws concerning government backed retirement and guideline of work business were instituted, for example,

the ESI Act, 1948, EPF and Incidental Arrangements Act, 1952, Installment of Tip Act, 1972, Equivalent Compensation Act, 1976.

Types of Labour Legislation in India:

1. Protective and employmentlegislation
2. Social security legislation
3. Regulatory legislation.
4. A list of Labour Legislation in India: Legislation Related to Industrial Relations:
5. The Trade Union Act, 1926 and the Trade Union Amendment Act, 2011
6. The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 The Industrial Disputes Act, 1947.
7. Legislation Pertaining to Wages:The Payment of Wages Act, 1936 and The Payment of Wages (Amendment) Act, 2005
8. The Minimum Wages Act, 1948 The Payment of Bonus Act, 1965 The Equal Remuneration Act, 1976

Legislation Pertaining to Women and Children:

1. TheMaternityBenefitAct,1961 The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
2. Legislation Pertaining to Social Security:
3. The Workmen's Compensation Act, 1923 and the Workmen's Compensation (Amendment) Act, 2000.The Employees State Insurance Act, 1948
4. The Employees" provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and The Employees" Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1996.
5. The Payment of Gratuity Act, 1972theUnorganized Workers Social Security Act, 2008.

Conclusion - Contemplating work law in India expects us to think not just about the use of resource of legitimate or administrative shows overseeing work in a specific culture. It additionally requires contemplating what 'work law' may mean in differing financial and social settings. In specific regards Indian work law is similar as the work law of created modern social orders. It has broad enactment accommodating least norms of business, government managed retirement, word related wellbeing and security, etc. Its work law sanctions worker's organizations and their exercises, and gives a structure to the settlement of mechanical debates. It sanctions mechanical activity in quest for aggregate interests. However, as we have seen, officially the work law of India covers just a tiny level of the Indian labor force, and even among that accomplice the law's application by and by is careless no doubt. Neither one nor the other chief objects of the work law framework recognized in this paper seems to have been met practically speaking. To all expectations and purposes then, at that point, this is a non-working framework.

References:-

1. P. Garibaldi, A.V. Jose and K.R. Shyam Sundar, Labour Regulation, Labour Flexibility and Labour Reforms in Europe: Some Perspectives with Possible Lessons for India, Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, 2008.
2. Government of India, Economic Survey, Ministry of Finance, New Delhi, 2006 and 2009.
3. G. M. Kothari and A. G. Kothari, A Study of Industrial Law, Vols. 1 and 2, N. M. Tripathi Private Limited, Bombay, 4thedition, 1987.
4. Labour Bureau, India Labour Year Book, Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi, 2004.
5. S. Malik, P. L. Malik's Industrial Law, Vols. I and II, Eastern Book Co., Lucknow, 23rdedition, 2011.
6. S. Mathur, Labour Policy and Industrial Relations in India, Ram Prasad and Sons, Agra, 1968.
7. S. Mishra, Modern Labour Laws and Industrial Relations, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1992.
8. S.N. Mishra, Labour and Industrial Laws, Central Law Publications, Allahabad, 26th edition, 2011.

****

राजस्थान का विलुप्त दुर्ग खण्डार

श्रीमती उर्मिला मीना *

प्रस्तावना – मध्यकालीन समय से सवाई माधोपुर के खण्डार क्षेत्र में तारागढ़ का दुर्ग स्थित है जिसको खण्डार का किला कहा जाता है। यह सवाई माधोपुर के पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला 12वीं शताब्दी के लगभग अपने वैभव में स्थित था। इस दुर्ग पर शत्रु सेना का आक्रमण करना कठिन है इसी प्रकार इसे दुर्ग की संज्ञा दी जाती हैं।

ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि मेवाड़ के सिसोदिया शासकों का इस दुर्ग पर अधिकार रहा था। राणा सांगा की एक रानी का नाम कर्मवती था वह बूंदी की थी। कर्मवती रानी ने रणथम्भौर के कुछ क्षेत्र खण्डार की जागीर को अपने पुत्रों के लिए प्राप्त कर ली थी। बूंदी नरेश सुर्जन हाड़ा को दुर्ग का रक्षक बनाया था सुर्जन हाड़ा रानी कर्मवती का भाई था।

राणा सांगा एवं बावर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। पहले राणा सांगा ने तारागढ़ दुर्ग की सैनिक व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया। इसके बाद क्रमशः रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने और बूंदी के शासक मेवाड़ के अधीन रहकर इस दुर्ग के रक्षक रहे थे।

अकबर ने 10 फरवरी 1559 ई सन् को रणथम्भौर पर आक्रमण किया था। 22 मार्च को आमेर के भगन्त दास और मानसिंह के माध्यम से संधिका प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें इस प्रस्ताव के द्वारा सुर्जन हाड़ा ने रणथम्भौर के साथ ही खण्डार को भी अकबर के अधीन कर दिया था। अकबर ने रणथम्भौर को जिला बना दिया। अनीसउद्दीन मिहतर खाँ को रणथम्भौर का दुर्गाध्यक्ष बनाया।

अकबर कल्याणपुरी के शासक गोपाल सिंह की सेवाओं से बहुत खुश था और उसे पुरस्कार देना चाहता था अतः गोपाल सिंह के राज्य की सीमा उटगिरि से मिली हुई थी अतः अकबर ने खण्डार का दुर्ग पुरस्कार के रूप में गोपाल सिंह को दे दिया था। जिस पर यह पंक्ति सुरक्षित हैं।

'मुख्य राज खण्डार को उटगिरि बन्ध्या जाय।'

औरंगजेब ने रणथम्भौर की जागीर को खालसा कर दी थी अतः यह दुर्ग मुगलों के अधिकार में रहा। पचवेर के शासक अनूप सिंह खंगारोट दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे। इन्ही अनूप सिंह के प्रयासों के कारण दिल्ली के शासक मुगल बादशाह अहमद शाह ने जयपुर के राजा सवाई माधोसिंह प्रथम को रणथम्भौर और खण्डार दोनों की जागीर दे दी।

तारागढ़ दुर्ग जर्जर हो रहा है। यह रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत आता है।

यह दुर्ग भारतीय वास्तु शास्त्र के आदर्शो पर बनाया गया है। इसके भव्य द्वार और भवन बहुत आकर्षिकत है। इसके बुर्जे बहुत विशाल है। जो घाघरानुमा परकोटे से जुड़ जाने पर रेलवे को अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। यह दुर्ग एकदम सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निचला हिस्सा ढलान युक्त है। इसका आधार उत्तर पश्चिम तथा शीर्ष दक्षिण पूर्व की ओर है। इस दुर्ग का आकार त्रिभुजाकार है। इस दुर्ग की समुद्र तल से उँचाई 500 मीटर है। भूतल से 260 मीटर उँचा है। इसकी लम्बाई डेढ़ कि.मी. व चौड़ाई आधा कि.मी. तक है। इस दुर्ग का क्षेत्रफल 2 कि.मी. से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। दुर्ग का निर्माण सैन्य कौशल से किया गया हैं।

दुर्ग का रास्ता दायें बायें, धूमता–धूमता है। अनगढ पत्थरों से यह निर्मित है। खण्डार स्थित तारागढ़ दुर्ग कभी तो धूल उड़ाते घोड़ों से तो कभी हाथियों से गूंजता रहता था लेकिन यह आज अपेक्षित स्थिति में हैं।

इस दुर्ग के मध्य भाग में शिला पर एक लेख अंकित किया गयाहै। यह खण्डित व जर्जर हो चुका है लेकिन संम्भतया बाई ओर कुछ जैन तीर्थकरों की प्रतिमायें उत्कीर्ण की गयी है। ये प्रतिमायें लम्भी कतार में चट्टानों पर उत्कीर्ण की गयी है। जिनका समय लगभग 1230, 1527 व 1568 तक का माना गया है। इन प्रतिमाओं का शिल्प व सौन्दर्य दर्शनीय माना जाता हैं।

दुर्ग के ठीक ऊपर पहुँचने पर बायें ओर एक सादगी पूर्ण बरामदा स्थित है। यह बरामदा स्तम्भों के सहारे टीका हुआ है। इसमें चारों और से ठण्डी हवा का आगमन होता है। इस जगह से कस्बे में होने वाली हलचल, सूचना आदि सहज ही मिल जाती है। इस बरामदें में नीचे की तरफ लाल पत्थर से तराश कर एक हाथी की आकृति शिल्पकार की अनुपम कृति है। यह हाथी की आकृति एक पत्थर को तराश कर बनाई गयी है। यह द्वार के एक ओर बनाई गयी है। इसी कारण इस द्वार को 'हाथी पोल' कहा जाता है। वर्तमान में यह आकृति इस स्थान से हटा दी गयी हैं।

इस दुर्ग के अन्दर तक जाने के लिए प्रवेश द्वार तक पहुँचने के लिए दांयी ओर घूमकर चढ़ाई करनी होती है। इसी जगह पर एक लेख अंकित है। इसमें ऊपर गणेश प्रतिमा आसीन की की गयी है। यहीं पर सुरक्षा प्रहरियों के आवास बने हुये है। यही से रास्ता धनुषाकार में दांयी ओर घूम जाता है। इसी रास्ते में आगे की ओर एक पगडण्डी प्राचीर के पास होकर जाती हैं।

इस दुर्ग में पहाड़ी चट्टानों में उत्कीर्ण की गयी बांयी ओर से दांयी कुछ जैन प्रतिमायें हैं।

जिनमें महावीर स्वामी की प्रतिमा पदमासन में स्थित है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा आदमकद स्थिति में खडी है। ऋषभदेव जी व शान्ति नाथ, भगवान की ध्यान मग्न स्थिति में पदमासन प्रतिमायें है। ये प्रतिमायें बहुत अधिक अद्भूत और आकर्षित करने वाली है। इस प्रतिमाओं के बीच की दीवार में संवत् 1741 का आलेख अंकित किया गया है। इनका स्थान निरापद है। ये प्रतिमायें शिल्प और सौन्दर्य का मणि कांचन संयोग है। अब आगे चलकर

* सहायक आचार्य (इतिहास) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

दूसरे द्वार को पार करने के बाद बांई ओर स्थित है:– विशाल हनुमान प्रतिमा।

इस दुर्ग में एक छोटा मन्दिर गृह है जिसमें विशाल हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। इस प्रतिमा में पैरों के बीचे असुर शक्ति का संहार दिखाया गया है। ये पूरी हनुमान जी की प्रतिमा एक ही पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। थोड़ा आगे चलो तो तीसरा ओर अन्तिम द्वार आता है। यहाँ पर पूर्व और पश्चिम की ओर सघन कटीली झाड़ियों और वृक्षों की हरियाली से होकर एक पगडण्डी जाती है। उसी पगडण्डी से आगे जाना पड़ता हैं।

इस दुर्ग का अन्तिम द्वार बुर्ज दरवाजा कहलाता है। इस द्वार से बांई तरफ चलकर पश्चिमी छोर तक पहुँचा जाता है। यहाँ पर सैनिक सामग्री के विपुल भण्डार है। यह क्षेत्र सैन्य गतिविधियों के संचालन का केन्द्र रहा है। यहाँ प्राचीर के सहारे 6 फीट चौड़ी समान्तर दीवारें बनी है। इस दीवार से युद्ध सामग्री पहुँचाने में मदद मिलती है। इस प्राचीर में जगह जगह पर भारी व हल्की तोंपे रखने के स्थान बनाये गये है। यहां पर आगे बढ़ने पर ही सरोवर बने हुये है।
जिनका नाम है:– क्रमश: सतीकुण्ड को 'सतकुण्डा' कहा जाता है। सतीकुड के पास जीर्ण शीर्ण अवस्था में शाही मस्जिद के अवशेष मिले है।

इस कुण्ड में भी अक्षय जल भरा रहता है। लक्ष्मण कुण्ड को 'जल सागर' कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इनके अतीत को स्मरण किये बिना नहीं रहता है। इनके चारों ओर सुदृढ़ दीवारें, पक्की सीढियाँ व घाट बने हुए है। यह श्रेष्ठतम जगह है। इस मन्दिर से देखने पर उतर दक्षिणी के विशाल प्रसादों को देखा जा सकता है।

लक्ष्मण मन्दिर से खड़े होकर हम दक्षिणी उत्तर की ओर जाने पर विशाल प्रसादों को देख सकते है। इन प्रसादों को हवामहल कहते है। ये हवामहल ऊँचे भूभाग पर स्थापित है किये गये है। इस हवामहल के दक्षिणी प्राचीर नीचे की ओर रह जाते है। यह विशाल बरामदा दो भागों में बटा हुआ है जो कि स्तम्भों और महरावों पर टीका हुआ है। इसके दोनों ओर कमरे बने हुए है। इस हवामहल में शीतल पवन का बेग इतना तीव्र होता है कि यहाँ पर मिट्टी तक नहीं ठहर पाती है। इस महल से जहाँ तक निगाह जाती है वहां तक हरे–भरे खेत खलियान और वहाँ बसी हुई बस्तियाँ दिखाई देती हैं।

यहीं पर गिलाई सागर बांध है। यह लैण्ड स्केप का दृश्य प्रस्तुत करते है। यहीं पर बांयी और सात बड़ें महल है जो एक दूसरे को आपसे में जोड़े हुए है इन्ही बरामदों के सामने आयताकार चौक व चार दीवारियाँ बनी हुई है। ये सभी बरामदें राबदार स्तम्भों पर खड़े हुए है।

हवामहल के बायीं ओर एक विशाल सुदृढ़ बुर्ज है जिस पर नामी शारदा तोप रखी हुई थी, जिसकी मारक क्षमता 25 कि.मी. दूर तक थी। यह तोप धातु से निर्मित थी जिसका दबदबा दूर–दूर तक विख्यात था।

हवामहल के बायीं ओर एक विशाल सुदृढ़ बुर्ज भी बना हुआ है। इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए ढलान नूमा रफ्ट बनी हुई है। यहां से पश्चिम की सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा सकता था। आज भी ये बुर्जे शत्रु से लोहा लेने लिए तत्पर है। शारदा तोप भी इसी बुर्ज पर रखी गयी थी। ऐसा लगता है कि समस्त युद्ध की सामग्री व सैना की तैयारियाँ यहीं से सम्पन्न की जाती थी।

सती व लक्ष्मण कुण्डों को पार करने के बाद आगे की ओर उँचे शिखर वाला चतुर्भज मन्दिर दूर से ही दिखाई देता है। शिखर के मध्य भाग अथवा मेंडोवर के नीचे नरथर, सिंहथर, अश्वथर, गजथर और ग्रास पट्टिका लाल पत्थर के शिल्प का एक बजोड़ नमूना है। यह मन्दिर उत्तराभियुख बना हुआ है जो कि एक उँचे प्लेट फार्म पर स्थित है। इसके पूर्व व पश्चिम में सीढ़ियाँ बनी है। बाहर की ओर आयताकार खुला हुआ भाग है। इसका सभागार वबहुत ही आकृर्षक दिखाई देता है। यह सभागार स्तम्भों के सहारे पर बना हुआ है। इसके गर्भग्रह की छत सुन्दर कमल दल से आवृत है। मन्दिर के पूर्वी गवाक्षों से रानी महल एवं राजप्रसादों को आसानी से देखा जा सकता है। मन्दिर के पास में उत्तर की ओर 'झिरी कुण्ड' स्थित है। यह झिरी कुण्ड लम्बाकार रूप में बना हुआ है। इस दुर्ग में कोई भी मन्दिर स्थापत्थ की दृष्टि से चतुर्भुज मन्दिर से अधिक सुन्दर नही है। इस मन्दिर की प्रतिमाओं को वर्तमान में मालियों के मन्दिर में खण्डार कस्बे के चौबों पर स्थापित की गई हैं।

गोविन्द देव जी का मन्दिर झिरीकुण्ड के ऊपर स्थिति है। यह अलग शिखर वाला लाल पत्थर से निर्मित किया गया है। इस मन्दिर के पास में ही जगत पाल जी का मन्दिर बना हुआ है जो कि गुम्बदाकार में बना हुआ है। गोविन्द देव जी के मन्दिर की प्रतिमा नरसिंह जी के मन्दिर में स्थापित की गई हैं।

दुर्ग में स्थित चतुर्भज मन्दिर के पूर्व की ओर रानी महल बना हुआ है। यह महल दुर्ग के सर्वोच्च शिखर पर बना हुआ है। यह दो मेंजिला है एवं आकर्षण का केन्द्र है। यह रानी महल पश्चिमाभिमुख है एवं आकर्षण का केन्द्र है। महल का द्वार लाल पत्थर से बनाया गया हैं। इसको कटावदार महरावों से सुन्दरता दी गई है। इसमें अन्दर दाहिनी और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। सीढ़ियों में ऊपर की ओर स्नान गृह बनाये गये है। इसमें सामने बरामदा बनाया गया है। यहीं पर बरामदें से जुड़ा हुआ आयताकार कमरा है। इसमें पश्चिम मुखी गवाक्ष है। इसमें टोड़ों पर सुन्दर नक्काशी दर्शनीय है। दीवारें बहुत ऊँचे है। अन्दर की ओर भवनों के पास, चौक, कमरें, तिबारे और खुली छते इसकी विशेषता हैं।

इस दुर्ग में रानी महल के सामने उत्तर दिशा की ओर रानी कुण्ड बना हुआ है। इस कुण्ड की चार दीवारी पर्याप्त ऊँचे है। इस रानी कुण्ड के चारों ओर पक्का पर्श बना हुआ है। स्नान करने के लिए पक्के घाट बनाये गये है। इसमें नीचे तक ऊतरने के लिए सीढ़ियाँ बनायी गई है। इसमें महिलाओं के स्वछन्द जल बिहार के लिए आनन्ददायक स्थान बनाये गये है। इस कुण्ड का वैभव आज भी जैसे के जैसे ही बना हुआ हैं।

दुर्ग में रानी महल के दाहिनी और घूमकर 'कुमुन्दगी ताल' आता है। यह कुमुन्दगी ताल 'तलैयाकार' का है। इसमें कुमुदनी विकसित होती थी।

दुर्ग में स्थिति बाण कुण्ड के बारे में बताया जाता है कि सात चारपाईयों का बना हुआ बान (रस्सी) भी इसकी गहराई को मापने में पर्याप्त नहीं थी।

दुर्ग में स्थित रानी महल के पीछे एवं बाणकुण्ड के उपर भू–भाग के उपर तीन मेंजिला राजमहल बनाया गया है। यह राजमहल अत्यन्त सादगी पूर्ण बनाया गया है। इसके बरामदें, चौक, कमरें, आज भी सुरक्षित स्थिति में है। यह तीन मेंजिका भवन इतनी ऊॅंचाई पर है कि यहाँ से पूरे दुर्ग को आसानी से देखा जा सकता हैं।

जयन्ती माता रण बाँकुरों की शक्ति और शौर्य की प्रतीक है। दुर्ग के दक्षिणी–पूर्वी में प्राचीर के सहारे कोने में जयनती माता मन्दिर है। यह मन्दिर मेंडाकार रूप में स्थित है। यहाँ वर्षभर पूजा अर्चना होती रहती है। यहाँ नवरात्रों में विशेष उपासना की जाती है। इसके पश्चिमी में एक गुप्त रास्ता है जो संकटकालीन समय में काम लिया जाता है। जयन्ती माता की मूल प्रतिमा आजकल शेरसिंह जी के बार में स्थापित की गयी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता हैं।

इस दुर्ग के पश्चिमी उत्तर में निगरानी चौंकी के पास एक खिड़की दरवाजा है। इसके नीचे उतरकर 'नृसिंह धार' नामक स्थान पर पहुँच जाते है। यह स्थान पूर्ण रूप से प्रकृति के हाथों संवारा गया है। यह अव्यन्त रमणीय

एवं सुरम्भ स्थान है। यहां पर सालभर झिरी कुण्ड का पानी चट्टानों से रिसता रहता है। यहां पर सबसे प्राचीन हनुमान मन्दिर स्थित हैं।

इस दुर्ग में छतरियाँ शाही मस्जिद, घनी बस्तियाँ आदि के अवशेष चारों ओर फैले पड़े है। जब तक जयपुर राज्य का राजस्थान में विलय नहीं हुआ था तब तक इस दुर्ग की आन बान शान बरकरार बनी रही थी किन्तु वर्तमान में सब काल के गाल में समा गये है। वर्तमान समय में खण्डार दुर्ग में शेष रहे है खण्डित हो चुके सुदृढ़ प्राचीर, महल, कुण्ड, मन्दिर और भवन आदि स्थित है वैसे हम अतीत की झांकी में देखे तो इस दुर्ग का गौरव राजस्थान के अन्य दुर्गो से कम नहीं आंका जा सकता हैं।

खण्डार कस्बे में एक अष्टकोणीय प्लेटफार्म पर भू तल से 12 फीट की ऊॅंचाई पर यह छतरी बनी हुई है। यह छतरी 16 खम्बों पर टीकी हुई है। यह चारों ओर से चार दीवारी से सुरक्षित किया गया है। इस जगह पर वर्तमान में खण्डार ग्राम पंचायत उद्यान विकसित कर रहा है। यह स्मारक लक्खी बंजारे की स्मृति में बनाया गया है। यह छतरी बनजारे की करूण कथा, मूकखड़ी, स्वामी और सेवक के उत्सर्ग की गाथा की याद दिलाती है। छतरी के बायी ओर एक भव्य बावड़ी स्थिति है। इसके दोनों ओर छतरियाँ बनी है। यह बावड़ी दो खण्डों में विभाजित हैं। छतरी में अन्दर की ओर तिबारे तथा भवन बने हुए है। यह एक सुन्दर कृति है। इसे पश्चाताप की समाधि के नाम से जाना जाता हैं।

खण्डार रणथम्भौर की सीमा पर स्थिति है। खण्डार सवाई माधोपुर से 40 कि.मी. की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76.35 डिग्री पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में बनास नदी पश्चिमी में गालण्डी नदी, दक्षिण में नहरें व तालाब है। यहाँ पर पर्याप्त जल स्त्रोंत होने के कारण पूरा क्षेत्र हरीतिममा से ओत प्रोत है। इसमें 40 प्रतिशत भू-भाग पर खेती 25 प्रतिशत में घने वन तथा 10 प्रतिशत में पहाड़िया है। यह नैसर्गिक छटा का आकर्षक केन्द्र है। यहाँ पर दुर्ग में बावड़ियाँ, तालाब, नदियाँ, बांध तथा उत्तर की ओर किरीट सी आकृति में दुर्ग आदि स्थित है।

इस दुर्ग को खिलजी एवं लोदी शासकों से भारी क्षति उठानी पड़ी थी। दुर्ग में स्थित बस्ती को सर्वनाथ की पीड़ा उठानी पड़ी थी। कुछ समय बाद यह क्षेत्र खण्डहर में बदल गया। अमन चैन होने पर यहीं दुर्ग सैनिक छावनी के काम आने लगा था।

यहाँ पर दो प्राचीन जैन मन्दिर है बड़ा मन्दिर है जो बाजार के मध्य में है। इसमें संवत् 1661 में स्थापित की गयी आदिनाथ की प्रतिमा समोशरण में स्थापित है। इस मन्दिर का स्वर्ण चित्रांकन विमुग्छकारी है। यहाँ पर स्थित अन्य जैनाचार्यो की प्रतिमाऐं अत्यन्त प्राचीन है। एक ओर जैन मन्दिर दुर्ग की तलहटी में स्थित है। 1841ई सन् में जयपुर नरेश प्रताप सिंह के समय में भट्टारक सुरेन्द्र कीर्ति ने इन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया था।

यहाँ पर स्थित वैष्णव सम्प्रदाय के मन्दिरों में कई मन्दिर है जैसे चतुर्भुजनाथ जी, रघुनाथ जी, नरिसिंह जी, रामकुमार जी व रामलला के मन्दिर है। इन मन्दिरों में कई प्रतिमाऐं तो खण्डार दुर्ग से लाकर स्थापित की गयी हैं।

मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए मस्जिद के साथ यहाँ पर पवित्र ईदगाह भी स्थित है।

सवाई माधोपुर से खण्डार की ओर 32 कि.मी. की दूरी पर पहाड़ी भू-भाग में पगडण्डी मार्ग से 'खटोला' नामक स्थान पर पहुॅंचा जाता है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 40 कि.मी. की ऊॅंचाई पर है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण अत्यन्त सुन्दर दिखाई देता है। यहाँ पर स्थित गोमुख से शिवलिंग पर जलाभिषेक होता रहता है। यही पर पास में ही पंचमुखी हनुमान प्रतिमा स्थित है। यहाँ का धार्मिक, प्राकृतिक ओर मोहक वातावरण पर्यटकों के मन को मोह लेता हैं।

सवाई माधोपुर से पाली जाने वाले रास्ते पर 18 कि.मी. की दूरी पर दक्षिणी दिशा की ओर लगभग 6 कि.मी. पर चम्बल नदी के पास एक चट्टानी भू-भाग पर झरेल का बालाजी एक आकर्षण का केन्द्र है। नदी से यहाँ तक पहुंचने के लिए पुल का सहारा लेना पड़ता है। वर्षा के समय नौवा से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। यहॉ पर अतुल्य जल राशि है। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान हैं।

इस प्रकार प्राचीन भारत का यह महत्वपूर्ण दुर्ग इतिहास के गुमनाप दुर्गो में से एक है। इस दुर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी भी नहीं है। संरक्षण के अभाव में यह दुर्ग अपना वैभव खोता जा रहा है। इस दुर्ग को बचाने और इस पर नवीनतम शोध की अभी भी बहुत संभावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

सवाई माधोपुर दर्शन, डॉ. आर एस राणावत, विवेक विकास प्रकाशक, सवाई माधोपुर

1. वही पृष्ठ 59
2. वहीं पृष्ठ 61
3. वहीं पृष्ठी 62-63
4. वहीं पृष्ठी 64-65
5. वहीं पृष्ठी 66-67
6. वहीं पृष्ठी 68-69
7. वहीं पृष्ठी 70
8. वहीं पृष्ठी 70-71
9. वहीं पृष्ठी 72-73
10. वहीं पृष्ठी 74

****

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Jan. to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XIX

धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म की राजनीति

डॉ. गोपाल सिंह *

प्रस्तावना – भारत राजनीति के जितने विचित्र और बहुरूपी आधार है, उतने सम्भवत: बहुत कम देशों की राजनीति के होगें। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, भ्रष्टाचार आदि कुछ प्रमुख आधार है जो हमारी राजनीति को बहुत कुछ चित्रित करते है और साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। स्वतंत्र भारत में ये आधार जितनी कुरूपता से उभरे है, उसे लोकतांत्रिक अवस्था के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। पराधीनता के समय स्वाधीनता की उत्कृष्ठ आकांक्षा हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए थी, लेकिन स्वाधीन होने के बाद एकता के बंधन शिथिल हो गये और आज हमारी राजनीति तथा सामाजिक नीति धार्मिक पाखण्डों, भाषायी विवादों, क्षेत्रीय भावनाओं, प्रादेशिक अन्तर्विग्रहों और जातीय पक्षपात से बुरी तरह ग्रस्त है। भारतीय राजनीति में इन तत्वों ने जिस विष-वृक्ष को उगा दिया है, उसका उन्मूलन करना ही होगा।

भारत सदा से ही एक धर्म प्रदान देश रहा है। भारत की आत्मा धर्म मं ही बसती है। इसलिए प्राचीन भारत में धर्म राजनीति पर भी छाया रहा। बल्कि राजनीति को भी धर्म ही माना गया। स्वंय राजा और राज्य की शक्तियों पर धर्म का अंकुश रखा गया। परन्तु, प्राचीन भारत में धर्म कभी संकुचित नहीं रहा। धर्म का स्वरूप सदा विशाल रहा। इसलिए प्राचीन भारतीय राज्य धार्मिक होते हुए भी धर्म निरपेक्ष थे। क्योंकि अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में धर्म का प्रयोग उसके विस्तृत अर्थो में ही किया जाता रहा है। उदाहरणार्थ कर्ण सिंह ने लिखा हैं-[1] 'आज के युग मं ऋग्वेद में व्यक्त सिद्धान्त 'एक सद्विप्र' : बहुधा वदन्ति अपनाने की आवश्यकता है। इस सिद्धान्त का अर्थ है कि सभी धर्मो के मार्ग अलग-अलग है, परन्त लक्ष्य एक ही है।' स्पष्ट है कि प्राचीन भाल के राज्य धर्म प्रधान होते हुए भी धर्म-निरपेक्ष थे, क्योंकि धर्म उनके लिए एक जीवन पद्धति था।

आधुनिक युग, धर्म -निरपेक्षता का युग है। आज संसार के सभी सभ्य देश धर्म-निरपेक्ष ही है। ऐसे राज्यों में कोई शासकीय धर्म नही होता। शासन का केवल किसी एक धर्म को आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। शासन की दृष्टि में सभी धर्म समान माने जाते है और सभी धर्मो का आदर होता है। वैंकटरमन के शब्दों में [2]- ऐसा राज्य न धार्मिक होता है और न धर्म-विरोधी। यह धार्मिक क्रियाओं और मत मतान्तरों में परे और इस प्रकार धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता हैं।

डोनाल्ड स्मिथ ने अपनी पुस्तक- 'इंडिया ऐज ए सैक्यूलर स्टेट' में धर्म निरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते हुए कहा है[3]- 'धर्म निरपेक्ष राज्य निजी और सामूहिक रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी देता है। वह व्यक्ति के साथ उसके धर्म का विचार किए बिना, नागरिक के रूप में व्यवहार करता है। संवैधानिक तौर पर वह किसी धर्म से सम्बन्धित नहीं होता। वह न किसी धर्म की वृद्धि की कोशिश करता है और न ही धर्म में हस्तक्षेप करता है।'

भारत विभिन्न धर्मो और सम्प्रदायों का देश है और बहुत प्राचीन काल से ही भारत में विभिनन आस्थाओं के सम्मान की धारणा रही है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अवश्य अंग्रेजों द्वारा 'फूट डालो और शासन करो' की नीति के परिणाम- स्वरूप भारत में साम्प्रदायिकता फैली और यहां तक की भात का विभाजन भी हुआ। परन्तु, भारत के नेताओं ने साम्प्रदायिकता को सदा बु माना और सभी धर्मो के प्रति आदर की भावना को मन से नहीं हटने दिया। अत: संविधान सभा में जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो लगभग सभी सदस्यों ने कहा कि भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए। संविधान सभा में बोलते हुए श्री राजगोपालाचार्य ने कहा[4] - 'जब यह कहा जाता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, तो इसका अर्थ यही है कि राज्य किसी भी धर्म को न तो निरूत्साहित करेगा और न उसका विरोध करेगा। इसका धर्मो और विचारों के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण होगा। ऐसा राज्य इस बात को मानने से इन्कार करता है, कि धर्म राष्ट्रों का निर्माण करते है अथवा राज्य का कोई विशेष धर्म होना चाहिए।'

संविधान सभा में भारत की धर्म निरपेक्षता की व्याख्या करते हुए श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था[5] - 'धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ है धर्म और आत्मा की स्वतंत्रता, जिनका कोई धर्म नही उनके लिए भी स्वतंत्रता, इसका अभिप्राय यह है कि सब धर्मो के लिए स्वतंत्रता।'

भारत के संविधान में समानता के अधिकार के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया कि धर्म के आधार पर भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से लिखा गया- 'सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य को बनाये रखते हुए, सभी व्यक्तियों को अन्त:करण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने तथा उसका अनुसरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार होगा।' इस प्रकार संविधान द्वारा परोक्ष रूप से भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया।

भारत में धर्म विभिन्न कार्यो में राजनीति का आधार बना हुआ है। यदि धर्म केवल व्यक्तिगत विषय हो और केवल मानसिक शान्ति के लिए धर्म का पालन किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म आपस में फूट पैदान करें और विभिन्न धर्मो के अनुयायी आपस में एक दूसरे से बैर रखे तथा एक दूसरे पर अपना राजनीतिक प्रभाव जमाना चाहें तथा अपना अपना पृथक राजनीतिक अस्तिव कायम करना चाहे, तो यह अनुचित और घातक है। भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में धर्म के कुप्रभाव देखने सुनने में आते है। बहुथा यह शिकायत की जाती है कि हिन्दू अधिकारी हिन्दू धर्मावलम्बियों के साथ पक्षपात करते है तो मुस्लिम अधिकारी मुस्लिम

* सह-आचार्य (राजनीति विज्ञान) शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

धर्मावलम्बियों के साथ। कायस्थ कायस्थों को अधिक संरक्षण देते है तो ब्राह्मण को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया, लेकिन संविधान की इस घोषणा का तब तक कोई खास, मतलब नहीं निकल सकता, जब तक लोगों में भी धर्म निरपेक्षता की भावना का प्रचार न हो और प्रकाशन सम्पूर्णतः प्रभाव से मुक्त हो। कोई भी कानून, संविधान या विधेयक निरर्थक है, यदि लोग उसका पालन सही ढंग से नहीं करें।[6]

भारत में धर्म इतना प्रभावशाली तत्व बना हुआ है कि कतिपय राजनीतिक दलों का निर्माण भी वस्तुतः धर्म के आधार पर हुआ है, यद्यपि प्रकटतः वे दल इससे इन्कार करते है। भारतीय जनसंघ पर प्रातः आरोप लगाया जाता है कि वह मुख्य रूप से अपने सांस्कृतिक इकाई के राजनीतिक हितों के लिये ही प्रयत्नशील रहता है। जनसंघ हिन्दू सम्प्रदाय की शक्ति का ही समर्थक है। जनसंघ की बात यदि छोड़ भी दें तो कुछ अन्य दलों के विषय में तो निश्चित रूप यह कहा जा सकता है कि वे धर्मान्धता के प्रभाव में रंगे है। उदाहरणार्थ, द्रविड़ मुनेत्र कषघम मद्रास के अब्राहम्णों का दल है। यह उत्तरी भारत और ब्राह्मणों के प्रभाव का विरोधी है। ब्राह्मण विरोधी, हिन्दू विरोधी, उत्तर विरोधी और आर्य विरोधी अभियानों के संचालक द्रविड़ मुनेत्र कषघम की पृथक द्रविड़स्तान की मांग का समर्थन तमिलनाडू के गैर–ब्राह्मण करते है। पंजाब में अकाली दल सिक्खों के एक वर्ग का राजनीतिक धार्मिक दल है यह दल भाषाई क्षेत्रवाद छद्मवेष में धार्मिक साम्राज्यवाद का ज्वलन्त उदाहरण है। इनके उग्र आन्दोलन और हरियाणा के लोगों के द्वारा की गई पुष्टि के कारण पंजाब दो राज्यों में विभाजित किया जा चुका है। अकाली दल का एक वर्ग आज भी एक स्वायत्त सिक्ख राज्य की मांग का राग अलाप रहा है। हिन्दू महासभा एक अन्य धार्मिक आधार पर संगठित दल है, जिसका उद्देश्य हिन्दू, राष्ट्र, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू राजनीति की स्थापना करना है। यह दल भारत में हिन्दू राज्य स्थापित चाहता है।[7]

धर्म के आधार पर भारत में समय–समय पर राजनीतिक संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते रहे है। 1956 के 1960 के मध्य बम्बई नगर पर नियन्त्रण के लिए मराठी, गुजराती संघर्ष का जो दौर चला वह धार्मिक उग्रवादी राजनीति का ज्वलंत उदाहरण है। भारत के एक सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल पर राजनीति प्रभुसत्ता के लिए हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों में निरन्तर खींचातानी चलती रहती है। भारत में 60 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या हिन्दू है, 20 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या ईसाई है, मुसलमान लगभग 17 प्रतिशत है। हिन्दू सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अछूतों, शैवों, नैयरों और ब्राह्मणों में विभाजित है। साम्यवादी दल ने शैवों को अपने प्रभाव में ले रखा है जबकि ईसाई और नैयर कांग्रेस में मिले हुए है केरल में विधानसभा में कामचलाऊ बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को इन विभिनन धर्मवालम्बियों को अपने पक्ष में करना आवश्यक होता है। धर्म और शिक्षा के प्रश्न केरल में इतने प्रबल है कि इनके आधार पर सरकारों का उत्थान और पतन हो जाना सरल हैं।[8]

संविधान द्वारा भारत का एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका है। हम धर्म निरपेक्ष राज्य की तो स्थापना कर पाये है, किन्तु धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। धार्मिक विभिन्नता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा होते है, और तनावों को बढ़ाने में राजनीतिज्ञ भी पीछे नहीं है। स्वाधीनता के बाद शुरू हुई चुनावों की राजनीति ने धर्म और सम्प्रदाय के नकारात्मक महत्व को उभारा है किसी ने लिखा है कि 'पहले लोग समझते थे कि राजनीतिज्ञ धर्म और सम्प्रदाय का शोषण करते है पर हालत यह हो गई है कि धर्म और सम्प्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे है।' एक तरह से सम्प्रदाय राजनीति दलों के लिए वोट बैंक बन गए है। राजनीतिक शक्ति के रूप में धर्म और सम्प्रदाय का खूब दुरूपयोग हो रहा है।[9]

भारत में साम्प्रदायिकता विभिन्न धर्मो के निहित स्वार्थो के पारस्परिक संघर्ष का ही छद्म अभिव्यक्ति थी। इन निहित स्वार्थो ने अपने इस संघर्ष को साम्प्रदायिक जामा पहना रखा था। विभिन्न सम्प्रदायों के पेशेवर वर्गो की पदों और स्थानों की लड़ाई भी इसी छद्म रूप में लड़ी जाती रही। के.बी. कृष्ण[10] ने अपनी पुस्तक 'दी प्राब्लम ऑफ मिनारिटीज' में लिखा है कि कुछ दूसरे प्रकार के भी संघर्ष थे, जिन्होंने मूलतः आर्थिक होने पर भी साम्प्रदायिक रूप लिया। बंगाल जैसे प्रान्तों में, ऐतिहासिक कारणों से, किसान प्रधान्तः मुसलमान थे और जमींदार मुख्यतः हिन्दू। किसानों के सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण सम्प्रदायवादियों के लिए मुसलमान बटाईदारों और हिन्दू जमींदारों के बीच वास्तविक आर्थिक संघर्ष को साम्प्रदायिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत और परिणत करना आसान था।

भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी ये उपबंध धर्मनिरेपक्ष अथवा असाम्प्रदायिक राज्य की आधारशिला है। डॉ. सुभाष कश्यप लिखते है,[11] 'भारत जैसे देश में, जहां अनेक धर्म जन्मे और आज भी फल–फूल रहे है, धर्म निपेक्षता का सिद्धान्त विशेष महत्व रखता है।'

भारत में सभी धर्मो और सांस्कृतियों के मानने वाले सम्मान और इज्जत के साथ रहते है। उन्हें न केवल कानून द्वारा समान अधिकार और संरक्षण की गारन्टी प्राप्त है, बल्कि वे देश के महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय और प्रमुख भाग ले रहे है। इस बात कोई भी भूल नही सकता कि अब्दुल कलाम आजाद और रफी मोहम्मद किदवई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में थे। इस प्रकार भारतीय संविधान को उसका वर्तमान रूप प्रदान करने में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जीवन और इतिहास में सिक्खों, ईसाइयों और बौद्धों ने इसी प्रकार प्रमुख, भूमिका निभायी है। दो प्रमुख मुस्लिम नेताओं, स्व. डॉ. जाकिर हुसैन और स्वः फखरूदीन अली अहमद ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। यह राष्ट्र द्वारा किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। बहुत से राज्यों में मुसलमान, सिक्ख और ईसाई राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दूसरे ऊँचे पदों पर रहे है।[12] भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में 'धर्म और साम्प्रदायिकता' अत्यन्त प्रभावशाली तत्व माना जाता है। धर्म का प्रयोग राजनीति में जहां एक और तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वहां दूसरी और प्रभाव और शक्ति अर्जित करने में भी धर्म माध्यम मान लिया जाता है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी और जय गुरूदेव की राजनीतिक शक्ति की आधारशिला उनके अपने–अपने सम्प्रदायों में अनुयायियों का संख्या बल है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, चुनावों में समर्थन और मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। जनता से की जाने वाली अपीलों में, उन्हें दिये जाने वाले आश्वासनों, निर्वाचनों में प्रत्याशियों के चयन तथा मतदान व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता है। धर्म और सम्प्रदाय धर्म निरपेक्ष संविधान अपनाये जाने के बाद भी भारतीय राजनीति के स्वरूप को प्रभावित करते रहे है।[13]

स्वाधीनता के बाद धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राज राज्य परिषद, हिन्दू महासभा आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में धार्मिक और

साम्प्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि साम्प्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है। वे साम्प्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्रधानता देते है, धर्म के आधार पर चुनावों में प्रत्याशियों का चयन करते है और सम्प्रदाय के नाम पर वोट मांगते है। चुनावों मे धार्मिक मुद्दों जैसे गौ-वध को बन्द करवाने आदि को उठाने का प्रत्यत्न करते है। प्रो. मॉरिस जोन्स ने लिखा है,[14] 'यदि साम्प्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाये अर्थात् कोई राजनीतिक पार्टी किसी विशेष धार्मिक समुदाय के राजनीतिक दावों की रक्षा के लिए बनी हो तो कुछ पार्टियां ऐसी है जो स्पष्ट रूप से अपने को साम्प्रदायिक कहती है जैसे मुस्लिम लीग जो भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में रह गयी है और जो मालाबार मोपला समुदाय के बल पर केवल केरल में ही शक्तिशाली है, सिक्खों की अकाली पार्टी जो सिर्फ पंजाब में ही है, हिन्दू महासभा जो सिद्धान्त रूप में एक अखिल भारतीय पार्टी है, किन्तु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में शक्तिशाली हैं।'

भारत में अधिकंाश राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों में धर्म और सम्प्रदाय की दलीलों के आधार पर वोट मांगते है। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों और साधुओं के साथ सांठ-गांठ की जाती है। मतदान के अवसरों पर मत मांगने वाले और मतदान करने वालों के आचरण पर धार्मिक तत्व छाये रहते है।

धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूहों की भूमिका अदा करने लगे हैं ये धार्मिक गुट शासन की नीतियों को प्रभावित करते है और कभी-कभी अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवाते है। उदाहरणार्थ, हिन्दुओं की आपत्ति और आलोचना के बावजूद 'हिन्दू कोड बिल' पास कर दिया। किन्तु दूसरे सम्प्रदायों के सम्बन्ध में ऐसा कोई साहसपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सका।

धर्म और राजनीति की अन्त: क्रिया को समझने के लिए पंजाब राज्य की राजनीति विशिष्ट महत्व रखती है। पंजाब की राजनीति सदा ही अकाली दलों की आन्तरिक राजनीति तथा सशक्त और समृद्ध शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति के निर्वाचनों के ईद-गिर्द घूमती रही है।शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति के चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अकाली दल की राजनीति को प्रभावित करते है और अकाली दल पंजाब की राजनीति को। सिक्ख जाति के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं द्वारा अकाल तख्त से जारी किये गये फरमान ने अकाली दल के प्रधान का चुनाव रोक दिया। स्वर्ण मन्दिर के सामने स्थित अकाल तख्त की स्थापना गुरू गोविन्द सिंह ने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में की थी। पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त का स्वरूप एवं भूमिका एक समानान्तर सरकार की भाँति है जिस पर समकालीन सरकार के आदेश लागू नहीं होते। अनेक बाद धार्मिक विवादों के साथ-साथ राजनीतिक विवादों के बारे में भी फैसले अकाल तख्त करता हैं।[15]

1995 के प्रारम्भ में बावरी मस्जिद के मामले पर उच्चतम न्यायालय के पुन: अपने अवलोकन में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि धर्म के मामलों में सभी व्यक्तियों एवं समूहों को उनकी विभिनन आस्थाओं के बावजूद समानता गारण्टी प्रदान की गई है क्योंकि स्वंय राज्य का कोई धर्म नहीं हैं। हमारे संविधान में वर्णित धर्म निरपेक्षता की अवधारणा समानता के अधिकार के एक पक्ष के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में उल्लेखित है।[16]

भारत केवल एक बहु आयामी धार्मिक देश ही नहीं है अपितु धर्मो के सामने वाले लोग अपने-अपने धर्म पर गर्व भी करते है और वे तत्परता से अपनी धार्मिक पहचान बनाये रखना चाहते है। इस प्रकार इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनी कार्य शैली में सभी धर्मो से बराबर दूरी बनाकर रखनी होती है और उसी समय में उसे अन्तर-धार्मिक सामाजिक सम्बन्धों में सौहार्दता भी बनाकर रखनी होती हैं।

अनुच्छेद 25 तथा 26 में जो धार्मिक स्वतन्त्रता दी गई है उन पर लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के लिए बन्ध लगाए जा सकते है। इसका अर्थ यह है कि धर्म तथा लोक सदाचार या स्वास्थ्य या भाग 111 की व्यवस्था के साथ यदि इन अधिकारों का टकराव होता है तो इन अधिकारों पर बन्धन लगाये जा सकते है। उदाहरणार्थ यदि किसी धर्म के अनुपायी किसी विशेष स्थान पर जलसा करना चाहते है और यदि उस स्थान पर जलसा करने से लोक व्यवस्था के बिगड़ने का डर हो तो सरकार उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। इसके अतिरिक्त धर्म से सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय तथा राजनैतिक कार्य-कलापों को भी नियन्त्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रदान की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गो और अनुभागों के लिए खोलने के उपबन्ध किये जा सकते हैं।[17]

नेहरू को इस बात का दु:ख था कि ऐसे नेताओं की कमी थी जो जनसाधारण में धर्म-निरपेक्ष भावनाएँ और क्रान्तिकारी वैज्ञानिक संस्कार पैदार करते। किन्तु नेहरू ने स्वंय भी ऐसा नेतृत्व प्रदान नहीं किया। वस्तुत: उन्होंने कतिपय निर्णायक विषयों पर भी गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। धार्मिक नारों तथा शब्दावली को राजनीतिक संघर्ष से पृथक करने में गांधी की असमर्थता एवं लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के मुख्य रूप से हिन्दूवादी अतीत और साथ ही नेहरू जैसे धर्मनिरपेक्ष नेताओं द्वारा किए गये उत्साहहीन प्रयत्न के फलस्वरूप कांग्रेस प्रधानत: हिन्दू-उन्मुख संस्था बन गई, उत्साहहीन प्रत्यत्न के फलस्वरूप कांग्रेस प्रधानत: हिन्दू-उन्मुख संस्था बन गई, भले ही कांग्रेस द्वारा इसका समय-समय पर खण्डन किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि उसका स्वरूप राष्ट्रीय और धर्म-निरपेक्ष था।[18]

चुनावों की राजनीति से भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। यह देखने में आया है कि केन्द्रीय एवं राज्यों के स्तर पर राजनीतिक शासक दल एवं विरोधी गुट अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के उद्देश्य से साम्प्रदायिक एवं जातीय प्रवृतियों को प्रोत्साहन देते है। इसका सबसे ताजा उदाहरण कश्मीर में हुए चुनाव में अधिक स्थानों पर विजयी होने के लिए, नि:संकोच और खुले तौर पर निम्नतम स्तर की साम्प्रदायिकता का समर्थन किया।

राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिक दल जाति एवं साम्प्रदायिकता के आधार पर अवसरवादी गठबन्धन करते रहते है यदि वे यह देखते है कि गठबन्धन करने से चुनाव में कुछ और स्थान प्राप्त कर सकते है। तब वे राक्षस के साथ भी गठबन्धक कर सकते है। केन्द्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों से इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दिये जा सकते है। चुनावों के दौरान प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उनको योग्यता के आधार पर चुनाव में खड़ा नहीं किया जाता अपितु जाति एवं समुदाय उनका आधार होता हैं।

भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता द्वेष की भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धर्म के नाम पर चारों तरफ अशान्ति फैली हुई है जिसके कारण आज हम किसी भी क्षेत्र की उन्नति के मार्ग पर पिछड़ते जा रहे है। जब तक यथास्थिति बनी रहेगी। मन्दिर, मस्जिद जैसी जटिल धार्मिक समस्याओं का समाधान गांधीवादी दर्शन में ही खोजा जा सकता है। आवश्यकता है उन अनेक आदर्शो की पालना और प्रचार करने की और लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने की धार्मिक सद्‌भावी स्थापित करने के लिए गांधी दर्शन

के निम्नवत् तथ्य आज भी प्रासंगिक हैं–'सभी धर्म सत्य है, सभी धर्मो का उद्देश्य एक है, यद्यपि उसके लिए अलग–अलग मार्गो का अनुसरण करते है, सभी धर्म एक–दूसरे के पूरक हैं।'[19]

इसमें संदेह नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक धर्म–निरपेक्ष राज्य की स्थापना की परन्तु बड़े दुर्भारू की बात है कि हमारा समाज धर्म–निरपेक्ष नहीं है क्योंकि यहां पर एक तरफ तो हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक झगड़े होते रहते है और दूसरी तरफ मुसलमानों में भी शिया तथा सुन्नी फिरकों के बीच और अकाली सिक्खों और निरंकारी सिक्खों के बीच आये दिन झगड़े होते रहते है। भारत के पूर्व उत्तरी भाग में भी एक तरफ तो ईसाईयों तथा हिन्दुओं में और दूसरी तरफ अनेक कबीलों के बीच झगड़े होते रहते है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में धर्म के बदलने के नाम पर या सरकारी भाषा को लेकर हिन्दी के प्रश्न पर महाराष्ट्र असम तथा देश के अन्य भागों में भूमि पुत्र के प्रश्न को लेकर और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जात–पात को लेकर झगड़े होते रहते है और अनेक धर्मो के अनुयायी धार्मिक स्थानों अर्थात मन्दिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों और गिरजाघरों को भी राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करे है जो कि बड़े दुर्भाग्य और खेद का विषय है। राम–जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद के झगड़े को लेकर 1990 में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच देश के अनेक भागों में साम्प्रदायिक झगड़े हुए। वास्तविकता तो यह है कि कारगिल से कन्याकुमारी तक और गोहाटी से चौपाटी तक, देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं, जो इन झगड़ों में मुक्त हो। साम्प्रदायिक राजनैतिक दलों का बलगत हितों को लेकर सदा ही यही प्रयत्न रहता है कि यह साम्प्रदायिकता का जहर हमारे राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन से समाप्त नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए धर्म निरपेक्ष राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।[20]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. ओम नागपाल, आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं, कमल प्रकाशन, 54, प्रिंस यशवन्त रोड़ इन्दौर (म.प्र.) 1985 पृ.312
2. वहीं, पृ. 314
3. वहीं, पृ. 314
4. डॉ.श्रीमती सुशीला कौशिक, भारतीय शासन एवं राजनीति, मॉडल टाउन, दिल्ली, 1984 पृ. 87
5. वहीं, पृ. 137
6. डॉ. एम.पी. राय, भारतीय राजनीति एवं शासन, कॉलेज बुक डिपो जयपु 1975 पृ. 654
7. वहीं, पृ. 655
8. डी.सी. गुप्ता, भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली पृ. 468
9. डॉ. जैन एवं डॉ. फड़िया भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवनः आगरा 1992 पृ. 616
10. वहीं, पृ. 617
11. वहीं, पृ. 620
12. डॉ. वीरकेशवर सिंह भारतीय शासन प्रणाली, ज्ञानदा प्रकाशन पटना, 1987 पृ. 417
13. वहीं, पृ. 417
14. डॉ. जैन एवं डॉ. फड़िया भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवनः आगरा 1992 पृ. 623
15. बलवीर बहादुर चौधरी, भारतीय शासन एवं राजनीति, श्री महावीर बुक डिपों दिल्ली, 1987 पृ. 247
16. ए.एस. नारग, भारतीय शासन एवं राजनीति, गीताज्जली पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1999 पृ. 147
17. डॉ. जे.आर. सिवाच भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़ 1994 पृ. 89
18. वहीं, पृ. 113
19. रामेश्वर मिश्र पंकज, गांधी जी की विश्व दृष्टि, मानक पब्लिकेशन्स प्रा.लि. दिल्ली 1994 पृ. 83
20. डॉ. जे.आर. सिवाच भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़ 1994 पृ. 163

****

आधुनिक बोध और महाकवि निराला

डॉ. सूर्य प्रकाश नापित *

प्रस्तावना – 'आधुनिकता' वर्तमान समय का सबसे ज्वलन्त प्रश्न है। 'आधुनिकता' का अर्थ भिन्न – भिन्न विद्वानों ने भिन्न – भिन्न दृष्टि से प्रस्तुत किया है। किसी ने इसे पश्चिमी सभ्यता से जोड़ा है तो किसी ने नवीनता के प्रति आग्रह से । वस्तुत: आधुनिकता जीवन का वह दृष्टि बोध है जिसकी परिकल्पना आज के युग में ही नहीं अपितु युग–युगान्तर से प्रत्येक व्यक्ति करता रहा है। अर्थात् प्रचलित परम्परा के प्रति विद्रोही भाव एवं किसी रूढ़िवादी धारणा या परम्परागत रीति जो अतीत से एक ही रूप में प्रचलित रही है का अतिक्रमण ही आधुनिकता है। आधुनिकता का मूल स्वर नवीन मान्यताये प्रतिपादित करना एवं पुरानी मान्यताओं का परिसंस्कार करना रहा है।

प्रत्येक युग अपना निर्माण अपने ढंग से करता है। उसका यह 'अपना ढंग' ही उसके नयेपन का बोधक होता है। नयापन आसमान से नहीं टपकता है अपितु वह उसकी सहज अभिव्यक्ति ही है। उसकी प्रेरणाभूमि पुराने या प्रचलित से ही तैयार होती है। अत: आधुनिकता का जन्म परम्परा की कोख से होता है। फिर भी यह सत्य है कि आधुनिकता का सांचा और स्वरूप प्रत्येक युग का अपना होता है। जिस प्रकार एक युग की सच्चाई दूसरे युग को यथावत् स्वीकार नहीं होती है, वैसे हो हर युग की आधुनिकता भी शाश्वत नहीं हो सकती है। उसमें नये से अधिक नये की और विकास होता है और युग की मांग और युग सत्य का परीक्षण भी इसी सत्य के तहत होता है। यही वह भाव भूमि है जहां आधुनिकता का स्वरूप और उसके तेवर बदलते रहते हैं।

परिवर्तन जीवन का नियम है। जीवन का कोई भी क्षण एक सा नहीं होता है। इतना ही नहीं, जिस क्षण को हम जी चुके होते हैं, ठीक वही क्षण उसी रूप में दुबारा हमारे नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है और कब–कब होता है ? यदि यह स्पष्ट हो जाय तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि कोई भी एक परम्परा स्थायी नहीं हो सकती है। जो कल था, वह आज नहीं है और जो आज है ठीक वैसा कल नहीं होगा। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही किसी बिन्दु पर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। हां, वे टकराते अवश्य हैं। टकराहट की यह प्रक्रिया न तो अतीत को वर्तमान बना सकती है और न वर्तमान को भविष्य। अधिक से अधिक यह सम्भव हो सकता है और होता भी है कि अतीत के सूत्र वर्तमान को गति देते हैं और वर्तमान की स्थितियाँ एक बिन्दु पर पहुंच कर भविष्य के सेतु का निर्माण करती है जिसे हम इतिहास कहते हैं। वह इति और हास अर्थात समाप्ति और विकास दोनों अर्थों को अपने में समेटे हुए है। फिर किसी भी अतीत का विरोध उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लोग करते हैं। अतीत पूरी तरह परम्परा भी होता है। वह एक परम्परा का वाहक होता है और वह परम्परा जिसका अतीत वाहक होता है, वर्तमान को अवश्य मिलाती है। ऐसी स्थिति में परम्परा और आधुनिकता का सम्बन्ध भी विचारणीय बन जाता है।

परम्परा से तात्पर्य उस स्थिति से है जो क्रमश: एक ही रूप में एवं लम्बे समय तक चलती रहती है। परम्परा जब स्थिर हो जाती है अथवा कहें कि जब एक जैसी स्थिति चिरकाल तक बनी रहती है जब उसके प्रति विद्रोह अथवा प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है। यह प्रतिक्रियात्मक विद्रोह स्थापित स्थिति में काट–छांट करता है, उसे अपने अनुसार बदलने का प्रयास करता है और नये पथ के अन्वेषण के निमित्त समयानुकूल नये–नये परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन प्रगति और प्रयोग कहे जा सकते है। प्रश्न यह है कि क्या परम्परा सचमुच ही त्याज्य है ? और यदि वह त्याज्य है तो वह किस सीमा तक त्याज्य है ? इसका उत्तर देने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि आधुनिक काव्य के अन्तर्गत परम्परा के प्रति विद्रोह की बात अनेक बार उठायी गयी है। आश्चर्य की बात यह है कि परम्परा की बात काव्य के अन्तर्गत प्रयोगवादी अंग्रेजी कवि इलियट ने उठाई थी। विडम्बना यह रही कि उसे साहित्य के क्षेत्र में अवाट्य सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसमें संदेह नहीं कि इलियट राजनैतिक दृष्टि से राजवादी और सामाजिक दृष्टि से कैथोलिक और परंपरावादी रहे हैं किन्तु आवश्यक नहीं कि कवि की राजनैतिक और सामाजिक मान्यताएँ उसके सृजन में भी अटूट सिद्धान्त बन जायें। ऐसी स्थिति में साहित्यिक या काव्य में परंपरावाद का नारा एक स्वतंत्र समाधान की अपेक्षा रखता है।

आधुनिक काल में जिन कवियों ने साहित्यिक विस्तृत पृष्ठभूमि पर काव्य सृजन किया है उनमें महाप्राण निराला का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। निराला आधुनिक युगबोध के ऐसे कवि है जिन्होंने जागरण की ज्योति से हमारा अन्त:करण दीप्त किया और जर्जर संस्कारों से परम्परा को निजात दिलाने में सहयोग दिया। उच्च कोटि का साहित्य व्यष्टि की अपेक्षा समष्टिगत होता है, और निराला ऐसे महाकवि है जिन्होंने काव्य सृष्टि समष्टि से ही प्रारम्भ की। यथार्थ का आकलन करने में वे प्रेमचन्द के समकालीन बन कर आधुनिक मानव की युगीन समस्याओं का अवलोकन करते है तो दूसरी और आधुनिक मानवतावादी दृष्टि के विकास से प्रभावित होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'तमसो मा ज्योतिर्गमय:' को – महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए महामानव बन जाते है। उनके काव्य में युग दर्शन और सामाजिक चेतना का स्वरूप दिखाई पड़ता है। यथा –

' मानव मानव से नहीं भिन्न,
निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा
वह नहीं भिन्न,
भेद कर पंक

* सह आचार्य (हिन्दी) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

निकलता कमल जो मान का
वह निष्कलंक
हो कोई सर।'[1]

हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता का छायावादी कवियों ने घोर विरोध किया जिनमें महाकवि निराला भी प्रमुख अगुआ कवियों में से थे। इन्होंने कविता को विभिन्न प्रकार के बन्धनों से मुक्ति प्रदान की। साथ ही रीतिकालीन विचारधारा का विरोध करते हुए रीतिकालीन नारी जो कि मात्र भोग की वस्तु बन गयी थी, को भी मुक्ति प्रदान की। नारी को महान रूप में चित्रित करने के लिए अंह भूमिका निभाते हुए उसके सौन्दर्य पूर्ण पवित्र एवं पूज्य रूप को साहित्य में स्थान देकर नारी की महिमा को अपार सौन्दर्य प्रदान किया। राम की शक्ति पूजा की सीता, सरोज समृति की सास, वह तोड़ती पत्थर की मजदूरिन, विधवा आदि के माध्यम से तात्कालिक यथार्थ को तो प्रस्तुत किया ही, सौन्दर्य चित्रण में भी महत्ती भूमिका प्रदान की। 'जूहीं की कली' – प्रकृति के मानवीय करण और सौन्दर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है –

' विजन वल्लरी पर
सोती थी सुहाग भरी–स्नेह–स्वप्न–मग्न–
अमल–कोमल–तनु–तरूणी–जूही की कली,
दृग बन्द किये, शिथिल पत्रांक में,
बासन्ती निशा थी;
विरह–विधुर–प्रिया–संग छोड़
किसी दूसरे देश में था पवन
जिसे कहते हैं मलयानिल।' [2]

मध्ययुगीन कविता छन्द के बन्धनों में बंधी हुई थी, समय की मांग के अनुरूप निराला जी ने कठोर साधना और परिश्रम के साथ उस कविता को छन्द के बन्धनों से मुक्त किया और 'मुक्त छंद' का नवीन प्रयोग प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न मंचो के माध्यम से यह भी सिद्ध कर दिया कि 'मुक्त छंद' में लिखी हुई कविता में भी गैयता विद्यमान होती है।

'है अमानिशा, उगलता गगन घन अन्धकार,
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन–चार,
अप्रति हत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल,
भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल।' [3]

महाकवि निराला की विचारधारा दार्शनिक रूप में स्वामी विवेकानन्द से प्रभावित विश्वात्मवादी रही है। एक ही चेतना के स्पर्श से सारे विश्व को पुलकित करने की क्षमता उनमें विद्यमान थी। उनका अहं और पौरूष का आह्वान विवेकानन्द के समान रहा। स्वतन्त्रता संग्राम के कारण उद्भूत राष्ट्रीय जागरण को भी वे दार्शनिक धरातल पर प्रतिष्ठित करते हुए 'राम की शक्ति पूजा ' में राम –रावण संग्राम में तादात्मय स्थापित करते हुए असत्य पर सत्य की विजय का आह्वान करते हैं। आधुनिक कवियों में जनता से इतनी निकटता और संवेदना को प्राप्त करने के साथ–साथ उच्च सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने वाला, व्यावहारिक और बौद्धिक दोनों ही क्षेत्रों में हस्तक्षेप रखने वाला निराला के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता।

प्रतिभा के बहुमुखी धनी निराला का सम्पूर्ण काव्य – आधुनिक भाव बोध से परिलिप्त है इनका आंकलन करना अपने आप में एक नवीन उपलब्धि है। सम्पूर्ण काव्य क्रमश: उत्तरोत्तर यथार्थ धरातल पर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। समय की मांग के अनुरूप निराला का काव्य अपना स्वरूप परिवर्तित करता रहा है। एक और 'जूही की कली' में प्रकृति का मानवीय करण हुआ है जिससे गोरे–गोर गालों को मसलने की प्रक्रिया का चित्रण प्रस्तुत हुआ है तो दूसरी और 'संध्या सुंदरी' के माध्यम से विश्व व्यापी सौन्दर्य चेतना का स्वरूप उद्धाटित हुआ है। यथा –

व्योम मण्डल में – जगती तल में –
सोती शांत सरोवर पर अमल कमलिनी दल में–
सौन्दर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में–
धीर वीर गम्भीर शिखा पर हिमगिर अटल अचल में–
उत्ताल तरंगा घात प्रलयधन गर्जन जलधि प्रबल में–
क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में –
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप–चुप–चुप
है गूंज रहा सब कहीं
और क्या है कुछ नहीं ' [4] के माध्यम से कवि ने समस्त प्रकृति को प्रेमांचल में समेट लेने का साहस किया है और प्रणय के सात्विक उभार, व्यापक एवं गहन विस्तार और सीमा की परिणति के ऐसे चित्र प्रस्तुत किये है जो हिन्दी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है।

सरोज स्मृति के माध्यम से कवि विभिन्न रूढ़ि एवं परम्पराओं का विरोध करता है। सरोज का विवाह किसी धनी व्यक्ति के घर न कर एक गरीब परिवार में बिना दहेज दिये कर के रूढ़ि का खण्डन सैद्धान्तिक ही नहीं व्यवहार में भी किया। स्वयं मन्त्रोच्चार कर विवाह सम्पन्न कर सामाजिक पाखंडियों के विरोधी तो बने ही समाज में व्याप्त पौराणिक और पारम्परिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नवीन मूल्यों की स्थापना की। काव्य के क्षेत्र में विभिनन आधुनिक कवि जो स्वयं को किसी न किसी वाद अथवा विचारधारा से जोड़ते हैं के लिए निराला कहते है कि–

'जैसे प्रोग्रेसिव की लेखनी लेते
नहीं रोके रूकता जोश का पारा
यही से यह सब हुआ
जैसे अम्बा से बुआ।' और
'आगे चली गोली जैसे डिक्टेटर
उसके पीछे वहार जैसे भुक्खड़ फालोअर
उनके पीछे दुम हिलाता टेरियर
आधुनिक पोएट।'[5]

इस तरह अनेक कविताओं के माध्यम से प्रगतिवादी व्यक्तियों/कवियों पर कठोर व्यंग्य किया है। देश में व्याप्त सभी बुराईयों की जड़ यहां की व्यवस्था है जिससे अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होता जाता है। निराला ने इसी पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न वर्ग संघर्ष को 'कुकुरमुत्ता' में गुलाब और कुकुरमुत्ता के माध्यम से पूँजीवादी और सर्वहारावादी विचारधारा के टकराव को उपस्थित किया है।

'अरे सुन बे गुलाब,
भूल मत जो पायी खुशबू, रंग–ओ–आब,
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट,
डाल पर इतरा रहा है केपीटलिस्ट।
कितनों को तूने बनाया गुलाम,
माली कर रक्खा, सहाया जाड़ा–धाम।'[6]

'मुक्त छंद' की भांति निराला के काव्य में एक और प्रवृत्ति का आगमन हुआ है और वह है फ्लेश बैक पद्धति। प्रत्यक्ष दर्शन प्रणाली के आधार पर निराला सरोज स्मृति में सरोज की मृत्यु पर अपने सम्पूर्ण जीवन के घटनाक्रम को चलचित्र की भांति वर्णित करते है। 'राम की शक्ति पूजा' में राम सीता के

साथ बिताये क्षणों को याद करते हुए व्यथित होते हैं।

'धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध,
धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध
जानकी ! हाय उद्धार प्रिया का हो न सका,
वह एक और मन रहा राम का जो न थका,
जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय,
कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय,
बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हतचेतन
राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन।'[7]

इस भांति निराला द्वारा पौराणिक आख्यानों को आधुनिक परिवेश में उल्लेखित करना और उनके माध्यम से आधुनिक युग की समस्या को चित्रित करके समस्या का निराकरण ढूढने का प्रयास इनकी 'राम की शक्ति पूजा' और 'तुलसी दास' आदि कविताओं में देखा जा सकता है। दोनों कविताओं में जातीय जीवन के सामाजिक यथार्थ की अनेक जटिल समस्याओं का रहस्योद्दघाटन हुआ है। शक्ति पूजा निराला की अपनी साधना ही नहीं है अपितु यह साधना समस्त बुद्धि जीवी समाज की साधना है और–तुलसीदास के सांस्कृतिक व्यक्तित्व की सम्पूर्ण चेतना आधुनिक समाज की चेतना बनकर खड़ी है जिसके कारण ऐसा लगता है कि निराला आज भी हमारे समक्ष विद्यमान है। और हमारे साथ समस्याओं से संघर्ष करने को तत्पर है। नये पत्ते की कवितायें आधुनिक शासन तंत्र पर व्यंग्य चित्र उपस्थित करती है। इस संकलन की कवितायें यथार्थ की भूमि पर समयानुरूप विषय प्रवर्तन और आधुनिक युग में खड़े रहकर अतीत का दृश्यावलोकन प्रस्तुत करती है।

अन्तत: निराला जी के काव्य में रूप वैचित्रय की उत्सुकता से परिपूर्ण आधुनिक भावबोध, अभिव्यक्ति का औदात्य, भाव गढ़ने की संयम–शीलता, आकुल उद्गारों की संगीतात्मकता और दार्शनिक विचारों की रागात्मक अभिव्यक्ति की तटस्थता के साथ–साथ गीत–अगीत, छन्द बद्ध–छन्द मुक्त, मुक्तक–प्रबन्ध, वैयक्तिकता– सामाजिकता, आदर्श–यथार्थ, अन्त:मुखी एवं बर्हिमुखी प्रवृति, व्यावहारिकता एवं सैद्धांतिकता, छायावादी, प्रगति–प्रयोगवादी, परम्परावादी धारणा, अतीत, वर्तमान और आधुनिक का सामंजस्य, आक्रोश और करूणा, कोमलता और पौरूषता, संवेदना, रहस्य, दर्शन, भौतिकता एवं जीवन के प्रति अदम्य जीजिविषा अनेक द्वन्द्ध चित्रों में उपस्थित होकर मुखरित हुई है। युगीन विरोधों, विषमताओं का जैसा सामंजस्य महाकवि निराला के काव्य में प्रयुक्त हुआ है अन्यत्र मिलना असम्भव है। यही कारण है कि निराला ने सम्पूर्ण युग चेतना को आत्मसात कर लिया था। नये प्रयोग और नयी चेतना के द्वारा परिवेशयुगीन भावबोध इनके काव्य में मुखरित हुआ है। जिसके कारण युग युगों तक निराला को जाना जाता रहेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. 'सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति' कविता से – सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
2. 'जूही की कली' कविता से – सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
3. 'राम की शक्ति पूजा' कविता से – सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
4. 'संध्या सुन्दरी' कविता से – सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
5. 'कुकुरमुत्ता' कविता संग्रह से – सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
6. 'कुकुरमुत्ता' कविता से – सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
7. 'राम की शक्ति पूजा' कविता से – सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

****

Enhancement of Quality System of Higher Education in India

Dr. Swati Mathur *

Abstract - The advanced education framework in India has created in an uncommon way that becomes one of the main frameworks of its image on the planet. Notwithstanding, the framework has a ton of issues that worry as of now, similar to, redirection of the arrangement by laying significance on the nature of advanced education along with the convenient appraisal of foundations and their certificate reestablishment. These focuses are significant for the nation, as it is presently occupied with the utilization of the instruction framework as a powerful apparatus to fabricate an information-based climate in our country. Through this paper we need to perceive the abovementioned and the major realities that how to colleges play out numerous jobs, such as making new data's, acquiring new advances and abilities, and making a proficient human gathering, through the improvement of standard and standards of the schooling framework according to current situation and opening out different exercises to upgrade the nature of training by giving elective elements in staff readiness and the keeping up with quality in personnel input, similar to course plan and improvement, evaluation of students execution and improvement.
Keywords- Higher education system, Education Policies, quality management, govt. Role.

Introduction - Today, Higher schooling is forming into significant driver of financial contention in an inexorably information bearing worldwide economy. As advanced education frameworks create and grow, society is continuously more worried about the nature of schooling. It is notable that advanced education assumes a fundamental part in driving monetary development and social consistency. The advanced education framework plays a significant part and difficulties to make accessible to the country; capable human force at all levels, having a range of information and affirmation to adequately handle the social and financial real factors. An assortment of studies and commission reports at the executive level has recognized something very similar and given ideas for its improvement. The public authority and other protected gatherings are taking vital measures. Yet, these by themselves, won't give the reason except if establishments and personnel acquire positive drives and assess.

Quality Conception in Higher Education - The Quality administration originations in business and in schooling keep on comparative, there are sure requirements in tolerating the corporate techniques for Quality administration on the grounds that instructive establishments can't be considered as industry and the items are not their understudies, but rather it is the training taught to the understudies. In Quality administration, the client is distinguished as anyone else in line. In an instructive area, understudies straightforwardly acquire the showing administrations and henceforth are the shoppers of the instructor, though the resources and the Institute are the providers of the administrations.

When a mutually concurred object is learned, the Quality administration ideas ensure that program consistency expands, training is improving, the productivity of instructors is upgraded, and educators and understudies discover better joy in their work and can make a positive contribution to the general public. It is, consequently fundamental that the foundations of advanced education put stock in the mantra of 'Value' and make accessible for a normalized examination of what accurately the understudies can do toward the finish of their schooling.

According to Ronald Barnett (1992), there are four head originations of advanced education.

1. Higher training as the development of qualified HR: In this view, advanced education is seen as an interaction where understudies are considered as items expected in the work market. Subsequently, advanced education turns into a supporter of the development and improvement of business and industry.
2. Higher training as a substance of extending life possibilities: Higher instruction is seen as an opportunity to participate in the development cycle of a person by proceeding with schooling mode.
3. Higher schooling gives direction to an exploration profession: In this view, advanced education is preparing for qualified researchers who might unendingly foster the limit of information.
4. Higher training as capable administration of instructing profession: Many sturdily consider that educating is the focal piece of instructive establishments. In this

*Associate Professor, Anand Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

manner, advanced education establishments center around the capable administration of instructing learning stipulations by working on the fineness of instructing.

Execution of Quality Measures by Higher Education - The majority of the quality norms for support express that audit standards are fitting with the organizations unbiased. Framework mission, objectives, and targets straight forwardly to personnel, the board, other staff, and over seeing bodies in dynamic identified with the arranging of training, asset distribution, and program improvement, and depiction of program results. These goals should zero in on understudy learning, their outcomes, and institutional improvement.

Instructive foundations Role: Foundations of advanced education by their program are expected to give information, capability, shrewdness, and worth to the understudies. Information permits them to know what they realize is comparable to what they once know and makes a capacity to streamline from their encounters. Be that as it may, a large portion of the instructive foundations scarcely dispense any regard for the development of one or the other insight or worth. Numerous teachers have not developed shrewdness themselves and subsequently make their hands at the possibility of conveying it to the understudies. They accept that these constituents are to deal with by someone. Insight and worth, the two primary human characteristics, are created by understudy's investment in imaginative group exercises, wherein they figure out how to set administrations, to work with the group, and to foster the social abilities that are engaged with a general public where the collective endeavor is fundamental for progress.

Personnel's job: Instructive establishments are an association between subordinate movements that comprise of a gathering of specific showing resources, related to a utilitarian chain of command. Staff appears as though an item, utilized based on distinguishing the necessities of the foundation. Each staff is a method administrator that furnishes the understudy with chances for self-improvement and regulates the progressions of contribution to the yield of better worth to the organization. Understudies appreciate and get pride by learning and accomplishment and subsequently, they are emphatically allies simultaneously and are esteemed for their inventiveness and insight. The target of Quality administration is to perpetually look for a better method of passing on schooling to the understudies. Everybody in the association is expected and directed to partake in the upgrade cycle instead of just read out from the top administration.

The board job: The board should make a climate that raises a gathering-focused culture, which can stay away from troubles and make persistent turns of events. Execution evaluation, appreciation, and prize frameworks place workers in an inside serious climate. The point of the board personnel and understudy connection is innovation, diminishing in deviation of basic attributes, and better Quality. They ought to embrace rivalry, which is normal and inherent in human instinct, however, setting one or gathering in opposition to another is anything but a standard status of serious conduct.

Quality Management in the instruction framework: The globalization of instruction, understudy's migration starting with one country then onto the next nation are explanations behind worry to educationists. The utilization of inventive instructing and learning methods, changing examples of schooling freedom, course satisfied and the origination of value has gotten a significant constituent of the instructive methodology for its prosperity. Steady upgrade and self-appraisal among top administration, understudies, personnel, and so on are required and extension and backing of authority among top administration, understudies, staff, and so forth in the establishment ought to be made as a proceeding with measure just as a framework. Co-usable connections among staff, understudies, Industry to ensure the strategic quality among different blends is included.

The job of advanced education in the Society improvement: Advanced education is ordinarily implied to cover instructing, research study, and development. The logical and specialized improvement and monetary development of a nation are as dependent on advanced education as they are on the running class. Improvement of homegrown procedures and potential in farming and mechanical regions are likely a direct result of our exceptional advanced education foundation. Advanced education additionally gives openings for suffering getting the hang of, permitting individuals to work on their insight and abilities convenient on mutual necessities.

The Kothari Commission (1966) recorded the accompanying jobs and guidelines of the advanced education foundations in current culture: -

1. To search for and advance new information, to take on progressively and boldly chasing after sureness, and to comprehend old information and conviction in the light of new undertakings and discoveries.
2. To make accessible the right classification of administration throughout everyday life, to perceive granted youth and assist them with growing their potential by creating actual strength, fostering the forces of the psyche, and advancing right interests, approaches, and good and scholarly qualities;
3. To make accessible the general public with fit people groups taught in horticulture, expressions, science and innovation, and different other expert fields, who will likewise be made accessible to people, gulped with a reason for social turn of events.
4. To attempt to underwrite the quality and social equity, and to manage down friendly social contrasts through the scattering of instruction.
5. To advance in the personnel - understudies and by them in the general public regularly, the methodologies and qualities needed for fostering the better life in

people and society.

Conclusion - The Higher Education framework needs to be supported which will actually want to make new information, getting new advancements and skills and making an informed human gathering, through the redesigning of standard and standards of the instruction framework according to present status and augmentation different exercises to work on the nature of schooling by giving substitute elements in staff planning and the protecting quality in personnel input that is course plan and development, appraisal of students execution and improvement.

References: -

1. Chaudhuri, D. Ghosh, S.K. & Mukhopadhyay, A.R. (2010). Development of a model for Quality to assess higher Education in India, Research, Analysis and Evaluation,1, 9,47.
2. Motwani, J. & Kumar, A. (1997) The Need for Implementing Total Quality Management in Education, International Journal of Educational Management, 11, 3, 131-135
3. Harvey. L, Green D. (1993), Defining "Quality" assessment and evaluation in highereducation, Vol. 18 No.1, pp. 19-34
4. Hill, F.M. (1995), "Managing service quality in higher education: the role of the student as primary consumer", Quality Assurance in Education, 3(3), 10-21.
5. Jain, R., Sinha, G. & De, S.K. (2010), "Service quality in Higher Education: an Exploratory Study", Asian Journal of Marketing, 4(3), 144-154.
6. NAAC Report on Quality Assurance in Higher Education, (2006)
7. University News, India, 2003
8. www.edujobing.com/world-development-report-2004
9. www.auqa.edu.au
10. www.col.org/sitecollectiondocuments
11. www.mhrd.gov.in/rte
12. www.qcin.org/nbqp/qualityindia/Vol-2-No2/special report.htm

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यों के विकास में परिवार व समाज की भूमिका

डॉ. कुलदीप सिंह तोमर *

प्रस्तावना – 'किसी के जीवन के दिशा निर्देश देने के लिये जो मापदण्ड, लक्ष्य अथवा उद्देश्य का चयन किया जाता है, उन्हें मूल्य कहा जाता है। मूल्य संश्लेषणात्मक शक्तियाँ है जो किसी के व्यक्तित्व में सम्पूर्णता ला देती है।'

मूल्य समाज के दर्पण होते हैं। इसके द्वारा ही समाज की वास्तविक सत्ता को स्वीकारा जाता है। मूल्य दूसरे रूप में मानव के मूलधन होते है। मूल्य मानव जीवन में शान्तिपूर्वक स्वामित्व, आध्यात्मिक, कल्पनात्मक अभिव्यक्ति से ओत-प्रोत होते हैं। इसके लिये पारिवारिक सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ तथा आदर सम्मान का भाव रहना आवश्यक है जिससे मानव जीवन सुखमय व आनन्दमय रहे।

मूल्य वह है, जो मानवीय इच्छा को पूर्ण करता है। मूल्य का शाब्दिक अर्थ है-उपयोगिता, महत्व एवं वांछनीयता। मर्फी महोदय ने ठीक ही कहा है-'लक्ष्य की प्राप्ति ही मूल्य है।'

'मूल्य पद का अर्थ समाज विज्ञान या दर्शन शास्त्र में किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं है।' हम किसी परिभाषा पर एकमत नहीं हो सके हैं। स्पष्ट रूप से केवल इतना कहा जा सकता है कि मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। **आलपोर्ट** के अनुसार 'मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है।' **पी0सी0 कटियार** का मत है कि 'मूल्य मानव व्यक्तित्व के अन्तरतम भागों में निहित होते हैं। मूल्यों को जानकर ही व्यक्ति को अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है। व्यक्ति को जानने का मतलब है उसके मूल्यों को जानना। व्यक्ति का कोई भी कार्य मूल्य संक्रिया क्षेत्र से बाहर नहीं होता है। मूल्य मूल्यांकित अभिवृत्ति है और मानव के सभी व्यवहारों के निर्धारक हैं।' इससे स्पष्ट है कि मूल्य मानव व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करते हैं। मानव समाज मूल्याभिमुखी है। प्राणी जगत की समानता में यही मानव जीवन की विशेषता है, जो उसे पशु स्तर से पृथक करती है। मानव को मूल्याभिमुखी जीवन की ओर उन्मुख करने में शिक्षा की महती भूमिका होती है। विवेक से युक्त मानव शिक्षा द्वारा ही चेतना के निम्न स्तर से उच्च, उच्च से उच्चतर और उच्चतर से उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। इससे उसका दृष्टिकोण व्यापक बनता है और उसमें अपने सुख, सुरक्षा एवं हित के साथ-साथ समाज के हित एवं सुरक्षा का भाव पनपता है। समष्टि हित के ये भाव मानव में निहित उच्चतम मूल्यों के द्योतक हैं। उच्चतम मूल्यों से युक्त होने पर व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य मात्र अपने सुख, समृद्धि एवं सुरक्षा तक सीमित न रखकर, समष्टि के सुख, समृद्धि एवं सुरक्षा तक विस्तृत कर देता है। किन्तु वर्तमान समय में समाज में लोगों द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार का प्रकटीकरण हो रहा है, उससे ऐसा आभास होता है कि शिक्षा लोगों में मूल्यों का विकास नहीं कर पा रही है। फलत: लोगों के व्यवहार में अनिश्चिता दिखाई पड़ती है।

मूल्यों के विकास के अभाव में मनुष्य व्यक्तिगत रूप से चाहे जितना अधिक सुख-सुविधा के साधन जुटा ले, समृद्धि एवं वैभव अर्जित कर ले, समाज में सुख एवं शान्ति कायम नहीं हो सकती। यही कारण है कि भौतिक दृष्टि से प्रगति के बावजूद देश को अराजकता के दौर से गुजरना पड़ रहा हैं। क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद जैसे विवादों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीयता के भाव को भी कुण्ठित किया जा रहा है। फलत: अब राष्ट्र की अस्मिता पर भी प्रश्न चिह्न लगने लगा है। देश के नागरिकों द्वारा समय-समय पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा रही हैं, जो कहीं से भी राष्ट्र-हित में नहीं हैं। काश्मीर समस्या, पूर्वोत्तर प्रान्तों की समस्याएं इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। जन समस्याओं को लेकर सामाजिक संगठनों एवं राजनैतिक दलों द्वारा आन्दोलनों एवं बन्द के आयोजनों के दौरान हिंसा तथा सरकारी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की मानसिकता मूल्यहीनता की स्थिति के परिणाम हैं। प्राचीन काल में अपने देश में मनुष्य जहाँ मूल्यों हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता था, वहीं विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रगति के बावजूद मानव आज 'मानव-मूल्यों को धन के प्रतिदान में दे देता है।' आज भौतिकता की चकाचौंध में निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु लोगों में हिंसा एवं हत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ी है, कर्त्तव्य परायणता एवं ईमानदारी जैसे गुणों का क्षरण हुआ है। देश के गुप्त रहस्यों के दस्तावेजों को क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु विदेशी शक्तियों को सौंप देने की गंभीर घटनाएं अखबारों में आती रहती हैं। देश हित को त्याग कर धनी एव निर्धन, धन प्राप्ति की लालसा में तस्करी, जालसाजी एवं घोटालों में लिप्त हैं। चन्द आर्थिक लाभ हेतु आत्मीय जनों की हत्या में भी लोगों को संकोच नहीं रहा। इससे ऐसा आभास होता है कि लोगों में वांछित मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा है। इक्कीसवीं शताब्दी में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व वहन करने हेतु लोगों को तैयार करने के नाम पर पाश्चात्य देशों का अन्धानुकरण कर भारतीय समाज को आधुनिक समाज में तब्दील करने के अविवेकपूर्ण प्रयास का प्रतिफल ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। पाश्चात्य संस्कृति की तर्ज पर भोगवादी संस्कृति की चकाचौंध के कारण समाज में उन्मुक्त यौनाचार एवं नशाखोरी की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। आधुनिक समाज के मानक भोग विलास की वस्तुओं को येन-केन प्रकारेण जुटाने की होड़ में उचित-अनुचित का विचार किए बिना संलिप्त होने की प्रवृत्ति का लोगों में विकास हुआ है। यह स्थिति भारतीय समाज के लिए फलदायी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय समाज को आधुनिक समाज के रूप में विकसित करने हेतु यहाँ के नागरिकों में आधुनिक समाज के नागरिकों के गुणों के विकास का प्रयास किया जाए, न कि आधुनिक समाज के पर्याय पाश्चात्य देशों के समाजों के स्वरूप का अन्धानुकरण।

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (शिक्षा) त्रिदेव कॉलिज ऑफ एजुकेशन, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

किसी भी समाज के स्वरूप को पूर्णररूपेण आत्मसात करके आधुनिक बनने की चेष्टा करने वाला कोई भी समाज, कभी भी आधुनिक समाज के रूप में विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं विशिष्टताएं होती हैं। इनके आलोक में ही किसी राष्ट्र द्वारा अपने समाज को आधुनिक समाज के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाना समीचीन होगा। ऐसी स्थिति में ही शाश्वत मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए समाज की वर्तमान आवश्यकता हेतु आवश्यक तात्कालिक मूल्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इससे एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण होगा, जिसकी पृष्ठभूमि अपनी होगी साथ ही नागरिकों में आधुनिक समाज के निमित्ता वांछित गुणों यथा-ईमानदारी, समय पर आना, कठोर परिश्रम करना, मधुर मानवीय सम्बन्ध, आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास भी होगा। वर्तमान भारतीय समाज में इन गुणों का अभाव होता जा रहा है, जबकि प्राचीन काल में भारतीय समाज में इन गुणों की बहुलता थी।

मूल्य के विकास में परिवार, विद्यालय, धर्म तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। मूल्य विहीन समाज के नागरिक मूल्य युक्त किस प्रकार हो सकते है? वर्तमान समय में देश सामाजिक कुरीतियों एवं संस्कृति के प्रति नफरत, भाषावाद, जातिवाद, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता तथा विविध सांस्कृतिक के चंगुल में बुरी तरफ फँसा हुआ है। कैसी विडम्बना है कि मनीषियों के देश भारत के नागरिकों का जमीर अन्त:करण व आत्मासुसुप्तव असहाय अवस्था मे निद्रालीन है। इस अवस्था में मानव को पहुँचाने का श्रेय घर तथा समुदाय का है। अन्याय, अशान्ति, संघर्ष एवं अलगाव के युग के अन्त के लिये यह आवश्यक है कि परिवार व समुदाय के सदस्य बच्चों के समर्थन को विकसित करने के लिये न केवल स्वयं प्रयास करें अपितु विद्यालय में मिलने वाली मूल्य शिक्षा के समर्थन के लिये उपर्युक्त वातावरण सृजित करें। घर तथा परिवार बालक के गुणों व मूल्यों का मूल स्त्रोत माना गया है। घर, शिष्टाचार तथा सदाचार सिखने की प्रथम पाठशाला होती है वहाँ बच्चा अपने माता-पिता तथा अन्य से मूल्यों की शिक्षा, प्राप्त करता है। बालक अपने विकास की अवस्था में अपने परिवार के सदस्यों से बराबर मूल्यों व गुणों को सीखता है। अत: बालक का घर ही उसका जीवन शाश्वत विद्यालय होता है।

मूल्यों के विकास में परिवार का योगदान – घर कुटुम्ब अथवा परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधाभूत इकाई का एक ऐसा समूह है, जिसमें बूढ़े, जवान, पति-पत्नि एवं उनके बच्चे होते हैं। ये सब एक दूसरे से माता-पिता, भाई-बहन तथा भाई-भाई अथवा किसी अन्य रूपी सम्बन्धी से सम्बन्धित होते है। टी0 रेमाण्ड के अनुसार,-'दो बालकों को एक समान स्कूल में शिक्षा देने के पश्चात् वे उनके सामान्य ज्ञान रूचियों एवं व्यक्तियों के तरीके में अन्तर पाया जाता है। इसका मूल कारण है कि दोनों बालकों के अलग-अलग परिवार होते है। हमारे देश में यह प्राचीन कथन बहुत प्रचलित व मान्य है।'

रूसों ने परिवार के महत्व पर बल देते हुए लिखा है। 'शिक्षा जन्म से प्रारम्भ होती है तथा माता आदर्श अध्यापिकायें है।' घर द्वारा दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली निरूपित की गई है। वास्तव में मूल्यों की शिक्षा बच्चे के घर से प्रारम्भ होती है। जब वह अपने माता-पिता के घर तथा आने वाले अन्य व्यक्तियों के व्यवहार तथा कार्यों का देखता है तथा उनका अनुकरण करता है, उसमें भाग लेता है तथा उन पर दूसरों की प्रतिक्रिया सुनता है तब वह अनौपचारिक रूप से मूल्यों की शिक्षा पाता है। स्नेह व प्यार परिवार का सम्मान तथा समर्पण के भावों से ओत-प्रोत होता है। वहीं से बालक में सेवा, त्याग, दया, प्रेम, सत्य बोलना, ईमानदारी, स्वच्छता, सुरक्षा सौहार्द आदि सभी मूल्यों को विकसित किया जाता है।

मूल्यों के विकास में समाज का योगादन –'मूल्यों के विकास में समाज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले मनुष्यों का समूह समुदाय कहलाता है।' समुदाय का अर्थ है-एक साथ ऐसा करना। सामान्यत: समुदाय का क्षेत्र उसके सदस्यों की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करती है। अत: एक गाँव, कस्बा, नगर तथा राष्ट्र एवं विश्व को भी समुदाय की संज्ञा दी जाती सकती है। ओटवे के अनुसार 'किसी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय-समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। यह निर्बाद रूप से सही है कि शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप समाज के स्वरूप को प्रभावित व निर्धारित करता है।'

समाज बालक की शिक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया तथा अनौपचारिक साधन हैं। जिस प्रकार बालक की शिक्षा पर परिवार तथा स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार समुदाय भी बालक के व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि वह उस समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बन जाता है जिसका वह सदस्य है। इसलिए एक कहावत भी चली आ रही है कि प्रत्येक बालक वैसा ही बन जाता है जैसा की समुदाय के बड़े लोग उसे चलाना चाहते है।

समाज के द्वारा छात्रों के शारीरिक विकास हेतु व्यायामशाला, अखाड़ा, क्रीड़ास्थान आदि की व्यवस्था होती है। सुरक्षा हेतु टीका लगाने से संक्रमण रोगों से रक्षा व स्वच्छता के लिये प्रबन्ध किये जाते है तथा चिकित्सालय संचालित किये जाते है। मनोरंजन के लिये पार्क, उद्यान, तरण ताल, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जाती है। मानसिक व सामाजिक विकास के लिये पुस्तकालयों व फिल्मों, वाचनालय, रेडियो-कार्यक्रमों, दूरदर्शन कार्यक्रमों, नाटकों के मंचन, कठपुतली, प्रदर्शनी मेंला, भाषण आदि की व्यवस्था की जाती है तथा सौन्दर्यानुभूति के विकास के लिये कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, भ्रमण, प्रकृति निरीक्षण, कल्पना प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता तथा नृत्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

विभिन्न सामाजिक संगठन तथा अन्य उत्सव एवं समारोह का आयोजन करके विद्यालयों में मूल चर्चा के लिये वक्ता उपलब्ध कराकर तथा विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं पर खुला मंच कार्यक्रम का आयोजन कर मूल्यों के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकते है। जब सम्पूर्ण सामाजिक वातावरण में मूल्य व्याप्त हो जायेगे तब बच्चे अनुकरण कर सरलता से अपने मूल्यों का विकास कर सकेगें।

निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मूल्यों के विकास में परिवार एवं समाज की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय, परिवार और समाज तीनों अभिकरणों को मूल्यों की शिक्षा में रूचि लेनी चाहिए। मूल्यों के विकास हेतु अधिगम अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा मूल्य आधारित आचरण को स्वीकृत, पुरस्कृत अनुमोदित तथा सम्भव बनाने हेतु अथक प्रयास करने चाहिए। निर्धनता के अभिशाप से हर भारतवासी को मुक्त कराना है तथा मूल्यों में आस्था न रखने वालों से देश को बचाना है। परिवार एवं समाज मूल्यों के विकास में विद्यायी प्रयासों के समर्थक, प्रेरक एवं पूरक की भूमिका प्रभावशाली ढंग से अदा कर सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. जैश्री, मूल्य शिक्षण, लॉयल बुक डिपो मेरठ।
2. वर्मा जी0एस0, मूल्य शिक्षण, लॉयल बुक डिपो मेरठ।
3. सक्सैना कविताएं मूल्य शिक्षा, लॉयल बुक डिपो मेरठ।
4. सिंह, अभिजीत, सामाजिक जीवन मूल्य एवं शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
5. शर्मा आर0ए0, मानव मूल्य एवं शिक्षा, आर0लाल, बुक डिपो मेरठ।
6. सक्सैना, चतुर्वेदी, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, आर0लाल, बुक डिपो मेरठ।
7. मित्ताल एम0एल0, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, आर0लाल, बुक डिपो मेरठ।
8. पाण्डेय रामशक्ल, मूल्य शिक्षा के परिपेक्ष्य, आर0लाल0 बुक डिपो मेरठ।
9. रूहेला सत्यपाल, मूल्य शिक्षा क्या क्यों कैसे? अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
10. पाण्डेय रामशक्ल, 'मूल्य शिक्षा' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
11. चौबे सरयूप्रसाद, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

****

महिलाओं के आर्थिक विकास में स्व-सहायता समूह की भूमिका (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में)

रुची गौतम* निगार फातिमा **

शोध सारांश – भारत में आज गरीबी की समस्या प्रबल है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। गरीबी दूर करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें, स्वयत्व संस्थाएं तथा अन्य कई प्रकार की एजेंसियाँ कटिबद्ध हैं किन्तु यह समस्या अभी तक कारगर ढंग से सुलझाई नहीं जा सकी है। पूँजी का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। विशेष कर गरीब एवं ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में जो कि अक्सर अचल संपत्ति विहीन एवं शिक्षा से वंचित होती है। फिर भी उनमें रचनात्मकता तो होती है और अपनी मदद स्वयं करने के लिए सतत् उत्सुक रहती हैं। इन महिलाओं की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में स्व-सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्व-सहायता समूह समान पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का एक समान उद्देश्य के लिए गठित समूह है जो स्वयं में एकरूपता परिलक्षित करता है। यह एकरूपता आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रगत अथवा समान समस्या के फलस्वरूप हो सकती है।

समूह छोटे रोजगार एवं स्थानीय स्तर पर काम व धन्धों के माध्यम से निर्धन ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है।

प्रस्तावना – स्त्री शिक्षा समाज के बदलते हुए मूल्यों तथा आर्थिक स्वावलम्बन ने जहाँ स्त्रियों को आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग बनाया है वहीं दूसरी ओर सामाजिक चेतना जागृत करने में भी योगदान दिया है। आजकल स्त्रियाँ नवीन भूमिकाएँ अदा कर रही हैं और प्रत्येक क्षेत्र में हुई स्थिति, प्रभाव व आर्थिक भूमिकाओं के परिणामस्वरूप ही विश्व की अर्थव्यवस्था व अनुसंधानों में निरंतर वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध प्रबंध महिलाओं के आर्थिक विकास में स्व-सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषण प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों पर आधारित है। अध्ययन से संबंधित समंकों का संकलन व्यक्तिगत पहुँच की सीमा के भीतर करने का प्रयास किया गया है। समंक संग्रहण के समय इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि संबंधित समंक एवं सूचनाएं अद्यतन हों। शोध में सैद्धांतिक पक्षों के लिए इसमें ग्रंथालयों, पूर्वोशोध, साहित्य ग्रंथों तथा पत्र-पत्रिकाओं, प्राथमिक समंकों और आंकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में स्व-निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

उद्देश्य – संपूर्ण विकासशील महिलाओं को आर्थिक विकास की प्रमुख धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बनाया गया है। भारत में भी इस दिशा में विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि जब महिलाएँ संगठित होकर साझी भागीदारी नहीं करेगी तो उनका टिकाऊ एवं दीर्घजीवी विकास कतई संभव नहीं होगा। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में स्वाबलम्बन ही उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उक्त संदर्भ में महिलाओं की संगठित होने की दृष्टि से स्व-सहायता समूह की परिकल्पना का विकास हुआ है। यह उपकल्पना विभिन्न राष्ट्रों के साथ भारत में भी परिपक्व हो चुकी है। प्रस्तुत अध्ययन में भी निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर विषय के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। शोध शीर्षक से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया है।

1. चयनित न्यादर्श महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन करना इस शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य है।
2. महिलाओं के रोजगार एवं आय की स्थिति पर स्व-सहायता समूह के प्रभाव का विश्लेषण करना इन शोध कार्य का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है।
3. न्यादर्श महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में स्व-सहायता समूह के प्रभाव का विश्लेषण करना भी इस शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य है।
4. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उपर्युक्त सुझाव देना भी प्रमुख उद्देश्य है।
5. स्व-सहायता समूह के द्वारा महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना प्रबल हो रही है। इसका आंकलन करना भी इस शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य है।

परिकल्पना – शोध कार्य के लिए शोधार्थी अपनी अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है, जो उसके शोध कार्य का प्रमुख आधार बनता है जिसे शोध परिकल्पना कहते हैं। लेकिन यह परिकल्पना केवल आकस्मिक निष्कर्ष मात्र होती है। अध्ययन के पश्चात् इनके सत्य या असत्य होने की पूर्ण या आंशिक संभावनाएँ सामान्य रूप से बनी रहती है।

1. निदर्श महिलाओं के आय पर स्व-सहायता समूह का सार्थक प्रभाव पड़ रहा है।
2. निदर्श महिलाओं के रोजगार पर स्व-सहायता समूह का सार्थक प्रभाव पड़ रहा है।
3. निदर्श महिलाओं के आर्थिक विकास पर स्व-सहायता समूह का सार्थक प्रभाव पड़ रहा है।
4. निदर्श महिलाओं के सामाजिक विकास पर स्व-सहायता समूह का

* अतिथि विद्वान (विधि) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (विधि) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

सार्थक प्रभाव पड़ रहा है।

विषय-विवरण – स्त्री शिक्षा समाज के बदलते हुए मूल्यों तथा आर्थिक स्वावलम्बन ने जहाँ स्त्रियों को आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग बनाया है। वही दूसरी और सामाजिक चेतना जागृत करने में योगदान दिया है। आजकल स्त्रियाँ नवीन भूमिकाएँ अदा कर रही हैं और प्रत्येक क्षेत्र में हुई स्थिति, प्रभाव व आर्थिक भूमिकाओं के परिणामस्वरूप ही विश्व की अर्थव्यवस्था व अनुसंधानों में निरंतर वृद्धि हुई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझाव पर वर्ष 1975 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला' वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रारंभ में महिलाओं के पिछड़ेपन का दिग्दर्शन और फिर उनके उत्थान की योजनाएँ बनाने तथा उनकी चेतना के नये क्षितिजों की खोज पर विचार किया गया है।

सुझाव :

1. स्व-सहायता समूह एक समूह के रूप में किसी एक आर्थिक गतिविधि को नहीं चला रहे हैं। लेकिन ऋण प्राप्त करने के पश्चात् उसका अलग-अलग उपयोग कर ऋतु की किश्तें भी नियमित रूप से चुका रहे हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आसानी से देखा जा सकता है।
2. स्व-सहायता समूह के सदस्य के रूप में कार्य करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है।
3. महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन देन कागजी कार्यवाही इत्यादि करने में उनमें आत्मविश्वास पनपता है।
4. समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है।
5. आर्थिक आत्मनिर्भरता स्व-सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध कार्य को शोधार्थी ने इस आशय से चयन किया है कि महिलाओं के आर्थिक विकास में स्व-सहायता समूह की भूमिका का विश्लेषण (रीवा जिले के हुजूर विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में) नामक शीर्षक से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्वाबलम्बन का बोध कराया गया। इस शोध कार्य से रीवा जिले के हुजूर विकासखण्ड के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं की सामाजिक दशाओं से संबंधित नये तथ्यों की प्राप्ति हुई और साथ ही स्व-सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं के परिवारों के सामाजार्थिक विकास हुआ एवं महिलाओं की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आया। महिलाओं के विकास में स्व-सहायता समूहों की भूमिका एवं महिलाओं में सशक्तिकरण व जागरूकता आई, जिसका लाभ स्व-सहायता समूहों एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ समाज में उनकी एक अच्छी पहचान बनाने में मदद मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुन्दर एवं आर. अशोक: रीवा दर्शन, 2004, शोध पत्र
2. जी.एस. काका: रीवा (म.प्र.), 2004, शोध पत्र
3. रीवा शहर समूह: स्व-सहायता समूह (1) संहिता (2) मशवदना (3) तराना, 2019, प्राथमिक समंक

****

Non Life Insurance Sector in India

Dr. Rajesh Shroff *

Abstract - Insurance is the strong financial base of any country. Insurance sector in India is broadly divided into life & non life insurance. Non life insurance include various product are medical insurance, vehicle insurance, property insurance, Crop insurance etc. The government monopoly was dissolved and private companies were permitted to operate and suddenly had a significant role to play. Insurance regulatory and development authority of India (IRDA) is an autonomous apex statutory body which regulates and develops the insurance industry in India. IRDA in its role as the regulator has undertaken the work of overlooking an orderly development and growth of the insurance industry. In 1972 with the passing of the general insurance business (Nationalization) Act. General insurance (Non Life) business was nationalized with effect from 1st January 1973.

Key words- Non life insurance, regulatory, IRDA, growth and dissolved.

Introduction - Non life insurance sector in India is divided into two parts, public sector and private sector. At present 29 non life insurance companies have been granted registration for carrying on non life insurance business in the country of these, seven are in public sector and the rest twenty two are in private sector. Among the public sector companies, while the four public sector insurance companies carry on multi line operations, there are two specialized insurance companies: one for credit insurance (ECGC) and the other for crop insurance (AIC). One reinsurer (GIC) is operating in the public sector making the total number of non-life insurers 29 including reinsurer. Of the private sector insurers, fi ve have been granted registration to carry on operations exclusively in the health segment.

Literature Review - Many researchers have been studied to the non life insurance sector in India:

1. Ms. T. Rani and Dr. H. Shankar 2014 found their study the national general insurance company ltd., was found to be wanting in capital compared to the other companies. This was due to the fact theat while other companies had infused capital periodically, this was not done by this company proportionate to the business generated.
2. Shreedevi D and Manimegalai D4 (2013), compared public and private sector non-life insurance companies in India for a period of nine years from 2002-03 to 2010-11. The study found that insurers are operating under conditions of shrinking premiums, growing customer expectations, tightening regulations, tougher competition, rising operational costs, etc. The study also found that non-life insurance companies in India were still in a budding stage and performance of The New India Assurance Company, among the general insurance companies studied, was considered as satisfactory.
3. Manjit Singh & Rohit Kumar3 (2009) found in their study 'Emerging Trends in Financial Performance of General Insurance Industry in India' that the entry of private sector Insurance Companies had undoubtedly contributed to the strengthening of general insurance business by creating a competitive atmosphere.

Objective of Study :

1. To know about performance of non life insurance business in India.
2. To Know about public & private sector non life insurance business in India.
3. To know about premium, claims and profit/lose of non life insurance business in India.

Data and Research Methodology- Present study uses the available published secondary data for the year 2010-11 to 2014-15 from annual reports of IRDA and insurance companies, various research journals, news paper etc. The data has been analyzed using percentage method.

Gross Direct Premium of Non Life Insurance Sector (In India) :-

(Rs. Crore)

Year	Public Sector	% Changes	Private Sector	% Changes
2010-11	25151.85	—	17424.63	—
2011-12	30560.74	21.50 (+)	22315.03	28.07 (+)
2012-13	35022.12	14.60 (+)	27950.53	25.25 (+)
2013-14	38599.71	10.22 (+)	32010.30	14.52 (+)
2014-15	42549.48	10.23 (+)	35090.09	9.62 (+)

Gross Direct Premium of Non Life Insurance Sector (In India) – Rs. in Crore

The above table and graph shows the amount of Gross premium in non life insurance sector in India. In 2011-12,

*Principal, Indore Indira School of Career Studies, Indore (M.P.) INDIA

21.50% and 28.07% increase of premium in public & private sector. In 2014-15, 10.23% increase of premium in public sector and 9.62% in private sector.

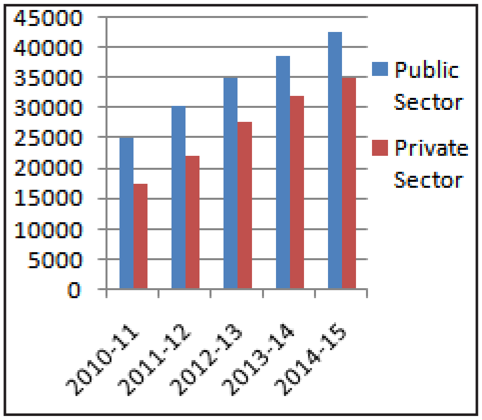

Net Incurred claims of Non Life Insurance sector in India

(Rs. Crore)

Year	Public Sector	% Changes	Private Sector	% Changes
2010-11	19599.14	—	9914.90	—
2011-12	22242.06	13.48 (+)	12755.79	28.65 (+)
2012-13	25061.37	12.67 (+)	14562.24	14.18 (+)
2013-14	27817.96	11 (+)	17874.11	22.74 (+)
2014-15	31567.75	13.48 (+)	19430.46	8.71 (+)

Net Incurred claims of Non Life Insurance sector in India – Rs. in Crore

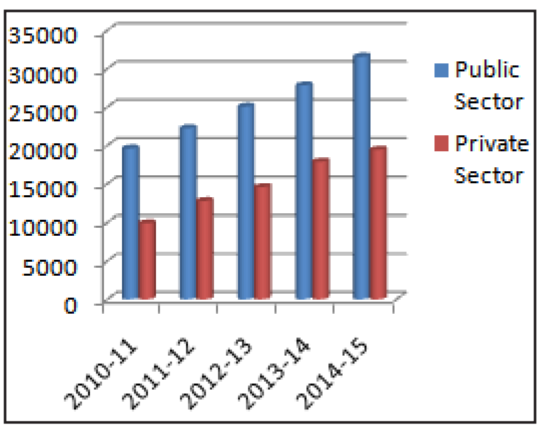

The above table and graph shows the amount of Net Incurred claims of Non Life Insurance sector in India. In public sector amount of claim increase by 13.48%, 12.67%, 11% and 13.48% from 2010-11 to 2014-15. In private sector amount of claim increase by 28.65%, 14.18%, 22.74% and 8.71 from 2010-11 to 2014-15.

Net profit/loses in Non Life Insurance sector in India :-

(Rs. Crore)

Year	Public Sector	Private Sector	Net Result
2010-11	-161.51	-857.43	-1018.94
2011-12	1152.48	-1120.19	32.29
2012-13	2602.72	679.11	3281.83
2013-14	2899.76	1539.14	4438.90
2014-15	3093.99	1643.51	4737.50

Net profit/loses in Non Life Insurance sector in India - Rs. in Crore

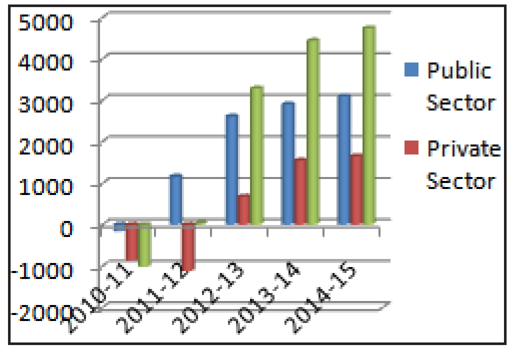

The above table and graph shows the net profit/loses of Non Life Insurance sector in India. As per above table show In 2010-11 net lose of Rs. 1018.94 crore. In 2012-13 to 2014-15 the net profit of Rs. 32.29, 3281.83, 4438.90 and 4737.50 crore.

Conclusion- The purpose of this research was study of non life insurance sector business in India. The growing free market regime has been a tough challenge are new facing severe competition between public & private sector in non life insurance market. IRDA to promote professionalism among intermediaries relate to minimum qualification, training and passing an exams before a license is issued to an agent. Intention to have more self regulating bodies for implementation of rules. IRDA has significant challenges in ensuring the protection of the interests of the public by regulating price, products and process.

References :-

1. IRDA Annual Report.
2. "Financial performance of general insurance business in India – A study of select indicators" Indian General of Replied Research – Ms. T. Rani and Dr. H. Shankar. Volume 4 – 2014
3. Manjit Singh & Rohit Kumar – 2000 "Emerging trends in financial performance of general insurance industry in India" Indian management studies general 13.
4. Shreedevi D and Manimegalai D4 (2013) – "A comparative study of public and private non life insurance in India" International journal of financial management Vol. 2.
5. Annual reports of non life insurance companies.

****

Spectrum for Charged Particle in a Class of Non-Uniform Magnetic Field

Dr. Amar Kumar*

Abstract - Two Hamiltonians are said to be strictly isospectral, if they have exactly same eigenvalue spectrum and S-matrix. The wave functions and their dependent quantities are different but related. This property is utilized to obtain the spectrum of charged particle in a class of non-uniform magnetic fields.
Keywords- Isospectral Hamiltonian, Non uniform magnetic field.

Introduction- The spectrum of charged particle in uniform magnetic field consists of equally spaced landau levels which are infinitely degenerate [1, 2]. In general, it is difficult to solve the problem for non-uniform magnetic fields. However the ground state is exactly calculable and possesses degeneracy related to the total flux [3]. The case where the magnetic field is one-dimensional has been solved in [4]. The partial spectrum of charged particle in a class of non-uniform magnetic field is obtained [5]. Applying supersymmetric quantum mechanical techniques [6-1 1], the isospectral Hamiltonian approach has been used to obtain the energy eigenvalue spectrum of charged particle for different cases of non-uniform magnetic fields. Although the idea of generating isospectral Hamiltonians using the Gelfand-Levitan approach [12] or the Darboux procedure [13] were known for some time, the supersymmetric quantum mechanical techniques make the procedure look simpler. When one deletes a bound state of a given potential $V(x)$ and re-introduce the state, it involves solving a first order differential equation, which admits a free parameter. Thus, a set of one-dimensional family of potential $V(x,O)$ can be constructed which have the exactly same energy spectrum as that of $V(x)$.

$aA=\frac{d}{dx}+W(x)$ and $A^t=-\frac{d}{dx}+W(x)$ are $W(x)=-\frac{d}{dx}[\ln\psi_0(x)]$ is called the supersymmetric operators and superpotential . We have

$H_1\psi_n = A^tA\psi_n = \in_n\psi_n,$ ...(1)

$AA^t(A\psi_n) = \in_n(A\psi_n),$

$H_2(A\psi_n) = \in_n(A\psi_n).$ ...(2)

Here H^2 is the supersymmetric partner Hamiltonian of $H_{1,\text{ with}}$ eigenfunction $x_n = A\psi_n$. It is obvious that H^2 has the same eigenvalue spectrum as that of H_1, but for the case $A\psi_0 = 0$, which is the case of supersymmetry broken. The relation between Hamiltonians reads.

$$E_n^{(2)} = E_{n+1}^{(1)}, E_0^{(1)} = 0,$$

$$\psi_n^{(2)} = [E_{n+1}^{(1)}]^{-\frac{1}{2}} A\psi_{n+1}^{(1)},$$

$$\psi_{n+1}^{(1)} = [E_n^{(2)}]^{-\frac{1}{2}} A^t\psi_n^{(2)},$$

The superpotential relates the supersymmetric partner potentials $V_{1(x)}$ and $V_{2(x)}$ as

$V_{1,2(x)} = W^2(x) \mp \frac{dW}{dx}.$ ...(3)

For the potential $V_{2(x)}$, the original potential $V_{1(x)}$ is not unique [6,7]. The argument is as follows, suppose H_2 has another factorization BB^t, where $B = \frac{d}{dx}+\widehat{W}(x)$, then, $H_2 = AA^t = BB^t$ but $H_1 = B^tB$ is not A^tA rather it define a certain new Hamiltonian. For superpotential $\widehat{W}(x)$, the partner potential $V_{2(x)}$ is

$V_{2(x)} = \widehat{W}^2(x) + \widehat{W}(x).$ ...(4)

Consider the most general solution as $\widehat{W}^{(x)+W(x)+}\varnothing^{(x)}$, which demands that,

$\varnothing^2(x) + 2W(x)\varnothing(x) + \varnothing^{\tau}(x) = 0.$ ...(5)

*Associate Professor, Department of Physics, KR PG College, Mathura (U.P.) INDIA

The solution of the above equation is $\emptyset(x)=\frac{d}{dx}$ in $[I(x)+\lambda]$, where

$I(x)=\int_{-\infty}^{x}\psi_0^2(x^\tau)dx^\tau$ and λ is a constant. Therefore, we obtain.

$\widehat{W}(x)=W(x)+\frac{d}{dx}\ln[I(x)+\lambda]$ ...(6)

The corresponding one-parameter family of potentials $\widehat{V}_1(x,\lambda)$ is given as

$\hat{V}_1(x,\lambda)\ V_1(x)-2\frac{d^2}{dx^2}(\ln(I(x)+\lambda))$. ...(7)

The normalized ground state wave function corresponding to the potential $\hat{V}_1(x,\lambda)$ read,

$\widehat{\psi}_0(x,\lambda)\ \frac{\sqrt{\lambda(1+\lambda)-\Psi_0(x)}}{I(x)+\lambda}$, ...(8)

Where $\lambda\notin(0,1)$. The eqs. (7) and (8) represent the one-parameter family of isospectral potentials and wave function, which shall be used to obtain the spectrum of the charged particle for a class of non-uniform magnetic fields.

Spectrum for Charged Particle in Non- Uniform Magnetic Fields

The spectrum of charged particle is obtained for one and two dimensions separately. In the first case, we consider that the magnetic field has only a z component and depends only upon one coordinate, say y. With the asymmetric choice of the gauge, $A_y=A_z=0$, we obtain [4], (choice $h=e=c=1$),

$[P_y^2+\ P_z^2+(P_x+e\ A_x(y))^2+m^2-H_z(y)]\ \psi=E\psi$ ...(9)

The variables P_x and P_y are constants of motion and can be considered as constants. The wave function is only a function of y. We choose and $A_x(y)$ such that the above equation becomes equivalent to a Schrodinger equation with a solvable potential. For the Choice $A_x(y)=H_0y$, the equation becomes Schrodinger equation for an harmonic oscillator [28]. Let us choose the vector potential $A_x(y)=-H_0\tanh y$ and the correxponding magnetic field $H_z(y)=H_0\sec h^2y$. The eq. (9) reduces to,

$[P_y^2+\xi^2-2P_x\xi\tanh y-(\xi^2+\xi)\operatorname{sech}^2y]\ \psi=(E-m^2-P_x^2-P_z^2)\psi$, ...(10)

Here $\xi=eH_0=H_0$. Since P_x and P_y are constants, therefore we can choose $P_x=P_y=0$. The eq. (10) is reduced in the form of one-dimentional schrodinger equation with a Rosen-Morse potential [29]. Introducing the notations,

$\gamma=\xi^2+\xi$, $\in=\xi^2+m^2+P_z^2-E$.

ψ Satisfies the differential equation,

$[\frac{d^2}{dy^2}-\in+\gamma\sec h^2y]\psi=0$ ...(11)

The differential equation can be converted into the hypergeometric equation by change of variable $\eta=\frac{1}{2}(1+\tan y)$

And the transformation

$\psi=\operatorname{sech}^\tau yF(y)$,

Where $\tau\sqrt{\epsilon}$. The differential equation satisfied by $F(\eta)$ is,

$\eta(1-\eta)F^n(\eta)[\tau+1)-2_\eta(\tau+1)]F^\tau(\eta)+[\gamma-\tau(\gamma+1)F(\eta)=0$...(12)

The solution of the above equation, which corresponds to $y=-\infty$ given by the hyper geometric function

$F[\tau+\frac{1}{2}-(\gamma+\frac{1}{4})^{\frac{1}{2}},\tau+\frac{1}{2}+(\gamma+\frac{1}{4})^{\frac{1}{2}},\tau+1;\eta]$

For ψ to be finite, we must have,

$\tau(\gamma+\frac{1}{4})^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}-n$.

For $n=0$, the normalized ground state can be calculated as

$\psi_0=A_0(y)=\frac{1}{\sqrt{\beta(\frac{1}{2},\ \xi)}}\operatorname{sech}^\xi y$....(13)

Using eqs. (7), (8) and (13), one can calculate $I(y)$, $\hat{A}_0$ and $\widehat{H}_z$ for different values λ. All the members of the family $\widehat{H}_z(y,\lambda)$ give same spectrum as the unformed magnetic field. We obtain.

$$\psi_0 = \frac{2\sqrt{\beta(\frac{1}{2},\xi)\sqrt{\lambda(\lambda+1)}\text{sech}^{\xi} y}}{\beta\left(\frac{1}{2},\xi\right)(2\lambda+1) + \frac{2g(y)}{(1-2\xi\sqrt{1-cosh^2 y}}}$$

........(14)

$$\widehat{H}_z(y) = \xi \text{sech}^2 y + \frac{8(2\xi-1)\text{sech}^{2\xi} y\sqrt{1-cosh^2 y}\,2\xi g(y) f(y)}{(2\xi-1)(2\lambda+1)\beta(\frac{1}{2},\xi)\sqrt{1-cosh^2 y+g(y)}}$$

Where

$g(y)$ Hypergeometric 2F1 $(\frac{1}{2}\text{-}\xi, \frac{1}{2}\frac{3}{4}\text{-}\ \xi cosh^2 y)\text{sech}^{2\xi} y sinh^2 y$

and

$$f(y) = (2\xi-1)\sqrt{cosh^2 y}\,(\text{sech}^{2\xi} y + \xi(2\lambda+1)\beta\left(\frac{1}{2},\xi\right)\tanh y)$$

The non-uniform magnetic field is plotted for different values of ξ and λ in Figs. 1 and 2. The flux for deformed magnetic field is obtained as

$$\hat{\phi} = \int_{\infty}^{\infty} \widehat{H}_Z = \hat{\phi} \qquad ....(16)$$

It is found that even though the undeformed and deformed magnetic field H_z and $\widehat{H}_Z$ are different, but the corresponding flux is same . Another choice of $A_x(y)$ that leads to exactly solvable equation is $A_x(y) = \xi(1-e^y)$ and

We get $H_x(y) = \xi e^y$. The Pauli equation reduces to a one-dimentional Schrodinger equation with Morse potential [30].Choosing the constants $P_x=P_y=0$ and introducing the notations,

$g=E\text{-}m^2\text{-}P_z^2\text{-}\xi^2$

$F=2\xi^2+\xi$

The differential equation for ψ is obtained as,

$$[\frac{d^2}{dy^2}+g+fe^y-\xi^2 e^2 y]\,\psi(y) = 0. \qquad ...(17)$$

The equation is transformed to Laguerre'seqation by the change of variable $x=2\xi e^2$ and the transformation $\psi(y) = x^{\sqrt{-g}} e^{-x/2} G(x)$. The function G is the Associated languerre polynomial $L_n^{2\sqrt{-g}}(x)$. So, the wave function in terms of variable y is written as [4].

$$\psi_n(y) = (2\xi e^2)^{\sqrt{-g}} e^{-\xi e^y} L_n^{2\sqrt{-g}}(2\xi e^2)$$

And the energy eigenvalues are calculated as $E=m^2+P_z^2+2n\xi - n^2$. The ground state wave function reads

$$\psi_n(y) = (2\xi e^2)^{\xi} e^{-\xi e^y} \qquad ....(18)$$

Now, we can calculate the deformed wave function and the family of magnetic field which has the same spectrum. The deformed ground state wave function (for ξ=2) is,

$$\hat{\psi} = \frac{\sqrt{\lambda(\lambda+1)}16e^{-2e^{-2e^y+2y}}}{\frac{128}{3}\left(\frac{3}{128} - \frac{3}{128}e^{-4e^y}(3+12e^y+24e^{2y}+32e^{3y})\right)+\lambda} \qquad ...(19)$$

And the deformed magnetic field reads.

$\widehat{H}_z(y)=2e^2+\frac{1024e^{4y}[3+9e^y+12e^{2y}+8e^{3y}-3(1+\lambda)e^{4ey}+(1+e^y)]}{[3+12e^y+24e^{2y}+32e^{3y}-3e^{4ey}(1+\lambda)]^2}$ ....(20)

The defomed magnetic field is plotted for different positive and negative value of deformation parameter in Figs. 3 and 4. The flux for the deformed magnetic field is same as that for undefomed magnetic field.

Now we consider the problem of charged particle in two dimensions. The Pauli-Hamiltonian for the motion of charged particle in magnetic field for this case is given by.

$2H=(P_x+A_x)^2+(P_y+A_y)^2+(\nabla\times A)_z\,\sigma_z$...(21)

We choose

$A_x = Byf(\rho),\quad Ay = -Bxf(\rho),$

Where $\rho\sqrt{x^2+y^2}$ and B is a constant then the magnetic field is given by,

$B_z = 2Bf(\rho) + B\rho f'(\rho)$ ...(22)

Eq. (21) takes the form

$2H=-\left(\frac{d^2}{dx^2}+\frac{d^2}{dy^2}\right)+B^2\rho^2f^2+2BfL_z+(2Bf+B\rho f'(\rho))\sigma_z,$

Where L_z is the component of the orbital angular momentum operator. To solve the Corresponding Schrodinger equation in cylindrical coordinates, the wave function is factorized as

$\psi\left((\rho,\emptyset)=R(\rho)e^{im\emptyset}\right)$ and upon substituting $R(\rho)=\rho^{-\frac{1}{2}}A(\rho)$, we obtain,

$\left\{\frac{d^2}{d\rho^2}+\left[B^2\rho^2f^2-2Bf+2Bmf-B\rho f'(\rho)+\frac{m^2-\frac{1}{4}}{\rho^2}\right]\right\}A(\rho)=2EA(\rho)$

...(25)

For m≤ 0, the left hand side can be written as $\alpha^{+}a$ where,

$a=\frac{d}{d\rho}+B\rho f-\frac{|m|+\frac{1}{2}}{\rho}$ ...(26)

The ground state wave function is obtained by solving the equation

$\left[\frac{d}{d\rho}+B\rho f-\frac{|m|+\frac{1}{2}}{\rho}\right]A_0(\rho)=0$ ...(27)

And we get,

$A_0(\rho)=N\rho^{|m|+\frac{1}{2}}e^{-\int B\rho f d\rho}$ ....(28)

Using isospectral Hamiltonian formalism, the ground state wave function for the one parameter Family of isospectral potentials is given by.

$\widehat{A_0}=(\rho,\lambda)\frac{\sqrt{\lambda(\lambda+1)}A_0(\rho)}{1(\rho)+\lambda}$....(29)

The corresponding $\hat{f}$ can be calculated as

$\hat{f}=f+\frac{1}{B\rho}\frac{d}{d\rho}In(1+\lambda).$ ...(30)

The isospectral magnetic field is given by

$\hat{B}=B_z+\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{d}{dp}In(1+\lambda)\right).$ ...(31)

The flux for $\widehat{B_z}$ is calculated as

$\widehat{\emptyset}=\int B_z d^2\rho+2\pi\int_{\infty}^{\infty}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{d}{dp}In(1+\lambda)\right)dp=\emptyset$ ...(32)

Now, we can choose the different forms of f i.e. different magnetic fields and calculated the Isospectral family of non-uniform magnetic fields which give the same spectra as that of the Undefomed magnetic fields. For the choice, f=tanhρ/ρ, the magnetic field is

$B_z=B\left[\frac{\tanh\rho}{\rho}+sech^2\rho\right]$ ...(33)

And the corresponding ground state wave function reads,

$$A_0(\rho) = N\rho^{|m|+\frac{1}{2}}(\text{sech}\,\rho)^B \qquad \ldots(34)$$

Through the spectrum is not exactly known, but once the ground state is obtained, this approach can be applied to obtain the deformed magnetic field which will give same spectrum. We can calculate $I(\rho), \widehat{A_0}, \hat{f}$ and $\hat{B}$ for each value of m so that one has a family of magnetic fields all of which give same spectrum. $\hat{B}_z$ is calculated as,

$$\hat{B}_z = B_z + \frac{N^2\rho^{2m}\,sech^{2B}\rho}{I(\rho)+\lambda}\left[2+2m-2B\rho\,tanh\rho-\frac{N^2\rho^{2m+2}\,sech^{2B}\rho}{I(\rho)+\lambda}\right] \ldots(35)$$

Where N is the normalization and

$$I(\rho) = N^2\int \rho^{2|m|+1}(\text{sech}^2\rho)^B d\rho.$$

Thus a family of magnetic field with same spectrum is obtained. The magnetic fields are poltted For $m=0$ and $m=-1$ and for different values of deformation parameter λ in Fig. 5-7.
As $\lambda \to \pm\infty, \widehat{B_z} \to B_z$ i.e. for these values of λ, we get back the undeformed magnetic field.
Though the undeformed and deformed magnetic fields are different but the corresponding Flux is found to be same. One can also obtain the multiparameter family of magnetic fields $\widehat{B_z}(\lambda 1, \lambda 2 \ldots)$, all the which also give the same spectrum by following the work of Keung et Al. [31].

References:-

1. L.D. Landau and E.M. Lifshitz *Quantum Mechanics Pergamon, 1958).*
2. S. Fubini, *Int. J. Mod. Phys.A, 5: 3533 (1990).*
3. Y. Aharnow and A. Casher, *Phys. Rev. A, 19: 2461 (1979).*
4. G.N. Stanciu, *J. Math, Phy.,8: 2043 (1967).*
5. Khare and C. N. Kumar, *Mod. Phys. Lett. A, 8: 523 (1993).*
6. B. Mielnik, *J. Math. Phys., 25: 3387 (1984).*
7. M.M. Neito, *Phys.Lett. B. 145:* 208 (1984).
8. F. Cooper, A Khare and U. Sukhatme, Phys. Rep., 125 (1995).
9. P.B. Abraham and H.E. Moses, Phys. Rev. A. 22, 1333 (1980).
10. D.L. Pursey. Phys. Rev., D 33: 1048 (1986).
11. A Khare and U. Sukhtme, J. Phys. A: Math. Gen., 22,2847 (1989).
12. K. Chadan and P.C. Sabatier, Inverse Problems in Quantum Scattering. Theory, (Springer, Berlin, 1977).
13. G. Darboux. C.R. Academy Sc. (Paris), 94: 1456 (1882).
14. C.N. Kumar, J. Physc A, 20: 5397 (1987).
15. B. Dey and C.N. Kumar, Int. J. Mod.Phys.A, 9: 2699 (1994).
16. Anil Kumar and C.N. Kumar, Ind. J. Pure & App. Phys., 43: 438 (2005).
17. Anil Kumar, Ind. J. Pure & App. Phys. 43: 958 (2005).
18. R. Atre, Anil Kumar, N. Kumar and P.K. Panigrahi, Phys. Rev. A, 69: 052107(2004).
19. M.A. Rayes and H.C. Rosu, J. Phys. A: Math. Theor.,41 (2008)
20. S.V. Damitriev Et. Al. arXiv: 08022375 [nilin. SI] 17 Feb. 2008.
21. M.V. Loffe and A.I. Neelov, J. Phys. A: Math, Gen., 36: 2493 (2003).
22. T.E. Clark, S.T. Love and S.R. Nowling, Mod. Phys, Lett. A, 15: 2105 (2000).
23. A.I. Voronin, Phys. Rev. A, 43: 29 (1990).
24. R. de Lima Rorigues, V.B. Bezerra and A.N. Vaidya, Physc. Lett.A, 287:45(2001).
25. S.M. Klishevich and M.S. Plyushchay, Nucl. Phys, B. 616: 403 (2001).
26. J. Niederle and ANikiting, J. Math. Phys40: 1280 (1999).
27. A Nikitin, Int. J. Mod. Phys., 14: 885 (1999).

28. M.H. Johnson and B.A. Lippmann, Phys. Rev. 76: 828 (1949).
29. N. Rosen and P.M. Morse, Phys. Rev., 42, 210 (1932).
30. P.M. Morse. Phys. Rev. 34: 57(1929).
31. W.Y. Keung. U. Sukhatme, Q. Wang and T.D. Imbo, J. Phys. A, 22: L987 (1989).

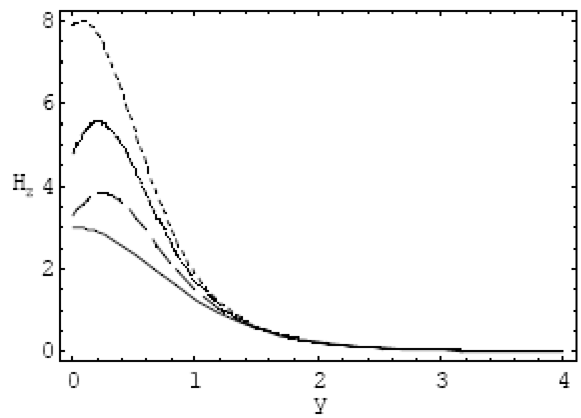

Fig.1. Magnetic field $\hat{H}(z)$ for ξ=3 and for λ =0.1 (small dash), λ =0.5 (dotted line), λ =2.0 (large dash) and solid line represents undeformed magnetic field

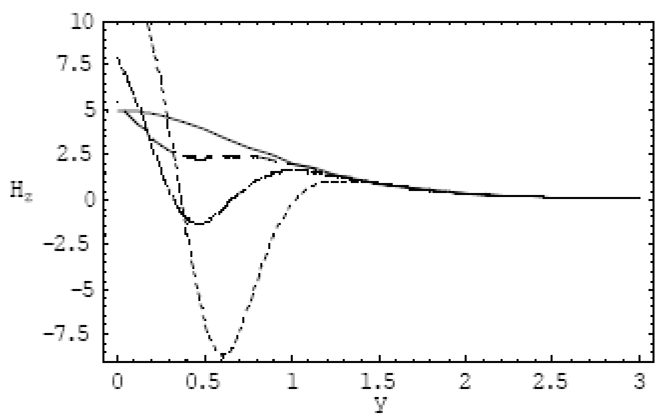

Fig. 2. Magnetic field $\hat{H}(z)$ for ξ=5 and for λ =-1.1 (small dash), λ =-1.5 (dotted line), λ =-3.0 (large dash) and solid line represents undeformed magnetic field

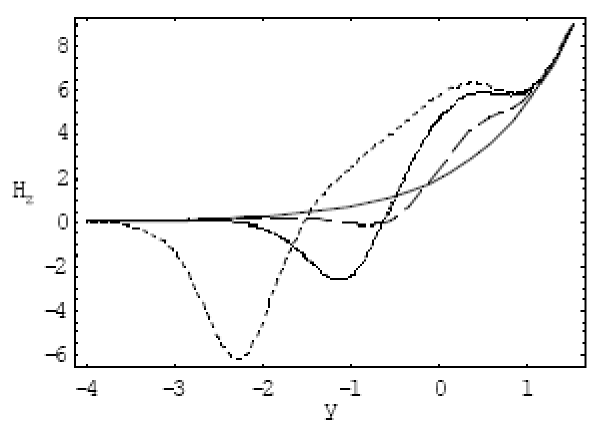

Fig. 3. Deformed Magnetic field $\hat{H}(z)$ for λ =0.001 (small dash), λ =0.1 (dotted line), λ =1.0 (large dash) and solid line represents undeformed magnetic field

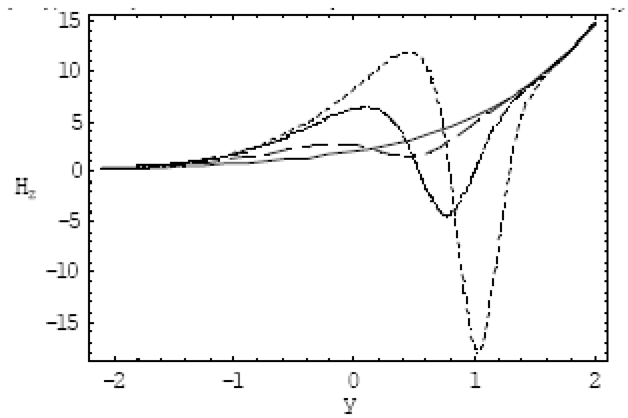

Fig. 4. Deformed Magnetic field $\hat{H}(z)$ for λ =-1.01 (small dash), λ =-1.1 (dotted line), λ =-2.0 (large dash) and solid line represents undeformed magnetic field

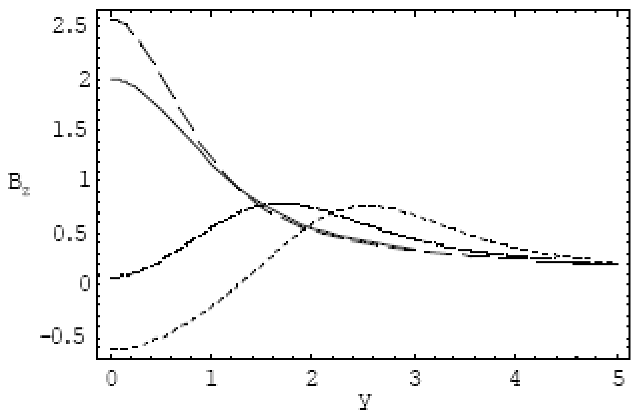

Fig. 5. Magnetic field $\hat{B}(z)$ for $m=0$ and for λ =-1.1 (small dash), λ =-1.5 (dotted line), λ =-5.0 (large dash) and solid line represents undeformed magnetic field

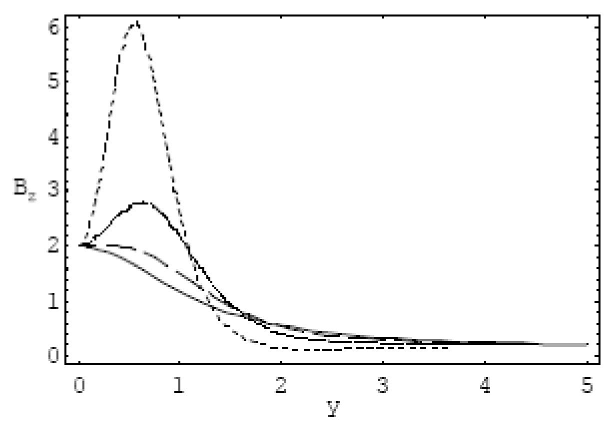

Fig. 6. Magnetic field $\hat{B}(z)$ for *m*=-1 and for λ =0.1 (small dash), λ =0.5 (dotted line), λ =3.0 (large dash) and solid line represents undeformed magnetic field

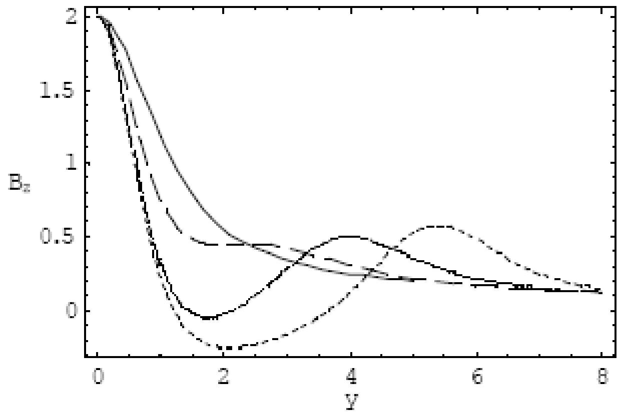

Fig. 7. Magnetic field $\hat{B}(z)$ for m=-1 and for λ =-1.01 (small dash), λ =-1.1 (dotted line), λ =-2.0 (large dash) and solid line represents undeformed magnetic field

****

सवाई माधोपुर का लोक जीवन लोक कला, लोक गीत एवं संगीत (मीणा समाज के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सुनिता मीना*

प्रस्तावना – भगवान त्रिनेत्र गणेश की छत्रछाया में अरावली और विन्ध्यांचल पर्वत श्रृंखला की अत्यंत मनोरम और रमणीय पहाड़ियों को स्वयं में समाहित किये हुए। चंबल, बनास व मोरेल जैसी पावन नदियों के जल से अनुग्रहित सवाई माधोपुर जिला लगभग 4,498 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सवाई माधोपुर शहर की स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह ने 19 जनवरी 1763 में की थी। सवाई माधोपुर जिले के क्षेत्र प्राचीन करौली रियासत तथा जयपुर रियासत की सवाई माधोपुर, गंगापुर तथा हिण्डौन निजामतों में आता था। स्वतंत्रता के पष्चात् करौली रियासत को 17 मार्च 1947 को मत्स्य संघ में सम्मिलित कर दिया गया, बाद में जयपुर रियासत के साथ मिलाकर संयुक्त राज्य राजस्थान बना दिया गया। पहली बार 15 मई 1947 को सवाई माधोपुर अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। सन् 1992 और 1997 में सवाई माधोपुर जिले के कुछ क्षेत्रों को पृथक करके क्रमश: दौसा तथा करौली जिले का सृजन किया गया। वर्तमान में जिले में 8 उपखण्ड व 9 तहसीले एवं 7 पंचायत समितियां हैं।

जिले में वैसे तो कदम कदम पर किले, गढ महल तथा बावड़ियां इत्यादि की ऐतिहासिक धरोहर बिखरी पड़ी है जो इसकी पुरानी ख्याति व शोर्य की ओर संकेत करते हैं, किन्तु ईसरदा का दुर्ग, खण्डार का तारागढ़ दुर्ग तथा रणथम्भौर का किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रण और थंभ की पहाडियों के मध्य 12 किलोमीटर की परिधि में बना रणथंम्भौर का अजेय दुर्ग सवाई माधोपुर जिले की शान है। दिनांक 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विष्व धरोहर घोषित किया। साथ ही जिला, विश्व मानचित्र पर 'रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान' में पाये जाने वाले विष्व प्रसिद्ध बाघ के लिए भी विख्यात है।

सवाई माधोपुर जिला अपने मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है यहां स्थित प्रत्येक मंदिर के साथ कोई न कोई लोक कथा जुड़ी हुई है। सुंदर वास्तुशिल्प से सजे ये मंदिर बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षिक करते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, घुश्मेश्वर, अमरेश्वर, सोलेश्वर महादेव, मंदिर काला गौरा भैरव मंदिर, सीता माता मंदिर, चमत्कारजी का मंदिर, इटावा के बालाजी, चौथ माता मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं, जहां समय– समय पर मेले लगते है जो जिले की लोक संस्कृति की धारा को अविरल एक पीढ़ी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित करते आ रहें हैं।

लोक जीवन– साधारण जनता के जीवन से संबंधित गतिविधियां जिनमें कृत्रिमता का अभाव हो लोक जीवन के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। 'लोक' मानव समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अंहकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवत रहता है। लोक जीवन का वास्तविक रंग हमे ग्रामीण परिवेष में दिखता है। सवाई माधोपुर के गांवों का सुखद, शांत व आकर्षक वातावरण लोक जीवन के अनगिनत रंग अपने में समेटे हुए है। गांवों में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और उनके व्यवसाय भी भिन्न भिन्न है समय के साथ गांवों में घास–फूंस तथा गोबर मिट्टी के लेप से बने घर अब कम नज़र आते हैं उनका स्थान अब पक्के मकानों ने ले लिया है। किंतु अभी भी यहां के मिट्टी के घरों को मांडणों से सजाया जाता है।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भाषा एवं बोलियां बोली जाती हैं जिले की प्रमुख भाषा ढूंढाड़ी है पूर्वी क्षेत्रों में मेवाती भी बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा की कई बोलियां और उप–बोलियां यहां मिलती है।

यहां के पहनावे की बात करें तो शहरी क्षेत्र के आधुनिक परिधानों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के वस्त्र विन्यास परम्परागत होने के साथ–साथ आकर्षक भी होते हैं। मीणा समाज के लोगो का बाहुल्य जिले में है, अत: उनके परिधानों के विषय में चर्चा करना महासार्थक होगा। मीणा जाति के पुरूषों द्वारा शरीर पर सफेद धोती–कुर्ता तथा कंधे पर पतला तौलिया नूमा कपड़ा अथवा गमछा धारण किया जाता है। समाज के बड़े–बुजुर्ग पगडी भी धारण करते हैं यह पगडी अथवा पाग प्राय: सफेद रंग की होती है। वर्तमान में मीणा जनजाति के पुरूष विशेष अवसरों पर रंग–बिरंगा साफा भी पहनते हैं। समाज की युवा पीढ़ी अब सामान्यत: पैंट–शर्ट तथा आधुनिक परिधानों को पसंद करती है। मीणा समाज के पुरूष प्राय: आभूषण भी धारण करते थे जो अब प्राय कम देखने को मिलते है पुरूषों के आभूषणों में मूर्की (कान की बालियां) जंतर, गंडा, डोरा तथा बट्टी (चारो ही गले में धारण किये जाने वाले स्वर्ण आभूषण है।) प्रमुख है।

महिलाएं घाघरा, ब्लाउज अथवा विशेष प्रकार की शर्ट तथा ओढ़नी (लूगडी) पहनती है। सवाईमाधोपुर की मीणा महिलाओं की पहचान उनके विशेष प्रकार के सुंदर रेशमी धागों की कढाई से सुसज्जित वस्त्र हैं। उनका लहंगा सात अथवा आठ मीटर कपड़े का बना होता है जिस पर चारों और बोर्डर के रूप में सुंदर फूल पत्तियों की रेशमी कढ़ाई की हुई बेल बनी होती है। कभी–कभी वे प्रिंटेड लंहगा भी पहनती हैं। मीणा महिलाओं की ओढ़नी लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी तथा अन्य बहुत से रंगो की होती है।

आभूषण सोने व चांदी दोनों कीमती धातुओं के धारण किये जाते हैं वर्तमान में सोने के आभूषणों की लोकप्रियता बढ़ी है किन्तु अब से कुछ वर्ष पूर्व तक मीणा महिलाएं व पुरूष दोनों बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण पहनते थे। इनमें चांदी का बोरला, चांदी की बालियां, झुमके, हसली, कमरबंद, चांदी के हाथ पैरों के कड़े, बड़ा (बांह में पहनने का आभूषण पौंच, बगडी) पैरों में चांदी से बना हुआ पोला (खोखला) जेवर जिनमें टणंका नेवरी, प्रमुख है

* सह–आचार्य (इतिहास) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

चांदी की बडी–बड़ी पायल भी मीणा महिलाओं में लोकप्रिय रही है।

मीणा समाज में अब से कुछ समय पहले तक अंग चित्रांकन Tattoo प्रथा प्रचलित रही है। जिसमें सुई अथवा बबूल के कांटे से मानव शरीर पर विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती है। इसमें घाव को कोयला अथवा खेजड़ी की पत्तियों के पाउडर से भरा जाता था। पाउडर खून को सोख लेता है और सूखने के बाद आकृति हरे रंग में उभर आती है। किन्तु आधुनिक महिलाएं अब परम्परागत गोदनों में कम रूचि रखती है। सवाई माधोपुर जिले के मीणा समाज के लोग शाकाहारी भोजन करते हैं इनके भोजन में दूध–दही, घी तथा इनसे बने पदार्थ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका भोजन अत्यन्त सादा किन्तु पोष्टिकता से भरपूर होता है इसमें हरी पत्तेदार शाक सब्जियां फल दाल, गेंहू, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख हैं।

लोक कला– सीधे शब्दों में कहें तो साधारणतया मानव के मस्तिष्क में चल रही हजारों प्रकार की कल्पनाओं को मूर्त में समाज के समक्ष रखने की प्रक्रिया है लोक कला सवाई माधोपुर के गांव अपनी लोक कलाओ के लिये प्रसिद्ध है। इनमें विशेष रूप से कुछ लोक कलाएं अत्यन्त मनोहारी सुरम्य, रूचिकर तथा प्रयोज्य हैं।

मांडणा– सवाई माधोपुर जिले की लोक आस्था में मांडणो का बहुत की महत्वपूर्ण स्थान है। मांडणा कला का सवाई माधोपुर की मीणा जनजाति के जीवन में सदा ही विशिष्ट स्थान रहा है। त्यौहारों, उत्सवों और मांगलिक कार्यो में मांडणा प्रत्येक घर–आंगन की शोभा होता है। दीपोत्सव के अवसर पर तो यह कला लोक प्रथा का स्वरूप धारण कर लेती है, इस उत्सव पर ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लिपाई पुताई व रंगाई के साथ मांडणें बनाना अनिवार्य सा होता है। यहां पर ग्रामीण के साथ–साथ शहरी क्षेत्र में भी मांडणा अंकन के जीवंत दर्षन होतें हैं किन्तु, कपितय घरों में इनके अंकन का माध्यम बदल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांडणा बनाने के लिए गेरू या हिरमिच एवं खडिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें गेरू या हिरमिच का प्रयोग पार्श्व (Back Ground) के रूप में किया जाता है। जबकि इसमें विभिन्न आकृतियों व रेखाओं का अंकन खडिया अथवा चूने से किया जाता है। वर्तमान में शहरों में आयल, पेंट का भी प्रयोग किया जाता है। हमारी संस्कृति में मांडणों को श्री एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण अंग माने गये है। तभी तो हवन और यज्ञों की वेदी का निर्माण करते समय भी मांडणे बनाये जाते है। शास्त्रों में वर्णित 64 कलाओं में मांडणों का भी प्रमुख स्थान है। यहां के माडणों में चौक, चौपड़, संझ्या, श्रवण कुमार, नागों का जोड़ा, डमरू, जलेबी, चंग, बेल, सांथिया (स्वास्तिक) पगल्या, बीजणी, रथ, मोर, हाथी व अन्य पशु पक्षी प्रमुखता के साथ मांडे जाते हैं।

पगल्या– आराध्य देवी के घर आगमन के रूप में पगल्ये (पद चिन्ह) बनाए जाते है। मांडणों में इनका चित्रण सर्वाधिक होता है।

ताम मांडणा– दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का प्रतीक, विवाह के अवसर पर लग्न मंडप में बनाया जाता है।

चौकड़ी मांडणा– चारों दिशाओं में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।

थापा मांडणा– मांगलिक अवसर पर घर की चौखट पर हाथों के निशान बनाया जाता है।

मोरडी मांडणा– मीना जनजाति की महिलाओं द्वारा घर आंगन में बनाई गयी मोर की आकृति।

सातिया मांडणा– मांगलिक अवसर, बच्चे के जन्म पर बनाए जाते है।

काली मिट्टी की कलात्मक वस्तुएं– मीणा जन–जाति की महिलाए काली मिट्टी को गूंद कर उसमें तूड़ी (मवेशियों का चारा) मिला कर भोजन पकाने के लिये सुंदर चूल्हे, सिगडी कोठी तथा बच्चों के खेलने के छोटे–छोटे खिलौने बनाने में सिद्धहस्त होती है। मीणा महिलाएं इन चूल्हों, सिगड़ियों तथा कोठियों पर कांच (शीशा) कौड़ियों तथा रंगों से सुंदर कलात्मक आकृतियां बनाती है।

कलात्मक खाट का निर्माण– मीणा जनजाति के लोग मूंज (विशेष प्रकार की घास) और सण की पतली रस्सियों से कलात्मक खाट (खटिया) और पीडा (रस्सियों और लकडी से निर्मित बैठने की चौकी) बनाने में दक्ष होते है। पुरूष और महिलाएं दोनों ही इस कार्य को करते हैं सबसे पहले मूंज अथवा सण के रेशों को ढेरा (रस्सी बनाने की तकली) की सहायता से बल देकर रस्सी बनाते हैं फिर उस रस्सी को अलग–अलग रंगो में डूबोकर रंगीन बनाते हैं और फिर इन रंग बिरंगी रस्सियों से सुंदर व कलात्मक खाट बनाते है ये जितनी संदर होती है, उतनी ही सुविधाजनक व आरामदायक होती है। ये खुबसूरत खाट अथवा मांचे मीणा समाज के घरों की बैठकों (Drawing Room) की शोभा होती है। किंतु आधुनिकता के वषीभूत ये कला अब विलुप्त होती जा रही है।

खजूर के पत्तों से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण– मीणा समजा की महिलाए खजूर के पत्तों से कलात्मक झाडू, ढोकली (डलिया) तथा बीजणी (हाथ का पंखा) भी बनाती है। खूजर से बनी कलात्मक व उपयोंगी झाडू को स्थानीय भाषा में 'पीछा' कहते हैं महिलाओं द्वारा मूंज तथा खजूर के पत्तों से रंग बिरंगी छोटी बड़ी ढोकलियां तैयार की जाती है और इस प्रकार की कलात्मक वस्तुए हर घर में पाई जाती है।

कलात्मक बीजणियों का निर्माण– मीणा जनजाति के गांवों में गर्मियों में हाथ से हवा करने के लिये पंखे होते हैं हाथ से निर्मित ये सुंदर व कलात्मक पंखे (बीजणी) खजूर के पत्तों अथवा मूंज की डंडियों और धागों से बनाए जाते हैं। इन बीजणियों को और अधिक सुंदर बनाने के लिये रंग–बिरंगी रिब्बन, कपड़ा, सितारे, कौड़ियो तथा कांच के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। यद्यपि बिजली के स्वचालित कूलर, पंखों के कारण बीजणी निर्माण का कार्य आधुनिक मीणा समाज में कम हो गया है।

इंडी अथवा चूमड़ी– पनघट से पानी लाने के लिये मटके को आधार प्रदान करने के लिये सिर के ऊपर गोल आकार की वस्तु रखी जाती है। जिसे सवाई माधोपुर जिले की स्थानीय भाषा में इंडी अथवा चूमडी कहा जाता है। यह कपड़ें तथा रस्सी से बनाई जाती है। इसे आकर्षक बनाने के लिये कांच हीरे–मोती तथा कपड़ो की रंग बिरगी कतरनों का उपयोग किया जाता है। विवाह–समारोह के अवसर पर चाक पूजन के समय भी कलात्मक चूमड़ियों का उपयोग किया जाता है। मीणा महिलाए इनको बनाने में सिद्धहस्त होती हैं।

दूंमलो का उपयोग– रद्दी कागज को रातभर पानी में गलाकर उसे कूटकर उसकी लुगदी बानई जाती हैं तथा विभिन्न आकार प्रकार के सांचो पर उसे ढालकर इसके उपर शीषम के पत्तों का लेप किया जाता है। इस पर भी कांच व कौंडियों से कलात्मक कारीगरी की जाती है। दूंमलो का उपयोग अनाज आटा तथा अन्य सामग्री रखने के लिये किया जाता है। वर्तमान में यह कला लुप्तप्राय हो चुकी है।

कलात्मक गंडो का निर्माण– मीणा जनजाति के लोग अपने मवेषियों को सजाने के लिये उनके गले में मोर के पंख कौंडियों, सीपियों घंटियो, घुंघरूओं तथा महिलाओं के टूंटे झड़े हुए बालों तथा रंग–बिरंगी रस्सियों से सुंदर मालाएं बनातें हैं। गायों के सिर पर मोर के पंख से निर्मित कलंगियों का निर्माण भी किया जाता है।

कपडे की गिदियों का निर्माण– मीणा समाज की महिलांए फटे पुराने कपड़ों तथा नए कपड़ों की कतरनों से खाट पर बिछाने के लिये सुंदर गिदियों

का निर्माण भी करती हैं। अब से कुछ समय पहले तक जब ऊँट, बैलगाडियों तथा घोड़ों का उपयोग आवागमन के तौर पर किया जाता था तब मीणा महिलाएं उनको सजाने के लिए अलग अलग प्रकार की कलात्मक 'झूल' तैयार करती थी।

सुंदर कढ़ाई और बुनाई के नमूने– मीणा महिलाए किसी वस्तु को खडी में डूबोकर कपड़ो पर उसका छापा देकर उसके उपर कांच तथा रेशम के धागों से कढ़ोई भी करती हैं किन्तु आधुनिकता व मशीनीकरण के कारण ये कला लगभग खत्म हो चुकी है।

लोक गीत एवं संगीत लोक गीत का शाब्दिक अर्थ है जन मानस की आत्मा में रचा–बसा गीत डॉ. सदाशिव फड़के के अनुसार 'शास्त्रीय नियमों की परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपनी आनंद तरंग में जो छन्दोबद्ध वाणी सहज करता है वहीं लोकगीत है।' अत: लोकगीत निष्चित रूप से मौखिक परंपरा के सार्थक शिलालेख हैं।

मीणा समाज में स्त्री– पुरूष दोनों लोकगीतों के अच्छे गायक होते हैं। सवाई माधोपुर के आदिवासी मीणा समाज में लोकगीत– संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मीणा जनजाति में पुरूष व महिलाओं के संयुक्त गीत व एकलगीत प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं इनके गायक कलाकर भी स्थानीय होते हैं, मीणा जनजाति द्वारा मुख्य रूप से हरिकीर्तन (रामधुन) पद कन्हैया, सुड्डा, दंगल, हेला, ख्याल, गोठ, मीणा ढांचा, रसिया, भजन एवं क्षेत्रीय लोकगीत गाये जाते है।

पद कन्हैया– सवाई माधोपुर के मीणा बहुल गांवों में कन्हैया पद मुख्य रूप से गाये जाते हैं। सवाई माधोपुर के चकेरी गांव में पद दंगल के लिये स्टेडियम बना हुआ है। कन्हैया पदों का विषय महाभारत के कथानक्र राजा हरिशचंन्द्र की कथा, भर्तहरि की कथा, सुरेखा बाई की कथा, श्रवण कुमार की कथा, पुराणों के प्रसंग तथा विभिन्न धार्मिक परम्पराओं तथा कथानको पर प्रमुखता से आधारित होते हैं। इनके अतिरिक्त सामाजिक जीवन राजनीति शिक्षा, दहेज प्रथा इत्यादि प्रसंगो का भी पद दंगल में सजीव तथा संगीतमय प्रस्तुतीकरण होता है। इन लोकगीतों की विषयवस्तु समकालीन विषयों के अलावा समाजिक स्थिति एवं युगीन समस्याओं को भी मुखरित करती है। पद कन्हैया के कलाकारों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस मौखिक गीत, संगीत की लोक परम्पर से प्रशिक्षित किया है, पद कन्हैया का कलाकार अपनी सामाजिक परम्पराओं व रीति–रिवाजों का निर्वहन करते हुए अपने ह्रद्य की गहराईयों से निकलती मधुर गूंजती टेरती आवाज में अपनी इस लोक गायन की विद्या का प्रस्तुतीकरण करता है। जब अंतर्मन से शब्द निकलते हैं तब इन कन्हैया पदों का प्रस्फूटन होता है।

इन लोकगीतों के माध्यम से धार्मिक सामाजिक परम्पराओं, दहेज, बाल विवाह, मृत्युभोज, कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा भेदभाव पर जमकर प्रहार किया है। मीणा समाज के लोकगीत कलाकार अपनी–अपनी मण्डली जोठ को इस विद्या के गुर सिखाते है। जिससे इस विद्या की प्रासंगिकता और आकर्षण बना रहता है। कन्हैया पद दंगल में अलग पक्ष (टीमे) अपनी संगीत मय पद प्रस्तुति से विरोधी टीमों से भिड़ते है। दंगल शब्द का शाब्दिक अर्थ ही कुष्ती, मल्लयुद्ध, पहलवानी है। किंतु यह संघर्ष पद, गीत–संगीत व काव्य कौषल तथा तुकबंदी के साथ होता है। कन्हैया पद लोकगीत गायकों की एक मण्डली में कुछ महत्वपूर्ण पात्र होते हैं जो इस प्रकार हैं–

गुरू– वह विद्वान व्यक्ति जिसे शास्त्र, रीति–रिवाज तथा परम्पराओं का ज्ञान होता है। यह अपनी जोठ के लिए किसी भी प्रसंग पर गीत तैयार करता है।

मेडिया– यह पूरी जोठ या मण्डली का सूत्रधार होता है। मेडिया कभी–कभी स्वयं गुरू भी होता है यह गुरू द्वारा बनाये गीत को सुर, लय एवं ताल प्रदान करता है। अपने मधुर कण्ठ व टेरती ऊँची आवाज से गीत का गायन करता है। मेडिया का तात्पर्य नेतृत्वकर्ता होता है। मेडिया के पीछे–पीछे सह–गायक एवं पूरी जोठ एक साथ पद अथवा गीत को ढोल, नांद एवं तालियों के साथ पूरा करती है। इसी बीच मेडिया अपने हाथों के इशारों व डूं डूं कर, मठार–मठार कर बीच–बीच में नृत्य कर लोकगीतों को अद्भुत व लौकिक बनाता है।

सह–गायक– मेडिया के अतिरिक्त 6 से 12 तक सह गायक होते है जो जोठ में ही शामिल व्यक्ति है। इनका स्वर निश्चित लय एवं ताल के साथ सम्मिलित रूप से संचालित होता है। ये लोकगीतों की कड़ी मंगलाचार, साखी, तथा क्याणी बोलने का कार्य करते हैं। जोठ के भीतर चारों और घूम–घूम कर अपने इषारों एवं लटको– झटकों से नृत्य कर लोक गीत को गवांने में इनकी भूमिका अहम रहती है।

जोठ– पद कन्हैया की मण्डली अथवा जोठ में लगभग 40 से 50 व्यक्ति सम्मलित होतें हैं ये कम ज्यादा भी हो जाते हैं ये कलाकार प्रस्तुतीकरण के समय जमीन पर घुटनों के बल गोल घेरा बनाकर बैठे रहते हैं।

कन्हैया पद दंगल अधिकांशत: दोपहर बाद एक दिन में ही पूर्ण होने वाला दंगल है। पद दंगल की पद दंगल के समय प्रत्येक जोठ के मेडिया को साफा पहनाकर उनका स्वागत व सम्मान किया जाता है। मीणा लोकगीतों को गाने से पूर्व भगवान की पूजा की जाती है।इस प्रकार कन्हैया पद सुड्डा, हरिकीर्तन, मीणा गीत आदि को गाने से पूर्व जोठ के द्वारा भगवान का नाम स्मरण किया जाता है। जिसे 'भवानी' कहते हैं इन गीतों में भक्ति रस और करूणा का सागर उमड़ता है।

मीणा गीतों में वाद्य यंत्र के रूप में नोबत घेरा (ढप) मंजीरा, ढोलक, चीमटा, बाजा, झाझ, खरताल आदि का प्रयोग किया जाता है।

किसी भी पद्य विद्या के लोकगीतों में गीत गाने की एक ही शैली होती है। लोकगीतों में भिन्न–भिन्न स्वर लय, ताल से ये गीत गाये जाते है चाहे व हपद कन्हैया हो या पद सुड्डा, मीणा ढांचा, कीर्तन–भजन अथवा मीणा गीत हो। मीणा लोकगीतों में रस की अद्भूत धारा प्रवाहित होती है। मीणा लोकगीतों में रस की अद्भुत धारा प्रवाहित होती है। मीणाऔ के गीत कन्हैया में ओजस्वी, वीर रस में ही गाया जाता है। जबकि पद में करूणा का भाव होता है। मीणा ढाचां में श्रृंगार रस की रति का भाव देखने को मिलता है।

मीणा जनजाति के लोक कलाकारों ने अपनी सभ्यता व संस्कृति से सर्व समाज को रूबरू करवाया है। इन्होनें अपनी मेहनत तप व त्याग के बल पर इन गीतों का निर्माण किया व अपनी मधुर कंठ टेरती हूं– हूं कार करती आवाज से श्रोताओं को भाव–विभोर किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मीना, शंकर लाल – मीना जनजाति का इतिहास।
2. कल्ला, नंदलाल – राजस्थानी लोक साहित्य एवं संस्कृति।
3. सत्यार्थी, देवेन्द्र – धरती गाती है।
4. उप्रेती, मधुर – ब्रज लोक साहित्य।
5. सारस्वत, रावत – मीणा इतिहास।
6. झरवाल, लक्ष्मी नारायण– मीणा जाति और स्वतंतत्रा का इतिहास।
7. नई दिशा पत्रिका – राष्ट्रीय मीणा महासभा।
8. मीन पुराण भूमिका।
9. हिन्दी साहित्य कोश।
10. टॉड,जेम्स – राजस्थान का इतिहास।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका

डॉ. हनुमान प्रसाद मीना*

प्रस्तावना – जाति-व्यवस्था भारतीय समाज की ऐसी पहचान है, जो दुनिया के रंगमंच पर इसे विशिष्टता प्रदान करती है। इस व्यवस्था के अंदर स्थापित जटिल पदसोपानीयता या ऊँच-नीच ने सभी प्रकार की सुविधाओं को कुछ सवर्ण या ऊँची जातियों तक सीमित रखा। वहीं, पिछड़ी और दलित जातियाँ युगों तक इस व्यवस्था में शोषण और दमन का शिकार होती रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव को खारिज किया। लेकिन देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने जाति का महत्त्व बहुत बढ़ा दिया। लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत से जातियों का राजनीतिकरण हुआ। राजनीति में गोलबंदी के आधार के रूप जाति की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई। पिछले कुछ दशकों में लोकतांत्रिक राजनीति के बलबूते पिछड़ी जातियों का एक जबर्दस्त उभार देखा गया है।परम्परावादी भारतीय समाज मे आधुनिक राजनीतिक संस्थाओ की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता है। भारत मे राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप पारम्परिक संस्था-जातिवाद का अन्त हो जायगा किन्तु स्वाधीनोत्तर भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है वहाँ राजनीति और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासनधिकारियों और केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है।

लोकतान्त्रिक एवं प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का भारत मे लोप हो जाना चाहिए। जाति व्यवस्था परम्परागत शक्ति के रूप मे कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है। इस सम्बन्ध में रजनी कोठारी का अभिमत है कि-प्रथम कोई भी सामाजिक तन्त्र कभी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता, अत: यह प्रश्न करना कि क्या भारत मे जाति का लोप हो रहा है, अर्थशून्य है। द्वितीय, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती बल्कि इसको बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते है जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दवाब गुट ।जहाँ एक ओर वे जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते हैं वही दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते हैं।

शब्द कुंजी – जाति और राजनीति, परम्परागत शक्ति, आधुनिकीरण, जाति व्यवस्था,दबाव गुट, जाति एवं प्रशासन, जाति की भूमिका राजनीतिकरण, मतदान व्यवहार।

जाति प्रथा किसी न किसी रूप मे संसार के हर कोने मे पायी जाती है, पर एक गम्भीर सामाजिक कुरीति के रूप मे यह हिन्दू समाज की ही विशेपता है। वैसे इस्लाम और ईसाई समाज भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके। यह व्यवस्था एक अतिप्राचीन व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय पेशे के आधार पर समाज को कई भागों में बाँट देना है। सामान्यत: यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यो का सम्पादन करते थे। क्षत्रियो का कार्य देश की रक्षा करना और शासन प्रबन्ध करना था। वैश्य कृषि और वाणिज्य सम्हालते थे तथा शूद्रों को अन्य तीन वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। शुरू-शुरू मे जाति प्रथा के बन्धन कठोर न थे और वह जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थे। बाद मे जाति प्रथा में कठोरता आती गयी, वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गयी तथा एक जाति से दूसरी जाति ने अन्त:क्रिया असम्भव हो गयी। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी। चूंकि वह श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित थी, अत: उसने आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्त्व का समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति मे होता था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसा दीखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और वयस्क मताधिकार व्यवस्था के देश में लागू कर दिये जाने के परिणामस्वरूप यह एक राजनीतिक शक्ति के रूप मे उदित हुआ है। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था किन्तु यह प्रभाव नगण्य ही था। इसके लिए उत्तारदायी थे ब्रिटिश प्रशासन, राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतन्त्रता की प्राप्ति ने प्रथम दो कारणों का निराकरण कर दिया और नये संविधान मे अपनायी गयी वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का। फलत: जातियो के प्रभाव क्षेत्र मे आशातीत वृद्धि हो गयो। आरम्भ से तो सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियाँ ही राजनीति से प्रभावित रही और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे। समय के साथ-साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियाँ मागे आने लगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने मे प्रयत्नशील रहने लगी।

प्रो. रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' में भारतीय राजनीति मे जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत मे जाति प्रथा खत्म हो रही है ? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएँ है। ज्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति-पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है जो लोग राजनीति मे जातिवाद की शिकायत

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर (राज.) भारत

करते हैं, वे न तो राजनीति के प्रकृत स्वरूप को ठीक समझ पाये है और न जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है अत: न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पडेगा। अत: राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी और राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं और जातिया के रूप मे उनको बना-बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है।

जाति व्यवस्था और राजनीति मे अन्त: क्रिया के सन्दर्भ मे प्रो. रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किये है।जाति व्यवस्था का लौकिक रूप-रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था के लौकिक रूप को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। जाति व्यवस्था की कुछ बातों पर सबका ध्यान गया है जैसे जाति के अन्दर विवाह, छुआछूत और रीति-रिवाजों के द्वारा जाति की पृथक् इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात की ओर बहुत ही कम लोगो का ध्यान गया है कि जातियों मे आपसी प्रतिद्वन्द्विता एवं गुटबन्दी रहती है, प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहती है। रजनी कोठारी का यह भी विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका क्योकि कुछ स्थानो पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो कुछ प्रदेशों मे जैसे गुजरात और मारवाड़ मे जैन, वैष्णव जैसे सम्प्रदायों के हाथ मे आर्थिक शक्ति थी। जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप- व्यक्ति को समाज से बांधने का है। जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज मे स्थान नियत कर देती है। जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित हो जाती है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसका अपने समाज मे लगाव पैदा हो जाता है, जाति के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ने लगती है। यही निष्ठा आगे चलकर बड़ी निष्ठायों अर्थात लोकतन्त्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी विकसित हो सकती है।

जाति व्यवस्था का चौतन्य रूप- कुछ जातियां अपने को उच्च समझती हैं और इस कारण समाज मे उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियाँ भी अपने को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करती है। प्रो. रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि 'इससे पुराना समाज नयी राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है। इस प्रक्रिया को उन्होंने तीन चरणों में बाँटा है शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा, जाति के अन्दर की प्रतिस्पर्धी गुटबन्दी, जाति के बन्धन ढीले पड़ना और राजनीति को व्यापकता मिलना है।'

प्रो. रजनी कोठारी का राजनीति मे जाति सम्बन्धी निष्कर्ष इस प्रकार है : आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था मे भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पर पृथक्ता की प्रवृत्ति का प्रभाव पडा, बाद मे जाति भावना का सामजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी। आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और उनकी यह समझ में आ गया कि आज के युग से केवल जाति और सम्प्रदाय से काम नहीं चल सकता। जहाँ जाति बडी होती है, वहाँ भी उसमे एकता नहीं रहती, उसमें उप-जातियों के भेद होते है और छोटी जातियां तो अपने बल पर चुनाव भी नहीं जीत सकती हैं। यदि कोई प्रत्याशी अपनी ही जाति का पक्ष लेता है तो दूसरी जातियाँ उनके खिलाफ हो जाती है इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियो का गुट बनाना पडता है। राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और अनेक नयी निष्ठाओं का उदय होता है। आजकल राजनीति मे जातिवाद और सम्प्रदायवाद का जोर बढने की शिकायत की जाती है। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा प्रसार, शहरों के विस्तार औद्योगीकरण के कारण सम्प्रदाय और जाति के बन्धन ढीले पड़ रहे थे, वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर से जोर पकड़ रहे हैं और इससे देश मे फूट बढ़ेगी जिससे धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र का ढाँचा खतरे में पड़ जायेगा। किन्तु प्रो. कोठारी का मानना है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं, बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के, जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया सन्दर्भ दे दिया, जिससे उसका पुराना रूप बदल रहा है। आधुनिकतावादी नेता जाति-पाँति पर भले ही नाक-भौ सिकोडे, परन्तु इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति उन वर्गो या समूहों के हाथ से पहुँच सकी, जो अब तक उससे वंचित थे। जाति के आधार पर संघ और संगठन बनते हैं जैसे कायस्थ सभा, क्षत्रिय संघ आदि सब मिलाकर जातीय संगठनों ने भारत की राजनीति मे वही भाग लिया है जो पश्चिमी देशों मे विभिन्न हितों व वर्गो के संगठनो ने। जातियों और सम्प्रदायों के राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक या राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है और उनकी पृथकता कम होकर उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ है। जाति और राजनीति में इस प्रकार सम्बन्ध है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवत सामाजिक सम्वन्धों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है। राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोक तान्त्रिक राजनीति के अन्तर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग मे लाती है जिससे सम्बद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति मे जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। भारत मे राजनीति 'जाति' के इर्द-गिर्द घूमती है। जाति प्रमुखतम राजनीतिक दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया मे ऊँचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी जाति को लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदायों को इसलिए संगठित करते है ताकि उनके समर्थन मे उन्हें सत्ता तक पहुँचने में सहायता मिल सके। जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति मे भाग लेती है और इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज मे जातियाँ ही 'राजनीतिक शक्तिया' बन गयी हैं। जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं -जाति व्यक्ति को बांधने वाली कड़ी है। जातीय संघों और जातीय पंचायतों ने जातिगत राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओं को बढ़ाया है। जाति-पाँति को समाप्त करने वाले आन्दोलन अन्ततोगत्वा नयी जातियों के रूप में मुखरित हुए जैसे लिंगायत, कबीरपन्थी और सिक्ख आन्दोलन स्वयं नयी जातियां बन गये। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण से जातियां समाप्त नहीं हुई अपितु उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला और उनकी राजनीतिक भूमिका मे वृद्धि हुई है।राजनीति में प्रधान जाति की भूमिका का विश्लेपण किया जा सकता है। प्रधान जाति न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही शक्तिशाली होती है, बल्कि संख्या में भी गांव या इलाके मे ज्यादा होती है। प्रधान जाति अपने सख्या बल के आधार पर गाँव और क्षेत्र की स्थानीय सस्थाओं जैसे पंचायतों की राजनीति में सक्रिय होती है। यदि किसी राज्य विशेष मे किसी जाति की प्रधानता होती है तो राज्य राजनीति मे जाति एक प्रभावक तत्त्व

बन जाती है यहाँ तक कि कुछ जातियों ने शैक्षणिक सुविधा, शिक्षण संस्थायों में जातिगत आरक्षण और सरकारी नौकरियों मे आरक्षण की मॉग की। निर्वाचनों के दिनों में जातिगत समुदाय प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओं और दलों को अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को मुखरित करते हैं। जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नहीं है जितनी स्थानीय और राज्य राजनीति पर है। जाति और राजनीति के सम्बन्ध स्थैतिक न होकर गतिशील है।

जातिवाद का एक पक्ष यह है कि यदि कुछ जातियाँ या जाति के लोग मिलकर कोई रचनात्मक कार्य जैसे स्कूल या कॉलेज खोलना, अस्पताल, धर्मशालाएँ, मन्दिर, गुरुद्धारे आदि वन वाना, निर्धनों को आर्थिक सहायता देना आदि करते हैं तो उससे न तो किसी को हैरानी या परे शानी होगी और न कोई विद्धेप की भावना ही फैलती है। किन्तु जब कुछ जातियाँ या जाति के लोग मिलकर अन्य जाति को परेशान अथवा संत्रस्त करते हैं तो स्थिति भयावह अवश्य बन जाती है। आजकल प्राय: यही हो रहा है। अच्छे प्रतिभाशाली लोग केवल इसी आधार पर उपेक्षित रहते हैं कि वे किसी जाति विशेष के नहीं होते। जातियो के नाम से चलने वाली सस्था मे से बहुत ही कम ऐसी होती है जो पक्षपात शून्य होती है, बाकी सभी मे यह विप इस प्रकार घोला जाता है कि अच्छी प्रतिभाओं का विकास रुक जाता है। जातिवाद अथवा भारत मे जातियों का होना यदि वास्तव में एक सामाजिक बुराई है तो उसे अभी दूर क्यो नहीं किया गया छुआछूत मिटाने के लिए यदि कानून बन सकता है तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अभी तक कानून क्यों नहीं बना यह सहज ही शंका का विषय बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राजनीतिज्ञ ऊपर से जाति तोडो सम्मेलन करते है किन्तु अन्तरंग से जातीयता को बढावा देते है। जातिवाद के कारण अनेक ऐसे सघ वन गये है जिनमे काफी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं । जातीय संगठन और जातीय नेता राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों से सांठ-गांठ करके जाति का राजनीतिकरण करने मे लगे हुए है। विहार और उत्तार प्रदेश मे आये दिन जातीय झगडों, तनावों और संघों मे जाति और राजनीति की अन्त:क्रिया ही दिखायी देती है।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका- स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज मे धीरे-धीरे प्रवेश करना आरम्भ कर दिया । आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारम्भ हुए और जातिगत सस्थाएँ यकायक महत्त्वपूर्ण बन गयी क्योंकि उनके पास भारी संख्या मे मत थे और लोकतन्त्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था। जिन्हे सत्ता की आकांक्षा थी उन्हं सामान्य जनता के पास पहुँचने के लिए सम्पर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह भी जरूरी था कि उनसे उस भाषा में बात की जाय जो उनकी समझ में आ सके। जाति-व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका इस प्रकार है । जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार भारत में चुनाव अभियान मे जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस नर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र मे जातिवाद की भावना को प्राय: उकसाया जाता है ताकि सम्बन्धित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। जनवरी 1980 के चुनावों में उत्तार प्रदेश और कुछ बिहार के हिस्सों लोकतन्त्र की सफलता पिछड़ी जातियों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। उनर प्रदेश के चुनावों में चरण सिंह की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है । केरल के चुनावों में साम्यवादी और मार्क्सवादी दलों ने भी वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया है।निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका -भारत मे जातियाँ संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, संविधान में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गये हैं जिनके कारण ये जातियाँ सगठित होकर सरकार पर दवाव डालती है कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षो के लिए अर्थात् जनवरी 2000 तक के लिए बढा दिया जाय । अन्य जातियाँ चाहती है कि आरक्षण समाप्त किया जाय अथवा इसका आधार सामाजिक-आर्थिक स्थिति हो अथवा उन्हे आरक्षित सूची में शामिल किया जाये ताकि वे इसके लाभ से वंचित न रह जाये। मन्त्रिमण्डलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व -राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धान्त इतना गहरा धंस गया है कि राज्यों के मन्त्रिमण्डल मे प्रत्येक प्रमुख जाति का मन्त्री होना चाहिए। यह मिद्धान्त प्रान्तों की राजधानियों से ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। यहाँ तक कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे भी हरिजनों, जनजातियों, सिक्खों, मुसलमानों, ब्राह्मणों, जाटो, राजपूतों और कायस्थों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता है।राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय - भारत मे सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। काग्रेस सहित सभी राजनीतक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाये जाते हैं जिनमे प्रतिस्पर्द्धा की भावना विद्यमान रहती है। जातिगत दवाव समूह - जातीय संगठन राजनीतिक महत्त्व के दवाव समूह के रूप मे कार्य करते है। जातिगत दबाव समूह अपने न्यस्त स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति-निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमरीका में पाये जाने वाले ऐच्छिक समुदायों में की जा सकती है । अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात मे क्षत्रिय महासभा, बिहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक मामलों मे रुचि लेने लगते हैं और अपने-अपने संगठित दल के आधार पर राजनीतिक सौदबवाजी भी करते हैं। यद्यपि देश की सभी प्रमुग्व जातियों को इस प्रकार पूर्णतया संगठित नहीं किया जा सका है। मगर जो जातियाँ इम प्रकार संगठित नहीं हो सकी, वे राजनीतिक सौदेबाजी मे सफल नहीं रही और उनके सदस्यों को अपनी आवाज उठाने के लिए उपद्रव और तोड-फोड का सहारा लेना पड़ा। जाति एवं प्रशासन - लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है केन्द्र एवं राज्यों की सरकारी नौकरियों एव पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मेडिकल एव इन्जीनिरिंग कॉलेजों में विद्यार्थी की भर्ती हेतु आरक्षण के प्रावधान मौजूद हैं। भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन मे प्रधान और प्रतिष्ठित अथवा संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। राज्य राजनीति मे जाति - अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है । यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों मे अछूती नहीं रही है तथापि बिहार, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के कर ही नहीं सकते। बिहार की रजनीति मे राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और

जनजाति प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी जातियां है । पृथक् झारखण्ड राज्य की माँग वस्तुत एक जातीय मांग ही रही है। केरल में साम्यवादियों की मफलता का राज यही है कि उन्होंने इजमाहा जाति को अपने पीछे संगठित कर लिया। आन्ध्र प्रदेश की राजनीति काम्मा और रइदी जातियों के सघर्ष की कहानी है। काम्माओ ने साम्यवादी दल का समर्थन किया तो रेठी जाति ने कांग्रेस दल का। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों, ब्राह्मणों और महरों में प्रतिस्पर्धा रही है। गुजरात की राजनीति मे दो ही जातियाँ प्रभावी हैं–पाटीदार और क्षत्रिय। केरल की राजनीति अपने तीन समुदायों के इर्द–गिर्द घूमती रही है–हिन्दू, क्रिश्चियन और मुमलमान । केरल की गजनीति मे अन्तिम दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के रूप मे सक्रिय है । कहने को तो वहाँ सभी प्रकार के राजनीतिक दल है, किन्तु उन्हे ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि वे अब जातीय संगठन है। मुस्लिम लीग मुमलमानों की है, दोनों केरल काग्रेस के अधिसंख्य सदस्य ईमाई है । रा प्रा. मी. नायर लोगों की संस्था है। कांग्रेस (इ) और दोनों साम्यवादी दलों में एजवा जाति के अलावा हिन्दुओं के कुछ प्रमुख वर्गो का प्रभाव देखा जा सकता है । राजस्थान की राजनीति में जाट–राजपूत जातियों की प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है। संक्षेप में राज्यों की राजनीति मे जाति का प्रभाव इतना अधिक प्रतीत हो रहा है कि टिंकर जैसे विद्धानो ने राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीति की संज्ञा दे डाली है।

भारत के राज्यों मे जाति के चार विभिन्न स्वरूप विकसित हुए हैं – जातिवाद का पहला स्वरूप दक्षिणी भारत और विशेषकर तमिलनाडु में मिलता है जहाँ ब्राह्मणों और अनेक निम्न जातियों के बीच गम्भीर संघर्ष रहा है। तमिलनाडु में आरम्भ से ही राजनीति पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा और इसके विरुद्ध काफी दिनों से आन्दोलन चलता रहा जिसके परिणामस्वरूप रामास्वामी नायकर द्धारा द्राविड कडगम नामक संगठन की स्थापना की गयी जो बाद में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल के रूप में विकसित हुआ। तमिलनाडु में यह आन्दोलन ब्राहाणों को उच्च स्थानों से हटाने के लिए था। स्वतन्त्रता से पहले और स्वतन्त्रता के बाद तमिलनाडु में ब्राह्मण और निम्न जातियों के बीच घोर टकराव रहा और इस संघर्ष में ब्राह्मणों को पराजित होना पड़ा। जातिवाद का दूसरा रूप महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति तमिलनाडु से कुछ भिन्न रही है, यद्यपि यहाँ मराठा और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष रहा और इस संघर्ष मे मराठा जाति ने ब्राह्मणों के शताब्दियों मे चले आने वाले प्रभुत्व का अन्त किया। बीसवीं शताब्दी की दूसरी चौथाई मे राजनीतिक दलों मे भी ब्राह्मणों का आधिपत्य था, उदाहरण के लिए तिलका, गोखले गोलवालकर एस. एन. डाँगे ,आदि ब्राह्मण थे । स्वतन्त्रता के बाद मराठा जाति ने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया और यह आन्दोलन 1960 मे अपनी पूर्णता को पहुँच गया जब महाराष्ट्र नामक एक पृथक राज्य की स्थापना की गयी और मराठा जाति को राजनीति मे पूर्ण प्रधानता प्राप्त हुई। इस नये महाराष्ट्र राज्य में मराठा जाति की सख्या 45 प्रतिशत थी। गुजरात, आन्ध और कर्नाटक जातिवाद का तीसरा प्रतिनिधि रूप प्रस्तुत करता है। इन तीनों ही राज्यों में तीन मध्यमवर्गीय जातियाँ राजनीतिक संघर्ष में रत दिखायी देती है। आन्ध मे यह टकराव कम्मा और रेठी जातियों के बीच पाया जाता है। कर्नाटक में यह विरोध लिंगायत तथा ओकोलीगा जातियों के वीच पाया जाता है। गुजरात में पाटीदार और क्षत्रिय जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा पायी जाती है । इन तीनों राज्यों (आन्ध, कर्नाटक और गुजरात) में यह विशेषताएँ दिखायी देती हैं कि इन राज्यों मे राजनीतिक क्षेत्र में केवल दो जातियों का प्रभुत्व है जो अपनी प्रथाओं, सामाजिक स्थिति और सामाजिक–आर्थिक साधनों की दृष्टि से एक–दूसरे से बहुत मिलती–जुलती है । बिहार की स्थिति उपरोक्त राज्यों से भिन्न है। यहाँ उच्च जातियों–ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और कायस्थ अब भी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के धारक हैं और उनके बीच राजनीतिक प्रतियोगिता पायी जाती है। निम्न जातियाँ अब भी पिछडी स्थिति में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी राजनीति पर उच्च जातियों का एकाधिकार है और निम्न जातियाँ उभरने का प्रयत्न कर रही हैं। अत: इन राज्यों में राजनीतिक प्रतियोगिता उच्च जाति के बीच है और कोई भी एक जाति अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की स्थिति में नहीं है।

जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग मे बाधक माना जाता है क्योंकि इससे व्यक्तियों में पृथकतावाद की भावना जाग्रत होती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जातिगत हितों को अधिक महत्त्व देने लगते हैं। जाति निष्ठायों का सृजन कर यह प्रथा लोकतन्त्र के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। जाति व्यक्तियों के एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हई। जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण मे सहयोग देकर परम्परावादी व्यवस्था को आधुनिकता में ढालने के सांचे का कार्य किया है। अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज में प्रतिनिधिक लोकतन्त्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके, उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है। जाति आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक न हो तथापि राजनीति मे जाति का हस्तक्षेप लोकतन्त्र की धारणा के प्रतिकूल है। जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। विविधता की सीमाएँ होती हैं। इस देश में इतनी जातियाँ, उपजातियाँ तथा सह जातियाँ पैदा हो गयी है कि वे एक–दूमरे से पृथक् रहने में ही अपने–अपने अस्तित्व की रक्षा समझती हैं । यह पृथक्तावादी दृष्टि राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Rajni Kothari : Caste in Indian Politics (Delhi, 1970),
2. Granvile Austin The Indian Consintution-Cornerstone of a Nation (Oxford, 1966),
3. Michacl Brecher : Succession in India (London).
4. J.C. Johari, Reficcrion on Indian Politics (New Delhi 1974).
5. Babu Lal Fadia : Pressure Groups in Indian Politics (Radiant Publishers,New Delhi,1980)
6. डॉ. सुभाप काश्यप, दल–बदल और राज्यों की राजनीति (मराठ, 1970)
7. लायड आई. रुडाल्फ एण्ड एस. हावर रूडाल्क, दि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडीशन (ओरियण्ट लाग मैन 1969)
8. योगेन्द्र यादव, कायापलट की कहानी : नया प्रयोग, नयी संभावनाएँ नये और संकलित, अभय कुमार दुबे (सं.), लोकतंत्र के सात अध्याय, वाणी प्रकाशन ही एस.डी.एस., नई दिल्ली , 2002
9. घनश्याम शाह, इंट्रोडक्शन, संकलित, घनश्याम शाह (सं.), कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, परमानेंट ब्लैक, नई दिल्ली, 2002
10. जी.एस. घूर्ये, कास्ट, क्लास एंड आक्यूपेशन, पॉपुलर बुक डिपो. बॉम्बे, 1969
11. बेतेई व आन्द्रे कास्ट क्लास एण्ड पॉवर – चेंजिंग पेटनर्स ऑफ स्ट्रेटीफिकेशन इन ए तंजोर विजेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई –1996

Central Scretariat Service and Cadre System: A Critical Analysis

Dr. Archana Singh*

Abstract - In this paper an attempt to examine the central secretariat service and cadre system. The structure and functional of official cadre discuss in detail. How the cadre system effects the performance of official. The challenges to improve the function of staff member also discuss.

Introduction - In a democratic state, the political executive generally elected periodically. Hence they need to have a permanent administrative body that helps them in policy formulation and implementation. This permanent body consists of people known as government public servant. For development process every nation have to improvement in the overall efficiency of the government official.

The Indian civil service was the implementing agency for the execution of policy directives originating from the British Empire in which Indian officers were also part of it.

Secretariat offices were under the ICS officers which consisted of officers of imperial secretariat service. Imperial secretariat service come into existence in the year 1919 on the suggestions of the Levlin Smith committee, under the Montague-Chelmsford Reforms. At that time, the committee envisaged a secretariat organization in the nature of a pyramid with a secretary at the apex and a body of assistant secretaries at the base.

In 1946, after India gained independence from Britain, the imperial secretariat service was replaced by central secretariat service in India. It was established before creation of all India services Indian administrative service in 1950, Indian police service in 1948 and India forest service in 1966. Central secretariat service is one of the earliest organized services in India.

At present, following three cadres are mainly working in the secretariat for smooth functioning of the government of India (i) Central Secretariat (ii) Central secretariat Stenographers services (iii) central secretariat clerical services. These services provide a stable and strong bureaucratic system at the lower and middle levels of the Central Government.

Cadre System In Central Secretariat Service: The management of cadre of public services in India was until 1970 shared between the ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. The responsibility of the former pertained to general conditions of service other than those having a financial bearing, while the latter was ultimately responsible for laying down conditions of service involving financial implications. The function of the ministry of finance is to consider the financial implications of these matters and that of the Home Ministry to take into account their effects on the efficient functioning of the service in general.

The ministry of Home affairs was the central personnel agency in the both vertically and horizontally. It administered and controlled the all India services. It regulated all matters of general applicability to the services in order to maintain a common standard of recruitment, discipline and condition of service as well.

The first cadre was implemented according to the central secretariat service Rule 1962 and there was no change in the composition of Central secretariat service for the last 40 years. As per the suggestions of the cabinet in 2003, the second cadre review was to be discussed after three year. However a cadre review committee was constituted only in June 2003, the second cadre review was to be discussed after three year. However a cadre review committee was constituted only in June, 2008 to look into the stagnation arising in various posts of the CSS as well as to take care of the promotion of the employees of its feeder grade. Along with this, appropriate steps were also to be taken to achieve the short term and long term objectives of these services. The 38th report of the committee on subordinate legislation 2018-19 of the 16 Lok Sabha consist of necessary suggestion related to the rules and regulation to central the service condition. It is important to note that a lot of reforms have been done by the government of India regarding the cadre system, due to which there has been a lot of improvement in quality of walk and decision making through mutual coordination and understanding.

Central Secretariat Service A Overview: Central secretariat service is the administrative civil service under Group A and Group B of the central civil service of the executive branch of the government of India. They are governed by central secretariat service Rule of 1962, which was issued under the power of article 309 of the constitution of India. The service members work under restrictions and

*Associate Professor (Political Science) MMH College, Ghaziabad (U.P.) INDIA

rules of central civil service conduct Rules. The selection body of these service UPSC, Training institute of secretariat training and management and controlling authority is department of personnel and training and ministry of Personnel public grievance and pension.

Recent Development: A new innovation known as 'desk system' has been introduced to eliminate dilatoriness in the functioning of the secretariat and equip it to cope effectively with the increasing demands. This system was introduced in November 1972 on the recommendations of the Deshmukh study team of the ARC. Under this system the work of ministry or department at the lowest level is organized into different functional desks, each manned by an officer of appropriate rank, that is the under secretary section officer or assistant, who handles the case with the adequate stenographic/clerical assistance. Two offices, constitute a desk in the manner of one under secretary and one section officers, or two section officers, or one section officer and one assistant. Each functionary is assisted by a stenographer and is known as desk officer. The administrative reforms commission, in its report (1968) related to the government machinery and its working had made the following suggestions regarding the smooth and speedy disposal of works under the desk officer system- listing of work related files, maintenance of card files on card list in which important records of the past are kept, adequate provisions relating to leave, provision of adequate number of stenographers and clerical assistance.

Criticism Of Cadre Systems: The ARC in its report on the machinery of the government of India has made some recommendation in this regard. According ARC, the tendency to have best officers in the secretariat resulted in field agencies becoming starves fir efficient officers. Finally coordination has now become a real problem due to the proliferation of the departments in the secretariat. The process of consultation among different ministries/ departments takes a lot of time.

Conclusion: A lot of reforms have been done a required to improve the efficiency of administrative official and procedures but still some challenges such a number of vacant post, lack of regular promotion deputation rules, lack of coordination among Group "A" official and lower staff, in recent years the volume of secretariat work has increased and new trends of economic policy and privatization so there has been required a great change in this regard.

References:-

1. Arora, Ramesh K & Rajni Goyal 1995 Indian Public Administration: Institution & issues Washwa Prakash, New Delhi
2. Avasthi A 1980 Central Administration Tata Meh Mcgraw Hill, New Delhi
3. Basu Rumki 2019 Indian Administration structure, performance and reform, Adroit Publication, New Delhi
4. Chakraborty, Bidyut and Prakash Chand 2016 "Indian Administration Evolution and Practice" Sage publication, New Delhi
5. Maheshwari SR 1986 'Indian Administrations Orient Longman, New Delhi'

****

भारतीय संस्कृति का केन्द्र कुम्भ

डॉ. मुकेश कुमार मारू *

प्रस्तावना – कन्द पुष्प प्रतीकांशा मकरासनसंस्थिताम् ।
त्रितायशमनी देवीं नीराकारामुपास्महे ।।

श्री गंगा केवल एक बहती जलधारा ही नहीं अपितु हमारी चिरन्तन सनातन संस्कृति का एक अमिट प्रवाह हैं। युगों-युगों से चली आ रही भारतीय परम्परा, भारतीय संस्कृति का एक महान प्रतीक हैं। गंगा तटों पर बसी भारतीय सभ्यता की एक सुसंस्कृत पहचान हैं।

भारत की सम्पूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परायें, भारत की जन आस्थाऐं गंगा से सनातन जुड़ी हैं। सम्पूर्ण भारत की संस्कृति को अमरता प्रदान करने वाला अमृतस्त्रोत गंगा ही हैं।

सम्पूर्ण सृष्टि पर अगर नजर डाली जाय तो हम पायेगें की गंगा कहॉ नहीं है, जहाँ, स्वर्ग हो, धरती हो, पाताल हो, पुरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी दिशाओं में मुलाधार से सहस्त्रार तक सभी जगह गंगा की ही लहरै है, भारत की संस्कृति का विश्वास हैं, गंगा, धर्म का आधार हैं, गंगा, भारत वर्ष के सर्वाधिक बडै, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन मानों गंगा की परिक्रमा करते से प्रतीत होते हैं।

स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रनायक पंडित श्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में 'गंगा भारत की नदी हैं लोगों की प्रिय नदी हैं। उसकी धारा में, उनकी स्मृतिया, आशाऐं, भय, विजय, के गीत और पराजय की वेदनाऐं भरी हैं। गंगा भारत की दीर्घकालीन सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक हैं। वह हर समय बदलती रहती है, बहती रहती है पर सदा वह ही गंगा रही हैं।'

पंडित जी के ही शब्दों में सभी नदियों से उपर गंगा ने ही भारत के हृदय को लुभाया हैं। अगणित लोगो को इतिहास के उद्यकाल से अब तक अपने तट की और आकर्षित किया है। उद्गम से सागर तक आदिकाल से वर्तमान तक गंगा की कहानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की, साम्राज्यों के उत्थान पतन की, विशाल गर्वोन्नत नगरों के साहस भरे मानवी अभियानों की कथा हैं।

सच में गंगा इतनी महिमामय हैं, कि वह एक विशेषण बन गई है, एक अलंकार बन गई हैं। आज हम हमारी शाब्दिक परम्पराओं में देखे, तो प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा, सद्भाव की गंगा इत्यादि शब्दों का समय-समय पर संकल्प लेते हैं। तुलसी के शब्दों में-

' सुरसरि सम सबकर हित होई '

अर्थात वो साम्राग्यी सबकी हैं, सब का हित करने वाली है।

आईये इस गंगा महारानी के तट पर आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े आयोजन जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं। 'कुम्भ' का अध्ययन को और आगें बढातें हैं।

कुम्भ पर्व का हमारी संस्कृति में बड़ा ही महत्व हैं। जब-जब कुम्भ पर्व महोत्सव आयोजित होता है, तब-तब ही पूरे विश्व में हिन्दु कुम्भ पर्व में एक निश्चित स्थान पर करोडो की संख्या में एकत्रित होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार निश्चित तिथियों पर स्नान कर दान पुण्य कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भारतवर्ष के इस महान सांस्कृतिक आयोजन में करोडों भारतीयों के साथ-साथ विश्वभर के कई महान साधु-संत, तपस्वी भी इस आयोजन की प्रतीक्षा में हमेशा लालायित रहते हैं। इसका एक उदाहरण हमें श्री परमहंस योगानन्द जी द्वारा लिखी गई भारतवर्ष की पहली पुस्तक योगी कथामृत जिसमें कई तरह के आध्यात्मिक रहस्य किसी महान संत के द्वारा उजागर किये गये हैं के अनुसार भारतवर्ष के महान आध्यात्मिक संत श्रीश्री महावतार बाबाजी के शिष्य योगिराज श्री श्यामाचरण लाहिणी की एक घटना घटनास्थल था। इलाहाबाद का एक कुम्भ मेला श्री श्यामाचरण लाहिडी आफिस से छुट्टियां लेकर कुम्भ स्नान की इच्छा से वहाँ जाते हैं। जब वे दूर दराज से आये साधु सन्यासियों के बीच घुमते हैं तो उनकी दृष्टि भस्म रमाये एक साधु पर पड़ती हैं। जो भिक्षापात्र लिये धुम रहा था। तुरन्त उनके मन मे आया कि यह पाखंडी है।

थोड़ा सा आगे बढने पर अचानक उनकी दृष्टि बाबाजी पर पडती है, और विस्मय होकर वे कहते है बाबाजी आप । आप यहा क्या कर रहे हैं?

बाबाजी कहते हैं कि मैं इस सन्यासी का पद प्रक्षालन कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं उनके खाना पकाने के बर्तन माजुंगा।

तब श्री श्यामाचरण कहते हैं कि मैं समझ गया की किसी की भी आलोचना न करना चाहिए बल्कि समस्त देहो में सिर्फ ईश्वर को ही देखना चाहिये ।

ठीक इसी प्रकार कुम्भ मेले मे हमेशा से ही अद्वितीय एवं महानतम सन्त पधारते रहे है, का एक और उदाहरण योगीकथामृत के अन्तर्गत आता हैं जो कि सिद्ध करता हैं कि कुम्भ में अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक शक्तिया पधारा करती हैं।

श्री परमहंस योगानन्द जी के अनुसार जब वे अपने गुरू ज्ञानावतार श्री युक्तेष्वर गिरी से प्रश्न करते है कि –

'गुरूदेव क्या आपको भी कभी महावतार बाबाजी का दर्शन हुआ हैं' 88 मेरे इस प्रश्न से वे मुस्कुराते हुऐं कहते हैं कि मुझे महान अमर गुरू का तीन बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला हैं। जिसमें प्रथम दर्शन प्रयाग के कुम्भ मैले में हुआ था।

अति प्राचीनकाल से ही भारत में कुम्भ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों में आध्यमिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रुप से बरकरार रखा हैं। हर बारह वर्षो के बाद लाखेां श्रद्धालु हिन्दु, हजारों साधुओं, योगीयों स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिये एकत्रित

* डायरेक्टर, एम.टी.एम. कान्वेंट हा.से. स्कूल, ब्यावरा (म.प्र.) भारत

होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुम्भ मेलो में ही आकर सांसारिक नर – नारियों पर अपने आर्शिवाद की वर्षा करते हैं अन्यथा कभी भी अपने एकान्तवास से बाहर नही निकलते हैं।

श्री युक्तेश्वर जी गिरी के अनुसार, श्री लाहिडी महाशय ने ही मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग मे होने वाले कुम्भ मेले मे जाने को कहा था। कुम्भ मेले में जाने का यह मेरा पहला अवसर था। विषाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर में हक्का–बक्का रह गया। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर देखते हुऐं आगें बढ़ रहा था। अचानक गंगा किनारे पर एक पुल के पास से में जैसें ही आगे बढ़ा मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगें बढ़ा रहा था।

'औह यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवाय कुछ भी नही। मेरे मन में विचार आया, मेरा मोह भंग हो चुका था। अचानक एक लम्बे कद के संन्यासी कि आवाज मेरे कानो पर पड़ी। महाराज एक संत आपको बुला रहे हैं।

कौन हैं वो।

उसने कहा आकर खुद ही देख लीजिये। इस संक्षिप्त उत्तर पर झिझकते हुये मैं उनके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुॅच गया। जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले षिष्यों कि एक मण्ड़ली से घिरे एक गुरु बैठे हुऐं थे। अलौकिक तेजोमूर्ति थै वे। उनकी ऑखें तेजस्वी थी। मेरे पहुचतें ही वे उठ खड़े हुऐ। और उन्होने मुझे आलिंगन मे बांध लिया।

अत्यन्त प्रेम से उन्होने मुझसे कहा आइये स्वामी जी, में स्वामी नही हुं, महाराज मेने जौर देकर कहा।

ईश्वर कि आज्ञा से में तुम्है स्वामी की उपाधि दे रहा हुं। और मैं तत्क्षण आध्यात्मिक आर्शिवाद कि लहरों में हिलोरे लेने लगा।

'कुम्भ मेले के बारे में आपके क्या विचार हैं।' इस पर श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि, आपसे मिलने से पुर्व मुझे सिर्फ निराषा ही हुई। तब बाबाजी कहते हैं ' फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतो ने इसे पावन किया हुआ हैं।'

दूसरे दिन जब मैने प्रयाग को छोड़ पुन: अपने महान गुरु श्री श्यामाचरण लाहिड़ी को बताया तो वे बोले ओह तुमने उन्हे पहचाना नही। वे ही हैं, मेरे अद्धितीय, अलौकिक गुरु 'बाबाजी' योगी महावतार बाबाजी दृष्य–अदृष्य तारणहार बाबाजी

योगी कथामृत सम्पुर्ण विश्व कि प्रथम पुस्तक हैं जिसमें किसी परमहंस सन्त ने स्वंय अपने सम्पूर्ण आध्यात्मिक अनुभवों को इस पुस्तक में उतारा हैं इसके अनुसार कुम्भ का महत्व व कुम्भ में बतलाया गया हैं। जो कि सिद्ध करता हैं कि कुम्भ का इन महान सन्तों के लिये भी कितना महत्व हैं।

स्कन्ध पुराण के अनुसार

गंगा द्धारें, प्रयागें, च गोढावरी तटे।
कुम्भाख्यों दिव्य, योगोअयं प्रोचते शकरादिभि।।

अर्थात् हरिद्धार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक यें कुम्भ के चार स्थल हैं। ये कुम्भ इन स्थानों पर प्रति बारह वर्ष में आयोजित होते हैं। किन्तु गंगा के तट पर हरिद्धार एवं प्रयाग में प्रति छह वर्षो में अर्धकुम्भ का आयोजन भी होता हैं। इन चारों जगह पर कुम्भ प्रत्येक तीन वर्षो में आयोजित होते हैं। आइये जानतें हैं कि कुम्भ लगने का समय हर जगह के हिसाब से क्या हैं।

वर्ष	माह	स्थान	समय
0	चित्रा	हरिद्धार	मार्च – अप्रैल
3	माहा	प्रयाग	जनवरी – फरवरी
6	भाद्रपदा	नासिक	अगस्त – सितम्बर
9	वैषाख	उज्जैन	जनवरी – फरवरी
12	चित्रा	हरिद्धार	मार्च – अप्रैल
अर्धकुम्भ	माद्य	प्रयाग	जनवरी – फरवरी
अर्धकुम्भ	चित्रा	हरिद्धार	मार्च – अप्रैल

कुम्भ मेलो का आयोजन जिस प्रकार महत्वपूर्ण योग व तिथियों के हिसाब से होता हैं ठीक उसी प्रकार कुम्भ में स्नान के लिये भी महत्वपूर्ण तिथियों का चयन रहता हैं। जिसे शाही स्नान तिथिया कहतें हैं। इन महत्वपूर्ण तिथियों पर अलग – अलग समूह के साधु मण्ड़लियों के स्नान के पश्चात जनसामान्य स्नान कर स्वंय को धन्य समझता हैं। हर स्नान के कुम्भ में इन महत्वपूर्ण स्नानों कि तिथियों का यदि हम अध्ययन करे तो प्रत्येक कुम्भ में तीन तिथिया शाही स्नान के लिये तय हैं।

क्रं	स्थान	प्रथम स्नान तिथि	द्धितीय स्नान तिथि	तृतीय स्नान तिथि
1	हरिद्धार	शिवरात्री	अमावस्या (चित्रा)	वैशाख(प्रथम दिन)
2	प्रयाग	मकरसक्रान्ति	मोनी अमावस्या(माघ)	बसंत पंचमी
3	उज्जैन	पुर्णिमा(बैशाख)	–	–
4	नासिक	सावन (पहला)	अमावस्या (भाद्रपद)	कार्तिक (एकादशी)

ये स्नान कि तिथियों के अलावा कुम्भ आयोजन कि जो तिथिया हैं। वो तिथियो के अनुसार मेष का सूर्य बैसाख में, माघ का सूर्य मकर में, आषाढ़ का सूर्य तुला में, और अश्विनी का सूर्य कर्क राशि में जब होता हैं। इन्ही समय में कुम्भ का आयोजन होता हैं। पुराण के अनुसार माघ ही वह समय हैं जब इन चारों स्थानों पर कुम्भ रखा गया हैं। आइये अब पुराणों का अध्ययन करके इस विश्व के महानतम मेले कि आयोजन कथा को जानने का प्रयास करतें हैं।

श्री देवी भागवत,विष्णु पुराण, ब्रहापुराण में कुम्भ संबंधित वर्णित कथानुसार।

विष्णु पुराण एवं पदम पुराण में एक बड़ी ही रोचक कथा आती हैं, एक समय कि बात हैं कि महर्षि दुर्वासा अपने आप में मस्त पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थें। एक उपवन में उन्होने एक विद्याधारी को अत्यन्त दिव्य परिजात पुष्पों की माला लिये हुआ देखा। उस माला के पुष्पों से बड़ी दिव्य, मधुर और आनन्द प्रद सुगंध दूर–दूर के वातावरण में फैल रही थी। उसकी दिव्य मदमस्त सुगंध से महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और बालकों की तरह मुग्ध होकर उन्होने उक्तमाला विद्याधारी से मांग ली। महर्षि दुर्वासा अपने तेज और तप के लिए प्रसिद्ध हैं उन्हे त्रिलोकी में भला कौन नही पहचानता। उस विद्याधारी ने भी महर्षि को पहचान लिया और अपनी उस दिव्य परिजात पुष्प माला को महर्षि दुर्वासा को सादर अर्पित कर दिया। महर्षि उस माला को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर उन्होने उसे अपने मस्तक पर रख लिया तथा अत्यन्त आनन्द में विचरण करने लगे। जब इस प्रकार से वह अपने मस्ती में चले जा रहे थे तो कही देवलोक में उन्होने देवराज इन्द्र कि सवारी को आते हुए देखा। देवराज इन्द्र अपने बहुत से परिचालको और भक्तो से घिरे हुए ऐरावत हाथी पर दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर यात्रा कर रहे थे। मातलि नामक सारथी ऐरावत को हॉक रहा था। महर्षि दुर्वासा को देखकर इन्द्र ने अपनी सवारी रोकी। परस्पर अभिवादन हुए। अपने आत्मानन्द में मस्त महर्षि ने प्रसन्न होकर उस दिव्य पुष्पों कि माला को अपने सिर से उठाकर देवराज इन्द्र कि तरफ उछाल

दिया। मातलि ने उक्त माला को ऐरावत हाथी के सिर पर ड़ाल दिया। ऐरावत ने अपनी सूँड़ से उस माला को माथे पर से उठाकर सूँघा और नीचे फेककर अपने पॉव से माला को कुचल दिया। यह सब घटना कुछ ही क्षणों मे घटित हुई। महर्षि दुर्वासा अपने तेज, तप एवं क्रोध के लिए त्रिलोकी में विख्यात हैं। अपने द्धारा सप्रेम भेंट में इन्द्र को दी गई दिव्य पुष्पों कि विचित्र माला कि ऐसी दुर्दषा और अवमानना को महर्षि ने अपनी ऑखों से देखा। उनका ब्रह्मतेज जाग्रत हो गया। वे तप पुंज अग्निसद्रष जाजव्लयमान तपस्वि दुर्वासा क्रोधाग्नि से और भी दीप्त हो उठें।

उन्होने क्रोधपूर्वक देवराज इन्द्र को फटकारतें हुए कहा – अरे देवराज इन्द्र! साक्षात भगवान शिव के तीसरे नेत्र की तरह उग्र और प्रलयंकर दुर्वासा के भय से तीनो लोक कॉपते हैं और तूने ही मेरा अपमान कर दिया। अरे मूर्ख तूने अकारण कि ब्रह्मतेज को उत्तेजित किया हैं। तू देवराज इन्द्र इस वैभव को भोगने योग्य नहीं हैं। मुझ तपस्वी ब्राम्हण का अपमान करने से तू तत्क्षण श्रीहीन हो जा। उनका ऐसा कहने पर देवराज इन्द्र ब्राम्हण श्राप से भयभीत होकर कॉपने लगे। उन्होने हाथी से उतरकर बहुत प्रकार से महर्षि दुर्वासा की स्तुति करते हुए याचना कि, दुर्वासा ने कहा कि देवराज ! तेरी स्तुति, रोना, कल्पना और क्षमायाचना व्यर्थ हैं। मेरा नाम दुर्वासा हैं। मेरे पास दया और क्षमा नाम कि वस्तु नहीं हैं। मेरा यह श्राप व्यर्थ नही हो सकता, ऐसा कहते हुए महर्षि पुन: अपने मार्ग पर चले गये। देवराज इन्द्र देवताओं सहित तत्काल ही श्रीहीन हो गयें। शोभा, समृद्धि, सम्पत्ति और वैभव की स्वामिनी, अधिस्ठात्री देवी श्री स्वर्गलोक को छोड़कर चली गई। देवलोक मे भू– लोक कि सी अकाल जैसी अवस्था उत्पन्न हो गई। देवगण दीन, हीन, श्रीविहीन, जरा जीर्ण से आक्रान्त होकर त्राहि – त्राहि करने लगे। स्वर्ग कि सुश्मा नष्ट हो गई, सुख नष्ट हो गये, यहॉ तक कि देवताओं का उपवन नन्दकानन भी सूखकर उजाड़ सा हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में पड़कर सभी देवताओं ने विचार किया कि हमारा दुख कैसे दुर हो, देवताओं के श्रीविहीन होते ही असुरो ने देवलोक पर चढाई कर दी। वें बड़ें प्रबल हो गये। देवतागण उनसे ड़रकर जहाँ–तहॉ भागने लगे। बहुत समय पश्चात् वे सब एकत्र होकर प्रजापति भगवान चर्तुमुख ब्रम्हाजी के परामर्श से उन्ही के नेतृत्व में सब देवगण भगवान श्रीमन्नारायण से गुहार करने के लिए श्रीरसागर के तट पर पहुँचें। वहाँ उन्होने सामूहिक रुप से भगवान श्रीमन्नारायण कि बहुत प्रकार से स्तुति कि। देवताओं के गुहार प्रकार से भगवान द्रवित हुए और उन्होने प्रकट होकर देवताओं आदि को दर्शन दिया देवताओं के कष्टों को सुना। उन्हे आश्वस्त किया भगवान श्रीमन्न नारायण ने देवताओं को परामर्ष दिया कि वे सुमेरु पर्वत कि मथानी, वासुकि नाग को रस्सी बनाकर समुद्र के मन्थन से होने वाली उपलब्धियो में बराबर का भाग देने का प्रलोभन देकर असुरों को भी अपने साथ लगा दिया जाए। वासुकीनाग के मुख की तरफ असुरो को रखा जाए और देवतागण उसे पुँछ की तरफ से पकडे। ताकि बारी–बारी से खीचते हुए सुमेरू की मथानी चलाकर समुद्र का मंथन करे। उक्त समुद्र मंथन से ही पुन: भगवती श्री अवतरित होगी। जिससे स्वर्ग इत्यादि लोक, देव आदि गण पुन: श्री सम्पन्न हो सकेगे भगवान श्रीमन्नारायण ने यह भी कहा की उक्त समुद्रमंथन से अमृत भी उपलब्ध होगा जिसे पीकर देवता अजर–अमर हो जायेगे उन्होने आश्वासन दिया कि वे ऐसी व्यवस्था करेगे जिससे की देत्यगण अमृतपान नही कर सकेगे इस तरह जब अमृतपान से अजर अमर और शरीर से बलवान होगे तथा वासुकिनाग के श्वास प्रश्वास निकले हुए विषाग्नि से मस्त तथा श्रम से कलान्त होगे तब देवतागण संग्राम की घोषणा करके युद्ध में आसानी से देत्यो को पराजित कर पुन: वैभव, समृद्धि और स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर सकगे। श्री भगवान श्रीमन्नारायण के अनुदेश से समुद्र मंथन की यह योजना निश्चित हो जाने के उपरांत उसके क्रियान्वयन का उपक्रम होने लगा। देवताओं ने इकठठे होकर अपने कुछ प्रतिनिधियों को दानवराज बलि के पास भेजा। उनसे कहा कि महानकार्यो और उपलब्धियों के लिये विश्व एवं प्राणीमात्र के उपकार के लिए अपनी पारस्परिक शत्रुता भूलकर हम देवो और दानवो को समुद्रमंथन करना चाहिए समुद्रमंथन से अनेक रत्नों की उपलब्धि होने की संम्भावना हैं। अमृत की प्राप्ती की भी आशा हैं देव और दानवो के संयुक्त प्रयासों से जो भी अमृत इत्यादि वस्तुए उपलब्ध होगी उसे दोनो पक्ष समान भाग में बांट लेगे। सब चीजो मे सबकी साझेदारी होगी अमृत पीकर अमर हो जाने की लालसा के उत्पन्न होने से दानवो ने देवताओ का प्रस्ताव मान लिया दोनो पक्ष समुद्र किनारे गये नागराज भगवान अन्नत ने मन्दराचल (सुमेरू) को उखाड लिया सुमेरू की मथनी समुद्र मे जब डूबने लगी तो भगवान श्री नारायण ने कच्छप रूप धारण कर उसे नीचे से अपनी पीठ पर थाम लिया सुमेरू उपर निकलकर गिर न जाएं भगवान ने अपने दूसरे रूप से उसे उपर से दबाये रखा। वासुकि नाग को रस्सी की तरह सुमेरू मे लपेटा गया। उसके एक छोर को देवताओं ने दूसरे छोर को दानवो ने पकडकर क्रमश: देवराज इन्द्र और दानवराज बलि के नेतृत्व में समुद्र मन्थन प्रारंभ कर दिया। देवताओ की पूर्व योजना के अनुसार दानवों को वासुकि नाग के मुख के तरफ पकडने और खीचने के काम मे बहला फुसला कर लगा दिया गया। समुद्रमन्थन से सर्वप्रथम हलाहल निकला जिसकी भयंकर उग्र विषाग्नि से देव दानव सहित सम्पूर्ण लोक उत्पीडित और दुखी होकर कष्ट पाने लगा। भगवान श्रीमन्नारायण के परामर्श से महेश्वर शिव ने उस हलाहल को अपने कण्ठ में धारण कर तीनो लोको की तीव्र विषाग्नि से रक्षा की। उसके बाद तो एक पर एक रत्न निकलते चले गये ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व इन्द्र ने हथिया लिये। भगवती श्री लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया। मदिरा दानवो के हिस्से रही। भगवान धन्वंतरी अमृतकलश लिये हुए प्रकट हुए चन्द्रमा को भगवान शिव ने शोभा के लिए अपने जटा मुकुट पर लगा लिया इस तरह से चौदह रत्न समुद्र मंन्थन से प्रकट हुए इन्हे प्राय: देवताओ नें ही चतुराई से अपने अधिकार मे कर लिया इन रत्नो मे अप्सराये भी थी। जो देवसभा की गायिका और नर्तकियो के रूप में देवताओ के लिए मनोरंजन का साधन बनी। दानवो को विशेष लोभ अमृत का था क्योकि श्री सम्पन्न, ऐश्वर्य और बल मे वे अपने को देवताओ से श्रेष्ठ अनुभव करते थे। मदिरा को भी उन्होने आंनन्द और उत्साह का साधन समझकर ग्रहण किया था। वे सदा के लिये अजर– अमर होना चाहते थे अत: इसके लिए अमृतपान ही एकमात्र साधन हो सकता था। आयुर्वेद के अधिष्ठदाता देवता धनवन्तरी के करकमलो मे सुधाकलश को देखकर देवता और दानवो के बीच खलबली मच गई। दोनो ही उसे हथियाने के लिए छीना छपटी करने लगे। कुछ पुराणों में तो उल्लेख मिलता हैं, दानवो से अमृतकलश बचाने की इच्छा से देवराज इन्द्र के पुत्र जयन्त ने उक्त सुधाकलश का हरण कर लिया और उसे लेकर भागा। देत्य दानव उससे कलश छीनने के लिये उसके पीछे दौडे। अपनी दौड मे जयन्त ने जहाँ कभी भी पृथ्वी पर थोडी देर के लिए कुम्भ को रखा उन स्थानों पर आज भी उन्ही गृह योगो का संयोग होने पर कुम्भपर्व मनाया जाता हैं।

वैसे तो यह कुंभ कई मायनों मे खास है पर सबसे अहम यह हैं कि इसमे भारत की संस्कृति तथा श्रृद्धा का जर्बजस्त सामंजस्य दिखता है। कुंभ विशेष के सन्दर्भ मे यदि कहा जाय तो इस आयोजन मे सम्पूर्ण विश्व का आदमी

पहुचता हैं। विदेशी सैलानियो के लिये तो यह एक शोध का विषय है कि इतना बडा आयोजन जहाँ न कोई जाति है न कोई पंथ है, न कोई ऊँच-नीच है सबके लिये समान सबके लिये महान। जहाँ हर रंग है देखो तो एक मेला है, लेकिन फिर भी अदभुत है। यदि कुंभ को छोटा भारत या मिनी इंडिया कहा जाय तो कोई अतिश्योक्ति नही होगी।

भारत वर्ष मे पवित्र नदी गंगा मे स्नान की परम्परा संभवत: सभ्यता से ही चली आ रही है। पर कुंभ पर्व के अवसर पर किया जाने वाला स्नान जनमानस मे एक विशेष महत्व रखता है। कुंभ स्नान से पाप कटता है पुण्य मिलता हैं। मोक्ष कि प्राप्ति होती है साधु सन्त के रूप मे स्वयं ईश्वर भी धरती पर पधारते है ऐसी कई मान्यताऐ प्रचलित है। इसी कारण बडे बुजुर्ग सभी की इच्छा होती है कि मृत्यु से पहले कम से कम एक बार इस स्नान का पुण्य कमा ले। भारत केवल एक देश नही है, जमीन का टुकडा नही है। भारत भूमि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियो से पश्चिम जगत खोजने की कोशिश कर रहा है। यहां कण-कण मे जन-जन में इतनी विविधताओं के होते हुए भी एक ऐसी आस्था का सागर लहरे मार रहा है। जो इस भूमि पर रहने वाले अरबो लोगो को जोडकर रखता है। यहाँ कण-कण मे हम भगवान का दर्शन करते है। पत्थर को मूर्ति बनाकर भगवान रूप दे सकते है नदियो को माता मानकर पूजा करते है, जीवन देने वाली प्राण वायु को देने वाले पेड़ पौधो को हम पूजा करते है। और वैज्ञानिक धरातल पर हम इतने परिपक्व है कि सदियो पहले वे कि सदियो पहले से भविष्य में आने वाले सूर्य ग्रहण-चन्द्र ग्रहण और तिथियों -व्रतों और त्यौहारो की गणना कर लेते है। इसी आस्था और विश्वास का प्रतीक है कुम्भ मैला। 1 गणना तो देखिए हर 12 वर्ष बाद आने वाले इस महापर्व कुंभ की गणना और घोषणा हम सदियो पहले कर देते है। चार स्थानो पर लगने वाले कुंभ पर्व की सही तिथि और समय हम बता सकते है। उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी। पृथ्वी पूर्ण और चन्द्र की गति और दिशा कैसी होगी और कहां होगी। इसी आधार पर कुंभ पर्व निर्धारित होता है। यहाँ भारत भूमि के रहस्य की वैज्ञानिकता प्रमाणित करता है। कुंभ पर वे चाहे हरिद्धार में हो नासिक मे हो या फिर उज्जैन में हो भारत के दूर दराज गांवो मे से करोडो लोग वहां पहुचते हैं। भाषा अलग संप्रदाय अलग वेषभूषा और खान-पान अलग होते हुए भी दृष्य को देखने के लिए भारी संख्या में पहुॅचते है। कुंभ पर्व केवल आस्था का प्रतीक ही नही है यह एक पर्यटन का अपने देश और धर्म को समझने का और उससे जुडाव महसूस करने का भी पर्व है। एक भाव की मैं भारतीय हूँ। यह देश मेरा हैं देश भक्ति का इससे प्रबल प्रमाण और कोई नही हो सकता। यह पर्व पर्यावरण से भी जुडा है। ऋतु अनुकूल होने के कारण जब कोई श्रद्धा भाव से नदी के पानी में डूबकी लगाता हैं। तब उसका मन पवित्र हो जाता हैं। ओर वह कहता है नदी मेरी माँ हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. देवी स्त्रोत रत्नाकर , संस्करण 2066 , गीता प्रेस, गोरखपुर।
2. गंगा मैया की अमर कथा, आई. एम. राजस्वी, प्रथम संस्करण 2008, राजश्री प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. चारो धाम, पंडित वंशीधर त्रिपाठी, प्रथम संस्करण 2006, पिलग्रीम्स पब्लिकेशन, वाराणसी।
4. गंगा के भजन, प्रथम संस्करण, वर्ष 2009 , रणधीर प्रकाशन, हरिद्धार।
5. वाराणसी महात्यम, दंडी स्वामी शिवानंद सरस्वती, प्रथम संस्करण वर्ष 2001, आनंद कानन प्रकाशन, वाराणसी।
6. श्री गंगा महिमा, प्रथम संस्करण वर्ष 2001, बी. एस. प्रमिन्दर प्रकाशन, दिल्ली।
7. मोक्ष दायिनी काशी के गंगा तट पर, केकी श्री एन. दारू वाला, प्रथम संस्करण वर्ष 1997 विश्वविद्यालय प्रकाशन, इलाहबाद।
8. मॉ गंगा श्री मॉ मीरा, प्रथम संस्करण वर्ष 2008, श्री अरविन्द योग केन्द्र, ऋषिकेश।

****